पंचदश माला, खंड 33, अंक 27

मंगलवार, 30 अप्रैल, 2013
10 वैशाख, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 4 July 2016.

(खंड 33 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इंदु बक्शी
सम्पादक

सुशांत कुमार पांडेय
सहायक सम्पादक

श्रीमती अंजु मीणा
सहायक सम्पादक

©2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 33 तेरहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 27, मंगलवार, 30 अप्रैल, 2013/10 वैशाख, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 481	1-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 482 से 500	3-96
अतारांकित प्रश्न संख्या 5516 से 5745	96-518
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	518-521
लोक लेखा समिति	
80वें से 86वां प्रतिवेदन	521-522
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
22वें से 25वां प्रतिवेदन	522-523
प्राक्कलन समिति	
23वां और 24वां प्रतिवेदन	523
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
27वां प्रतिवेदन	523-524
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
49वां प्रतिवेदन	524
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
43वें से 46वां प्रतिवेदन	524
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
28वां और 29वां प्रतिवेदन	525
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
33वें से 35वां प्रतिवेदन	525
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
38वें से 41वां प्रतिवेदन	526

विषय **कॉलम**

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री तारिक अनवर 526-527

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) समुद्री लहरों से बचाव के लिए केरल में अझीकोड से चेंतरापिन्नी तक तटीय बैल्ट का निर्माण किए जाने की अवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन 527-528

(दो) कोसली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री अमरनाथ प्रधान 528

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक में आपत्तिजनक सामग्री की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. पीताम्बर कुरूप 528-529

(चार) देश में बच्चों और महिलाओं पर हो रहे यौन अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन वर्मा 529-530

(पांच) देश में रेलवे फाटकों को बंद किए जाने का निर्णय लेने से पूर्व जन-प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण जानने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह 530

(छह) महाराष्ट्र के पुणे में वनाज-रामवाडी कॉरीडोर पर मेट्रो रेल परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्से की धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश कलमाडी 530-531

(सात) तमिलनाडु के सदुरंगपट्टिनम में राज्य राजमार्ग संख्या 58 पर बकिंगम कैनाल पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. विश्वनाथन 531-532

(आठ) सहकारी बैंकों में व्यक्तियों द्वारा इंश्योर्ड जमा राशि की सीमा को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रु. किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 532

(नौ) भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर एक रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार चौधरी 532-523

विषय कॉलम

(दस) महाराजा सातन पासी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ऐतिहासिक सातन कोट का सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 533-534

(ग्यारह) बिहार के बाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरिपुलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो 534

(बारह) तमिलनाडु निजी वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन 534-536

(तेरह) केरल के इरोड और पालक्काड के बीच मेमू रेलगाड़ी शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश 536

(चौदह) ओडिशा में खुर्दा, जटनी, भुवनेश्वर और कटक के शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली शुरू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 536

(पंद्रह) तमिलनाडु में कैंसर अनुसंधान संस्थान, अडयार का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. राजेन्द्रन 536-537

(सोलह) देश में कृषि के विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 537-538

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा किया जाना 538-538

अनुदानों की मांगें (रेल), 2013-14 555-639

कटौती प्रस्ताव-अस्वीकृत 557-639

मांगें स्वीकृत 555-558

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2013 641-642

पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव 641

विचार करने के लिए प्रस्ताव 641

खंड 2, 3 और 1 641

पारित करने के लिए प्रस्ताव 642

विषय	कॉलम
सभा की स्वीकृति के लिए मांगें (गिलोटीन)	642-728
कटौती प्रस्ताव	643-728
कृषि मंत्रालय	643-655
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	655-656
कोयला मंत्रालय	656-657
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकस मंत्रालय	657
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	657-660
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	660
पर्यावरण और वन मंत्रालय	660-662
विदेश मंत्रालय	662-663
वित्त मंत्रालय	663-667
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	667
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	667-670
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	670-671
गृह मंत्रालय	671-675
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	675
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	675-681
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	681-682
श्रम और रोजगार मंत्रालय	682-686
विधि और न्याय मंत्रालय	686-687
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	687-689
खान मंत्रालय	689-691
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	691
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	691
पंचायती राज मंत्रालय	691-692
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	692
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	692-694
योजना मंत्रालय	994-695

विषय	कॉलम

विद्युत मंत्रालय 695-697

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 697-700

ग्रामीण विकास मंत्रालय 700-709

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 709-712

पोत परिवहन मंत्रालय 712

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 712-714

अंतरिक्ष विभाग 714

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 714

वस्त्र मंत्रालय 714-715

पर्यटन मंत्रालय 715-717

जनजातीय कार्य मंत्रालय 717

शहरी विकास मंत्रालय 717-719

जल संसाधन मंत्रालय 719-722

महिला और बाल विकास मंत्रालय 722-724

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 725-728

कटौती प्रस्ताव-अस्वीकृत 728

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013 743-745

पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव 744

विचार करने के लिए प्रस्ताव 744

खंड 2 से 4 और 1 745

पारित करने के लिए प्रस्ताव 745

वित्त विधेयक, 2013 745-780

विचार करने के लिए प्रस्ताव 749

श्री पी. चिदम्बरम 746, 747-49

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 751-52

श्री प्रताप सिंह बाजवा 753

खंड 2 से 125 और 1 756-779

पारित करने के लिए प्रस्ताव 780

विषय **कॉलम**

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 781

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 782-790

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 791-792

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 792-794

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 30 अप्रैल, 2013/10 वैशाख, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 481, श्री अर्जुन राम मेघवाल।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री गणेश सिंह, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकार सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

$11.01^1/_2$ बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 481, श्री अर्जुन राम मेघवाल

[हिंदी]

कोयले का मूल्य निर्धारण

***481. श्री अर्जुन राम मेघवाल:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2012 से गैर-कोकिंग कोयले की ग्रेडिंग और मूल्य निर्धारण की उपयोगी ताप मूल्य आधारित प्रणाली से सकल तापजनक मूल्य आधारित प्रणाली अपनाने से लेकर अब तक कोयले का मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और देश में विद्युत उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) नई प्रणाली के अंतर्गत कुल मिलाकर कोल इंडिया लिमिटेड के लिए राजस्व तटस्थता किस हद तक बनाए रखी गई है;

(घ) क्या सकल तापजनक मूल्य आधारित प्रणाली अपनाने का आम आदमी सहित उपभोक्ताओं पर कोई लागत संबंधी प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार ने 01.01.2000 से कोयले के मूल्य के निर्धारण को पूरी तरह से विनियंत्रित कर दिया था। उसके बाद कोल इंडिया लि. ने उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले के विभिन्न ग्रेडों के मूल्य का निर्धारण करना शुरू कर दिया। सरकार ने उस समय मौजूद उपयोगी मूल्य (यूएचवी) आधारित ग्रेडिंग तथा देश में उत्पादित नान-कोकिंग कोयले के मूल्य निर्धारण के स्थान पर 01 जनवरी, 2012 से ग्रेडिंग एवं मूल्य निर्धारण की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य तथा पूर्ण रूप से परिवर्तनीय सकल तापजनक मूल्य (जीसीवी) आधारित प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, नान-कोकिंग कोयले के ग्रेडिंग की जीसीवी पद्धति पर आधारित कोयला कीमत का एक नया सेट 01.01.2012 से कोल इंडिया लि. द्वारा और 14.09.2012 से सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

(ग) ग्रेडिंग तथा मूल्य निर्धारण की जीसीवी पद्धति मुख्यत: जीसीवी पद्धति पर आधारित नान-कोकिंग कोयले की कीमत को निर्धारित करना था। ग्रेडिंग तथ मूल्य निर्धारण की जीसीवी पद्धति को समग्र रूप से सीआईएल के लिए संभव सीमा तक राजस्व तटस्थ रखा गया है। ग्रेडिंग की यूएचवी पद्धति के अधीन सात ग्रेड (ए से जी थे), जिन्हें सत्तरह बेंड़ों में वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक 300 के क्लो. कि. ग्राम की बेंड चौड़ाई का है। इसके अलावा, ग्रेडिंग तथा मूल्य निर्धारण की यूएचवी पद्धति के अधीन विभिन्न सहायक कोयला कंपनियों के लिए विशेष ग्रेड के लिए मूल्य भिन्न-भिन्न था तथा जबकि जीसीवी व्यवसाय के अधीन वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

(डब्ल्यूसीएल) को छोड़कर सीआईएल की सभी सहायक कोयला कंपनियों ने विशेष जीसीवी बैंड के लिए एक समान कीमत रखी गई थी।

(घ) और (ङ) चूंकि यूएचवी आधारित पद्धति के स्थान पर जीसीवी आधारित पद्धति को अपनाने पर आधारित मूल्य निर्धारण को समग्र रूप से सीआईएल के लिए संभव सीमा तक राजस्व तटस्थ रखा गया हैं, अतः कुछ सहायक कंपनियों में कोयले की कीमत बढ़ी है तथा कुछ अन्यों में घटी हैं। कुल मिलाकर, आम आदमी को शामिल करके उपभोक्ताओं पर कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: आप से ही संबंधित विषय के बारे में बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आपके दल के सदस्य ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: प्रधानमंत्री जी कब इस्तीफा दे रहे हैं, यह बताइए।...*(व्यवधान)* मेरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी कब इस्तीफा दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मेगा फूड पार्कों की स्थापना

***482. श्री प्रदीप माझी:**
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मेगा फूड पार्कों की स्थापना हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य और परियोजना-वार आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में विभिन्न मेगा फूड पार्कों की स्थापना हेतु लक्ष्यों को संशोधित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना हेतु राज्य और परियोजना-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी हां, महोदया। सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तीन चरणों में 30 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया था।

(ख) मंत्रालय ने तीनों चरणों में लक्ष्य के अनुसार सभी 30 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। पहले चरण में, 10 मेगा खाद्य पार्कों को स्वीकृति दी गई थी, दूसरे चरण में 5 और तीसरे चरण में 15 मेगा खाद्य पार्कों की स्वीकृति दी गई है। 30 अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) स्कीम के कार्यान्वियन के तीनों चरणों के दौरान, प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) मेगा खाद्य पार्क स्कीम के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान जारी की गई एवं उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार एवं परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) जी हां, महोदया। अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य को संशोधित करके 24 महीने से 30 महीने कर दिया गया है।

12वीं योजना के दौरान मेगा खाद्य पार्क स्कीम के लिए निर्दिष्ट की गई कुल राशि रुपये 1800.00 करोड़ है। इसके मुकाबले, 2012-13 और 2013-14 के लिए वास्तविक आवंटन क्रमशः 93.11 करोड़ रुपए एवं 116.00 करोड़ रुपए है। स्कीम के अंतर्गत, लक्ष्यों का निर्धारण एवं निधि का आवंटन राज्य-वार और परियोजना-वार नहीं किया जाता है। निधि परियोजना विशिष्ट प्रगति के आध ार पर जारी की जाती है।

विवरण-I

मेगा खाद्य पार्क स्कीम के कार्यान्वयन के 3 चरणों के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	परियोजना अवस्थित
1	2	3	4
चरण-I			
1.	मैसर्स स्रीनी फूड पार्क प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	चितूर
2.	मैसर्स पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लि.	उत्तराखंड	हरिद्वार
3.	मैसर्स नार्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	असम	नलबाड़ी
4.	मैसर्स झारखंड मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	झारखंड	रांची
5.	मैसर्स तमिलनाडु मेगा फूड पार्क लि.	तमिलनाडु	धर्मपुरी
6.	मैसर्स जांगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	पश्चिम बंगाल	जांगीपुर
7.	मैसर्स इंटिग्रेटिड फूड पार्क प्रा.लि.	कर्नाटक	तुमकुर
8.	मैसर्स इंटरनेश्नल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	पंजाब	फाजिल्का
9.	मैसर्स पैथान मेगा फूड पार्क लि.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
10.	मैसर्स आदित्य बिरला नूवो लि.	उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर
चरण-II			
11.	मैसर्स केवेंटर फूड पर्क इन्फ्रा लि.	बिहार	भागलपुर
12.	मैसर्स सिकारिया इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि.	त्रिपुरा	अगरतला
13.	मैसर्स अनिल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गुजरात	बड़ोदरा
14.	मैसर्स एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लि.	ओडिशा	रायगदा
15.	मैसर्स इंडस मेगा फूड पार्क लि.	मध्य प्रदेश	खरगोन
चरण-III			
16.	मैसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क लि.	छत्तीसगढ़	रायपुर
17.	मैसर्स चेक्रानेमी एग्रो मेगा फूड पार्क लि.	पुदुचेरी	अभिशेकपक्कम
18.	मैसर्स छत्तीसगढ़ एग्रो मेगा फूड पार्क लि.	छत्तीसगढ़	रायपुर
19.	मैसर्स ग्रीन्स फूड पार्क इंडिया प्रा.लि.	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा

1	2	3	4
20.	मैसर्स सोमा न्यु टाउन्स (प्रा.) लि.	हरियाणा	सिरसा
21.	मैसर्स ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	राजस्थान	अजमेर
22.	मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा पार्क प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	पश्चिमी गोदावरी
23.	मैसर्स प्रीस्टीन लोजिस्टिक्स एंड इंफ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि.	बिहार	खगरिया
24.	मैसर्स गुजरात एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क	गुजरात	सूरत
25.	मैसर्स पोलियन मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	हिमाचल प्रदेश	ऊना
26.	मैसर्स सतारा मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	महाराष्ट्र	सतारा
27.	मैसर्स हूमा कोस्टल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	ओडिशा	गंजम
28.	मैसर्स कंचनजंगा आर्गेनिक मेगा फूड पार्क लि.	सिक्किम	साउथ सिक्किम
29.	मैसर्स हिमालयन फूड पार्क प्रा.लि.	उत्तरखंड	ऊधम सिंह नगर
30.	मैसर्स बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी

विवरण-II

स्कीम के कार्यान्वियन के 3 विभिन्न चरणों के दौरान प्राप्त प्रस्ताव

चरण-I

क्र.सं	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4	1
2.	असम	3	1
3.	झारखंड	3	1
4.	कर्नाटक	15	1
5.	महाराष्ट्र	26	1
6.	पंजाब	12	1
7.	तमिलनाडु	3	1
8.	उत्तर प्रदेश	12	1
9.	उत्तराखंड	3	1
10.	पश्चिम बंगाल	2	1
	कुल	83	10

चरण-II

क्र.सं	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़	3	-
2.	बिहार	5	1
3.	हरियाणा	3	-
4.	गुजरात	9	1
5.	जम्मू और कश्मीर	2	-
6.	केरल	3	-
7.	मध्य प्रदेश	7	1
8.	ओडिशा	3	1
9.	राजस्थान	3	-
10.	त्रिपुरा	2	1
	कुल	40	5

चरण-III

क्र.सं	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	1
2.	असम	1	-
3.	बिहार	4	1
4.	छत्तीसगढ़	3	2
5.	दिल्ली	2	-
6.	गोवा	1	-
7.	गुजरात	6	1
8.	हरियाणा	4	1
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1
10.	जम्मू और कश्मीर	4	1

1	2	3	4
11.	कर्नाटक	1	–
12.	केरल	1	–
13.	मध्य प्रदेश	1	–
14.	महाराष्ट्र	10	1
15.	मिज़ोरम	1	–
16.	ओडिशा	1	1
17.	पुदुचेरी	1	1
18.	पंजाब	2	–
19.	राजस्थान	2	1
20.	सिक्किम	2	1
21.	उत्तर प्रदेश	1	–
22.	उत्तराखंड	1	1
23.	पश्चिम बंगाल	3	1
	कुल	63	15

विवरण-III

11वीं योजना के दौरान मेगा खाद्य पार्क स्कीम के अंतर्गत जारी की गई/उपयोग में लाई गई निधियां

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए)
1	2007-08	15.00	14.79*
2.	2008-09	28.00	27.63
3.	2009-10	23.93	18.49
4.	2010-11	76.79	76.24
5.	2011-12	94.39	83.53
11वीं योजनावधि के दौरान कुल		238.11	220.68

*मेगा खाद्य पार्क स्कीम 2007-08 के दौरान स्वीकृत नहीं की गई थी व्यय पुरानी अवसंरचना विकास स्कीम पर किया गया था जिसमें खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला और बूचड़खाना आधुनिकीकरण परियोजनाएं शामिल थीं। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक के व्यय में भी पुरानी खाद्य पार्क स्कीम का व्यय शामिल है।

11वीं योजना के दौरान मेगा खाद्य पार्क स्कीम के अंतर्गत जारी की गई/उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं के नाम	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स स्रीनी फूड पार्क प्रा.लि.	45.00
2.	असम	मैसर्स नार्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	28.50
3.	बिहार	मैसर्स केवेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लि.	5.00
4.	गुजरात	मैसर्स अनिल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	5.00
5.	झारखंड	मैसर्स झारखंड मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	5.00
6.	कर्नाटक	मैसर्स इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	5.00
7.	मध्य प्रदेश	मैसर्स इंडस मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	-
8.	महाराष्ट्र	मैसर्स पैथान मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	-
9.	ओडिशा	मैसर्स एमआईटीएस मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	-
10.	पंजाब	मैसर्स इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	15.00
11.	तमिलनाडु	मैसर्स तमिलनाडु मेगा फूड पार्क	5.00
12.	त्रिपुरा	मैसर्स सिकारिया मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	5.00
13.	उत्तराखंड	मैसर्स पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लि.	30.00
14.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स जांगीपुर बंगाल मेगा खाद्य पार्क	15.00
	कुल		163.50

[हिंदी]

कोयले की आपूर्ति

***483. श्री जगदानंद सिंह:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों में उत्पादित कोयले की कुल मात्रा और वास्तविक उत्पादन के बताए गए आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में विद्युत कंपनियों/ताप विद्युत संयंत्रों और खपत करने वाले अन्य एककों से घटिया किस्म

के अवमानक कोयले की आपूर्ति, उच्च ढुलाई लागतों, अनियमित आपूर्ति, आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों के स्वरूप सहित इनका कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मुद्दों के समाधान हेतु क्या कार्य-योजना बनाने पर विचार किया गया है/बनाई ज रही है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सीआईएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महीने की समाप्ति पर कुल उत्पादन का समन्वय कोलियरी सर्वेयरों द्वारा किए गए कोयला भंडार की माप के साथ किया जाता है, जिसके बाद सीआईएल माल माप टीम द्वारा वार्षिक समन्वय किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल द्वारा नियुक्त वार्षिक कोयला स्टाक माप टीम द्वारा पता लगाई गई 5 प्रतिशत से अधिक स्टाक की कमी वाली खानों के नामों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2009-10	ईसीएल	खान का नाम	बुक स्टाक (टीई)	मापित स्टाक (टीई)	कमी (टीई)	% कमी
		वेस्ट केंडा	36509	28139	8370	22.9
		चोरा 10 पिट	74442	1295	6147	82.6
		चोरा 7 और 9 पिट	4999	2040	2959	59ए2
		घुसिक	8409	3834	4475	53.2
2010-11	ईसीएल	न्यू केंडा	34572	11316	23256	67.3
2011-12				शून्य		
2012-13	डब्यूसीएल	शिवपुरी	53380	3577.455	17602.885	32.98

एससीसीएल ने कहा है कि कुल उत्पादित कोयले की मात्रा तथा सूचित उत्पादन में कोई अंतर नहीं है।

(ग) और (घ) सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों ने कहा है कि उन्हें विद्युत कंपनियों/तापीय विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उपभोक्ता इकाइयों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें बड़े आकार के कोयला तथा कोयला मिश्रित पत्थर/वोल्डरों के संबंध में पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं। जबकि सहायक कोयला कंपनियों कोयले में मौजूद अप्रासंगिक सामग्री को अलग करने/हटाने का प्रयास करती हैं, तथापि विशिष्ट भू-खनन परिस्थितियों/कारकों के कारण इससे इंकार नहीं किया जा सकता। चूंकि कोयला विषम स्वरूप का है, अत: कुछ असंगत सामग्री आपूर्ति किए गए कच्चे कोयले के साथ मिल सकती है, जिसके लिए एफएसए में पत्थर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। ज्यादातर शिकायतें बड़े आकार के कोयला, असंगत सामग्री, लम्पी कोयला पत्थरों तथा खराब गुणवत्ता वाले कोयला से संबंधित थीं। सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

शिकायतों के कंपनी-वार, वर्ष-वार ब्यौरे (प्रेषण आंकड़े मि. टन में)

कंपनी	वर्ष-वार शिकायतों की संख्या		
	2010-11 शिकायतों की संख्या	2011-12 शिकायतों की संख्या	2012-13 शिकायतों की संख्या
1	2	3	4
एनसीएल	55	67	73
डब्ल्यूसीएल	115	65	138

1	2	3	4
एसईसीएल	60	45	42
ईसीएल	70	40	38
बीसीसीएल	12	14	18
एमसीएल	3	4	17
सीसीएल	202	190	204
एनईसी	शून्य	शून्य	शून्य

सीआईएल की सहायक कंपनियों और विद्युत उपयोगिताओं के बीच विवाद के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में एफएसए के प्रावधानों के अनुसार, रेफरी सैम्पल दोनों पक्षों की सहमति से एक स्वतंत्र लैबोरेटरी को भेजे जाते हैं। तब रेफरी सैम्पल के परिणाम अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।

जहां तक परिवहन का संबंध है, कोयले की बिक्री कोलियरी आधार पर "रेल/सड़क से मुक्त (एफओआर)" की जाती है। इसलिए कोलियरी साईडिंग का परिवहन प्रभार उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है तथा इस प्रकार इस संबंध में सीआईएल को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कोयला कंपनियां सहमत प्रेषण अनुसूची के अनुसार उपभोक्ताओं की ओर से वेगनों की मांग करती है। तथापि, कभी-कभी मांग पत्र तथा वेगन सप्लाई के बीच असंतुलन की वजह से विद्युत स्टेशनों को रेकों की अनियमित आपूर्ति होती है। फिर भी, सीआईएल से विद्युत क्षेत्र को समग्र कार्यान्वयन पिछले तीन वर्षों में 90% से अधिक हुआ है और 2012-13 में सीआईएल से कुल प्रेषण 2012-13 के लक्ष्य का 90% हुआ है।

कोयला मंत्रालय का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह विद्युत स्टेशनों को कोयले की ढुलाई की निगरानी करता है और भारतीय रेलवे के सहयोग से अनियमित आपूर्ति के मुद्दे का समाधान निकालता है। संकट की स्थिति से बचने के लिए, जब कभी आवश्यक हो, नाजुक कोयला भंडारों वाले विद्युत स्टेशनों को कोयले की ढुलाई को प्राथमिकता देने हेतु उप-समूह आकस्मिक निर्णय लेता है।

(ङ) कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियां विद्युत गृहों को गुणवत्ता और आकारीकृत कोयले की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही हैं:-

(i) 1 मीटर से अधिक मोटाई के बैंडों का चयनित खनन।

(ii) सतही खनिकों को बड़े पैमाने पर लागू करना।

(iii) सम्मिश्रण से बचने के लिए ओबी तथा कोयला बेंचों की उपयुक्त अवस्थिति।

(iv) ब्लास्टिंग से पूर्व कोयला बेंचों की स्क्रेपिंग/सफाई।

(v) कोयला लदान से पहले स्वचालित कन्वेयरों पर मेटल डिटेक्टरों/मेग्नेटिक सेपरेटरों की स्थापना।

(vi) उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुकूल आकारीकृत तथा एक समान गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण हेतु सभी प्रमुख परियोजनाओं में उच्च क्षमता वाला कोयला रखरखाव संयंत्र हैं।

(vii) नियमित गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु सभी परियोजनाओं में सुसज्जित प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(viii) उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त नमूना की व्यवस्था जिसके आधार पर उपभोक्ताओं को कोयले की कीमत के प्रति भुगतान के समायोजन की सुविधा दी गई है।

(ix) खनन प्रचालनों के दौरान कोयले की गुणवत्ता के महत्व और कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उसे कायम रखने की आवश्यकता के बारे में कोयले के उत्पाद से जुड़े कार्मिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों/प्रशिक्षण देने की व्यवस्था।

(x) खान मुहाने, साइडिंग तथा वेगनों से स्लेटी पत्थर, यदि कोई हो की छंटनी।

(xi) नान-कोकिंग कोयले की मौजूदा क्षमता के अलावा, "निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव" के आधार पर वाशरियों में नान-कोकिंग कोयले के परिष्करण की आयोजना की गई है।

कोयला मंत्रालय ने पूर्ववर्ती मसलों का समाधान निकालने के लिए सीआईएल को इलेक्ट्रॉनिक तुलनसेतु स्थापित करने जीपीएस सुविधा, कोयले के आकारीकरण एवं क्रासिंग के लिए सीएचपी एवं तीसरे पक्ष के नमूनाकरण को आगे बढ़ाने और समयबद्ध पद्धति में वाशरियों की स्थापना करने के निदेश दिए हैं।

डेयरी क्षेत्र का विकास

*484. **श्री एल. राजगोपाल:**
श्री राधे मोहन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत डेयरी क्षेत्र के विकास हेतु मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार देश में कोई 'राष्ट्रीय दुग्ध नीति' बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल), गुजरात की सफलता को अन्य राज्यों में भी दोहराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अधीन, भारत सरकार द्वारा धनराशि का क्षेत्रवार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों द्वारा डेयरी विकास के लिए 1,145.90 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। पिछले तीन वर्षों में डेयरी विकास के लिए अनुमोदित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन 63,246 करोड़ रुपए के परिव्यय का संकेत दिया है।

(ख) और (ग) देश में एक 'राष्ट्रीय दुग्ध नीति' बनाने का कोई प्रस्ताव संघ सरकार के पास नहीं है।

(घ) और (ङ) डेयरी सहकारिताओं का आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल) पैटर्न कई राज्यों द्वारा दोहराया जा रहा है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए डेयरी सहकारिताओं को बढ़ावा दे रहा है। इन योजनाओं में सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सहकारिताओं को सहयता, डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना और राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-1) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन भी डेयरी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

विवरण

2010-11 से 2012-13 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन डेयरी विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4.95	20	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0	2.92

1	2	3	4	5
3.	असम	3.07	6.93	10.97
4.	बिहार	8.4	24.56	26
5.	छत्तीसगढ़	1	00	3.95
6.	गोवा	1.81	23.9	4.01
7.	गुजरात	59.89	50.47	0
8.	हरियाणा	4.25	12.18	26.45
9.	हिमाचल प्रदेश	2.9	0	7.67
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	12
11.	झारखंड	11.77	39.97	95.85
12.	कर्नाटक	0	0	0
13.	केरल	4.13	6.14	10.58
14.	मध्य प्रदेश	17.12	10.09	0
15.	महाराष्ट्र	1.86	46.13	0
16.	मणिपुर	4	0	0
17.	मेघालय	0	1.15	0
18.	मिज़ोरम	0	0	1.3
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	12.12	6.77	6.5
21.	पंजाब	16.96	14.19	34.46
22.	राजस्थान	144.9	1.52	165
23.	सिक्किम	0	0	1
24.	तमिलनाडु	1	36.11	27.63

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	1		0
26.	उत्तर प्रदेश	32.23	18.35	34.77
27.	उत्तराखंड	0	7.09	7.54
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
		333.36	304.04	508.5

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का भंडारण

***485. श्री हरीश चौधरी:**
श्री एस. अलागिरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सर्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकरी गोदामों में खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा रखी गई है और उसका मूल्य क्या है;

(ख) क्या कुछ खाद्यान्न गोदामों में रोक लिए गए थे और वे सड़ने, कीड़े लगने तथा चूहों द्वारा खराब कर दिए जाने के कारण बर्बाद हो गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों की कितनी मात्रा बर्बाद हुई और उसका मूल्य क्या था;

(घ) क्या खाद्यान्नों के भंडारण हेतु कोई अधिकतम सीमा और उनके स्थान पर नए स्टॉक के रखे जाने की अनिवार्यता संबंधी कोई उपबंध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खराब खाद्यान्नों के स्टॉक के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल (चावल के रूप में बिना कुटे धान सहित) के स्टाक की स्थिति और उसका मूल्य निम्नानुसार है:

	स्टाक (लाख टन में)			संबंधित वर्ष की अधिग्रहण लागत पर मूल्य (रुपए करोड़ में)		
वर्ष	गेहूं	चावल (चावल के रूप में बिना कुटे धान सहित)	कुल	गेहूं	चावल	कुल
01.04.2010	161.25	267.13	428.38	19740.87	43679.76	63420.63
01.04.2011	153.64	288.2	441.84	19615.22	50712.25	70327.47
01.04.2012	199.52	333.5	533.02	27032.17	62104.37	89136.54
01.04.2013	242.07	354.68	596.75	36392.56	73402.09	109794.65

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 2009-10 से 2012-13 मार्च, 2013 तक) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न कारणों, जैसे कि (i) भंडारण क्षति, (ii) मार्गस्थ क्षति, (iii) चक्रवात/बाढ़ और वर्षा के कारण क्षति और (iv) कुछ मामलों में कर्मचारियों/अधिकारियों की लापरवाही के कारण खाद्यान्नों की थोड़ी सी मात्रा क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हो गई थी जिसके लिए दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध निश्चित रूप से उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (मार्च, 2013 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास पाए गए क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों की वस्तुवार मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

	स्टाक (आंकड़े टन में)		मूल्य (लाख रुपए में)		
वर्ष	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	कुल
2009-10	2010.00	3680.00	228.17	537.27	765.44
2010-11	1997.00	1908.00	244.48	311.99	556.47
2011-12	2401.61	936.40	306.61	164.77	471.38
2012-13	2417.23	728.21	32.75	135.61	168.36

(घ) और (ङ) जलवायु संबंधी सामान्य स्थितियों में वैज्ञानिक ढंग से भंडार में रखा खाद्यान्न आमतौर पर तीन वर्ष और आधुनिक साइलों में रखा गया खाद्यान्न उससे भी ज्यादा समय तक अच्छी स्थिति में रहता है। वर्ष 2008-09 के दौरान कवर्ड गोदामों और कैप में रखे गए गेहूं की शेल्फ लाइफ पर किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि गेहूं को गोदामों एवं कैप में जूट की बोरियों में तीन वर्ष तक रखा जा सकता है तथा उसकी भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक संभव हो सके, खाद्यान्नों के उठान/निस्तारण के लिए 'प्रथम आगम प्रथम निर्गम' का सिद्धांत अपनाया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्न लंबे समय तक न पड़े रहें। क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों के निष्पादन के लिए निर्धारित प्रक्रिया भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जा रही है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोत

***486. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुमति पत्र योजना के अंतर्गत भारतीय अनन्य आर्थिक जोनों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले कुल कितने पोत कार्यरत हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राजस्व भागीदारी तंत्र क्या है और इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या इस बात को देखते हुए कि एक मौसम में कोई अनुमति पत्र प्राप्त पोत लगभग 1800 टन टूना मछलियां पकड़ सकता है, जिसका मूल्य 90 करोड़ रुपए है, यह राजस्व भागीदारी तंत्र उचित है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे पोत अक्सर अपनी पकड़ी गई मछलियों को समुद्र में दूसरे जहाज पर उतार देते हैं, क्योंकि उनके लिए भारत के बेस पत्तन पर मछलियां उतारना आवश्यक नहीं होता; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना की उपरोक्त खामियों के समाधान हेतु कोई प्रयास किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) 25.4.2013 की स्थिति के अनुसार वैध अनुमति पत्रों की कुल संख्या 85 है। भारतीय तटरक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चार पोत प्रचालन में थे।

अनुमति पत्र जारी करने की नीति देशी मत्स्यन बेड़ा तैयार करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी जो सतत रूप से गहरा समुद्र संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम हो। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहरा समुद्र मत्स्यन पोतों के प्रचालन के लिए मौजूदा नीति और मार्गनिर्देशों के अधीन कोई राजस्व भागीदारी तंत्र नहीं है। तथापि, इस समय, अनुमति पत्र प्रदान किए जाने से पहले आवेदन की प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्रति पोत 10,000/- रुपए की धनराशि ली जाती है।

(घ) गहरा समुद्र मत्स्यन पोतों द्वारा कैच के मध्य समुद्र ट्रांसशिपमेंट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 21.11.2011 के परिपत्र द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार मध्य समुद्र ट्रांसशिपमेंट के जरिए मछली के निर्यात की अनुमति है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भोजन की सुलभता

***487. श्री वरुण गांधी:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिसेफ की एक रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टों में पर्याप्त स्टॉक और खाद्यान्नों के हर वर्ष खराब होने के बावजूद देश में विशेषकर बच्चों के भूख से पीड़ित रहने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों को भोजन की उपलब्धता और सुलभता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा देश में भुखमरी समाप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (एनएफएचएच-3) 2006 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 42.5 प्रतिशत बच्चें कम वजन के हैं और 69.5 प्रतिशत बच्चे ऐनीमिक (खून की कमी वाले) हैं। कुपोषण की समस्या का स्वरूप जटिल, बहु-आयामी और पीढ़ीगत है और केवल किसी एक क्षेत्र द्वारा इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। यह सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय/विभागों की कई स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीमों/कार्यक्रमों में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम), सबला नामक किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आरजीएसआईएजी), इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसआई) प्रत्यक्ष लक्षित गतिविधियों के रूप में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अप्रत्यक्ष बहु-क्षेत्रीय गतिविधियों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि शामिल हैं। आईसीडीएस, एनएचआरएम, एमडीएम, एमडीएम, एसजीएसवाई नामक अनेक स्कीमों को 2005-06 के बाद और आगे बढ़ाया गया है। इन सभी स्कीमों में पोषण के किसी न किसी पहलू का समाधान करने की क्षमता है।

यह कहना सही नहीं होगा कि खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। 2011-12 और 2012-13 के प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा केवल 0.03 लाख मिलियन टन थी।

टीपीडीएस एमडीएम जैसी स्कीमों में पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों जैसे स्थानीय समुदाय शामिल होते हैं। सतर्कता समितियों में भी निगरानी और सामाजिक लेखापरीक्षा में इन समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

[हिंदी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

***488. श्री रतन सिंह:**
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय ऐसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें अगले दो वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की अधिक सम्भावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों से अन्य देशों को बागवानी उत्पादों के निर्यात की कोई संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए बागवानी उत्पादों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मूल्य क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी धनराशि स्वीकृत और आवंटित की गई?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला परियोजनाओं एवं बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण; गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलापों; मानव संसाधन विकास; संस्थान सुदृढ़ीकरण के घटकों वाली अवसंरचना विकास स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। क्षेत्र को आगे और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्यों/संघ राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 01.04.2012 से नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम—राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू किया है।

(घ) निर्यात संबंधी आंकड़े राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मूल्य के अर्थ में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) के दौरान निर्यात किए गए बागवानी उत्पाद संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

(ङ) मंत्रालय 12वीं योजना 2012-13 में हाल ही में शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित स्कीम—राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अलावा राज्यों को निधियों की न तो मंजूरी देता है न ही निधियां आवंटित करता है। एनएमएफपी के अंतर्गत चालू वर्ष (2013-14) के दौरान कोई निधियां आवंटित नहीं की गई हैं। वर्ष 2012-13 में किया गया आवंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अन्य सभी स्कीमों के लिए, निधियां मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आवंटित की जाती हैं/मंजूर की जाती हैं।

विवरण-I

प्रमुख वस्तु समूह द्वारा भारत से बागवानी उत्पादों का निर्यात

मूल्य अमेरिकी डॉलर में
(अ) अनन्तिम

वस्तु	2010-11 (अप्रैल-मार्च)	2011-12 (अप्रैल-मार्च) (अ)	2012-13 (अप्रैल-फरवरी) (अ)
(01) मसाले	1,768.08	2,741.12	2,554.03
(02) सीएसएनएल सहित काजू	626.68	927.64	675.19
(03) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	1,078.68	1,180.31	1,047.92
(क) ताजे फल एवं सब्जियां	1,038.16	1,120.92	991.69
(ख) फलों एवं सब्जियों के बीज	40.52	59.39	56.23
(04) पुष्पकृषि उत्पाद	64.85	76.48	70.72
कुल (बागवानी उत्पाद)	3,538.29	4,925.55	4,347.86

स्रोत : वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

विवरण-II

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निधियों के आवंटन तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हस्तांतरित की गई अनुदान की पहली किस्त की राशि

(क) राज्य:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2012-13 के लिए आवंटन			जारी की गई राशि		
		तैयारी कार्य	मुख्य स्कीम	कुल	तैयारी कार्य	मुख्य स्कीम	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1.50	12.74	14.24	1.125	9.555	10.68
2.	बिहार	1.50	9.92	11.42	1.125	7.44	8.565
3.	छत्तीसगढ़	1.50	6.38	7.88	1.125	4.785	5.91
4.	गोवा	1.50	2.16	3.66	1.125	1.62	2.745
5.	गुजरात	1.50	9.65	11.15	1.125	7.2375	8.3625
6.	हरियाणा	1.50	4.42	5.92	1.125	3.315	4.44
7.	हिमाचल प्रदेश	1.50	3.59	5.09	1.125	2.6925	3.8175
8.	जम्मू और कश्मीर	1.50	7.50	9.00	1.125	5.625	6.75
9.	झारखंड	1.50	5.59	7.09	1.125	4.1925	5.3175
10.	कर्नाटक	1.50	9.61	11.11	1.125	7.2075	8.3325
11.	केरल	1.50	4.73	6.23	1.125	3.5475	4.6725
12.	मध्य प्रदेश	1.50	12.77	14.27	1.125	9.5775	10.7025
13.	महाराष्ट्र	1.50	15.01	16.51	1.125	11.2575	12.3825
14.	ओडिशा	1.50	7.74	9.24	1.125	5.805	6.93
15.	पंजाब	1.50	4.66	6.16	1.125	3.495	4.62
16.	राजस्थान	1.50	13.27	14.77	1.125	9.9525	11.0775
17.	तमिलनाडु	1.50	8.90	10.40	1.125	6.675	7.80
18.	उत्तर प्रदेश	1.50	18.53	20.03	1.125	13.8975	15.0225
19.	उत्तराखंड	1.50	3.73	5.23	1.125	2.7975	3.9225
20.	पश्चिम बंगाल	1.50	9.32	10.82	1.125	9.695	10.82
	कुल	30.00	170.22	200.22	22.50	130.370	152.87

(ख) पूर्वोत्तर राज्य:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2012-13 के लिए आवंटन			जारी की गई राशि		
		तैयारी कार्य	मुख्य स्कीम	कुल	तैयारी कार्य	मुख्य स्कीम	कुल
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	2.70	4.20	1.125	2.025	3.15
2.	असम	1.50	3.97	5.47	1.125	2.9775	4.1025
3.	मणिपुर	1.50	2.29	3.79	1.125	1.7175	2.8425
4.	मेघालय	1.50	2.30	3.80	1.125	1.725	2.85
5.	मिज़ोरम	1.50	2.21	3.71	1.125	1.6575	2.7825
6.	नागालैंड	1.50	2.21	3.71	1.125	1.6575	2.7825
7.	सिक्किम	1.50	2.08	3.58	1.50	1.56	3.06
8.	त्रिपुरा	1.50	2.24	3.74	1.125	1.68	2.805
	कुल	12.00	20.00	32.00	9.375	15.00	24.375

(ग) संघ राज्यक्षेत्र: (करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2012-13 के लिए आवंटन			जारी की गई राशि		
		तैयारी कार्य	मुख्य स्कीम	कुल	तैयारी कार्य	मुख्य स्कीम	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.25	1.39	2.64	0.9375	1.0425	1.98
2.	चंडीगढ़*	1.25	1.03	2.28	0.00	0.00	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली*	1.25	1.03	2.28	0.00	0.00	0.00
4.	दमन और दीव*	1.25	1.01	2.26	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	1.25	1.48	2.73	0.9375	1.11	2.0475
6.	लक्षद्वीप	1.25	1.00	2.25	0.9375	0.75	1.6875
7.	पुदुचेरी	1.25	1.05	2.30	0.9375	0.7875	1.725
	कुल	8.75	8.00	16.74	3.75	3.69**	7.44

*संघ राज्यक्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे एनएमएफ स्कीम के कार्यान्वयन के लिए इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उन्होंने तैयारी कार्यों/अग्रिम कार्य तथा एनएमएफपी की मुख्य स्कीम के लिए निधियां प्राप्त नहीं की हैं।

**चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल नहीं हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान एनएमएफ के अंतर्गत जारी निधियों का सार:

(क) तैयार कार्यों के लिए	=	35.62 करोड़ रुपए
(ख) एनएमएफपी की मुख्य स्कीम के लिए	=	149.06 करोड़ रुपए
कुल	=	184.68 करोड़ रुपए

अधिक उपज देने वाले बीजों की उपलब्धता

***489. श्री भीष्म शंकर** उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री चार्ल्स डिएस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दलहन, चावल और गेहूं सहित फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करने हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्रों और विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चल रहे अनुसंधान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस अनुसंधान कार्य के क्या परिणाम रहे;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अधिक उपज देने वाली फसलों/बीज किस्मों की मांग और उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में ऐसी फसलों की खेती के अंतर्गत राज्य-वार कितना क्षेत्र है;

(घ) क्या सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्म सहित बीजों के उत्पादन और वितरण को सुकर बनाने हेतु बीज अवसंरचना का विकास और उसे सुदृढ़ बनाने हेतु कोई योजना शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा 20 वस्तुओं/विषयपरक अनुसंधान संस्थानों में फसल सुधार से संबंधित मूल और नीतिगत अनुसंधान कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। इस प्रकार सृजित सूचनाओं का उपयोग चावल, गेहूं तथा दलहन की स्थान-विशिष्ट उच्च पैदावार वाली किस्मों को विकसित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित 24 फसल-विशिष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) द्वारा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कुल 339 किस्में/संकर किस्मों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किया गया इसमें चावल (68), गेहूं (28), दलहन (61) तथा अन्य फसल (182) शामिल हैं। वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान विभिन्न फसल किस्मों के क्रमश: 87812, 98419 तथा 104784 क्विंटल प्रजनक बीजों को उत्पादित किया गया। इससे किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध कराने के लिए प्रभावशाली बीज श्रृंखला सुनिश्चित हुई जिससे फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई।

(ख) उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों की मांग और उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य फसलों की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विभिन्न फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों सहित बीजों के उत्पादन और वितरण को सुगम्य बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान विभिन्न संगठनों को केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत 227.34 करोड़ रुपए, 276.7 करोड़ रुपए तथा 184.48 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। बीज संबंधी कार्यकलापों के लिए सब्सिडी के माध्यम से भी सहायता प्रदान की गई है इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित तिलहन, तेलताड़ तथा मक्का योजना (आईएसओपीओएम) तथा गहन मिलेट प्रोत्साहन द्वारा पोषण सुरक्षा के लिए नई पहल (आईएनएसआईपीएम) जैसी योजनाओं के तहत उत्पादन और वितरण शामिल है। इन योजनाओं से किसानों को उच्च पैदावार वाली किस्मों के गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण को सुगम्य बनाने में मदद मिली है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों की राज्यवार मांग और उपलब्धता

(मात्रा लाख क्विंटल में)

राज्य	2010-11		2011-12		2012-13	
	मांग	उपलब्धता	मांग	उपलब्धता	मांग	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	44.01	55.02	48.04	69.51	43.56	49.95
अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
असम	7.05	7.05	9.61	9.61	8.15	8.15
बिहार	13.13	13.68	15.80	17.06	13.66	16.63
छत्तीसगढ़	5.07	6.01	6.27	6.01	7.87	7.74
गोवा	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07
गुजरात	8.11	9.20	13.76	14.14	9.80	10.15
हरियाणा	11.35	14.10	10.85	15.61	14.13	15.58
हिमाचल प्रदेश	2.28	2.37	1.64	1.64	1.29	1.06
झारखंड	3.39	5.25	5.65	1.01	4.92	2.61
जम्मू और कश्मीर	1.14	1.14	1.16	1.28	1.26	1.21
कर्नाटक	11.04	15.30	11.60	13.48	13.46	14.72
केरल	1.20	1.32	1.20	1.09	1.20	1.20
मध्य प्रदेश	23.52	31.08	29.16	33.12	30.96	35.52
मेघालय	0.15	0.15	0.18	0.18	0.17	0.17
महाराष्ट्र	27.04	27.78	27.30	29.60	27.79	28.89
मणिपुर	0.13	0.13	0.16	0.16	0.20	0.20
मिज़ोरम	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
नागालैंड	0.19	0.19	1.41	0.47	0.49	0.49

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	6.86	7.64	8.35	6.24	8.17	7.09
पुदुचेरी	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10
पंजाब	13.28	15.18	13.59	17.82	12.93	14.66
राजस्थान	18.42	19.25	20.42	24.99	20.15	20.85
सिक्किम	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06
तमिलनाडु	5.93	10.00	5.51	8.69	5.54	8.79
त्रिपुरा	0.27	0.31	0.24	0.25	0.27	0.27
उत्तराखंड	1.00	1.01	1.08	0.97	1.13	1.31
उत्तर प्रदेश	55.25	46.63	61.95	51.02	53.65	51.07
पश्चिम बंगाल	30.88	31.19	35.13	29.31	34.07	29.92
कुल	290.76	321.36	330.41	353.62	315.18	328.58

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल, गेहूं तथा दलहनी फसलों का राज्यवार क्षेत्र

(मिलियन हेक्टेयर)

राज्य	चावल			गेहूं			दलहन		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	344	4.75	4.09	0.01	0.01	0.01	1.93	2.13	1.93
अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.12	0.12	*	*		*	*	*
असम	2.49	2.57	2.54	0.06	0.04	0.05	0.11	0.13	0.12
बिहार	3.21	2.83	3.32	2.19	2.10	2.14	0.56	0.61	0.52
छत्तीसगढ़	3.67	3.70	3.77	0.11	0.11	0.11	0.81	0.86	0.81
गोवा	0.05	0.05	0.05	-	-	-	*	*	*
गुजरात	0.68	0.81	0.83	0.88	1.27	1.35	0.73	0.89	0.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	1.20	1.24	1.23	2.49	2.51	2.52	0.13	0.17	0.18
हिमाचल प्रदेश	0.07	0.08	0.08	0.35	0.36	0.35	0.03	0.03	0.03
जम्मू और कश्मीर	0.26	0.26	0.26	0.29	0.29	0.29	0.03	0.03	0.02
झारखंड	0.99	0.72	1.47	0.09	0.09	0.16	0 31	0.42	0.46
कर्नाटक	1.48	1.54	1.41	0.28	0.25	0.22	2.48	2.79	2.30
केरल	0.23	0.21	0.21	-	-	-	*	*	
मध्य प्रदेश	1.44	1.60	1.66	4.27	4.34	4.89	4.94	5.16	5.18
महाराष्ट्र	1.47	1.52	1.54	1.08	1.31	0.84	3.37	4.04	3.27
मणिपुर	0.17	0.21	022	*	*	*	0.01	0.02	0.03
मेघालय	0.11	0.11	0.11	*	*	*	*	*	*
मिज़ोरम	0.05	0.04	0.04	-	-	*	*	*	*
नागालैंड	0.17	0.18	0.18	*		*	0.03	0.03	0.03
ओडिशा	4.36	4.22	4.00	*	*	*	0.87	0.88	0.73
पंजाब	2.80	2.83	2.82	3.52	3.51	3.53	0.02	0.02	0.02
राजस्थान	0.15	0.13	0.13	2.39	2.48	2.93	3.50	4.75	4.46
सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*	
तमिलनाडु	1.84	1.90	1.90	*	*	*	0.53	0.63	0.67
त्रिपुरा	0.24	0.26	0.26	*	*	*	*	*	*
उत्तर प्रदेश	5.18	5.66	5.95	9.67	9.64	9.73	2.54	2.45	2.42
उत्तराखंड	0.29	0.29	0.28	0.39	0.38	0.37	0.06	0.06	0.05
पश्चिम बंगाल	5.63	4.94	5.43	0.31	0.32	0.32	0.18	0.19	0.18
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	*	*	*	-	-	-	*	*	*
दादरा और नगर हवेली	*	*	*	*	*	*	*	*	*
दिल्ली	*	*	*	0.02	0.02	002	*	*	*
दमन और दीव	*	*	*	-	-	-	*	*	*
पुदुचेरी	*	*	*	-	-	-	*	*	*
कुल	41.92	42.86	44.00	28.46	29.07	29.86	23.28	26.40	24.46

(*)कृषि के तहत छोटे क्षेत्र; (–) आंकड़ा उपलब्ध नहीं या शून्य क्षेत्र

भंडारण हेतु सहायता

***490. श्री मकनसिंह सोलंकी:**
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों के भंडारण हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता सहित क्या सहायता प्रदान की गई तथा उसे किस प्रकार उपयोग में लाया गया और कितनी भंडारण क्षमता बढ़ाई गई;

(ग) क्या सरकार को आधुनिकीकृत और वैज्ञानिक भंडारण स्थान और खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के सृजन हेतु अन्य देशों से सहायता/मदद की कोई पेशकश प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विद्यमान गोदामों को आदर्श तापमान, नमी, वेक्यूम कंडीशन्ज़ बनाए रखने हेतु ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ स्मार्ट कंपलेक्सों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भंडारण क्षमता के सृजन के लिए योजना स्कीम के तहत निधियां उपलब्ध कराती है क्योंकि यहां निजी निवेश होने की संभावना नहीं होती है ये निधियां 'इक्विटी इंफ्यूजन' के तौर पर भारतीय खाद्य निगम को जारी की जाती हैं। योजना स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय और बढ़ाई गई राज्यवार क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

इसके अलावा खाद्यान्नों के लिए कवर्ड भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए निजी उद्यमी गारंटी योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत निर्मित गोदामों को भारतीय खाद्य निगम दस वर्ष की अवधि तक किराए पर लेने की गारंटी देता है, जिससे निवेशक को अपने निवेश पर उचित आय मिलना सुनिश्चित हो जाता है। निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में बढ़ाई गई क्षमता 69.92 लाख मीट्रिक टन है। वर्ष 2012-13 में 42 लाख मीट्रिक टन क्षमता सृजित की गई है। पिछले तीन वर्षों में निजी उद्यमी गारंटी योजना के जरिए बढ़ाई गई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

सरकार कृषि उत्पादों, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों और कृषि आदानों के भंडारण के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक सुविधाओं सहित वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन हेतु ग्रामीण गोदाम योजना भी कार्यान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों में राजसहायता के रूप में जारी की गई निधियों और बढ़ाई गई क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इसके अलवा, खाद्यान्नों के लिए भंडारण क्षमता के सृजन सहित भांडागार संबंधी आधारभूत सुविधाओं के सृजन में सहायता करने के लिए राज्यों द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत रियायती ब्याज दर पर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय पूल के स्टाक के लिए भंडारण क्षमता की वृद्धि हेतु योजना स्कीम के तहत किया गया व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई निधियां	व्यय
1.	2010-11	35	17.24
2.	2011-12	61.94	17.48
3.	2012-13	23.28	27.72

पिछले तीन वर्षों में योजना स्कीम के तहत केन्द्रीय पूल के स्टाक के लिए बढ़ाई गई क्षमता

(क्षमता टन में)

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	बढ़ाई गई क्षमता
	दक्षिण	
1.	लक्षद्वीप	2500
	पूर्व	
1.	झारखंड	825
	उत्तर	
1	गुज्जर का तल्ब/नूरपुर हिमाचल प्रदेश	3340
	पूर्वोत्तर	
1.	असम	5000
2.	मणिपुर	7500
	कुल	19165

विवरण-II

निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत केन्द्रीय पूल के स्टाक के लिए पिछले तीन वर्षों में बढ़ाई गई क्षमता

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य	बढ़ाई गई क्षमता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	199,800
2.	बिहार	22,000
3.	छत्तीसगढ़	247,350
4.	गुजरात	4,800
5.	हरियाणा	1,435,713
6.	हिमाचल प्रदेश	2,500
7.	जम्मू और कश्मीर	40,000
8.	झारखंड	10,000
9.	कर्नाटक	231,870
10.	केरल	5,000
11.	मध्य प्रदेश	192,200
12.	महाराष्ट्र	335,770
13.	ओडिशा	204,000
14.	पंजाब	3,336,788
15.	राजस्थान	163,000
16.	तमिलनाडु	80,000
17.	उत्तर प्रदेश	460,334
18.	पश्चिम बंगाल	20,700
	कुल	6,991,825

विवरण-III

ग्रामीण गोदाम योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में राजसहायता के रूप में जारी की गई निधियां और बढ़ाई गई क्षमता

क्र.सं.	वर्ष	राजसहायता के रूप में जारी की गई निधियां (रुपए करोड़ में)	बढ़ाई गई क्षमता (लाख टन में)
1.	2010-11	109.74	26.62
2.	2011-12	190.74	33.92
3.	2012-13	244.69	89.13

[अनुवाद]

काली मिर्च का उत्पादन

***491. श्री पी.टी. थॉमसः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के इडुक्की सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत काली मिर्च उत्पादन कार्यक्रम संबंधी परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार आवंटन बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत प्रमुख काली मिर्च उत्पादक राज्यों केरल, कर्नाटक तमिलनाडु और गोवा में राज्य बागवानी मिशनों (एसएचएम) और सुपारी एवं मसाला विकास (डीएएसडी) निदेशालय द्वारा काली मिर्च के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, मसाला बोर्ड के जरिए केरल के इडुक्की जिले में एनएचएम के अंतर्गत काली मिर्च उत्पादन कार्यक्रम पर एक परियोजना भी चलाई जा रही है। वार्षिक रूप से संपन्न कार्यकारी समिति की बैठकों में तथा संयुक्त निरीक्षण दलों (जेआईटी) के दौरे के माध्यम से एनएचएम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं और निरीक्षणों के आधार पर गुणवत्ताप्रद पौध रोपण सामग्री के उत्पादन तथा विद्यमान पुराने और जराग्रस्त काली मिर्च के बागानों के पुनरुद्धार पर जोर देने का निर्णय लिया गया है।

एसएचएम, डीएएसडी और मसाला बोर्ड द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्गत और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाख रुपए में)

राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14
	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय@	आबंटन*
गोवा	8.50	3.29	5.10	2.05	0.85	6.62	5.00
कर्नाटक	221.00	272.61	229.50	347.00	326.18	287.09	275.75
केरल	760.00	1236.26	202.87	340.48	342.50	87.48	350.00
तमिलनाडु	85.00	97.49	102.00	105.60	42.50	97.09	200.00
डीएएसडी	107.25	107.25	112.13	112.13	114.18	114.18	140.55
मसाला बोर्ड (इडुक्की जिले के लिए)	300.00	1047.00	1000.00	1127.00	800.00	1022.00	800.00

नोट: 1. पिछले वर्षों के खर्च न किए गए शेष के कारण अधिक व्यय

2. @अनंतिम

3. *वर्तमान वर्ष के दौरान अभी तक कोई निर्मुक्ति नहीं की गई है।

एफ.एम. रेडियो का विस्तार

*492. **श्री एम.के. राघवन:**
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न चरणों में अब तक देश में एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार की स्थिति क्या है;

(ख) सभी तीनों चरणों के अंतर्गत अब तक काली सूची में डाले गए एफ.एम. रेडियो ऑपरेटरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एफ.एम. रेडियो स्टेशनों संबंधी वर्तमान निवेश नीति को शिथिल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा हेतु कोई पृथक प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ङ) एफएम चरण-I की नीति की उद्घोषणा किए जाने के वर्ष 1999 में एफएम रेडियो क्षेत्र को निजी सहभागिता के लिए खोल दिया गया था। एफएम चरण-I की नीति के अंतर्गत सीमित सफलता मिली थी क्योंकि प्रत्याशित लाइसेंसों में से केवल 25% लाइसेंस ही कार्यशील हो सके थे। चरण-I, जिसमें 12 शहरों में केवल 21 चैनल ही कार्यशील हो सके, की कमियों को वर्ष 2005 में उद्घोषित चरण-II की नीति में दूर कर लिया गया था। इस नीति के अंतर्गत अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ एक नियत शुल्क प्रणाली के स्थान पर राजस्व-हिस्सेदारी प्रणाली का प्रावधान किया गया जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हुआ। इस समय, कुल 242 चैनल कार्यशील हैं जिनमें चरण-I के 21 चैनल शामिल हैं। एफएम चरण-I और चरण-II की नीतियों को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप एक-बारगी प्रविष्टि शुल्क (ओटीईएफ), अंतरण शुल्क, वार्षिक शुल्क आदि के जरिए दिनांक 31.03.2013 तक लगभग 1847.21 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जन हुआ।

चरण-II की नीति के अंतर्गत दो प्रसारक कंपनियों नामत: मैसर्स सेंचुरी कम्युनिकेशन्स लिमिटेड और मैसर्स पैन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट लिमिटेड के 12 एफएम रेडियो स्टेशनों पर निर्धारित समयावधि के भीतर चैनलों को प्रचालित न किए जाने के कारण अनुमति मंजूरी करार (गोपा) के खंड 25.1.1 का उल्लंघन होने पर पांच वर्ष की अवधि के लिए उसी/उन्हीं शहर(रों) में किसी अन्य चैनल के आबंटन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफएम प्रसारण का विस्तार (चरण-III) के संबंध में दिनांक 07.07.2011 को अनुमोदित नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा 294 शहरों में 839 एफएम चैनलों की ई-नीलामी किए जाने का प्रस्ताव है। एफएम चरण-III के लिए विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

चरण-III की नीति के अंतर्गत एफएम रेडियो क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 20% से बढ़ाकर 26% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी अनुज्ञा-पत्र धारक कंपनी में सबसे बड़े भारतीय अंशधारक को अनुमतिधारक कंपनी को आबंटित सभी चैनलों के कार्यशील हो जाने की तारीख से तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के पश्चात् तथा साथ ही, नीति में यथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन 51% से कम स्तर तक अपनी अंशधारिता को तनुकृत करने की अनुमति दी गई है। चरण-II की नीति के अंतर्गत 51% से नीचे ऐसे तनुकरण की अनुमति नहीं दी गई थी। एफएम चरण-III के अन्य प्रोत्साहनों में केवल आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को उनके मूल रूप में प्रसारित किए जाने की अनुमति शामिल है। ऑपरेटरों को किसी एक शहर में एक से अधिक चैनल लेकिन उस शहर में कुल चैनलों के 40% से अनधिक चैनलों पर (उस शहर में न्यूनतम 3 विभिन्न ऑपरेटरों के अध्यधीन) तथा 15% की राष्ट्रीय उच्चतम सीमा के अध्यधीन स्वामित्व रखने की अनुमति दी गई है। चरण-II के अंतर्गत यथा अनुमति प्रदत्त किसी क्षेत्र के 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के शहरों के स्थान पर किसी प्राइवेट एफएम प्रसारक के देशभर में स्थित उसके अपने नेटवर्क के भीतर चैनलों की नेटवर्किंग भी अनुज्ञेय है। साथ ही, सकल राजस्व का 4% था बोली मूल्य का 2.5% इनमें से जो भी अधिक हो, वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में नियत किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा द्वीपसमूह क्षेत्रों के लिए लाइसेंस शुल्क प्रारंभिक 3 वर्षों की अवधि के लिए सामान्य दर के आधे पर नियत किया गया है।

सरकार एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए किसी पृथक प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, एफएम रेडियो प्रसारकों की

विषय-वस्तु की ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) द्वारा निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अनुमतिधारक समय-समय पर यथा संशोधित, आकाशवाणी द्वारा यथा अनुसरित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का ही अनुपालन करने के लिए अनुमति मंजूरी करार (गोपा) की शर्तों के अंतर्गत विधिक रूप से बाध्य हैं।

विवरण

मंत्रालय द्वारा प्राइवेट एफएम चैनलों के संबंध में प्रतिबंधित की गई कंपनियों/शहरों का ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	शहर का नाम	चैनलों की संख्या	चैनलों को प्रतिबंधित करने की तारीख
1.	मैसर्स पैन इंडिया नेटवर्क इन्फ्रावेस्ट लिमिटेड	अकोला, जलगांव और नांदेड	3	31.10.2008
2.	मैसर्स सेंचुरी कम्युनिकेशन्स	अहमदनगर, बिलासपुर, दमन, गुलबर्ग, मंगलौर, राजमुंदरी, तिरुनेलवेली, तुतीकोरिन और वारंगल	9	16.12.2008

नक्सली प्रशिक्षण शिविर

***493. श्री यशवीर सिंह:**
शेख सैदुल हक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट है कि देश के दंडकारण्य वन क्षेत्र में नक्सली प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर इसके साथ लगे अन्य राज्यों जैसे ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में चलाए जाने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे नक्सली प्रशिक्षण केन्द्रों को ध्वस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) पार्टी दंडकारण्य वन क्षेत्र में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिलों तथा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में प्रशिक्षण शिविर नियमित रूप से आयोजित करती है। वर्ष 2012 में इन जिलों में कथित रूप से कुल 26 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। चालू वर्ष के दौरान (15 अप्रैल तक), इन जिलों में कथित रूप से ऐसे 06 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं। उनके द्वारा ये प्रशिक्षण शिविर नए काडरों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने, विशेष अभियानों की योजना बनाने, अपने काडरों के बीच माओवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करने आदि के लिए आयोजित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सीपीआई (माओवादी) द्वारा इसी प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अन्य राज्यों में भी आयोजित किए जाते हैं। विगत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सूचित किए गए इन प्रशिक्षण शिविरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ङ) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने की वजह से, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां केन्द्र सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) उपलब्ध कराके और ऐसे मामलों में आसूचना संबंधी जानकारियों का आदान-प्रदान करके राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। इन प्रशिक्षण शिविरों को ध्वस्त करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में सीपीआई (माओवदी) पार्टी पर प्रतिबंध, रणनीतिक स्थानों पर बलों की तैनाती, ऐसी विधिविरुद्ध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त पुलिस कार्रवाई और गहन आसूचना आधारित नक्सल-विरोधी अभियान शामिल हैं।

विवरण

सीपीआई (माओवादी) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	प्रशिक्षण शिविर		
	2011	2012	2013 (15 अप्रैल तक)
आंध्र प्रदेश	0	0	0 (0)
बिहार	12	5	0 (0)
छत्तीसगढ़	24	24	5 (7)
झारखंड	24	12	2 (4)
मध्य प्रदेश	0	0	0 (0)
महाराष्ट्र	7	2	1 (0)
ओडिशा	7	8	0 (2)
उत्तर प्रदेश	0	0	0 (0)
पश्चिम बंगाल	10	0	0 (0)
अन्य	0	0	0 (0)
कुल	84	51	8 (13)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2012 की तदनुरूप अवधि के ब्यौरे दर्शाते हैं।

[हिंदी]

अनधिसूचित घुमन्तु जनजातियां

***494. श्री रमा शंकर राजभर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में अनधिसूचित और घुमन्तु अथवा अर्द्ध घुमन्तु जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनधिसूचित घुमन्तु जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु बजट में कोई पृथक प्रावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) इस संबंध में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) सरकार द्वारा एक आयोग नामतः राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) निम्नलिखित विचारणीय विषय के साथ गठित किया गया था:

(क) परिसंपत्ति सृजन तथा स्वरोजगार अवसरों द्वारा विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू 'जनजातियों' के जीवन स्तरों को सुधारने के लिए अपेक्षित आर्थिक हस्तक्षेप विनिर्दिष्ट करना;

(ख) इन समूहों के लिए एक आर्थिक विकास पैकेज प्रदान करने हेतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के मद्देनजर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आर्थिक विकास के लिए गठित मौजूदा चैनेलइजिंग एजेंसियों का उपयोग करने के लिए उपायों की अनुशंसा करना;

(ग) उनकी शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की पहचान करना; और

(घ) कोई अन्य संबंधित अथवा प्रासंगिक अनुशंसा करना जिसे आयोग आवश्यक समझे।

एनसीडीएनटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में विमुक्त, घुमन्तू जनजातियों के लिए बजट आवंटन में 5 करोड़ रुपए की सांकेतिक धनराशि रखी गई थी।

आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय लिए जाने के पश्चात्, विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु योजनाएं तैयार की जाएंगी।

[अनुवाद]

जीवंत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं संबंधी समिति

***495. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जीवंत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं संबंधी कोई समन्वय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका उद्देश्य क्या है और उक्त समिति की संरचना क्या है;

(ग) क्या देश में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का एक रजिस्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त समिति ने ऐसा रजिस्टर बनाने के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों के विचार/सुझाव मांगे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न विषयों और प्रशासनिक संगठनों के बीच सहक्रिया स्थापित करने, मानव विकास के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर राष्ट्र स्तर पर जागरूकता पैदा करने और इसके विभिन्न आयामों को एकीकृत करने की दृष्टि से, सरकार ने दिनांक 21.10.2010 को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में भारतीय जीवंत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं संबंधी समन्वय समिति (सीसी) का गठन किया है। इस समिति में सदस्यों के रूप में कई विशेषज्ञ/सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हैं जिसमें सह-सदस्यों के रूप में विभिन्न विभागों के सचिव भी शामिल हैं। समिति की संरचना और विचारार्थ विषयों को निर्धारित करने संबंधी दिनांक 21.10.2010 का संकल्प संलग्न विवरण-I में दिया गया है। समन्वय समिति के संघटन को दिनांक 29.06.2012 के संकल्प संलग्न विवरण-II के माध्यम से संशोधित किया गया और संस्कृति मंत्री को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

(ग) से (ङ) समन्वय समिति द्वारा गठित एक 5-सदस्यीय समूह ने इस मामले की जांच की और संस्थानों, विशेषज्ञों, संदर्भ सामग्रियों एवं विचारों के बारे में पारिस्थितिक-सांस्कृतिक खाका तैयार करने में एक प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करने की सिफारिश की। संस्कृति मंत्रालय ने इस सिफारिश के आधार पर, रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र (सीईई) की शुरुआत की। सीईई द्वारा 'परंपरा' नामक एक रिपोर्ट और ग्रंथ सूची तैयार की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग (आईएनसीसीयू) के अधीन संस्कृति संबंधी उप आयोग ने भी, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची तैयार करने की सिफारिश की है। इस मामले पर उपरोक्त समन्वय समिति द्वारा

विचार किया गया और समिति ने यह निर्णय लिया कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) के सुरक्षोपाय एवं संवर्धन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

विवरण-I

फा.सं.21-63/2009-सीडीएन
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली
दिनांक: 21 अक्तूबर, 2010

संकल्प

भारत की जीवंत व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं पर समन्वय समिति

भारत की अनूठी पहचान इसकी अखंड रूप से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराएं व एक साथ विचार, सामाजिक संघटन व सृजनात्मकता के कई लोकों को समाने की इसकी क्षमता है। बहुरूपवाद, विविधता, अनेकवाद तथा परस्पर-संयोजनात्मकता ऐसे मूल तत्व हैं जिनका सिद्धांत व व्यवहार दोनों रूपों में पोषण किया गया है।

आज भी वैश्विकरण व इसके सहज परिणामों के मध्य इन मूल्यों व सिद्धांतों की अपनी प्रासंगिकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व संगठनों, मुख्यत: यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अभिसमय, 2003 तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण व संवर्धन संबंधी अभिसमय, 2005 में स्पष्ट रूप से अपनी चिंता व्यक्त की है। भविष्य की धारणीय मानव व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियां विकसित करने की आवश्यकता पर सक्रिय बहस होती रही है।

विभिन्न शाखाओं तथा प्रशासनिक ढांचों में और इनके बीच सहक्रियाशीलता स्थापित करने, मानव विकास के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण तथा इसके विभिन्न आयामों को मिलाने की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत की जीवंत व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं पर निम्नानुसार समन्वय समिति गठित करने का संकल्प किया है:

1. समिति की संरचना

1. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव - अध्यक्ष
2. डॉ. कपिला वात्स्यायन - सदस्य
3. डॉ. सीताकांत महापात्र - सदस्य
4. प्रो. पी.एस. रामकृष्णन - सदस्य
5. श्री कार्तिकेय वी. साराभाई - सदस्य
6. प्रो. जी.एन. देवी - सदस्य
7. प्रो. ए.सी. भागबती - सदस्य
8. श्री अशोक चटर्जी - सदस्य
9. डॉ. देबराह त्यागराजन - सदस्य
10. प्रो. कृष्ण कुमार - सदस्य
11. प्रो. पीटर रोनाल्ड डीसूजा - सदस्य
12. प्रो. एच.वाई. मोहन राम - सदस्य
13. सचिव, संस्कृति - सदस्य सचिव

निम्नलिखित अधिकारी एसोसिएट सदस्यों के रूप में समिति से जुड़े होंगे और इन्हें किन्हीं विशिष्ट बैठकों में शामिल होने का अनुरोध किया जा सकता है।

1. सचिव - पर्यावरण एव वन
2. सचिव - महिला एवं बाल विकास
3. सचिव - स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता
4. सचिव - उच्च शिक्षा
5. सचिव - जनजातीय मामले
6. सचिव - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
7. सचिव - ग्रामीण विकास
8. सचिव - आयुष
9. सचिव - औद्योगिक नीति व संवर्धन
10. सचिव - कपड़ा
11. सचिव - एमएसएमई
12. सचिव - पंचायती राज
13. सचिव - सूचना व प्रसारण
14. सचिव - पर्यटन

II. समिति के विचारार्थ विषय:

1. समकालीन स्थिति के ऐसे मुद्दों की पहचान करना जिनमें अनेक भाषाओं, ज्ञान प्रणलियों, शिल्प निर्माण व शिल्प की पारंपरिक तकनीकों के लुप्त हो जाने का सन्निकट खतरा विद्यमान है।

2. पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों तथा निर्माण के विविध तरीकों के अस्थिर विश्व तथा औपचारिक अध्ययन के अपेक्षाकृत अधिक संघटित ढांचे के बीच संपर्क सूत्रों का सुझाव देना।

3. व्यवस्थागत सुधार का सुझाव देना ताकि पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों, विशेषत: खगोल विज्ञान, गणित शास्त्र, चिकित्सा, धातु विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसी शाखाओं, के क्षेत्रों के बीच सार्थक/सहक्रियाशीलता/संवाद के लिए स्थल व अवसर सृजित किया जा सके।

4. पारंपरिक ज्ञान, कौशल व मूल्यों को प्रारंभिक, माध्यमिक व तृतीयक स्तरों पर शिक्षा की औपचारिक प्रणाली व विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संस्थानों के साथ जोड़ने के मुद्दों पर विचार करना।

5. पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के संगत पहलुओं को महिला व बाल विकास, पर्यावरण व वन, जनजातीय मामले, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, ग्रामीण विकास और सबसे अधिक कपड़ा, विशेषत: शिल्प व हथकरघा क्षेत्र और खादी एवं ग्राम उद्योग, मंत्रालयों के विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के ठोस उपायों का सुझाव देना।

6. संगत यूनेस्को अभिसमयों (अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता का संरक्षण और संवर्धन) तथा अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों और बिमस्टेक जैसे समूहों के साथ भारत की जीवंत विरासत से संबंधित करारों के लिए समन्वय करना।

7. भारत के प्रजाति ज्ञान व्यवहार यथा प्रजाति वनस्पतिविज्ञान, प्रजाति कृषि, प्रजाति चिकित्सा, परंपरागत वास्तुशिल्पीय तकनीकी तथा मौखिक (या देशज) भाषाओं की संपूर्ण श्रेणी हेतु ज्ञान संग्रह की प्रक्रिया को आरंभ करना।

8. भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली की गहन, विविध व व्यापक रेंज श्रेणी को प्राभाषिक रूप से रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से नवचारी व समुचित डाटाबेस विकसित करना ताकि इसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक व मानव भू दृश्य की विविधता प्रदर्शित हो।

9. वेब पर डिजीटल उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपायों का सुझाव देना ताकि भारत की जीवंत तथा विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं की प्रचुरता विश्व को प्रस्तुत की जा सके तथा यह कहीं भी सांस्कृतिक निर्माताओं को सुलभ हो सके।

इसे प्रधानमंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह./-

(निहाल चंद गोयल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश:

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

ह./-

(निहाल चंद गोयल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित:

1. श्री टी.के.ए. नायर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

2. डॉ. कपिल वात्सयायन, संसद सदस्य (राज्य सभा), इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मेक्सम्यूलर मार्ग, नई दिल्ली-110 003

3. डॉ. सीताकांत महापात्र, 'श्रद्धा', 21 सत्य नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

4. प्रो. पी.एस. रामकृष्ण, यू.जी.सी., प्रतिष्ठित प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067

5. श्री कार्तिकेय वी. साराभाई, निदेशक, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, नेहरू विकास प्रतिष्ठान, थेल्तेज टेकरा, अहमदाबाद-380054

6. प्रो. जी.एन. देवी, युनाइटेड एवेन्यू (दिनेश मिल के पास) बड़ोदरा-390005

7. प्रो. ए.सी. भागबती, हाउस नं. 3, नेशनल हाइवे बाईपास, गुवाहाटी

8. श्री अशोक चटर्जी, बी.-1002, रशिन टावर, सोमेश्वर कॉम्प्लेक्स-II के पीछे, स्टेलाइट रोड, अहमदाबाद-380015

9. डॉ. (सुश्री) देबराह त्यागराजन, जी-3, मधुरम्स अपार्टमेन्टस, नं. 6, उरूर ओल्कोट रोड, बेसन्ट नगर, चेन्नई-600090

10. प्रो. कृष्ण कमार, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

11. प्रो. पीटर रोनाल्ड डीसूजा, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला-171005

12. प्रो. एच.वाई. मोहन राम, 174, एसएफएस, डीडीए फ्लैट्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

13. श्री विजय शर्मा, सचिव, पर्यावरण एवं वन, कमरा नं. 401, बी ब्लॉक, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

14. श्री डी.के. सिकरी, सचिव, महिला एवं बाल विकास, 'ए' विंग, कमरा नं. 601, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

15. सुश्री अंशु वैश्य, सचिव, स्कूल शिक्षा व साक्षरता, कमरा नं. 124, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

16. सुश्री विभा पुरी दास, सचिव, उच्च शिक्षा, कमरा नं. 128, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

17. श्री ए.के. चुघ, सचिव, जनजातीय मामले, कमरा नं. 738, सातवां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

18. सुश्री जयती चन्द्र, सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, कमरा नं. 233-ए, विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली

19. श्री बी.के. सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास, कमरा नं. 191, कृषि भवन, नई दिल्ली

20. सुश्री एस. जलजा, सचिव, आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आईआरसीएस भवन, रेडक्रास रोड, नई दिल्ली

21. श्री आर.पी. सिंह, सचिव, औद्योगिक नीति व संवर्धन, 153-ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली

22. सुश्री रीता मेनन, सचिव, वस्त्र, कमरा नं. 129, उद्योग भवन, नई दिल्ली

23. श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

24. श्री ए.एन.पी. सिन्हा, सचिव, पंचायती राज, 7बी, कृषि भवन, नई दिल्ली

25. श्री रघु मेनन, सचिव, सूचना व प्रसारण, कमरा नं. 654, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

26. श्री आर. हबीब ख्वाजा, सचिव, पर्यटन, कमरा नं. 104, परिवहन भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

(i) श्री जवाहर सरकार, सचिव, संस्कृति, कमरा नं. 501, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(ii) श्री संजय मित्र, सचिव, प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(iii) श्री विजय एस. मदान, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय।

(iv) डॉ. (सुश्री) टी. कुमार, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय।

ह./-

(निहाल चंद गोयल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

विवरण-II

फा.सं. 21-63/2009-सीडीएन
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली
दिनांक: 29 जून, 2012

संकल्प

भारत की जीवंत व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं पर समन्वय समिति

उपरोक्त विषय पर (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न), जिसके द्वारा पीएमओ के अनुमोदन से, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में भारत की जीवंत व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं पर समन्वय समिति गठित की गई थी, संस्कृति मंत्रालय के दिनांक 21.10.2010 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, पीएमओ के परामर्श से, अब यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात् भारत की जीवंत व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं पर समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के स्थान पर माननीय संस्कृति मंत्री होंगे।

समिति की शेष संरचना और समिति के विचारार्थ विषय यथावत रहेंगे।

इसे माननीय संस्कृति मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह./-
(प्रमोद जैन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेशः

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

ह./-
(प्रमोद जैन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषितः

1. कुमारी सैलजा, माननीय संस्कृति मंत्री - अध्यक्ष
2. डॉ. कपिल वात्सयायन, संसद सदस्य (राज्य सभा), इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मेक्सम्यूलर मार्ग, नई दिल्ली-110003
3. डॉ. सीताकांत महापात्र, 'श्रद्धा', 21 सत्य नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा
4. प्रो. पी.एस. रामकृष्ण, यू.जी.सी., प्रतिष्ठित प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067
5. श्री कार्तिकेय वी. साराभाई, निदेशक, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, नेहरू विकास प्रतिष्ठान, थेल्तेज टेकरा, अहमदाबाद-380054
6. प्रो. जी.एन. देवी, युनाइटेड एवेन्यू (दिनेश मिल के पास) बड़ोदरा-390005
7. प्रो. ए.सी. भागबती, हाउस नं. 33, नेशनल हाइवे बाईपास, गुवाहाटी
8. श्री अशोक चटर्जी, बी-1002, रशिन टावर, सोमेश्वर कॉम्प्लेक्स-II के पीछे, स्टेलाइट रोड, अहमदाबाद-380015
9. डॉ. (सुश्री) देबराह त्यागराजन, जी-3, मधुरम्स अपार्टमेन्टस, नं. 6, उरूर ओल्कोट रोड, बेसन्ट नगर, चेन्नई-600090
10. प्रो. कृष्ण कुमार, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
11. प्रो. पीटर रोनाल्ड डीसूजा, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला-171005
12. प्रो. एच.वाई. मोहन राम, 174, एसएफएस, डीडीए फ्लैट्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
13. श्रीमती संगीता गैरोला, सचिव, संस्कृति-सदस्य सचिव
14. डॉ. तिष्यिारक्षित चटर्जी, सचिव, पर्यावरण एवं वन, कमरा नं. 401, बी ब्लॉक, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
15. श्रीमती नीला गंगाधरण, सचिव, महिला एवं बाल विकास, 'ए' विंग, कमरा नं. 601, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
16. सुश्री अंशु वैश्य, सचिव, स्कूल शिक्षा व साक्षरता, कमरा नं. 124, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

17. श्री अशोक ठाकुर, सचिव, उच्च शिक्षा, कमरा नं. 128, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

18. श्रीमती विभा पुरी दास, सचिव, जनजातीय मामले, कमरा नं. 738, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

19. श्री अमरजीत सिंह लांबा, सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, कमरा नं. 233-ए, विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली

20. श्री सुब्रमण्यम विजय कुमार, सचिव, ग्रामीण विकास, कमरा नं. 191, कृषि भवन, नई दिल्ली

21. श्री अनिल कुमार, सचिव, आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आईआरसीएस भवन, रेडक्रास रोड, नई दिल्ली

22. श्री सौरभ चंद्रा, सचिव, औद्योगिक नीति व संवर्धन, 153-ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली

23. सुश्री किरण ढींगरा, सचिव, वस्त्र, कमरा नं. 129, उद्योग भवन, नई दिल्ली

24. श्री राधा कृष्ण माथुर, सचिव, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

25. सुश्री लोरेटा मेरी वास, सचिव पंचायती राज, 7बी, कृषि भवन, नई दिल्ली

26. श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव, सूचना व प्रसारण, कमरा नं. 654, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

27. श्री आर. हबीब ख्वाजा, सचिव, पर्यटन, कमरा नं. 104, परिवहन भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषितः

(i) श्री पुलोक चटर्जी, माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव

(ii) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय

(iii) माननीय संस्कृति मंत्री के निजी सचिव

[हिंदी]

जेलों का आधुनिकीकरण

***496. श्री वीरेन्द्र कुमारः**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत जेलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक जेल में उनकी क्षमता की तुलना में कितने कैदी बंद हैं;

(ख) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जेलों के आधुनिकीकरण और जेलों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पृथक-पृथक राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/उपयोग में लाई गई तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से जेलों की क्षमता बढ़ाने, आवास सुविधा में सुधार करने, सुधार संबंधी सेवाएं लागू करने, जेल आधुनिकीकरण योजना के विस्तार, जेलों के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने आदि संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावों तथा उन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जेलों की क्षमता बढ़ाने, धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने तथा देश में और अधिक जेलों का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 के अंत में देश में कुल 1382 कारागार मौजूद थे, जिसमें 123 केन्द्रीय कारागार, 333 जिला कारागार, 809 उप कारागार, 19 महिला कारागार, 44 ओपन कारागार, 21 बोर्सटल स्कूल, 30 विशेष कारागार एवं 3 अन्य कारागार शामिल थे। दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसर बंदी की क्षमता की तुलना में प्रत्येक राज्य में कारागार में बंद कैदियों की संख्या गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर http://mha.nic.in/pdfs/NoOfprisoners 30112012-260413.pdf नामक लिंक पर उपलब्ध है।

(ख) सरकार ने कारागारों के आधुनिकीकरण की एक गैर-योजना स्कीम का कार्यान्वयन किया था जिसकी शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी और जो केंद्र एवं राज्यों के बीच 75:25 की लागत भागीदारी के आधार पर 1800 करोड़ रु. के परिव्यय से 27 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) के लिए वर्ष 2002-2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रही तथा यह स्कीम 31.03.2009 को बंद हुई। आज की तारीख में राज्यों के पास खर्च नहीं की जा सकने वाली निधियों की कुल राशि 15.38 करोड़ रुपए थी (असम-1.25 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़-

6.41 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र-6.00 करोड़ रुपए, सिक्किम-1.52 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश-0.20 करोड़ रुपए)। राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों में निधियों के उपयोग की प्रगति की निरंतर मॉनीटरिंग की जा रही है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी निम्नलिखित आठ राज्यों- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा को कारागारों के लिए अनुदान सहायता भी (वर्ष 2011-2015 की अवधि के दौरान 609 करोड़ रुपए) आवंटित की है।

(ग) और (घ) कारागारों के आधुनिकीकरण योजना के प्रथम चरण के लाभों को समेकित करने के लिए एक अनुवर्ती योजना, जिसे कारागारों के आधुनिकीकरण के द्वितीय चरण के रूप में जाना जाएगा, सरकार के सक्रिय विचाराधीन है, जिसके लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से विशिष्ट जानकारी मांगी गई थी। द्वितीय चरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अभी तक प्राप्त हुए प्रस्ताव अनुलग्नक के अनुसार हैं।

(ङ) सरकार का यह मत है कि सिर्फ क्षमता बढ़ाना भीड़ की समस्या का हल नहीं है, जो कि बड़ी संख्या में विचाराधीन बंदियों की जनसंख्या के परिणामस्वरूप है। अत: राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से कारागारों में भीड़ को कम करने के लिए निश्चित कदम उठाने का अनुरोध किया गया और कारागार के आधुनिकीकरण की योजना के प्रथम चरण के परिणामस्वरूप भी 126 नए कारागारों एवं 1579 अतिरिक्त बैरकों के निर्माण के माध्यम से क्षमता में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011 के अंत में भीड़ कम होकर 12.1% हो गयी जो कि वर्ष 2007 में 35.73%; वर्ष 2008 में 29.21%; वर्ष 2009 में 22.8% और वर्ष 2010 में 15.1% थी। इसके आगे, चूंकि कैदियों में बहुलता विचारणाधीन कैदियों की है, इसलिए सरकार ने इनकी संख्या में कमी लाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन, प्ली बार्गेनिंग लागू करने, लोक अदालत लगाने, दंड विधि संहिता की धारा 436 ओर 436क को लागू करने, प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट की धारा 4(3) के अंतर्गत विचारणाधीन कैदियों को रिहा करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। अधिकतम सजा के एक-चौथाई हिस्से को पूरा कर चुके विचारणाधीन कैदियों के मामले को हाथ में लेते हुए कारागारों में भीड़ को कम करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436(क) के प्रयोग के संबंध में दिनांक 17.01.2013 को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक परामर्शी पत्र भी जारी किया गया है।

विवरण

राज्यों के द्वितीय चरण के घटकों पर जानकारी

क्र.सं.	नए घटक	दिल्ली	कर्नाटक	हिमाचल प्रदेश	तमिलनाडु	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम बंगाल	गुजरात	उत्तराखंड	राजस्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अतिरिक्त क्षमता का निर्माण	-	310	28.5	73.19	2.00	179.6	310	30	404
2.	बंदियों के रहने की स्थिति में सुधार (मानक स्तर प्राप्त करना)	1.17	295.5	15	208.8	1.00	42.2	295.5	10	8.01
3.	वोकेशनल प्रशिक्षण एवं शिक्षा सहित सुधारात्मक सेवाओं के संबंध में पहल	5.75	418.06	0.5	79.49	2.00	5	418.06	5	-
4.	सुरक्षा प्रणाली को प्रौद्योगिकी रूप से सक्षम बनाना और उनका आधुनिकीकरण	39.08	73.4	2.6	358.23	5.00	2	73.4	15	27.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण एवं आईटी आधारित प्रबंधन	0.20	26.35	2	62.25	2.00	15.1	26.35	5	-
6.	राज्यों से विविध नई योजनाएं और सुधारात्मक प्रशासन के लिए नए संस्थानों की स्थापना	1.90	48.75	10	98.39	2.00	25	48.75	30	20.94
7.	अधिकारियों का प्रशिक्षण, जागरूकता दौरे, किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा योजना की मध्य-आवधिक समीक्षा और परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना	0.25	2.1	-	16.88	1.00	3	2.1	5	5.14
	तिहाड़, दिल्ली में प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	41.24			13.9-वाहन					
	राशि (करोड़ में)	89.60	1174.16	58.6	911.14	15.00	269.2	1174.16	100	465.58

दिल्ली में अपराध

*497. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्रीमती अश्वमेध देवी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हत्या/डकैती/लूटपाट/चोरी/चेन खींचने आदि सहित अपराध के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2012 और वर्ष 2013 के दौरान क्षेत्र-वार ऐसे कुल कितने मामले रिपोर्ट किए गए और कितने सुलझाए गए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस रिपोर्ट किए गए सभी मामलों को सुलझाने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा दिल्ली पुलिस के उन कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की रिपोर्ट की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) वर्ष 2012 और 2013 के दौरान (15.04.2013 तक) दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हत्या/चोरी/झपटमारी/डकैती के मामलों का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसे मामलों, जिनको सुलझाया गया तथा जिसमें कार्रवाई की गई, का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

अपराध	मामले		व्यक्ति						
	जिनके बारे में सूचना मिली	सुलझाए गए	गिरफ्तार किए गए	आरोप-पत्रित	दोषसिद्ध	बरी किए गए	विचारण लंबित	जांच लंबित	रिहा किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 2012									
हत्या	521	426	978	765	13	06	746	210	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
डकैती	608	537	1341	954	03	02	949	357	30
चोरी	22032	5715	8041	4964	264	249	4451	1717	1360
झपटमारी (चेन झपटने सहित)	1440	1025	1607	989	22	08	959	393	225
वर्ष 2013-(15.04.2013 तक)									
हत्या	117	79	156	05	00	00	05	151	00
डकैती	249	196	406	06	00	00	06	400	00
चोरी	6601	1327	1795	24	00	00	24	1771	00
झपटमारी (चेन झपटने सहित)	598	302	461	25	00	00	25	436	00

सुलझाए न गए मामलों को सुलझाने के गंभीर प्रयास किए जाते हैं तथा जांच पेशेवर तरीके से की जाती है ताकि दोषसिद्धि दर ऊंची रहे। वरिष्ठ अधिकारी मामलों की जांच का गहन पर्यवेक्षण करते हैं। सुलझाए न गए मामलों को सुलझाने के लिए विशेष दल गठित किए जाते हैं तथा अपराध शाखा जैसे विशेषीकृत यूनिटों द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं।

जघन्य अपराध का पता लगाने में वर्ष 2012 में 89.47% की उच्च सफलता दर हासिल की गई और डकैती जैसे अन्य बड़े अपराधों के मामले में यह 96.43%, हत्या के प्रयास के मामले में 95.44%, बलात्कार के मामले में 93.48% तथा लूट के मामले में 88.32% रही। यह सतत प्रयासों का नतीजा है तथा जिला स्तर पर पुलिस के तथा अपराध शाखा और विशेष सेल जैसे विशेषीकृत यूनिटों के पेशेवर दृष्टिकोण को दर्शाता है जिन्होंने महत्वपूर्ण तथा सनसनीखेज मामलों सहित सभी मामलों में सफलता हासिल करने पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया।

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2013 के आदेश के तहत केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया था। उक्त विशेष कार्य दल ने दिल्ली पुलिस को निदेश दिया है कि वह पीसीआर वैनों को अधिक प्रतिक्रियाशील तथा सक्रिय बनाए, विशेष रूप से रात्रि के समय खड़े लोगों अथवा लोगों के समूह, बस अड्डों पर उचित रोशनी, सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में फोटोग्राफ तथा पीएसबी नंबर सहित चालक/स्टॉफ के विवरण को प्रदर्शित किया जाने का बहुधा सत्यापन करे, गान एवं नृत्यशालाओं तथा नाइट क्लबों के समय पर नजर रखें, हेल्प लाइन '100' की लाइनों को 60 से बढ़ाकर 100 करे इत्यादि।

विवरण

पुलिस द्वारा दर्ज हत्या/चोरी/झपटमारी/डकैती के मामले

जिला	2012	2013 (15.4.13 तक)
1	2	3
उत्तरी	25	-
उत्तर-पश्चिमी	60	6
बाहरी (आउटर)	96	10
मध्य	35	-
नई दिल्ली	9	1

1	2	3
पूर्वी	48	5
उत्तर-पूर्वी	49	8
दक्षिणी	39	2
दक्षिण-पूर्वी	46	12
दक्षिण-पश्चिम	47	9
पश्चिमी	52	6
अपराध	1	-
आईजीआई	1	-
विशेष सेल	-	-
डीआरपी	13	1
ईओडब्ल्यू	-	-
सीएडब्ल्यू	-	-
कुल	521	60

चोरी

जिला	2012	2013 (15.4.13 तक)
1	2	3
उत्तरी	1025	158
उत्तर-पश्चिमी	1901	339
बाहरी (आउटर)	2215	420
मध्य	1403	245
नई दिल्ली	374	65
पूर्वी	3258	599
उत्तर-पूर्वी	2616	454
दक्षिणी	2126	350
दक्षिण-पूर्वी	2892	437
दक्षिण-पश्चिम	1171	118
पश्चिमी	2352	371
अपराध	1	1
आईजीआई	68	18
विशेष सेल	-	-
डीआरपी	630	149
ईओडब्ल्यू	-	-
सीएडब्ल्यू	-	-
कुल	22032	3724

झपटमारी

जिला	2012	2013 (15.4.13 तक)
1	2	3
उत्तरी	76	22
उत्तर-पश्चिमी	178	45
बाहरी (आउटर)	278	155
मध्य	85	40
नई दिल्ली	21	12
पूर्वी	204	62
उत्तर-पूर्वी	116	51
दक्षिणी	155	62
दक्षिण-पूर्वी	81	43
दक्षिण-पश्चिम	75	19
पश्चिमी	137	73

1	2	3
अपराध	0	0
आईजीआई	1	0
विशेष सेल	0	0
डीआरपी	33	14
ईओडब्ल्यू	0	0
सीएडब्ल्यू	0	0
कुल	1440	598

लूटपाट

जिला	2012	2013 (15.4.13 तक)
1	2	3
उत्तरी	45	29
उत्तर-पश्चिमी	65	25
बहारी (आउटर)	91	36
मध्य	47	16
नई दिल्ली	9	0
पूर्वी	57	20
उत्तर-पूर्वी	58	27
दक्षिणी	72	30
दक्षिण-पूर्वी	52	15
दक्षिण-पश्चिम	47	25
पश्चिमी	52	22
अपराध	0	0
आईजीआई	1	0
विशेष सेल	0	0
डीआरपी	12	4
ईओडब्ल्यू	0	0
सीएडब्ल्यू	0	0
कुल	608	249

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ

***498. श्री सी.आर पाटिल:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक तटीय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से लगे समुद्रतट की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में इन प्रत्येक तटीय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के समीप घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान संवेदनशील राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करती आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को स्वीकृत की गई और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) देश के प्रत्येक तटवर्ती राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की तटरेखा की कुल लंबाई निम्नवत है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	तट रेखा की लंबाई (कि.मी. में)
(i)	गुजरात	1214.7
(ii)	महाराष्ट्र	652.6
(iii)	गोवा, दमन और दीव	160.5
(iv)	कर्नाटक	280.0
(v)	केरल	569.7
(vi)	तमिलनाडु	909.9
(vii)	पुदुचेरी	30.6
(viii)	आंध्र प्रदेश	973.7
(ix)	ओडिशा	476.4
(x)	पश्चिम बंगाल	157.5
(xi)	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	132.0
(xii)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1962.0
	कुल तट रेखा	7516.6

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि सूचक रिपोर्टें नहीं प्राप्त हुई हैं।

तटवर्ती सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और तटरेखा पर घुसपैठ को रोकने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाए अपनाए गए हैं:–

देश के समस्त तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पुलिस, भारतीय तट रक्षक तथा भारतीय नौसेना द्वारा एक त्रि-स्तरीय तटवर्ती सुरक्षा घेरा मुहैया कराया गया है। सरकार ने तटवर्ती सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निगरानी तंत्र को उन्नत बनाना और एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर गश्त में वृद्धि करना शामिल है। द्वीप क्षेत्रों सहित तटवर्ती इलाकों की सुरक्षा के लिए अपनायी गई इस सोच की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए नौसेना, तट रक्षक, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क विभाग एवं अन्य अधिकारियों के मध्य नियमित आधार पर संयुक्त प्रचालन अभियान संचालित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्राधिकारियों सहित विभिन्न एजेंसियों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तंत्रों की लगातार समीक्षा तथा मॉनिटरिंग की स्थापना की गई है। संयुक्त प्रचालन केन्द्रों तथा बहु-एजेंसी-समन्वय-तंत्र के सृजन द्वारा आसूचना तंत्र को भी सरल बनाया गया है। देश की संपूर्ण तटरेखा और द्वीपों को कवर करते हुए राडारों की स्थापना भी इस प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। मछुआरों सहित तटवर्ती आबादी के लिए जैवमितीय (बायोमेट्रिक) पहचान पत्र जारी करना तथा भारतीय जल-क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार की नौकाओं/जलयानों का पंजीकरण ऐसे अन्य कदम हैं जो सरकार द्वारा तटवर्ती सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं।

सरकार तटवर्ती सुरक्षा योजना (सीएसएस) को दो चरणों में कार्यान्वित कर रही है। तटवर्ती सुरक्षा योजना, चरण-I, जिसमें 73 पुलिस थानों, 97 जांच चौकियों, 58 सीमा चौकियों, 30 बैरकों, 204 नौकाओं, 153 जीपें और 312 मोटर साइकिलों की व्यवस्था की गई हैं, का कार्यान्वयन 31.03.2011 को पूरा हो चुका है।

तटवर्ती राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने तटवर्ती सुरक्षा की चरण-II की स्कीम को तैयार करने के लिए तटरक्षक बल की अतिरिक्त जरूरतों को पुष्ट करने के लिए उनके परामर्श से सुभेद्यता/अंतराल विश्लेषण कराए हैं। तटवर्ती राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव मिलने के बाद तटवर्ती सुरक्षा योजना चरण-II को 01.04.2011 से 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस योजना में 131 तटीय पुलिस थानों, 60 घाटों, 150 (12 टन वाली) नौकाओं से लैस 10 समुद्री पुलिस प्रचालन केन्द्रों, 20 (19 मीटर) नौकाओं, 10 बड़े जलयानों, 10 (5 मीटर) नौकाओं, 131 चार पहिए वाले वाहनों, 242 दुपहिया वाहनों तथा 35 रिजिड फुलाने वाली नौकाओं का उपबंध किया गया है।

सीएसएस चरण-II के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियां

		वर्ष	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12	2012-13
1.	गुजरात	643.00	468.14
2.	महाराष्ट्र	243.00	-
3.	गोवा	75.80	196.00
4.	दमन और दीव	98.00	-
5.	कर्नाटक	238.80	146.00
6.	केरल	400.00	-
7.	तमिलनाडु	945.20	1434.00
8.	पुदुचेरी	50.11	-
9.	आंध्र प्रदेश	97.10	1295.00
10.	ओडिशा	223.22	-
11.	पश्चिम बंगाल	200.00	-
12.	लक्षद्वीप	49.19	260.00
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1502.00	1200.00
14.	जीएसएल गोवा	1293.97	1634.92
15.	जीआरएसई कोलकाता	3176.98	1362.55
	कुल योग	9236.77	7996.61

नोट: जीएसएल, गोवा तथा जीआरएसई, कोलकाता को जारी की गई निधियां या तो नौकाओं की कीमत के रूप में अथवा नौकाओं के रख-रखाव के लिए प्रदान की गई हैं, जिन्हें तटवर्ती राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को संवितरित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की परियोजनाएं

***499. श्री अशोक कुमार रावतः**
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटीलः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को विभिन्न राज्यों से कतिपय अनुरोध/परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख के अनुसार इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इनमें से केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित/विचाराधीन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(ङ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं तथा उसमें और अधिक अवसरों के सृजन हेतु उक्त निगमों के बजट आवंटन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) से प्राप्त आय सर्जनकारी स्कीमों हेतु परियोजना संबंधी प्रस्तावों को संस्वीकृत करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त विगत तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में प्राप्त, संस्वीकृत, बंद तथा लम्बित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव, उनके बंद हेने तथा विलंब से परिचालित होने के कारण, संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से पृथक रूप से विशिष्ट परियोजनागत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम वार्षिक कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सैद्धांतिक आबंटन करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां सैद्धांतिक आबंटनों के आधार पर अपनी वार्षिक कार्रवाई योजना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त सभी वार्षिक कार्रवाई योजना संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्रवाई योजना संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, सभी दृष्टियों से पूर्ण परियोजनागत प्रस्तावों की मंजूरी 16 दिनों की अवधि के भीतर दिए जाने की प्रत्याशा होती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को प्राप्त सभी वार्षिक कार्रवाई योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपए है। प्रदत्त पूंजी की राशि 781.80 करोड़ रुपए है। इसके द्वारा आकलित अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को ईक्विटी शेयर जारी किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को जारी ईक्विटी शेयर की राशि से विगत तीन वर्षों के दौरान बढ़ोत्तरी हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

(करोड़ रुपए)

वर्ष	प्राप्त ईक्विटी की राशि
2010-11	75.00
2011-12	85.00
2012-13	100.00

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्रवाई योजना को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित करने में विलंब नहीं होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी करने संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त, संस्वीकृत, बंद तथा लंबित प्रस्तावों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11			31.3.2011 की स्थिति के अनुसार लंबित** परियोजनागत प्रस्ताव	2011-12			31.3.2011 की स्थिति के अनुसार लंबित** परियोजनागत प्रस्ताव	2012-13			31.3.2011 की स्थिति के अनुसार लंबित** परियोजनागत प्रस्ताव
		प्राप्त परियोजनागत प्रस्ताव	संस्वीकृत परियोजनागत प्रस्ताव	बंद* परियोजनागत प्रस्ताव		प्राप्त परियोजनागत प्रस्ताव	संस्वीकृत परियोजनागत प्रस्ताव	बंद* परियोजनागत प्रस्ताव		प्राप्त परियोजनागत प्रस्ताव	संस्वीकृत परियोजनागत प्रस्ताव	बंद* परियोजनागत प्रस्ताव	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	असम	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	बिहार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	5	5	0	0	5	5	0	0	4	4	0	0
4.	गोवा	4	4	0	1	1	2	0	0	8	8	0	0
5.	गुजरात	5	4	0	1	15	14	0	2	2	3	0	1
6.	हिमाचल प्रदेश	7	7	0	0	7	7	0	0	5	5	0	0
7.	हरियाणा	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	11	11	0	0	5	5	0	0	1	1	0	0
9.	झारखंड	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	केरल	9	9	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0
11.	कर्नाटक	38	18	20	0	20	20	0	0	22	11	1	10
12.	महाराष्ट्र	34	21	5	8	21	15	2	12	31	13	1	29
13.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
14.	मध्य प्रदेश	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	ओडिशा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	पंजाब	6	5	0	1	3	3	0	1	1	1	0	1
17.	राजस्थान	20	20	1	0	17	17	0	0	4	4	0	0
18.	सिक्किम	4	4	0	0	11	11	0	0	3	3	0	0
19.	तमिलनाडु	11	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	त्रिपुरा	24	24	0	0	7	7	0	0	4	4	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	उत्तराखंड	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0
22.	पश्चिम बंगाल	11	9	0	2	6	5	1	2	0	1	1	0
संघ राज्यक्षेत्र													
1.	चंडीगढ़	4	4	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0
2.	दिल्ली	7	7	0	0	6	6	0	0	2	2	0	0
3.	पुदुचेरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	220	182	27	13	133	126	3	17	96	69	3	41

* परियोजना बंद करने के कारण-अनुस्मारकों के बावजूद राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरणों/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया जाना, सैद्धांतिक आबंटन की सीमा से अधिक आवंटन होना तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नीति (मौजूदा एकक) के अनुरूप प्रस्ताव का नहीं होना।

**परियोजना के लंबित होने के कारण-राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

नोट: गोवा तथा राजस्थान के मामले में, प्रत्येक में, प्रत्येक का एक-एक परियोजनागत प्रस्ताव लंबित था जिसे वर्ष 2009-10 से वर्ष 2010-11 में ले जाया गया।

विवरण-II

तीन वर्षों (2010 से 2013) से प्राप्त तथा अनुमोदित वार्षिक कार्रवाई योजना को दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रुपए)

		2012-2013		2011-2012		2010-2011	
क्र.सं.	एससीए का नाम	एससीसी से प्राप्त एएपी	अनुमोदित एएपी	एससीसी से प्राप्त एएपी	अनुमोदित एएपी	एससीसी से प्राप्त एएपी	अनुमोदित एएपी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*						
क.	आंध्र प्रदेश (बीसी)						
ख.	आंध्र प्रदेश (टीटी)						
2.	बिहार	2850.00	2850.00	2850.00	2500.00	2083.75	583.00
3.	छत्तीसगढ़	449.50	450.00	382.05	382.00	505.25	450.00
4.	गोवा	332.82	400.00	248.75	250.00	247.62	247.62
5.	गुजरात						
क.	गुजरात (बीसी)	978.00	800.00	800.00	800.00	558.75	558.75
ख.	गुजरात (गोपालक)	744.75	600.00	600.04	600.00	516.88	500.00
ग.	गुजरात (ठाकोर)	549.55	550.00	600.00	600.00	725.63	400.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हरियाणा	1100.00	1000.00	1000.00	1000.00	900.00	900.00
7.	हिमाचल प्रदेश	450.00	450.00	448.39	450.00	450.00	450.00
8.	जम्मू-कश्मीर						
क.	जम्मू और कश्मीर (बीसी)	200.00	200.00	256.50	150.00	216.60	125.00
ख.	जम्मू और कश्मीर (डब्ल्यू)	200.00	200.00	197.60	197.60	162.50	125.00
9.	झारखंड	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
10.	कर्नाटक	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	2400.00	2400.00
11.	केरल						
क.	केरल (क)	309.45	100.00	299.95	50.00	231.00	50.00
ख.	केरल (बीसी)	5000.00	5000.00	4550.00	4550.00	4375.00	3500.00
ग.	केरल (सीसी)	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00
घ.	केरल (फिशरीज)	5000.00	5000.00	1600.00	1600.00	3354.10	2500.00
ङ	केरल (महिला)	922.50	1000.00	700.00	200.00	1000.00	300.00
च.	केरल (हेंडीक्राफ्ट)	42.50	- 42.50	50.00	42.50	42.50	42.50
छ.	केरल (पी)	259.50	50.00	266.20	50.00	145.50	50.00
12.	मध्य प्रदेश						
क.	मध्य प्रदेश (वीसी)					735.00	200.00
ख.	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)						
13.	महाराष्ट्र						
क.	महाराष्ट्र (ओबीसी)	250.00	2500.00	2500.00	2500.00	2400.00	2400.00
ख.	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	1479.50	1500.00	3522.00	1000.00	3428.28	600.00
ग.	महाराष्ट्र (एमपी)						
14.	ओडिशा	712.55	700.00			700.02	700.00
15.	पंजाब	900.00	900.00	1162.50	900.00	1237.50	700.00
16.	राजस्थान (बीसी)	1626.97	1000.00	1636.00	1636.00	1247.19	1247.19

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	तमिलनाडु						
क.	तमिलनाडु (बीसी)	5000.00	5000.00	4000.00	4000.00	3500.00	3500.00
ख.	तमिलनाडु (डब्ल्यू)						
18.	उत्तराखंड	122.90	122.00			200.50	200.00
19.	उत्तर प्रदेश	3692.00	3692.00	2574.00	2574.00	2570.40	1070.00
20.	पश्चिम बंगाल (बीसी)	1209.30	1210.00	1144.75	1144.75	1764.50	1764.50
21.	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	2000.00	1700.00	1187.25	1000.00	504.00	500.00
	संघ राज्यक्षेत्र						
1.	चंडीगढ़	26.97	27.00	31.63	30.00	74.11	74.00
2.	दिल्ली	148.75	150.00	136.00	100.00	136.00	100.00
3.	पुदुचेरी	855.00	500.00	400.00	200.00	400.00	400.00
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						
5.	दादरा और नगर हवेली/ दमन और दीव						
	पूर्वोत्तर (कुल आबंटन का 10%)						
1.	असम						
क.	असम (बीसी)						
ख.	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)						
ग.	असम (एआरटीएफईडी)	462.50	50.00	500.00	500.00	273.00	200.00
2.	मणिपुर						
क.	मणिपुर (बीसी)					85.00	85.00
ख.	मणिपुर (डब्ल्यू)			92.95	93.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मिज़ोरम						
4.	एनईडीएफआई	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
5.	सिक्किम	458.55	458.50	458.55	458.55	458.55	450.00
6.	त्रिपुरा	558.25	600.00	299.10	300.00	295.98	296
	कुल	45091.81	42752.00	38494.20	33808.40	38325.11	28068.56

क वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी के आधार पर सैद्धांतिक आबंटन किया जाता है।

ख पूर्वोत्तर राज्यों को कुल आबंटन से 10% अधिक आबंटन सरकारी नीति के अनुसार किया जाता है।

* आंध्र प्रदेश की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने राज्य सरकार की नीति के मद्देनजर वार्षिक कार्रवाई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

[अनुवाद]

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स परियोजना

***500. श्री अजय कुमार:**
श्री अशोक तंवर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने-अपने राज्य में अब तक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स परियोजना कार्यान्वित की है;

(ख) क्या यह सच है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स परियोजना निर्धारित समय से तीन वर्ष पीछे चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है, जिनके पास अपराधों की जांच करने और अपराधियों का पता लगाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी की समर्थित ट्रैकिंग प्रणाली है तथा इस परियोजना में तेजी लाने हेतु विद्यमान अवसंरचना के उन्नयन हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सभी राज्यों में ऐसा सिस्टम स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में राज्यों को क्या सलाह जारी की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) भारत के सभी 35 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र क्राइम एंड क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। सीसीटीएनएस की प्रायोगिक शुरुआत, जिसमें प्रत्येक राज्य के दो जिलों में पुलिस स्टेशन और उच्चतर कार्यालय स्थापित किए जाने शामिल हैं, दिनांक 04 जनवरी, 2013 को राष्ट्रीय स्तर पर 2000 पुलिस स्टेशनों में की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आज की तिथि के अनुसार 18,519 में से 2839 स्थलों (पुलिस स्टेशनों/उच्चतर कार्यालयों) में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित ट्रैकिंग प्रणाली है। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पास अपराधों की जांच करने और अपराधियों को ट्रैक करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित ट्रैकिंग प्रणाली है, गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से निधियों का प्रावधान किया जा रहा है।

(ङ) उठाए गए सुधारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:

- परियोजना के कार्यान्वयन को तेज करने में सहायता करने हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एमएचए/एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) की टीमों द्वारा दौरा।

- पाक्षिक स्थिति रिपोर्ट ओर साप्ताहिक स्थिति रिपोर्टों के माध्यम से एनसीआरबी में नियमित प्रगति समीक्षा।
- पुलिस कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं।
- मुद्दों को उठाने के लिए परियोजना के सभी पणधारियों—राज्य, प्रणाली समाकलक (एसआई), राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिट (एसपीएमयू), मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम), बीएसएनएल और अन्य के साथ समय-समय पर बैठकें।
- ओएंडएम (संचालन एवं रख रखाव) चरण से पहले राज्यों की सहायता करने के लिए एक समर्पित सीएएस (कोर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर) की संस्थापना।
- प्रणाली समाकलकों के चयन हेतु आवश्यक उपयुक्त दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ गृह सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव द्वारा समीक्षा बैठकों का आयोजन।
- तेजी से कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में निधियों के अंतर शीर्ष उपयोग की अनुमति दे दी गई है।
- संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रणाली समाकलकों को निधियों का शीघ्र ही जारी किया जाना।
- राज्य तकनीकी अवसरंचना समिति (एसटीआईसी) द्वारा हार्डवेयर के सत्यापन की प्रक्रिया तेज करना।
- ओईएम (मूल उपकरण विनिर्माता) अथवा उत्पाद परिवर्तन आवेदन के अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज करना—राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रणाली समाकलकों के द्वारा प्रस्तुत ओईएम अथवा उत्पाद परिवर्तन आवेदनों को अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं। सभी राज्यों को, योग्यता के आधार पर ऐसे आवेदनों पर तुरंत विचार करने और सामग्री प्राप्त करने तथा डिलीवरी हेतु आवश्यक समय पर विचार करते हुए उन्हें अनुमोदित करने हेतु शीघ्रता से निबटाने का निदेश दिया गया है।
- दक्षता से कार्यान्वयन हेतु एनसीआरबी/एमएचए द्वारा जारी परामर्श संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित ट्रैकिंग प्रणाली वाले स्थलों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पुलिस स्टेशन/उच्चतर कार्यालय (आईटी समर्थित)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	217
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	46
5.	बिहार	26
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	54
8.	दमन और दीव	0
9.	दादरा और नगर हवेली	0
10.	दिल्ली	0
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	0
13.	हरियाणा	38
14.	हिमाचल प्रदेश	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0
16.	झारखंड	430
17.	कर्नाटक	1313
18.	केरल	107
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	5

1	2	3
21.	महाराष्ट्र	69
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	30
24.	मिज़ोरम	63
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	48
27.	पुदुचेरी	0
28.	पंजाब	0
29.	राजस्थान	38
30.	सिक्किम	16
31.	तमिलनाडु	290
32.	त्रिपुरा	0
33.	उत्तर प्रदेश	0
34.	उत्तराखंड	0
35.	पश्चिम बंगाल	47
	कुल	2839

विवरण-II

एमएचए/एनसीआरबी द्वारा जारी परामर्श:

- डाटा डिजिटाइजेशन एंड डाटा माइग्रेथन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
- हार्डवेयर की अधिप्राप्ति और गुणवत्ता प्रत्याभूति हेतु एसओपी
- स्थल तैयारी हेतु एसओपी
- हैंड होल्डिंग हेतु एसओपी
- परिसंपत्ति प्रबंधन हेतु एसओपी
- इन-स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट संबंधी परामर्श
- डिजिटाइजेशन हेतु प्रतिदिन लॉग टेम्पलेट
- एसआई हेल्प डेस्क का क्षेत्र और उद्देश्य
- स्थल तैयारी और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं
- प्रायोगिक स्थल और जीओ-लाइव पर परामर्श
- सीसीटीएनएस नेटवर्क से संबंधित कार्यकलापों की ट्रैकिंग
- जिला ई-मिशन टीम की संरचना और विचारार्थ विषय
- राज्यों में सीसीटीएनएस कार्यान्वयन हेतु कार्यकलापों की प्राथमिकता
- अनुमोदित जनेरेटर लागत का संशोधन
- सौर विद्युत पैरों की अधिप्राप्ति
- संशोधित एसपीएमयू ठेका और अनुशेष
- ओईएम में परिवर्तन संबंधी परामर्श
- स्थानीय भाषा में पुलिस अधिकार-क्षेत्र विशेष से जुड़ी कार्य-निर्देशिका संबंधी परमर्श
- एसडब्ल्यूएएन के माध्यम से सीसीटीएनएस कनेक्टिविटी का प्रावधान करना।
- सीएएस होस्टिंग और नेटवर्क हेतु डाटा सेंटर रेडीनैस चैकलिस्ट
- सीसीटीएनएस नेटवर्क से संबंधित कार्यकलाप की ट्रैकिंग।

[हिंदी]

किसानों को रसायन रहित उर्वरक

5516. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि में रासायनिक उर्वरकों, विषैले रसायनों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग को रोकने के लिए पूरे देश में सभी किसानों को रसायन रहित उर्वरक उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी हां, सरकार राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ),

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य व उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएफ) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से देश में किसानों को जैव उर्वरकों व जैविक खादों जैसे रसायन मुक्त उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है।

राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ) स्कीम के तहत कृषि अवशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों, जैव उर्वरक/जैव नाशीजीवमार उत्पादन इकाइयों हेतु पूंजी निवेश राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैव नाशीजीवमार/जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों और कृषि अवशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु पार्श्वान्त राज सहायता के रूप में क्रमशः 40 लाख रुपए और 60 लाख रुपए की सीमा तक वित्तीय परिव्यय के 25 प्रतिशत और 33 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है; राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) व पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) जैविक कृषि अपनाने हेतु 10,000/- रुपए प्रति हैक्टेयर अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी और वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना करने हेतु 50% की दर पर जो 30,000/- रु. प्रति लाभार्थी के अध्यधीन है और 50 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए किसानों के समूह के लिए जैविक कृषि के प्रमाणीकरण हेतु 5.00 लाख रुपए की दर पर सहायता प्रदान करता है; राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य व उर्वरता प्रबंधन (एनपीएमएसएचएफ) परियोजना हेतु जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 500 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा गठित व अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत विभिन्न घटकों पर जैविक कृषि के प्रोत्साहन हेतु सहायता उपलब्ध है।

[अनुवाद]

साइंस सिटी

5517. श्री के.पी. धनपालन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित साइंस सिटी का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का केरल के कोट्टायम जिले में स्थित कुराविलांगड़ शहर सहित देश के विभिन्न भागों में और अधिक 'साइंस सिटी' बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार भूमि मिल गयी है;

(ङ) यदि हां, तो केरल सहित विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के 'साइंस सिटी' कब तक स्थापित कर लिए जाएंगे; और

(च) इस संबंध में विभिन्न राज्यों से सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी: (क) कोलकाता (पश्चिम बंगाल), कपूरथला (पंजाब), अहमदाबाद (गुजरात) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में चार विज्ञान शहर स्थपित किए गए हैं।

(ख) से (च) विज्ञान शहरों की स्थापना एक सतत कार्यकलाप है, जो संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन, अनुमोदित मानदंडों/ दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होता है। गुवाहाटी (असम) में विज्ञान शहर स्थापित करने का एक प्रस्ताव है, जिसके लिए असम सरकार द्वारा भूमि चिह्नित कर ली गई है। केरल राज्य के संबंध में, कोट्टायम में विज्ञान शहर स्थापित करने हेतु प्रारंभिक प्रस्ताव को वर्तमान अनुमोदित मानदंडों के आधार पर केरल सरकार द्वारा विज्ञान केंद्र के रूप में संशोधित किया गया है। केरल सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 24.4 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की है। कोट्टायम (केरल) में विज्ञान शहर की स्थापना के लिए प्रस्ताव मूल्यांकन चरण में है।

टेंडर कोकोनट कन्सेन्ट्रेट

5518. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि 'एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी' (एपीसीसी) की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 'टेंडर कोकोनट कन्सेन्ट्रेट' (सान्द्रित कच्चा नारियल) के विनिर्माण के लिए नारियल विकास बोर्ड से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार नारियल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा 'टेंडर कोकोनट कन्सेन्ट्रेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी नहीं। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों ने सीडीबी से कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिंदी]

खुदरा क्षेत्र में कॉर्पोरेट

5519. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुदरा क्षेत्र में कार्यरत देश के बड़े कॉर्पोरेट घराने अब महानगरों की जगह छोटे शहरों में अपने खुदरा केंद्र खोल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कॉर्पोरेट घरानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज की तिथि के अनुसार छोटे शहरों में अपने खुदरा केंद्र खोलें हैं;

(ग) क्या ये कॉर्पोरेट घराने राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा क्षेत्र में अपने प्रवेश और छोटे शहरों में खुदरा बिक्री केंद्र खोलने के संबंध में प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) संगठित खुदरा व्यापारी अपनी दुकानों/मालों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत करवाते हैं। चूंकि खुदरा व्यापार राज्य का विषय है अत: इस प्रकार के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात पर प्रतिबंध

5520. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति और इनके मूल्यों पर इस प्रकार के प्रतिबंध के प्रभाव का कोई मूल्यांकन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार ने खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेलों को छोड़कर 5 किलोग्राम के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में जिसका न्यूनतम निर्यात मूल्य 1500 यूएस डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो को छोड़कर) के निर्यात पर 17.03.2008 से प्रतिबंध लगाया हुआ है जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है और दालों (काबुली चना और जैविक दलहन के अधिकतम 10,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर 27.06.2006 से प्रतिबंध लगाया हुआ है जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। जब कभी भी आवश्यक हुआ प्याज के निर्यात पर अल्पकाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया।

(ग) और (घ) इस प्रकार के प्रतिबंध का घरेलू आपूर्ति और वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया। तथापि, उनकी कीमतों पर प्रतिबंध का प्रभाव संतुलित रहता है।

[अनुवाद]

कच्ची चीनी का आयात

5521. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा पिछले दो वर्षों के दौरान कंपनी-वार कुल कितनी चीनी का आयात किया गया, इनका मूल्य और इन पर आयात शुल्क कितना है तथा कच्ची चीनी के आयात की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कच्ची चीनी के आयात के लिए अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो, क्या सरकार ने इन संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू बाजार में आयातित कच्ची चीनी की बिक्री की कब से अनुमति प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन नीति के कारण आयातित कच्ची चीनी और घरेलू चीनी के बीच मूल्य संरचना में असंतुलन उत्पन्न हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने मार्च 1994 से खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है। यह भी कि विनिर्माता निर्यातक अथवा ऐसे आयात के प्रति निर्यात बाध्यता के साथ समर्थक विनिर्माता(ओं) से सहबद्ध व्यापारी निर्यातक को अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना (पूर्व की अग्रिम लाइसेंस योजना) के अंतर्गत कच्ची चीनी के करमुक्त आयात की अनुमति है।

घरेलू मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार ने 17.4.2009 से लागू 30.6.2012 तक खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कच्ची चीनी सहित चीनी के करमुक्त आयात की अनुमति दी थी। तत्पश्चात् 13.07.2012 से 10 प्रतिशत का सामान्य सीमा शुल्क लगाया गया जोकि अभी भी लागू है।

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता के अनुसार पिछले दो चीनी मौसमों 2010-11 और 2011-12 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान चीनी मिलों/व्यापारी-आयातकों द्वारा क्रमशः 982.66 करोड़ रुपए मूल्य की 3.659 लाख टन की कच्ची चीनी और 574.25 करोड़ रुपए मूल्य की 1.886 लाख टन की कच्ची चीनी का आयात किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची चीनी के मूल्य समय-समय पर भिन्न-भिन्न रहे, इसलिए वह मूल्य दर्शा पाना संभव नहीं है जिस पर कच्ची चीनी का आयात किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित कृषि प्रणाली

5522. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वधारणीय समेकित कृषि प्रणाली, जिसमें खेत में ही उत्पादित बेकार बायोमास का खेत के स्तर पर ही प्रसंस्करण करके पोषक तत्वों की नब्बे प्रतिशत आवश्यकता पूरी कर ली जाती है, को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) समेकित कृषि पद्धति को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप स्कीम वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) के तहत बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) के तहत कुल व्यय के 25 प्रतिशत अथवा 40 लाख रुपए, जो भी कम हो, की दर पर विद्यमान जैव उर्वरकों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण और/अथवा जैव नाशी जीवमार उत्पादन इकाइयों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण; और कुल वित्तीय परिव्यय के 33 प्रतिशत अथवा 60 लाख रुपए, जो भी कम हो, की दर पर फल एवं सब्जी अवशिष्ट/कृषि अवशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए नाबार्ड के माध्यम से पार्श्वान्त राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैविक कृषि राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) का एक घटक भी है जिसके तहत खेतों में अवशिष्ट बायो-मास के उपयोग के लिए वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाता है। इस उद्देश्य हेतु सहायता 50 प्रतिशत की दर पर जो अधिकतम 30 हजार रुपए प्रति लाभार्थी तक सीमित है, प्रदान की जाती है। 11वीं योजना के दौरान एनएचएम के तहत 2.4 लाख वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई हैं। राज्य आरकेवीवाई के तहत जैविक खेती पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सतत पोषण प्रबंधन के माध्यम से समेकित कृषि पद्धति को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिंदी]

गन्ने की लाभकारी कीमत

5523. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस प्रकार की रिपोर्टें/शिकायतें हैं जिनसे पता चलता है कि देश में गन्ना उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) किसानों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन-से कदम उठा रही है;

(घ) क्या देश में गन्ने का उत्पादन चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा गन्ना और चीनी के उत्पादन और आवश्यकता के बीच अंतराल को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) केन्द्र सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि गन्ना उत्पादकों को वर्तमान चीनी मौसम के दौरान देश में अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के तहत गन्ने क उचित अैर लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श के उपरांत निर्धारित किया जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने का बेंचमार्क गारंटीकृत मूल्य है, जिसके नीचे कोई भी चीनी मिल गन्ना किसानों से गन्ने की खरीद नहीं कर सकती। चीनी का उत्पादन करने वाले अनेक राज्य परामर्शित मूल्य घोषित करते हैं, जो सामान्यत: उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक हेता है। इसके अतिरिक्त, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति हेतु उन्हें गन्ने के मूल्य के यथासमय भुगतान के लिए आवश्यक प्रावधान भी शामिल है और गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान से संबंधित प्रावधानों के प्रवर्तन की शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है और सौंपी हैं, जिनके पास आवश्यक क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं।

(घ) वर्तमान चीनी मौसम में गन्ने का अनुमानित उत्पादन 3345.40 लाख टन है (कृषि और सहकारिता विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमान), जो देश में चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छत्तीसगढ़ के लिए सीआरपीएफ बटालियन

5524. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) बटालियन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी कुछ ही दिन पहले ऐसा प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बटालियन स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिंदी]

मोटे अनाज का उत्पादन

5525. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त एक करोड़ हेक्टेयर में इसकी खेती के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में क्या काम किए गए हैं; और

(घ) इसके अंतर्गत सरकार ने किस हद तक सफलता प्राप्त की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा मोटे अनज के उत्पादन के लिए इसके उत्पादन

को बढ़ाने हेतु एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर इसके उत्पादन हेतु कोई स्कीम तैयर नहीं की है। तथापि उन्नत पद्धति पैकेज का आयोजन करने के लिए सहायता प्रदान करके, प्रमाणिक बीज, बीज मिनी किट की आपूर्ति करके और सूक्ष्म पोषणों और जिप्सम की आपूर्ति करके, किसानों को प्रशिक्षण एवं फसलोपरांत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर आरकेवीवाई की उप स्कीम गहन कदन्न प्रोत्साहन के माध्यम से समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और पोषणिक सुरक्षा हेतु पहल (आईएनएसआईएमपी) नामक भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जाता है।

इन कार्यक्रमों से मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जो 1182 किग्रा/हेक्टेयर (2006-07) से बढ़कर वर्ष 2011-12 के दौरान 1591 किग्रा/हेक्टेयर हो गई है।

[अनुवाद]

वृद्ध, निःशक्त और बेघरों को सामाजिक सुरक्षा

5526. श्री कुलदीप बिश्नोईः
श्री जय प्रकाश अग्रवालः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश के वृद्ध, निःशक्त और बेघर नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधान लाने हेतु कोई कदम उठाया गया है/उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त लोगों को पेंशन का भुगतान, उन्हें घर उपलब्ध कराने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल सहित वित्तीय सहायता प्रदान करने और कल्याण उपाय करने हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) सरकार ने दिसंबर, 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों एवं रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को अधिकरणों के माध्यम से अनिवार्य और न्यायपूर्ण बनाना; बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सम्पत्ति के स्थानांतरण का प्रतिसंहरण; निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना; वरिष्ठ नागरिकों का परित्याग करने के लिए दंडात्मक प्रावधान; वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं तथा वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति के संरक्षण हेतु प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 भी अधिनियमित किया है। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, पुनर्वास, रोजगार, समानता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना (आईपीओपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) का कार्यान्वयन करता है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के व्यक्तियों को पेंशन/वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) जिसके अंतर्गत 18 से 79 वर्ष की आयु समूह के गंभीर या बहु-विकलांगताग्रस्त बीपीएल व्यक्तियों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 2010-11 से वृद्धों के लिए स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनपीएचसीई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आउटरीच सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी तंत्र के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को पृथक और विशेष व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों के लिए मकानों के निर्माण के लिए सहायता कर रहा है। यह मंत्रालय शहरी गरीबों के लिए हाउसिंग के लिए ब्याज छूट योजना (आईएसएचयूपी) और स्लम सर्वेक्षण, स्लमों की जीआईएस मैपिंग, स्लम सूचना तंत्र विकसित करने, जीआईएस-एमआईएस एकीकरण और स्लम मुक्त शहर/राज्य स्लम मुक्त योजना आदि तैयार करने के लिए राजीव आवास योजना (आरएवाई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना स्कीम (आईएवाईएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में घरों के निर्माण के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, बंधुआ मजदूरी मुक्त मजदूरों और

बीपीएल से संबंधित अन्य गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नए पैकेजिंग मानदंड

5527. श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए पैकेजिंग मानदंडों को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुडस' (एफएमसीजी) के विनिर्माता कथित रूप से नए पैकेजिंग मानदंडों का पालन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां सरकार ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 11 को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया है कि दैनिक उपयोग की 19 वस्तुओं का विनिर्माण एवं बिक्री केवल मानक आकारों में होगी। ये वस्तुएं इस प्रकार हैं-(1) शिशु आहार, (2) वीनिंग फूड, (3) बिस्किट, (4) ब्राउन ब्रेड सहित ब्रेड, किन्तु बन को छोड़कर, (5) मक्खन और मार्जरीन के गैर-डिब्बाबंद पैकेज, (6) अनाज और दालें, (7) कॉफी, (8) चाय, (9) ऐसी सामग्रियां जिन्हें पेय पदार्थों के रूप में निर्मित या पुन: निर्मित किया जा सकता है, (10) खाद्य तेल, वनस्पति, घी, बटर आयल, (11) मिल्क पाउडर, (12) गैर-सोपी डिटरजेंट (पाउडर), (13) चावल (पिसा हुआ), मैदा, आटा, रवा और सूजी, (14) नमक, (15) साबुन, (लांड्री साबुन, गैर-सोपी डिटरजेंट टिकिया/बार, सभी प्रकार के नहाने के साबुन, टिकिया सहित टॉयलेट साबुन), (16) एरियाटिड सॉफ्ट ड्रिंक्स, गैर-अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, (17) मिनरल वॉटर और पेय जल, (18) सीमेंट के थैले और (19) पेंट, वार्निश इत्यदि [पेंट (पेस्ट पेंट अथवा ठोस पेंट के छोड़कर), वार्निश, वार्निश सटेन्स, एनेमल्स, पेस्ट पेंट और ठोस पेंट, बेस पेंट]।

(ग) जी, नहीं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं।

नई बटालियनों की स्थापना

5528. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लगभग 30,000 कार्मिकों को लेकर 29 बटालियनों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, ते तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा सभी 29 बटालियनों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों ने ऐसे कार्मिकों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुपरकता सुनिश्चित करने के लिए नई भर्ती नीति तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) नई बटालियनों के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2009 में बीएसएफ की 29 अतिरिक्त बटालियनों की मंजूरी दी है जिसमें से 18 बटालियनें स्थापित की जा चुकी हैं और 11 बटालियनों को वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक स्थापित करने की योजना है।

(ग) और (घ) हाल ही में, राज्य सरकारों से ऐसे कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाकर व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम करने के लिए भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, दक्ष, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सशक्त पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआरएस) में कांस्टेबल की भर्ती को पहले ही संशोधित कर दिया गया है। सीएपीएफ और एआर में कांस्टेबलों हेतु संशोधित भर्ती स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से सभी सीएपीएफ और एआर हेतु एक एकल संयुक्त

परीक्षा आयोजित कराकर केन्द्रीय रूप से भर्ती की जा रही है। टेलीफोन/वैबसाइट/मोबाइल फोन/एसएमएस के माध्यम से परीक्षार्थियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ii) भर्ती के सभी स्तरों पर बायोमीट्रीक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। (कम्प्यूटर आधारित बायोमीट्रीक उपकरणों के न होने पर अंगूठे के निशान डिजीटल फोटोग्राफ और शरीर पर किसी विशिष्ट पहचान चिह्न का उपयोग किया जाता है)।

(iii) भर्ती प्रक्रिया को अधिमान्यत: वीडियोग्राफ किया जा रहा है।

(iv) आवेदन फार्मों को केन्द्रीय रूप से ओएमआर (ऑप्टिकल मैगनिटिक रिकॉगनिशन) में डिजाइन किया जाता है ताकि इसकी कम्प्यूटर के माध्यम से तेजी से जांच की जा सके। लिखित परीक्षा में केवल ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु विकल्प प्रश्न शामिल हैं।

(v) पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) अब केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसके कोई अंक नहीं हैं। साक्षात्कार भी बंद कर दिए गए हैं।

(ङ) नई बटालियनों हेतु अवसंरचना का सृजन करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इन नई बटालियनों को मंजूर करते समय इन 29 बटालियनों के लिए अवसंरचना हेतु अनुज्ञप्ति पहले ही अनुमोदित कर दी है। भूमि और बजटीय आबंटन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण किया जाता है।

बासमती चावल का उत्पादन

5529. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्यात की गुणवत्ता वाले बासमती चावल का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने सुगंधित बासमती चावल पर भूमंडलीय तापन के अत्यधिक प्रभाव के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के अध्ययन पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा नए ताप/प्रतिरोधी बासमती किस्म के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में निर्यात गुणवत्ता वाले बासमती चावल का वार्षिक उत्पादन लगभग 7 मिलियन टन हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित बासमती की खेती वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए बासमती चावल की अर्थ बौनी, उच्च पैदावार वाली किस्मों के प्रजनन का प्रयास किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी बासमती चावल किस्में जैसे कि पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, सुधरी पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, आदि किस्मों को बासमती उगाने वाले क्षेत्रों में संभावित तापमान विविधता से बचाने हेतु प्रजनित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल सहित फसलों में जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास हेतु 2011 से "राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल" नामक एक नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.) ने अल्पावधि वाले बासमती चावल की एक किस्म विकसित की है जो 120 दिनों में तैयार की जाती है और उसे प्रारंभिक चरण में उच्च तापमान से बचने के लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में रोपा जा सकता है।

[हिंदी]

कृषि रहित भूमि

5530. श्री सज्जन वर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा अपने खेतों में कृषि नहीं करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में किसानों के बारे में उनके कृषि खेती छोड़ने की कोई सूचना

प्राप्त नहीं की है। देश के कुछ भागों में सूखे के कारण संपूर्ण देश के 105.7 मिलियन हेक्टेयर की एक औसत क्षेत्र के मुकाबले खरीफ (2012) के विभिन्न फसलों के अंतर्गत लगभग 101.1 मिलियन हेक्टेयर की बुवाई की गई थी। तथापि रबी (2013) में दौरान संपूर्ण देश के 63.0 मिलियन हेक्टेयर की लक्ष्य के मुकाबले विभिन्न फसलों के अंतर्गत लगभग 63.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। मध्य प्रदेश के मामले में खरीफ और रबी (2012-13) के दौरान कवर किए गए फसल क्षेत्र में कोई कमी नहीं है जबकि दोनों खरीफ (2012) एवं रबी (2013), में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्रमशः लगभग 1.0 मिलियन एवं 1.6 मिलियन हेक्टेयर फसल कवरेज उच्च है।

(ख) और (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों से संपर्क करके फसल बुवाई स्थिति का करीब से मानीटरिंग करती है और सभी प्रमुख कार्यक्रमों नामत: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) आदि के अंतर्गत सतत कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक आदान सहित विभिन्न कृषि कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

एसएसबी के लिए आवास-सह-कार्यालय परिसर

5531. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली में महिपालपुर के समीप सशस्त्र सीमा बल के लिए आवास-सह-कार्यालय परिसर का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के निवासियों ने ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार/मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी हां। महिपालपुर, नई दिल्ली में बल मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल के विभिन्न घटकों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय ने 13.96 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) कार्यालय भवन के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कार्यालय भवन;

(ii) साइट विकास;

(iii) गेटों के साथ चारदीवारी;

(iv) रिटेनिंग वाल;

(v) सेंसर के साथ मोटरयुक्त गेट;

(vi) 2.4 लाख लीटर की क्षमता वाली ओवरहेड टंकी; और

(vii) दो ट्यूबवेल।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय में वहां के निवासियों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पुलिस कार्मिकों की भर्ती

5532. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ही तैनाती के लिए अधिक पुलिस-कर्मियों की भर्ती के लिए दिल्ली पुलिस से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) 15 पुलिस स्टेशनों (6 प्रादेशिक + 1 रेलवे + 8 मेट्रो) के लिए जनशक्ति के सृजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। दिनांक 31 मई, 2012 के का.ज्ञा. संख्या 7 (1) ई. समन्वय/2012 के तहत योजना एवं योजनेतर पदों के सृजन पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के मद्देनजर, फिलहाल पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिंदी]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा केवीके की स्थापना

5533. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **कृषि मंत्री** 4.9.2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3739 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की स्थापना के लिए किन-किन गैर-सरकारी संगठनों को अनुमति दी गई है;

(ख) कृषि विज्ञान केंद्रों को चलाने के लिए उक्त गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में इन गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा केवीके योजना के अंतर्गत क्या कार्य किया गया; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों/परिणामों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम जिन्हें कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित (सेटअप) करने की अनुमति दी गई है तथा इन गैर-सरकारी संगठनों के जरिए कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रदान की गई विधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन गैर-सरकारी संगठनों के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा निष्पादित कार्य में खेत पर परीक्षण, अग्रपंक्ति के प्रदर्शन, किसानों तथा विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा विस्तार गतिविधियों के जरिए किसानों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों के तहत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों की उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों के तहत कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए प्रदान की गई निधि का ब्यौरा (2009-10 से 2012-13)

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	केवीके का नाम	गैर-सरकारी संगठनों के नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	बुरहानपुर	लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर सामाजिक राष्ट्रीय मिशन, बुरहानपुर	75.35	112.21	112.81	49.25
2.	इंदौर	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, इंदौर	50.25	104.27	74.68	79.00
3.	रायसेन	दीनदयाल कृषि एवं अनुसंधान समिति, सहारा होम्स, शिवाजी नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश)	40	79.3	68.56	52.00
4.	रत्लाम	शिक्षा समिति कालूखेड़ा, ग्राम व पोस्ट कालूखेड़ा, जाओरा, रत्लाम (म.प्र.)	47.85	83.66	78.26	73.75
5.	सतना	दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)	44.25	88.48	65.3	65.75
6.	सीहोर	केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण, अरविंद विहार, भोपाल (म.प्र.)	46.11	72.07	74.81	48.75
7.	विदिशा*	श्री मालवा महिला विकास समिति, विदिशा (म.प्र.)	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल गैर-सरकारी संगठन		303.81	539.99	474.42	368.50

*केवीके, विदिशा कार्य नहीं कर रहा क्योंकि यह एक न्यायाधीन मामला है।

विवरण-II

पिछले चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों के तहत कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा निष्पादित कार्य की उपलब्धियों का वर्षवार विवरण (2009-10 से 2012-13)

वर्ष	गैर-सरकारी संगठनों के तहत कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किए गए कार्य का विवरण					
	खेत परीक्षण की संख्या	अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की संख्या	विस्तार गतिविधियों की संख्या	विस्तार गतिविधियों के लाभार्थी
2009-10	85	1015	473	10213	1288	19966
2010-11	77	1189	495	11086	899	23187
2011-12	100	1044	526	12116	1631	28611
2012-13	247	1320	424	10127	2351	25754
कुल	509	4568	1918	43542	6169	97518

[अनुवाद]

आर एंड आर उप-समूह की रिपोर्ट

5534. श्री नरेनभाई काछादिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई और अधिक बढ़ाने के लिए मंजूरी पर विचार करने हेतु नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आरएंडआर) उप-समूह द्वारा लिए गए निर्णय पर महाराष्ट्र सरकार की, की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट की जांच/सत्यापन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विषय में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) से (घ) शिकायत निवारण प्राधिकरण, महाराष्ट्र ने दिनांक 8.8.2012 के अपने मत में राज्य में आरएंडआर कार्य के बारे में कतिपय कमियों का उल्लेख किया था। इसके पश्चात् महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 17.01.2013 के अपने पत्र के तहत इस मामले में कृत कार्रवाई (एटीआर) प्रस्तुत की। वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के लिए कृत कार्रवाई की जांच करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति को दिनांक 10 मई, 2013 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस मामले में उक्त समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् निर्णय लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अंतर्गत राजसहायता

5535. श्री सोनवणे प्रताप नारायण राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से बागवानी के लिए किसानों को जिस योजना के अंतर्गत राजसहायता प्रदान की जाती है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या राजसहायता के लिए पात्र होने के लिए किसानों को बैंकों से ऋण लेने का विकल्प चुनना अनिवार्य है;

(ग) क्या जब किसान बैंक वित्त के बिना फसल उगाने की व्यवस्था कर लेते हैं तो वे इस प्रोत्साहन से वंचित हो जाते हैं और क्या यह एक दोष है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीम के तहत बागवानी के लिए किसानों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राजसहायता की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) एनएचबी के अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार पार्श्वान्त राजसहायता हेतु बैंक से आवधिक ऋण आवश्यक है।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्कीम के तहत बागवानी हेतु किसानों द्वारा प्राप्त की गई राजसहायता की मुख्य विशेषताएं:

स्कीम-1

बागवानी फसलों की उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

घटकों का ब्यौरा और सहायता का पैटर्न

I. उत्पादन संबंधित घटक: निम्नलिखित घटकों सहित अत्याधुनिक व्यावसायिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण से जुड़ी परियोजनाएं इस घटक के तहत सहायता हेतु पात्र है:

(i) उच्च गुणवत्ता व्यावसायिक बागवानी फसल

(ii) देशी कपास/उत्पाद, हर्ब, मसाले

(iii) सुगंधी एवं औषधिय पादप

(iv) बीज एवं नर्सरी

(v) जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव-रसायन शास्त्र, जैव-विविधता एवं टिश्यू कल्चर

(vi) संरक्षित कृषि

(vii) जैव-कीटनाशी

(viii) जैविक उर्वरक, जैविक आहार जैव डायनामिक फार्मिक, वर्मी कम्पोस्ट

(ix) बागवानी स्वास्थ्य क्लिनिक/प्रयोगशाला की स्थापना

(x) हाइड्रोपोनिक्स, एयरोपोनिक्स

(xi) मधुमक्खीपालन एवं इसके उत्पाद

(xii) मशरूम एवं इसके उत्पाद

(xiii) नट्स एवं इसके उत्पाद

सहायता का प्रकार: सामान्य क्षेत्र में 25 लाख रुपए प्रति परियोजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों हेतु 30 लाख रुपए तक सीमित कुल परियोजना की 20 प्रतिशत की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता। तथापि संरक्षित खेती एवं डेट पाम, आलिव एवं केसर की ओपन एयर खेती के तहत पूंजी गहन एवं उच्च मूल्य फसल के लिए 50 लाख रुपए की सीमा के साथ परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर पर राजसहायता प्रदान की जाती है। (अनुसूचित एवं पहाड़ी क्षेत्रों हेतु 60 लाख रुपए की सीमा के साथ परियोजना लागत के 33 प्रतिशत की दर पर)

II. पीएचएम/प्राथमिक प्रसंस्करण संबंधित घटक: निम्नलिखित घटकों सहित ऋण से जुड़ी परियोजनाएं इस घटक के तहत सहायता हेतु पात्र है:

(i) वाशिंग, ड्राइंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, पैकिंग, पैलेटाइजिंग, फ्रीजिंग इकाइयां आदि

(ii) पूर्व शीतन इकाइयां/शीतन इकाइयां

(iii) रैफर वैन/कन्टेनर

(iv) विशेषीकृत परिवहन वाहन

(v) रिटेल आउटलेट

(vi) निलामी प्लेटफार्म

(vii) राइपनिंग/करिंग चैम्बर

(viii) मंडी यार्ड/रोप वे

(ix) गैर-विकिरण/वाष्प ताप उपचार ईकाई

(x) उत्पादों की प्राथमिक प्रसंस्करण (किण्वन, निष्कर्षन, आसवन, जूस बिक्री, गूदा निकालना, ड्रैसिंग, कटिंग, चोपिंग, निर्जलीकरण आदि)

(xi) प्राकृतिक रंग व डाई निष्कर्षन

(xii) बागवानी उत्पादों से सुगंधित तेल, इत्र व कॉस्मैटिक बनाना।

(xiii) बागवानी अवशिष्ट से उत्पाद बनाना।

(xiv) बागवानी संबंधित कृषि टूल व मशीनरी, उपकरण, प्लास्टिक कंटेनर, पैकेजिंग आदि का स्वदेशी विनिर्माण के प्रोत्साहन हेतु बागवानी गौण उद्योग।

(xv) गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली अपनाना (एचएसीसीपी, टीक्यूएम, आईएसओ, यूरो-जीएपी आदि।

(xvi) प्लास्टिक क्रेट व बिन, कार्टन, एसैप्टिक पैकेजिंग व नेट।

सहायता का पैटर्न: कुल परियोजना लागत की ऋण से जुड़ी 40 प्रतिशत पार्श्वान्त राजसहायता जो सामान्य क्षेत्र में 50 लाख प्रति परियोजना तक सीमित है और कुल परियोजना लागत की ऋण से जुड़ी 55 प्रतिशत राजसहायता जो पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 60.00 लाख रुपए तक सीमित है। प्लास्टिक क्रेट का सहायता पैटर्न कुल लागत का 50 प्रतिशत होगा।

स्कीम-2

बागवानी उत्पादों के निर्माण/विस्तार/शीत भंडार/भंडारण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम।

सहायता के घटकों व पैटर्न का विवरण

घटक: नियंत्रित वातावरण (सीए) व संवर्द्धित वातावरण (एमए) स्टोर, प्री-कूलिंग इकाइयों, प्याज आदि के लिए अन्य भंडारण, उनके आधुनिकीकरण सहित शीत भंडारों से संबंधित ऋण से जुड़ी परियोजनाएं इस घटक के तहत सहायता हेतु पात्र हैं।

सहायता का पैटर्न: 5000 एमटी प्रति परियोजना की अधिकतम भंडारण क्षमता हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत की 40 प्रतिशत सहायता ऋण से जुड़ी पार्श्वान्त राजसहायता के रूप में और पहाड़ी व अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 55 प्रतिशत सहायता के रूप में होगी।

भवनों का गिरना

5536. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में भवनों के गिरने के कारण अनेक मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इसमें कितने लोग मरे/घायल हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रभावित परिवारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त दुर्घटनाओं के दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में सिविक एजेंसियों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 के लिए दिल्ली में सूचित किए गए भवनों के गिरने के मामलों में मारे गए/घायल व्यक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मामलों की संख्या	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति
2010	03	73	65
2011	11	20	46
2012	11	14	39
2013 (15.04.2013 तक)	03	02	06

(ग) और (घ) ललिता पार्क में गिरे भवन के मामले में, सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी। इस संबंध में, सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम के तहत न्यायाधीश लोकेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में एकल व्यक्ति आयोग नियुक्त किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) प्रभावित परिवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है। उक्त दुर्घटनाओं हेतु दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2010	02
2011	12
2012	16
2013 (15.04.2013 तक)	02

(च) जब कभी किसी अनधिकृत निर्माण की सूचना मिलती है, तब संबंधित सिविक एजेंसी द्वारा इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[हिंदी]

खाद्यान्न जारी करना

5537. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए अपने गोदामों से बाजार में खाद्यान्न जारी करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा बाजार में कितना खाद्यान्न जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) रणनीतिक/बफर स्टॉक के रूप में कितने प्रतिशत खाद्यान्न का भंडारण किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त उपायों के परिणामस्वरूप मूल्यों में होने वाले संभावित गिरावट के संबंध में कोई आकलन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) खुदरा के अंतर्गत आबंटन के लिए झारखंड और तमिलनाडु सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	ओएमएसएस(डी) के अंतर्गत गेहूं के आबंटन के लिए अनुरोध	ओएमएसएस(डी) के अंतर्गत चावल के आबंटन के लिए अनुरोध
झारखंड	2000 टन	9000 टन
तमिलनाडु	0	75000 टन

खुला बाजार बिक्री योजना थोक और खुदरा स्कीम के तहत नवंबर, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए 70 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल आबंटित किया गया था। तथापि फिलहाल, खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत आबंटन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार बफर और रणनीतिक रिजर्व मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक की उपलब्धता का ब्यौरा निम्नवत् है:

(आंकड़े लाख टन में)

	दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल स्टॉक	दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार बफर मानदंड	दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार रणनीतिक रिजर्व मानदंड
गेहूं	242.07	40	30
चावल	354.68	122	20

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पशुधन बीमा योजना

5538. श्री कामेश्वर बैठा:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड तथा राजस्थान सहित पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत झारखंड तथा राजस्थान सहित राज्यवार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कुल 28 राज्य शामिल हैं जिसमें झारखंड और राजस्थान भी हैं।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सारणी: गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	214775	189744	97670	141825
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	0	0	200
3.	असम	10595	16733	17627	20635
4.	बिहार	690	1512	3000	500
5.	छत्तीसगढ़	2778	3117	3884	0
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	35877	66453	67018	7623
8.	हरियाणा	35426	33781	36076	61557
9.	हिमाचल प्रदेश	13435	10242	11995	10844
10.	जम्मू और कश्मीर	10707	3370	0	0
11.	झारखंड	156	1599	2201	932
12.	कर्नाटक	11080	60674	71894	0

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	20500	71894	68623	58736
14.	मध्य प्रदेश	19317	28453	16521	18532
15.	महाराष्ट्र	1376	11268	16461	12209
16.	मणिपुर	230	89	80	0
17.	मेघालय	734	958	103	90
18.	मिज़ोरम	38	24	9	922
19.	नागालैंड	2234	3027	2418	6577
20.	ओडिशा	36079	12513	21899	35820
21.	पंजाब	1032	5326	21436	7385
22.	राजस्थान	8928	15324	19296	14310
23.	सिक्किम	1386	1437	565	245
24.	तमिलनाडु	71720	74071	77962	63699
25.	त्रिपुरा	461	1951	1644	184
26.	उत्तराखंड	1483	3154	2895	2183
27.	उत्तर प्रदेश	7146	23714	9523	21653
28.	पश्चिम बंगाल	15960	11941	24266	13271
	कुल	524202	652369	595066	499932

[अनुवाद]

भारत में समाचार पत्रों के पंजीयक

5539. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञापन प्रशुल्क में वृद्धि करने, कस्टमाइजिंग एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर एडवर्टिजमेंट फ्लेक्सिब्ल भाषा तथा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संरक्षण तथा रियायती दरों पर न्यूजप्रिंट की आपूर्ति आदि के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस समय रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर फॉर इंडिया के पास राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा भाषा-वार कुल कितने बड़े, मध्यम तथा छोटे समाचार पत्र पंजीकृत हैं;

(ग) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने पंजीकृत समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में आरएनआई के शाखा कार्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के लिए समाचारपत्रों की विज्ञापन दरें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई दर ढांचा समिति द्वारा सभी निविष्ट दरों और युक्तिसंगत लाभ अधिशेष को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। छोटे और मझले समाचारपत्रों को बड़े समाचारपत्रों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। तथापि, भाषा विशिष्ट के आधार पर महत्व प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं है। ये दरें सभी भाषाओं पर लागू होती हैं जो केवल समाचारपत्र के प्रचार पर निर्भर हैं। समाचारपत्रों को पैनल में शामिल किए जाने हेतु पात्रता मानदंड भारत सरकार की विज्ञापन नीति में विनिर्धारित हैं। विनिर्धारित मानदंडों में छोटे और मझले समाचारपत्रों एवं जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से प्रकाशित समाचारपत्रों एवं उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, संस्कृत, सिंधी, और जनजातीय भाषाओं, जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित किया जाए, जैसी भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों को अधिक महत्व दिया गया है। प्रदर्शन विज्ञापनों के लिए विज्ञापन बजट में नीति यह विनिर्धारित करती है कि 35% खर्च हिंदी पर एवं 35% खर्च क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाओं एवं 30% खर्च अंग्रेजी भाषा पर किया जाएगा। इस तरह नीति में क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्रों को प्रोत्साहित किया गया है।

न्यूजप्रिंट के संबंध में, भारतीय समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूज़प्रिंट नीति के अनुसार पंजीकृत समाचारपत्रों/आवधिकियों को अपने प्रकाशनों के मुद्रण हेतु मुक्त सामान्य लाइसेंस (प्रतिबंधित) के अंतर्गत मानक और ग्लेज़ किए हुए न्यूज़प्रिंट आयात करने हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करता है।

(ख) और (ग) आरएनआई बड़े, मझले और छोटे समाचार पत्रों के रूप में पंजीकरण नहीं करता है। तथापि, आरएनआई द्वारा देशभर में पंजीकृत समाचारपत्रों की संख्या 31.03.2013 तक 94,175 थी। पंजीकृत समाचारपत्रों की राज्य-वार/संघ राज्य-वार और भाषा-वार संख्या संबंधी ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में विभिन्न राज्यों में आरएनआई के शाखा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

पंजीकृत समाचारपत्रों की (भाषा-वार) सूची

भाषा	कुल
असमिया	327
बंगाली	3712
बोडो	18
डोगरी	7
अंग्रेजी	12648
गुजराती	4047
हिंदी	37954
कन्नड़	3889
कश्मीरी	4
कोंकणी	24
मैथिली	31
मलयालम	2320
मणिपुरी	58
मराठी	6566
नेपाली	158
ओडिशा	1333
पंजाबी	1183
संथाली	16
संस्कृत	82
सिंधी	125
तमिल	3709

विवरण-II

पंजीकृत समाचारपत्रों की (राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार) सूची

1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80
आंध्र प्रदेश	5582
अरुणाचल प्रदेश	21
असम	635
बिहार	1747
चंडीगढ़	505
छत्तीसगढ़	1113
दादरा और नगर हवेली	18
दमन और दीव	11
दिल्ली	11428
गोवा	124
गुजरात	4374
हरियाणा	1554
हिमाचल प्रदेश	285
जम्मू और कश्मीर	879
झारखंड	356
कर्नाटक	5176
केरल	2945
लक्षद्वीप	7
मध्य प्रदेश	7685
महाराष्ट्र	12478
मिज़ोरम	173
नागालैंड	22
ओडिशा	1725
पुदुचेरी	132
पंजाब	1713
राजस्थान	5438
सिक्किम	104
तमिलनाडु	5254
त्रिपुरा	141
उत्तर प्रदेश	14354
उत्तराखंड	2874
पश्चिम बंगाल	4983
कुल	94175

[हिंदी]

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

5540. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने सघन डेयरी विकास कार्यक्रम योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011-12 में रामपुर, राजनन्द गांव, महासमुंद और धमतरी नामक जिलों को कवर करते हुए 1031.61 लाख रुपए के परिव्यय के एक डेयरी विकास परियोजना का अनुमोदन किया है। उपरोक्त परियोजना का एक पूरा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो वर्ष 2012-13 के दौरान इन जिलों के अतिरिक्त परियोजना क्रियाकलाप के लिए 168.00 लाख रुपए विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी

5541. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेजी से विकसित हो रही आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना और प्रसारण उद्योग के विकास की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों की तुलना में आगामी वर्षों में इस नए संदर्भ में विकास दर का आकलन क्या है;

(घ) क्या इस विकास से आम आदमी भी लाभान्वित होगा; और

(ङ) यदि हां, तो लाभों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें आर्थिक लाभ का हिस्सा कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन अपने उपलब्ध संसाधनों के भीतर यथा संभव आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाता रहा है। 11वीं योजना में मुख्यत: मौजूदा स्टूडियो के डिजिटलीकरण, डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना, एचडीटीवी संबंधी सुविधाओं की स्थापना तथा पुराने स्टूडियो, ट्रांसमीटर एवं उपग्रह प्रसारण उपस्करों के प्रतिस्थापन व आवर्धन पर बल देते हुए तत्संबंधी कार्य शुरू किया गया। 12वीं योजना में स्थलीय ट्रांसमीटरों के डिजिटलीकरण, एचडीटीवी के विस्तार, दूरदर्शन के डीटीएच के विस्तार तथा दूरदर्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, कार्यक्रम-निर्माण, ट्रांसमिशन, अभिलेखागार एवं सूचना-प्रसार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां अब कंप्यूटरों, संचार व सूचना के क्षेत्र में अभिसारिता के साथ उपलब्ध हैं। आकाशवाणी ने 11वीं योजना में अपने अभिलेखागारों के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के अतिरिक्त अपने स्टूडियों तथा मीडियम वेव एवं शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण पहले ही शुरू कर दिया है। 908.12 करोड़ रुपए की राशि के साथ "आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण" तथा "सुविधाओं में सुधार" नामक स्कीमें अनुमोदित/संस्वीकृत की गईं और इन स्कीमों के अंतर्गत देश में एफएम नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त 207 आकाशवाणी केंद्रों को आधुनिकीकृत/डिजिटलीकृत किया जा रहा है। इन स्कीमों के वर्ष 2014-15 में पूरे हो जाने की आशा है। शेष सुविधाओं के डिजिटलीकरण/आधुनिकीकरण हेतु 12वीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई हैं।

आगामी वर्षों में वही विकास दर बने रहने की संभावना है जो गत तीन वर्षों के दौरान थी।

जन-सामान्य को मिलने वाले लाभों का कुछ ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) देश में हुए एफएम विस्तार से जन-सामान्य आसानी से उपलब्ध सस्ते अभिग्राहक सेटों व मोबाइल फोनों पर एफएम कार्यक्रमों को प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।

(ii) इंटरनेट के माध्यम से आसानी से सुलभ कराए जाने हेतु वेबसाइट पर आकाशवाणी के कुछ चैनलों का लाइव आडियो स्ट्रीम भी मुहैया कराया गया है।

(iii) आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल डीडी डायरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफॉर्म (कू बैंड) के जरिए उपलब्ध हैं। देश के किसी भी भाग में लोग विभिन्न भाषाओं में इन कार्यक्रमों को एक सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं।

(iv) विभिन्न भाषाओं व शैलियों में श्रोताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एचडी चैनलों सहित बड़ी संख्या में टीवी चैनलों के जरिए मनोरंजन का बहुल-स्रोत मुहैया कराया गया है।

(v) प्रसारण क्षेत्र के विकास से बड़ी तादाद में भारतीयों, विशेषकर युवाओं के लिए आय व रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है।

[हिंदी]

पशु रोग

5542. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक केन्द्र सरकार को राज्यों से पशु रोगों की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने के कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है और इस संबंध में कितनी धनराशि जारी की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग)

विभिन्न पशुरोगों के निवारण, नियंत्रण और संशोधन जिसमें किफायती गौपशु रोग भी शामिल हैं, के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों के संपूरण हेतु, विभाग पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता मुंहपका और खुरपका नियंत्रण कार्यक्रम और ब्रूसेलूयोसिस के संबंध में राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में एलएचएंडडीपी योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत पशुरोगों के निवारण, नियंत्रण और संशोधन पशु रोगों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुंहपका और खुरपका नियंत्रण कार्यक्रम 221 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि चुनिंदा राज्यों में मुंहपका और खुरपका निवारण, नियंत्रण और संशोधन किया जा सके। एएससीएडी के अंतर्गत, किफायती महत्वपूर्ण रोग नियंत्रण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं इनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

एलएचएंडडीसी योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों की योजना मार्गनिर्देशों के अंतर्गत प्रस्तावों की पात्रता के अनुसार कार्रवाई की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्यों को जारी की गई निधियों संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को जारी की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2010-11 जारी	वर्ष 2011-12 जारी	वर्ष 2012-13 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	200.00
2.	बिहार	926.00	400.00	990.53
3.	छत्तीसगढ़	625.00	500.00	500.00
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	563.70	0.00	350.00
6.	हरियाणा	387.69	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	144.88	147.73	300.00
8.	जम्मू और कश्मीर	150.00	0.00	250.00
9.	झारखंड	150.00	100.00	50.93
10.	कर्नाटक	999.59	0.00	600.00
11.	केरल	250.00	100.00	200.00
12.	मध्य प्रदेश	275.00	900.00	851.38
13.	महाराष्ट्र	500.00	260.00	200.00

1	2	3	4	5
14.	ओडिशा	0.00	600.00	300.00
15.	पंजाब	226.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	150.00	187.75	100.00
17.	तमिलनाडु	0.00	175.00	350.00
18.	उत्तर प्रदेश	1000.00	700.00	1155.95
19.	उत्तराखंड	50.00	100.00	113.17
20.	पश्चिम बंगाल	1173.01	0.00	700.00
	3601	7570.87	4170.48	7211.96
21.	अरुणाचल प्रदेश	94.14	100.00	150.00
22.	असम	0.00	0.00	400.00
23.	मणिपुर	0.00	150.00	0.00
24.	मेघालय	0.00	100.00	0.00
25.	मिज़ोरम	50.00	75.00	100.00
26.	नागालैंड	100.00	175.00	125.00
27.	सिक्किम	25.00	40.00	0.00
28.	त्रिपुरा	286.00	0.00	250.00
	2552	555.14	640.00	1025.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	20.00	0.00	10.00
	3602	20.00	0.00	10.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.00	0.00	0.00
32.	चंडीगढ़	4.00	4.00	6.00
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	8.27	0.00
34.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
	2403	14.00	12.27	6.00
	जोड़	8160.01	4822.75	8252.96

राष्ट्रीय पशुरोग उन्मूलन के अंतर्गत वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य को जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2010-11 जारी	वर्ष 2011-12 जारी	वर्ष 2012-13 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	20.00	35.00
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	15.00
4.	गोवा	5.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	16.00	30.00	0.00
6.	हरियाणा	10.00	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	8.00	10.00
8.	जम्मू और कश्मीर	20.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	10.00	11.50	10.00
10.	कर्नाटक	15.00	0.00	10.00
11.	केरल	20.00	20.50	25.00
12.	मध्य प्रदेश	43.00	40.00	20.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	20.00	23.50
14.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	6.00	15.00	0.00
16.	राजस्थान	0.00	14.00	10.00
17.	तमिलनाडु	15.00	16.00	15.00
18.	उत्तर प्रदेश	20.00	25.00	24.84
19.	उत्तराखंड	8.00	0.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	15.00	30.00	0.00
	3601	203.00	250.00	198.34

1	2	3	4	5
21.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	16.00	12.00
22.	असम	15.00	15.00	0.00
23.	मणिपुर	10.00	0.00	0.00
24.	मेघालय	10.00	13.00	0.00
25.	मिज़ोरम	10.00	0.00	0.00
26.	नागालैंड	10.00	16.00	0.00
27.	सिक्किम	10.00	10.00	0.00
28.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
	2552	80.00	70.00	12.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
	3602	0.00	0.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.00	0.00	5.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
	2403	5.00	0.00	5.00
	कुल	288.00	320.00	215.34

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को गत तीन वर्षों के दौरान मौजूदा पशुचिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत जारी की गई निधि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,420.00	0.00	0.00
2.	असम	872.00	978.00	0.00

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	85.40		0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	75.75
5.	हरियाणा	200.00	382.38	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	367.50	365.49	0.00
7.	कर्नाटक	414.38	414.38	751.00
8.	केरल	768.75	768.75	0.00
9.	महाराष्ट्र	1,000.00	0	600.00
10.	पंजाब	400.00	780.00	0.00
11.	त्रिपुरा	100.00	0.00	147.05
12.	उत्तर प्रदेश	534.38	0.00	225.00
13.	पश्चिम बंगाल	700.00	0.00	0.00
14.	मिज़ोरम	233.33	233.33	108.00
15.	उत्तराखंड	266.77	0.00	0.00
16.	तमिलनाडु	671.84	0.00	1,242.00
17.	लक्षद्वीप	20.10	0.00	51.61
18.	चंडीगढ़	9.90	9.90	9.90
19.	झारखंड	1,211.03	0.00	0.00
20.	ओडिशा	154.14	0.00	0.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	297.00	232.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	1,037.44	0.00
23.	सिक्किम	0.00	143.64	120.00
24.	बिहार	0.00	1,282.58	0.00
25.	छत्तीसगढ़	0.00	595.58	162.50
26.	नागालैंड	0.00	158.40	253.80
27.	मणिपुर	0.00	428.63	0.00

1	2	3	4	5
28.	पुदुचेरी	0.00	30.00	0.00
29.	मध्य प्रदेश	0.00	1,391.25	1,389.75
30.	जम्मू और कश्मीर	0.00	649.64	0.00
31.	दिल्ली	0.00	0.00	40.00
	कुल	9,726.50	9,881.36	5,176.36

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को गत तीन वर्षों के दौरान खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13
1.	आंध्र प्रदेश	173.50	0.00	457.50
2.	गोवा	8.50	0.00	0.00
3.	गुजरात	215.00	417.50	414.67
4.	हरियाणा	158.50	60.00	0.00
5.	कर्नाटक	333.05	590.00	378.49
6.	केरल	130.00	133.60	122.41
7.	महाराष्ट्र	335.00	566.00	637.00
8.	पंजाब	147.00	99.47	80.00
9.	तमिलनाडु	257.00	364.60	672.89
10.	उत्तर प्रदेश	141.45	230.00	222.04
11.	दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र राजधानी	0.00	0.00	0.00
12.	पुदुचेरी	4.00	8.00	0.00
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.00	0.00	1.50
14.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
15.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
16.	लक्षद्वीप	1.00	0.00	1.00
	कुल	1906.00	2469.17	2987.50

ब्रूसे कोलिसिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गत वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य को जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2010-11 जारी	वर्ष 2011-12 जारी	वर्ष 2012-13 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	89.90	0.00	180.00
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
4.	गोवा	0.00	6.14	0.00
5.	गुजरात	130.70	0.00	0.00
6.	हरियाणा	22.75	0.00	150.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	24.65	0.00
9.	झारखंड	23.42	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	84.87	91.70
11.	केरल	40.82	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	33.50	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	614.70	0.00
14.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	98.10	0.00	0.00
16.	राजस्थान	0.00	0.00	90.40
17.	तमिलनाडु	92.00	0.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	262.22	0.00	0.00
19.	उत्तराखंड	0.00	0.00	16.02
20.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
	3601	760.00	763.86	528.12
21.	अरुणाचल प्रदेश	48.05	0.00	26.35
22.	असम	0.00	338.30	0.00

1	2	3	4	5
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
24.	मेघालय	0.00	18.70	0.00
25.	मिज़ोरम	11.46	0.00	0.00
26.	नागालैंड	0.00	41.18	38.10
27.	सिक्किम	0.00	0.00	8.55
28.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
	2552	59.5084	398.18	73.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	0.00	5.00	0.00
	3602	0.00	5.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
	2403	0.00	0.00	0.00
	कुल	819.51	1167.04	601.12

राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएडीआरएस) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी निधि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2010-11 जारी	वर्ष 2011-12 जारी	वर्ष 2012-13 जारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5.00	0.00	0.00
2.	बिहार	5.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	5.00	0.00	0.00
4.	गोवा	5.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	5.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	5.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	5.00	0.00	3.15
8.	जम्मू और कश्मीर	5.00	0.00	3.15
9.	झारखंड	5.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	5.00	0.00	3.15
11.	केरल	5.00	0.00	3.15
12.	मध्य प्रदेश	5.00	0.00	3.15
13.	महाराष्ट्र	5.00	0.00	0.00
14.	ओडिशा	5.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	5.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	5.00	0.00	3.15
17.	तमिलनाडु	5.00	0.00	3.15
18.	उत्तर प्रदेश	5.00	0.00	3.15
19.	उत्तराखंड	5.00	0.00	3.15
20.	पश्चिम बंगाल	5.00	0.00	0.00
	3601	100.00	0.00	28.35
21.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	2.15	0.00
22.	असम	4.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	4.00	0.00	0.00
24.	मेघालय	4.00	2.15	0.00
25.	मिज़ोरम	4.00	2.15	0.00
26.	नागालैंड	4.00	2.15	0.00
27.	सिक्किम	4.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	4.00	0.00	0.00
	2552	32.00	8.60	0.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2.50	0.00	0.00

1	2	3	4	5
30.	पुदुचेरी	2.50	0.00	0.00
	3602	5.00	0.00	0.00
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
	2403	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय आसूचना केंद्र	0.00	8.60	28.35
	कुल	137.00	8.60	28.35

धन की जबरन वसूली

5543. श्री अंजनकुमार एम. यादवः
श्री चंद्रकांत खैरेः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों में असामाजिक तत्वों, माफियाओं तथा नक्सलियों द्वारा व्यापारियों/उद्योगपतियों से जबरन धन वसूल करने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामलों का पता चला है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान दोषियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी की गई सलाहों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) अनेक राज्यों में असामाजिक तत्वों, माफिया और नक्सलियों द्वारा व्यापारियों और उद्योगपतियों से जबरन धन वसूली की रिपोर्टों से संबंधित ब्यौरों के आंकड़ों का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

(ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित कार्रवाई मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। जब कभी ऐसी घटनाओं की सूचना राज्य सरकारों को मिलती है, तब संबंधित राज्य सरकारें कानूनी कार्रवाई शुरू करती है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सातवीं रिपोर्ट में राज्य पुलिस/राज्य सरकारों द्वारा विशेष जबरन वसूली-विरोधी और धन शोधन रोधी (एंटी मनी लांड्रिंग) सेल स्थापित करने की सिफारिश की गई थी।

चीन के नागरिकों की घुसपैठ

5544. श्री राजेन्द्र अग्रवालः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अवैध घुसपैठ करने के लिए चीन के कुछ नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवैध घुसपैठ के पीछे क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। कुछेक चीनी/तिब्बती नागरिकों को भारत में अवैध घुसपैठ के लिए गिरफ्तार किया गया है। पिछले तीन वर्षों

के दौरान भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों का उनकी अवैध घुसपैठ के पीछे छिपे उद्देश्यों और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	राष्ट्र	उद्देश्य	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	चेंग हैंग शेंग	चीनी पीएलए व्यक्ति	चिकित्सा संबंधी जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए	दिनांक 15.01.2010 को बूमला में चीनी पीएलए प्राधिकारियों को सौंप दिया गया।
2.	(i) नीमा शेरिंग (ii) सोनम दोरजी (iii) ताशी दोरजी	चीनी राष्ट्रिक	चिकित्सा संबंधी जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए	दिनांक 26 जुलाई, 2010 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में तवांग सेक्टर (अरुणाचल प्रदेश) के लुंगार क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए थे। सभी तीनों घुसपैठियों को 11 अगस्त, 2010 को बूमला सीमा चौकी से चीनी प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था।
3.	(i) सेमिगंलूम बेलाई (ii) लीशुंग हुआ	चीनी राष्ट्रिक	चिकित्सा संबंधी जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए	सेना-गश्त द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। दिनांक 10.09.2010 को सीमा कार्मिकों की बैठक के दौरान दोनों संदिग्धों को बाढीकांग चौकी से चीनी प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था।
4.	रेकंजिंग फुंट्सो	चीनी/तिब्बती	जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए	दिनांक 04.07.2011 को बूमला में भारतीय सेना द्वारा चीनी सेना को सौंपा गया।
5.	डांडुप शेरिंग	तिब्बती	दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए	दिनांक 21.9.2011 को गुयोरिया, जिला अलांग में वापस भेज दिया गया।
6.	सुश्री सूमी लहमो	तिब्बती	दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए	दिनांक 21.9.2011 को गुयोरिया, जिला अलांग में वापस भेज दिया गया।
7.	वांगचुक	तिब्बती	दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए	दिनांक 21.9.2011 को गुयोरिया, जिला अलांग में वापस भेज दिया गया।
8.	ताशी शेरिंग	तिब्बती	दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए	दिनांक 21.9.2011 को गुयोरिया, जिला अलांग में वापस भेज दिया गया।

1	2	3	4	5
9.	शेरिंग डेंड्र	तिब्बती	अपने रिश्तेदारों/दलाई लामा से मुलाकात करने हेतु	सेना द्वारा दिनांक 20.8.11 को वापस भेजा गया।
10.	फूचुंग फारी	तिब्बती	चिकित्सीय जड़ी बूटी, यारचा–गुम्बों की खोज के लिए	सेना द्वारा 08.08.2011 को चीनी प्राधिकारियों को सौंपा दिया गया।
11.	दावा फारी	तिब्बती	चिकित्सीय जड़ी बूटी, यारचा–गुम्बों की खोज के लिए	सेना द्वारा 08.08.2011 को चीनी प्राधिकारियों को सौंपा दिया गया।
12.	चेन के हांग	चीनी/तिब्बती	दलाई लामा से मुलाकात करने हेतु	दिनांक 3.5.12 को फ्लैग मीटिंग के दौरान बूमला में चीनी प्रतिनिधिमंडल को सौंप दिया गया।
13.	नवांग दोरजी	चीनी/तिब्बती	चिकित्सीय जुड़ी-बूटियों के संग्रहण हेतु	दिनांक 4.5.12 के आसूचना ब्यूरो के पत्र सं. 691 के तहत भारतीय सेना द्वारा वापस भेज दिया गया।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस संगठनों द्वारा वर्ष 2013 के दौरान किसी भी गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

आसूचना ब्यूरो में भर्ती

5545. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसूचना ब्यूरो द्वारा खर्च 2009 के बाद से प्रत्येक वर्ष कितने कार्मिकों को हायर किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आसूचना ब्यूरो ने कितने लोगों को प्रशिक्षित किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आसूचना ब्यूरो में जनशक्ति में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार के पास आसूचना ब्यूरो की सेवाओं में आतंकवाद, राजनीतिक तथा जातीय समस्याओं से प्रभावित क्षेत्रों से कार्मिकों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कार्मिकों की भर्ती कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) वर्ष 2008-09 के बाद से आईबी द्वारा हायर किए गए कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:

2008-09	1330
2009-10	1434
2010-11	1242
2011-12	2112
2012-13	1103

(ख) उक्त अवधि के दौरान आईबी द्वारा प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	आईबी द्वारा प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या
2009	3224
2010	4134
2011	5470
2012	4970
2013 (23.04.2013 तक)	1433

(ग) उक्त अवधि के दौरान आईबी में मैनपावर की वार्षिक प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:

अवधि	आईबी में मैनपावर	प्रतिशत वृद्धि
2009	15296	-
2010	15818	3.41%
2011	16997	7.45%
2012	18429	8.42%

(घ) और (ङ) सुरक्षा सहायक/एक्ज़ीक्यूटिव को छोड़कर आईबी में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। वर्तमान में किसी प्रकार की विशेष क्षेत्रीय भर्ती का प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण भारत की परंपरागत कला शैलियों का संरक्षण

5546. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत की परंपरागत कला शैलियों को संरक्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश सहित इस दिशा में अब तक राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित केंद्र सरकार/राज्यों को उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित/जारी/खर्च की गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (ग) भारत ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है।

आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, मुख्यालय नागपुर और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, मुख्यालय तंजाऊर का सदस्य राज्य है। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप और कार्यक्रमों को आयोजित करके अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से लागू करते रहे हैं:

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
2. गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम
3. युवा प्रतिभावान कलाकार स्कीम
4. लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन
5. रंगमंच नवीकरण स्कीम
6. शिल्पग्राम कार्यकलाप
7. लोकतरंग-राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव तथा पूर्वोत्तर भारत का उत्सव - ऑक्टेव

(घ) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के लिए निधियों राज्य-वार जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजाऊर के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्षेत्र	वर्ष		
	2010-11	2011-12	2012-13
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर	307.95	426.67	489.37
दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजाऊर	198.57	176.03	95.04

इंटेलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम

5547. डॉ. एन. शिवप्रसादः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में अत्याधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान यातायात में हुई अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए इंटेलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम (आईटीएस) शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा आईटीएस के कार्यान्वयन में दिल्ली पुलिस की आयोजना और कर्मनिष्ठता के अभाव की ओर इशारा करने वाली रिपोर्टें मिली हैं जिसके परिणामस्वरूप परियोजना कार्यान्वित नहीं हो पाई तथा 7.50 करोड़ रुपए का बेकार व्यय हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या जिम्मेदारी तय की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अभी इंटेलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया जाना शेष है। तथापि, इस परियोजना के लिए कंसलटेंट के रूप में मेसर्स राइट्स की नियुक्ति की गई थी। इंटेलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम (आईओएस) की आपूर्ति, स्थापना, उसे चालू करने एवं उसका रख-रखाव करने के लिए टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन कुछेक कमियों के कारण उसे रद्द कर दिया गया।

यातायात प्रबंधन एवं नियंत्रण स्टेशन, एकीकृत आसूचना सुरक्षा निगरानी प्रणाली का एक समग्र हिस्सा है जिसके लिए मेसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्रा.लि. (पीडब्ल्यूसी) नामक एक कंसलटेंट की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।

कुकुन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

5548. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोया किसानों के संरक्षण के लिए कोया हेतु समर्थन मूल्य प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की अब तक क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) बाजार में मलबेरी कोया की कम बिक्री के समय सेरीकल्चर किसानों को मूल्य समर्थन प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं गुजरात राज्यों से अनुरोध पत्र प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों की जांच कपड़ा मंत्रालय में की गई थी। छोटे आकार के बाजार को ध्यान में रखते हुए, एक विस्तृत योजना को तैयार करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया था जिसमें योजना के संचालन की क्रियान्वयन बहुलता को दर्शाया गया है ताकि रीलरों के कार्टलाइजेशन तथा एक जैसे कोया के रीसाईक्लिंग को दूर किया जा सके और लागत के कुछ हिस्से को वहन करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया जा सके। तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सीबीएफसी द्वारा सिनेमा हॉलों का उपयोग

5549. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन हेतु फिल्में देखने के लिए किराए के आधार पर निजी सिनेमा हॉलों का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रयोजनार्थ फिल्में देखने के लिए अपने स्वयं के कार्यालय/अन्य सरकारी कार्यालयों का उपयोग नहीं करती है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार/सीबीएफसी की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अपना पैसा बचाने के लिए उक्त प्रयोजनार्थ स्वयं के कार्यालय की व्यवस्था करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को छोड़कर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के क्षेत्रीय कार्यालय सैलूलॉयड फिल्मों के फिल्मांकन हेतु प्राइवेट सिनेमा हॉलों का प्रयोग करते हैं। तथापि, वीडियो फिल्मों का फिल्मांकन सीबीएफसी के कार्यालयों में किया जाता है।

(ख और (ग) सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में सैलूलॉयड फिल्मों के लिए फिल्मांकन-सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण प्राइवेट सिनेमा हॉलों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय, सीबीएफसी, कोलकाता के पास अपनी स्वयं की फिल्मांकन सुविधा है।

(घ) और (च) 12वीं पंचवर्षीय योजना में सीबीएफसी, मुंबई तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली के अधिष्ठापन हेतु प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय संप्रतीक का दुरुपयोग

5550. श्री मानिक टैगोर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबंधों का उल्लंघन करके अपने लेटरहेडों पर राष्ट्रीय संप्रतीक का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता मामले विभाग में ऐसे कोई भी मामले प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

पीडीएस को आधार से जोड़ना

5551. श्री राजू शेट्टी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को आधार डाटाबेस/कार्डों से जोड़ने तथा इसके आधार पर नकद अंतरण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ उत्पन्न होने की संभावना है। और इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण की योजना स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने लाभभोगियों के डाटाबेस डिजिटीकृत करना अपेक्षित है। इस प्रक्रिया में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जहां कहीं उपलब्ध हो, लाभभोगियों के डिजिटीकृत डाटाबेस में आधार संख्या को समाहित करने का अनुरोध किया गया है। विभाग ने सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा तैयार किए गए राशन कार्ड कैप्चर फार्म/डाटा डिक्शनरी भी जारी की है। इन डाटा मानकों में राशन कार्ड डाटाबेस में आधार संख्या को समाहित करने का प्रावधान है।

इसके अलावा, विभाग द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 'आधार' नामांकन के भाग के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पंजीयकों द्वारा शुरू की गई आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी सूचना को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभभोगियों को सीधे नकद राशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) राशन कार्डों/लाभभोगियों के डाटाबेस को 'आधार' संख्या से जोड़ने से डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया के दौरान जाली/अपात्र राशन कार्डों को हटाए जाने की संभावना है। इसके अलावा उचित दर दुकान के स्तर पर 'आधार' आधारित अधिप्रमाणन के उपयोग से लाभभोगियों की समुचित पहचान तथा केवल आशयित लाभभोगियों को खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा जिससे लीकेज/ विपथन आदि कम होगा।

योजना आयोग के घटक-1 में राशन कार्डों/लाभभोगियों तथा अन्य डाटाबेसों का डिजिटीकरण, आपूर्ति-शृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल तथा शिकायत निवारण तंत्र का गठन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से राशन कार्डों/लाभभोगियों के डाटाबेस के कंप्यूटरीकरण का कार्य मार्च, 2013 तक तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कार्य अक्टूबर, 2013 तक पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण क्रियाकलाप करने संबंधी मानदंड

5552. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण क्रियाकलाप करने के लिए कोई मानक/मानदंड बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण क्रियाकलाप करने संबंधी प्रतिबंध में छूट दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में महाबलीपुरम में अनेक संरक्षित स्मारक हैं तथा उक्त प्रतिबंध के कारण कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा महाबलीपुरम तथा इसके आस-पास इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र (संरक्षित सीमा से 100 मीटर के दायरे में) के अंदर स्थित भवनों अथवा संरचनाओं की मरम्मत अथवा नवीकरण और विनियमित क्षेत्र (प्रतिबंधित क्षेत्र से आगे 200 मीटर) स्थित किसी भवन अथवा ढांचे के निर्माण अथवा पुनर्निमाण या मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) जी, हां। जहां तक निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध का संबंध है, इच्छुक व्यक्ति संरक्षित स्मारकों के विनियमित क्षेत्र में ऐसे कार्यकलाप सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में भी मौजूद भवनों में मरम्मत अथवा नवीकरण का कार्य सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कर सकते हैं। सरकार ने सिर्फ स्मारकों की संरक्षित सीमा से 300 मीटर के अंदर के क्षेत्र में ही निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है और इसलिए इच्छुक व्यक्ति अन्य लागू कानूनों के अध्यधीन स्मारक के 300 मीटर से आगे ऐसे कार्यकलाप करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विरासत के संरक्षण के लिए संयुक्त उद्यम

5553. श्री के. सुगुमार: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देश में विरासत के संरक्षण के लिए कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त पहल से देश के जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले कुछ स्मारकों के संरक्षण में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नवरत्न कंपनियों पर धारावाहिक

5554. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कंपनियों की सहायता से अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नवरत्न एवं सेमी नवरत्न कंपनियों पर 25 मिनट का धारावाहिक बनाने/प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या उद्देश्य है; और

(ग) यह टेलीविजन धारावाहिक कब तक प्रसारित होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ग) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सूचित किया है कि विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) के अच्छे कार्य-निष्पादन को प्रदर्शित किए जाने की बाबत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) से टीवी धारावाहिकों/फिल्मों का निर्माण करवाने की बात पर विचार किया था। हालांकि, इस प्रस्ताव को मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका है।

कृषि के अंतर्गत क्षेत्र

5555. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में हुई वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (घ) देश में कुछ कृषि क्षेत्र लगभग अवरोधित है। राज्यवार कुल कृषि क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत सरकार कृषि क्षेत्र के लक्ष्य निर्धारित नहीं करती बल्कि फसल उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करती है। भारत सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए विभिन्न फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11 तक % वृद्धि/कमी	
				2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	13492	13352	13415	-0.6	0.5
अरुणाचल प्रदेश	251	252	253	0.8	0.3
असम	2889	2889	2889	0.0	0.0
बिहार	6209	6189	6179	-0.5	-0.2
छत्तीसगढ़	4975	4956	4949	-0.5	-0.1
गोवा	144	144	144	0.0	0.0
गुजरात	10681	10681	10681	0.0	0.0
हरियाणा	3681	3684	3640	-1.1	-1.2
हिमाचल प्रदेश	599	599	599	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	803	819	833	3.7	1.7
झारखंड	2898	2814	2814	-2.9	0.0
कर्नाटक	11673	11705	11722	0.4	0.1
केरल	2157	2156	2148	-0.4	-0.4
मध्य प्रदेश	15523	15519	15623	0.6	0.7
महाराष्ट्र	18795	18773	18772	-0.1	0.0
मणिपुर	237	234	348	47.3	49.1
मेघालय	343	341	342	-0.3	0.2
मिज़ोरम	155	189	197	26.9	4.2

1	2	3	4	5	6
नागालैंड	389	420	417	7.1	-0.7
ओडिशा	6180	5620	5559	-10.0	-1.1
पंजाब	4207	4195	4191	-0.4	-0.1
राजस्थान	19117	19030	19584	2.4	2.9
सिक्किम	82	82	82	0.0	0.0
तमिलनाडु	6056	6009	5969	-1.4	-0.7
त्रिपुरा	258	258	258	-0.2	0.0
उत्तराखंड	789	773	766	-2.8	-0.9
उत्तर प्रदेश	17825	17821	17808	-0.1	-0.1
पश्चिम बंगाल	5581	5579	5565	-0.3	-0.2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	17	17	0.4	0.0
चंडीगढ़	1	1	1	0.0	0.0
दादरा और नगर हवेली	22	22	20	-11.4	-11.4
दमन और दीव	3	3	3	0.0	0.0
दिल्ली	35	34	34	-2.3	-0.6
लक्षद्वीप	3	3	3	0.0	0.0
पुदुचेरी	22	22	22	-2.0	-1.0
अखिल भारत	156092	155185	155847	-0.2	0.4

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी, कृषि मंत्रालय

दूरदर्शन द्वारा टेलीविजन रेटिंग

5556. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने दूरदर्शन (डीडी) को ग्रामीण जनसंख्या के लिए ऑडिएन्स रिसर्च यूनिटों के माध्यम से नियमित रूप से दूरदर्शन ऑडिएन्स रिसर्च टेलीविजन रेटिंग्स (डीएआरटी) कराने के लिए सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीडी वैसे कार्यक्रम बनाने में सक्षम रहा है जो टीआरपी स्केल पर उच्चतर अंक हासिल करने के योग्य हों;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या प्रसार भारती/दूरदर्शन व ग्रामीण क्षेत्रों में दर्शकों के लिए विशेष टेलीविजन कार्यक्रम/विषय-वस्तु पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) प्रसार भारतीय ने सूचित किया है कि दूरदर्शन की दर्शकगण अनुसंधान इकाई ने देश के ग्रामीण व शहरी दर्शकों का फीडबैक मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 2000 तक साप्ताहिक दूरदर्शन दर्शकगण अनुसंधान टेलीविज़न रेटिंग्स (डार्ट) पैनल सर्वेक्षण कराया। इस सर्वेक्षण को वर्ष 2004 में पुन: आरंभ किया गया जोकि मार्च, 2009 तक जारी रहा। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी 67वीं संसदीय स्थायी समिति (2008-2009) की अनुशंसा पर सितंबर, 2010 से 18 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक डार्ट पैनल सर्वेक्षण के कार्य को अब पुन: शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रसार भारतीय ने सूचित किया है कि ग्रामीण डार्ट सर्वेक्षण के अनुसार, दर्शकों की रेटिंग की दृष्टि से डीडी नेशनल का स्थान टी.आर.पी. के पैमाने में शिखर पर बना हुआ है। उदाहरण के लिए 6-12 जनवरी, 2013 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान डीडी नेशनल के 45 कार्यक्रम सबसे अधिक देखे गए चोटी के 50 कार्यक्रमों में से थे। डार्ट सम्मिश्रित रिपोर्ट (06.01. 2013-12.01.2013) की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन अपने 18 क्षेत्रीय केंद्रों से सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारण पद्धति में "कृषि-विस्तार को जन-प्रचार माध्यमों का समर्थन" नामक स्कीम के अंतर्गत कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित 'कृषि दर्शन' नामक कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है ताकि भारत का कृषक समुदाय कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रसार का लाभ प्राप्त कर सके। यह कार्यक्रम बीमा, बैंकिंग, मृदा संरक्षण आदि के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सहभागिता से तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित है।

दूरदर्शन ने वर्ष 2003 से 36 नैरोकास्टिंग केंद्रों तथा 180 क्लस्टर ट्रांसमीटरों से सप्ताह में दो बार कृषि समाचार बुलेटिनों व मंडी भाव बुलेटिनों के प्रसारण के साथ-साथ कृषि-कार्यक्रमों का प्रसारण करना भी आरंभ कर दिया है।

विवरण

सभी चैनलों पर शीर्ष कार्यक्रम

डार्ट संयुक्त रिपोर्ट (06.01.2013 से 12.01.2013 सप्ताह)

बाजार-अखिल भारत (ग्रामीण)

सभी 4+वर्ष

रैंक	चैनल	समय	दिन	कार्यक्रम	शैली	सीएंडएस दर्शक		एनसीएस दर्शक		डीडी डायरेक्ट		कुल दर्शक	
						सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	डीडी-नेशनल	19.00	रवि	लाइव क्रिकेट मैच	खेल	168	7.25	550	47.21	121	15.41	949	21.09
2.	डीडी-नेशनल	08.00	रवि	रंगोली	गीत	139	6.00	566	40.49	134	17.07	839	18.64
3.	डीडी-नेशनल	21.23	शनि	हिंदी फीचर फिल्म	फिल्म	119	5.14	547	39.13	145	18.47	811	18.02
4.	डीडी-नेशनल	12.00	रवि	हिंदी फीचर फिल्म	फिल्म	44	1.90	523	37.41	97	12.36	664	14.76
5.	डीडी-नेशनल	11.00	रवि	रामायण	बत्ती	70	3.02	447	31.97	70	8.92	587	13.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	डीडी-नेशनल	20.30	सोम	संकट मोचन हनुमान	सीरियल	98	4.23	342	24.46	76	9.68	516	11.47
7.	डीडी-नेशनल	21.00	बुध	पहचान-अस्तित्व की तलाश	सीरियल	58	2.50	386	27.61	70	8.92	514	11.42
8.	डीडी-नेशनल	21.30	शुक्र	हिंदी फीचर फिल्म	फिल्म	60	2.59	357	25.54	77	9.81	494	10.98
9.	डीडी-नेशनल	21.00	गुरु	पहचान-अस्तित्व की तलाश	सीरियल	55	2.37	360	25.75	72	9.17	487	10.82
10.	डीडी-नेशनल	22.00	बुध	कानाफूसी	सीरियल	91	3.93	320	22.89	75	9.55	486	10.80
11.	डीडी-नेशनल	20.30	मंगल	संकट मोचन हनुमान	सीरियल	48	2.07	372	26.61	56	7.13	476	10.58
12.	डीडी-नेशनल	15.30	रवि	हिंदी फीचर फिल्म	फिल्म	100	4.32	253	18.10	100	12.74	453	10.07
13.	डीडी-नेशनल	21.00	सोम	हम फिर मिलेंगे	सीरियल	78	3.37	306	21.89	54	6.88	438	9.73
14.	डीडी-नेशनल	21.30	गुरु	यहां के हम सिकंदर	सीरियल	26	1.12	329	23.53	43	5.48	398	8.84
15.	डीडी-नेशनल	21.30	बुध	यहां के हम सिकंदर	सीरियल	73	3.15	247	17.67	63	8.03	383	8.51
16.	डीडी-नेशनल	14.00	सोम	आशियाना	सीरियल	64	2.76	257	18.38	53	6.75	374	8.31
17.	डीडी-नेशनल	22.30	बुध	इम्तिहान	सीरियल	69	2.98	231	16.52	64	8.15	364	8.09
18.	डीडी-नेशनल	20.30	शनि	यह जिंदगी है गुलशन	सीरियल	75	3.24	227	16.24	60	7.64	362	8.04
19.	डीडी-नेशनल	21.00	शुक्र	एक किरण रोशनी की	सीरियल	51	2.20	259	18.53	50	6.37	360	8.00
20.	डीडी-नेशनल	21.30	सोम	भारत की शान	क्विज	50	2.16	230	16.45	40	5.10	320	7.11
21.	डीडी-नेशनल	22.00	गुरु	अरमान	सीरियल	63	2.72	226	16.17	27	3.44	316	7.02
22.	डीडी-नेशनल	12.30	गुरु	शमा	सीरियल	35	1.51	256	18.31	20	2.55	311	6.91
23.	डीडी-नेशनल	14.00	मंगल	आशियाना	सीरियल	24	1.04	252	18.03	22	2.80	298	6.62
24.	डीडी-नेशनल	12.30	बुध	शमा	सीरियल	23	0.99	231	16.52	33	4.20	287	6.38
25.	डीडी-नेशनल	22.30	सोम	मंजिल अपनी-अपनी	सीरियल	53	2.29	181	12.95	52	6.62	286	6.36
26.	डीडी-नेशनल	21.30	मंगल	भारत की शान	क्विज	36	1.55	191	13.66	32	4.08	259	5.76
27.	स्टार उत्सव	19.00	शनि	गीत-हुई सबसे पराई	सीरियल	57	2.46	0	0.00	196	24.97	253	5.62
28.	डीडी-नेशनल	09.00	मंगल	जमुनिया	सीरियल	27	1.17	165	11.80	58	7.39	250	5.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	डीडी-नेशनल	20.30	शुक्र	कभी तो मिल के सब बोलो	सीरियल	33	1.42	181	12.95	32	4.08	246	5.47
30.	डीडी-नेशनल	13.00	मंगल	मंगलसूत्र एक मर्यादा	सीरियल	10	0.43	209	14.95	23	2.93	242	5.38
31.	डीडी-नेशनल	10.00	मंगल	भारत की शान	क्विज	31	1.34	169	12.09	39	4.97	239	5.31
32.	डीडी-नेशनल	14.30	गुरु	सुकन्या हमारी बेटियां	सीरियल	45	1.94	160	11.44	31	3.95	236	5.24
33.	लाइफ ओके	20.00	गुरु	देवों के देव महादेव	पौराणिक	235	10.14	0	0.00	0	0.00	235	5.22
34.	डीडी-नेशनल	07.00	शुक्र	समाचार	न्यूज	15	0.65	190	13.59	13	1.66	218	4.84
35.	स्टार उत्सव	21.30	बुध	साथिया साथ निभाना	सीरियल	60	2.59	0	0.00	158	20.13	218	4.84
36.	डीडी-नेशनल	21.00	मंगल	हम फिर मिलेंगे	सीरियल	17	0.73	174	12.45	24	3.06	215	4.78
37.	डीडी-नेशनल	12.30	शुक्र	शमा	सीरियल	14	0.60	177	12.66	15	1.91	206	4.58
38.	डीडी-नेशनल	09.00	रवि	चुलबुली फिल्में चटपटी गपशप	सीरियल	44	1.90	129	9.23	32	4.08	205	4.56
39.	डीडी-नेशनल	22.30	रवि	हम तुमको न भूल पायेंगे	सीरियल	55	2.37	107	7.65	42	5.35	204	4.53
40.	डीडी-नेशनल	12.45	शनि	यहां के हम सिकंदर	सीरियल	17	0.73	167	11.95	19	2.42	203	4.51
41.	डीडी-नेशनल	20.30	गुरु	कभी तो मिल के सब चलो	सीरियल	31	1.34	140	10.01	31	3.95	202	4.49
42.	डीडी-नेशनल	22.30	मंगल	मंजिल अपनी-अपनी	सीरियल	28	1.21	136	9.73	37	4.71	201	4.47
43.	डीडी-नेशनल	10.00	बुध	भारत की शान	क्विज	31	1.34	150	10.73	18	2.29	199	4.42
44.	डीडी-नेशनल	12.00	शनि	हम फिर मिलेंगे	सीरियल	42	1.81	122	8.73	34	4.33	198	4.40
45.	डीडी-नेशनल	22.30	गुरु	इम्तिहान	सीरियल	35	1.51	130	9.30	30	3.82	195	4.33
46.	डीडी-नेशनल	13.30	शनि	एक किरण रोशनी की	सीरियल	42	1.81	126	9.01	25	3.18	193	4.29
47.	डीडी-नेशनल	13.00	सोम	मंगलसूत्र एक मर्यादा	सीरियल	15	0.65	149	10.66	26	3.31	190	4.22
48.	जी टीवी	20.30	बुध	हिटलर दीदी	सीरियल	185	7.98	0	0.00	0	0.00	185	4.11
49.	डीडी-नेशनल	12.00	सोम	कुल की ज्योति कन्या	सीरियल	9	0.39	158	11.30	17	2.17	184	4.09
50.	सोनी	20.30	शनि	कौन बनेगा करोड़पति	टेलेंट	189	7.90	0	0.00	0	0.00	183	4.07

बाजार : राज्य : राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र।

समुद्री मत्स्यन-अवसंरचना के विकास के लिए धनराशि

5557. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मत्स्यन गतिविधियों, जैसे समुद्री मात्स्यिकी अवसंरचना विकास तथा मत्स्यन पश्चात् कार्यकलाप, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना, मात्स्यिकी क्षेत्रक के डाटाबेस व भौगोलिक सूचना प्रणाली के सशक्तीकरण तथा वर्ष 2012-13 तक समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने, आदि हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): निम्नलिखित प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं/घटकों के अधीन ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) और 2012-13 के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम		कुल जारी निधि	
			11वीं योजनावधि के दौरान	2012-13 के दौरान
1.	समुद्री मात्स्यिकी अंत:संरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालनों का विकास		307.20	74.58
2.	मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना		169.28	39.38
3.	मात्स्यिकी क्षेत्र में डाटा बेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण		28.89	3.79
4.	बायोमीट्रिक पहचान पत्रों को जारी करना	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी निधि	8.00	-
		केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी निधि	25.00	-

विशिष्ट-व्यक्तियों को एन.एस.जी. सुरक्षा

5558. श्री एस. सेम्मलई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशिष्ट व्यक्तियों/अति-विशिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) की सुरक्षा उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त व्यक्तियों को यह सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त व्यक्तियों को एन.एस.जी. सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार का विशिष्ट व्यक्तियों/अति-विशिष्ट व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई उक्त सुरक्षा की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का सुरक्षा कवर केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श करके उपलब्ध कराया जाता है। एनएसजी सुरक्षा कवर अधिक खतरे वाले कतिपय उन सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है, जिन्हें आतंकवादी/उग्रवादी समूहों से गंभीर खतरा होता है। इस समय देश में एनएसजी सुरक्षा कवर कुल 17 सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है।

(ग) एनएसजी सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वाहन, ईंधन, आवास और अन्य संभारतंत्रीय सहायता संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) सभी केन्द्रीय सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा राज्य सरकार के सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के कुछ घटक उपलब्ध कराए गए हैं, को सुरक्षा कवर की गृह मंत्रालय में इस प्रयोजन के लिए गठित की गई दो उच्च स्तरीय समितियों/समूहों में आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। तदनुसार, ऐसी समीक्षा के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है/घटाई जाती है/ वापस ली जाती है/जारी रखी जाती है।

प्रसारण क्षेत्र का वाणिज्यिकरण

5559. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि देश का सूचना और प्रसारण क्षेत्र इसके पूरी तरह वाणिज्यिकरण के कारण धन कमाने का एक साधन बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पेड-न्यूज और वाणिज्यिकरण ने इस क्षेत्र की प्रमाणिकता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (घ) मीडिया में रिपोर्टें आयी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कुछ वर्गों ने विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों या निगमित संस्थाओं के पक्ष में प्रकाशन या प्रसारण करने हेतु मौद्रिक लाभ प्राप्त किया है। सरकार 'पेड न्यूज' को लेकर चिंतित है क्योंकि इससे निष्पक्ष प्रैस का कार्यकरण प्रभावित होता है।

भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) ने भी इस घटना का अध्ययन किया है और अपनी 'पेड न्यूज पर रिपोर्ट' जारी की है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने विभिन्न अवसरों पर पेड न्यूज के प्रकाशन की कड़ी निंदा की है क्योंकि इसका चुनावों के दौरान स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे चुनावी व्यय से संबंधित कानूनों की उपेक्षा होती है और इसका मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ता है।

एकीकृत चैक पोस्टों की स्थापना

5560. श्री सोमेन मित्राः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण ने भू-सीमाओं पर स्थित प्रवेश-स्थलों/भू-पत्तनों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए एकीकृत चैक पोस्टों (आईसीपी) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी निधि आबंटित की गई है; और

(ग) अब तक कितने एकीकृत चैक पोस्टों ने कार्य शुरू कर दिया है और शेष द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने यात्रियों और सामानों के सीमा पार से आवागमन (मूवमेंट) की सुविधाओं के विकास एवं प्रबंधन हेतु सुरक्षा की अनिवार्यता पर गौर करने के लिए देश की अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाओं पर पहचान किए गए प्रवेश स्थलों पर 13 एकीकृत चेकपोस्टों (आईसीपी) की स्थापना की मंजूरी दी है। सितंबर, 2010 को अधिसूचित किए गए भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई), एक बॉडी कॉर्पोरेट तैयार की गई है। आईसीपी का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है:

चरण-I

संख्या	स्थान	राज्य	सीमा
1	2	3	4
1.	अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान
2.	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल

1	2	3	4
3.	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल
4.	अगरतला	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश
5.	पेटरापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश
6.	डावकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश
7.	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार

चरण-II

संख्या	स्थान	राज्य	सीमा
8.	हिली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश
9.	चंद्रबांगा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश
10.	सुतरखंडी	असम	भारत-बांग्लादेश
11.	कवारपुचियाह	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश
12.	सनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल
13.	रुपाईडीह	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल

चरण-I में आईसीपी की स्थापना के लिए 708.5 करोड़ रु. की राशि की निधि मंजूर की गई है।

(ग) आईसीपी अटारी, अमृतसर 13 अप्रैल, 2012 को चालू हो गया है एवं चार और आईसीपी का वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू किया जाना निर्धारित है।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

5561. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष के अंत तक रोपी जाने वाली धान की अगली फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने अगली खरीफ फसल के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1310/- रुपए प्रति क्विंटल रखने की सिफारिश की है, जबकि यह विगत वर्ष 1250 रुपए प्रति क्विंटल था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ङ) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने 2013-14 मौसम की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें धान सहित खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) की सिफारिश की गई है।

सरकार राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से परामर्श के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गये न्यूनतम समर्थन मूल्यों को अंतिम रूप देती है।

बीजों की नई किस्में

5562. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि बीज बाजार में नयी-नयी किस्म के बीज आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान बाजार में आने वाले नये बीजों की वार्षिक प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में हर प्रकार के बीजों, चाहे वे प्रामाणिक हों अथवा नहीं, को बाजार में बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या बीज-बाजार में किसी प्रकार के सुधार की जरूरत है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंडी में आने वाले नए बीज औसतन लगभग दस प्रतिशत प्रति वर्ष है।

(ग) से (ङ) बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 व बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 मंडी में बेचे जाने वाले बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है।

क्षेत्र का विकास

5563. श्री शिवराम गौडा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 371(ज) शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त क्षेत्र के विकास के लिए विशेष घटक योजना की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में एफडीआई

5564. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2013 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का आगम दोगुना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे उक्त क्षेत्र को कहां तक लाभ होगा; और

(घ) सरकार द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर और प्रबंधन-कौशल बढ़ाकर इनके स्वदेशी-उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) वर्ष 2012-13 (अप्रैल से फरवरी) सहित पिछले 3 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (करोड़ रुपए)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डालर)
1.	2010-11	5,796.22	1,271.77
2.	2011-12	7,677.74	1,652.38
3.	2012-13 (अप्रैल से फरवरी)	2,887.03	529.09

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) घरेलू निवेश का पूरक और संपूरक है। एफडीआई पूंजी के अतिरिक्त, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उत्कृष्ट प्रबंधकीय पद्धतियों को आकर्षित करता है जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विदेशी प्रौद्योगिकी को बेहतर पहुंच प्राप्त होती है।

(घ) सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन तथा विकास के लिए अवसंरचना विकास स्कीम (मेगा खाद्य पार्क; एकीकृत शीत शृंखला परियोजना और बूचड़खाना घटकों सहित), गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, आरएंडडी तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप; मानव संसाधन विकास; राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन तथा संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है।

सरकार ने उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक अनुसंधान तथा खाद्य उद्योग विशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम उपलब्ध कराने, खाद्य मानकों पर रेफरल सलाह उपलब्ध कराने, खाद्य क्षेत्र के बारे में ज्ञान का प्रसार करने तथा व्यापार इक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टम) की भी स्थापना की है।

[अनुवाद]

भ्रामक विज्ञापन

5565. श्री आधि शंकर: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई) ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रिंट और टेलीविजन माध्यमों पर निगरानी रखने के लिए मै. टीएएम मीडिया रिसर्च के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में विनियामक निकाय के कमजोर होने के कारण उक्त कदम से एएससीआई को विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जाने वाले भ्रामक दावों पर तीव्रता से कार्रवाई करने में सहायता होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञापन मॉनीटरिंग सेवा (एनएएनएस) के संचालन हेतु टैम मीडिया अनुसंधान के एक प्रभाग एडएक्स के साथ समझौता किया है जो प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापनों की मॉनीटरिंग करता है और संभावित रूप से भ्रामक विज्ञापनों का पता लगाता है। मई, 2012 से एडएक्स नए जारी किए गए विज्ञापनों जिनकी संख्या प्रत्येक माह टेलीविजन पर लगभग 1500 और समाचारपत्रों में 45,000 होती है, और जो भ्रामक, झूठे या निराधार हो सकते हैं, की मॉनीटरिंग कर रहा है। इसमें शामिल उत्पादन और सेवा श्रेणियां इस प्रकार हैं: ऑटो, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता ड्यूरेबल्स, शैक्षिक संस्थाएं, स्वास्थ्य देखरेख उत्पाद और सेवाएं, टेलीकॉम और अचल संपत्ति।

(ग) और (घ) एएससीआई ने सूचित किया है कि इससे उन्हें 650 से अधिक विज्ञापनों के खिलाफ अपनी ओर से शिकायतें दर्ज कराने में मदद मिली।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

5566. श्री रवनीत सिंह: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/इकाइयों की ऊर्जा-संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनमें नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शीतागार-आधारित उद्योगों में आकल्पित प्रायोगिक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग संबंधी आंकड़े नहीं रखता है। देश में विद्युत उत्पादन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता लगभग 2,12,829 मेगावाट है जिसमें 26,920 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। यह देश में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 12.5 प्रतिशत बनता है।

(ग) और (घ) सरकार, नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों समेत सभी उद्योगों को विभिन्न राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन जैसे पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, सरकार द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से सृजित विद्युत की खरीद के लिए अधिमान्य टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की शुरुआत तथा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता जैसे अन्य अनेक उपाय किए गए हैं।

(ङ) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों को बायोमास/सौर ऊर्जा आधारित शीतागार की प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने की सलाह दी गई है।

संचार एजेंसी

5567. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपनी नीतियों और गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष संचार-एजेंसी खोलने पर विचार कर रही है, जिसके अंतर्गत टेलीविजन चैनल और रेडियो स्टेशन शामिल होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि मंत्रालय के बजट का दो-तिहाई भाग प्रसार भारती के लिए उद्दिष्ट किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) इस समय, एक अनन्य संचार एजेंसी की स्थापना करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सैम पित्रोदा समिति द्वारा आयोजित एक कार्यशाला, जिसमें विभिन्न कार्य समूहों ने प्रसार भारती से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए, में कतिपय नए विचार उभर कर सामने आए और उन पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) वित्त वर्ष 2013-14 के लिए मंत्रालय के 3035.65 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से सरकार द्वारा प्रसार भारती को प्रदत्त बजटीय सहायता 2244.02 करोड़ रुपए (योजनेतर-1730.02 करोड़ रुपए और योजनागत-514.0 करोड़ रुपए) है जोकि मंत्रालय के बजट के दो-तिहाई भाग (73.92 प्रतिशत) से अधिक है।

[हिंदी]

दूरदर्शन के फिल्म प्रभाग में अनियमितताएं

5568. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन, विशेषकर इसके फिल्म-प्रभाग, के कार्यकरण में किन्हीं अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/प्रैस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने उक्त मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार/पीआईबी द्वारा अनियमितताओं में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है/क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ङ) जी, हां। दूरदर्शन द्वारा दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारित किए जाने हेतु कतिपय निर्माताओं की फिल्मों का चयन करने में पक्षपात बरते जाने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं। मंत्रालय ने प्राप्त हुई शिकायतों की विस्तृत जांच कराने के लिए कहा था। इस मामले की दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में फिल्मों के चयन के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया में कतिपय खामियों का पता चला।

प्रैस सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने दूरदर्शन की फिल्मों के चयन के संबंध में हुई अनियमितताओं के बारे में कोई जांच नहीं कराई है।

[अनुवाद]

कृषि-वस्तुओं का निर्यात

5569. श्री महाबली सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कृषि वस्तुओं के निर्यात और वायदा-कारोबार पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और देश के राजस्व अर्जन पर इसके प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के खाद्यान्न-बाजार के उदारीकरण का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) कृषि वस्तुओं का निर्यात सामान्य रूप से घरेलू उपलब्धता, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और इनसे संबंधित घटकों द्वारा नियंत्रित होता है। अधिकांश कृषि वस्तुएं निर्यात के लिए मुक्त हैं। तथापि, खाद्य तेलों और दालों का निर्यात उनके घरेलू उत्पादन और खपत में अंतर के कारण प्रतिबंधित है। दालों के निर्यात (काबुली चना और जैविक मसूर और दालों के 10,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के निर्यात को छोड़कर) पर प्रतिबंध है। निम्नलिखित को छोड़कर खाद्य तेलों के निर्यात पर भी प्रतिबंध है–

(i) अरंड तेल।

(ii) नारियल तेल।

(iii) डीटीए से 100% ईओयू को खाद्य तेलों (कच्चा माल इनपुट के रूप में) का मानद निर्यात।

(iv) घरेलू टेरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन के लिए खाद्य तेल।

(v) गौण वन उत्पादों से उत्पन्न खाद्य तेल।

(vi) प्रति वर्ष 10,000 मि. टन जैविक खाद्य तेल।

(vii) 5 कि.ग्रा. तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेल, 1500 यूएस डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर अनुमेय है।

तथापि, सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार खुला सामान्य पंजीकरण के तहत 09.09.2011 से निजी रूप में रखे गए स्टॉकों से गेहूं और गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।

वर्तमान में, कमोडिटी एक्सचेंजों में तीन वस्तुओं का भावी सौदा व्यापार स्थगित है। ये वस्तुएं तूर, उड़द और चावल हैं। चावल का भावी सौदा व्यापार 27 फरवरी, 2007 से और तूर तथा उड़द का 23 जनवरी, 2007 से स्थगित है। इन वस्तुओं के भावी सौदा व्यापार का स्थगन बढ़ते मूल्यों से बचने के लिए सावधानी युक्त पूर्वोपाय के रूप में किया गया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

गेहूं-आधारित पोषण कार्यक्रम

5570. श्रीमती अन्नू टंडन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने गेहूं-आधारित पोषण कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें अन्य स्थानीय और स्वदेशी खाद्यान्नों, जैसे: बाजरा, ज्वार, रागी और मोटे अनाजों को शामिल करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भूख और खाद्य-असुरक्षा पर काबू पाने के लिए कैलोरी युक्त खुराक के बदले पोषण-सूचकांक को मुख्य मापदंड बनाने का भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा की खरीद और उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न अर्थात् गेहूं और चावल के साथ रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज का आबंटन भी उन्हें किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान चावल और गेहूं के अलावा गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 0.10 लाख टन मक्का और 0.06 लाख टन ज्वार और वर्ष 2013-14 के दौरान 0.11 लाख टन मक्का और 0.06 लाख टन ज्वार का आबंटन किया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

मृत्युदंड

5571. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों, विशेषकर यौन-अपराधों, के लिए मृत्युदंड दिए जाने के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन करने हेतु विभिन्न संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 विभिन्न स्टेकहोल्डरों एवं संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत तैयार किया गया था। यह विधेयक लोक सभा द्वारा 19.03.2013 को और राज्य सभा द्वारा 21.03.2013 को पास किया गया। इस

विधेयक के ऊपर भारत के राष्ट्रपति द्वारा 02.04.2013 को सहमति प्रदान की गई। विधि पुस्तक (स्टैच्युट बुक) में इसे दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 13) के रूप में दर्शाया गया है। भारतीय दंड संहिता, 1860 में शामिल की गई नई धारा (सेक्शन) 376 (क) के अनुसार बलात्कार के क्रम में यदि महिला की घायल होने से मृत्यु हो जाती है अथवा उसके कारण वह महिला निरंतर निष्क्रिय अवस्था में रहती है, तो बलात्कारी को न्यूनतम बीस वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी लेकिन उसे बढ़ाकर आजीवन करावास किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने जीवन के शेष काल तक अथवा मरने तक कारावास में रहेगा। बलात्कार के अपराध में एक से अधिक बार शामिल अपराधियों के लिए भारतीय दंड सहिता की धारा 376 (ङ) में भी मृत्युदंड का प्रावधान है।

न्यायालयों में महिलाओं के लंबित मामले

5572. श्री निशिकांत दुबे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किए गए महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा निर्णय सुनाया गया है और अभी तक कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) उक्त सभी लंबति मामलों का निपटान किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत देश में सूचित किए गए मामलों की कुल संख्या क्रमश: 203804, 213585 और 228650 थी। वर्ष 2009-2011 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत वर्ष के अंत में सूचित किए गए मामलों, उन मामलों जिन पर विचारण पूरा हो चुका है, दोषसिद्ध मामलों, दोषमुक्त मामलों और विचारण के लिए लंबित मामलों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत देश में क्रमश: 100611, 108933 और 112368 मामलों में विचारण पूरा होने और 636590, 685708 और 736385 मामलों में विचारण लंबित रहने की सूचना मिली थी।

केन्द्र सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अधिक संख्या में लंबित मामलों वाले जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में बलात्कार के लंबित मामलों के त्वरित विचारण के लिए और मामलों का समय से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन का अनुरोध किया था। आठ (8) राज्यों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009-2011 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत वर्ष के अंत में दर्ज मामले (सीआर), विचारण पूरे हो चुके मामले (टीसी), दोषसिद्ध मामले (सीवी), दोषमुक्त मामले (एक्यू) और विचारण के लिए लंबित मामले (पीटी)*

		2009					2010					2011				
क्र..सं.	राज्य	सीआर	टीसी	सीवी	एक्यू	पीटी	सीआर	टीसी	सीवी	एक्यू	पीटी	सीआर	टीसी	सीवी	एक्यू	पीटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	25569	13791	2668	11123	34981	27244	14772	3166	11606	39066	28246	13275	2243	11032	43556
2.	अरुणाचल प्रदेश	164	45	25	20	1323	190	21	11	10	1411	171	63	15	48	1454
3.	असम	9721	2895	622	2273	15182	11555	3203	522	2681	18067	11503	4170	762	3408	19623
4.	बिहार	8803	4222	788	3434	22868	8471	4201	861	3340	23567	10231	5232	1031	4201	26281
5.	छत्तीसगढ़	4002	2536	669	1867	17361	4176	3153	860	2293	17721	4219	2960	842	2118	18296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	गोवा	164	86	20	66	279	140	78	13	65	328	127	53	12	41	380
7.	गुजरात	8009	4109	236	3873	52602	8148	4333	228	4105	55722	8815	3856	157	3699	59942
8.	हरियाणा	5312	2992	851	2141	11430	5562	3314	903	2411	12053	5491	3672	952	2720	12219
9.	हिमाचल प्रदेश	954	484	65	419	3281	1028	386	51	335	3611	997	456	72	384	3795
10.	जम्मू और कश्मीर	2624	1379	207	1172	10454	2611	1015	145	870	11062	3146	1215	143	1072	12110
11.	झारखंड	3021	2766	1076	1690	5520	3087	2505	618	1887	5552	3132	1947	719	1228	5838
12.	कर्नाटक	7852	4004	368	3636	16584	8807	4421	511	3910	19167	9594	5244	488	4756	21392
13.	केरल	8049	4839	664	4175	29859	9463	4797	637	4160	33636	11288	4692	580	4112	38226
14.	मध्य प्रदेश	15827	10573	3657	6916	50565	16468	11717	4177	7540	51291	16599	14472	5027	9445	48683
15.	महाराष्ट्र	15048	8105	636	7469	110593	15737	9555	565	8990	114591	15728	9559	625	8934	117765
16.	मणिपुर	194	0	0	0	98	190	5	1	4	99	247	6	4	2	99
17.	मेघालय	237	56	12	44	705	261	30	7	23	799	269	49	4	45	903
18.	मिज़ोरम	150	133	117	16	147	170	169	159	10	149	167	101	84	17	181
19.	नागालैंड	46	28	26	2	63	41	49	33	16	53	38	39	34	5	44
20.	ओडिशा	8120	3538	486	3052	32700	8501	4826	485	4341	36509	9433	4862	564	4298	40646
21.	पंजाब	2631	1664	565	1099	6084	2853	1579	497	1082	5970	2641	1472	448	1024	6280
22.	राजस्थान	17316	5221	2408	2813	39197	18182	4825	2072	2753	43445	19888	5760	2355	3405	47082
23.	सिक्किम	41	35	19	16	102	42	12	6	6	145	55	37	18	19	144
24.	तमिलनाडु	6051	4418	1596	2822	12363	6708	4572	1749	2823	12558	6940	3818	1316	2502	13073
25.	त्रिपुरा	1517	643	87	556	3459	1678	778	95	683	3967	1358	857	89	768	4495
26.	उत्तर प्रदेश	23254	14946	8555	6391	48666	20169	17283	10307	6976	45418	22639	17007	10204	6803	44406
27.	उत्तरखंड	1188	618	397	221	2957	1074	807	499	308	2997	996	506	305	201	3209
28.	पश्चिम बंगाल	23307	4829	467	4362	94909	26125	4519	435	4084	113793	29133	4891	448	4443	132208
	कुल राज्य	199171	98955	27287	71668	624332	208681	106925	29613	77312	672747	223091	110271	29541	80730	722330
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	92	15	2	13	333	85	5	0	5	396	51	1	1	0	450
30.	चंडीगढ़	150	117	43	74	534	141	171	44	127	453	156	90	24	66	466
31.	दादरा और नगर हवेली	20	7	3	4	85	30	10	6	4	92	18	8	1	7	101
32.	दमन और दीव	13	5	0	5	32	14	6	0	6	36	11	3	1	2	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33.	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	4251	1441	623	818	10809	4518	1747	586	1161	11490	5234	1964	687	1277	12479
34.	लक्षद्वीप	1	2	0	2	6	1	0	0	0	7	0	4	2	2	4
35.	पुदुचेरी	106	69	19	50	459	115	69	21	48	487	89	27	9	18	517
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	4633	1656	690	966	12258.0	4904	2008	657	1351	12961.0	5559	2097	725	1372	14055
	अखिल भारत	203804	100611	27977	72634	636590	213585	108933	30270	78663	685708	228650	112368	30266	82102	736385

*महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध में शामिल शीर्ष: बलात्कार, महिलाओं एवं लड़कियों का अपहरण एवं व्यपहरण, दहेज के लिए हत्या, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, पति एवं संबंधियों द्वारा निर्दयता, लड़कियों का आयात, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1961, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निवारण) अधिनियम, 1986, सती अधिनियम, 1987

स्रोत: भारत में अपराध

विवरण-II

फास्ट ट्रैक न्यायालयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बलात्कार के मामलों के विचारण हेतु गठित किए जाने वाले फास्ट ट्रैक न्यायालयों की प्रस्तावित संख्या	बलात्कार के मामलों के विचारण हेतु अब तक गठित किए गए फास्ट्र ट्रैक न्यायालयों की संख्या तथा इन न्यायालयों के गठन के लिए जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	अब तक बलात्कार के मामलों के विचारण हेतु कोई एफटीसी गठित नहीं किया गया है। तथापि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के मामलों पर विचारण हेतु 27 मौजूदा न्यायालय निर्धारित किए हैं।
2.	छत्तीसगढ़	16	16
3.	दिल्ली	05	05
4.	गुजरात	लंबित बलात्कार संबंधी मामलों के विचारण हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के दिनांक 15.01.2013 को गुजरात उच्च न्यायालय ने दो न्यायाधीशों वाली एक समिति गठित की है और उक्त विचाराधीन है।	
5.	झारखंड	माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।	रांची, बोकारो, धनबाद, देवधर, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, साहेबगंज के न्यायाधीशों के अधीन बलात्कार

1	2	3	4
			के मामलों के विचारण हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों के रूप में जिला और अपर सत्र/न्यायाधीश/अपर न्यायिक आयुक्त के 9 न्यायालय निर्धारित किए गए हैं।
6.	जम्मू और कश्मीर	08	उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामलों के विचारण के लिए राज्य के पांच मौजूदा न्यायालयों को निर्धारित किया है।
7.	मध्य प्रदेश	जी, नहीं। तथापि मौजूदा संवर्ग नफरी में से 9 स्थानों (बेतुल, भोपाल, छिंदवारा, इंदौर, जबलपुर, रायसेन, रीवा और सतना) के अपर सत्र न्यायाधीशों में एक को बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के साथ हत्या से संबंधित अपराधों के विचारण हेतु पदनामित किया गया है।	इस उद्देश्य के लिए जिला न्यायाधीश के 52 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे और यदि ये पद सृजित हो जाते हैं, तो उच्च न्यायालय, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा बलात्कार के साथ हत्या से संबंधित अपराधों के विचारण हेतु एक अपर सत्र न्यायाधीश के पदनाम पर विचार करेगा। उच्च न्यायालय ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा बलात्कार के साथ हत्या से संबंधित अपराधों के मामलों के त्वरित निपटान के लिए मध्य प्रदेश के सभी सत्र न्यायाधीशों को प्रभावी अनुदेश जारी किए हैं।
8.	केरल	3	

[हिंदी]

बोतलबंद पेयजल

5573. श्री दत्ता मेघे:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोतलबंद पेयजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुणवत्ता-मानदंडों का उल्लंघन करके और बिना किसी वैध लाइसेंस के बोतलबंद पेयजल की गैर-कानूनी बिक्री के संबंध में सरकार को सूचना/शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बोतलबंद पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितने नमूनों की जांच की गई तथा इसका क्या परिणाम निकला और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकबंद पेयजल से संबंधित निम्नलिखित भारतीय मानक प्रतिपादित किए हैं:

- आईएस 14543:2004 भारतीय मानक पैकबंद पेयजल (प्राकृतिक खनिज जल को छोड़कर) विनिर्देशन (प्रथम संशोधन)।
- आईएस 14543:2004 में पैकबंद रूप में बिक्री के लिए अपेक्षाओं, नमूनों के तरीके और पेयजल के

लिए परीक्षण (प्राकृतिक खनिज जल को छोड़कर) निर्धारित हैं।

(ख) और (ग) जी, हां, पैकबंद पेयजल की गैर-कानूनी ढंग से बिक्री के संबंध में 282 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत विनिर्माण गतिविधियों का निलंबन, उत्पादों को जब्त करना और मुकदमा चलाना शामिल है।

(घ) और (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो अपने लाइसेंसधारकों द्वारा विनिर्मित पैकबंद पेयजल की गुणवत्ता एक सुपरिभाषित प्रमाणन स्कीम के जरिए सुनिश्चित करता है जिसमें फैक्टरी निरीक्षणों और फैक्टरी और बाजार से लिए गए नमूनों और संगत भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पाद की अनुरूपता की जांच के लिए उनका स्वतंत्र परीक्षण करके लाइसेंस धारकों की नियमित निगरानी की जाती है। यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस धारक संगत भारतीय मानकों में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो चेतावनी, चिह्नांकन रोकना, लाइसेंस के नवीकरण में देरी करना जैसी कार्रवाइयां की जाती हैं। ऐसी कार्रवाइयां दोष की गंभीरता और/अथवा नमूनों का बार-बार मानकों पर खरा न उतरना अथवा लाइसेंस के असंतोषजनक परिचालन पर निर्भर करती हैं। लिए गए नमूनों की संख्या और उनके परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नमूनों की संख्या और उनके परिणाम

क्र.सं.	की गई कार्रवाई	अवधि (2010-2011)	अवधि (2011-2012)	अवधि (2012-2013)	चालू वर्ष 1 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2013 तक
1.	लिए गए नमूनों की संख्या	23	50	59	10
2.	खरे न खतरे नमूनों की संख्या	4	0	1	0
3.	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	3	.0	1	0
4.	नमूनों के खरे न उतरने के कारण और असंतोषजनक निष्पादन के कारण चिह्न का प्रयोग रोके जाने की संख्या	1	0	1	0
5.	निरस्त किए गए/समाप्त/नवीकृत न किए गए लाइसेंसों की संख्या	0	0	0	0

बंद कोयला-खदानों का पुनरुद्धार

5574. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री यशवंत लागुरी:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत सी खदानें बंद की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त खदानों को बंद करने का निर्णय लेने से पहले उनके व्यवहार्यता-संबंधी प्रस्ताव की जांच की अथवा इन इकाइयों के पुनरुद्धार का कोई प्रयास किया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की कुछ खानों को निष्कर्षणीय

भंडारों के समाप्त हो जाने, संसाधनों आदि के लुप्त हो जाने के कारण बंद/स्थगित/परित्यक्त कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (सितंबर, 2012 तक) के दौरान कोल इंडिया लि. की बंद की गई/परित्यक्त/स्थगित की गई खानों के राज्य एवं सहायक कंपनी-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

सहायक कंपनी	वर्ष	खान का नाम	राज्य
बीसीसीएल	2010-11	मधुबन यूजी	झारखंड
सीसीएल	2011-12	करकाटा ओसी	झारखंड
डब्ल्यूसीएल	2009-10	पाथाखेरा I	मध्य प्रदेश (एमपी)
		गंजनडोह	
	2011-12	पाथाखेरा II	
एसईसीएल	2009-10	जयनगर 5 एवं 6	छत्तीसगढ़
		कोतमा वेस्ट ओसी	मध्य प्रदेश
		बंकी 9 एवं 10	छत्तीसगढ़
	2010-11	नई अम्लाई	मध्य प्रदेश
		अंजन हिल	छत्तीसगढ़
	2011-12	चहाल इंक्लाइन	छत्तीसगढ़
		पवन इंक्लाइन	
		बी सीम यूजी	
एनईसी	2010-11	बारागौलाई यूजी	असम

(ग) और (घ) भंडारों के समाप्त हो जाने के कारण कई खाने बंद हैं। अत: इन खानों को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। तथापि, तकनीकी-आर्थिक कारणों जैसे विषम भू-खनन परिस्थितियों, सुरक्षा कारणों आदि के कारण बंद खानों को पुनर्जीवित किया जा सकता है बशर्ते भविष्य में उपयुक्त व प्रौद्योगिकी जो कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, उपलब्ध हो।

पुलिस-अभिरक्षा में मृत्यु

5575. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि की पुलिस-अभिरक्षा में मृत्यु होने के संबंध में ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी अलग-अलग राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पुलिस-अभिरक्षा में होने वाली कुल मौतों से उक्त वर्गों का संबंधित राज्य-वार प्रतिशत कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर इन वर्गों के लिए इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सरकार द्वारा इस प्रकार के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते

हैं। तथापि, वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पंजीकृत किए गए पुलिस हिरासत में हुई हिरासती मौतों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। अतः, ऐसे अपराधों में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौतों के सभी मामलों में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा परामर्शी-पत्र जारी किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उनके द्वारा अपनाए जाने वाले मार्गनिर्देश और सिफारिशें जारी करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और विशेष रूप से हिरासत में लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुग्राही बनाने हेतु कार्यशालाएं/सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु (सूचना) के संबंध में पंजीकृत किये गए मामलों की राज्य-वार कुल संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	0	1	0
आंध्र प्रदेश	14	13	16
अरुणाचल प्रदेश	0	0	2
असम	7	4	9
बिहार	6	8	2
छत्तीसगढ़	1	5	5
दिल्ली	3	1	2
गोवा	2	0	1
गुजरात	9	5	22
हरियाणा	3	3	2
हिमाचल प्रदेश	0	3	0
जम्मू और कश्मीर	2	3	0
झारखंड	6	4	5
कर्नाटक	5	2	4
केरल	2	1	6

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	5	8	3
महाराष्ट्र	31	20	20
मणिपुर	1	1	1
मेघालय	0	0	0
मिज़ोरम	2	1	0
नागालैंड	1	0	1
ओडिशा	7	4	5
पुदुचेरी	0	3	0
पंजाब	6	6	3
राजस्थान	2	3	4
तमिलनाडु	6	7	10
त्रिपुरा	1	0	0
उत्तर प्रदेश	15	16	11
उत्तराखंड	4	1	0
पश्चिम बंगाल	5	5	9
कुल	146	128	143

निजी बोर-वेलों के लिए विद्युत

5576. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निजी बोर-वेलों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से 137.73 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) 137.73 करोड़ रुपए की लागत वाले निजी ट्यूब बैल के विद्युतीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछले वर्ष शुरू किया। तथापि, इस पर सहमति नहीं बनी क्योंकि यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं था।

[अनुवाद]

'सुरक्षित शहर' परियोजना

5577. श्री पी. कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीटी) सहित छह बड़े शहरों में 'सुरक्षित शहर' योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के एक सब-सेट के रूप में महानगरीय पुलिस व्यवस्था (सुरक्षित शहर परियोजना) का अनुमोदन किया है जिसे योजनेतर भाग के अंतर्गत दो वर्षों में उपलब्ध कराई जाने वाली 432.90 करोड़ की धनराशि के केन्द्रीय हिस्से के प्रावधान के साथ छह शहरों में कार्यान्वित किया जाना है। छह शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई के पुलिस बलों की आवश्यकताओं का वित्त-पोषण, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 से 60:40 केन्द्र: राज्य लागत भागीदारी आधार पर किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सुरक्षित शहर परियोजना के बारे में उन राज्य सरकारों को दिनांक 28.2.2013 के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जहां ये छह महानगर स्थित हैं। सुरक्षित शहर परियोजना का मुख्य जोर, बुनियादी अवसंरचना के स्तरोन्नयन, आधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों की उपलब्धता को बेहतर बनाने, शहरों को सीसीटीवी नेटवर्क से कवर करने, डायल 100 प्रणाली के स्तरोन्नयन, आधुनिक राजमार्ग गश्त कारों आदि को शामिल किए जाने पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वित्त-पोषण संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आधुनिकीकरण योजना के तहत अलग से किया जा रहा है।

[हिंदी]

दूध की कीमत

5578. **श्री अर्जुन राय:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डेयरी उद्योग के विस्तार के लिए घरेलू/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारी पूंजी-निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में भारी निवेश उत्पादन में वृद्धि के बावजूद ग्राहकों के लिए दूध की कीमत निरंतर बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 से 2012-13 की अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन में और इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने और इसका मूल्य स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के पास डेरी उद्योग के लिए घरेलू/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए भारी पूंजी निवेश के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) दूध के बिक्री मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: उत्पादन में उसकी लागत में वृद्धि के कारण हैं। वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक दूध के थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05 = 100) सहित भारत में दूध उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	दूध उत्पादन (मिलियन टन)	थोक मूल्य सूचकांक
2004-05	92.5	100.00
2005-06	97.1	101.01
2006-07	102.6	108.98
2007-08	107.9	114.58
2008-09	112.2	123.24
2009-10	116.4	146.41
2010-11	121.8	175.88
2011-12	127.9	194.01
2012-13	133.79*	208.10

*पूर्वानुमानित

(ङ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं

कार्यान्वित कर रहा है जो दूध के मूल्यों को स्थिर करने में भी योगदान करती है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी योजना-चरण-I

(ii) गहन डेयरी विकास कार्यक्रम

(iii) गुणवता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

(iv) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

(v) गौपशु और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना

(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

(vii) चारा और आहार विकास योजना।

[अनुवाद]

नारियल बैंक

5579. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड ने देश में 'नारियल बैंक' का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारियल उत्पादकों के लिए उक्त बैंक किस प्रकार से लाभप्रद होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी नहीं। नारियल विकास बोर्ड ने देश में किसी नारियल बैंक का गठन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मीडिया और मनोरंजन उद्योग का विकास

5580. **श्री ए. गणेशमूर्ति:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2017 तक मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्याप्त प्रशिक्षित प्रतिभाओं के अभाव में भारतीय मीडिया उद्योग प्रभावित हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पर्याप्त प्रशिक्षित पेशेवरों को उक्त क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ङ) फिक्की-केपीएमजी भारत, मीडिया और मनोरंजन (एमएंडई) उद्योग रिपोर्ट-2013 के अनुसार भारतीय एमएंडई उद्योग 15.2% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है जिसके वर्ष 2017 तक 1661 बिलियन रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुशल एमएंडई पेशेवरों की उपलब्धता में कमी देखी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग का विकास पूरे सेक्टर में प्रतिभाओं की कमी से बाधित हुआ है।

एमएंडई सेक्टर में योग्य प्रतिभाओं की मांग को देखते हुए सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं। आशा की जाती है कि इन उपायों से एमएंडई सेक्टर में कुशल श्रमशक्ति की आपूर्ति बढ़ेगी। अभी तक शुरू किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) भारतीय जन संचार संस्थान का विस्तार किया गया है और जम्मू, कोट्टायम, आइजोल और अमरावती में चार नए क्षेत्रीय केन्द्र खोले गए हैं। यह नई दिल्ली स्थित मुख्य परिसर और धेनकनाल स्थित विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र के अतिरिक्त है।

(ii) फिल्म और टेलीविजन सेक्टर में दो पूरी तरह से संपन्न संस्थाएं—भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, कोलकाता की स्थापना फिल्म और टेलीविज़न सेक्टरों के संगत क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए की गई है।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, सरकार ने कुशल श्रमशक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए पहल करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना की है जो एक विशेष

प्रयोजन वाहिनी के रूप में है। एनएसडीसी ने अपनी ओर से भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ परिसंघ (फिक्की) द्वारा मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद की स्थापना को अनुमोदित और वित्तपोषित किया है जिसके दायारे में टीवी, प्रिंट, मीडिया, रेडियो, संगीत, ऐनीमेशन, गेमिंग और विज्ञापन के खंडों को शामिल किया गया है।

[हिंदी]

वितरण-प्रणाली की समीक्षा

5581. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्य-राजसहायता में कटौती करने के लिहाज से वर्तमान प्रापण/वितरण नीति की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विकेन्द्रीकृत प्रापण योजना के अंतर्गत किसानों से खाद्यान्न के प्रापण की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अतिरिक्त खाद्यान्न की भंडारण-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। मौजूदा खरीद नीति के अनुसार केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान तथा गेहूं के लिए मूल्य सहायता प्रदान करती है। पूर्व निर्धारित विपणन मौसम के दौरान/भीतर विनिर्दिष्ट केंद्रों पर बिक्री के लिए लाया गया समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है, सार्वजनिक खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद लिया जाता है। किसानों के पास अपनी उपज को भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने अथवा खुले बाजार में बेचने, जो भी उनके लिए लाभदायक हो, का विकल्प उपलब्ध है। इस नीति का अनुपालन सभी राज्यों में एकसमान रूप से किया जाता है, चाहे उन्होंने खरीद की विकेंद्रीकृत खरीद की पद्धति अपनाई हो अथवा नहीं।

(घ) केंद्रीय पूल हेतु खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाने और कवर्ड तथा प्लिंथ (कैप) के अंतर्गत भंडारण को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) तथा राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) के माध्यम से गोदामों के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारंटी स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत 19 राज्यों में लगभग 197 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। इस स्कीम के अंतर्गत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य सरकार की एजेंसियों को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

बीजों की आपूर्ति

5582. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीजों की मांग का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा राज्य-वार कुल कितनी बीज आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा बीजों की असंतोषजनक आपूर्ति के कारण किसान बाजार से कम पैदावार वाले घटिया किस्म के बीज खरीदने के लिए मजबूर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष रहा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में बीजों की मांग और सरकारी एजेंसियों द्वारा कराए गए बीज उपलब्ध का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन मांग से अधिक है।

देश में खरीफ 2013 के लिए प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन/उपलब्धता 139.87 लाख क्विंटल की मांग की तुलना में 153.94 लाख क्विंटल है, ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों की मांग पर उपलब्धता

(मात्रा लाख क्विंटल में)

राज्य	2010-11				2011-12				2012-13			
	मांग	उपलब्धता			मांग	उपलब्धता			मांग	उपलब्धता		
		सरकारी एजेंसियां	निजी एजेंसियां	कुल		सरकारी एजेंसियां	निजी एजेंसियां	कुल		सरकारी एजेंसियां	निजी एजेंसियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	44.01	40.59	14.43	55.02	48.04	47.32	22.19	69.51	43.57	28.14	21.81	49.95
अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.11	0.00	0.11	0.12	0.12	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.12
असम	7.05	2.00	5.05	7.05	9.61	4.27	5.34	9.61	8.15	2.36	5.79	8.15
बिहार	13.13	7.07	6.61	13.68	15.80	8.11	8.95	17.06	13.66	10.05	6.58	16.63
छत्तीसगढ़	5.07	5.45	0.56	6.01	6.27	4.81	1.20	6.01	7.87	6.97	0.76	7.74
गोवा	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05	0.07	0.07	0.00	0.07
गुजरात	8.11	2.65	6.56	9.20	13.76	3.32	10.82	14.14	9.80	3.20	6.95	10.15
हरियाणा	11.35	3.54	10.56	14.10	10.85	4.34	11.27	15.61	14.13	6.12	9.46	15.58
हिमाचल प्रदेश	2.28	1.59	0.77	2.37	1.64	1.44	0.20	1.64	1.29	1.06	0.00	1.06
झारखंड	3.39	2.46	2.78	5.25	5.65	1.01	0.00	1.01	4.92	2.61	0.00	2.61
जम्मू और कश्मीर	1.14	0.91	0.23	1.14	1.16	0.97	0.31	1.28	1.26	1.04	0.18	1.21
कर्नाटक	11.04	10.99	4.32	15.30	11.60	8.36	5.11	13.48	13.46	8.99	5.73	14.72
केरल	1.20	1.32	0.00	1.32	1.20	1.09	0.00	1.09	1.20	1.20	0.00	1.20
मध्य प्रदेश	23.52	13.61	17.47	31.08	29.16	18.91	14.21	33.12	30.96	19.00	16.52	35.52
मेघालय	0.15	0.14	0.01	0.15	0.18	0.16	0.02	0.18	0.17	0.17	0.00	0.17
महाराष्ट्र	27.04	12.84	14.93	27.78	27.30	13.84	15.76	29.60	27.79	12.88	16.00	28.89
मणिपुर	0.13	0.13	0.00	0.13	0.16	0.16	0.00	0.16	0.20	0.20	0.00	0.20
मिज़ोरम	0.03	0.03	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
नागालैंड	0.19	0.19	0.00	0.19	1.41	0.47	0.00	0.47	0.49	0.49	0.00	0.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ओडिशा	6.86	7.64	0.00	7.64	8.35	6.24	0.00	6.24	8.17	7.09	0.00	7.09
पुदुचेरी	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.09	0.01	0.10
पंजाब	13.28	2.00	13.18	15.18	13.59	2.52	15.30	17.82	12.93	1.58	13.08	14.66
राजस्थान	18.42	9.63	9.62	19.25	20.42	12.95	12.04	24.99	20.15	11.49	9.36	20.85
सिक्किम	0.08	0.08	0.00	0.08	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.06
तमिलनाडु	5.93	3.29	6.71	10.00	5.51	2.96	5.72	8.69	5.54	2.81	5.99	8.79
त्रिपुरा	0.27	0.29	0.01	0.31	0.24	0.25	0.00	0.25	0.27	0.27	0.00	0.27
उत्तराखंड	1.00	0.98	0.03	1.01	1.08	0.97	0.00	0.97	1.13	1.31	0.00	1.31
उत्तर प्रदेश	55.25	21.88	24.74	46.63	61.95	23.13	27.89	51.02	53.65	21.28	29.79	51.07
पश्चिम बंगाल	30.88	13.86	17.33	31.19	35.13	12.68	16.63	29.31	34.07	10.51	19.41	29.92
कुल	290.76	165.44	155.92	321.36	330.41	180.66	172.96	353.62	315.19	161.17	167.41	328.58

विवरण-II

खरीफ 2013 के लिए प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों की अखिल भारतीय फसलवार आवश्यकता

(मात्रा क्विंटल में)

फसल का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी/अधिकता
1	2	3	4
धान	6254264	6923320	669056
मक्का	779459	742633	-36826
बाजरा	231119	317380	86261
ज्वार	164610	242243	77633
रागी	29984	31163	1179
छोटे कदन्न	40	49	9
बैनयार्ड कदन्न	315	25	-290
कोदो कदन्न	472	1149	677
इटालियन कदन्न	3300	3300	0

1	2	3	4
कुल अनाज	7463563	8261262	797699
अरहर	255623	246598	-9025
उड़द	147057	249314	102257
मूंग	168470	189145	20675
लोबिया	22079	18781	-3298
मोठबीन	20900	16648	-4252
कुलथी	4785	4789	4
राजमा	510	510	0
मटर/अन्य	75	75	0
कुल दलहन	619498	725859	106361
मूंगफली	2086881	2176047	89166
सोयाबीन	3299968	3694733	394765
तिल	20737	22334	1597
सूरजमुखी	17269	19538	2269
एरंड	62576	72782	10206
रामतिल	3104	2803	-301
कुल तिलहन	5490535	5988237	497702
कपास	215158	239885	24727
जूट	32208	14451	-17757
रोजैल	8	14	6
कुल रेशें	247374	254350	6977
बाजरा नेपियर	115	115	0
राइसबीन	150	150	0
ढीचा	71350	70850	-500
सनहेम्प	20622	24850	4228
गवार	74700	68616	-6084
कुल अन्य	166937	164581	-2356
सकल योग	13987907	15394290	1406383

डी.एम.एस. मिल्क-बूथः

5583. श्री आर.के. सिंह पटेलः
श्री ई.जी. सुगावनमः
श्री मनसुखभाई डी. बसावाः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में डी.एम.एस. के कुल कितने मिल्क बूथ हैं;

(ख) क्या सरकार का डी.एम.एस. मिल्क-बूथों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दूध और अन्य दुग्ध-उत्पादों की कीमत लगातार बढ़ने के बावजूद डी.एम.एस. को काफी घाटा हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास डी.एम.एस. में विनिवेश/उसका निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीएमएस में कार्यरत कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के 520 बूथ प्रचालन में हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने दिल्ली की गंदी बस्तियों में 20 नये दुग्ध बूथों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना को हुआ घाटा इस प्रकार है :

वर्ष	हानि (करोड़ रुपए में)
2009-2010	38.08
2010-2011	32.10
2011-2012	24.24
2012-2013	लेखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है

दिल्ली दुग्ध योजना को निम्नलिखित कारणों से घाटे हुएः

(i) कच्चे पदार्थों, लाइट डीजल आयल (एलडीओ), जल, बिजली, पॉलिथीन फिल्म और अन्य उपभोज्यों के मूल्यों में लगातार वृद्धि।

(ii) संयंत्र के निम्न सामर्थ्य का उपयोग।

(iii) पुराने संयंत्र और मशीनरी के कारण उत्पादन का अधिक मूल्य और विशाल जनशक्ति।

(ङ) और (च) सरकार के पास डीएमएस के निजीकरण/विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

गंदी बस्तियों में डीएमएस बूथों के प्रस्तावित स्थान

क्र.सं.	क्षेत्र	कालोनी का नाम	डिपो के लिए डीएमएस द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र
1	2	3	4
1.	प. दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1048, हंसराज मुल्कराज भट्ट, जवालापुरी	उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे
2.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-792, हरीजन कॉलोनी के पास, तिलक नगर	एसबीआई एटीएम के पास बीएसएनएल टेलिग्राफ ऑफिस के विपरीत
3.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1096, दो मंजिला स्वीपर टेनेमेंट्स, तिलक नगर	पर्क गेट के पीछे पीपल के पेड़ के पास

1	2	3	4
4.	प. दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-839, दीनदयाल कैंप स्लम क्वार्टर के पास, रोड सं. 77, पंजाबी बाग	पार्क का कोना, कोठी नं. 32/10 के विपरीत
5.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-846, सी-ब्लाक, नाला के पीछे मादीपुर	पार्क का कोना, सुलभ शौचालय के पास, हाऊस नं. 41 के विपरीत
6.	उत्तर पश्चिम दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5302, एफ-ब्लाक, मंगोलपुरी	मंगोलपुर कलां गांव, पत्थर मार्किट आऊटर रिंग रोड के पास, नए कंझावला रोड से जुड़ा हुआ।
7.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5785.1, डी-4-ब्लाक, मंगोलपुरी	बापू पार्क के पास, डी-ब्लाक, मेन थाना रोड
8.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5832, सी-ब्लाक, तांगा स्टैंड के पास, मंगोलपुरी	सी-ब्लाक, करतार मार्किट का चौराहा, कूड़ेदान के ओपोजिट
9.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1085, एक्स-ब्लाक, मंगोलपुरी	सब्जीमंडी के पास, बाल्मीकि मंदिर, एक्स-ब्लाक, संजय गांधी अस्पताल के पास
10.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1084, के-ब्लाक, मंगोलपुरी	बस्ती विकास केंद्र, मंगोलपुरी थाना चौकी के पीछे, संजय गांधी अस्पताल रोड पर
11.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1081, एल ब्लाक, मंगोलपुरी	के ब्लाक एमसीडी स्कूल के पीछे
12.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-5834, सी-2 ब्लाक, सुल्तानपुरी	सी-2 ब्लाक का बाल्मीकि मंदिर, सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के पास
13.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1055, ए-2 ब्लाक, सुल्तानपुरी	ए-2 ब्लाक का बाल्मीकी मंदिर के पीछे, एसबीआई रोड
14.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1069, एफ-7, सुल्तानपुरी	हरीला अखाड़ा के पास, नांगलोई फाटक के पास
15.	द. दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1330, हरिजन कैंप, खानपुर एंड बंजारा कैंप, पीएनबी खानपुर के ऑपोजिट	नगर निगम प्राथमिक विद्यालय के गेट के बाहर
16.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-13, 351, 337, सुभाष कैंप ब्लाक 4, 5, 6, 7, दक्षपुरी और मिनी सुभाष कैंप दक्षपुर एक्सटेंशन पुलिस स्टेशन के पास	इंटरनेट शिक्षा एवं सूचना केंद्र/नाला के पास का खुला क्षेत्र
17.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1425, संजय कैंप, दक्षिणपुरी एक्सटेंशन	चर्च के सामने पार्क में

1	2	3	4
18.	पू. दिल्ली	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1705, ब्लाक-17 और 21 कल्याणपुरी	पार्क में हाऊस सं. 17/100 और 17/230 के बीच, कल्याणपुरी जेके चौक के पास
19.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1611, इंदिरा कैंप, सराउंडेड ब्लाक 20 और 19, त्रिलोकपुरी	20/30 मिनी पार्क का संयुक्त कोना, त्रिलोकपुरी एसबीआई और पोस्ट ऑफिस हिम्मतपुरी के विपरीत
20.	वही	डीयूएसआईबी क्लस्टर कोड-1619, अंबेडकर कैंप, ब्लाक 32 और 34 त्रिलोकपुरी	हाऊस सं. 480 और 411 के बीच पार्क में, ब्लाक 32 त्रिलोकपुरी के विपरीत आईबी वायरलेस हैड ऑफिस के पीछे

[अनुवाद]

कीटनाशक के रूप में जैव-नियंत्रण कारक

5584. प्रो. सौगत रायः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैव-नियंत्रण कारकों को कीटनाशक के रूप में विकसित करने हेतु अनुसंधान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों के बीच उक्त जैव-नियंत्रण कारकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन जैव-नियंत्रण कारकों से किसानों को किस प्रकार लाभ मिलेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने फसलों के नाशीजीवों को समाप्त करने के लिए जैव-नियंत्रण एजेंटों के विकास हेतु अनुसंधान शुरू किए हैं।

(ख) फसल नाशीजीव (कीट, कुटकी, सूत्रकृमि, रोगों) के प्राकृतिक शत्रुओं की पहचान की गई है और इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तरीके विकसित किए गए। फसलों में नाशीजीव प्रजातियों के आक्रमण के समय, खेतों में प्रसारित वितरण द्वारा इन प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग किया जाता है। इन हानिकारक नाशीजीवों को ये प्राकृतिक शत्रु नष्ट करते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। किसानों को खेतों पर किसान भागीदारी प्रदर्शनों, किसान मेला में जागरूकता कार्यक्रमों, किसानों की बैठकों, प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और श्रव्य और दृश्य मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से सलाह दी जाती है।

फसलों के नाशीजीवों के जैविक-नियंत्रण में पारिप्रणाली अनुकूल तरीकों के प्रयोग ने फसलों में संथेटिक रासायनिक कीटनाशियों के उपयोग को कम किया है, इससे खेतों और किसानों के बेहतर स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दलहन और खाद्य तेल

5585. श्री अब्दुल रहमानः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः
श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरण हेतु दलहन और खाद्य तेलों का स्वीकृत कोटा प्रदान करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कम आपूर्ति के क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त वस्तुओं की राज्य-वार मांग, आबंटन और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है तथा राज्यों को स्वीकृत कोटे की पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार, दलहनों और खाद्य तेलों के आयात के लिए केंद्र सरकार के उपक्रमों के साथ अनुबंध नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आयात हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने उक्त मदों की कितनी मात्रा के आयात हेतु केंद्र सरकार के उपक्रमों से अनुबंध किया और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मात्रा उठाई गई; और

(ङ) क्या सरकार ने अब इस योजना को समाप्त कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 15/-रु. प्रति किलोग्राम की सब्सिडी सहित वितरित किए जा रहे सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों की स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को उनकी मांग के अनुसार खाद्य तेलों का पूरा कोटा आबंटित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दालों के वितरण के लिए निम्नलिखित दो स्कीमें संचालित थीं। जिनमें से पहली स्कीम जो 2008-09 से 30.06.2012 तक संचालन में थी के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्य सरकारों को आयातित दालों की एक किलोग्राम, प्रति परिवार, प्रतिमाह की आपूर्ति पर 10/-रु. प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाती थी, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को प्रत्येक प्रकार की दालों के संबंध में मात्रा के रूप में अपनी आवश्यकता पदनामित एजेंसी को बतानी होती थी और उनके द्वारा मांगी गई दालों की आपूर्ति पदनामित एजेंसियों द्वारा की जाती थी। राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों को वितरण के लिए सब्सिडीकृत दरों पर आयातित दालों की आपूर्ति की दूसरी स्कीम जनवरी-मार्च, 2013 के दौरान संचालन में थी, इसके तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली आयातित दालों की आपूर्ति के लिए सीधे ही आयातक एजेंसियों से अनुबंध किया जाता था।

(ख) से (घ) वांछित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ङ) खाद्य तेलों के संबंध में सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम को 30.09.2013 तक जारी रखा गया है। दालों के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे के कॉर्ड धारकों को आयातित दालों की आपूर्ति की स्कीम को जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

बोडो भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता

5586. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोडे भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बावजूद असम सरकार द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अनुसार असम राज्य की एक राजभाषा के रूप में न तो मान्यता ही प्रदान की गई है, न ही इसे लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में असम राज्य सरकर को क्या निदेश जारी किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा, उस राज्य में सभी अथवा किसी एक शासकीय उद्देश्य से प्रयोग के लिए, भाषा अथवा भाषाओं के रूप में राज्य में प्रयोग की जा रही भाषाओं में से किसी एक अथवा अधिक को वैधानिक माध्यम से अपना सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अधीन किसी भाषा के शामिल किए जाने के आधार पर ही उस भाषा को उस राज्य की राजभाषा घोषित किए जाने की पात्रता नहीं मिल जाती है।

महिला एन.एस.जी. कमांडो की तैनाती

5587. श्री पी. कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का फील्ड-अभियानों में और साथ ही विमानों में वायुरक्षक (स्काई-मार्शल) के रूप में तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) की महिला कमांडो यूनिटों की तैनाती का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) में 01 महिला सहायक कमांडर और 18 महिला रेंजर हैं। इन महिला कमांडों को एनएसजी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के साथ वीआईपी

सुरक्षा ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाता है और वे समय-समय पर उन्हें सौंपी गई अन्य परिचालनात्मक ड्यूटी भी करती हैं।

जी.एम.डी.सी. से अनुरोध

5588. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मोगरा-II कोयला-खंड के संबंध में गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) को भावी लाइसेंस देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जीएमडीसी ने एक अन्य वैकल्पिक कोयला-खंड के आवंटन के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या स्थिति है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भावी लाइसेंस प्रदान करने के लिए मोर्गा-II कोयला ब्लॉक की वानिकी स्वीकृति के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है और वैकल्पिक कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए अनुरोध किया है। गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) ने मामले पर पुन: विचार करने और पर्यावरण और वन मंत्रालय को इसे वानिकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से पुन: आवेदन प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) वर्तमान नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत वैकल्पिक कोयला ब्लॉक के आवंटन पर विचार किया जा सके।

आप्रवासियों के लिए राशन कार्ड

5589. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक बांग्लादेशी आप्रवासियों को अवैध राशन-कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ड्रिप-सिंचाई के लिए सौर-विद्युत पंप

5590. श्री प्रबोध पांडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने नवाचारी कृषि-प्रविधियों के अंतर्गत जल और विद्युत बचाने के लिए ड्रिप-सिंचाई हेतु सौर-ऊर्जा चालित पंप लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का अन्य राज्यों में भी ऐसी कृषि प्रविधि अपनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पंजाब में सिंचाई और अन्य कृषि कार्यकलापों के लिए 600 सौर पंप सेटों की स्थापना करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को 685.98 लाख रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहातया संस्वीकृत की है। इसके अलावा, पंजाब सरकार 40 प्रतिशत की अतिरिक्त राज्य सहायता से बागवानी क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई के लिए 100 डीसी सबमर्सीबल 2 एचपी सोलर फोटोवेलटेयिक जल पंप स्थापित करने के लिए सहमत हुई है।

(ग) और (घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत "ऑफ ग्रिड विकेन्द्रीकृत सोलर अनुप्रयोग स्कीम" कार्यान्वित कर रहा है। 5 केडब्ल्यूपी की सोलर फोटोवेलटेयिक माड्यूल क्षमता वाले जल पंप की स्थापना करने के लिए 57000 रु. प्रति केडब्ल्यूपी तक सीमित परियोजना लागत की 30 प्रतिशत दर पर सहायता प्रदान की जा रही है।

नशे की लत

5591. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री वरूण गांधी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत नशे की लत के राज्य-वार कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसे किशोरों की नशे की लत के उपचार, नशा-मुक्ति और पुनर्वास हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश भर के विद्यालयों, कॉलेजों में शराब की लत के संबंध में कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) और (ख) 2011 में यथा संशोधित बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में "मद्यपान तथ नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण तथा समाज रक्षा सेवाओं के लिए सहायता" की योजना अथवा इस समय लागू किसी अन्य तदनुरूपी योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त व्यसनी समेकित पुनर्वास केंद्रों में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों सहित उन बच्चों को भर्ती करके उपचार करने की व्यवस्था है जो किसी स्वापक अथवा मनःप्रभावी पदार्थ के आदी हैं। आईआरसीएज निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं–

(i) सुधारात्मक शिक्षा और जागरूकता सृजन

(ii) प्रेरणात्मक परामर्श के लिए व्यसनियों की पहचान

(iii) नशा मुक्ति और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास

(iv) रैफरल सेवाएं

(v) उत्तरवर्ती देखभाल तथा अनुवर्ती देखभाल

(vi) देखभाल और सह-निर्भरता एवं पुनर्वास के लिए परिवारों हेतु सहायता

बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत आईआरसीए में उपचार करवाने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, मंत्रालय की मद्यमान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लाभान्वित बच्चों सहित लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है–

वर्ष	लाभार्थियों की कुल संख्या
2010-11	1,10,700
2011-12	1,28,412
2012-13	70,000
2013-14	शून्य

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय बाल भवन के सहयोग से वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान, स्थानीय, आंचलिक और राष्ट्रीय स्तर पर पोस्टर मेकिंग, सृजनात्मक लेखन, व्याख्यान, रैली, नुक्कड़ नाटक आदि जैसी गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से 12 से 16 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के मध्य नशीली दवा और मद्यपान दुरुपयोग के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली

5592. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 में आरंभ की गई ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) जन-जागरूकता के अभाव में विफल साबित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कोई जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का कदम उठा रही है जिससे कि ऑनलाइन एफएमएस को लोकप्रिय बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त जन-जागरूकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी नहीं।

उर्वरक मॉनिटरिंग प्रणाली (एफएमएस) जिसे उर्वरक विभाग द्वारा 2007 में प्रारंभ किया गया था सभी पणधारियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। वर्तमान में उर्वरक मॉनिटरिंग प्रणाली के माध्यम से जिला स्तर तक उर्वरकों की उपलब्धता एवं संचलन का पता लगाया जा रहा है। सब्सिडी (भाड़ा सब्सिडी सहित) इस प्रणाली की सहायता से संसाधित की जा रही है।

(ख) से (घ) एफएमएस के विभिन्न पणधारी अर्थात् उर्वरक विभाग, राज्य कृषि विभाग और कंपनियां व्यापक रूप से प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। जिला स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता आम जनता द्वारा वेबसाइट www.urvark.co.in पर देखी जा सकती है। उर्वरक विभाग भारत उर्वरक संघ के परामर्श से पणधारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बैठक एवं सेमीनार आयोजित करता है। इसने उर्वरकों की उपलब्धता मॉनीटर करने के लिए ऑनलाइन साधन संगोष्ठियों का प्रयोग करने हेतु सभी पणधारियों को मनाने के प्रयास किए एवं कुछ समय लगा। तथापि एफएमएस को लोकप्रिय बनाने हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए विशिष्ट निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

[हिंदी]

कनॉट प्लेस में भूमिगत पार्किंग

5593. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः**
श्रीमती रमा देवीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कनॉट प्लेस में भूमिगत पार्किंग का निर्माण तथा इसकी लागत का वहन किस एजेंसी ने किया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त भूमिगत पार्किंग का प्रचालन किसी निजी कंपनी को सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पार्किंग के प्रचालन हेतु क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) कनॉट प्लेस में भूमिगत पार्किंग, जिसे पालिका पार्किंग के रूप में जाना जाता है, का निर्माण एनडीएमसी द्वारा किया गया था और इसके निर्माण की लागत एनडीएमसी द्वारा स्वयं वहन की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

केबल टीवी शुल्क का वितरण

5594. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः**
श्री संजय भोईः
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के संशोधन के अनुसार, केबल टेलीविजन उपभोक्ताओं से प्रभारित शुल्क-राशि का स्थानीय ऑपरेटरों और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों के बीच वितरण फ्री-टू-एयर चैनलों के सिलसिले में 45:55 के अनुपात में और पेड-चैनलों के सिलसिले में 35:65 के अनुपात में होना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय केबल ऑपरेटरों के संघों ने इसके परिणाम-स्वरूप हुए घाटे के संबंध में शिकायत की है और इस मुद्दे के समाधान हेतु कुछ उपचारोपाय सुझाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान और स्थानीय/मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों के हित संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (चतुर्थ) (संबोधनीय प्रणाली) प्रशुल्क आदेश, 2010 दिनांक 21.07.2010 डिजिटल संबोधनीय केबल टेलीविजन प्रणाली (डीएएस) सहित सभी संबोधनीय टीवी वितरण प्रणालियों पर लागू है। उक्त आदेश में व्यवस्था है कि केबल ऑपरेटर द्वारा यथास्थिति बहु-प्रणाली ऑपरेटर (एमएसओ) या एचआईटीएस ऑपरेटर को संदेय प्रभारों का निर्धारण परस्पर करार द्वारा किया जाएगा। तथापि, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यदि एमएसओ और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) के बीच कोई परस्पर करार नहीं हो पाता तो ग्राहकों से एकत्र किए गए प्रभार को निम्नलिखित रूप में बांटा जाएगा:

- मूल सेवा टायर के चैनलों, फ्री-टु-एयर चैनल और फ्री-टु-एयर चैनलों के गुलदस्ते के लिए अंशदान से संग्रह किए गए प्रभार को क्रमशः एमएसओ और एलसीओ के बीच 55:45 के अनुपात में बांटा जाएगा; और
- चैनलों या चैनलों के गुलदस्ते या ऊपर उल्लिखित खंड के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न चैनलों या चैनलों के गुलदस्ते के लिए अंशदान से संग्रह प्रभार को क्रमशः एमएसओ और एलसीओ के बीच 65:35 के अनुपात में बांटा जाएगा।

ट्राई ने सभी पणधारकों से परामर्श प्रक्रिया पूरी करने और उनकी टिप्पणियों/उनके विचारों पर पूरी तरह विचार करने के बाद एमएसओ और एलसीओ के बीच आमदनी की हिस्सेदारी के लिए उपर्युक्त विनियामक ढांचे को तैयार किया है।

कुछ एमएसओ और एलसीओ ने माननीय दूरसंचार विवाद निवारण और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) को अपील दायर करके एमएसओ और एलसीओ के बीच आमदनी हिस्सेदारी व्यवस्था से संबंधित उक्त प्रावधानों को चुनौती दी थी। टीडीएसएटी ने अपने दिनांक 19 अक्तूबर 2012 के अधिनिर्णय में उपर्युक्त प्रावधानों को उचित ठहराया और इन प्रावधानों के खिलाफ की गई अपीलें खारिज हो गईं। तत्पश्चात्, कुछ एमएसओ ने टीडीएसएटी के उक्त अधिनिर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

[हिंदी]

आत्मविमोह-ग्रस्त व्यक्तियों हेतु अवसर

5595. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः**
श्री एम.आई. शानवासः
श्री अब्दुल रहमानः
श्री एन. पीताम्बर कुरूपः
डॉ. संजय सिंहः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आत्मविमोह (ऑटिज्म) रोग के लक्षण और कारण क्या हैं और देश में इसकी रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उक्त रोग से ग्रस्त रोगियों के उपचार और पीड़ित व्यक्तियों हेतु शैक्षिक और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत तथा जारी राशि का राज्य-वार/गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या उपलब्धि मिली है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकास विकार है जिसे व्यवहारगत अभिव्यक्तियों के आधार पर पहचाना जाता है जिसमें पारस्परिक सामाजिक अन्योन्यक्रियाओं में बाधा, वाक/भाषा/संपर्क विकास में विलम्ब/विपथन और प्रतिबंधित, पुनरावृत्त औपचारिक व्यवहार शमिल हैं। निश्चित रूप से निदान प्रायः तीन वर्ष की आयु तक किया जा सकता है।

ऑटिजम के कारणों को वृहद रूप से उत्पत्ति के अनुसार वंशानुगत रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें पर्यावरणीय घटकों की भूमिका होती है। अनेक जीन जन्मजात चोटों के अतिरिक्त, निदान के साथ जुड़े हुए हैं जो बच्चों को ऑटिज्म के जोखिम में डाल सकते हैं विश्वभर में ऑटिज्म के कारणों पर अनुसंधान चल रहे हैं। सटीक कारण अभी निर्धारित किए जाने हैं।

भारत सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का एक घटक है, के अंतर्गत मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की सामुदायिक आधार पर देखभाल अपनायी है। डीएमएचपी के अंतर्गत, एक मनोरोग चिकित्सक के नेतृत्व में एक मानसिक स्वास्थ्य दल एक जिले में सेवाएं प्रदान करने, सामान्य मानसिक रोगों की पहचान और उपचार के लिए सामान्य स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण तथा जागरूकता के लिए आईईसी कार्यकलाप निष्पादित करने के लिए रखा गया है।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास जो नि:शक्तता कार्य विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विगलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न अन्य योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। योजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/जिलों/संस्थानों के लिए एनएमएचपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II(क), (ख) और (ग) के रूप में संलग्न है। गैर-सरकारी संगठनों के लिए कोई निधियां निर्मुक्त नहीं की गई है।

विवरण-I

1. आकांक्षा:-प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम (दिवा देखभाल केंद्र)

आकांक्षा योजना को "विकासात्मक विकलांगता" वाले 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए तैयार की गई है तथा इसका लक्ष्य इन नन्हें बच्चों और उनके माता-पिता को 20 के बैच में शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इस समय देशभर में ऐसे 79 केन्द्र हैं।

2. ज्ञान प्रभा (छात्रवृत्ति योजना)

ज्ञान प्रभा योजना विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास तथा रोजगार वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना को वर्ष 2010 में इस प्रकार संशोधित किया गया है:-

(i) 15000 रु. की मासिक पारिवारिक आय की सीमा को हटा दिया गया है। अगले वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के नवीकरण हेतु न्यूनतम 50% अंकों की शर्त भी हटा दी गई है। अब नवीकरण शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापित कक्षा में नियमित उपस्थिति के आधार पर होगा।

(ii) छात्रवृत्ति की राशि 700 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रु. प्रतिमाह कर दी गई है।

3. समर्थ (आवासीय देखभाल योजना)

यह युवाओं और निराश्रित बच्चों को अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक आवास सुविधा प्रदान करके संकटग्रस्त परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। देश भर में 30 लाभार्थियों (24-आवासीय तथा 6 दिवा देखभाल) की क्षमता वाले ऐसे 119 केन्द्र हैं। इस योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

4. निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)

निरामय, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों को 1.0 लाख रु. की स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। 15,000/- रु. तक की पारिवरिक आय के लिए नाममात्र 250/- रु. तथा 15,000 रुपए से अधिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों के लिए 500/- रु. प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध है। अभी तक समस्त देश में इस योजना के अंतर्गत 1,25,247 लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। 31.03.2013 तक 20,052 मामलों के लिए 6.21 करोड़ रुपए से अधिक के दावा निपटान किए गए हैं।

5. सहयोगी-देखभाल प्रदाता प्रशिक्षण एवं तैनाती योजना

सहयोगी योजना के अंतर्गत देशभर में प्रशिक्षित व्यावसायिकों द्वारा देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चयनित एनजीओ केन्द्रों में देखभाल प्रदाता प्रकोष्ठ (सीजीसी) की स्थापना की गई है। इन व्यावसायिकों को दिल्ली में समूह में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। देखभाल प्रदाताओं का पंजीकरण तथा देखभाल के इच्छुक व्यक्तियों का नामांकन सीजीसी में किया जा रहा है। अभी तक 40 सीजीसी को संस्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से देशभर में 36 सीजीसी की स्थापना कर दी गई है।

6. उद्यम प्रभा (प्रोत्साहन) योजना

उद्यम प्रभा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत कवर विकलांग व्यक्तियों को आय सृजक उद्यमों के लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय बीपीएल के मामले में 5% तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऋण अकेला व्यक्ति अथवा किसी भी संख्या वाला समूह ले सकता है लेकिन प्रोत्साहन 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक के ऋण पर 5 वर्षों के लिए सीमित है।

7. घरौंदा (वयस्क विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समूह गृह और पुनर्वास कार्यकलाप

सहायता प्राप्त जीवन निर्वाह कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन पर्यन्त आश्रय तथा देखभाल प्रदान करने की एक योजना है। यह योजना बीपीएल लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क तथा अन्यों के लिए भुगतान के आधार पर है।

विवरण-II (क)

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएमएचपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियां

2010-11

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	कांडापाह	रु. 21,80,000/-
2.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	रु. 17,42,400/-
3.	केरल	कन्नूर	रु. 21,80,000/-
4.		वायनाड	रु. 21,80,000/-
5.	कर्नाटक	शिमोग	रु. 21,08,200/-
6.		गुलबर्ग	रु. 19,59,400/-
7.		करवाड	रु. 18,19,200/-
8.		चामराजनगर	रु. 13,44,800/-
9.	पश्चिम बंगाल	24-परगना	रु. 21,80,000/-
10.		जलपाईगुडी	रु. 15,81,648/-

2. जनशक्ति विकास योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	संस्था	राशि
		योजना-क: उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना	
1.	जम्मू और कश्मीर	मनोरोग अस्पताल, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	रु. 10,54,08,352/-
2.	ओडिशा	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक	रु. 5,28,00,000/-
3.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य, संस्थान, पंडित बी.डी. शर्मा, स्वास्थ्य सेवाएं विश्वविद्यालय, रोहतक	रु. 15,56,00,000/-
4.	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और अस्पताल, आगरा	रु. 15,56,00,000/-
5.	केरल	आईएमएचएएनएस, कोझीकोड	रु. 20,84,00,000/-
6.	चंडीगढ़	मनोरोग विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रु. 5,07,50,000/-
7.	दिल्ली	आईएचबीएएस, शाहदरा	रु. 5,28,00,000/-
		योजना-ख : मानसिक स्वस्थ्य विशिष्टताओं में पीजी विभागों के लिए सहायता	
8.	केरल	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	रु. 1,73,66,000/-

विवरण-II (ख)

2011-12

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि
1.	गुजरात	गोधरा	रु. 20,70,000/-
2.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	रु. 21,80,000/-
3.		जैनतिया हिल्स	रु. 21,80,000/-
4.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	रु. 20,70,000/-
5.		रायबरेली	रु. 20,47,000/-
6.	मणिपुर	चुरंचन्द्रपुर	रु. 21,57,000/-
7.		चंदेल	रु. 21,80,000/-
8.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर	रु. 20,98,564/-
9.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	रु. 12,35,000/-
10.	तमिलनाडु	मदुरई	रु. 49,41,500/-
11.		रामानाथपुरम	रु. 49,41,500/-
12.		धर्मपुरी	रु. 77,90,000/-
13.		नागापत्तिनाम	रु. 75,43,000/-
14.		थेनी	रु. 76,56,000/-
15.		कन्याकुमारी	रु. 74,78,000/-
16.		थिरूवरूर	रु. 46,37,000/-
17.		नामकाल	रु. 46,37,000/-
18.		पेराम्बलूर	रु. 46,37,000/-
19.		वीरूधुनगर	रु. 46,37,000/-
20.		कुड्डालोरे	रु. 46,37,000/-
21.		थिरूवल्लूर	रु. 46,37,000/-

2. जनशक्ति विकास योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	संस्था	राशि
		योजना-क : उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना	
1.	जम्मू और कश्मीर	मनोरोग अस्पताल, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	रु. 13,01,91,648/-
2.	ओडिशा	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कटक	रु. 22,50,00,000/-
3.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पंडित बी.डी शर्मा, स्वास्थ्य सेवाएं विश्वविद्यालय, रोहतक	रु. 5,52,38,788/-
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान	रु. 30,00,00,000/-
5.	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और अस्पताल, आगरा	रु. 7,97,00,000/-
		योजना-ख : मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में पीजी विभागों के लिए सहायता	
6.	कर्नाटक	एनआईएमएचएएनएस, बंगलौर	रु. 87,12,000/-
7.	दिल्ली	डॉ. आरएमएल अस्पताल, दिल्ली	रु. 1,30,00,000/-

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सहायता

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	राशि
1	2	3
1.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश	रु. 9,00,000/-
2.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश	रु. 9,00,000/-
3.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, असम	रु. 9,00,000/-
4.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, बिहार	रु. 9,00,000/-
5.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, चंडीगढ़	रु. 9,00,000/-
6.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	रु. 9,00,000/-
7.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली	रु. 9,00,000/-
8.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दमन और दीव	रु. 9,00,000/-
9.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दिल्ली	रु. 9,00,000/-

1	2	3
10.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गोवा	रु. 9,00,000/-
11.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गुजरात	रु. 9,00,000/-
12.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हरियाणा	रु. 9,00,000/-
13.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश	रु. 9,00,000/-
14.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, झारखंड	रु. 9,00,000/-
15.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, कर्नाटक	रु. 9,00,000/-
16.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, केरल	रु. 9,00,000/-
17.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मध्य प्रदेश	रु. 9,00,000/-
18.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, महाराष्ट्र	रु. 9,00,000/-
19.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मणिपुर	रु. 9,00,000/-
20.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मेघालय	रु. 9,00,000/-
21.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मिज़ोरम	रु. 9,00,000/-
22.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नागालैंड	रु. 9,00,000/-
23.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, ओडिशा	रु. 9,00,000/-
24.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुदुचेरी	रु. 9,00,000/-
25.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राजस्थान	रु. 9,00,000/-
26.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, सिक्किम	रु. 9,00,000/-
27.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, तमिलनाडु	रु. 9,00,000/-
28.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, त्रिपुरा	रु. 9,00,000/-
29.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	रु. 9,00,000/-
30.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड	रु. 9,00,000/-
31.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल	रु. 9,00,000/-

विवरण-II (ग)

2012-13

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि
1.	पंजाब	संगरूर	रु. 34,47,197/-
2.	केरल	कन्नूर	रु. 46,37,000/-
3.		इदुकी	रु. 45,41,660/-
4.		वायनाड	रु. 41,29,248/-
5.	मणिपुर	चंदेल	रु. 46,37,000/-
6.		चुरूचंद्रपुर	रु. 37,71,554/-
7.	पश्चिम बंगाल	साउथ 24 परगना	रु. 46,37,000/-
8.		जलपाईगुड़ी	रु. 42,89,625/-
9.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	रु. 43,16,456/-
10.		फैजाबाद	रु. 41,80,490/-
11.		रायबरेली	रु. 45,06,267/-
12.		सीतापुर	रु. 38,52,468/-

2. जनशक्ति विकास योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	संस्था	राशि
1	चंडीगढ़	मनोरोग विभाग सरकारी चिकित्सा महविद्यालय, चंडीगढ़	रु. 13,31,00,000/-
2	गुजरात	मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, अहमदाबाद	रु. 13,31,00,000/-
3	पश्चिम बंगाल	मनोरोग संस्थान, कोलकाता	रु. 13,31,00,000/-

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को सहायता

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	राशि
1.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पंजाब	रु. 9,00,000/-

दुग्ध उत्पादन की दर

5596. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित संकर प्रजाति की गायों की तुलना में देशी गायों की दुग्ध उत्पादन दर कम पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो आयातित और देशी गायों की औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन दर पृथक-पृथक क्या है और वर्तमान में देश में आयातित और देशी गायों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या देशी गायों की तुलना में आयातित गायों का रख-रखाव महंगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशी गायों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां। यह सत्य है कि आयातित अर्थात् अन्य स्थानित/संकर नस्ल की गायों के दुग्ध उत्पादन की दर की तुलना में देशी गायों की दुग्ध उत्पादन दर कम है।

(ख) आयातित अर्थात् अन्य स्थानिक/संकर नस्ल और देशी गायों के दुग्ध उत्पादन की औसत दैनिक दर और आयातित अर्थात् अन्य स्थानिक/संकर नस्ल तथा देशी गायों की अनुमानित संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं	नस्ल	गायों की अनुमानित संख्या (हजार में)	उत्पादन की औसत दैनिक दर (किलोग्राम/दिन)
1.	देशी गाय	31,591	2.27
2.	अन्य स्थानिक/संकर गाय	11,697	6.97

स्रोत: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पशुपालन विभाग

(ग) और (घ) देशी गायों की तुलना में आयातित गायों का रखरखाव अधिक है क्योंकि इनमें सघन आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन की मांग होती है और इनका मुख्य रूप से देश में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है।

(ङ) गोपशु और भैंस सहित बोवाइन में आनुवांशिक सुधार एक दीर्घकालिक कार्य है और भारत सरकार ने एक प्रमुख कार्यक्रम 'राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना' (एनपीसीबीबी) आरंभ किया है। एनपीसीबीबी में महत्वपूर्ण देशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आनुवांशिक सुधार की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के अधीन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जाता है।

जैविक खेती संबंधी समिति

5597. श्री रेवती रमण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के तरीके सुझाने के उद्देश्य से कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए दो समितियां गठित की हैं, समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं–

(i) मई 2000 के दौरान जैविक खेती संबंधी कार्य बल गठित किया गया तथा नवंबर, 2001 के दौरान रिपोर्ट प्राप्त की गई, तथा;

(ii) अक्टूबर, 2008 के दौरान जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई तथा मार्च, 2009 के दौरान रिपोर्ट प्राप्त की गई।

(ग) जैविक खेती संबंधी कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय जैविक खेती संवर्द्धन परियोजना (एनपीओएफ) स्कीम की शुरुआत की गई तथा समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ) तथा छः क्षेत्रीय जैविक केंद्रों (आरसीओएफ) का राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्रों (एनबीडीसी) तथा इसके छः क्षेत्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्रों (आरबीडीसी) के नए नाम से गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति की कुछ सिफारिशें जैसे कि जैविक आदानों का प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, वैकल्पिक प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत सहभागिता गारंटी प्रणली "पीजीएस-भारत" वर्ष 2011-12 के दौरान पहले से कार्यान्वित की जा चुकी है।

बिहार में आतंकवादी गतिविधियां

5598. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आतंकवाद संबंधी घटनाओं से जुड़े कुछ लोगों का संबंध बिहार से भी है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में अब तक पकड़े गए ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उनका नाम और पता क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए भारत में भारत-नेपाल तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर आईएसआई और चीनी संगठनों की मिलीभगत से व्यापक नेटवर्क बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ङ) क्या कुछ स्वैच्छिक संगठन भी इसमें संलिप्त हैं तथा इस हेतु उन्हें विदेश से धन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) उपलब्ध आसूचना के अनुसार देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के संबंध में, जनवरी 2011 से आज की स्थिति के अनुसार, बिहार के विभिन्न स्थानों से 9 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इन व्यक्तियों के नाम और पते संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) हिंसा करने के लिए आईएसआई और चीनी संगठनों के सांठगांठ से भारत-बांग्लादेश सीमा पर नेटवर्क बिछाए जाने के बारे में इस प्रकार की कोई आसूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि एलईटी, जेईएम आदि जैसे जेहादी संगठनों द्वारा बांग्लादेश में अपनी आतंकवादी असंरचना स्थापित करने तथा भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत में जेहादियों को हथियार और गोलाबारूद भेजने के लिए सुभेद्य बांग्लादेश-भारत सीमा का इस्तेमाल किए जाने की बात ध्यान में आयी है। एक पाक प्रशिक्षित आतंकवादी से पूछताछ से पता चला कि आतंकवादियों को बैचों में पाकिस्तान में आईएसआई सुविधाओं से प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए नेपाल/बांग्लादेश के जरिए भारत में उनकी घुसपैठ कराई जा रही है।

(घ) सरकार, देश के किसी भी भाग में किसी भी आतंकवादी या आतंकवादी समूहों/संगठनों द्वारा हमला किए जाने की किसी भी नापाक योजना, उसके सभी स्वरूपों या आकारों को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आतंकवादी संगठनों के संभावित मंसूबों और धमकियों से संबंधित आसूचना का आदान-प्रदान राज्य सरकारों के साथ किया जाता है। बहु एजेंसी केंद्र (एमएसी) को सुदृढ़ बनाया गया है तथा इसे पुनर्गठित किया गया है ताकि यह समय पर सूचना के संग्रहण तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना के आदान-प्रदान हेतु चौबीसों घंटे कार्य करने में समर्थ हो सके तथा स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा संबंधी आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है जिससे राज्यों तथा केंद्रीय सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच गहन समन्वय तथा आसूचना का आदान-प्रदान और सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रमुख आतंकवादी माड्यूलों का भंडाफोड़ हुआ है।

(ङ) सरकार के पस वर्तमान में इस प्रकार की कोई आसूचना उपलब्ध नहीं है जो यह इंगित करता हो कि बिहार में आतंकवादी नेटवर्क फैलाने के लिए विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग हेतु कोई स्वयंसेवी संगठन सामने आया है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम और पते

क्र.सं.	व्यक्तियों के नाम	पता
1.	गयूर अहमद जमाली उर्फ अनवर	गांव और पुलिस थाना सकरी, जिला मधुबनी, बिहार
2.	मो. आदिल खान उर्फ सूरज उर्फ मो. अजमल उर्फ शोएब उर्फ वलीद पुत्र मो. शफीक खान	मकान नंबर 9, यूसूफ प्लाजा, दस्तगीर, एफबी एरिया, कराची, पाकिस्तान
3.	मो. अफताब आलम उर्फ फारूख उर्फ शेख चिल्ली पुत्र मो. अयूब	गांव बलुआ, पुलिस थाना जलालगढ़, जिला पूणियां, बिहार
4.	मो. तारीक अन्जुम हसन उर्फ शाम पुत्र मो. बदरूज्जमान	गांव महमूदा, जिला नालंदा, बिहार
5.	मो. कफील उर्फ बुढा कफील पुत्र मो. अयूब अन्सारी	शिवधरा, पुलिस थाना विश्वविद्यालय, जिला दरभंगा, बिहार
6.	मो. कफील अख्तर उर्फ छोटा कफील	बरहा समेली गांव, जिला दरभंगा, बिहार
7.	मो. नसीम	गांव बरहा समेली, जिला दरभंगा, बिहार
8.	कमाल हसन उर्फ बिलाल उर्फ कालू पुत्र मो. हसनैन उर्फ बादशाह	गांव बरहा, जिला मधुबनी, बिहार
9.	मो. दानीश अंसारी पुत्र मो. जफीर अंसारी	चकजोड़ा मोहल्ला, पुलिस थाना लहेरिया सराय, जिला दरभंगा, बिहार

[अनुवाद]

एफसीआई के गोदामों की दशा

5599. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार/एफसीआई के गोदामों में उपलब्ध होने वाले गेहूं और चावल की अनुमानित प्रमात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में एफसीआई के गोदामों की दशा खराब और जीर्ण-शीर्ण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनईआर में गोदामों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान नए गोदामों की स्थापना करने और खाद्यान्नों की अतिरिक्त आपूर्ति करने हेतु असम से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार/भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 2.79 लाख टन चावल और 0.60 लाख टन गेहूं की मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का रखरखाव मानदंडों के अनुसार किया जाता है और इनके समुचित रखरखाव के लिए आवधिक अनुरक्षण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) असम में नए गोदामों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि योजना स्कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम, राज्य में अपने पास उपलब्ध भंडारण क्षमता में वृद्धि कर रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में स्टाक की संभावित उपलब्धता

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	चावल	गेहूं
1.	असम	151804	47466
2.	अरुणाचल प्रदेश	10310	1043
3.	मेघालय	18614	1786
4.	मिज़ोरम	17909	1237
5.	त्रिपुरा	32579	1491
6.	नागालैंड	24797	3336
7.	मणिपुर	22659	2170
	जोड़	278672	59635

बलात्कार के मामलों में गिरफ्तारी

5600. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकर को बलात्कार के झूठे मामलों में लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित ऐसे मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्वरित न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि बलात्कार के झूठे मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद ऐसे लोगों के पुनर्वास का कार्य सरकार का कर्तव्य है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) गृह मंत्रालय को इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय को इस संबंध में कोई आधिकरिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सीएपीएफ के लिए कल्याण बोर्ड

5601. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कार्यरत, सेवानिवृत्त लोगों, उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए किसी सांविधिक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों के अध्यक्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन बोर्डों को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए इसके अध्यक्षों हेतु भूतपूर्व अर्द्ध-सैनिक बलों के अधिकारियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे बोर्डों के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास की देखभाल के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 17.5.2007 को कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) की स्थापना की गई है। रोटेशन के आधार पर सीएपीएफ के एक महानिदेशक की अध्यक्षता में सीएपीएफ के सात सदस्यों वाला एक शीर्ष निकाय कार्यरत, सेवानिवृत सीएपीएफ कार्मिकों, उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण की देखभाल कर रहा है। आज की तारीख के अनुसार पूरे देश में 07 केन्द्रीय कल्याण अधिकारियों (सीडब्ल्यूओ), 29 राज्य कल्याण अधिकारियों (एसडब्ल्यूओ) और 129 जिला कल्याण अधिकारियों (डीडब्ल्यूओ) की नियुक्ति की गई है।

(ग) से (ङ) फिलहाल, ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस समय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) डब्ल्यूएआरबी के अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त बोर्ड के कार्यकरण की इस मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

[हिंदी]

खरीद में अनियमितताएं

5602. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री गणेश सिंह:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष और चालू खरीद मौसम के दौरान उत्पादित और खरीद किए गए धान और गेहूं की राज्य-वार प्रमात्रा कितनी है;

(ख) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में धान और गेहूं की खरीद के संबंध में अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान खोले गए खरीद केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराये गए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) चावल के रूप में धान और गेहूं के उत्पादन तथा खरीद की मात्रा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

धान और गेहूं के उत्पादन की मात्रा

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चावल का उत्पादन		गेहूं का उत्पादन	
	फसल वर्ष 2011-12	फसल वर्ष 2012-13*	फसल वर्ष 2011-12	फसल वर्ष 2012-13*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	12895.0	10488.0	11.0	7.0
अरुणाचल प्रदेश	255.0		6.5	
असम	4516.3	4768.0	60.3	57.0

1	2	3	4	5
बिहार	7162.6	6767.9	4725.0	5143.4
छत्तीसगढ़	6028.4	6246.2	133.1	133.1
गोवा	121.8			
गुजरात	1790.0	1467.0	4072.0	2934.0
हरियाणा	3759.0	3802.0	12685.7	11664.0
हिमाचल प्रदेश	131.6	105.2	595.8	544.4
जम्मू और कश्मीर	544.7	506.3	500.3	413.1
झारखंड	3130.6	3484.2	302.6	317.4
कर्नाटक	3955.0	3485.0	193.0	204.0
केरल	569.0	517.5		
मध्य प्रदेश	2227.3	2474.0	11538.5	12390.0
महाराष्ट्र	2841.0	3058.8	1313.0	809.0
मणिपुर	591.0		5.4	
मेघालय	216.5		0.6	
मिज़ोरम	54.3			
नागालैंड	382.4		5.4	
ओडिशा	5807.0	7560.7	2.4	3.0
पंजाब	10542.0	11293.0	17280.1	16169.0
राजस्थान	253.4	342.5	9319.6	9256.3
सिक्किम	20.9		2.7	
तमिलनाडु	7458.7	5483.7	0.0	
त्रिपुरा	718.3		0.5	
उत्तर प्रदेश	14022.0	13555.0	30292.6	30333.1
उत्तराखंड	594.0	587.0	878.0	911.0
पश्चिम बंगाल	14605.8	13239.4	872.9	900.0

1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.0			
दादरा और नगर हवेली	18.6		0.27	
दिल्ली	29.6		84.8	
दमन और दीव	3.3			
पुदुचेरी	42.1			
अन्य		2569.5		110
अखिल भारत	105310.9	101801.0	94882.1	92298.8

*दिनांक 08.02.2013 की जारी द्वितीय अग्रिम अनुमान

गेहूं के लिए फसल वर्ष 2012-13 रबी विपणन मौसम 2013-14 है।

विवरण-II

धान (चावल के रूप में) गेहूं की राज्यवार खरीद

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चावल		गेहूं		
	खरीफ विपणन मौसम 2011-12	*खरीफ विपणन मौसम 2012-13	रबी विपणन मौसम 2009-10	रबी विपणन मौसम 2012-13	**रबी विपणन मौसम 2013-14
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	75.48	46.27	नगण्य	-	-
असम	0.23	0.14		-	-
बिहार	15.34	12.49		7.72	-
चंडीगढ़	0.13	0.12		0.17	0.07
छत्तीसगढ़	41.15	48.03		-	-
दिल्ली	-	-		0.31	नगण्य
गुजरात	0.04	-		1.56	-
हरियाणा	20.07	26.03		86.65	51.3
हिमाचल प्रदेश	0.01	नगण्य		0.01	नगण्य

1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	0.09	0.02	नगण्य	0.09	-
झारखंड	2.75	1.77		-	-
कर्नाटक	3.56	0.73		-	-
केरल	3.76	0.92		-	-
मध्य प्रदेश	6.35	9.01		84.93	46.5
महाराष्ट्र	1.9	1.77		0.02	-
ओडिशा	28.66	28.18		-	-
पुदुचेरी	0.05	-		-	-
पंजाब	77.31	85.58		128.34	88.92
राजस्थान		-		19.64	5.17
तमिलनाडु	15.96	4.69		-	-
उत्तर प्रदेश	33.57	22.09		50.63	2.1
उत्तराखंड	3.78	4.57		1.39	0.02
पश्चिम बंगाल	20.41	13.65		0.02	-
अखिल भारतीय जोड़	350.60	306.06		381.48	194.11

*29.04.2013 की स्थिति के अनुसार

**29.04.2013 की स्थिति के अनुसार

रात में महिलाओं की सुरक्षा

5603. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री ए. सम्पत:
श्री पी.के. बिजू:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रात्रि शिफ्ट में कार्य करने वाली महिलाओं पर किए गए अपराध संबंधी मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने रात्रि शिफ्ट में कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, पुलिस विभागों और नियोक्ताओं को कोई निर्देश/मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रात्रि समय में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा हेतु सुरक्षित वातावरण सृजित करना सुनिश्चित करने

हेतु सिफारिश करने के लिए कार्य बल के गठन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) देश में रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार इस संबंध में केन्द्रीय रूप से अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय ने दिनांक 04.09.2009 को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में एक व्यापक परामर्शी पत्र जारी किया था, जिसके पैरा 5 (xxii) में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि "कॉल सेंटर्स में रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।" दिल्ली पुलिस ने भी बीपीओ को निदेश देते हुए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि रात्रि पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कॉर्पोरेट और मीडिया जगत कतिपय कदम उठाए जैसे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाएं कैब में अकेली यात्रा न करें तथा उन्हें ठीक उनके निवास स्थान पर उतारा जाए और यात्रा के दौरान सुरक्षा गार्ड उनके साथ रहे।

संविधान के अंतर्गत, सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, अन्वेषण तथा अभियोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों का होता है। तथापि, केन्द्र सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के मामलों को सर्वोच्च महत्व देती है तथा इस संबंध में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को 04 सितंबर, 2009 का एक व्यापक परामर्शी पत्र भेजा गया था, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को यह सलाह दी गई थी कि वे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या से निपटने में मशीनरी की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करें तथा कानून और व्यवस्था की मशीनरी की प्रभावकारिता में वृद्धि करने की दिशा में समुचित उपाय करें।

(ङ) गृह मंत्रालय को इस संबंध में ऐसी किसी पहल की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

गोद लिए गए बच्चों को बेचा जाना

5604. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सहित देश भर में बच्चे के गोद लेने और गोद लिए बच्चों की बिक्री करने वाले गिरोह पनप रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पकड़े गए ऐसे गिरोह और गिरफ्तार किए गए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सख्त दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) गृह मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है।

सस्ती दरों पर कोयले की आपूर्ति

5605. श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री के. सुगुमार:
श्री पी. कुमार:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) पर कोयले की आपूर्ति हेतु कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों का 2200 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने एनटीपीसी को सस्ती दरों पर कोयले की आपूर्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) पर कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 2839.65 करोड़ रुपए के कोयला विक्रय की बकाया राशि है। एनटीपीसी से सहायक कंपनी-वार बकाए का ब्यौरा 31 मार्च, 2013 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विद्युत गृह का नाम	सहायक कोयला कंपनी	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कोयला बिक्री की बकाया राशि
नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी)	ईसीएल	1024.26
	सीसीएल	191.36
	बीसीसीएल	239.09
	डब्ल्यूसीएल	-4.03
	एसईसीएल	78.45
	एमसीएल	131.45
	एनसीएल	1178.98
कुल		2839.65

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियां ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अंतर्गत सीआईएल द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मूल्यों पर एनटीपीसी को कोयले की आपूर्ति कर रही हैं। एनटीपीसी अर्थात् विनियमित क्षेत्र [विद्युत उपयोगिताओं (आईपीपी सहित), उर्वरक और रक्षा क्षेत्र के उपभोक्ता] के लिए लागू मूल्य गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए लागू मूल्य से दिनांक 27.02.2011 तथा 01.01.2012 से क्रमश: 30% और 35% सस्ता है।

(घ) दिनांक 01.01.2000 से कोयला मूल्य पूरी तरह नियंत्रण मुक्त हो जाने के पश्चात् कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए मूल्य निर्धारण कर रही है।

अधिकारियों के लिए भत्ता

5606. श्री जयराम पांगी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में तैनाती/ कार्य करने हेतु प्रखंड स्तरीय कर्मियों सहित केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मौद्रिक और गैर-मौद्रिक भत्ता/लाभ प्रदन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कैडरों/पदों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए लागू किए गए हैं/लागू किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

गेहूं की खरीद

5607. श्री तूफानी सरोज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू मौसम में गेहूं की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2012-13 में सरकार द्वारा कितने टन गेहूं की खरीद की गई;

(घ) क्या सरकार ने गेहूं की उक्त खरीद का कुछ भाग निर्यात किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की तारीख तक एफसीआई के गोदामों में पिछले वित्तीय वर्ष से पड़े गेहूं की प्रमात्रा कितनी है; और

(च) आगामी मौसम के दौरान खरीद की जाने वाले गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई/की जा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्यान्नों की खरीद एक खुली प्रक्रिया होने के कारण खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, रबी विपणन मौसम के लिए केंद्रीय पूल हेतु गेहूं की खरीद के अनुमान गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों के परामर्श से संबंधित फसल वर्ष में गेहूं के अनुमानित उत्पादन के आधार पर लगाए जाते हैं। गेहूं का अनुमानित उत्पादन तथा राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रबी विपणन मौसम 2013-14 के लिए खरीद का अनुमान 441.21 लाख टन है।

(ग) रबी विपणन मौसम 2012-13 में 381.48 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी।

(घ) खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन और केंद्रीय पूल स्टाक हेतु खरीद को देखते हुए तथा भंडारण स्थान की अस्थायी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने दिनांक 03.07.2012 को केंद्रीय पूल स्टॉक से 20 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। तत्पश्चात् दिनांक 26.12.2012 को, सरकार ने केंद्रीय पूल स्टाक से 25 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात अनुमोदित किया था। इन अनुमतियों की तुलना में दिनांक 31.3.2013 तक 29.23 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा में रबी विपणन मौसम 2011-12 के भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से निजी निर्यातकों द्वारा निर्यात प्रयोजनों हेतु दिनांक 30.6.2013 तक 50 लाख टन गेहूं की बिक्री करने का भी अनुमोदन किया है।

(ङ) दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में 242.07 लाख टन गेहूं उपलब्ध है।

(च) खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण और परिरक्षण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा

(i) भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाना है।

(iii) लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथिन की चादरों जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाना है।

(iv) सभी गोदामों में प्रधूमक कवर, नॉइलन की रस्सियां, जाल और भंडारित अनाज कीट जंतुबाधाओं के नियंत्रण के लिए कीटनाशक प्रदान किए जाने हैं।

(v) भंडाारित अनाज कीट जंतुबाधाओं के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर (प्रधूमन) उपचार नियमित रूप से और समय से किए जाने हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में मूषक नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाने हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) के खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाना है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाना है।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाने हैं।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धांत का यथासंभव सीमा तक पालन किया जाना है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जानी हैं ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

पशुधन की संख्या में कमी

5608. **श्री दिनेश चन्द्र यादवः**
श्री रजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंहः**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री जगदीश सिंह राणाः

श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु संबंधी गत दो जनगणना के अनुसार गाय, बकरी, भैंस और भेड़ सहित पशुधनों की संख्या में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित संरक्षण की कमी के कारण देशी नस्ल की गायें समाप्ति की कगार पर हैं और बछड़ों की अनुमेय संख्या से अधिक तथा चुराए गए पशुओं की पशुवधशालाओं में हत्या की जाती है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उन अनुसंधान संस्थानों का ब्यौरा क्या है जो देशी नस्ल की गायों के विकास के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं;

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन के विकास के लिए तय लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा क्या है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधनों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और(ख) पिछली दो पशुधन संगणनाओं के अनुसार, गायों, बकरियों, भैंसों और भेड़ों सहित पशुधन की कुल संख्या, जो 2003 में 48.50 करोड़ थी, बढ़कर 2007 में 52.97 करोड़ हो गई है।

(ग) देशी गोपशु के संरक्षण और गुणन की नीति में शामिल उचित संरक्षण के कारण गायों की देशी नस्लें समाप्त होने के कगार पर नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप मादा देशी गोपशु की कुल संख्या, जो 2003 में 8.30 करोड़ थी, बढ़कर 2007 में 8.92 करोड़ हो गई है। संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन कर सकते हैं और विशेष रूप से नस्लों का संरक्षण और उनमें सुधार कर सकते हैं तथा गायों और उसकी संतति के वध को निषिद्ध कर सकते हैं।

(घ) सरकारी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन गायों की देशी नस्लों के विकास के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं; (1) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल, हरियाणा, (2) गोपशु परियोजना निदेशालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश हैं।

(ङ) पशुधन क्षेत्र के लिए 11वीं योजना के लिए संकल्पना का उद्देश्य समग्र रूप से इस क्षेत्र के लिए 6 से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच विकास करने का है और दुग्ध समूह में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा मांस और कुक्कुट में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की संवृद्धि करने का है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पशुधन क्षेत्र के लिए वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन का कुल मूल्य, जो 2007-08 में 247180 करोड़ रुपए था, बढ़कर 2011-12 में 459051 करोड़ रुपए हो गया है।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूध के उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 4.51 प्रतिशत हुई है।
- अंडों के उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 5.59 प्रतिशत हुई है।
- योजना अवधि के दौरान मांस के उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 8.32 प्रतिशत हुई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन के विकास के लिए संभाव्यता प्राप्त करने के लिए सरकार का निम्नलिखित प्रमुख पहलकदमियों को क्रियान्वित करने का लक्ष्य है:

- 11वीं योजना के दौरान 221 जिलों की तुलना में 12वीं योजना के दौरान खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम का सभी जिलों में विस्तार।
- दूध की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 12वीं योजना के अंत तक प्रजनन योग्य बोवाइन की आबादी के लगभग 35 प्रतिशत बोवाइनों को कवर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार।

(च) पशुधन क्षेत्र के अधीन सभी योजनाएं मांग आधारित हैं और सरकार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को धनराशि का आबंटन कर रही हैं। 11वीं योजना के दौरान पशुधन क्षेत्र (पशुपालन और डेयरी) का विकास करने के लिए धनराशि जारी करने से संबंधित ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्यों को पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए 11वीं योजना के दौरान जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	पशुपालन					डेयरी					सांख्यिकी				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	1435.42	1772.17	2854.25	5467.10	5843.30	397.96	384.53	100.00	171.64	17.83	763.10	1109.88	5.00	30.00	10.00
2.	बिहार	306.45	1761.03	515.55	1198.50	1982.50	0.00	267.91	0.00	0.00	0.00	152.65	1009.90	23.50	253.00	56.75
3.	छत्तीसगढ़	1031.86	313.60	434.41	745.00	2014.97	100.00	40.00	0.00	0.00	267.25	293.55	137.00	2.00	0.00	2.00
4.	गोवा	69.69	167.64	43.00	194.62	25.14	40.00	61.68	90.51	80.27	0.00	48.06	17.00	6.98	5.00	5.00
5.	गुजरात	573.95	884.96	1671.33	2863.36	3083.34	342.42	429.44	697.32	561.02	554.18	573.70	647.36	44.21	99.03	10.80
6.	हरियाणा	529.84	1385.92	1575.00	2038.94	2783.52	419.84	520.56	602.64	0.00	375.08	296.10	165.00	91.18	63.10	53.00
7.	हिमाचल प्रदेश	449.14	330.94	519.88	1316.50	919.22	342.45	0.00	276.00	218.49	560.70	240.88	36.00	27.00	39.90	36.00
8.	जम्मू और कश्मीर	663.41	652.83	872.72	985.08	1919.36	0.00	0.00	0.00	135.36	470.46	75.73	101.98	0.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	82.57	718.23	0.00	1659.45	990.80	107.64	0.00	19.76	25.00	0.00	184.20	200.29	206.42	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	987.80	799.86	1824.20	2910.33	3296.60	69.89	243.06	216.00	30.00	255.26	563.33	680.00	50.00	79.75	60.00
11.	केरल	842.82	1176.88	1325.30	2477.44	2631.80	774.89	1063.54	578.30	249.53	1038.84	322.20	43.64	55.00	53.50	70.00
12.	मध्य प्रदेश	932.39	1172.03	1068.75	2081.57	4095.03	446.77	425.51	0.00	410.68	412.60	192.55	940.00	55.00	70.00	85.00
13.	महाराष्ट्र	1688.74	1432.35	2488.30	3734.82	3095.02	400.60	22.43	176.80	249.75	488.38	448.80	948.00	218.48	70.00	97.00
14.	ओडिशा	1454.25	1771.44	1497.56	900.94	1454.15	302.56	345.17	247.87	399.16	602.75	323.29	484.66	55.66	222.38	60.00
15.	पंजाब	203.56	1122.10	751.81	2362.69	1590.05	81.25	456.95	891.83	972.98	1040.69	240.73	267.98	5.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	420.00	858.91	1123.26	311.00	2157.19	596.97	287.52	800.81	200.00	0.00	410.73	726.35	14.17	81.57	0.00
17.	तमिलनाडु	1481.33	2054.57	2497.50	2803.47	2354.10	300.00	756.05	592.15	628.76	768.97	247.85	843.69	305.00	190.40	73.34
18.	उत्तर प्रदेश	1106.80	1126.94	2544.22	2632.06	1349.20	492.39	170.00	120.71	207.32	0.00	418.70	1776.76	729.88	149.62	129.20
19.	उत्तराखंड	531.63	493.27	125.23	807.06	1240.06	0.00	128.96	50.00	50.26	223.82	181.46	20.00	2.00	18.15	34.59
20.	पश्चिम बंगाल	2536.66	1269.05	2208.00	4740.93	1338.17	192.95	43.71	55.86	51.22	145.66	499.55	917.00	835.00	157.49	42.00
	कुल सभी राज्य	17328.31	21264.72	25940.27	42230.86	44163.52	5408.58	5647.02	5516.56	4641.44	7222.47	6477.16	11072.49	2731.48	1582.89	824.68
21.	अरुणाचल प्रदेश	403.51	384.61	216.85	680.94	791.62	0.00	0.00	148.30	0.00	0.00	74.89	41.91	30.37	36.10	54.93
22.	असम	290.42	381.13	664.14	1299.41	2882.40	0.00	45.00	320.00	88.00	160.00	769.97	952.22	3.30	5.00	10.00
23.	मणिपुर	273.60	329.12	578.80	401.25	593.63	200.00	31.86	175.00	200.00	381.81	116.21	65.54	2.00	0.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24.	मेघालय	226.25	256.37	157.47	275.11	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.28	39.85	12.33	25.00	27.25
25.	मिज़ोरम	528.25	422.88	185.00	620.35	607.70	162.17	50.00	50.00	109.40	544.34	90.05	55.50	31.22	53.00	48.00
26.	नागालैंड	633.39	409.91	289.76	594.88	1149.97	35.00	0.00	85.80	130.00	149.80	118.02	70.45	3.00	0.00	0.00
27.	सिक्किम	339.38	400.03	423.48	318.89	408.34	92.58	283.63	224.22	6.67	125.49	73.54	6.00	3.00	0.00	13.57
28.	त्रिपुरा	303.62	680.79	0.00	710.51	137.80	90.00	120.44	26.14	0.00	18.56	184.04	133.57	16.00	0.00	10.00
	कुल पनई	3018.42	3264.84	2515.50	4901.34	6751.61	579.75	530.93	1029.46	534.07	1380.00	1600.00	1365.04	101.22	119.10	171.75
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	96.60	29.08	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.52	297.00	1.00	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	25.68	40.04	15.00	36.50	55.00	50.00	2.16	0.00	0.00	0.00	45.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	कुल यूटीज, जिनमें विधान सभा हैं	122.28	69.12	15.00	39.00	55.00	50.00	2.16	0.00	0.00	0.00	120.52	307.00	1.00	0.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29.89	37.26	22.00	17.00	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24.51	10.10	19.00	19.00	20.00
32.	चंडीगढ़	9.85	28.51	3.50	13.90	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	15.03	16.00	15.00	15.00
33.	दादरा और नगर हवेली	9.85	7.03	6.30	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	2.00	0.50	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	8.49	1.51	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	3.60	1.50	2.10	1.00
35.	लक्षद्वीप	11.85	5.01	44.50	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69	10.24	31.50	35.00	43.03
	कुल यूटीज, जिनमें विधान सभा है	69.93	79.32	80.02	55.00	22.17	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	79.96	40.97	68.50	71.10	79.03
	सकल योग	20538.94	24678.00	28550.79	47226.20	50992.30	6049.67	6180.11	6546.02	5175.51	8602.47	8277.64	12785.50	2902.20	1773.09	1075.46

[अनुवाद]

आतंकवादियों का आत्मसमर्पण

5609. श्री गजानन ध. बबार:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व आतंकवादियों के आत्मसमर्पण को सहज बनाने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर जम्मू और कश्मीर पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कार्मिकों को तैनात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पुराने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) यह मामला गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बजट

5610. श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि केन्द्रीय बजट का कुछ प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों इत्यादि पर खर्च हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी कार्य समूह का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) और (ख) योजना आयोग के दिशानिर्देशों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास एवं कल्याण हेतु अभिज्ञात स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय हेतु सकल बजटीय सहायता का आबादी के अनुपात पर आवंटन का हिस्सा निर्धारित करने का प्रावधान पहले से ही किया गया है। तथापि, ऐसे दिशानिर्देश अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है जिसमें, अन्य के साथ-साथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य आबादी वाले राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति का मुख्य कार्य मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करना तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आशोधनों/संशोधनों के बारे में सुझाव देना है।

निर्माण परियोजनाओं में नक्सल हस्तक्षेप

5611. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि बिहार में चल रही विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में नक्सल/माओवादियों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के कार्मिकों को भी नक्सलियों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं और उगाही की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उक्त कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) का मौजूदा परिदृश्य बिहार सहित देश में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए गंभीर खतरा पेश करता है। बिहार में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, लखीसराय, बांका और जमुई सहित विभिन्न जिलों में माओवादियों की मजबूत पकड़ वाले स्थानों में सीपीआई (माओवादी) पार्टी द्वारा अवसंरचना विकास परियोजनाओं, सड़क एवं पुल के निर्माण कार्यों को क्षति पहुंचाने की निरंतर घटनाएं देखी गई हैं। देश की आबादी को अलग-थलग रख कर उनके ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए सीपीआई (माओवादी) और उसके अग्रणी संगठन एक योजनाबद्ध रणनीति के तहत देश के भीतर विकास के क्रियाकलापों को बाधित करने के दृष्टिकोण से अधिकांश विकास परियोजनाओं का जोरदार विरोध करते हैं। वो विकास परियोजनाओं के विरुद्ध स्थानीय समुदायों को लामबंद कर समन्वित प्रचार अभियान चलाते हैं और उनके द्वारा विकास परियोजनाओं के विरोध में मशीनरी को क्षति पहुंचाने, कच्चा माल को लूटने ओर नुकसान पहुंचाने, परियोजना से जुड़े ठेकेदारों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को धमकाने और उनकी हत्या करने तथा जोर-जबरदस्ती से उनसे पैसे की उगाही करने जैसी हिंसक गतिविधियां भी शामिल हैं। अनेक अवसर पर माओवादियों ने 'लेवी' के भुगतान नहीं किए जाने के कारण निर्माण परियोजनाओं को रोका है।

बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं का विरोध इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि एक बार प्रभावित क्षेत्रों को विकास के लिए खोल देने पर, वहां से उन्हें भारतीय राज्य के विरुद्ध तथाकथित 'दीर्घकालिक जन संघर्ष' को जारी रखने के लिए छिपने के ठिकाने और कैडर मिलना बंद हो जाएगा।

विकास परियोजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवादी अर्थव्यवस्था संबंधी अन्य अवसंरचना, जैसे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की इकाइयां, रेल परिसंपत्ति, टेलीफोन एक्सचेंज/मोबाइल टावर, ऊर्जा अवसंरचना, सड़कों, विद्यालयों एवं पंचायत भवनों आदि पर निरंतर हमला करते हैं।

(ङ) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' का राज्य का विषय होने के कारण कानून एवं व्यवस्था कायम रखने से संबंधित कार्रवाई मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के विषय में केंद्र सरकार का समग्र एप्रोच है, जिसमें वह सीएपीएफ की तैनाती करने, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के शासन एवं क्षमता निर्माण में सुधार करने सहित अन्य मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। भारत सरकार का यह विश्वास है कि समन्वित पुलिस कार्रवाई, विकास के केंद्रित प्रयासों और शासन में सुधार के सम्मिलन से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध वांछित परिणाम हासिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा अवसंरचना का निरंतर उन्नयन; प्रभावित क्षेत्रों पर प्रभुत्व कायम रखने के लिए माओवाद-विरोधी अभियानों में बढ़ोत्तरी; रणनीतिक महत्व वाली सड़कों की सुरक्षा भी समग्र रणनीति का हिस्सा हैं।

डीटीएच सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रभारित शुल्क

5612. श्री जगदीश शर्मा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि सामान्यत: डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाप्रदाता और विशेष रूप से भारती एयरटेल एक नियमित अंतराल पर अपने शुल्क में एकपक्षीय और अचानक बढ़ोत्तरी कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इससे अवगत है कि उपभोक्ताओं के पास डीटीएच सेवाप्रदाताओं को बढ़े हुए शुल्क देने के अलावा कोई चारा नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं की इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई तंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उपभोक्ताओं के लिए डीटीएच सेवा की पोर्टेबिलिटी का कोई विकल्प है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ङ) डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा के लिए प्रशुल्क का नियंत्रण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (चतुर्थ) (संबोधनीय प्रणाली) प्रशुल्क आदेश, 2010 दिनाक 21 जुलाई 2010 द्वारा किया जाता है। इस प्रशुल्क आदेश के अनुसार डीटीएच ऑपरेटर अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर और उक्त प्रशुल्क आदेश में विनिर्धारित कतिपय शर्तों के आधार पर कीमत रखने और अपनी सेवाओं के पैकेज का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उक्त प्रशुल्क आदेश में एक प्रावधान किया गया है जो यह विनिर्धारित करता है कि कोई सेवा प्रदाता, जो संबोधनीय प्रणाली का प्रयोग करके अपने ग्राहकों को प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्रदान करता है उस ग्राहक को ग्राहक पैकेज के लिए पंजीबद्ध करने की तारीख से कम से कम छह माह की अवधि के लिए ऐसे ग्राहक पैकेज का प्रभार नहीं बढ़ाएगा। उक्त प्रशुल्क आदेश के खंड 6(4) में व्यवस्था की गई है कि सेवा प्रदाता एक न्यूनतम मासिक अंशदान निर्धारित कर सकेगा जो प्रति माह प्रति ग्राहक एक सौ पचास रुपए (कर अलग से) से अधिक नहीं होगा और जो ग्राहक द्वारा या तो सामूहिक रूप से या गुलदस्तों के रूप में चुने गए चैनलों की ऐसे सेवा प्रदाता की सेवाएं प्राप्त करने के लिए होगा।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के लिए अपने विनियम अर्थात् डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा की गुणवत्ता के मानक और शिकायतों का निपटान) विनियम, 2007 दिनांक 31.08.2007 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की है। उक्त विनियम के अनुसार डीटीएच ऑपरेटरों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अपने ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक चौबीस घंटे चलने वाले टॉल फ्री कॉल सेंटर स्थापित कराएं। इसमें व्यवस्था की गई है कि सिगनल न प्राप्त होने से जुड़ी 90% शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर किया जाए और अन्य तरह की शिकायतों में से 90% का समाधान 48 घंटे के भीतर किया जाए। किसी शिकायत को 5 दिन से अधिक के लिए लंबित न छोड़ा जाए। बिलिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान 7 दिनों के भीतर किया जाए। डीटीएच ऑपरेटर को ऐसे ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करना होगा जो कॉल सेंटर स्तर पर किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं होते। नोडल अधिकारी शिकायत दर्ज कराने से 10 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करेगा। उक्त विनिमय डीटीएच ऑपरेटरों के लिए यह भी बाध्यकारी बनाते हैं कि वह अपने ग्राहकों को उपभोक्ता परिसर उपकरण (जिसमें सेट-टॉप-बॉक्स भी शामिल है) सीधे खरीद आधार पर, भाड़े-खरीद आधार पर या किराया आधार पर देने का प्रस्ताव करेगा। यदि ग्राहक उपभोक्ता परिसर उपकरण वापस करना चाहता है तो डीटीएच ऑपरेटर उसे उसकी कीमत वापस दिए जाने की व्यवस्था करेगा। सभी डीटीएच ऑपरेटरों से उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित है। विस्तृत

प्रशुल्क आदेश और डीटीएच सेवा की गुणवत्ता विनियम www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(च) दूरसंचार क्षेत्र में उपलब्ध संख्या पोर्टेबिलिटी वर्तमान में डीटीएच सेक्टर में विद्यमान नहीं है।

अनुसंधान कार्यकलापों के लाभ

5613. **श्रीमती दर्शना जरदोश:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के बीच उचित समन्वय की कमी के कारण कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सभी कृषि विश्वविद्यालयों में लाभदायक सूचना और तकनीकी विकास का आदान-प्रदान नहीं किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी नहीं। उपयोगी सूचना और प्रौद्योगिकी को अनेक प्रक्रिया विधियों के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आदान-प्रदान किया जाता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं तथा नेटवर्क परियोजनाओं (79 परिचालन में) को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निधिकरण और समन्वित किया जाता है। वार्षिक कार्यशालाओं के दौरान सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।

(ख) संपूर्ण देश में कृषि विज्ञान केंद्र (631 संख्या) स्थित हैं और ज्यादातर कृषि विश्वविद्यालयों के तहत काम कर रहे हैं। 8 (आठ) क्षेत्रीय परियोजना निदेशालयों द्वारा समन्वय कार्य किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित की जाती है।

(ग) भा.कृ.अ.प. द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा समर स्कूल और विंटर स्कूल आयोजित किए गए जिसमें पूरे देश से वैज्ञानिक भाग लेते हैं।

(घ) विशिष्ट क्षेत्रों में संगोष्ठी/सम्मेलन आयोजित किए गए जिसमें सभी विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया।

(ङ) समस्त कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वार्षिक सम्मेलन में कॉमन प्लेटफार्म पर अपनी उपलब्धियों, समस्याओं, नई प्रौद्योगिकियों आदि का आदान-प्रदान किया गया।

(च) भा.कृ.अनु.प. द्वारा उच्च कृषि शिक्षा में गुणवत्ता, शैक्षणिक और पाठ्यक्रम मानक पाठ्यचर्या में एकरूपता को सुनिश्चित करने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन की निगरानी की जाती है।

(ग) बारहवीं योजना के लिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर योजना आयोग के कार्यदल ने कृषि शिक्षा पर उप-समूह गठित किया है। शिक्षा और अनुसंधान के लिए पर्याप्त राज्य निधिकरण, विश्वविद्यालय संचालन, संकाय संख्या और इनब्रीडिंग, संकाय और छात्र विकास कार्यक्रम, मांग आधारित पाठ्यक्रम तथा इनकी डिलीवरी, गुणवत्ता आश्वासन तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।

मौजूदा प्रासंगिक विषयों तथा उभरते हुए परिदृश्य के आधार पर देश में उच्च कृषि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों के सुझावों पर आधारित एक राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना तैयार की जा रही है।

[हिंदी]

तरबूजों का उत्पादन

5614. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार की विभिन्न नदियों के किनारे तरबूजों की बड़े पैमाने पर पैदावार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास तरबूजों, खीरा आदि को उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी, हां। बिहार में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारन, लखीसराय,

मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में नदियों के किनारे 1529 हेक्टे. क्षेत्र में तरबूजों की पैदावार की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार देश में सब्जियों सहित बागवानी फसलों के विकास हेतु (I) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) तथा (II) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। सब्जी विकास गतिविधियों जैसे कि बीज उत्पादन, संरक्षित खेती, जैविक खेती, समेकित पोषक प्रबंधन (आईएनएम)/समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) उपायों के साथ-साथ फलों तथा सब्जियों के कटाई उपरांत प्रबंधन तथा विपणन हेतु अवसंरचना सृजन के लिए सहायता दी जा रही है।

इसके अलावा, सब्जी की क्षेत्र के मांग तथा आपूर्ति से संबंधित मामलों के समाधान, सब्जी उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा प्रत्येक राज्य के एक मुख्य शहरी केन्द्र जो या तो राज्य की राजधानी है अथवा कोई अन्य शहर, जिसकी आबादी एक मिलियन या उससे अधिक है, में पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-स्कीम के रूप में शहरी निकायों हेतु सब्जी उपक्रम (वीआईयूसी) संबंधी नई स्कीम की शुरुआत की गई थी।

[अनुवाद]

नक्सलवाद से निपटने के उपाय

5615. डॉ. काकोली घोष दस्तिदार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र पुलिस स्टेशनों के निर्माण/मजबूती की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षा बलों में महिलाओं की भर्ती का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त क्षेत्र में महिला बटालियनों की तैनाती का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सशक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/मजबूती की स्कीम के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को आवंटित 400 पुलिस स्टेशनों में से अब तक 236 स्थानों पर निर्माण कार्य आरंभ हो गया है (संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार)। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 09 राज्यों को आवंटित पुलिस स्टेशनों और उन स्थानों की संख्या जहां निर्माण कार्य आरंभ हो गया है, के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	आवंटित पुलिस स्टेशन	उन स्थानों की संख्या जहां निर्माण कार्य आरंभ हो गया है
आंध्र प्रदेश	40	08
बिहार	85	75
छत्तीसगढ़	75	23
झारखंड	75	43
मध्य प्रदेश	12	12
महाराष्ट्र	10	0
ओडिशा	70	63
उत्तर प्रदेश	18	0
पश्चिम बंगाल	15	12
कुल	400	236

(ख) से (ङ) ऐसे कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय के विचाराधीन नहीं हैं।

मछुआरों को मिट्टी का तेल का आबंटन

5616. श्री सुरेश कलमाड़ी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से मछुआरे के आउटबोर्ड मेकेनाइज्ड इंजिन वेसल्स (ओएमईपी) हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटित मिट्टी का तेल के कोटे के अतिरिक्त मिट्टी का तेल का विशेष कोटे के आबंटन का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में मिट्टी का तेल के कोटे को कब तक आबंटित कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) मछुआरों के मोटरीकृत मत्स्य जलयानों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित मिट्टी के तेल के कोटे के अतिरिक्त मिट्टी के तेल के विशेष कोटे का आबंटन के लिए महाराष्ट्र सरकार से 7 अप्रैल, 2011 को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में अनुरोध प्राप्त हुआ था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाह से इस अनुरोध पर विचार किया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि केन्द्रीय सरकार केवल भोजन पकाने और रोशनी के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए राजसहायता प्राप्त बढ़िया मिट्टी का तेल (एसकेओ) आबंटित करती है। राज्य के अंदर मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अलग से किसी एसकेओ आबंटन का समायोजन संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके एसकेओ के समस्त आबंटन में से किया जाना है। मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, मात्स्यिकी क्षेत्र की मांग महाराष्ट्र राज्यों को गैर राजसहायता प्राप्त दर पर अतिरिक्त आबंटन द्वारा पूरी की जा सकती है जिसकी तेल विपणन कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाती है।

तत्पश्चात्, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 अगस्त, 2012 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आपात आधार पर या विशेष अवसरों पर समय-समय पर एसकेओ की आवश्यकता होती है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक समारोहों, मात्स्यिकी, विभिन्न यात्राओं, मेलों आदि जैसी विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-राजसहायता प्राप्त दरों पर (जिसमें उत्पादक शुल्क/सीमा शुल्क/कर शामिल हैं और रिकवरी/वित्तीय सब्सिडी शामिल नहीं है) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक मास के कोटे का आवंटन प्राप्त कर सकेंगे। यह आबंटन वित्तीय वर्ष विशेष के समाप्त हो जाने के बाद व्यपगत हो जाएगा। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा एसकेओ का यह कोटा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को मामला भेजे बिना किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है। राज्य स्तर पर समन्वयकर्ता को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अनुरोध पर इस मिट्टी का तेल को जारी करने की शक्ति है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एक मास के इस कोटे के समाप्त हो जाने के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से गैर राजसहायता प्राप्त एसकेओ का और अतिरिक्त आबंटन करने के लिए कह सकते हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (2013-14) के दौरान महाराष्ट्र सरकार से इस विभाग को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

दूसरी भारतीय रिजर्व बटालियन

5617. श्री एंटो एंटोनी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में दूसरी भारतीय रिजर्व बटालियन के गठन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) केरल में एक अतिरिक्त इंडिया रिज़र्व बटालियन की मंजूरी के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव पास हुआ है।

(ख) दिनांक 31.03.2008 के आदेश के माध्यम से भारत सरकार पहले ही केरल सरकार के लिए एक इंडिया रिज़र्व बटालियन की मंजूरी दे चुकी है। वर्तमान में नई इंडिया रिज़र्व बटालियनों की मंजूरी की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

[हिंदी]

पासपोर्ट सत्यापन में विलंब

5618. श्रीमती रमा देवी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पासपोर्ट जारी करने हेतु सत्यापन प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों द्वारा अत्यधिक विलंब किए जाने की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विलंब में पुलिस की भूमिका की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पुलिस विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा पासपोर्ट जारी किए जाने में विलंब से बचने के लिए उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) देश में पासपोर्ट जारी करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया में

पुलिस अधिकारियों द्वारा अत्यधिक देरी की कोई रिपोर्ट पास नहीं हुई है। तथापि, पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में लगने वाला समय आंध्र प्रदेश के लिए औसतन 13 दिन और त्रिपुरा के लिए औसतन 217 दिनों के बीच अलग-अलग है। 21 दिनों के वांछित सेवा स्तर के अंदर देश भर से केवल 36% पुलिस सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। चूंकि पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन जरूरी है, इसलिए विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में होने वाली देरी को कम करने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों को संबंधित पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहने के अनुदेश दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के कार्य को तेज करने के लिए इस मामले को राज्य के मुख्य सचिव स्तर पर भी उठाया है। डीजीपी/पुलिस आयुक्तों के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत के दौरान, पुलिस सत्यापन की अत्यावश्यकता पर बल दिया जाता है।

कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण

5619. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों के समक्ष नई कोयला खान परियोजनाओं तथा अन्य विस्तारित परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में अड़चन आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके समक्ष आ रही अड़चनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा उसकी सहायक कंपनियां नयी एवं विस्तारित कोयला खान परियोजनाओं के लिए कतिपय बाधाओं का सामना कर रही हैं जिनमें से मुख्य का निम्नलिखित रूप से संक्षिप्त विवरण दिया गया है:-

वन भूमि:

(i) गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के प्रस्तावों के लिए राज्य के साथ-साथ केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन जंगल-झाड़ी/छोटे झाड़, बड़े झाड़ की जंगल के रूप में दर्ज भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किया जाना होता है। संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी करता है। एनओसी जारी करने में विलंब होता है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों (एसटी एंड ओटीएफडी) अधिनियम के अधीन एनओसी में पर्याप्त समय लगता है जिसकी वजह से प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में विलंब होता है। विशिष्ट वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (डीजीपीएस) नक्शों के लिए सर्वेक्षण कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत अभिकरणों की कमी के कारण कभी-कभी विलंब हो जाता है जिसको प्रस्तुत करना कतिपय मामलों में वन अनुमोदन की अनुमति आवश्यक होती है, राजस्व प्राधिकारी और वन विभाग के बीच भूमि के मालिकाना अधिकार से संबंधित विवाद वन संबंधी अनुमोदन के प्रस्तावों में विलंब होता है।

(ii) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा उसके रिलीज होने के बाद वन भूमि को सौंपने में भी विलंब होता है। राज्य वन विभाग को सभी बकायों के भुगतान के साथ-साथ कंपनी को स्तर-II अनुमोदन जारी करने/वन भूमि सौंपने को सुनिश्चित करना होता है।

गैर-वन भूमि

(i) राज्य सरकार भूमि का रिकॉर्ड रखती है तो भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों को तैयार करने की मुख्य आवश्यकता है। अधिकारों के रिकॉर्ड (आरओआर) के रूप में आम तौर पर ज्ञात ये भूमि रिकॉर्ड प्राय: पुराने पाए गए हैं जिससे भूमि के वास्तविक स्वामित्व तथा मालिकाना अधिकार का पता लगाने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिग्रहण के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में विलंब होता है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोयलाधारी क्षेत्रों के प्रमाणीकरण के लिए क्षेत्र के वास्तविक स्वामित्व का पता लगाने की आवश्यकता होती है। प्रमाणीकरण का कार्य जिले के संबंधित सर्किट अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसमें विलंब होने से अधिग्रहण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। राजस्व तथा वन विभाग के बीच सरकारी भूमि के स्वामित्व के बारे में विवाद कुछ मामलों में अंतरण में विलंब होता है।

(iii) भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण कुछ मामलों में ऐसी सरकारी भूमि का कब्जा सौंपने में

विलंब होता है। राज्य सरकार को सभी भार से मुक्त भूमि को अंतरित करने की आवश्यकता है।

पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास समस्याएं

कंपनियों द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के बारे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें रोजगार की मांग और कंपनी के आरएंडआर मानदंड से अलग अन्य पुनर्स्थापना लाभ; वैद्य स्वामित्व दस्तावेज का उपलब्ध न होना; भू-वंचितों के सह-धारकों के बीच विवाद तथा भूमि तथा मकानों के मुआवजे की पूरी राशि प्राप्त करने के बाद भी पुनर्स्थापन स्थल पर जाने के लिए विरोध करना शामिल है। इसके अलावा, सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों के खनन प्रचालन क्षेत्रों के समीप में अधिग्रहण कर रहे अन्य अभिकरणों द्वारा अधिक मुआवजे के भुगतान को देखते हुए इन क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण में भी दिक्कतों का सामना किया जा रहा है।

(ग) सरकार/सहायक कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत् है:–

(i) अधिग्रहण की कार्यवाहियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ कड़ी अनुवर्ती कार्रवाई करना। राज्य प्राधिकारियों अर्थात् भूमि राजस्व आयुक्त, भूमि/राजस्व सचिव के साथ गंभीर समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें करना।

(ii) आवश्यकता तथा पूछताछ की पूर्ति के लिए जिला/तहसील स्तर पर वन अधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना। इन प्रस्तावों के शीघ्र अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय तथा दिल्ली में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के साथ इसी प्रकार की अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(iii) पुनर्वास स्थल के चयन के लिए भूमि स्वामियों/ग्रामीणों के साथ चर्चा करना और पुनर्स्थापन लाभों को स्वीकार करने तथा पुनर्स्थापन स्थल पर शिफ्ट करने के लिए उन्हें राजी करना।

(iv) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की बदलती हुई आकांक्षाओं को देखते हुए तथा अन्य आरएंडआर मसलों की पूर्ति करने के लिए सीआईएल ने अपनी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति को संशोधित किया है जो 13 मार्च, 2012 से प्रभावी है।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला मंत्रालय इन मसलों को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बैठकें करता है।

[अनुवाद]

शीत भंडारण सुविधाएं

5620. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डीप फ्रीज शीत भंडारण सुविधाओं की कमी और बाधित विद्युत आपूर्ति किसानों को श्रिम्प खेती से अपने उत्पादन हेतु उचित मूल्य प्राप्त करने से रोक रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार स्थापित डीप फ्रीज शीत भंडारणों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी बिजली कटौती उक्त किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में डीप फ्रीज शीत भंडारण की संख्या को बढ़ाने और देश में श्रिम्प खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त और अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय के समक्ष ऐसी स्थिति नहीं आई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मात्स्यिकी के लिए देश में स्थापित कोल्ड स्टोरेज की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(च) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालनों के विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन कोल्ड स्टोरेजों सहित पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, मपेडा और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) भी मछली और मछली उत्पादों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्थापित कोल्ड स्टोरेजों की संख्या और क्षमता

1. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपेडा), वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यथा सूचित

राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	संख्या	क्षमता (मी. टन)	संख्या	क्षमता (मी. टन)	संख्या	क्षमता (मी. टन)	संख्या	क्षमता (मी. टन)
केरल	136	46,777.50	142	55,022.50	144	55,402.50	सू.न	सू.न
कर्नाटक	16	2,770.50	19	4,824.50	19	4,839.50	सू.न	सू.न
महाराष्ट्र	43	27,812.00	44	28,150.40	45	29,764.30	सू.न	सू.न
गोवा	9	3,223.50	11	3,858.50	12	4,589.50	सू.न	सू.न
गुजरात	84	30,693.00	84	33,790.00	93	40,327.00	सू.न	सू.न
पश्चिम बंगाल	44	5,042.00	39	4,492.00	35	4,142.00	सू.न	सू.न
ओडिशा	23	6,409.81	21	5,782.00	22	6,591.00	सू.न	सू.न
आंध्र प्रदेश	51	12,792.10	52	12,949.10	58	18,538.00	सू.न	सू.न
तमिलनाडु	37	9592.20	40	10224.20	39	11288.20	सू.न	सू.न
कुल	443	145,112.61	452	159,093.20	467	175,482.00		

मी. टन– मीटरी टन

सू.न. – सूचित नहीं

2. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालनों के विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन दी गई वित्तीय सहायता से विकसित

राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	संख्या	क्षमता (मी. टन)	संख्या	क्षमता (मी. टन)	संख्या	क्षमता (मी. टन)	संख्या	क्षमता (मी. टन)
कर्नाटक	1	40.00	4	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	1	22.00	0.00	0.00
कुल	1	40.00	4	185.00	1	22.00	0.00	0.00

मी. टन– मीटरी टन

3. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से विकसित

वर्ष	राज्य	कोल्ड स्टोरेज यूनिटों की संख्या
2010-11	हरियाणा	1
	पश्चिम बंगाल	1
2012-13	कर्नाटक	1
2013-14	कर्नाटक	1

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

5621. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावित पूर्वोत्तर स्टेशनों सहित देश के विभिन्न भागों में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। अभी तक, मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए 24 अनुमतियां प्रदान की गईं हैं। तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i)	अरुणाचल प्रदेश	01
(ii)	असम	16
(iii)	मणिपुर	04
(iv)	त्रिपुरा	02
(v)	नागालैंड	01

(ग) से (ङ) भारत में सामुदयिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में नीतिगत दिशा-निर्देशों के खंड 7(i) में निर्धारित है कि:

''सीआरएस से 5-10 किमी का रेंज कवर किए जाने की आशा की जाएगी। इसके लिए, 100 वाट की अधिकतम प्रभावी विकिरित क्षमता (ईआरपी) रखने वाला ट्रांसमीटर पर्याप्त होगा। तथापि, प्रमाणित आवश्यकता की स्थिति में, जहां पर आवेदक संगठन इस बात को स्थापित करने में सक्षम है कि इसे वृहत्तर क्षेत्र या भूभाग को सेवाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है, तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आवृत्ति तथा ऐसी अन्य अनापत्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन मामला-दर-मामला आधार पर 250 वाट तक की अधिकतम ईआरपी के साथ उच्चतर ट्रांसमीटर वाटता पर विचार किया जा सकता है। 100 वाट से अधिक और 250 वाट तक की उच्चतर क्षमता वाले ट्रांसमीटरों हेतु अनुरोध सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन के अध्यधीन भी होंगे।''

अभी तक किसी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को 100 वाट की ईआरपी से अधिक क्षमता वाले ट्रांसमीटर की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही, उच्चतर ट्रांसमीटर वाटता की अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आरक्षण हेतु जातियों का वर्गीकरण

5622. श्री शेर सिंह घुबाया:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री सोमेन मित्रा:
श्री एन. पीताम्बर कुरूप:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में आरक्षण के लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न जातियों के वर्गीकरण हेतु अपनाया गया मापदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जातियों को जोड़ने और हटाने सहित अनुसूचित जातियों की सूची की समीक्षा के लिए कोई विधान लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जातियों को जोड़ने और हटाने के लिए विचार किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और जाति-वार विचारार्थ हेतु लंबित मामलों की संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संदर्भ में अनुसूचित जाति के रूप में किसी जाति के विनिर्देशन का मानदंड अस्पृश्यता की परंपरागत पद्धति के परिणामस्वरूप सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न अत्यधिक पिछड़ापन को माना जाता है।

(ख) और (ग) संविधान (अनुसूचित जाति) ओदश (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 21.05.2012 को लोक सभा में पेश किया

गया, जिसका प्रयोजन सिक्किम राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की सूची से एक जाति को हटाने के अलावा, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा त्रिपुरा राज्यों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की सूची में की गई मौजूदा दस प्रविष्टियों में कतिपय जातियों के पर्याय को शामिल करना है।

(घ) केन्द्र सरकार के विचारार्थ ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केंद्र सरकार के विचारार्थ राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पूर्ण प्रस्ताव

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जाति
1	2
हरियाणा	कबीरपंथी, जुलाहा
झारखंड	दंदाछत्र माझी
	कादर
	कोरांगा
	मल (मल क्षत्रिय)
	पाइक, खंडित, खंडित पाइक
	नोनिया
कर्नाटक	बोवी (गैर-बेस्ता) क्रालूवादर, मन्नुवादर
केरल	आदि आंध्र
	चंडाल
	कूसा
	मडिगा
	कोप्पालन
	मलयन (मलाबार जिला में आने वाले क्षेत्र)
	पेरुवन्नम
मध्य प्रदेश	सखवार
ओडिशा	रजक, रजाका
	अधूरिया डोम, अधुरिया डोम्ब
	खटिया
	गौडिया केला
	खादल, खोदल
	बेत्रा
	अधेरी केला, सिंदूरिया केला
	गौडिया केला
	पाना बैश्नब, पानो बैश्नब,
	कलांडी, कलांडी बैश्नब, कलिंदी बैश्नब,
	बौरी बैश्नब,
	धोबा बैश्नब,
	गोखा बैश्नब, गोकाह बैश्नब
	केसुरिया
	भिंना/तुला भिना
	मेहनतर, मेहेनतर
	सित्रा, सितुरिया,
	तियार, तियोर
	जयन्तारा पानो, जेना पानो
	खडोला
	बरिकी
	पत्रातांती
	कुम्मारी
	पौड, पौंड्रा (बंगाली शरणार्थी)
छत्तीसगढ़	महर/महारा
	चिक गांडा/चिक/ची
उत्तराखंड	नामशूद्र, पोड, पौंड्रा
उत्तर प्रदेश	कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निशाद, धीवर, बिंड, धीमार, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ,
	भर, रजभर
	कुमार, प्रजापति,
दादरा और नगर हवेली	रोहित

[हिंदी]

ट्रैफिक समस्या

5623. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या बदतर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई विशेष अभियान प्रारंभ किया है;

(ङ) यदि हां, तो 2012-13 के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा दंड के रूप में संग्रहित कुल राशि कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा ट्रैफिक जाम की समस्या को नियंत्रित करने और ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को शिक्षित करने के लिए क्या प्रभावी उपाए किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) समय-समय पर अधिक आवाजाही के समय किसी वाहन के खराब हो जाने पर यातायात अधिक होने के कारण यातायात जाम हो जाने की सूचना मिलती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सड़क नेटवर्क, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी जैसी विभिन्न नगरीय एजेंसियों द्वारा चलाई जाने वाली निर्माण संबंधी गतिविधियों से भी प्रभावित होता है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात जाम की समस्या पर काबू पाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने यातायात प्रबंधन योजना तैयार की है जो सड़क सुरक्षा शिक्षा, विनियमन, प्रवर्तन और इंजीनियरी सोल्यूशनों के सिद्धांतों पर आधारित है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ समय-समय पर नियमित रूप से प्रवर्तन अभियान दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जाते हैं। वर्ष 2012 तथा 2013 (15.04.2013 तक) के संबंध में अभियोजन संबंधी ब्यौरे (अपराध-वार) निम्नानुसार हैं:

वर्ष-वार अभियोजन

वर्ष	कुल चालान
2012	3298827
2013 (15.4.2013) तक	1004770

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा अपराध-वार अभियोजन के संबंध में एकत्रित कुल सम्मिश्रित धनराशि (घटना-स्थल पर)

क्र.सं.	वर्ष	सम्मिश्रित धनराशि (रु. में)
1.	2012	46,51,48,700/-
2.	2013 (15.4.2013 तक)	15,02,52,800/-

यातायात प्रबंधन योजना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात के बेहतर प्रबंधन के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

विगत कुछ वर्षों के दौरान, दिल्ली यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, अधिक तत्परता तथा सड़क और परिवहन के साथ-साथ यातायात और सड़क प्रयोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के हर एक मुद्दे को समेटते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित कर रहा है।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्रों में अनियमितताएं

5624. श्री हरिन पाठकः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री अंजनकुमार एम. यादवः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों में सूचित कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच आयोजित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आतंकी धमकियां

5625. श्री संजय निरूपमः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस संबंध में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि अफजल गुरु को फांसी लगाए जाने की प्रतिक्रिया में लश्कर-ए-तैय्यबा सहित कुछ आतंकी संगठनों ने देश में आतंकी हमले की धमकी दी है/योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) उपलब्ध आसूचना जानकारी के अनुसार दिनांक 9 फरवरी, 2013 को लश्कर-ए-तैय्यबा के एक प्रवक्ता ने कश्मीर न्यूज सर्विस को टेलीफोन पर दिए गए संदेश में, अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का बदला लेने के लिए जल्दी ही लश्कर-ए-तैय्यबा द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त, अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप एलईटी, जेईएम और एचएम सहित 9 उग्रवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूनाइटेड जेहाद काउंसिल से संबद्धता जताते हुए इस्लामाबाद में 13 फरवरी, 2013 को एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें प्रतिभागियों ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की भर्त्सना करते हुए भारत-विरोधी नारे लगाए और भारत में जेहाद चलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी। इसके अलावा, एलईटी के सरगना ने भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े हमलों की योजना बनाए जाने के लिए एलईटी के शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक भी आयोजित की।

(ग) चूंकि आतंकी हमलों को जायज ठहराने का कोई कारण नहीं है, इसलिए सरकार, देश के किसी भी भाग में किसी भी आतंकवादी या आतंकवादी समूहों/संगठनों द्वारा हमला किए जाने की किसी भी नापाक योजना, उसके सभी स्वरूपों या आकारों को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आतंकवादी संगठनों के संभावित मंसूबों और धमकियों से संबंधित आसूचना का आदान-प्रदान राज्य सरकारों के साथ किया जाता है। बहु एजेंसी केंद्र (एमएसी) को सुदृढ़ बनाया गया है तथा इसे पुनर्गठित किया गया है ताकि यह समय पर सूचना के संग्रहण तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना के आदान-प्रदान हेतु चौबीसी घंटे कार्य करने में समर्थ हो सके तथा स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा संबंधी आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है जिससे राज्यों तथा केंद्रीय सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच गहन समन्वय तथा आसूचना का आदान-प्रदान और सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रमुख आतंकवादी माड्यूलों का भंडाफोड़ हुआ है।

[हिंदी]

टीवी चैनलों को आपस में जोड़ना

5626. श्री पूर्णमासी रामः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्य कर रहे भारतीय/विदेशी टीवी चैनलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विदेशी और भारतीय टीवी चैनलों को आपस में जोड़ने से राजस्व प्राप्त होता है;

(ग) यदि हां, तो समाचार चैनलों सहित देश में टीवी चैनलों को इस प्रकार जोड़ने से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में टीवी चैनलों का अंतर संयोजन आसान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) मंत्रालय ने अभी तक की स्थिति के अनुसार, अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 811 प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को अनुमति प्रदान की है। इसमें विदेशों से अपलिंकिंग कर भारत में डाउनलिंक किए जाने हेतु अनुमति प्रदत्त 92 विदेशी टीवी चैनल शामिल हैं।

(ख) से (ङ) प्राइवेट सेटेलाइट टीची चैनल अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा अभिशासित होते हैं। इन दिशा-निर्देशों में विदेशी और भारतीय टीवी चैनलों के अंतर्संयोजन का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीलंकाई शरणार्थियों में मानव व्यापार

5627. **श्री उदय सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि तमिलनाडु में रहने वाले श्रीलंकाई शरणार्थियों का वहां पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता देने के नाम पर मानव व्यापार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर उनका दुर्व्यापार किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस संबंध में, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- जब कभी अन्य एजेंसियों से मानव दुर्व्यापार के बारे में सूचना मिलती है, तब चेतावनी दी जाती है।
- श्रीलंकाई तमिलों के जान-माल की रक्षा करने के लिए जागरूकता अभियान के भाग के रूप में सभी शरणार्थी बस्तियों में नोटिस बोर्डों पर सूचना प्रदर्शित की गई थी।
- सभी पुलिस आयुक्तों/पुलिस अधीक्षकों को एनएसए के तहत बार-बार मानव दुर्व्यापर करने वाले अपराधियों/मास्टर-माइंडों/ एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया था।
- हाल ही में तटीय सुरक्षा समूह पुलिस के अधिकारियों ने गैर-कानूनी जल-यात्रा न करने के लिए समूचे तमिलनाडु की सभी शरणार्थी बस्तियों के जागरूकता अभियान आरंभ किया था।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए मामले

क्र.सं.	वर्ष	ऐसी घटनाएं जिनके मामले पंजीकृत किए गए थे	ऐसी घटनाएं जिनमें मामला पंजीकृत नहीं किया गया	रोके गए शरणार्थियों की संख्या	अपने शिविरों में वापस भेजे गए शरणार्थियों की संख्या	रोके गए शरणार्थियों में से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	पकड़े गए/पहचाने गए एजेंट		विशेष शिविर में रखे एजेंट
							भारतीय	एसएलटी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2010	12	1	265 एसएलटी	236 एसएलटी	29 एसएलटी	16	27	22
2.	2011	6	1	205 एसएलटी और 12 भारतीय	205 एसएलटी और 12 भारतीय	-	8	24	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	2012	16	1	418 एसएलटी और 42 भारतीय	380 एसएलटी और 35 भारतीय	38 एसएलटी और 7 भारतीय	10	27	19
4.	2013 (22.4.2013 तक)	7	-	275 एसएलटी और 3 भारतीय	186 एसएलटी और 2 भारतीय	89 एसएलटी और 1 भारतीय	3	8	-
	कुल	41	3	1163 एसएलटी और 57 भारतीय	10075 एसएलटी और 49 भारतीय	1163 एसएलटी और 8 भारतीय	37	86	51

हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग

5628. श्री एस.आर. जेयदुरईः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) द्वारा आयोजित किसी नई जांच ने उजागर किया है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां/विभाग और विश्वविद्यालय, देश में किसानों के मध्य हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न अंशधारकों से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में केवल पंजीकृत कीटनाशी ही प्रयोग किए जाएं इस हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) "भारत में कीटनाशक विनियमन की स्थिति" संबंधी विज्ञान तथा पर्यावरण केंद्र द्वारा रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि भारत में "महत्वपूर्ण फसलों यथा गेहूं धान, सेब, आम, आलू, पत्ता गोभी, काली मिर्च, इलायची, चाय, गन्ना तथा कपास की समीक्षा के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभागों तथा अन्य बोर्डों द्वारा कीटनाशक उपयोग के लिए की गई अनुशंसाओं की केन्द्रीय कृमिनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआईबी एवं आरसी) द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि कृषि विश्वविद्यालयों, विभागों तथा बोर्डों ने कई कीटनाशकों की सिफारिश की है जिन्हें कुछ फसलों के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) कीटनाशकों को केवल मानव जाति, पशुओं एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षा और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के बाद कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकृत किया जाता है। राज्यों को समय-समय पर सुग्रहित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि कीटनाशकों को केवल लेबल दावों में निहित किया गया है और उनके पंजीकरण के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। फसल अनुसंधान संस्थानों, जिन्स बोर्डों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और सभी राज्यों के कृषि विभागों को सलाह दी जाती है कि कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित अनुसार प्रयोग के साथ एक साथ लाने के लिए विभिन्न फसलों पर कृमिनाशियों के प्रयोग पर उनकी सिफारिशों की समीक्षा करे। कीटनाशकों के तर्कसंगत तथा जरूरत आधारित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में केवल पंजीकृत कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, परीक्षण तथा विश्लेषण हेतु कीटनाशक उत्पादों के नमूने

एकत्रित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं।

[हिंदी]

मंदिरों में पर्यटकों हेतु सुविधाएं

5629. श्री महेश जोशी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंदिर/स्मारक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश के विभिन्न भागों में स्थापित ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों का दौरा करने वाले पर्यटकों को मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्मारक-वार उक्त कार्य हेतु आबंटित/जारी/प्रयुक्त निधियां कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे स्थलों पर पर्यटकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और स्मारक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में 3678 स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के परिरक्षण, संरक्षण और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। संरक्षित मंदिरों और स्मारकों एवं स्थलों को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाएं/साधन (जैसे पेयजल, शौचालय, विकलांगों के लिए सुविधाएं, रास्ते, सांस्कृतिक सूचना पट्ट/संकेत, वाहन पार्किंग, अमानती सामान कक्ष आदि) प्रदान करना ऐसी नियमित गतिविधियां हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार चलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इन जन सुविधाओं में सुधार करना और इनका उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्यार्थ विशिष्ट स्मारकों की पहचान की जाती है। आधारभूत जन-सुविधाएं सभी विश्व विरासत स्थलों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टिकट द्वारा प्रवेश वाले सभी स्मारकों के साथ-साथ उन अधिकांश संरक्षित स्मारकों पर भी उपलब्ध हैं जिन्हें देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।

देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने सहित उनके संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणिक विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित/जारी/प्रयुक्त की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्मारकों/स्थलों को देखने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और अभिरक्षा के लिए नियमित निगरानी एवं पहरा कर्मचारियों को तैनात किया गया है तथा निजी सुरक्षा गार्डों और राज्य पुलिस कार्मिकों की सेवाएं ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, ताजमहल, आगरा और लाल किला, दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को भी तैनात किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने सहित संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणिक विकास पर राज्य-वार व्यय

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा	आबंटन/व्यय 2010-11	आबंटन/व्यय 2011-12	आबंटन/व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	758.00	544.49	737.49
		लखनऊ मंडल	1706.99	1208.00	1047.49
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	315.00	310.7	494.00
		मुंबई मंडल	389.99	359.00	414.99
3.	कर्नाटक	बैंगलोर मंडल	1245.95	1041.00	1131.00
		धारवाड़ मंडल	981.88	943.98	793.00

1	2	3	4	5	6
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	654.87	607.9	707.50
5.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	261.36	289.98	455.22
6.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	504.59	446.28	378.75
7.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	530.00	530.00	500.03
8.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	687.04	529.99	685.92
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	79.8	62.81	105.00
10.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1849.84	927.39	1100.98
11.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	110.00	107.99
12.	सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर राज्य	गुवाहाटी मंडल	159.01	213.32	207.25
13.	राजस्थान	जयपुर मंडल	350.00	445.49	435.00
14.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	664.86	640.00	890.00
15.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	364.99	383.96	275.04
16.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	283.29	270.00	243.80
		लघु मंडल लेह	52.15	85.00	67.00
17.	केरल	त्रिशूर मंडल	337.01	301.5	406.00
18.	गुजरात, दमन और दीव	वडोदरा मंडल	509.93	574.97	459.99
19.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	147.18	139.99	107.49
20.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	341.00	303.58	405.00
21.	झारखंड	रांची मंडल	64.98	62.58	53.75
22.		विज्ञान शाखा, देहरादून	507.46	485.40	527.67
23.		उद्यान शाखा, आगरा	1796.70	1580.44	2122.85
		कुल योग	15653.87	13397.75	14860.20

विवरण-II

निगरानी एवं पहरा कर्मचारियों की संख्या की सूची (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	स्मारक परिचर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	निजी सुरक्षा गार्ड	सीआइएसएफ कार्मिक	राज्य सशस्त्र गार्ड
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	119	122	279	-
	"	लखनऊ मंडल	102	40	-	-
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	124	100		
	"	मुंबई मंडल	72	108	-	-
3.	कर्नाटक	बैंगलोर मंडल	159	117	-	10
	"	धारवाड़ मंडल	106	111		10
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	302	126	-	14
5.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	105	22	-	-
6.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	87	57	-	
7.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	132	22		9
8.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	51	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	32	-	-	-
10.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	215	386	317	-
11.	गोवा	गोवा मंडल	13	28	-	-
12.	पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम के अलावा	गुवाहाटी मंडल	45	-	-	-
13.	राजस्थान	जयपुर मंडल	197	6	-	15
14.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	119	80		(10 और 62 गृह रक्षक)
15.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	90	65		12

1	2	3	4	5	6	7
16.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल, लघु मंडल लेह	8410	-	-	-
17.	केरल	त्रिशूर मंडल	33	-	-	-
18.	गुजरात	वडोदरा मंडल	104	70		4
19.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	37	-	-	10
20.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	14	-	-	-
21.	झारखंड	रांची मंडल	13	15	-	-
		विज्ञान शाखा (अखिल भारतीय)	64	-	-	-
		उत्खनन शाखा, पटना	9	-	-	-
		पुरालेख शाखा, मैसूर	5	-	-	-
		पुरालेख शाखा, लखनऊ	2	-	-	-
		उद्यान शाखा, (अखिल भारतीय)	973	-	-	-
		कुल	3418	1475	596	156

[अनुवाद]

डिब्बाबंद उत्पादों के मूल्यों में अंतर

5630. डॉ. मिर्जा महबूब बेग: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच रही कॉर्पोरेट घरानों की डिब्बाबंद खाद्य मदों और खुली खाद्य मदों के मूल्यों में काफी अंतर पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र घराने मनमाने ढंग से दुग्ध और अन्य खाद्य मदों की कीमतों को बढ़ा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में की गई/प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी हां, बाजार में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच रही डिब्बाबंद खाद्य मदों और खुली खाद्य मदों के मूल्यों में कुछ अंतर देखा गया है। परिवहन, पार्किंग, लाभ तथा कर आदि जैसे ऊपरी खर्चों के कारण कॉर्पोरेट घरानों की वस्तुओं का मूल्य अधिक है।

(ख) और (ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

वायदा मूल्यों का प्रसारण

5631. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीविजन चैनलों पर खाद्य मदों के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मूल्यों के प्रसारण से इनके मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीविजन चैनलों पर उक्त सूचना को बताए जाने से कमोडिटी वायदा बाजार में वायदा कारोबार से सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए खाद्य मदों के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मूल्यों के प्रसारण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) जी नहीं। भावी सौदा व्यापार मूल्य जोखिम प्रबंधन और मूल्य खोज का तंत्र है और मूल्य वृद्धि में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज उन वस्तुओं के भावी मूल्य के आंकड़े प्रसारित करता है, जिनकी खोज, टेलीविजन चैनलों सहित विविध माध्यमों से प्रत्याशित मांग और आपूर्ति स्थितियों पर आधारित एक पारदर्शी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से उसके प्लेटफार्म पर की जाती है।

(ङ) वायदा बाजार आयोग जो कि भावी संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत कमोडिटी फ्यूचर बाजार का विनियामक है, के पास न्यूज चैनलों पर भावी मूल्यों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक्सचेंज प्लेटफार्म पर पहले से ही खोज लिए गए भावी मूल्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार से बाजार के विविध पणधारियों के बीच जागरूकता को बढ़ावा मिलता है और उन्हें सूचनायुक्त निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

पूर्वोत्तर में सीमा विवाद

5632. श्री विन्सेंट एच. पाला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ सीमा विवादों वाले राज्यों के नाम क्या हैं, इसमें सम्मिलित क्षेत्रों के नाम, प्रत्येक मामले में विवाद की तिथि क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा विवादों के निपटान हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक सीमा विवाद के संबंध में लंबित न्यायालय मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक विवाद के निपटान हेतु नियुक्त सीमा आयोगों के ब्यौरे क्या हैं और इनकी नियुक्ति से लेकर अब तक सीमा आयोग का कार्यकरण क्या है; और

(घ) ऐसे सीमा विवादों का कब तक समाधान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) असम-नागालैंड, असम-अरुणाचल प्रदेश तथा असम-मेघालय राज्यों के बीच सीमा संबंधी कुछ विवाद हैं। केन्द्र सरकार का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि अंतर-राज्य सीमा संबंधी विवादों को केवल संबंधित राज्य सरकारों के तत्पर सहयोग से हल किया जा सकता है और यह कि केन्द्र सरकार परस्पर सहायता और समझ पैदा करने की भावना से विवाद के सौहार्द्रपूर्ण निस्तारण के लिए मामले को केवल आगे बढ़ाने का कार्य करती है।

असम सरकार ने क्रमशः असम-नागालैंड और असम-अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मूल वाद सं. 2/88 तथा 1/89 दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.9.2006 के निर्णय एवं आदेश के तहत असम-नागालैंड तथा असम-अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बीच सीमाओं के अभिनिर्धारण के लिए एक स्थानीय आयोग नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने, नागालैंड सरकार द्वारा मूल वाद सं. 2/88 में दायर किए गए आवेदन की सुनवाई करते हुए अपने दिनांक 20.8.2010 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि स्थानीय आयोग के कार्य करते रहने के साथ-साथ मध्यस्थता के द्वारा भी इस मुद्दे के हल की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए दो सहमध्यस्थों की नियुक्ति भी की। असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद के संबंध में मध्यस्थों की बैठकें सतत रूप से आयोजित की जा रही हैं। असम और नागालैंड राज्यों के साथ मध्यस्थों की पिछली बैठक दिनांक 22.4.2013 को आयोजित की गयी थी। स्थानीय आयोग असम और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में लगातार अपनी सुनवाई जारी किए हुए हैं।

जहां तक असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने दोनों राज्य सरकारों को इस विवाद के परस्पर और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से हल करने की सलाह दी है।

(घ) ऊपर (क) से (ग) के मद्देनजर इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

खाद्य तेल का उत्पादन

5633. श्री जयंत चौधरी:
श्री एम.के. राघवन:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेल-वार देश में उत्पादित और खपत किए गए पाम तेल और नारियल तेल सहित खाद्य तेल की कुल प्रमात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार नारियल तेल की खपत और निर्यात को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पाम तेल तथा नारियल तेल सहित खाद्य तेलों के अनुमानित घरेलू उत्पादन तथा उपभोग का तेल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। नारियल तेल के उपभोग तथा निर्यात का संवर्धन करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) नारियल विकास बोर्ड 'नारियल प्रौद्योगिकी मिशन' स्कीम के अंतर्गत नारियल तेल तथा नारियल के मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन का संवर्धन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत उद्यमियों को नारियल क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) नारियल के घरेलू उत्पादकों तथा नारियल तेल के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपरिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) नारियल तेल के निर्यात से पत्तन प्रतिबंध हटा लिया गया है तथा वर्तमान में 13 इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) पत्तनों तथा भू-सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से नारियल तेल के निर्यात की अनुमति है।

(iv) 5 किलोग्राम तक ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में नारियल तेल सहित खाद्य तेलों के निर्यात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिया गया है।

विवरण

खाद्य तेलों के अनुमानित घरेलू उत्पादन और खपत का ब्यौरा

(मात्रा लाख टन में)

तेल का नाम	2008-09 (नवंबर-अक्तूबर)		2009-10 (नवंबर-अक्तूबर)		2010-11 (नवंबर-अक्तूबर)		2011-12 (नवंबर-अक्तूबर)	
	उत्पादन	खपत*	उत्पादन	खपत*	उत्पादन	खपत*	उत्पादन	खपत*
रेपसीड/सरसों	22.32	22.32	20.48	20.48	25.35	25.35	20.47	20.47
सोयाबीन	15.85	25.74	15.94	29.61	20.38	29.08	19.54	30.35
मूंगफली	16.48	16.48	12.48	12.48	19.01	19.01	16.02	16.02
सूर्यमुखी	3.82	9.82	2.81	8.14	2.15	9.10	1.70	13.01
बिनौला	7.60	7.60	8.00	8.00	10.89	10.89	11.62	11.62
नारियल	4.71	4.83	4.79	4.74	4.84	4.85	5.02	4.84
चावल की भूसी	7.70	7.70	7.20	7.20	7.20	7.20	7.50	7.50
पाम तेल	0.53	64.80	0.66	54.90	0.73	54.76	1.1	76.51
अन्य	6.08	7.75	8.00	9.43	7.94	11.68	7.74	9.64
जोड़	85.09	167.04	80.36	155.01	98.49	170.92	90.71	189.96

*खपत में आयात किए गए खाद्य तेल शामिल हैं।

एडीआईपी योजना के अंतर्गत सहायता

5634. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः
श्री निशिकांत दुबेः
श्री दिलीप सिंह जूदेवः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निःशक्त व्यक्तियों हेतु एड एंड एप्लायंस की खरीद/फिटिंग (एडीआईपी) योजना के लिए सहायता के अंतर्गत सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य-वार अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत, जारी और प्रयुक्त निधियां कितनी हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ये उपस्कर कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) जी, हां। वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की संख्या तथा जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2010-11 के दौरान एडिप स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से संबंधित पूर्ण ब्यौरा क्रियान्वयन एजेंसियों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

एडिप स्कीम के तहत कैंप संबंधी कार्यकलाप के लिए वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की संख्या तथा जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
		सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी की गई निधि	सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी की गई निधि	सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	1	126.00	2	68.50
2.	बिहार	2	41.00	5	77.25	7	68.00
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	1	18.00
4.	गोवा	-	-	1	3.00	1	6.00
5.	गुजरात	3	101.70	3	103.80	11	79.80

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हरियाणा	3	14.00	2	8.50	4	24.65
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–		–
8.	जम्मू और कश्मीर	1	4.00	–	–	1	3.60
9.	झारखंड	1	17.00	–	–	1	9.00
10.	कर्नाटक	1	21.00	1	31.00	3	19.50
11.	केरल	–	–	–	–	1	42.10
12.	मध्य प्रदेश	1	6.71	–	–	6	90.90
13.	महाराष्ट्र	9	179.34	6	115.75	12	185.40
14.	ओडिशा	5	198.79	5	124.00	5	110.50
15.	पंजाब	2	8.33	3	21.88	2	9.12
16.	राजस्थान	2	309.00	2	302.00	2	208.50
17.	तमिलनाडु	2	98.00	4	94.36	1	10.05
18.	उत्तर प्रदेश	11	333.01	12	280.67	11	110.30
19.	उत्तराखंड	3	14.00	4	23.00	2	8.00
20.	पश्चिम बंगाल	4	46.36	2	23.33	4	45.05
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–
22.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
23.	दादरा और नगर हवेली	1	3.00	1	3.00	–	–
24.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
25.	दिल्ली	2	19.00	2	16.65	3	49.50
26.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
27.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–
28.	अरुणाचल प्रदेश		–	–	–	–	–
29.	असम	8	337.48	10	180.25	11	223.75

1	2	3	4	5	6	7	8
30	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
31	मेघालय	–	–	–	–	1	21.57
32	मिज़ोरम	–	–	–	–	–	–
33	नागालैंड	–	–	–	–	1	18.50
34	सिक्किम	–	–	–	–	1	7.25
35	त्रिपुरा	–	–	–	–	1	11.25
	कुल	*58	1751.72	*63	1534.44	*95	1448.79

*कुछ गैर-सरकारी संगठन एक से अधिक राज्य में कार्यरत हैं।

विवरण-II

एडिप स्कीम के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान लाभ प्राप्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2010-11
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2455
2.	बिहार	8873
3.	छत्तीसगढ़	2293
4.	गोवा	–
5.	गुजरात	10211
6.	हरियाणा	463
7.	हिमाचल प्रदेश	2819
8.	जम्मू और कश्मीर	141
9.	झारखंड	5162
10.	कर्नाटक	3593
11.	केरल	–
12.	मध्य प्रदेश	2388
13.	महाराष्ट्र	18317
14.	ओडिशा	16153
15.	पंजाब	5735
16.	राजस्थान	14827
17.	तमिलनाडु	9010
18.	उत्तर प्रदेश	21174
19.	उत्तराखंड	1710
20.	पश्चिम बंगाल	12685
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
22.	चंडीगढ़	–
23.	दादरा और नगर हवेली	175
24.	दमन और दीव	–
25.	दिल्ली	1180
26.	लक्षद्वीप	–
27.	पुदुचेरी	–

1	2	3
28.	अरुणाचल प्रदेश	-
29.	असम	16920
30.	मणिपुर	-
31	मेघालय	706
32	मिज़ोरम	-
33	नागालैंड	33
34	सिक्किम	59
35	त्रिपुरा	1968
	उप योग	159050
	मुख्यालय कार्यकलाप के तहत गैर सरकारी संगठनों द्वारा कवर किए गए लाभार्थी	30569
	मुख्यालय कार्यकलाप के तहत राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कवर किए गए लाभार्थी	44324
	कुल	233943

*वर्ष 2010-11 के दौरान 59 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिया गया था जिसमें से 2 गैर-सरकारी संगठनों के बारे में सूचना शामिल नहीं है क्योंकि उनके बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई।

[हिंदी]

चीनी की उत्पादन लागत

5635. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में चीनी की उत्पादन लागत काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और राज्य-वार देश के विभिन्न भागों में चीनी की उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) क्या इस कारण चीनी का मूल्य प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चीनी की उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) चीनी की उत्पादन लागत विभिन्न कारकों जैसे पर्याप्त कच्ची सामग्री की उपलब्धता, गन्ने से रिकवरी, मौसम की अवधि, संयंत्र का आकार, संयंत्र की क्षमता, उन्नयन और विविधीकरण, कार्यशील पूंजी की लागत, प्रबंधकीय क्षमता आदि पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य, शीरे का नियंत्रण आदि जैसे कारक जो पर्याप्त रूप से उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं, का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए उत्पादन लागत फैक्ट्री दर फैक्ट्री के साथ राज्य दर राज्य भी भिन्न होती है। अत: राज्य-वार चीनी की उत्पादन लागत दर्शा पाना संभव नहीं है और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, चीनी के मूल्य घरेलू मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, बाजार रुझानों, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों आदि के रुझानों और उत्पादन आदि जैसे कारकों से भी प्रभावित होते हैं। उत्पादन लागत को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के संबंध में संबंधित उद्यमी की है और सार्वजनिक तथा सहकारी चीनी मिलों के मामले में यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से (i) संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन; (ii) गन्ना विकास; (iii) शीरे से इथनाल के उत्पादन; और (iv) खोई आधारित सह-विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण

5636. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और इसने सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आने वाले वर्षों में कार्यक्रम को विस्तार देने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) सुरक्षा खतरों से संबंधित किसी पाठ्यक्रम का आयोजन नहीं करता है। तथपि, एनआईडीएम द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सहभागियों में राज्य पुलिस और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिक भी शामिल हैं। पूर्व में, संस्थान द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें पुलिस/अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों ने भाग लिया था–

(i) कुल 105 सहभागियों के साथ राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के पर्यवेक्षी अधिकारियों हेतु आपदा प्रबंधन पर 6 बुनियादी पाठ्यक्रम।

(ii) कुल 94 सहभागियों के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलाजिकल और नाभिकीय आपातकाल (सीबीआरएनई) पर 4 पाठ्यक्रम।

(iii) कुल 81 सहभागियों के साथ श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट प्रबंधन पर 3 पाठ्यक्रम।

(iv) कुल 84 सहभागियों के साथ आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका पर 4 पाठ्यक्रम।

(ग) और (घ) इसके अलावा भविष्य में ऐसे पाठ्यक्रमों को शामिल करना विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों की मांग पर निर्भर करेगा।

विदेशों में कला और संस्कृति का प्रसार

5637. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न देशों में भारतीय कला और संस्कृति का प्रसार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को भी इस उद्यम में सम्मिलित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय कला और संस्कृति के प्रसार हेतु भारत से टीमें विदेश में भेजी गई/भेजी जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान भेजी गई टीमों का ब्यौरा क्या है और इन पर व्यय की गई राशि कितनी है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय ने विदेशी देशों के साथ 126 सांस्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ मिलकर समय-समय पर विशिष्ट अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों में भागीदारी करता है। शेष देशों के साथ भी, मंत्रालय, सांस्कृतिक समझौते करने और उनके साथ विदेश स्थित मिशनों के परामर्श से सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भागीदारी करने की संभावनाओं की तलाश करता है।

(ग) और (घ) मंत्रालय, भारत विदेशी मैत्री सोसाइटी स्कीम के तहत भारतीय राजदूतावासों को अनुदान जारी करता है और इन सोसाइटियों के कार्यकलापों में अनिवासी भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता है। आईसीसीआर द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि अनिवासी भारतीयों को कुछ रंगमंच समूहों के दौरों में भी शामिल किया जा रहा है।

(ङ) जी, हां।

(च) संस्कृति मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसियों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं और आईसीसीआर द्वारा दिए गए ब्यौरों को संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

सांस्कृतिक समझौतें

क्र.सं	देश	करार की तिथि
1	2	3
1.	अफ़गानिस्तान	04.01.1963
2.	अल्जीरिया	01.06.1976
3.	अंगोला	04.10.1986
4.	अर्जेंटीना	28,05.1975
5.	अर्मेनिया	14.12.1995
6.	ऑस्ट्रेलिया	21.10.1971
7.	बहरीन	08.01.1975

1	2	3
8.	बांग्लादेश	30.12.1972
9.	बेलोरूस	14.05.1993
10.	बेल्जियम	21.09.1973
11.	बेलिज	15.06.1994
12.	बेनिन	17.07.1986
13.	बोलीविआ	08.12.1997
14.	बोस्निया और हर्जेगोविना	20.09.2002
15.	बोत्सवाना	14.05.1997
16.	ब्राजील	23.09.1968
17.	बुल्गारिया	20.02.1963
18.	बुर्किना फासो	12.12.1983
19.	कंबोडिया	31.01.1996
20.	चिली	13.01.1993
21.	चीन	28.05.1988
22.	कोलंबिया	22.05.1974
23.	क्रेएशिया	05.03.1999
24.	क्यूबा	21.07.1976
25,	सायप्रस	24.10.1980
26.	चेक रिपब्लिक	11.10.1996
27.	डिजीबाउटी	31.01.1989
28.	इक्वाडोर	20.01.2008
29.	मिस्र	25.09.1958
30.	एस्तोनिया	15.10.1993
31.	इथियोपिया	09.02.1983
32.	फिनलैंड	10.06.1983
33.	फ्रांस	07.06.1966
34.	जर्मनी	20.03.1969
35.	घाना	12.10.1981
36.	ग्रीस	22.06.1961
37.	गुयाना	30.12.1974
38.	हंगरी	03.03.1962
39.	आइसलैंड	19.10.2005
40.	इंडोनेशिया	29.12.1995
41.	ईरान	10.12.1956
42.	इराक	19.04.1973
43.	आयरलैंड	19.01.2006
44.	इजराइल	18.05.1993
45.	इटली	09.11.1976
46.	जमैका	05.10.1992
47.	जापान	29.10.1956
48.	जॉर्डन	15.02.1976
49.	कजाकिस्तान	12.05.2010
50.	केन्या	24.02.1981
51.	कुवैत	02.11.1970
52.	क्रिगिस्तान	18.03.1992
53.	लाओस	17.08.1994
54.	लाटविया	01.09.1995
55.	लेबनान	07.04.1997
56.	लेसोथो	05.10,1976
57.	लीबिया	24.08.1985

1	2	3
58.	लिथुआनिया	20.02.2001
59.	लक्ज़मबर्ग	10.09.1996
60.	मेडागास्कर	17.06.1997
61.	मलेशिया	03.03.1978
62.	मालदीव	07.09.1983
63.	मालटा	14.01.1992
64.	मॉरीशस	06.02.1976
65.	मेक्सिको	23.07.1975
66.	मोलदोवा	19.03.1993
67.	मंगोलिया	09.02.1978
68.	मोरक्को	12.01.1981
69.	मोज़ाम्बिक	09.04.1982
70.	म्यांमार	25.01.2001
71.	नामीबिया	25.01.1991
72.	नेपाल	09.09.2004
73.	नीदरलैंड	24.05.1985
74.	निकारागुआ	09.09.1986
75.	नाइजीरिया	14.09.1982
76.	उत्तर कोरिया	02.07.1976
77.	नॉर्वे	19.04.1987
78.	ओमान	12.07.2010
79.	पाकिस्तान	31.12.1988
80.	पनामा	02.02.2001
81.	पेरू	25.01.1987
82.	फ़िलिपींस	08.9.1969
83.	पोलैंड	27.03.1957
84.	पुर्तगाल	07.04.1980
85.	क़तर	04.06.1980
86.	रोमानिया	03.04.1957
87.	रूस	28.01.1993
88.	रवांडा	04.07.1975
89.	सेनेगल	21.05.1974
90.	सर्बिया और मोननगेरो	20.09.2002
91.	सेशेल्स	22.12.1987
92.	सिंगापुर	05.02.1993
93.	स्लोवाक गणराज्य	11.03.1996
94.	स्लोवेनिया	16.12.1996
95.	सोमालिया	02.04.1979
96.	दक्षिण अफ्रीका	04.12.1996
97.	दक्षिण कोरिया	12.08.1974
98.	स्पेन	16.09.1982
99.	श्रीलंका	29.11.1977
100.	सूडान	28.11.1974
101.	सूरीनाम	22.09.1992
102.	सीरिया	13.11.1975
103.	ताजीकिस्तान	15.02.1993
104.	तंज़ानिया	17.01.1975
105.	थाईलैंड	29.04.1997
106.	त्रिनिदाद और टोबैगो	13.03.1987
107.	ट्यूनीशिया	24.06.1969

1	2	3
108.	टर्की	29.05.1951
109.	तुर्कमेनिस्तान	20.04.1992
110.	यूगांडा	24.11.1981
111.	यूक्रेन	27.03.1992
112.	संयुक्त अरब अमीरात	03.01.1975
113.	उज़्बेकिस्तान	17.08.1991
114.	वेनेजुएला	13.09.1984
115.	वियतनाम	18.12.1976
116.	यमन	22.07.1999
117.	ज़ैरे	04.07.1978
118.	ज़ाम्बिया	26.01.1975
119.	ज़िम्बाब्वे	22.05.1981
120.	ब्रूनेई	22.05.2008
121.	कांगोडीआर	29.10.2009
122.	सऊदी अरब	28.02.2010
123.	जॉर्जिया	30.03.2010
124.	कनाडा	27.06.2010
125.	यूनाइटेड किंगडम	29.07.2010
126.	डॉमिनिक गणराज्य	23.08.2012

विवरण-II

संस्कृति मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसियों से संबंधित ब्यौरे

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1.	2010-11	288.82
2.	2011-12	22.17
3.	2012-13	17.68

विवरण-III

आईसीसीआर द्वारा दिए गए ब्यौरे

वित्तीय वर्ष	समूहों की संख्या	व्यय
2010-2011	125	6,97,40,061/- रु.
2011-2012	139	11,99,11,632/- रु.
2012-2013	151	13,75,62,691/- रु.

बच्चों हेतु डीडी चैनल

5638. श्री अशोक तंवर: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन (डीडी) का विचार बच्चों हेतु समर्पित चैनल प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या डीडी ने टीवी कार्यक्रमों/चैनलों के माध्यम से बच्चों के लिए मनोरंजन और ज्ञान प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं या पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय दूरदर्शन के पास बच्चों के लिए समर्पित चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय मंच पर और अन्य क्षेत्रीय केंद्रों पर संबंधित क्षेत्रीय चैनलों में बच्चों के लिए सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक कार्यक्रमों का नियमित आधार पर प्रसारण करता है।

फसल क्षति हेतु सहायता

5639. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में मानसून असफलता के आलोक में फसल क्षति हेतु वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून 2012 के दौरान कम वर्षा के कारण राज्य के 31 जिलों (चेन्नई जिले को छोड़कर सभी) में सूखा घोषित किया है। राज्य में 19665.13 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता मांगते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सूखे के कारण हुए नुकसान/हानि के मूल्यांकन के लिए और वित्तीय सहायता की सिफारिश करने के लिए राज्य का दौरा करने हेतु एक अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) गठित किया गया है।

[हिंदी]

कृषि विकास

5640. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) 11वीं योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) में 4 प्रतिशत लक्षित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर की तुलना में उसी अवधि के दौरान 2004-05 मूल्यों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों ने 3.6 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है। 2009-10 के दौरान देश के अधिकांश भागों में अत्यधिक सूखे तथा 2010-11 में कुछ राज्यों नामत: बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में सूखे/कम वर्षा के कारण 11वीं योजना अवधि में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि को काफी क्षति हुई थी।

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने कृषि की वृद्धि दर में बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए अंत: संरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), वर्षा सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (आरएडीपी), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम), ग्रामीण भंडारण योजना आदि। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पर्याप्त रूप से फार्म ऋण की उपलब्धता में सुधार, ऋण छूट संबंधी वृहत कार्यक्रम का क्रियान्वयन बेहतर फसल बीमा योजनाओं की शुरुआत, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी, विपणन अंत: संरचना आदि में सुधार किया है।

कोयले की श्रेणी

5641. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ में स्थापित स्पांज आयरन संयंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले हैं और 'एफ' श्रेणी के कोयले की आपूर्ति में समस्या पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लि. को राज्य में स्थापित स्पांज आयरन संयंत्रों को लिंकेज से पर्याप्त कोयले की आपूर्ति करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) इस प्रकार की कोई समस्या सरकार के ध्यान में नहीं लायी गई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) छत्तीसगढ़ में स्थापित स्पांज आयरन संयंत्रों को उसके साथ संपन्न ईंधन आपूर्ति करार के अनुसार ''ई'' तथा ''एफ'' ग्रेड का कोयला सप्लाई कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सांप्रदायिक हिंसा विधेयक

5642. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उक्त विधेयक के विरुद्ध राज्य सरकारों/संगठनों से सुझाव/टिप्पणियां और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का इस विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त विधेयक के कब तक अधिनियमित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 05.12.2005 को राज्य सभा में 'सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया था। अन्य बातों के साथ-साथ उक्त विधेयक की मुख्य विशेषताओं में राज्य सरकारों द्वारा कतिपय क्षेत्रों को सांप्रदायिक रूप से अशांत क्षेत्रों के रूप में घोषित करने का प्रावधान; सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले कृत्यों को रोकने के उपाय, सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित अपराधों तथा कतिपय अन्य अपराधों के लिए अधिक सजा; विशेष न्यायालयों के माध्यम से अपराधों की त्वरित जांच और विचारण का प्रावधान; सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के उपायों के लिए संस्थागत प्रबंध; सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा का प्रावधान और कतिपय मामलों में केन्द्र सरकार को विशेष शक्तियों का प्रावधान; आदि शामिल है।

(ग) और (घ) इस विधेयक के प्रावधानों के संबंध में विभिन्न सिविल सोसाइटी समूहों एवं स्टेकहोल्डरों से अनेक सिफारिशें/सुझाव प्राप्त हुए थे। इन सिफारिशों/सुझावों की जांच विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके की गई थी।

(ङ) और (च) सरकार ने गृह मंत्रालय की विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा जिसे राज्य सभा द्वारा विधेयक भेजा गया था, द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मुख्य रूप से स्वीकार करते हुए विधेयक को संशोधित करने का प्रस्ताव किया था। विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए राज्य सभा में मार्च, 2007 में और इसके बाद कई बार नोटिस दिए गए थे। तथापि, उन मौकों पर विधेयक को विचारार्थ नहीं लिया जा सका।

(छ) विधेयक के अधिनियमन हेतु कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

कोयला खान/ब्लाकों का आवंटन

5643. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत दशक के दौरान निजी विद्युत, इस्पात और सीमेंट कंपनियों को बिना नीलामी के कोयला खान/ब्लाक आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नीलामी के बिना कोयला खान/ब्लॉक आवंटित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नीलामी के बिना कोयला खान/ब्लॉकों के आवंटन के कारण सरकार को हुए नुकसान का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) विगत में निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक का अबंटन स्क्रीनिंग समिति नामक अंतर-मंत्रालयी अंतर-सरकारी निकाय तंत्र के माध्यम से किया गया था। स्क्रीनिंग समिति की अध्यक्षता सचिव (कोयला) द्वारा की गई थी तथा समिति में इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लि. (सीआईएल), सीआईएल की सहयक कंपनियों, केंद्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन संस्थान लि., नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि. तथा संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। सरकार द्वारा स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर आबंटन के संबंध में निर्णय लिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्त्य उपयोग परियोजना की तकनीकी आर्थिक- व्यवहार्यता परियोजना तैयारी की स्थिति, अन्त्य उपयोगकर्ता की जरूरतों के साथ ब्लॉक में कोयले की गुणवत्ता एवं मात्रा के मामले में संगतया तथा आवेदक कंपनी का ट्रेक रिकॉर्ड, संबंधित राज्य सरकार एवं प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों पर विचार किया गया था। सरकार द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,

1973 की धारा 3(3)(क)(iii) के अनुसरण में आबंटन के बारे में निर्णय लिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न निजी कंपनियों को कुल 103 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर लिक्विड परियोजनाओं को कोयला हेतु 3 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए थे।

(ग) और (घ) सरकार ने इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कराया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 1993 में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में यह बताया गया है कि:

"आठवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन को बढ़ाने एवं अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसके फलस्वरूप, निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली विद्युत उत्पादन इकाइयों को कोयला लिंकेज प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयला और लिग्नाइट की प्रमुख उत्पादक कोल इंडिया लि. और नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि. संसाधन संबंधी अड़चनों का सामना कर रही है। कम समय में कई परियोजनाओं को शुरू नहीं किया जा सकता है। एक विकल्प के रूप में कैप्टिव अन्त्य उपयोग के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत स्टेशनों को नयी कोयला तथा लिग्नाइट खानों की पेशकश करने का प्रस्ताव है। अन्य उद्योगो, जिन्हें कैप्टिव अन्त्य उपयोग के लिए कोयला खानें सौंपी जाएंगी, के लिए भी वही प्रबंध करना आवश्यक समझा गया है। इस्पात संयंत्रों, विद्युत गृहों आदि को आपूर्ति के लिए धुले हुए कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी निजी क्षेत्र में वाशरीज को भी प्रोत्साहित किया जाना है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन लोहा तथा इस्पात के निर्माण में लगी कंपनियों और अलग-थलग पड़े छोटे पाकेटों में, जहां आर्थिक विकास के लिए खनन करना व्यवहार्य नहीं है तथा जहां रेल परिवहन की आवश्यकता नहीं है, को छोड़कर कोयला खनन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नितांत रूप से आरक्षित है। विद्युत उत्पादन तथा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य कैप्टिव अन्त्य उपयोगों के प्रयोजनार्थ कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला खान में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने और निजी क्षेत्र को कोयला वाशरियों की स्थापना करने की अनुमति देने के उद्देश्य से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करना आवश्यक समझा गया है।"

विदेशों में कोयला खानों का अधिग्रहण

5644. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनियों का एक विशेष प्रयोजन वाहन, इंटरनेशनल कोल वेंचर लि. का अन्य देशों में कोयला खानों के अधिग्रहण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम से देश में कोयले की मांग और पूर्ति के बीच का अंतर किस सीमा तक दूर होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। विदेशी क्षेत्रों में कोयला परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (प्रा.) लि. की स्थापना की गई। ऐसे अर्जनों के लिए प्रयास करने हेतु ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक, यूएसए तथा कनाडा की पहचान की गई है।

(ग) इस स्तर पर देश में कोयले की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर पर इसके प्रभाव की सही-सही भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

कीटनाशकों के उपयोग पर निगरानी

5645. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग की निगरानी करने हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा किसी परिभाषित क्षेत्र में सभी कीटनाशी खुदरा बिक्री केन्द्रों में कितने निरीक्षण कराये गए हैं और उनके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या सरकार ने कीटनाशकों के सुरक्षित प्रयोग, भंडारण और निपटान हेतु कीटनाशी खुदरा व्यापारियों और किसानों को कोई प्रशिक्षण दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास कीटनाशी खुदरा व्यापारियों और किसानों द्वारा इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) कीटनाशकों का आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के प्रावधानों और समय-समय पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग) वर्ष 2012-13 में, देश में कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर कुल 33492 कीटनाशी नमूने लिए गए थे जिनमें से 974 नमूने नकली पाए गए थे। परिणामस्वरूप 147 खुदरा डीलरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, 923 को रद्द कर दिया गया और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा 321 मामलों में अभियोजन लाया गया था।

(घ) जी हां।

(ङ) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षकों के लिए 34 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे जो आगे 2012-13 तक कीटनाशी खुदरा विक्रेताओं, अन्य कृषि विस्तार कर्मियों और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 25020 किसानों, 265 खुदरा विक्रेताओं और 460 विस्तार कर्मियों को वर्ष 2012-13 में कीटनाशकों के सुरक्षित प्रयोग, भंडारण और निपटान में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में स्थित केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध न केन्द्रों द्वारा आयोजित 626 किसान फील्ड स्कूलों और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था।

(च) कीटनाशी अधिनियम, 1968 में कीटनाशकों के डीलरों के विनियमन के लिए अनेक प्रावधानों की व्यवस्था है। तथापि अधिनियम, किसानों के विरुद्ध कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखता है।

(छ) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के खंड 29 में बिना वैध लाइसेंस के अथवा नकली या निषेध कीटनाशकों के भंडारण, वितरण और बिक्री से संबंधित पहले अपराध के लिए दो वर्ष की कैद और / या पचास हजार रुपए जुर्माना तथा बाद के अपराधों के लिए तीन वर्ष की कैद और/अथवा पचहत्तर हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्य प्रावधानों अथवा लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में पहले अपराध के लिए एक वर्ष तक की कैद/अथवा पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना और बाद के अपराध के लिए दो वर्ष तक की अवधि के लिए कैद और/अथवा पचास हजार रुपए का जुर्माना है।

कीट अधिनियम में किचन गार्डन में या उसकी खेती के अंतर्गत किसी भूमि पर कीटनाशकों के प्रयोग के संबंध में अधिनियम के सभी प्रावधानों के लिए किसानों को छूट देने का प्रावधान है।

स्टॉक का परिसमापन

5646. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम से सरकार के पास उपलब्ध अधिशेष स्टॉक के परिसमापन में मदद मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कार्यान्वियन की स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार ने मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरी का आंशिक भुगतान खाद्यान्नों के रूप में करने के प्रस्ताव की विस्तृत जांच की है। तथापि, जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उल्लेख किया है, विभिन्न कारणों से यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

सीआरपीएफ द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण

5647. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अपने बल में और महिलाओं को शामिल करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआरपीएफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं को सुरक्षा गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की इन प्रशिक्षित महिलाओं को सीआरपीएफ में स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकार ने सीआरपीएफ के लिए चार महिला बटालियनों

की मंजूरी दी है जिसमें से तीन गठित की जा चुकी हैं और शेष एक का गठन वर्ष 2014-15 में किया जाना निर्धारित है।

(ग) और (घ) सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत सीआरपीएफ द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं को सुरक्षा गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों (2011 और 2012) के दौरान ऐसी 276 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ङ) और (च) इस प्रकार से प्रशिक्षित महिलाओं की सीआरपीएफ में भर्ती का केई प्रावधान नहीं है। सीआरपीएफ में भर्ती हेतु आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों के निर्धारित पात्रता मापदंड को पूरा करना पड़ता है। तथापि, अपेक्षित पात्रता मापदंड को पूरा करने वाली प्रशिक्षित महिलाएं सीआरपीएफ एनलिस्टमेंट के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से आवेदन दे सकती हैं।

[हिंदी]

नए दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों के लिए श्रमशक्ति

5648. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/प्रसार भारती के पास देश में नए स्थापित/स्थापित किए जाने वले आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केंद्रों के संचालन और रखरखाव हेतु पर्याप्त संख्या में श्रमशक्ति है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत और वास्तविक संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है और उक्त प्रयोजन के लिए रिक्तियों को कब तक भरने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ग) दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क में कर्मचारियों की कमी है क्योंकि 1997 में प्रसार भारती के गठन के बाद बहुत कम नई भर्ती की गई है। तथापि, आवश्यक पदों को भरने के लिए एक प्रस्ताव प्रसार भारती संबंधी मंत्री-समूह (जीओएम) के समक्ष रखा गया था। मंत्री-समूह ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के आधार पर आकाशवाणी और दूरदर्शन में आवश्यक श्रेणी के 3452 रिक्त पदों को भरने की अनुशंसा की थी। वित्त मंत्रालय ने पहले चरण में 1150 रिक्त पदों को भरने का अनुमोदन दिया है। शेष बचे 2302 पदों के लिए वित्त मंत्रालय ने अनुमोदित पद भरने के बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

रिक्त पदों को भरने और नई भर्ती शुरू करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) अति महत्वपूर्ण पदों के रूप में पहचाने गए पदों की सीधी भर्ती से संबंधित विनियमों को प्राथमिकता पर अधिसूचित किया जाएगा। समूह 'ख' और 'ग' श्रेणी की 6 श्रेणियों के संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ii) हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समूह 'ख' और 'ग' पदों पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती किए जाने को अनुमोदित किया है जो एक बार की विशेष व्यवस्था के रूप में होगी और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं विधि मंत्रालय द्वारा विनिर्धारित निबंधन और शर्तों के अधीन होगी ताकि अति महत्वपूर्ण पदों को शीघ्रता से भरा जा सके।

प्रसार भारती ने पहले ही समूह 'ख' और 'ग' पदों में रिक्तियों का विज्ञापन दे दिया है। रिक्तियां भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में ऐतिहासिक खोज

5649. श्री के. सुगुमार: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य में ऐसे बेडरॉक पाए गए हैं जिन पर नियोलिथिक मनुष्य पाषाण के औजार तेज किया करते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न भागों में ऐसी अनेक ऐतिहासिक खोजें हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) जी, हां। इतिहास विभाग, पांडीचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी, तमिलनाडु से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के

अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता द्वारा वैल्लोर जिले के तिरुपट्टु ताल्लुक में पुडुरनाडु के 5 किलोमीटर उत्तर में जवादी पहाड़ियों पर कीजानूर में अन्वेषण के दौरान तलशिला पर खांचों के साथ-साथ पत्थर के औजार पाए गए।

(ग) और (घ) औजार तेज करने वाले समान प्रकार के खांचें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण में कुरुगोडू (बुद्धिकोला) जिला बेल्लारी, कर्नाटक में उत्खनन कार्य के दौरान भी पाए गए। इस स्थल पर तलशिला पर ये खांचे पूर्ण रूप से संरक्षित हैं और इस स्थल से हटाए नहीं जा सकते।

उपभोक्ता जागरूकता पर फिल्में

5650. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरदर्शन और अन्य टीवी चैनलों पर प्रसारित करने हेतु उपभोक्ता जागरूकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर टेलीफिल्म बनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां, सरकार उपभोक्ता जागरूकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर टेलीफिल्मों के निर्माण और दूरदर्शन और टीवी चैनलों उनके प्रसारण को नियमित रूप से प्रायोजित करती है। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने उपभोक्ता कानून संबंधी शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर 30 मिनट की अवधि की 13 टेलीफिल्मों का निर्माण किया है जिन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है।

सिख दंगा मामलों में दोषसिद्धि

5651. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1984 में सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने मामले दर्ज हुए और उनमें कितनी दोषसिद्धि हुई; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं और उक्त मामलों के तेजी से निपटान हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) वर्ष 1984 के दौरान हुए दंगों में मारे गए सिखों की संख्या 2733 थी, जैसा कि आहुजा समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है।

(ख) और (ग) देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों से संबंधित डाटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, यह मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में 650 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 3163 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 442 व्यक्तियों को दोषी पाया गया, 2706 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया और 15 अभियुक्तों (02) का अभी भी विचारण चल रहा है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की भर्ती

5652. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आत्मसमर्पण करने वाले नक्सल युवकों को सुरक्षा बलों में भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को लेकर पृथक प्रादेशिक सेना बटालियन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय, सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में कांस्टेबलों (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जा रही है, जिसमें सीमा रक्षक बलों में 20% रिक्तियां और सीमा रक्षक बलों से भिन्न बलों में 40% रिक्तियां वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों सहित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों को आवंटित की जानी है।

(ग) और (घ) देश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में प्रादेशिक सेना का गठन करने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तथपि, सेना के पदचिह्नों को बढ़ाने के लिए घर-परिवार (होम एंड हर्थ) की संकल्पना पर प्रादेशिक सेना की एक यूनिट का गठन

करने का प्रस्ताव था। प्रादेशिक सेना की इस यूनिट को गठित करने का निर्णय उग्रवाद से मुक्त करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की भर्ती करना था और प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के उपाय के रूप में नहीं था।

कृषि उत्पादों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

5653. **श्री के.पी. धनपालन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में नीदरलैंड की सरकार के सहयोग से कृषि उत्पादन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे केंद्र कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) केरल भारत-डच संयुक्त कृषि कार्य योजना (2012-15) के अंतर्गत सहयोग हेतु अभिज्ञात राज्यों में से एक है। इस सहयोग करार के अंतर्गत उत्कृष्टता विशेषता के दो केन्द्र हैं, एक फूलों एवं सब्जियों में उत्पादन प्रौद्योगिकियां प्रदर्शन हेतु और दूसरा केला पकाई के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियां प्रदर्शन हेतु है। एनएचएम के अतंर्गत केरल की वार्षिक कार्य योजना (2013-14) 100.00 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ अनुमोदित की जा रही है जिसमें इन दो उत्कृष्टता केन्द्रों के लिए 12.00 करोड़ रुपए का प्रावधान सम्मिलित है। केरल सरकार को सलाह दी गई है कि अभिज्ञात उत्कृष्टता केन्द्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे और एनएचएम के अंतर्गत उनके वार्षिक आवंटन में से उसके अनुमोदन की मांग करे।

नक्सलियों द्वारा अपहरण

5654. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार नक्सलियों द्वारा कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अपहरण के पश्चात् राज्य-वार कितने व्यक्तियों की हत्या की गई;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसी कठिन परिस्थिति से निपटने हेतु केन्द्र और राज्यों के बीच एक नीति और प्रक्रिया को संस्थागत बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वामपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा अपहृत और मारे गए नागरिकों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बंधक बनाए जाने की स्थिति से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) विचारार्थ/टिप्पणी हेतु परिचलित की गई है।

विवरण

वामपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा अपहरण एवं मारे नागरिकों की संख्या

राज्य	2009		2010		2011	
	अपहृत नागरिकों की संख्या	अपहरण के बाद मारे गए नागरिकों की संख्या	अपहृत नागरिकों की संख्या	अपहरण के बाद मारे गए नागरिकों की संख्या	अपहृत नागरिकों की संख्या	अपहरण के बाद मारे गए नागरिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	3	1	16	2	7	1
बिहार	25	8	76	5	87	3

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	121	33	162	36	73	22
झारखंड	146	20	121	8	126	22
महाराष्ट्र	38	4	9	0	14	5
ओडिशा	38	34	55	8	49	8
उत्तर प्रदेश	1	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	65	0	74	59	21	15
मध्य प्रदेश	0	0	4	0	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0	1	1
कुल	437	100	517	118	378	77

राज्य	2012		2013 (15 अप्रैल तक)	
	अपहृत नागरिकों की संख्या	अपहरण के बाद मारे गए नागरिकों की संख्या	अपहृत नागरिकों की संख्या	अपहरण के बाद मारे गए नागरिकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	6	2	0	0
बिहार	37	9	36	2
छत्तीसगढ़	79	13	4	0
झारखंड	94	16	55	5
महाराष्ट्र	43	8	4	0
ओडिशा	52	11	4	1
उत्तर प्रदेश	1	0	0	0
पश्चिम बंगाल	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0
कुल	313	59	103	8

[हिंदी]

नि:शक्तता अधिनियम में संशोधन

5655. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 से संबंधित प्रस्तावित संशोधन विधेयक विगत कई वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, ते तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मामले में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकलांगजन अधिकार अभिसमय के अनुरूप नये विधायन का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन दिनांक 30.04.2010 को किया गया जिसमें विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञ, विभिन्न स्टेकधारकों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, गैर-सरकरी संगठनों इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति ने "नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2011" नामक नये विधायन के मसौदे का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.06.2011 को प्रस्तुत की। इसके बाद, मंत्रालय ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों से मसौदा विधेयक पर परामर्श लेना आरंभ किया। नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2012 का नया मसौदा प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर तैयार किया गया है तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके विचार/अभिमत प्राप्त करने हेतु इसे परिचालित किया गया है।

[अनुवाद]

नक्सल रोधी बल स्थापित करना

5656. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चार राज्यों में नक्सल रोधी विशेष बल बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बलों की स्थापना के लिए कुल कितनी निधियां मंजूर की गई हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में ऐसे बलों की स्थापना के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) सरकार ने विशेष रूप से नक्सलवादी आतंकवाद का सामना करने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के विशेष बलों हेतु प्रशिक्षण अवसंरचना, आवासीय अवसंरचना, आयुध वाहन और उन्नयन तथा महत्वपूर्ण अंतरों को भरने के लिए संबंधित अन्य मदों के निधियन के वर्धित उद्देश्य के साथ 12वीं योजना अवधि के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना हेतु स्कीम (एसआईएस) को जारी रखने की मंजूदी दे दी है। इस अवधि के दौरान निधियन का बल बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा सबसे अधिक प्रभावित 4 राज्यों और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश हेतु इस नए उद्देश्य पर होगा। 12वीं योजना अवधि के दौरन स्कीम की अनुमोदित लागत 373 करोड़ रुपए हैं जिसमें संशोधित 75 (केन्द्रीय अंशदान): 25 (राज्य का अंशदान) निधियन पद्धति पर केन्द्रीय अंशदान के रूप में 280 करोड़ रुपए और राज्य अंशदान के रूप में 93 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1989 में आंध्र प्रदेश में गठित 'ग्रेहाउन्ड्स' नामक विशिष्ट उग्रवाद विरोधी बल राज्य में नक्सली समस्या को नियंत्रित करने में काफी उपयोगी रहा है। ग्रेहाउन्ड्स को उग्रवाद विरोधी और जंगल वारफेयर में प्रशिक्षित किया गया है और दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों, जहां सीपीआई (माओवादी) की हथियारबंद यूनिटें सक्रिय हैं, में उग्रवाद विरोधी कार्यवाही करने के लिए तैनात किया जा रह है। पिछले वर्षों में उन्होंने घने जंगलों में नक्सलियों के अनेक प्रशिक्षण शिविरों/बैठकों पर हमला किया है और सीपीआई (माओवादी) की हथियार बंद यूनिटों को निष्प्रभावित किया है। इन प्रभावित क्षेत्रों में इन बलों द्वारा की जा रही तीव्र उग्रवाद विरोधी कार्यवाही के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य में नक्सली समस्या काफी नियंत्रण में है।

मुआवजा राशि

5657. श्री महाबली सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्यवाही के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा प्रदान करने हेतु कोई मानदंड अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या सरकार को मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को वितरित मुआवजा राशि में विसंगति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) दिनांक 02.09.2008 के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई में मारे जाने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिक का नजदीकी रिश्तेदार (एनओके) एकमुश्त अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रुपए (पंद्रह लाख रु.) का मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए हकदार है। इसके अतिरिक्त, मृतक का नजदीकी रिश्तेदार लिबरलाइज़्ड पेंशनरी अवार्ड (एलपीए) नियमों के अधीन पेंशन लेने का भी हकदार है।

(ग) सरकार के नोटिस में न तो ऐसी कोई शिकायत आई है या न ही किसी सीएपीएफ के द्वारा प्राप्त हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ऑयल पाम की खेती का प्रतिकूल प्रभाव

5658. श्री वरूण गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व वन्य जीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) का अध्ययन दर्शाता है कि ऑयल पाम की खेती से वनों की कटाई, लुप्तप्राय: जीवों के लिए आवास की कमी तथा ग्रीन हाऊस उत्सर्जन की वृद्धि करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस फसल के लिए उपयुक्त विकल्प खोजने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) वन्य जीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के अनुमान के अनुसार, आयल पाम की खेती के विस्तार से इंडोनिशिया तथा मलेशिया में विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर 2020 तक 4 मिलियन हैक्टेयर वन क्षति की संभावना है। भारत के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, ऑयल पाम/तेल वाले पौधों की खेती एक गैर वानिकी गतिविधि है। इसलिए, वन क्षेत्रों में ऑयल पाम के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारत में खाद्य तेलों के लिए एक वैकल्पिक फसल के रूप में आयल पाम की खेती की जा रही है। भारत सरकार खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए देश में तिलहन फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए "समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम, तथा मक्का स्कीम" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। परिणामस्वरूप, कुल तिलहन का उत्पादन 2009-10 में 248.82 लाख टन से बढ़कर 2011-12 में 297.99 लाख टन हो गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद सुरक्षा

5659. श्री सी. शिवासामी:
श्री के. सुगुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के एक अध्ययन ने बताया है कि उत्पाद सुरक्षा का महत्व समझने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2007 में 47% से बढ़कर अब 63% हो गई है और वे सुरक्षा के लिए अतिरिक्त भुगतान के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में सरकार द्वारा शुरू किए गये अभियान से अंतर पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना आगामी दिनों में उत्पाद सुरक्षा के लिए जोरदार अभियान चलाने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया गया।

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई विशेष अभियान आरंभ नहीं किया गया।

लुप्तप्राय जनजातीय कलाएं

5660. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न जनजातियों की लुप्तप्राय कलाओं पर ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन कलाओं के संरक्षण और इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की इस प्रयोजन हेतु प्रासंगिक बौद्धिक संपदा के पंजीकरण हेतु कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संस्कृति मंत्रालय और इसके कुछ संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायतशासी संगठन देश में जनजातीय कलाओं के परिरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), कलाकारों तथा अन्य लोगों को अनुदान प्रदान करते हैं।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अन्य बातों के साथ-साथ लुप्तप्राय: और समाप्त हो रही जनजातीय कलाओं का परिरक्षण और संवर्धन अपने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। ललित कला अकादमी एवं संगीत नाटक अकादमी जनजातीय संस्कृति संबंधी विविध कार्यक्रमों और शिविरों/कार्यशालाओं का आयोजन करके जनजातीय कलाओं का संवर्धन कर रहे हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, भारतीय जनजातीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान, प्रलेखन, प्रचार-प्रसार और पुनरुद्धार का कार्य करता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसंधान और प्रशिक्षण विषयक अपनी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने हेतु जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना और जनजातीय संस्कृति के परिरक्षण हेतु विविध कार्यकलापों के लिए संपूर्ण देश में विभिन्न जनजातीय संस्थाओं (टीआरआई) को राज्य सरकारों के साथ अनुरूप आधार (50:50) पर केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, जनजातीय जीवन की संस्कृति परंपराओं और रीति-रिवाजों से संबंधित विविध पहलुओं को परिरक्षित, प्रदर्शित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।

(ङ) जी नहीं। क्योंकि अधिकांश जनजातीय कला रूप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और उनके कॉपीराइट लेखक अथवा कलाकार को दिए गए हैं इसलिए कॉपीराइट अधिनियम के तहत जनजातीय कला के संरक्षण का विस्तार करना बहुत मुश्किल है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केरल को कोयला ब्लॉकों का आबंटन

5661. **श्री एम.के. राघवन:**
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार को विद्युत उत्पादन के लिए ओडिशा में कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया था और बाद में आबंटन रद्द कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पर्यावरणीय मंजूरी सहित कोयला उत्खनन में होने वाले अनेक व्यवधानों से अवगत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल को किये गए आबंटन को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) ओडिशा राज्य में बैतरनी वेस्ट कोयला ब्लॉक को जुलाई, 2007 में मैसर्स ओडिशा हाइड्रो पॉवर जेनेरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से केरल राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित किया गया था। तथापि, कोयला ब्लॉकों के विकास तथा

अंत्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गठित अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर उपरोक्त ब्लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा आबंटन पत्र के साथ संलग्न लक्ष्य चार्ट के अनुसार कोयला ब्लॉक विकसित करने का उत्तरदायित्व पूर्णत: आबंटिती कंपनी का है। आबंटन पत्रों के निबंधन एवं शर्तों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोयला ब्लॉकों के विकास तथा अंत्य उपयोग परियोजनाएं स्थापित करने में जानबूझ कर देरी करने की स्थिति में सरकार उक्त ब्लॉक के आबंटन को रद्द करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

(ङ) वर्तमान में, बैतरनी कोयला ब्लाक को पुन: आबंटन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के नियम 4 के अंतर्गत सरकार ने विद्युत एवं खनन प्रयोजनों हेतु 17 कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए 31.12.2012 को सरकारी कंपनियों/उपक्रमों (केन्द्र एवं राज्य) से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 08.02.2013 थी। प्राप्त आवेदनों पर उपर्युक्त नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

जटरोफा की खेती

5662. श्री रतन सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद बायो-डीजल पौधे जटरोफा की खेती के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा जटरोफा की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी हां, महोदया, यह पाया गया है कि पौधों की मृत्यु दर उच्च है, खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों तथा रखरखाव प्रणाली किसानों द्वारा बहुत कम प्रयुक्त होती है तथा परिणामी बीज उपलब्धता बहुत निम्न है। बंजर भूमि की स्थिति में उच्च उपज किस्मों तथा हाइब्रिड किस्मों की अनुपलब्धता भी एक कारण है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग बेहतर पौध रोपण सामग्री (बीज और कलम), बेहतर पौध रोपण संतति परीक्षण तथा बहुस्थिति परीक्षण, कृषि वानिकी परीक्षण, प्रसार तकनीकों का मानकीकरण तथा प्रणालियों के पैकेज का विकास के सर्वेक्षण तथा संग्रह पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय वन अनुसंधान संस्थान परिषद (आईएफआरआई) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संबंधित संस्थानों के माध्यम से जटरोफा पौध पर अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने व्यवस्थित जर्मप्लाज्म संग्रह पर कार्यक्रम, मौजूदा प्राकृतिक विविधताओं से बेहतर सामग्री की पहचान का मूल्यांकन तथा परिवृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। बेहतर पौध रोपण सामग्री के विकास तथा उन्नत जीनोटाइप तथा बागवानी पद्धतियों पर आधारित उपयुक्त पौध रोपण सामग्री के विकास के लिए बड़े पैमाने पर बहुस्थिति परीक्षण के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य शुरू किया गया है।

पशु उत्पाद

5663. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में देश में विभिन्न पशु उत्पादों में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पशु उत्पादों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न पशुधन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजना कार्यान्वित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्यवार प्रदान की गई और उपयोग की गई सहायता का विवरण क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां। बेसिक एनीमल हसबेंडरी स्टेटिस्टिक्स 2012 में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊन के उत्पादन को छोड़कर विभिन्न पशु उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ऊन के उत्पादन में 2009-10 की तुलना में 2010-11 में गिरावट आई थी, लेकिन बाद के वर्ष में इसमें भी वृद्धि हुई थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तकनीकी निदेश समिति (टीसीडी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)		अंडा उत्पादन (बिलियन टन)		मांस उत्पादन (मिलियन टन)		ऊन उत्पादन (हजार टन में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	111.1	116.4	59.2	60.2	4.0	4.5	43.5	43.1
2010-11	116.2	121.8	61.5	63.0	4.2	4.9	43.3	43.0
2011-12	127.3	127.9	65.5	66.4	5.1	5.5	44.4	44.7

(ग) और (घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग विभिन्न पशुधन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में डेयरी विकास और पशुपालन योजनाएं नामत: राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-I), सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना, राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना और पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास; सूअर विकास; पशुधन की संकटापन्न नस्लों का संरक्षण शामिल हैं।

(ङ) डेयरी विकास और पशुपालन की विभिन्न योजनाओं के अधीन पशुपालन के विकास के लिए राज्यों को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पशुपालन, डेयरी विकास क्षेत्र के लिए 11वीं योजना के दौरान राज्यों को जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पशुपालन			डेयरी		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2854.25	5467.10	5843.30	100.00	171.64	17.83
2.	बिहार	515.55	1198.50	1982.50	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	434.41	745.00	2014.97	0.00	0.00	267.25
4.	गोवा	43.00	194.62	25.14	90.51	80.27	0.00
5.	गुजरात	1671.33	2863.36	3083.34	697.32	561.02	554.18
6.	हरियाणा	1575.00	2038.94	2783.52	602.64	0.00	375.08
7.	हिमाचल प्रदेश	519.88	1316.50	919.22	276.00	218.49	560.70
8.	जम्मू और कश्मीर	872.72	985.08	1919.36	0.00	135.36	470.46
9.	झारखंड	0.00	1659.45	990.80	19.76	25.00	0.00
10.	कर्नाटक	1824.20	2910.33	3296.60	216.00	30.00	255.26
11.	केरल	1325.30	2477.44	2631.80	578.30	249.53	1038.84

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	1068.75	2081.57	4095.03	0.00	410.68	412.60
13.	महाराष्ट्र	2488.30	3734.82	3095.02	176.80	249.75	488.38
14.	ओडिशा	1497.56	900.94	1454.15	247.87	399.16	602.75
15.	पंजाब	751.81	2362.69	1590.05	891.83	972.98	1040.69
16.	राजस्थान	1123.26	311.00	2157.19	800.81	200.00	0.00
17.	तमिलनाडु	2497.50	2803.47	2354.10	592.15	628.76	768.97
18.	उत्तर प्रदेश	2544.22	2632.06	1349.20	120.71	207.32	0.00
19.	उत्तराखंड	125.23	807.06	1240.06	50.00	50.26	223.82
20.	पश्चिम बंगाल	2208.00	4740.93	1338.17	55.86	51.22	145.66
	कुल सभी राज्य	25940.27	42230.86	44163.52	5516.54	4641.44	7222.47
21.	अरुणाचल प्रदेश	216.85	680.94	791.62	148.30	0.00	0.00
22.	असम	664.14	1299.41	2882.40	320.00	88.00	160.00
23.	मणिपुर	578.80	401.25	593.63	175.00	200.00	381.81
24.	मेघालय	157.47	275.11	180.15	0.00	0.00	0.00
25.	मिज़ोरम	185.00	620.35	607.70	50.00	109.40	544.34
26.	नागालैंड	289.76	594.88	1149.97	85.80	130.00	149.80
27.	सिक्किम	423.48	318.89	408.34	224.22	6.67	125.49
28.	त्रिपुरा	0.00	710.51	137.80	26.14	0.00	18.56
	कुल एनई	2515.50	4901.34	6751.61	1029.46	534.07	1380.00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी	15.00	36.50	55.00	0.00	0.00	0.00
	कुल यूटीज, जिनमें विधान सभा है	15.00	39.00	55.00	0.00	0.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	चंडीगढ़	3.50	13.90	4.00	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा और नगर हवेली	6.30	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	44.50	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल यूटीज, जिनमें विधान सभा है	80.02	55.00	22.17	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	28550.79	47226.20	50992.30	6546.02	5175.51	8602.47

अभिलेख भंडारों के लिए वित्तीय सहायता

5664. श्री एल. राजगोपालः क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अभिलेख भंडारों, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित राज्यों से वित्तीय सहायता के विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक ऐसे प्रस्तावों पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अभिलेखीय भंडारों, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता की एक स्कीम संचालित करता है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद सहित राज्य सरकार के संस्थानों से 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनकी संस्तुति अनुदान समिति द्वारा की गई थी। (ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं) इनमें से आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद सहित 6 सरकारी संस्थानों को अनुदान जारी किए गए थे। (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं)। अन्य 6 सरकारी संस्थानों को अनुदान नहीं जारी किया जा सका, क्योंकि उन्होंने आवश्यक कागजात नहीं प्रस्तुत किए थे।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अभिलेखीय भंडारों, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों से वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	सरकारी संस्थानों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	केरल	1
3.	नागालैंड	1
4.	पंजाब	1
5.	राजस्थान	2
6.	उत्तर प्रदेश	6
	प्राप्त प्रस्तावों की कुल सं.	12

विवरण-II

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अभिलेखीय भंडारों, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	24,25,167/-रु
2.	नागालैंड	3,22,371/-रु.
3.	पंजाब	36,57,343/-रु.
4.	उत्तर प्रदेश	19,21,117/-रु.
	महायोग	83,25,998/-रु.

[हिंदी]

बीएडीपी की निगरानी

5665. श्री हरीश चौधरीः
श्रीमती रमा देवीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के कार्यान्वयन की निगरानी में संसद सदस्यों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है;

(ख) बीएडीपी के अंतर्गत निर्धारित निधियों के मनमाने व्यय को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के समान उक्त तिथियों की निगरानी की जिम्मेदारी उन प्रतिनिधियों को देना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना तथा केन्द्र/राज्य/बीएडीपी/स्थानीय योजनाओं तथा भागीदारी दृष्टिकोण के अभिसरण द्वारा संपूर्ण आवश्यक अवसंरचनाओं सहित सीमा-क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा संपन्न बनाना है। यद्यपि, भारत सरकार व्यापक दिशा- निर्देशों का निर्धारण करती है लेकिन योजनाओं/निर्माण कार्यों को अंतिम रूप से अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संस्थाओं जैसे—पीआरआई/जिला स्तरीय परिषद/परंपरागत परिषदों/स्थानीय जन/लोकतांत्रिक संस्थाओं/स्वैच्छिक एजेंसियों से परामर्श करके प्रदान किया जाता है तथा इनका निष्पादन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यह भी एक तथ्य है कि स्कीमों का योजना निर्माण और इनका क्रियान्वयन पीआरआई आदि के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा भागीदारी और विकेन्द्रीकृत आधार पर किया जाना चाहिए तथा स्कीमों/परियोजनाओं के अनुमोदन की शक्ति राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति में अंतर्निहित होती है।

योजना आयोग और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से जारी बीएडीपी दिशा-निर्देश, 2009 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें बीएडीपी स्कीमों/परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करेंगी और सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। प्रत्येक सीमावर्ती ब्लॉक एक उच्च श्रेणी के राज्य सरकार के नोडल अधिकारी के हवाले किया जाएगा जो नियमित रूप से ब्लॉक का दौरा करेगा और बीएडीपी स्कीमों की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। निरीक्षण कर्ता अधिकारियों की रिपोर्टों में किए गए निरीक्षणों की संख्या और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों/बताई गई कमियों को उजागर करते हुए एक तिमाही रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए। कार्य की गुणवत्ता और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर स्वतंत्र फीड बैक प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा तृतीय पक्ष (थर्ड-पार्टी) निरीक्षण कराए जाने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों द्वारा एक समुचित 'सामाजिक लेखा परीक्षण प्रणाली' की भी स्थापना की जानी चाहिए।

बीएडीपी के दिशा-निर्देशों में और कोई परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

कैलोरी की खपत

5666. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी और ग्रामीण आबादी में कैलोरी के संदर्भ में खाद्य खपत में विषमता की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या देश में कैलोरी और प्रोटीन संदर्भ में प्रति व्यक्ति खाद्य खपत में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) 'भारत में पोषणिक तत्वों का सेवन' के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अंतर्गत एनएसएस के 66वें दौर (जुलाई, 2009-जून, 2010) की रिपोर्ट सं. 540 में उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार कैलोरी और प्रोटीन के प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सेवन में वर्ष 2004-05 और 2009-10 के बीच गिरावट आई है। ग्रामीण और शहरी आबादी हेतु कैलोरी तथा प्रोटीन का प्रति व्यक्ति प्रति दिन सेवन का ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	ग्रामीण		शहरी	
	कैलोरी (कि. कैलोरी)	प्रोटीन ([0.0] ग्राम)	कैलोरी (कि. कैलोरी)	प्रोटीन ([0.0] ग्राम)
2004-05	2047	57.0	2020	57.0
2009-10	2020	55.0	1946	53.5

जैसा कि इन सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है, शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण आबादी में कैलोरी का सेवन अधिक है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के आबंटन [गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों हेतु 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से] के अलावा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित अन्य कल्याण योजनाओं जैसे गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम-'सबला', मध्याह्न भोजन योजना आदि के अंतर्गत भी खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) का आबंटन कर रही है।

कॉर्पोरेट खेती

5667. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान देश में कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देने के लिए निधियों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कॉर्पोरेट खेती शुरू करने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमिगत कोयला गैसीकरण

5668. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले लिग्नाइट और कोयला ब्लॉकों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए निर्धारित किए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे देश की ऊर्जा उत्पादन आवश्यकताओं में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे देश में भूमिगत कोयला गैसीकरण को विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने केप्टिव कोयला खनन नीति के अधीन एक अन्त्य उपयोग के रूप में यूसीजी को अधिसूचित किया है। खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा उसकी नियमावली के संशोधित प्रावधानों के अनुसार यूसीजी परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु विभिन्न कंपनियों को पेशकश करने के लिए 950.3 मिलियन टन के अनुमानित भंडार वाले पांच लिग्नाइट ब्लॉकों एवं दो कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई है। इन ब्लॉकों के राज्य-वार ब्यौरे निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	ब्लॉक का नाम	राज्य	अनुमानित भंडार (मि.ट.)
1.	कोयला	येलान्दु (डिप साइड)	आंध्र प्रदेश	43.50
2.	कोयला	बंधा	मध्य प्रदेश	200.00
3.	लिग्नाइट	सिंधारी वेस्ट	राजस्थान	279.00
4.	लिग्नाइट	चकोला नार्थ	राजस्थान	211.00
5.	लिग्नाइट	निम्बालकोट	राजस्थान	50.00
6.	लिग्नाइट	नागुर्दा	राजस्थान	80.00
7.	लिग्नाइट	डुंगरा	गुजरात	87.00
	कुल			950.00

(घ) चूंकि यूसीजी प्रौद्योगिकी का परीक्षण हाल ही में किया गया है, इसलिए इस स्तर पर देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में उसके योगदान का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

[हिंदी]

दुधारू पशुओं की खरीद के लिए सहायता

5669. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री अर्जुन राय:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्थव्यवस्था के विकास में डेयरी क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तथ्य सही है कि दुधारू पशुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण भूमिहीन मजदूर उन्हें खरीदने में असमर्थ हैं और उनके जीविकोपार्जन के साधन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) डेयरी क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में एक प्रमुख भूमिका अदा की है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के अनुसार, 2011-12 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य 4,59,051 करोड़ रुपए का था जो वर्तमान मूल्यों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कुल उत्पादन लगभग 24.8 प्रतिशत और स्थिर मूल्यों (2004-05) पर 25.6 प्रतिशत है। 2011-12 में दूध के उत्पादन का मूल्य 3,05,484 करोड़ रुपए है जो धान और गेहूं के उत्पादन के मूल्य से अधिक है। एनएसएस के 66वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई, 2009-जून, 2010) के अनुसार, सामान्य स्थिति (कामगारों की प्रमुख गतिविधि की स्थिति का ख्याल किए बिना प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) के अनुसार पशुओं के पालन में लगे कामगारों की कुल संख्या 20.5 मिलियन है। सीमांत, छोटे और अर्द्ध-मध्यम प्रचालनात्मक जोत (4 हैक्टेयर से कम क्षेत्र) के किसानों के पास लगभग 87.7 प्रतिशत अपने पशुधन हैं।

(ग) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से 'डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना' (डीईडीएस) क्रियान्वित कर रहा है जिसमें इस योजना के मानदंडों के अध्यधीन पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंक एंडिड पूंजी सब्सिडी (सामान्य श्रेणी के लाभभोगियों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभभोगियों के लिए 33.33 प्रतिशत) दी जाती है। डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना में बैंक ग्राह्य परियोजनाओं के अधीन पात्र आवेदकों को 2 से 10 संकर नस्ल की गायों, देशी डिस्क्रिप्ट दुधारू गायों और ग्रेडिड भैंसों वाले छोटे डेयरी यूनिटों की स्थापना करने की व्यवस्था है।

श्रीनगर में आतंकवादी हमला

5670. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री भूदेव चौधरी:
श्रीमती मीना सिंह:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 मार्च, 2013 को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले में अनेक अर्द्धसैनिक कार्मिक मारे गए और घायल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मारे गए और घायल हुए कार्मिकों के निकट संबंधियों के लिए घोषित और अब तक भुगतान की गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आसूचना एजेंसियों ने उक्त हमले के बारे में पूर्व सूचना दे दी थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त हमले को रोकने में सुरक्षा एजेंसियों की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने के अलावा ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। पुलिस पब्लिक स्कूल, बेमिना बायपास, पीएस

परिमपोरा, श्रीनगर के निकट तैनात सीआरपीएफ कार्मिकों पर दिनांक 13 मार्च, 2013 को हुए एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 5 कार्मिक मारे गए थे और 6 सीआरपीएफ कार्मिक घायल हो गए थे। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमले में मारे गए कार्मिकों के प्रत्येक नजदीकी रिश्तेदारों के लिए 15 लाख रु. मंजूर किए गए हैं। सीआरपीएफ ने हमले में घायल प्रत्येक कार्मिक के लिए 25,000 रु. मंजूर किए हैं।

(ग) से (ङ) इंटेलीजेंस विंग में वह आम धारणा थी कि जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी समूह हमला कर सकता है। तथापि, उक्त हमले के विषय में कोई विशिष्ट सूचना नहीं थी।

सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहुआयामी नीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करना एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा और घुसपैठ वाले मार्गों पर बहु-मॉडल तैनाती करना, सीमा पर बाड़ लगाना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार एवं उपकरण, उन्नत आसूचना एवं प्रचालनात्मक समन्वय, घुसपैठ को रोकने के लिए आसूचना के प्रवाह को सहक्रियाशील बनाना और राज्यों के भीतर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर घुसपैठ-विरोधी प्रयासों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ गृह मंत्रालय में द्विपक्षीय बातचीत की है और समय-समय पर आयोजित गृह सचिव/गृह मंत्री के स्तर की बातचीत में पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे को निरंतर उठाया है। इसकी कार्यसूची में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था:

(i) पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों के संचालन और आतंकवाद को पाकिस्तान का निरंतर समर्थन।

(ii) दिनांक 21.11.2008 के मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख सूत्रधारों एवं साजिशकर्ताओं का अभियोजन एवं विचारण।

(iii) वर्ष 1993 के मुंबई बम धमाकों के भगोड़ों को न्याय के हवाले करना।

(iv) नियंत्रण रेखा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से गोलीबारी के मुद्दे।

(v) आतंकवादियों को धन प्रदान करना और जाली करेंसी नोट।

(vi) मछुआरों एवं नागरिक कैदियों तथा पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बंदियों से संबंधित मानवीय मुद्दे, वीज़ा एवं कांसुलर मुद्दे।

(vii) स्वापक पदार्थ एवं मादक पदार्थ विशेषकर भारत तथा पाकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और इसकी अभिपुष्टि।

(viii) एमएलएटी और प्रत्यर्पण संधि को निष्कर्ष तक ले जाने की आवश्यकता।

लापता व्यक्ति

5671. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) में व्यक्तियों के लापता होने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए और खोजे गए/नहीं मिल पाने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या कितनी है तथा सभी लापता व्यक्तियों को खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर लापता/खोजे गए व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने के लिए कोई तंत्र विकसित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (15.04. 2013 तक) में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किए गए लापता/खोजे गए/नहीं मिले व्यक्तियों (लिंग-वार) के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय एकीकृत पुलिस नेटवर्क (जेडआईपीएनईटी) नामक एक कार्यक्रम है, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा वेबसाइट पर लापता/मिले बच्चों के संबंध में सूचना तत्काल अपलोड की जाती है।

विवरण

दिल्ली में लापता बच्चे

वर्ष	लापता सूचित किए गए बच्चों की संख्या			खोजे गए बच्चों की संख्या			अभी खोजे जाने वाले बच्चों की संख्या		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2010	2634	2457	5091	2230	2090	4320	404	367	771
2011	2446	2665	5111	2092	2186	4278	354	479	833
2012	2592	2682	5284	2083	2025	4108	509	667	1176
2013*	746	1020	1766	517	640	1157	229	380	609

*15 अप्रैल, 2013.

दिल्ली में 18 वर्ष से अधिक के लापता व्यक्ति

वर्ष	18 वर्ष से ऊपर								
	लापता			खोजे गए			अभी खोजे जाने हैं		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2010	4048	3456	7504	3042	2584	5626	1006	872	1878
2011	4587	4214	8801	3361	3087	6448	1226	1127	2353
2012	4995	4993	9988	3709	3591	7300	1286	1402	2688
2013*	1674	1679	3353	1124	1001	2125	550	678	1228

*15 अप्रैल, 2013.

[अनुवाद]

स्वापक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता

5672. श्री अजय कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकारों को उनकी प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत अभी भी कई राज्यों को शामिल किया जाना बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी

पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकारों को उनकी प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उनकी प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रदान की गई सहायता राशि

क्र.सं	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8,00,000	-	21,11,026	-
2.	असम	-	29,20,936	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	23,25,000	-	-
4.	बिहार	-	-	-	22,53,081
5.	छत्तीसगढ़	-	44,44,000	-	6,68,580
6.	दिल्ली	-	11,50,000	-	-
7.	गोवा	3,74,160	22,00,000	-	-
8.	गुजरात	12,45,000	-	-	3,06,050
9.	हरियाणा	-	10,15,000	-	-
10.	हिमाचल प्रदेश	4,80,000	15,26,680	-	-
11.	जम्मू और कश्मीर	3,00,000	11,50,000	22,94,736	-
12.	झारखंड	13,74,315	23,90,500	34,22,349	-
13.	कर्नाटक	-	19,91,500	21,59,806	-
14.	केरल	-	41,70,994	-	33,55,507
15.	मध्य प्रदेश	21,10,000	-	28,00,710	1,33,349
16.	महाराष्ट्र	-	25,63,000	-	11,21,031
17.	मेघालय	-	18,71,852	-	-
18.	मिज़ोरम	-	14,80,000	22,68,475	30,51,689
19.	मणिपुर	19,21,500	50,000	12,80,179	-

1	2	3	4	5	6
20.	नागालैंड	12,16,425	-	-	23,07,450
21.	ओडिशा	-	7,59,500	-	16,34,994
22.	पंजाब	15,95,600	44,42,500	17,39,200	-
23.	राजस्थान	9,85,000	-	-	22,44,233
24.	सिक्किम	-	7,00,000	-	1,50,000
25.	तमिलनाडु	-	43,25,000	17,46,679	-
26.	त्रिपुरा	-	-	36,13,477	-
27.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-
28.	उत्तराखंड	-	-	21,05,162	-
29.	पश्चिम बंगाल	-	-	25,88,085	-
1./यूटी	लक्षद्वीप	-	15,95,000	-	-
2.	दमन और दीव	-	-	8,56,740	-
3.	पुदुचेरी	-	-	10,12,940	-

विवरण-II

स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए उनकी प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए जिन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को अभी शामिल किया जाना शेष है वे निम्नुनसार हैं:–

	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कारण
1.	संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	''राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता'' योजना का लाभ प्राप्त करने को इच्छुक नहीं।
2.	संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली	सहायता प्राप्त करने के लिए दिनांक 03.04.2013 के एनसीबी पत्र सं. VI/01/2013/सहायता/पीएंडसी के द्वारा प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया। प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
3.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक संस्थागत प्रणाली तैयार नहीं की है।

[हिंदी]

नैतिक मूल्यों संबंधी कार्यक्रम

5673. श्रीमती अश्वमेध देवी:
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों सहित लोगों पर और सामाजिक/नैतिक मूल्यों पर टीवी पर दिखाए जाने वाले अश्लील, हिंसक तथा भयावह दृश्यों तथा अन्य समान विषय-वस्तु के प्रभाव के बारे में कोई समीक्षा/अध्ययन किया है या करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का परिवारों के साथ-साथ बच्चों के लाभ के लिए टीवी पर प्रसारण हेतु सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम/धारावाहिक बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इसका तत्संबंधी चैनल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए/किए जाने प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है/न कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना आवश्यक होता है। इस मंत्रालय ने टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों की संवीक्षा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है। इस मंत्रालय में गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों के मामले में की जाने वाली कार्रवाई की अनुशंसा करती है।

(ग) से (ङ) लोक प्रसारक, प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक, नैतिक मूल्यों आदि पर आधारित कार्यक्रमों को उनके विभिन्न टीवी चैनलों पर नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है। विगत तीन वर्षों में डीडी नेशनल पर प्रसारित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान डीडी नेशनल (डीडी-1) पर प्रसारित कार्यक्रमों की सूची

1. 'मंथन'—विज्ञान और समसामयिकी कार्यक्रम
2. 'उपनिषद् गंगा'
3. 'एडवेंचर्स इन ओडिसी'— बाल विज्ञान
4. 'रामायण'
5. 'सत्यमेव जयते'
6. 'महाराजा रणजीत सिंह'
7. 'फोटर्स ऑफ इंडिया'—ऐतिहासिक
8. 'अवेकनिंग इंडिया'—स्वामी विवेकानंद पर श्रृंखला
9. 'एक किरण रोशनी की'—सामाजिक मुद्दों, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित
10. 'और एक कहानी'
11. 'गोरा'—रवीन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित
12. 'जमुनिया'—परिवार आधारित
13. 'विज्ञान प्रसार'—विज्ञान श्रृंखला
14. 'संकट मोचन हनुमान'—पौराणिक
15. 'पहचान अस्तित्व की तलाश'
16. 'सरस्वती चंद्र'
17. 'तहरीर मुंशी प्रेमचंद'
18. 'ब्योमकेश बक्शी'
19. 'एक प्रेम कथा'
20. 'लाल कोठी अलविदा'

[अनुवाद]

5674. श्री एस. अलागिरी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत/अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार ने केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और ध्वंसक दस्ता, आदि का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुनर्गठन से संबंधित प्राधिकरण को अनधिकृत/अवैध निर्माण को रोकने में कितनी मदद मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जहां तक एनडीएमसी क्षेत्र में अनधिकृत/अवैध निर्माण का संबंध है, निदेशक (ईबीआर) के अधीन इंजीनियरों की एक समर्पित टीम को अनधिकृत/अवैध निर्माणों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है।

जहां तक दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का संबंध है, अनधिकृत/अवैध निर्माणों का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष आदि का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत/अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की निगरानी करने के लिए दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक नोडल संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का गठन किया गया है।

(ग) जहां तक एनडीएमसी का संबंध है, इंजीनियरों की समर्पित टीम की वर्तमान प्रणाली अनधिकृत/अवैध निर्माणों को रोकने के लिए एनडीएमसी के लाभ के लिए प्रभावी है।

जहां तक एमसीडी का संबंध है, पुनर्गठन से अनधिकृत/अवैध निर्माणों के खतरे से निपटने में काफी हद तक मदद मिली है। केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्य करता है और इसमें निर्माण तथा अतिक्रमण के संबंध में शिकायत करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए टोल फ्री नम्बर 1266 की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अंतरित कर दी जाती हैं। इसके अलावा, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित क्षेत्रीय संचालन समिति अनधिकृत/अवैध निर्माणों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित कार्य निष्पादन की निगरानी करती है।

अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की समीक्षा

5675. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री सतपाल महाराज:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को असम सहित सभी राज्यों में अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उक्त अधिनियम को कड़ाई से लागू किए जाने के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम की समीक्षा की है और उसका इसमें कुछ संशोधन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अन्य उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उक्त अधिनियम अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए प्रभावी है, तथा इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत समुचित केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन्हें समय-समय पर, अन्य बातों के साथ-साथ, इस अधिनियम के उपबंधों का अक्षरश: अनुपालन करने के लिए भी कहा जाता है। एक समिति वर्ष 2006 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा करती है। इस समिति की अभी तक बीस बैठकें हुई हैं जिसमें 24 राज्यों तथा 4 संघ राज्यक्षेत्रों में अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है।

(ग) से (ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार संबंधी अपराध की सतत घटनाओं

से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम के निवारक प्रभाव पर्याप्त रूप से महसूस नहीं किए जाते हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी एहतियाती एवं निवारक उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ऐसे पहलुओं के मद्देनजर अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन हेतु विचार करने के लिए युक्तिसंगत निर्णय की आवश्यकता थी। तदनुसार, संबधित एजेंसियों के साथ विधिवत विचार-विमर्श के उपरांत इस मंत्रालय ने इस अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

[हिंदी]

जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण

5676. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूल्यवर्धन के संदर्भ में जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख)मूल्य वर्धन के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए विज़न-2015 दस्तावेज में क्या विशिष्ट कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि विश्व खाद्य व्यापार में इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके;

(ग) क्या सरकार जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और भंडारण के लिए विदेश में उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या पहल की गई है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए क्या कार्य-पद्धति बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विजन 2015 के अनुसार, वर्ष 2006 में प्रसंस्करण का स्तर 6% था। इसके 10 प्रतिशत से अधिक हो जाने का अनुमान है। देश में फल और सब्जियों के प्रसंस्करण का स्तर अनुमानत: 2.20% है। फल एवं सब्जी के प्रसंस्करण का कम स्तर उचित मात्रा एवं गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की किस्मों की अनुपलब्धता, उद्योग की मौसमी प्रकृति, पर्याप्त फसलोत्तर अवसंरचना जैसे शीत श्रृंखला सुविधाओं, परिवहन, समुचित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण है।

(ख) प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) द्वारा विजन दस्तावेज 2015 को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें 2015 तक शीघ्र सड़ने-गलने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर को 6% से 20%, मूल्यवृद्धि को 20% से 35% और ग्लोबल खाद्य व्यापार में हिस्से को 1.5% से 3% तक बढ़ाकर प्रसंस्कृत क्षेत्र के आकार को तिगुना करने की परिकल्पना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कृषि व्यापार के प्रोत्साहन हेतु एकीकृत रणनीति, कार्यनीति और कार्ययोजना को सरकार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है।

(ग) जी हां, महोदया। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की वृद्धि तथा विदेशों में उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु, सूक्ष्म एवं लघु पैमाना क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वत: अनुमोदन के अंतर्गत मौजूदा नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजी के अलावा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उत्कृष्ट प्रबंधकीय पद्धतियां आकर्षित करता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को विदेश प्रौद्योगिकी में बेहतर प्रवेश उपलब्ध कराता है और विश्व बाजार के साथ एकीकरण स्थापित कराता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नए उत्पादों को आकर्षित करेगा, गुणवत्ता में सुधार और नए प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा जिसके परिणामस्वरूप अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे, कृषि उत्पादों की बर्बादी में कमी आएगी, खाद्य उत्पाद सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्द्धक होंगे और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात क्षमता बढ़ेगी।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु कुछ विकसित देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस के साथ समझौते किए हैं जिनमें सामान्य रूप से फलों एवं सब्जियों सहित प्रसंस्कृत खाद्य खंड शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कुछ विकसित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग हेतु कुछ विकसित देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, ब्राजील के साथ अनेक व्यापक समझौते किए हैं जिनमें समान्यत: कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रालय के अंतर्गत दो संस्थानों क्रमश: राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) और भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) इन औद्योगिक देशों के विश्वविद्यालयों के साथ समझौते किए हैं। ये समझौते खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शिक्षण एवं अनुसंधान से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

दया याचिकाएं

5677. श्री एस. सेम्मलई:
श्री रुद्रमाधव राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 8 दोषसिद्ध व्यक्तियों, जिनकी दया याचिका सरकार द्वारा खारिज कर दी गई है, की फांसी पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2013 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 55 और वर्ष 2013 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 56 के मामले में दिनांक 06.04.2013 को सुरेश रामजी, प्रवीण कुमार, गुरमीत सिंह, सोनिया, संजीव, सुंदर सिंह और जफर अली की फांसी पर रोक लगा दी है। ये मामले न्यायाधीन हैं।

[हिंदी]

डीएमएस दूध का विक्रय मूल्य

5678. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) वसा और एसएनएफ के आधार पर 28.50 रुपए प्रति लीटर की दर से कच्चा दूध खरीद रही है और इसे 41.50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह 13 रुपए प्रति लीटर की दर से लाभ कमा रही है जो कि पिछले दो वर्षों के दौरान लाभ दर की तुलना में 7 रुपए अधिक है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षो का डीएमएस का मासिक खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए डीएमएस दूध के बिक्री मूल्य को कम करने पर विचर कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) वसा और सालिड नाट फैट (एसएनएफ) के आधार पर 29.50 प्रति किग्रा. की दर से दूध खरीद रही है। जबकि, दिल्ली दुग्ध योजना का बिक्री मूल्य डबल टोण्ड दूध, टोण्ड दूध और फुलक्रीम दूध के लिए क्रमश: 26.00 रुपए, 30 रुपए, और 39.00 रुपए प्रति लीटर है जिसमें 0.90 रुपए प्रति लीटर खुदरा मार्जिन शामिल है।

(ख) जी, नहीं, उपरोक्त (क) के संदर्भ में।

(ग) पिछले दो वर्षो का डीएमएस का मासिक बिक्री मूल्य और मासिक खरीद मूल्य संबंधी ब्यौरा विवरण के में रूप संलग्न है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में डीएमएस दूध के बिक्री मूल्य को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दिल्ली दुग्ध योजना

पिछले दो वर्षों 2011-12 और 2012-13 के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य

माह/अवधि			2011-12			
			खरीद मूल्य/ रुपए/कि.ग्रा.	दिल्ली दुग्ध योजना का बिक्री मूल्य रुपए/प्रति लि.		
माह	से	तक		टीएम	डीटीएम	एफसीएम
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल, 11	01.04.2011	16.04.2011	27.00	25.00	22.00	33.00
	17.04.2011	30.04.2011	28.00	25.00	22.00	33.00

1	2	3	4	5	6	7
मई	01.05.2011	23.05.2011	28.50	27.00*	24.00**	35.00*
	24.05.2011	31.05.2011	29.50	27.00	24.00	35.00
जून	01.06.2011	30.06.2011	29.50	27.00	24.00	35.00
जुलाई	01.07.2011	31.07.2011	29.50	27.00	24.00	35.00
अगस्त	01.08.2011	31.08.2011	29.50	27.00	24.00	35.00
सितंबर	01.09.2011	08.09.2011	29.50	27.00	24.00	35.00
	09.09.2011	30.09.2011	30.50	29.00**	25.00**	37.00**
अक्तूबर	01.10.2011	31.10.2011	31.00	29.00	25.00	37.00
नवंबर	01.11.2011	25.11.2011	31.00	29.00	25.00	37.00
	26.11.2011	30.11.2011	30.50	29.00	25.00	37.00
दिसंबर	01.12.2011	16.12.2011	30.50	29.00	25.00	37.00
	17.12.2011	23.12.2011	30.00	29.00	25.00	37.00
	24.12.2011	31.12.2011	29.50	29.00	25.00	37.00
जनवरी, 12	01.01.2012	13.01.2012	29.00	29.00	25.00	37.00
	14.01.2012	31.01.2012	28.50	29.00	25.00	37.00
फरवरी	01.02.2012	16.02.2012	28.50	29.00	25.00	37.00
	17.02.2012	29.02.2012	28.00	29.00	25.00	37.00
मार्च	01.03.2012	31.03.2012	28.00	29.00	25.00	37.00
अवधि				2012-13		
अप्रैल, 12	01.04.2012	30.04.2012	28.00	29.00	25.00	37.00
मई	01.05.2012	31.05.2012	29.00	29.00	25.00	37.00
	01.06.2012	30.06.2012	29.00	29.00	25.00	37.00
जून	01.07.2012	31.07.2012	29.00	29.00	25.00	37.00
जुलाई	01.08.2012	31.08.2012	29.00	29.00	25.00	37.00
अगस्त	01.09.2012	30.09.2012	29.00	30.00#	26.00#	39.00#

1	2	3	4	5	6	7
सितंबर	01.10.2012	16.10.2012	29.00	30.00	26.00	39.00
	17.10.2012	31.10.2012	28.50	30.00	26.00	39.00
अक्तूबर	01.11.2012	16.11.2012	28.50	30.00	26.00	39.00
नवंबर	17.11.2012	30.11.2012	28.00	30.00	26.00	39.00
दिसंबर	01.12.2012	16.12.2012	28.00	30.00	26.00	39.00
	17.12.2012	31.12.2012	27.50	30.00	26.00	39.00
जनवरी, 13	01.01.2013	31.01.2013	27.50	30.00	26.00	39.00
फरवरी	01.02.2013	28.02.2013	27.50	30.00	26.00	39.00
मार्च	01.03.2013	23.03.2013	27.50	30.00	26.00	39.00
	24.03.2013	31.03.2013	28.50	30.00	26.00	39.00
अवधि				2013-14		
अप्रैल, 13	01.04.2013	16.04.2013	28.50	30.00	26.00	39.00
	17.04.2013	दिनांक तक	29.50	30.00	26.00	39.00

नोट: 1. *18.05.2011 से प्रभावी
2. **16.09.2011 से प्रभावी
3. # 13.09.2012 से प्रभावी

[अनुवाद]

आकाशवाणी में महिला कर्मचारियों का शोषण

5679. प्रो. सौगत राय:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफएम गोल्ड चैनल सहित आकाशवाणी में कार्यरत महिला कर्मचारियों के कथित यौन उत्पीड़न/शोषण के संबंध में ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोफैशनल्स एसोसिएशन ने अनेक शिकायतें दर्ज कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त की गई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक शिकायत/घटना के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने एफएम गोल्ड चैनल, आकाशवाणी/दूरदर्शन में हुई घटना सहित ऐसे मामलों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आकाशवाणी में कार्यरत महिला कर्मचारियों के शोषण के संबंध में गठित की गई समिति के विचारार्थ विषय और संरचना क्या हैं और इस समिति के बारे में ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोफैशनल्स एसोसिएशन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा आकाशवाणी/दूरदर्शन और मंत्रालय के अन्य कार्यालयों/विभागों में महिला कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (च) दिनांक 6 मार्च, 2013 के द इंडियन एक्सप्रैस में 'आकाशवाणी एफएम स्टेशन पर महिला कर्मचारियों का यौन शोषण' नामक समाचारपत्र लेख में प्रकाशित किया गया था कि ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन (एआईआरबीपीए) ने दिल्ली महिला आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आकाशवाणी (एआईआर) के एफएम गोल्ड चैनल की महिला रेडियो प्रस्तुतकर्ताओं के यौन उत्पीड़न/शोषण का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यों वाली समिति गठित की। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे–

(i) एआईआरबीपीए द्वारा प्रतिवेदित एफएम गोल्ड आकाशवाणी के रेडियो प्रस्तुतकर्ताओं के विशिष्ट आरोपों की जांच करना; और

(ii) एफएम गोल्ड आकाशवाणी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल पर सुरक्षा की जांच करना।

एआईआरबीपीए ने दिल्ली महिला आयोग के समक्ष दिनांक 04.03.2013 को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत की एक प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी अग्रेषित की थी।

समिति ने एआईआरबीपीए के प्रतिनिधियों के मौखिक वक्तव्यों और लिखित दस्तावेजों और अधिकारियों के वक्तव्यों पर विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया और एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। समिति ने महिलाओं, खासतौर से जो प्रसार भारती में देर रात तक काम करती हैं, की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न सुधारात्मक कार्रवाइयों और उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा की है। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रसार भारती ने आकाशवाणी एफएम गोल्ड में कार्यरत दो ठेका कर्मचारियों को निकाल दिया है और एफएम गोल्ड चैनल के प्रभारी कार्यक्रम कार्यपालक को निलंबित कर दिया है ताकि जांच हो सके और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी ने भी एक महिला एफएम प्रस्तुतकर्ता की शिकायत की जांच के लिए एक शिकायत समिति गठित की है।

महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों को कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु प्रदान की जाती है।

एआरसी की सिफारिशें

5680. श्री अब्दुल रहमानः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कानून और व्यवस्था कायम रखने, संघीय अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने, प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती, पुलिस सुधार तथा कानून और व्यवस्था कार्यों में विभाजन के संबंध में मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) से प्राप्त हुई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पुलिस सुधार तथा कानून और व्यवस्था कर्तव्यों के विभाजन सहित इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) द्वार तैयार की गई ''लोक व्यवस्थाः प्रत्येक के लिए न्याय... सबके लिए शांति'' नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट में कुल 165 सिफारिशें शामिल हैं। इन सिफारिशों में लोक व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक-श्रृंखलाबद्ध सुधार शामिल हैं। उनमें पुलिस सुधार, लोक व्यवस्था प्रबंधन, दंड न्याय प्रणाली में सुधार, फेडरल अपराध और विशेष कानून तथा लोक व्यवस्था के प्रबंधन में सिविल सोसायटी एवं मीडिया की भूमिका शामिल हैं। 5वीं रिपोर्ट में दी गई कुल 165 सिफारिशों में से 153 सिफारिशें राज्य सरकारों से संबंधित हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार 5वीं रिपोर्ट और द्वितीय एआरसी में समाविष्ट अधिकांश सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाना है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व इन 153 सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए जाएं। तदनुसार, इन 153 सिफारिशों पर राज्यों

से टिप्पणी/विचार प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इन 153 सिफारिशों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए हाल ही में दिनांक 15.04.2013 को मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विचारों/टिप्पणियों के आलोक में अब इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

एफसीआई हेतु धनराशि

5681. डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री पी. कुमार:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्नों की खरीद में काफी वृद्धि होने और किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के कारण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को धनराशि की आवश्यकता बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफसीआई को 31 मार्च, 2013 तक 95,000 करोड़ रुपए के बकाया की तुलना में बकाया सहित केवल 71,980 करोड़ रुपए दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या एफसीआई ने अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए धनराशि जुटाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करता है तथा इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत वितरण हेतु राज्य सरकारों को उपलब्ध कराता है। भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत (जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा अन्य प्रभार शामिल हैं) तथा खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य के अंतर को पूरा करने तथा खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाए रखने हेतु व्यय की गई लागत के लिए राजसहायता की प्रतिपूर्ति की जाती है।

निधि की आवश्यकता में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में हुई वृद्धि है, जबकि राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य वर्ष 2002 से अपरिवर्तित रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम की 101887 करोड़ रुपए की अनुमानित मांग की तुलना में उसे प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर 71,980 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम को अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा करने तथा अपने प्रचालनों को सुचारु रूप से चलाने में समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) दिसंबर, 2012 से फरवरी, 2013 की अवधि के लिए भारतीय खाद्य निगम हेतु सरकार की गारंटी में 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई थी जिससे भारतीय खाद्य निगम बैंकों से उच्चतर नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने में समर्थ हुआ।

(ii) भारतीय खाद्य निगम को 5000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी जिससे भारतीय खाद्य निगम मार्च, 2013 के दौरान 10-15 वर्ष की अवधि वाले सरकारी गारंटीशुदा बॉन्ड जारी करके 5000 करोड़ रुपए उधार लेने में समर्थ हुआ था।

(iii) भारतीय खाद्य निगम को अप्रैल, 2012 में 10,000 करोड़ रुपए का अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) भी संस्वीकृत किया गया था जिसकी वसूली मार्च, 2013 में भारतीय खाद्य निगम को देय खाद्य राजसहायता से की गई थी। भारतीय खाद्य निगम के लिए वर्ष 2013-14 में भी 10,000 करोड़ रुपए के अर्थोपाय अग्रिम का प्रावधान किया गया है।

(iv) भारतीय खाद्य निगम के नकद प्रवाह में विसंगति होने पर निगम को अपने निदेशक मंडल तथा बैंकों के समूह से 20,000 करोड़ रुपए तक का अप्रत्याभूत अल्पावधिक ऋण जुटाने का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है।

खाद्य की आवश्यकता

5682. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न कृषिगत सामग्रियों/फसलों/फलों/सब्जियों की संभावित आवश्यकता तथा आपूर्ति का अग्रिम अनुमान लगाने का विचार है ताकि आधिक्य कृषिगत उत्पादन और इसकी अत्यधिक कमी से बचा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश की बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) विभिन्न कृषि जिन्सों/फसलों/फलों/सब्जियों आदि की संभावित आवश्यकताओं एवं आपूर्ति के बारे में मूल्यांकन पंचवर्षीय योजना बनाने के अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने विभिन्न विषयों पर जिसमें फसल पालन, मांग एवं आपूर्ति प्रक्षेपणों, कृषि आदानों एवं कृषि सांख्यिकी शामिल है पर कार्यकारी समूहों एवं निगरानी समितियों का गठन किया था। कार्यकारी समूह एवं निगरानी समितियों की सिफारिश के आधार पर 12वीं योजना दस्तावेज तैयार किये गये हैं जो 12वीं योजना के अंतिम वर्ष (अर्थात् 2016-17) तक अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न कृषि जिन्सों की संभावित मांग एवं आपूर्ति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

(ग) देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई खाद्य अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से, सरकार अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय बागवनी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय विकास योजना के तहत पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई) आदि। इन योजनाओं के तहत, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन/उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि सहित राज्य विशिष्ट कृषि नीतियों के क्रियान्वयन, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन (आईएनएम), एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), फार्म अभियांत्रिकीकरण आदि के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती है। इसके अलावा, किसानों के बीच फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, किसानों को प्रोत्साहन राशि देने तथा उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी समय-समय पर वृद्धि की गई है।

सुरक्षा परियोजनाओं के लिए निधि

5683. श्री पी. कुमारः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी को सशक्त बनाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आबंटित निधि का उपयोग करने में असफल हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिंदी]

कीमतों को नियंत्रणमुक्त करना

5684. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के नियंत्रणमुक्त करने के बाद, आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों एवं चीनी की कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके भारी विरोध को देखते हुए अपने निर्णय को वापस लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) चावल, गेहूं, दालें, चीनी और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं को बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुसार खुले बाजार में बेचा जाता है। तथापि, सरकार ने अन्य बातों के साथ चीनी मिलों की लेवी संबंधी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया और चीनी की खुली बाजार बिक्री संबंधी नियमित रिलीज तंत्र से दूर रहने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दलहन और तिलहन ग्राम

5685. श्री वैजयंत पांडाः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्य सरकार ने दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 60,000 दलहन और तिलहन गांवों का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धि रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश रज्यों में शुष्क भूमि खेती वाले क्षेत्रों में दलहनों और तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल संचयन, पनधारा प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य के समेकित हस्तक्षेप पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वर्ष 2010-11 में "वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन ग्रामों का समेकित विकास" कार्यक्रम कार्यान्वित किया था। बाद में 2011-12 में कार्यक्रम का नाम बदलकर "वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का समेकित विकास" कर दिया गया था और इसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों जिनमें देश में दलहन क्षेत्र का लगभग 96 प्रतिशत होता है, में 300.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यान्वित किया गया है। दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में हस्तक्षेप शामिल किए गए जैसे कि स्वस्थाने आर्द्रता संरक्षण (क) पोलीथीन लाईनिंग या खोदे गए कुओं सहित नये फार्म तालाबों (ख) विकसित फार्म तालाबों की प्लास्टिक लाइनिंग, मिनीकिटों और कीट निगरानी तथा लघु कृषक व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से मंडी संबद्ध विस्तार समर्थन की अंतर्वेशन के साथ त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 2012-13 से एनएफएसएम-दलहन में मिला दिया गया था। उपर्युक्त कार्यक्रम के अधीन, वर्ष 2010-11 के दौरान फार्म उपकरणों (ट्रैक्टर, रोटावेटर एवं रीज फर्रो प्लांटर) की 3016 कस्टम हायरिंग यूनिटें स्थापित की गई थी। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्यों द्वारा लाइनिंग के साथ 10614 नये फार्म तालाबों का निर्माण, पुराने फार्म तालाबों की 1263 लाइनिंग, दलहनों के ब्लाक प्रदर्शनों की 345 यूनिटों (1000 हेक्टेयर प्रति यूनिट) की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) ने दलहनों की मंडी शृंखला का विकास करने के लिए 7551 किसान हित समूह (एफआईजी) और 127 कृषक उत्पादक संघटन (एफपीओ) बनाये।

एनएफएसएम दलहन, ए3पी और "वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन ग्रामों का समेकित विकास" के परिणामस्वरूप दलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई और यह 2006-07 में 14.20 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 के दौरान 17.09 मिलियन टन हो गई जोकि 2.0 मिलियन टन के परिकल्पित लक्ष्य की तुलना में 2.89 मिलियन टन की वृद्धि है।

भारतीय प्रेस परिषद

5686. श्री प्रबोध पांडा:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने पत्रकारों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथ इस पर जाने-माने पत्रकारों/विशेषज्ञों एवं सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पीसीआई के पास पत्रकारिता संस्थानों और विभागों के पर्यवेक्षण और विनियमन की शक्ति है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या पीसीआई को ऐसे संस्थानों/विभागों के कार्यकरण के पर्यवेक्षण और विनियमन की शक्ति देने का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि पत्रकारिता में ज्ञान प्रदान करने के उच्च स्तर को बनाए रखा जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या अल्प ज्ञान या अपर्याप्त प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों के इस पेशे में आने से नकारात्मक प्रभाव और स्तर में गिरावट आ रही है और यदि हां, तो मामले के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (च) भारत में प्रैस की स्वतंत्रता को कायम रखने तथा समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को

बरकरार रखने और उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) नामक एक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना की गई है। अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पत्रकारिता के व्यवसाय में प्रवेश करने हेतु एक निश्चित योग्यता की आवश्यकता है, इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है। उप-समिति परिषद द्वारा भारत में पत्रकारिता की संस्थाओं एवं विभागों के कार्यकरण के पर्यवेक्षण व विनियमन के तरीके के बारे में भी अनुशंसा करेगी, ताकि पत्रकारिता में शिक्षण प्रदान किए जाने के उच्च मानकों को बरकरार रखा जा सके।

श्री श्रवण गर्ग, सदस्य, पीसीआई उक्त उप-समिति के संयोजक हैं। श्री सुमित टंडन, महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) व डॉ. उज्ज्वल बारवे, एसोसिएट प्रोफेसर, पत्रकारिता विभाग, पुणे विश्वविद्यालय के साथ-साथ पीसीआई के अन्य सदस्य नामत: श्री राजीव सबाडे, श्री राजीव रंजन नाग व श्री गुरिंदर सिंह उक्त उप-समिति के सदस्य हैं। अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद के आदेशों की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

उप-समिति ने इस विषय पर स्टेकहोल्डरों के विचार आमंत्रित किए हैं। तथापि, अभी तक परिषद को लिखित में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

पीआर/16/2012-2013 दिनांक : 12 मार्च, 2013

आदेश

पिछले कुछ समय से यह सवाल उठा है कि पत्रकारिता के व्यवसाय में प्रवेश के लिए अर्हता की आवश्यकता है। वकीलों के व्यवसाय में एलएलबी डिग्री के साथ-साथ बार काउंसिल में पंजीकरण अपेक्षित है। इसी प्रकार से चिकित्सीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हता एमबीबीएस डिग्री और मेडीकल काउंसिल में भी पंजीकरण होना चाहिए। शिक्षक बनने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/डिग्री अपेक्षित है। अन्य ऐसे कई व्यवसाय हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति के प्रवेश करने से पूर्व किसी अर्हता की आवश्यकता होती है।

हालांकि, इस समय पत्रकारिता व्यवसाय में प्रवेश के लिए कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गई है, इस वजह से अक्सर पत्रकारिता व्यवसाय में कम या अपर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति आ जाते हैं, जिसका अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसे अप्रशिक्षित लोग पत्रकारिता के उच्च स्तरों को नहीं बनाए रख पाते।

अत: पिछले कुछ समय से यह महसूस किया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पत्रकारिता के व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व कुछ विधिक अर्हता अवश्य होनी चाहिए। निस्संदेह, ऐसे कई संस्थान हैं जोकि पत्रकारिता में प्रशिक्षण देते हैं (जिनमें से कुछ अत्यधिक असंतोषजनक हैं) परंतु फिर भी इस व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व, अर्हता के लिए कोई विधिक/कानूनी अपेक्षा अभी तक नहीं है।

चूंकि मीडिया का लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अब वह समय आ गया है जब विधि द्वारा अर्हता निर्धारित की जानी चाहिए। तदनुसार, मैं निम्नलिखित टीम गठित करता हूं जिससे अनुरोध है कि यह मामले के सभी पहलुओं पर विचार करे और किसी भी व्यक्ति को पत्रकारिता के व्यवसाय में प्रवेश करने की स्वीकृति दिये जाने से पूर्व उसकी अर्हता के बारे में सुझाव देते हुए मुझे शीघ्र रिपोर्ट भेजें।

यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैं इसे पूर्ण प्रेस परिषद् के सम्मुख रखना चाहूंगा और इसके द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् यह सरकार को भेजी जाएगी ताकि इस प्रयोजन से वह समुचित विधान बना पाये।

टीम के सदस्य निम्नानुसार हैं:

(i)	श्री श्रवण गर्ग, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद	संयोजक
(ii)	श्री राजीव सबाड़े, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद्	सदस्य
(iii)	डॉ. उज्ज्वला बर्वे, एसोसिएट प्रोफेसर संचार एवं पत्रकारिता विभाग, पुणे विश्वविद्यालय	सदस्य

संबद्ध टीम से अनुरोध है कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र पेश करे। केन्द्रीय और सभी राज्य सरकारों तथा भारतीय पत्रकारिता विभगों एवं संस्थानों से अनुरोध है कि वे इस टीम को पूर्ण सहयोग दें। भारतीय प्रेस परिषद् की सचिव श्रीमती विभा भार्गव को निदेश दिया जाता है कि वे इस टीम को (गणना संबंधी) आंकड़े तथा अन्य सहयोग प्रदान करें।

न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिष्द

पीआर/17/2012-2013 दिनांक : 13 मार्च, 2013

आदेश

पत्रकारों की अर्हता की संस्तुति हेतु समिति गठित करते हुए मेरे द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को पारित किये गये आदेश में

संशोधन करते हुए इसके अतिरिक्त मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं:

(1) हमारे देश में बड़ी संख्या में पत्रकारिता संस्थानों और विभागों की तीव्र वृद्धि हो गई है जिनमें से कई विभाग/संस्थान पूर्णतया असंतोषजनक हैं। उनके पास न तो समुचित शिक्षक हैं, न ही पर्याप्त अवसंरचना आदि हैं। अत: इन संस्थानों और विभागों की देखरेख और विनियमन की अत्यधिक आवश्यकता है।

प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 13 में विवेचित है कि भारतीय प्रेस परिषद् का यह कर्त्तव्य है कि वह पत्रकारिता के स्तरों को बनाए रखे और उनमें सुधार करे। मेरी राय में इस व्यापक अधिकार में प्रेस परिषद् को देश में पत्रकारिता संस्थानों और विभागों की देखरेख और उनके विनियम का अधिकार भी है।

अत: कल मेरे द्वारा गठित की गयी समिति, पत्रकारों के लिए अर्हता की संस्तुति के अपने अधिदेश के अतिरिक्त, यह भी संस्तुति करेगी कि प्रेस परिषद् किस प्रकार से भारत में पत्रकारिता संस्थानों और विभागों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण और विनियमन कर सकती है ताकि पत्रकारिता में जानकारी देने के उच्च स्तरों को बनाये रखा जा सके।

(2) कल मेरे द्वारा नियुक्त किये गये समिति के सदस्यों के अतिरिक्त, श्री गुरिन्दर सिंह, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद्, श्री राजीव रंजन नाग, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् और श्री सुनीत टंडन, महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान को भी, समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। संयोजक श्री श्रवण कुमार गर्ग को यह प्राधिकार है कि वे ऐसे अन्य व्यक्तियों का भी समिति के सदस्यों के रूप में चयन कर सकते हैं, जैसा वे आवश्यक समझें।

सभी संबद्ध प्राधिकारियों/व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पूर्ण सहयोग एवं सहायता समिति को दें, जिसकी उसे आवश्यकता हो।

न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू
अध्यक्ष

प्रतिलिपि

(1) संघीय सूचना और प्रसारण मंत्री

(2) सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव

(3) मानक डाक-सूची के अनुसार

निधियों की प्रतिपूर्ति

5687. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
डॉ. भोला सिंह:
श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य कल्याण योजनाओं हेतु, उनके हिस्से की निधि से अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं समाज के अन्य जरूरतमंद तबकों के कल्याण के लिए दी गई निधि के कथित विपणन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) और (ख) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु उनके हिस्से में निर्धारित निधि से अधिक खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया गया है। इन दो योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	योजना	बकाया राशि की मांग
1.	महाराष्ट्र	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1058.27
2.	उत्तर प्रदेश	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1670.31
		अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1062.68
3.	उत्तराखंड	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	18.09

इन योजनाओं के लिए निधि की राशि सीमित होने की वजह से, मंत्रालय के लिए यह संभव नहीं हो पाया है कि वह अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु निर्धारित निधि के हिस्से से अधिक खर्च की गई राशि हेतु संस्वीकृति दे। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सभी पूर्ण प्रस्तावों की मंजूरी देने संबंधी कार्यवाही योजना के दिशानिर्देशों तथा मौजूदा वित्तीय नियमों के अनुरूप की जाती है।

वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में उन सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, हरियाणा तथा तमिलनाडु को छोड़कर, की प्रतिबद्ध देयता, खर्च नहीं हुई शेष राशि, इत्यादि के मद्देनजर केन्द्रीय सहायता जारी की गई जिन्होंने पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। सीमित निधि के कारण हरियाणा को जारी की गई केन्द्रीय सहायता की राशि 38.6 करोड़ रुपए की बकाया राशि की तुलना में 7.5 करोड़ रुपए थी। इसी तरह तमिलनाडु को 124.55 करोड़ रुपए की बकाया राशि की तुलना में 102.92 करोड़ रुपए की राशि की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

(ग) से (ङ) सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत आवंटित निधि की राशि का उपयोग वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राष्ट्र मंडल खेलों की परियोजनाओं में इस आकलन के तहत किया गया था कि अनुसूचित जाति समुदाय को इन परियोजनाओं से लाभ मिलेगा तथा इस राशि को एससीएसपी योजना के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया था। योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुसूचित जाति उप योजना के लिए निर्धारित निधि को अन्यत्र लगाने संबंधी मामले को उठाते हुए अनुसूचित जाति उप योजना की निधियों की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन ने उक्त राशि की प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभाज्य निधि की राशि वर्ष 2010-11 में बढ़ाकर 219.33 करोड़ रुपए, वर्ष 2011-12 में 364.96 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2012-13 में 560.95 करोड़ रुपए करते हुए की है।

नकली बीजों की बिक्री

5688. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नकली बीजों के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए कानून बनाने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कानून के कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) नकली बीजों के उत्पादन और बिक्री को जांचने के लिए बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है। देश में बीज गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने बीज विधेयक, 2004 में तैयार किया तथा 09 दिसंबर, 2004 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

[हिंदी]

कलपुर्जों की उपलब्धता

5689. श्री दत्ता मेघे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों के कलपुर्जों की उनके सर्विस सेन्टर पर अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के संबंध में कोई रिपोर्ट/शिकायत की जानकारी सामने आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के ध्यान में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत नहीं आई है।

गेहूं का निर्यात

5690. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत से गेहूं आयात करने में अपनी रुचि दिखाई है एवं सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास मौजूदा भंडार कई वर्षों पुराना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कुल उपलब्ध भंडार, कुल आवश्यकता और बफर मानदंड एवं तीन वर्ष पुराने भंडार का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी वर्ष में उत्पादन में आई गिरावट के विशेष मामले में पर्याप्त भंडारण बनाए रखने तथा निर्यात हेतु गेहूं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार ने पंजाब और हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रबी विपणन मौसम 2011-12 से संबंधित गेहूं के स्टॉक से दिनांक 30.6.2013 तक 50 लाख टन अतिरिक्त गेहूं का निर्यात अनुमोदित किया है। उक्त स्कीम के अंतर्गत क्रेता किसी भी देश को गेहूं का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ग) से (ङ) दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास 237.10 लाख टन गेहूं था, जिसमें से 231.35 लाख टन फसल वर्ष 2011-12 के बाद का था। इस प्रकार सरकार के पास तीन वर्षों से अधिक पुराना स्टाक केवल 5.75 लाख टन (2.43 प्रतिशत) है।

रबी विपणन मौसम 2013-14 के दौरान अनुमानित खरीद 440 लाख टन है, जिसमें से दिनांक 22.04.2013 तक 119 लाख टन की खरीद की जा चुकी है। दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार बफर मानदंड और रणनीतिक रिजर्व 70 लाख टन निर्धारित किया गया है और 320 लाख टन के औसत वार्षिक उठान को देखते हुए घरेलू आवश्यकता और निर्यात के लिए गेहूं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

[अनुवाद]

पशुओं की तस्करी

5691. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में दुधारू पशुओं की तस्करी के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे दर्ज मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत-बांग्लादेश सीमा पर दुधारू पशुओं की जब्ती की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर जब्त किए गए कुल पशुओं और दुधारू पशुओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(संख्या में)

वर्ष	कुल जब्त किए गए पशु	जब्त किए गए दुधारू पशु
2010	101381	139
2011	135291	227
2012	120724	372
2013 (मार्च, 2013 तक)	31652	138

भारत-नेपाल के साथ-साथ भारत-भूटान सीमाओं पर दुधारू जानवरों के तस्करी की घटनाएं बहुत आम हैं क्योंकि ये सीमाएं खुली रहती हैं तथा छिद्रिल और वीजा मुक्त हैं।

(ग) पशुओं की तस्करी सहित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रभावी उपाय किए हैं:

(i) भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित उन सीमा जांच चौकियों/क्षेत्रों, जो पशु तस्करी के संबंध में संवेदनशील हैं, के सुभेद्यता मानचित्रण की आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में पशु-तस्करी के लिए सुभेद्य 33 सीमा चौकियों की पहचान की गई है और इन्हें अतिरिक्त मानव शक्ति, विशेष निगरानी उपकरणों, वाहनों और अन्य सहायक अवसंरचनाओं से लैस करके सुदृढ़ किया गया है।

(ii) दिन और रात्रि के दौरान प्रतिपक्षी सहित एक साथ समन्वित गश्त (एससीपीएम) की संख्या में बढ़ोतरी।

(iii) सीमाओं की 24 घंटे निगरानी अर्थात् गश्त/नाकेबंदी करना, सभी अंतर-राष्ट्रीय सीमाओं पर पर्यवेक्षण चौकियों की स्थापना द्वारा और सीमा चौकियों की मौजूदा सुरक्षा को सुदृढ़ करके सीमा का प्रभावी नियंत्रण।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा बाड़ का निर्माण।

(v) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी वाले तटवर्ती क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु जलयानों/नौकाओं और तरण-सीमा चौकियों का इस्तेमाल।

(vii) आसूचना नेटवर्क का स्तरोन्नयन तथा समवर्ती एजेंसियों के साथ तालमेल।

(viii) सीमा पर विशेष अभियानों का संचालन।

(ix) सीमा के प्रभावी नियंत्रण का पर्यवेक्षण करने के लिए यूनिट कमांडेंट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीमा के निरंतर दौरे करना।

(x) सीमा रक्षक बंग्लादेश (बीजीबी) के साथ बेहतर तालमेल रखना।

सीएपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा

5692. श्री कीर्ति आजाद:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्तव्य के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र/पुलिस बलों (सीएपीएफ) के जवानों का सेना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सीएपीएफ जवानों को शहीद का दर्जा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्तव्य के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशक्त पुलिस बलों के जवानों की कुल संख्या, बल-वार इस प्रकार है:

सीएपीएफ	2010	2011	2012	2013	कुल
बीएसएफ	08	15	13	02	38
सीआरपीएफ	143	29	43	18	233
सीआईएसएफ	00	02	08	00	10
आईटीबीपी	04	01	00	00	05
एसएसबी	05	06	00	00	11
एआर	05	00	05	02	12
कुल	165	53	69	22	309

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा कहीं भी शहीद को परिभाषित नहीं किया गया है और इस समय कर्तव्य के दौरान मारे गए सीएपीएफ के जवानों को शहीद का दर्जा देने के लिए कोई आदेश/अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। उपर्युक्त के संदर्भ में, राज्य सरकारों के साथ किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

[हिंदी]

बेरोजगार युवाओं की अपराध में संलिप्तता

5693. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बेरोजगार युवाओं को विभिन्न अपराधों में संलिप्त होने से रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने युवाओं की अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, ते तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सर्वेक्षण का परिणाम क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्यों को जारी परामर्श का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव/सर्वे पर विचार अथवा उसका संचालन नहीं किया गया है।

प्राचीन मंदिरों/मस्जिदों का संरक्षण

5694. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संरक्षित प्राचीन मंदिरों/मस्जिदों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त पूजा स्थलों का समुचित रखरखाव किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कारण क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्थानों/स्मारकों के रखरखाव के लिए आबंटित/स्वीकृत/जारी एवं उपयोग की गई कुल निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे स्थलों/स्थानों की रक्षा/सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) मंदिरों और मस्जिदों सहित 3678 स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन संरक्षण के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार इनका संरक्षण, वैज्ञानिक परिरक्षण और रख-रखाव किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन मंदिर और मस्जिद भली-भांति परिरक्षित और अनुरक्षित हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में मंदिरों और मस्जिदों सहित सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव पर व्यय की गई कुल निधियों का ब्यौरा (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्मारकों/स्थलों को देखने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और अभिरक्षा के लिए नियमित निगरानी एवं पहरा कर्मचारियों को तैनात किया गया है तथा निजी सुरक्षा गार्डों और राज्य पुलिस कार्मिकों की सेवाएं ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, ताजमहल, आगरा और लाल किला, दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को भी तैनात किया गया है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन मंदिरों और मस्जिदों सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थलों की सूची

क्र.सं	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्र)	12

1	2	3
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	नागालैंड	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	174
21.	ओडिशा	78
22.	पुदुचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	07
23.	पंजाब	33
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	03
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	08
28.	उत्तर प्रदेश	743
29.	उत्तराखंड	042
30.	पश्चिम बंगाल	134
	कुल	3678

विवरण-II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन मंदिरों और मस्जिदों सहित संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित/व्यय की गई निधि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा	आबंटन/व्यय		
			2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	758.00	544.49	737.49
	"	लखनऊ मंडल	1706.99	1208.00	1047.49
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	315.00	310.7	494.00
	"	मुंबई मंडल	389.99	359.00	414.99
3.	कर्नाटक	बैंगलोर मंडल	1245.95	1041.00	1131.00
	"	धारवाड़ मंडल	981.88	943.98	793.00

1	2	3	4	5	6
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	654.87	607.9	707.50
5.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	261.36	289.98	455.22
6.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	504.59	446.28	378.75
7.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	530.00	530.00	500.03
8.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	687.04	529.99	685.92
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	79.8	62.81	105.00
10.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1849.84	927.39	1100.98
11.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	110.00	107.99
12.	सिक्किम के अलावा, पूर्वोत्तर राज्य	गुवाहाटी मंडल	159.01	213.32	207.25
13.	राजस्थान	जयपुर मंडल	350.00	445.49	435.00
14.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	664.86	640.00	890.00
15.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	364.99	383.96	275.04
16.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	283.29	270.00	243.80
		लघु मंडल लेह	52.15	85.00	67.00
17.	केरल	त्रिशूर मंडल	337.01	301.5	406.00
18.	गुजरात, दमन और दीव	वडोदरा मंडल	509.93	574.97	459.99
19.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	147.18	139.99	107.49
20.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	341.00	303.58	405.00
21.	झारखंड	रांची मंडल	64.98	62.58	53.75
22.		विज्ञान शाखा, देहरादून	507.46	485.40	527.67
23.		उद्यान शाखा, आगरा	1796.70	1580.44	2122.85
		कुल	15653.87	13397.75	14860.20

कोयला कंपनियों के स्वामित्व में परिवर्तन

5695. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी निजी कंपनियों का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने कोयला आवंटन के पश्चात् अपने स्वामित्व हित में किसी न किसी प्रकर से परिवर्तन/बदलाव किया है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का राज्य और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक का आबंटन किया जाता है जिसका उद्देश्य कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत विशिष्ट अंत्य उपयोग है। जिन कंपनियों को कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं, वे वर्तमान अध्यादेशों/नियमों/आदेशों से बंधी हुई हैं। स्वामित्व हित में परिवर्तन/कमी करने के प्रश्न को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है। आबंटन पत्र में एक शर्त है कि "आबंटित केप्टिव कोयला ब्लॉक से कोयले का खनन देश में कोयले के खनन हेतु लागू अध्यादेश/नियमों/आदेशों/निर्देशों से शासित होगी"। संबंधित कोयला ब्लॉक आबंटितियों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस कानून के अंतर्गत जब कभी आवश्यक समझे, सरकार से संपर्क करें। अत: स्वामित्व हित में परिवर्तन/कम करने के पूरे ब्यौरे कोयला मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं/उपलब्ध नहीं हैं। स्वामित्व में परिवर्तन/कमी करने की परिस्थिति में की जाने वाली संभावित कार्रवाई के मुद्दे की विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श से जांच की जा रही है।

धान की खरीद

5696. श्री नरेनभाई काछादिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और नैफेड ने देश के किसानों से समुचित मात्रा में धान की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एफसीआई और नैफेड द्वारा खरीदे गए धान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों के पास ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस प्रकार समायोजन किया जाता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों में किसानों से धान की सीधी खरीद करता है किन्तु नैफेड धान की खरीद सामान्यत: राज्य सरकारों की ओर से करता है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों तथा नैफेड द्वारा खरीदे गए धान का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/इसकी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. धान की खरीद करने हेतु पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोलना।
2. राज्य एजेंसियों से कस्टम मिल्ड चावल स्वीकार करना तथा समय पर भुगतान करना।
3. जिला/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार/एजेंसियों के साथ उचित संपर्क बनाए रखा जाता है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान करके अड़चनों, यदि कोई हों, को दूर किया जाता है।
4. विकेंद्रीकृत राज्यों में खाद्यान्नों की खरीद का दायित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का होता है किन्तु राज्य सरकार से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम, जहां अपेक्षित हो, तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के अलावा खरीद कार्य में भी सहायता करता है।

विवरण-I

धान की खरीद का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा

(लाख टन में)

राज्य	खरीफ विपणन मौसम 2009-10	खरीफ विपणन मौसम 2010-11	खरीफ विपणन मौसम 2011-12	खरीफ विपणन मौसम 2012-13 (26.04.13 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	452178	2447189	2122534	928491
असम	12146	23282	34073	21085
बिहार	1067747	1143543	2287223	1863713
चंडीगढ़	19909	13285	18911	17762
छत्तीसगढ़	4427870	5115760	5970508	7133338
दिल्ली	0	0	0	0
गुजरात	0	0	5485	119
हरियाणा	2636466	2482253	2966712	3845942
हिमाचल प्रदेश	0	235	0	313
झारखंड	13548	279	411008	264117
जम्मू और कश्मीर	0	3848	1972	3612
कर्नाटक	15456	34804	229452	21764
केरल	389246	392921	560824	137776
मध्य प्रदेश	206847	427981	939009	1344427
महाराष्ट्र	233114	193993	259991	263715
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	3598793	3614279	4209939	4185118
पुदुचेरी	1421	0	0	0

1	2	3	4	5
पंजाब	13806159	12886128	11539291	12772507
राजस्थान	0	0	0	0
तमिलनाडु	1852754	2303462	2381864	699616
उत्तर प्रदेश	1399272	1446173	2324091	1779570
उत्तराखंड	34567	14873	18839	32109
पश्चिम बंगाल	832245	1176237	1442752	1097605
जोड़	30999738	33720525	37724478	36412699

विवरण-II

नैफेड द्वारा धान की खरीद का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा

(लाख टन में)

राज्य	खरीफ विपणन मौसम 2009-10	खरीफ विपणन मौसम 2010-11	खरीफ विपणन मौसम 2011-12	खरीफ विपणन मौसम 2012-13 (31.03.13 की स्थिति के अनुसार)
बिहार	176249	251538		
झारखंड	4909			
ओडिशा	133900	224575	149505	16472
उत्तर प्रदेश	58955	41392	69665	71479
पश्चिम बंगाल	110845	164189	33991	101939
जोड़	484858	681694	253161	189890

डीएवीपी द्वारा महान व्यक्तियों का विज्ञापन

5697. **श्री तूफानी सरोजः**
श्री एस.एस. रामासुब्बूः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) और विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों, देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों, प्रतिष्ठित नेताओं और क्रांतिकारियों के जन्म दिवस/पुण्य तिथि एवं शहीद दिवस पर विज्ञापन प्रकाशित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है एवं पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक इन पर किए गए व्यय का मीडिया-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीएवीपी और उक्त मंत्रालयों/विभागों ने प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस पर शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव पर विज्ञापन प्रकाशित/जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विज्ञापनों पर व्यय की गई धनराशि का मीडिया-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में इस प्रयोजन के लिए व्यय को कम करने और विकास के कार्यकलाप पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) और (ख) प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों, प्रतिष्ठित नेताओं और क्रांतिकारियों के जन्मदिवस/पुण्यतिथि एवं शहीद दिवस पर डीएवीपी द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं। तथापि, अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 23 मार्च को शहीदे आज़म भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहीद दिवस के अवसर पर डीएवीपी द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के ब्यौरे विवरण-I के क्रमांक 18 पर दिए गए हैं। तथापि, अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) डीएवीपी के लिए यह वांछनीय है कि वह हमारे देशभक्तों के महान बलिदान के बारे में युवा पीढ़ी को सूचित करे। डीएवीपी ने नए विकासात्मक कार्यकलापों के प्रचार-प्रसार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं।

विवरण-I

गत तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान [(2010-11), (2011-12), (2012-13) तथा (2013-14)] प्रिंट मीडिया के माध्यम से भूतपूर्व नेताओं के विज्ञापनों पर हुआ व्यय

भूतपूर्व नेता प्रतिबद्धता राशि रिपोर्ट [(2010-2011), (2011-2012), (2012-2013) और (2013-14)]

क्र.सं.	नेता का नाम	अवसर/तिथि	दिनांक	प्रतिबद्धता राशि (रुपए)			
				2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू	वर्षगांठ	14 नवंबर	23844097	17708251	4090696	0
2.	पं. जवाहर लाल नेहरू	पुण्य तिथि	27 मई	5712425	10133845	2794723	0
3.	मौलाना आजाद	वर्षगांठ	11 नवंबर	3603582	3405362	5110392	0
4.	महात्मा गांधी	वर्षगांठ	2 अक्टूबर	83654720	108523222	59110930	0
5.	लाल बहादुर शास्त्री	वर्षगांठ	2 अक्टूबर	12566597	3507703	1810793	0
6.	महात्मा गांधी	पुण्य तिथि	30 जनवरी	18726110	5772861	0	0
7.	राजीव गांधी	पुण्य तिथि	21 मई	30522160	32817061	23861296	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	राजीव गांधी	वर्षगांठ	20 अगस्त	29507364	23662472	37554191	0
9.	एस. राधाकृष्णन	वर्षगांठ	5 सितंबर	4897178	0	0	0
10.	इंदिरा गांधी	वर्षगांठ	19 नवंबर	22949866	22688836	16548464	0
11.	सरदार पटेल	वर्षगांठ	31 अक्टूबर	41026364	27063449	14343303	0
12.	इंदिरा गांधी	पुण्य तिथि	31 अक्टूबर	15960395	28850080	11271239	0
13.	बाबू जगजीवन राम	वर्षगांठ	5 अप्रैल	6145865	5923236	10116836	12283724
14.	बाबू जगजीवन राम	पुण्य तिथि	6 जुलाई	4989355	10346542	10056971	0
15.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर	वर्षगांठ	14 अप्रैल	32811642	20102822	42382196	25810754
16.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर	पुण्य तिथि	6 दिसंबर	5861136	17235020	12946254	0
17.	लाल बहादुर शास्त्री	पुण्य तिथि	11 जनवरी	1068626	1377433	607861	0
18.	शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव	शहीदी दिवस	23 मार्च	49178007	31474695	4948858	0
19.	नेताजी सुभाष चंद्र बोस	वर्षगांठ	23 जनवरी	2004911	2997209	0	0
20.	स्वामी विवेकानंद	वर्षगांठ	12 जनवरी	3456516	0	5542843	0

विवरण-II

गत तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान [(2010-11), (2011-12), (2012-13) तथा (2013-14)] इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भूतपूर्व नेताओं के विज्ञापनों पर हुआ व्यय

वर्ष 2010-11

क्र.सं.	नेता का नाम	अवसर/दिनांक	दिनांक	प्रतिबद्धता राशि
1	महात्मा गांधी	वर्ष गांठ	2 अक्टूबर	18717545
			कुल	18717545

वर्ष 2011-12

क्र.सं.	नेता का नाम	अवसर/दिनांक	दिनांक	प्रतिबद्धता राशि
1	राजीव गांधी	पुण्य तिथि	21 मई	24896045
			कुल	24896045

वर्ष 2012-13

क्र.सं.	नेता का नाम	अवसर/दिनांक	दिनांक	प्रतिबद्धता राशि
1	राजीव गांधी	पुण्य तिथि	21 मई	13907377
			कुल	13907377

वर्ष 2013-14

क्र.सं.	नेता का नाम	अवसर/दिनांक	दिनांक	प्रतिबद्धता राशि
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			कुल	0

[अनुवाद]

आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों का पुनर्वास

5698. श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीमा के उस पार से कश्मीर में सैकड़ों उग्रवादी वापस आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी संख्या में उग्रवादियों ने कश्मीर में लौटने की अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या पुनर्वास नीति के अंतर्गत वापस आए उग्रवादी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (च) जम्मू और कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2012 तक पिछले तीन वर्ष में और वर्तमान वर्ष में 10.04.2013 तक लगभग 262 पूर्व-आतंकवादी नेपाल के रास्ते से वापस आए हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिनांक 23.11.2010 के आदेश संख्या होम 1376 (आईएसए) के माध्यम से पूर्व-आतंकवादियों के पाक अधिकृत कश्मीर/पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर में वापसी की नीति एवं प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। इस नीति के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली के अलावा नियंत्रण रेखा पर चकन-दा-बाग क्रॉसिंग, वाघा (अटारी), सलामाबाद में ज्वायंट चेकपोस्ट (जेसीपी) को जम्मू और कश्मीर के उन पूर्व-आतंकवादियों की वापसी के लिए मार्ग के रूप में निर्धारित किया गया है, जो पाक अधिकृत कश्मीर/पाकिस्तान चले गए थे लेकिन उन्होंने सोच में बदलाव के कारण अब आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया है और अब राज्य में वापस लौटना चाह रहे हैं। इस नीति के अंतर्गत भावी लौटने वालों की ओर से जम्मू और कश्मीर सरकार को कुल 1094 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 422 आवेदनों को सभी एजेंसियों द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और समिति द्वारा इनकी सिफारिश की गई है। तथापि, अभी तक वापसी के लिए वर्ष 2010 की नीति के अंतर्गत उपर्युक्त निर्धारित मार्गों से कोई भी पूर्व-आतंकवादी लौटकर नहीं आया है। वर्ष 2010 की उपर्युक्त नीति के अनुसार वापस आने वाले को किसी विशेष लाभ का हक नहीं होगा। तथापि, समाज से उन्हें वापस जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए नीति में, आईटीआई अथवा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में उन्हें उपयुक्त व्यवसायों या क्षमताओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।

[हिंदी]

सीएपीएफ की तैनाती

5699. श्री जगदीश शर्मा:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में कानून व व्यवस्था को बनाए रखने, शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सीएपीएफ की तैनाती पर हो रहे खर्च को वहन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और इसलिए, आंतरिक अशांति और नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। तथापि, इस उत्तरदायित्व को निभाने में उनकी सहायता करने के लिए, नक्सल प्रभावित राज्यों सहित, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) उपलब्ध कराए जाते हैं।

आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करने वाले विभिन्न राज्यों में इन बलों की तैनाती राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं/जरूरतों, स्थिति की गंभीरता, समग्र सुरक्षा परिदृश्य और सीएपीएफ आदि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर नक्सल प्रभावित राज्यों सहित जिसमें महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड शामिल हैं, विभिन्न राज्यों में सीएपीएफ की तैनाती की गई हो। किसी राज्य में सीएपीएफ की तैनाती का स्तर परिवर्तनशील है और विशेष समय पर विकसित होने वाली स्थिति के आधार पर बदलती रहती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सीएपीएफ की तैनाती के स्तर को प्रकट नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ और ओडिशा की राज्य सरकारों ने सीएपीएफ की तैनाती के प्रयासों से उन्हें छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। नक्सल प्रभावित राज्यों में सीएपीएफ की तैनाती से संबंधित प्रभारों का वहन करने में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में राज्यों को छूट प्रदान के संबंध में सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

[अनुवाद]

दुग्ध सहकारी समितियों को धनराशि

5700. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन के लिए संवर्धित अवसंरचना सुविधा के तहत गुजरात में प्रत्येक दुग्ध सहकारी समितियों को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से गुजरात को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विगत तीन वर्षों में गुजरात में विभिन्न डेयरी समितियों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 'गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण' को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	सहकारी दुग्ध संघ का नाम	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद दुग्ध संघ	77.69	0.00	0.00
2.	मेहसाना दुग्ध संघ	50.00	61.75	0.00
3.	पंचमहल दुग्ध संघ	100.00	0.00	40.18
4.	वलसाद दुग्ध संघ	0.00	93.00	0.00

1	2	3	4	5
5.	बनासकंठा दुग्ध संघ	60.00	63.91	0.00
6.	साबरकंठा दुग्ध संघ	138.45	0.00	92.70
7.	अमरेली दुग्ध संघ	0.00	114.37	47.54
8.	राजकोट दुग्ध संघ	44.88	0.00	100.00
9.	सुरेन्द्रनगर दुग्ध संघ	90.00	221.15	0.00
	कुल	561.02	554.18	280.42

(ख) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-I (एनडीपी-I) के तहत गुजरात की 6 अंतिम क्रियान्वयन एजेंसियों (ईआईएएस) में से 17 उप परियोजनाओं का 14351.77 लाख रुपए के कुल परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदित उप परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईआईए का नाम	मंजूर सहायता (लाख रुपए)	ईआईए अंशदान (लाख रुपए)	कुल अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	संतति परीक्षण	बनासकंठा दुग्ध संघ: मेहसाना	1211.49	0.00	1211.49
2.	संतति परीक्षण	मेहसाना दुग्ध संघ: मेहसाना भैंस	1265.36	0.00	1265.36
3.	संतति परीक्षण	एसएजी, बिडाज: सीबीएचएफ	2175.63	0.00	2175.63
4.	संतति परीक्षण	एसएजी, बिडाज: मुर्रा	1061.7	0.00	1061.7
5.	नस्ल चयन	बनासकंठा दुग्ध संघ: कंकरेज	527.96	0.00	527.96
6.	नस्ल चयन	सीएजी बिडाज: गिर	743.99	000	743.99
7.	नस्ल चयन	सीएजी बिडाज: जफराबादी	743.99	0.00	743.99
8.	वीर्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण	मेहसाना दुग्ध संघ: जगुदान वीर्य केन्द्र	687.77	0.00	687.77
9.	वीर्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण	सीएजी, बिडाज	2160.38	0.00	2160.38
10.	चारा विकास	साबरकंठा दुग्ध संघ	73.93	0.00	73.93
11.	चारा विकास	सुरत दुग्ध संघ	111.28	0.00	111.28

1	2	3	4	5	6
12.	राशन संतुलित कार्यक्रम	बनासकंठा दुग्ध संघ	351.61	0.00	351.61
13.	राशन संतुलित कार्यक्रम	मेहसाना दुग्ध संघ	362.7	0.00	362.7
14.	राशन संतुलित कार्यक्रम	साबरकंठा दुग्ध संघ	365.85	0.00	365.85
15.	राशन संतुलित कार्यक्रम	सुरत दुग्ध संघ	364.92	0.00	364.92
16.	ग्रामीण आधारित दुग्ध प्राप्ति प्रणाली	पंचमहल दुग्ध संघ	422.78	248.58	671.36
17.	ग्रामीण आधारित दुग्ध प्राप्ति प्रणाली	साबरकंठा दुग्ध संघ	790.88	680.97	1471.85
	कुल		13422.22	929.55	14351.77

सासून डॉक मत्स्य बंदरगाह का आधुनिकीकरण

5701. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सासून डॉक, मुंबई फिशिंग हार्बर के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए मुंबई पत्तन न्यास से जून, 2009 में 8.02 करोड़ रुपए के अनुमोदन और जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य और केन्द्र से पर्यावरण संबंधी मंजूरी पहले ही से ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर अनुमोदन देने/केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुमति/केन्द्रीय सहायता कब तक दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी हां, सासून डॉक, मुंबई में वर्तमान मुंबई फिशिंग हार्बर को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग से प्राप्त 100 प्रतिशत निधियन से विकसित किया गया है विभाग ने अब तक फिशिंग हार्बर के विकास के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को 1301.51 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। फिशिंग हार्बर के प्रबंधन, अनुरक्षण और परिचालन का कार्य पोर्ट ट्रस्ट को सौंपा गया है। विभाग ने कोस्टल इंजीनियरिंग फिशरी केन्द्रीय संस्थान, बंगलौर के माध्यम से वर्तमान फिशिंग हार्बर के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाई है ताकि उसकी स्वास्थ्यकर और साफ-सफाई स्थितियों में सुधार किया जा सके। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने जून, 2009 में वर्तमान फिशिंग हार्बर के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए 8.02 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि अग्रसारित की है और इस प्रस्ताव की ब्लाक लागत अनुमान को पोर्ट ट्रस्ट द्वारा फरवरी, 2013 में संशोधित करके 25.50 करोड़ रुपए कर दिया है।

(ग) से (ङ) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से इस संबंध में उनके द्वारा पर्यावरण निकासी अभी मांगी जानी है। चूंकि पोर्ट ट्रस्ट को अभी (i) परियोजना लागत की पुष्टि करनी है और (ii) विभाग द्वारा परामर्श दिए गए अनुसार व्यावसायिक ढंग में फिशिंग हार्बर के प्रबंधन हेतु संस्थागत प्रणाली स्थापित करनी है, अत: इस अवस्था में उपलब्ध कराई जाने वाली केन्द्रीय सहायता बताई नहीं जा सकती है।

खाद्यान्न की उपलब्धता

5702. **श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सुधारों की शुरुआत के बाद से लेकर अब तक, प्रत्येक पांच वर्षों की अवधि में खाद्यान्न की औसत प्रति-व्यक्ति निवल उपलब्धता घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिक खाद्यान्न का उपभोग करने वालों और कम खाद्यान्न प्राप्त करने वालों के बीच का अंतर और बदतर होता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने खाद्यान्न की दैनिक प्रति-व्यक्ति निवल उपलब्धता के घटते जाने के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या सुधारोपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) वर्ष 2006 से 2009 तक विगत 5 वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों (चावल, गेहूं, अन्य अनाज एवं दलहन) की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	खाद्यान्नों की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता (किलोग्राम में)
2006	162.5
2007	161.6
2008	159.2
2009	162.1
2010 (अनंतिम)	160.1

(ग) और (घ) सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टाक की उपलब्धता को देखते हुए और लक्षित परिवारों तक खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा खुले बाजार में खाद्य मदों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समय-समय पर खाद्यान्नों के सामान्य आवंटन से अतिरिक्त आवंटन कर रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत कुल 627.67 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया हैं इसके अतिरिक्त, खुला बाजार बिक्री योजना के तहत थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को निविदा बिक्री करने हेतु जुलाई, 2012 से 95 लाख टन गेहूं का आवंटन किया है तथा स्कीम के तहत दिनांक 31.3.2012 तक लगभग 66.5 लाख टन गेहूं की बिक्री की गई है।

[हिंदी]

प्रोटीन अनुपूरक संबंधी राष्ट्रीय मिशन

5703. **श्री कपिल मुनि करवारिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रोटीन अनुपूरक संबंधी राष्ट्रीय मिशन एवं त्वरित चारा विकास कार्यक्रम में पशुपालन क्षेत्र में सुधार करने हेतु कतिपय प्रावधान शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त मिशन/कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) मिशन/कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित धनराशि तथा निर्धारित लक्ष्य का तथा अब तक की उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त मिशन/कार्यक्रम के अंतर्गत कितने गांवों को लाभ मिला है/मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2011-12 में 22 पहचाने गए जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के भाग के रूप में राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन योजना शुरू की है जिसे वित्त वर्ष 2012-13 में 7 और राज्यों में बढ़ाया गया है। इस कार्यक्रम

का उद्देश्य दूध मांस और मछली आदि जैसे पशु प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाना है ताकि इन उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। एनएमपीएस के अंतर्गत शामिल मुख्य-मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

त्वरित चारा विकास कार्यक्रम में पूरे वर्ष चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए समेकित प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में तेजी लाना है। त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) वर्ष 2012-13 के दौरान, राष्ट्रीय अनुपूरक मिशन के अंतर्गत 500.26 करोड़ रुपए की तुलना में राज्यों की 325.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, 100.00 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में राज्यों को 185.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के अंतर्गत राज्य के निर्धारित लक्ष्य और वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय अनुपूरक मिशन और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम राज्य के कृषि और पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग लाभान्वित ग्रामों का कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा है जिन्हें उक्त मिशन/कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ दिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

प्रोटीन अनुपूरक पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमपीएस)

एनएमपीएस के अंतर्गत शामिल विभिन्न घटकों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) डेयरी विकास: इस योजना क नाम राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन के अंतर्गत डेरी विकास विशेष कार्यक्रम के रूप में रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत, परियोजनाओं को पशुपालन तथा डेयरी विकास कार्यकलापों के विस्तार के लिए निधियां दी जा रही हैं जिनमें उत्पादकता सुधार कार्यक्रम, पशु आहार संद्रण के पोषणिक शेब को सुधारना, चारा विकास कार्यकलाप और दूध प्राप्ति में सुधार करना, कार्यान्वयन के पहचाने गए क्षेत्र में दूध को प्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार जैसे उपायों के जरिए दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार को वरीयता दी गई है।

(ii) मात्स्यिकी: मात्स्यिकी के अंतर्गत क्षेत्र जिन्हें एनएमपीएस के अंतर्गत दिया गया है वे हैं समेकित दृष्टिकोण/खुला समुद्री केग कल्चर के माध्यम से जलाशय मात्स्यिकी विकास तथा जलकृषि विकास।

(iii) बकरी पालन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र हैं जिन्हें एनएमपीएस के अंतर्गत लिया गया है वे हैं समुदाय में क्षमता निर्माण के साथ परंपरागत बकरी उत्पादन के लिए गहन बकरी उत्पादन और सहायता।

(iv) सूअर पालन क्षेत्र: वे क्षेत्र जिन्हें एनएमपीएस के अंतर्गत लिया गया है वे हैं सूअर प्रजनन और गुणन इकाइयों के जरिए उच्च ग्रेड क्रास ब्रेड पिगलेटस की उपलब्धता का संवर्धन।

एनएमपीएस के विस्तृत मार्ग निर्देश जिनमें आरकेवीआई के अंतर्गत डेयरी विकास, मात्स्यिकी, सूअर और बकरी विकास के घटक शामिल हैं, को सहभागी राज्यों को जारी किए गए। राज्यों को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करें और उसकी मंजूरी संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से करा लें।

विवरण-II

त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (एएफडीपी)

त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के अधीन कवर किए गए विभिन्न घटकों के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं:

त्वरित चारा विकास कार्यक्रम में पूरे वर्ष चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर चारे के उत्पादन में तेजी लाने की परिकल्पना की गई है।

बहुप्रयोजनी नीति का प्रस्ताव किया गया है:

1. अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन: किसानों की सहभागिता के साथ चारे की चुनिंदा आशाजनक किस्मों/संकटों के प्रजनक और आधार बीजों को उत्पादन करने के लिए राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता देना/सुदृढ़ करना। परियोजना की कुल 100 प्रतिशत लागत की सहायता दी जाती है जो 50 लाख रुपए प्रति राज्य कृषि विश्वविद्यालय तक सीमित होती है।

2. चारे का उत्पाद: उपयुक्त और क्षेत्र विशिष्ट चारा किस्मों को बढ़ावा देकर अधिमानतः संभाव्य राज्यों के डेयरी केचमेंट क्षेत्रों में समूहों पर आधारित चारा उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करना। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार चारा उत्पादन किटें (3200/- रुपए प्रति हेक्टेयर) वितरित की जाएंगी जो 5 हेक्टेयर प्रति लाभभोगी तक सीमित होंगी।

3. कटाई-उपरांत प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां अपनाना: चुनिंदा/लक्षित समूहों में चारा ब्लॉक बनाने वाले यूनिटों, चारा प्रसंस्करण के लिए चाफ कटर तथा सिलेज बनाने वाले यूनिटों जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा। समूहों, जैसा कि क्रम संख्या 2 में पहचान की गई है, में चारे/दोहरे प्रयोजनों वाली फसलों के अधीन 100 प्रतिशत खरीद लागत जो अधिकतम 4.00 लाख रुपए होगी।

प्रस्तावित कार्यक्रम से हरे और सूखे चारे की उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है। कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकी के उपयोग से न केवल कम वाले मौसम के दौरान चारे की उपलब्धता में वृद्धि होगी बल्कि इन फसलों को जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम से सूखे और बाढ़ों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण चारे की कमी को कम करने के लिए आकस्मिक योजना बनाने में भी मदद मिलेगी।

विवरण-III

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार आबंटित निधियां और वित्तीय उपलब्धियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन		त्वरित चारा विकास कार्यक्रम	
		आबंटित निधियां*	जारी निधियां	आबंटित निधियां	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध	25.71	25.71	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.14	6.22	0.00	0.00
3.	असम	18.86	18.86	0.00	0.00
4.	बिहार	25.62	12.81	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	14.53	14.53	0.00	0.00
6.	गुजरात	27.12	27.12	10.00	40.00
7.	हरियाणा	16.59	8.30	10.00	15.00
8.	हिमाचल प्रदेश	16.42	8.21	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	14.91	14.91	0.00	0.00
10.	झारखंड	16.97	12.39	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	22.03		0.00	15.00
12.	केरल	19.50	9.25	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	25.71	25.71	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	27.95	27.95	20.00	45.00
15.	मणिपुर	5.44	2.72	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
16.	मेघालय	10.14		0.00	0.00
17.	मिज़ोरम	11.64	11.64	0.00	0.00
18.	नागालैंड	9.24	9.24	0.00	0.00
19.	ओडिशा	18.41	18.41	0.00	0.00
20.	पंजाब	18.01	9.00	10.00	10.00
21.	राजस्थान	25.25	10.34	30.00	30.00
22.	सिक्किम	8.84	2.92	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	24.38	24.38	0.00	10.00
24.	त्रिपुरा	8.64	8.64	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	35.21	13.11	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	12.29	3.11	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	24.03	12.02	0.00	0.00
28.	पुदुचेरी	2.50		0.00	0.00
29.	गोवा	2.50		0.00	0.00
	कुल	500.26	325.99	100.00	185.00

*अधिक राशि अर्थात् 26.00 लाख रुपए जिसे मात्स्यिकी के अंतर्गत संगत योजनाओं से डीएडीएफ बजट 2012-13 से पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

सामुदायिक निगरानी के लिए सहायता

5704. **श्री एंटो एंटनी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में सामुदायिक निगरानी व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

खाद्यान्न की आवश्यकता

5705. **श्री पशुपति नाथ सिंह:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं, चावल, दाल, खाद्य तेल एवं चीनी सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के भंडार की उनकी सामान्य आवश्यकता एवं बफर/भंडारण मानदंडों की तुलना में कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्न आवश्यकता संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान अपेक्षित मात्रा एवं आवंटित खाद्यान्न की मात्रा कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का स्टॉक 70 लाख टन गेहूं और 142 लाख टन चावल के 212 लाख टन के बफर मानकों के मुकाबले 596.75 लाख टन था जिसमें 242.07 लाख टन गेहूं और 354.68 लाख टन चावल शामिल है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत आबंटन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

वर्ष 2012-13 हेतु द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार दलहन का अनुमानित उत्पादन 175.80 लाख टन है। वर्ष 2012-13 के दौरान दलहन की मांग 204.80 लाख टन अनुमानित है। इस अंतर को दलहन के आयात से पूरा किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्य तेलों की वार्षिक कुल खपत 189 लाख टन थी, जिसमें से 89.57 लाख टन घरेलू, तौर पर उपलब्ध था और 99.43 लाख टन का आयात किया गया था।

चीनी मौसम 2012-13 के दौरान लगभग 230 लाख टन की घरेलू मांग के मुकाबले अनुमानित चीनी उत्पादन लगभग 246 लाख टन है। पिछले मौसम के लगभग 66.96 लाख टन के स्टॉक के साथ देश में चीनी के स्टॉक की उपलब्धता घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अब तक किए गए खाद्यान्नों के आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

वर्ष	मात्रा
2010-11	632.46
2011-12	615.26
2012-13	627.67
2013-14	463.95

[अनुवाद]

बहुराज्यीय सहकारी समितियां

5706. श्री निशिकांत दुबे:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में पंजीकृत सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में कार्यरत एवं अकार्यरत ऐसी समितियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा छोटे निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, परिसमापन के तहत बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	बंद किए जाने की प्रक्रिया में बहु राज्यीय सहकारी समितियां
1	2
महाराष्ट्र	1. मेमन सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई 2. महाराष्ट्र तथा गोवा एपेक्स अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई

1	2
गुजरात	1. गुजरात औद्योगिक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद
	2. माधवपुरा मर्केन्टाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद
	3. पेट्रोफिल सहकारी लिमिटेड, वडोदरा
दिल्ली	1. इंडियन टूरिज्म सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली
	2. सहकारी स्टोर लिमिटेड, सुपर बाजार, नई दिल्ली

(ग) और (घ) बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के कार्य को मॉनिटर तथा विनियमित करने के प्रावधान बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (एमएससीएस अधिनियम, 2002) में दिए गए हैं। इनमें अन्यों के साथ-साथ समितियों की बहियों तथा लेखा का व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से वार्षिक लेखा परीक्षण (बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा 70 और 72); विशेष लेखा परीक्षा/पूछताछ/निरीक्षण निदेश देने के लिए केन्द्र सरकार/सहकारी समितियों की केन्द्रीय पंजीकार के अधिकार (बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 77, 78, 79 और 80), पंचाट के विवाद का संदर्भ (बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा 87); सोसाइटी द्वारा सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीकार के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 120) और अपराध तथा दंड के प्रावधान (बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा 104) शामिल है।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत की गई बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
महाराष्ट्र	32	59	167
राजस्थान	06	18	24
उत्तर प्रदेश	06	05	20
दिल्ली	05	08	19
मणिपुर	-	-	1
आंध्र प्रदेश	01	-	3
केरल	01	02	2
बिहार	01	-	3
ओडिशा	-	03	12
अरुणाचल प्रदेश	-	-	1
झारखंड	-	01	02
चंडीगढ़	-	-	1

1	2	3	4
पंजाब	01	01	2
तमिलनाडु	05	01	6
पश्चिम बंगाल	-	-	16
गुजरात	01	03	5
मध्य प्रदेश	-	01	4
उत्तराखंड	-	-	1
असम	01	-	1
छत्तीसगढ़	-	-	2
हरियाणा	01	-	1
पुदुचेरी	-	01	-
नागालैंड	-	01	-
कर्नाटक	-	02	-
कुल	61	106	293

आंतकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना

5707. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच में आतंकी गतिविधियों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नकदी की जब्ती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा कौन-सी अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां।

(ख) तीन मामलों की जांच के दौरान एनआईए द्वारा कुल 38.20 लाख रु. जब्त किए गए हैं और 11 बैंक खते फ्रीज़ किए गए हैं। सभी मामले विचारण के दौर में हैं।

आतंकी फंडिंग एवं जाली मुद्रा के मामलों पर फोकस करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में आतंकी फंडिंग एवं जाली मुद्रा सेल (टीएफएफसी) गठित किया है। त्वरित विचारण एवं अभियोजन के लिए सरकार भी नजदीकी से इन मामलों का अनुसरण/निगरानी करती है।

बच्चों के लिए विधान

5708. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बाल दुर्व्यापार, गायब बच्चों, यौन शोषण, गुलामी एवं दुर्व्यापार पीड़ित बच्चों के रोजगार के मुद्दों से निपटने के लिए व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा विधान कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) गृह मंत्रालय को इस संबंध में ऐसे किसी भी विचाराधीन प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, ऐसे बहुत से मौजूदा विधान हैं जो बच्चों के प्रति अपराधों के विभिन्न रूपों के संबंध में उठाए गए मुद्दों का समाधान करते हैं।

माननीय राष्ट्रपति की सहमति से दिनांक 19 जून, 2012 को बच्चों के प्रति यौन अपराधों संबंधी 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' नामक एक व्यापक विधायन पहले ही लागू किया जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को 'दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013' के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, जो 3 फरवरी, 2013 से लागू हो गया है जिसमें धारा 370क में दुर्व्यापार के पीड़ित बच्चों के यौन शोषण के अपराध घोषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 370 तथा 370क के उल्लंघन की स्थिति में अत्यधिक कड़ी सजा का प्रावधान है जो कुछ मामलों में तो अपराधी के शेष जीवनकाल के लिए कड़े कारावास की सजा भी हो सकती है। धारा 370 शोषण के किसी भी रूप के लिए दुर्व्यापार किए गए बच्चों के मामलों का समाधान करने से भी संबंधित है तथा इसमें अपराधियों एवं अवैध व्यापारियों के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" तथा "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण, जांच तथा अभियोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का है। तथापि, भारत सरकार बच्चों के कल्याण के प्रति अत्यधिक चिंतित है तथा यह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी पत्र जारी करके राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय ने गुमशुदा बच्चों, बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने तथा बच्चों का पता लगाने के संबंध में दिनांक 31 जनवरी, 2012 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया था जिसमें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विशेष रूप से यह सलाह दी गई थी कि वे बच्चों को बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बाल अश्लील साहित्य, अंग व्यापार इत्यादि जैसे घृणित एवं संगठित अपराधों का शिकार होने से बचाएं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दुर्व्यापार को रोकने तथा बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों के संबंध में भी सलाह दी गई थी। इसमें गुमशुदा बच्चों का पता लगाने में सुविधा के लिए रिकॉर्डों का कम्प्यूटरीकरण, डीएनए प्रोफइलिंग, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों को शामिल करना, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना इत्यादि शमिल है।

मानव दुर्व्यापार के संगठित अपराध पहलू से प्रभावी रूप से निपटने के तरीकों एवं औपचारिकताओं के संबंध में विधि प्रवर्तन एजेंसियों के दिशानिर्देश मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को भी एक परामर्शी पत्र जारी किया था।

गृह मंत्रालय ने 29 अक्तूबर, 2012 को गुमशुदा बच्चों के संबंध में एक अन्य परामर्शी पत्र जारी किया था जिसमें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया था कि वे गुमशुदा बच्चों के संबंध में 'ट्रैक चाइल्ड' नामक देशव्यापी ऑनलाइन डाटाबेस जो पहले से ही प्रारंभ हो चुका है, का हिस्सा बनें।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय को इस संबंध में ऐसे किसी भी प्रकार के सुझावों के बारे में जानकारी नहीं है।

[हिंदी]

खाद्यान्नों का निर्यात

5709. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित एवं आयातित खाद्यान्नों की मात्रा एवं कीमत कितनी हे तथा आयात/निर्यात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ख) उन खाद्यान्नों के नाम एवं मात्रा क्या है जिनका निर्यात की दर से अधिक दर पर आयात किया गया था तथा तत्संबंधी परिणामस्वरूप राजकोष को कितनी हानि हुई; और

(ग) ऐसे हानिकारक लेन-देन करने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान केन्द्रीय पूल स्टॉक से गेहूं और चावल का निर्यात नहीं किया है। वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय पूल के स्टॉक से लगभग 4936 करोड़ रुपए मूल्य के 29.23 लाख टन गेहूं केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जरिए निर्यात

किया गया है। निर्यात वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करके किया जाता है और निर्यातक अपनी पसंद के देश को गेहूं का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और चावल का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तस्करी किए गए मादक पदार्थों की जब्ती

5710. **श्री रवनीत सिंह:**
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीमा पार से पंजाब में स्वापक पदार्थों की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक एवं दंडात्मक उपाए किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पंजाब में जब्त किए गए मादक पदार्थों, मुख्यत: हीरोइन की मात्रा निम्नानुसार है:

(कि.ग्रा. में)

जब्त मादक पदार्थ	2010	2011	2012	2013 (17 अप्रैल तक)
हीरोइन	169.179	180.244	442.960	170.188

(ग) सरकार द्वारा किए गए निवारक तथा दंडात्मक उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इस संबंध में, सरकार द्वारा किए गए निवारक तथा दंडात्मक उपाय निम्नानुसार है:

- मादक पदार्थों के ज्ञात मार्गों पर निवारण तथा रोक संबंधी गहन प्रयास।
- आयात तथा निर्यात संबंधी स्थलों पर कड़ी चौकसी और प्रवर्तन।
- विभिन्न मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय ताकि रोक लगाए जाने में बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके।
- प्रचालन संबंधी आसूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार को बेहतर बनाने के लिए आसूचना संबंधी तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
- स्वापक पदार्थों एवं मन:प्रभावी पदार्थों तथा प्रिकर्सर केमिकल्स की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना तथा अन्वेषी सहायता का आदान-प्रदान।
- पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले दक्षिण-पश्चिम एशिया के लिए निर्धारित हीरोइन की जब्ती के मामले को नियमित रूप से एएनएफ पाकिस्तान के साथ उठाया जा रहा है।
- यह ब्यूरो, मादक पदार्थों से संबंधित अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों, राज्य पुलिस और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय एवं संपर्क करके मांग न्यूनीकरण गतिविधियां भी चलाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जून को आयोजित मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दौरान मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरे का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है।
- मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के संबंध में कौशल को और विकसित करने के उद्देश्य से विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- पात्र राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपनी स्वापक यूनिटों का सुदृढ़ीकरण कर सकें।
- अभियुक्त के विरुद्ध वित्तीय जांच एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय VI-क के तहत की जाती है और

अभियुक्त तथा उसके सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उस पर रोक लगाई जाती है तथा वह समापहृत कर ली जाती हैं।

- इस प्रकार की सूचना, जिससे स्वापक पदार्थों की जब्ती हो पाती है, को देने वाले मुखबिरों और अधिकारियों के लिए आर्थिक पुरस्कार प्रदान करने संबंधी योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिंदी]

एनजीओ द्वारा लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की प्रस्तुति

5711. श्री पूर्णमासी राम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश से धन प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) विद्यमान कानूनों के अंतर्गत लेखा-परीक्षा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ऐसे एनजीओ के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसे एनजीओ द्वारा लेखा-परीक्षा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के मामले में देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) सहित किसी 'व्यक्ति' को विदेशी सहायता की प्राप्ति और उसके उपयोग को मॉनीटर करती है।

जिन संगठनों ने वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किए हैं, उन्हें अलग-अलग पत्र भेजकर यह बताने को कहा गया है कि उन्हें एफसीआरए के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाए। उन्हें प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अवधि के भीतर वांछित कागजात जमा करने के डाक के प्रमाण अथवा किसी अन्य प्रमाण, यदि कोई हो, के साथ जवाब देने के लिए कहा गया।

4138 संगठनों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र डाकघर के द्वारा वापस कर दिए गए क्योंकि उनका पता नहीं खोजा जा सका। सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचार के बाद एफसीआरए के अंतर्गत इनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। ऐसे संगठनों की सूची को विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन के पोस्ट कर दिया गया। रद्द किए गए एनजीओ की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एफसीआरए के तहत रद्द किये गये राज्य-वार एनजीओ की सूची

क्र.सं.	राज्य	एनजीओ की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	670
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	4
4.	बिहार	20
5.	चंडीगढ़	6
6.	छत्तीसगढ़	7
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दिल्ली	299
9.	गोवा	10
10.	गुजरात	158
11.	हरियाणा	21
12.	हिमाचल प्रदेश	23
13.	जम्मू और कश्मीर	5
14.	झारखंड	9
15.	कर्नाटक	296
16.	केरल	450
17.	मध्य प्रदेश	92

1	2	3
18.	महाराष्ट्र	352
19.	मणिपुर	128
20.	मेघालय	9
21.	मिज़ोरम	2
22.	नागालैंड	35
23.	ओडिशा	160
24.	पुदुचेरी	6
25.	पंजाब	7
26.	राजस्थान	110
27.	तमिलनाडु	794
28.	उत्तर प्रदेश	72
29.	उत्तराखंड	2
30.	पश्चिम बंगाल	384
	कुल	4138

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्मारक

5712. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के तिरहुत डिविजन के अंतर्गत बर्का गांव के 28 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक निर्मित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/प्रस्तावित है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सेब उत्पादन में गिरावट

5713. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन के कारण, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर में सेब के उत्पादन में पिछले दो वर्षों के दौरान गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों में सेब के उत्पादन का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सेब का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गयी/कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) सेब की उत्पादकता तथा गुणवत्ता विशेषकर उप शीतोष्ण क्षेत्र की मध्य पहाड़ी परिस्थितियों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रभावित हुई है। तथापि अनुकूल जलवायु परिस्थितियों ने शीतोष्ण उच्च एल्टीच्यूड के कारण कुल उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

अनुमान के अनुसार, देश में सेब उत्पादन 2011-12 के 22.04 लाख टन की तुलना में 2012-13 के दौरान 27.08 लाख टन है। पिछले दो वर्ष के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार क्षेत्र उत्पादन का विवरण निम्नलिखित है:

(उत्पादन लाख टन में)

राज्य	2011-12	2012-13*
अरुणाचल प्रदेश	0.31	0.31
हिमाचल प्रदेश	2.75	4.12
जम्मू और कश्मीर	17.75	21.42
उत्तराखंड	1.23	1.23
कुल	22.04	27.08

*प्रथम अनुमान

सेब उत्पादन सहित बागवानी के संपूर्ण विकास के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है।

योजना के तहत, सेब उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता पौध सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरियों के सुदृढ़ीकरण, टिश्यू कल्चर इकाइयों की स्थापना, उच्च घनत्व पौध, जीर्ण बागानों का पुनरुद्धार, जल संसाधनों का सृजन, स्वीकृत पोषक तथा कीट प्रबंधन मधुमक्खी पालन द्वारा परागण सहायता, ओलावृष्टि जाल का प्रावधान, एचआरडी आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केन्द्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर ने कम द्रुतशीत किस्मों तथा मध्य शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए अनुकूल फसलों की पहचान के लिए अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है। ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शमन प्रौद्योगिकियों के साथ कम द्रुतशीत फसलों जैसे आड़ू, खुबानी, कीवी फल तथा कम द्रुतशीत सेब का मूल्यांकन किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना

5714. श्री राजू शेट्टी:
श्री राम सिंह राठवा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान कितना है;

(ख) जीडीपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंश को बढ़ाने के लिए इन्हें बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के फलस्वरूप देश में लाभान्वित हुए किसानों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु चालू ऋण/राजसहायता की सीमा बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2013 में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान, देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान, निम्नवत है:

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद में योगदान(%)
2009-10	1.3
2010-11	14
2011-12	1.5

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अवसंरचना सृजन हेतु एक स्कीम का कार्यान्वयन करती रही है जिसमें (i) मेगा खाद्य पार्क; (ii) शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना; और (iii) बूचड़खानों का आधुनिकीकरण जैसे घटक शामिल हैं। सरकार ने राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सहायता देने के लिए 01.04.2012 से एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम–राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए, स्कीम में राष्ट्रीय मिशन तथा राज्य एवं जिला स्तर पर तदनुरूपी मिशनों के गठन का भी प्रावधान है। स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न घटक (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण; (ii) गैर-बागवानी उत्पाद शीत श्रृंखला, मूल्य वृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना; (iii) मानव संसाधन विकास; तथा (iv) प्रोत्साहन कार्यकलापों, से संबंधित हैं।

एनएमएफपी का कार्यान्वयन भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच 75:25 के अनुपात में वित्तीय अंशदान से किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों के, जहां अनुपात 90:10 का है। इसके अलावा, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संघ राज्यक्षेत्रों में इसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जी नहीं, महोदया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नया खनन विधेयक, 2011

5715. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित खनन और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 में प्रावधान है कि कोयला कंपनियों को स्थानीय क्षेत्रों के विकास में अपने लाभ का 26 प्रतिशत निवेश करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धन को खर्च करने की कोई प्रारूप योजना कोयला कंपनियों द्वारा तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) सरकार ने लोक सभा में 12 दिसंबर, 2011 को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 (एमएमडीआर विधेयक) प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोयला खनिजों के मामले में, खनन लीज धारक को जिला स्तर पर स्थापित किये जाने वाले जिला खनिज प्रतिष्ठान को 26% लाभ के समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा। एमएमडीआर विधेयक 5 जनवरी, 2012 को कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है। एमएमडीआर विधेयक के संबंध में कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

प्रसारण क्षेत्र के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक विनियामक

5716. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**
श्री संजय दिना पाटील:
श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रसारण क्षेत्र के लिए अलग तकनीकी-वाणिज्यिक विनियामक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त विनियामक के प्रस्तावित प्रमुख प्रकार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास देश में टीवी चैनलों के लिए कोई विज्ञापन नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): (क) से (ङ) मंत्रालय ने प्रसारण सेवाओं के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 2007 में एक प्रारूप प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक तैयार किया था। तथापि, मीडिया के विभिन्न वर्गों द्वारा प्रस्तावित विनियामक की आवश्यकता, उसके कार्यक्षेत्र, उसकी कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता और स्वतंत्र कार्य संचालन के संबंध में चिंताएं प्रकट की गई थीं। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पणधारियों के बीच एक आमराय बनाने के लिए 2009 में मंत्रालय में एक कृत्यक बल गठित किया था। तथापि, परामर्शी प्रक्रिया के दौरान भिन्न-भिन्न तरह के विचार और अवधारणाएं उभर कर सामने आईं। इसी बीच समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) और भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) और प्रसारण विषयवस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) के माध्यम से क्रमशः समाचार और सामान्य मनोरंजन चैनलों के विनियमन हेतु स्व-विनियामक तंत्र गठित किया। प्रसारण क्षेत्र के उदारीकरण के विगत दो दशकों के दौरान इसमें हुए विस्तार को ध्यान में रखते हुए पणधारियों को यह सुझाव दिया गया है कि शायद अब समय आ गया है कि वे इसके तकनीकी वाणिज्यिक पक्ष पर एक स्वतंत्र विनियामक की आवश्यकता और जरूरत पर विचार करें और आपसी सहमति बनाएं।

टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, प्रसारकों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाई गई कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। विज्ञापन संहिता में समूचे सिद्धांतों को विनिर्धारित किया गया है जिनका टेलीविजन नेटवर्क पर विज्ञापनों का प्रसारण करते समय अनुपालन किया जाना होता है। विज्ञापन संहिता की विस्तृत जानकारी www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

[हिंदी]

छात्रवृत्ति योजना के अतंर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति

5717. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:**
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री सज्जन वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी राष्ट्रीय मेधा सह साधन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछड़े वर्गों संबंधी छात्रवृत्ति योजना में इसी प्रकार के प्रावधान सरकार ने किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या पिछड़े वर्गों संबंधी मैट्रिकोत्तर एवं मेधा सह साधन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए योग्यता व साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत सिर्फ 85 सूचीबद्ध संस्थानों के संदर्भ में ही पूर्ण पाठ्यक्रम प्रशुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों के छात्रों के लिए सिर्फ 20,000/- रुपए की राशि की ही प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) से (घ) अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए कोई पृथक योग्यता व साधन छात्रवृत्ति योजना नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत, पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के दौरान अनुरक्षण भत्ता, दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक प्रभार, अध्ययन यात्रा प्रभार, शोध टंकण/मुद्रण प्रभार, पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता इत्यादि के अलावा अनिवार्य अप्रतिदेय प्रशुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

[अनुवाद]

बिहार में नक्सली हिंसा

5718. श्री जोस के. मणि:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में नक्सल हिंसा में कितने लोग मारे गए हैं;

(ख) क्या नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को सुरक्षा-संबंधी व्यय स्कीम के अंतर्गत अनुग्रह राशि का भुगतान करने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को उक्त स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त अन्य वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नक्सलरोधी कार्रवाइयों के लिए तैनात सीआरपीएफ को बिहार से चरणबद्ध तरीके से कम करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे जिलों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (15 अप्रैल, 2013 तक) के दौरान बिहार में नक्सली हिंसा के कारण मरने वालों की संख्या के ब्यौरा नीचे दिए गए हैं–

वर्ष	मारे गए (असैनिक और सुरक्षा बल)
2010	97
2011	63
2012	44
2013 (15 अप्रैल तक)	17

(ख) और (ग) भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम में नक्सली हमलों में मारे गए असैनिकों के परिवार को 1 लाख रु. और मारे गए सुरक्षाकर्मी के परिवार को 3 लाख रु. की अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान है। बिहार के कुल 22 जिलों को एसआरई स्कीम के तहत शामिल किया गया है। आतंक, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ितों के असैनिक पीड़ितों/परिवारों को सहायता हेतु केन्द्रीय स्कीम के तहत मृतक असैनिकों अथवा स्थायी विकलांग के आश्रितों को 3 लाख रु. दिए जाते हैं। कार्रवाई में मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 15 लाख रु. का अनुग्रह मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, नक्सली हमलों में मारे गए असैनिकों तथा सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी-अपनी नीतियां हैं।

(घ) जब तक राज्य में नक्सलवाद की समस्या जारी है तब तक बिहार से सीएपीएफ की तैनाती को चरणबद्ध तरीके से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभिन्न राज्यों में आवश्यकताओं और विशिष्ट राज्यों द्वारा सीएपीएफ के उपयोग पर निर्भर करते हुए सीएपीएफ की तैनाती का स्तर बदलता रहता है।

(ङ) गया, औरंगाबाद और जमुई जिले नक्सली हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित हैं। नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्य के अन्य जिलों

में अरवाल, बांका, बेगुसराय, पूर्वी चम्पारन, जहानाबाद, कैमूर, खगरिया, लखीसराय, मुंगेर, मुज्जफरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, सारन, शिओहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्य योजना के तहत बिहार के कुल 11 जिलों को शामिल किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं के सृजन पर बल दिया जाता है। अब तक, स्कीम के तहत बिहार के लिए कुल 635.00 करोड़ रु. (दिनांक 25.04.2013 के अनुसार) की राशि जारी की गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु सड़क आवश्यकता योजना-I के अंतर्गत बिहार के लिए 674 किलोमीटर सड़क की मंजूरी दी गई है और दिनंक 04.04.2013 तक 475.00 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन की सघन मॉनीटरिंग है।

[हिंदी]

किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने संबंधी समिति

5719. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी:
श्री रेवती रमण सिंह:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की गयी आत्महत्याओं पर चिंता जतायी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों पर रिपोर्ट के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में श्वेत पत्र लाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मृत किसानों के संबंधियों को भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) किसानों के हित में विद्यमान कृषि नीति की समीक्षा करने और इसे संशोधित करने के लिए 2006 की रिट पिटीशन (सिविल) सं. 359 दायर की गई थी ताकि किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की कोई घटना न हो।

सरकार ने अपने शपथ पत्र में इस संबंध में सार्वजनिक निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने, ऋण की उपलब्धता बढ़ाने, 31 अभिज्ञात जिलों में विपत्ति को कम करने के लिए पुनर्वास पैकेज, प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिन्सों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा, कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा अन्य उपायों सहित की गई/की जा रही विभिन्न नीतिगत पहलों के बारे में स्पष्टीकरण दिया।

तदनुसार रिट पिटीशन को उच्चतम न्यायालय द्वारा 21.9.2010 को खारिज कर दिया गया।

(ग) से (च) जी, नहीं।

(छ) मृतक किसानों के संबंधियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित राज्य सरकार का प्राधिकार है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल चार राज्यों में 31 आत्महत्या संभावित जिलों के लिए 2006 में एक पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन किया था। इस पैकेज के तहत, इन राज्यों को 19998.85 करोड़ रु. (सितंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार) निर्मुक्त किए गए हैं। पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन के पश्चात् किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं में कमी की प्रवृत्ति रही है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों का उपयोग

5720. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित पांच कीटनाशकों में से चार अभी भी सब्जियों, फलों एवं अन्य कृषिगत उत्पादों में सामान्यतया पाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन फसलों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में सरकार द्वारा अधिकतम अवशेष सीमा निर्धारित नहीं की गई है;

(घ) क्या अध्ययन से यह पता चला है कि इन कीटनाशकों से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग संबंधी कृषि नीति बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग संबंधी कृषि नीति बनाने के पूर्व लोगों, विशेषज्ञों एवं राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) कुछ कीटनाशी जो प्रयोग के लिए दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं, हमारे देश में केवल प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के विस्तृत पुनर्मूल्यांकन के बाद प्रतिबंधों के साथ और प्रयुक्त किए जाने की अनुमति दी जा रही है।

(ग) स (छ) अब तक भारत में 241 कीटनाशी पंजीकृत किए गए हैं जिनमें 10 कीटनाशियों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) निर्धारित की जानी है। इसके अलावा, 44 कीटनाशी जो कृषि के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते जिनके लिए एक एमआरएल निर्धारित की जानी अपेक्षित नहीं है।

कृमिनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति में निर्णय लिया जा चुका है कि भविष्य में कीटनाशियों का पंजीकरण केवल एमआरएल के निर्धारण के पश्चात् हो। अब, केई नया कीटनाशी, बीज उपचार, परिवार, जन स्वास्थ्य तथा केवल निर्यात के लिए जैव कीटनाशी को छोड़कर, देश में प्रयोग के लिए बिना एमआरएल निर्धारण के पंजीकरण समिति द्वारा कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत नहीं किया जा रहा है।

कृमिनाशी अधिनियम, 1968 तथा इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कीटनाशकों के उत्पादकों के लिए प्रयोग के निर्देश, मात्रा, अवमिश्रण, प्रतीक्षा समय, सुरक्षा आदि के विवरण प्रत्येक पैक पर लेबल 'लीफलेट' प्रदान कराना अपेक्षित है।

यदि कीटनाशकों का प्रयोग सिफारिशों के अनुसार किया जाता है तो मानव तथा पशुओं को हानि की संभावना नहीं है। सरकार गैर रासायनिक प्रणालियों यथा कृषि संबंधी, यांत्रिकी, जैविकी आदि के माध्यम से कीटों, बीमारियों, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) की संकल्पना को प्रसिद्ध कर रही है। रासायनिक कीटनाशकों के न्यायसंगत प्रयोग तथा आवश्यकता के आधार पर अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग करने की संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त किसानों, कीटनाशकों तथा अन्य स्टेकहोल्डर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

कीटनाशी प्रबंधन विधेयक, जो राज्य सभा में विचाराधीन है, में विशिष्ट प्रावधान का प्रारूप तैयार किया गया है जो केवल एमआरएल निर्धारण के पश्चात् कीटनाशियों के पंजीकरण की मंजूरी देगा।

[हिंदी]

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को सुविधाएं

5721. **श्री देवजी एम. पटेल:**
श्री कीर्ति आजाद:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ) के कर्मियों को रक्षा सेनाओं के समकक्ष विभिन्न सुविधाएं, पेंशन और भत्ते देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें समान लाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मी और रक्षा कर्मी की सेवा दशाएं विभिन्न नियमों द्वारा शासित हैं। सीएपीएफ कर्मी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में उपलब्ध सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए पात्र हैं और रक्षा सेना कर्मी के बराबर नहीं माना जा सकता। भत्तों, राशन मनी भत्तों और कुछ मामलों में जोखिम/विपत्ति भत्तों, जैसाकि रक्षा कार्मिकों के लिए लागू हैं, के संबंध में सेना परिचालन के नियंत्रणाधीन अथवा सेना द्वारा परिभाषित क्षेत्रों/कॉर्डीनेट्स में तैनात किए गए सीएपीएफ कार्मिकों के लिए पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं। 9000 फुट और अधिक की ऊंचाई पर और/अथवा सेना द्वारा अधिक ऊंचाई के रूप में परिभाषित क्षेत्रों/कॉडीनेट्स में

तैनात सीएपीएफ कार्मिक को अधिक ऊंचाई (हाई अल्टीटयूड) भत्ता भी दिया जाता है। नक्सली, क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों, उग्रवाद विरोधी कार्रवाइयों आदि में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को सेना के बराबर अन्य जोखिम/विपत्ति भत्ते दिए जाते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वार्षिक कारोबार

5722. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का इसके घरेलू उपभोग एवं अन्य देशों में आयातित मात्रा की तुलना में कुल वार्षिक कारोबार संबंधी कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों/उद्यमियों को जल्द खराब होने वाले/जल्द खराब नहीं होने वाले कृषि उत्पादों जैसे अंगूर आदि के मूल्यवर्धन हेतु नयी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त करने तथा किसानों के समीप खाद्य प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) इस समय जिन खाद्य एवं संबंधित उत्पादों के लिए सूचना उपलब्ध है उनका वार्षिक आउटपुट एवं आयात निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपए)	आयात (मिलियन अमेरिकी डालर)
2009-10	6,02,467	10,905
2010-11	7,55,596	10,989
2011-12	9,48,751	14,859

स्रोत: राष्ट्रीय वार्षिक सांख्यिकी 2013 और डीजीसीआईएस, कोलकाता

(ग) से (ङ) सरकार, शृंखलाबद्ध उपायों जैसे बागवानी को प्रोत्साहन और तिलहनों, दालों, पॉम ऑयल, मक्का इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने के माध्यम से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देती रही है। जल्दी खराब होने वाले/जल्दी न खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए यूनिटें सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत प्रति परियोजना संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और पूर्वोत्तर एवं दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर से परंतु अधिकतम 75.00 लाख रुपए का अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन सीधे उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार एकीकृत शीत शृंखला का सृजन, परिरक्षण अवसंरचना, मेगा खाद्य पार्क के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है जो अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमियों को सहायता देती है। आशा है कि कृषि के विविधीकरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन से किसानों की आय में स्थायित्व आएगा और सुधार होगा।

[अनुवाद]

आभूषणों की दुकानों का सर्वेक्षण

5723. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने आभूषण की दुकानों के द्वारा बेचे गए आभूषणों की गुणवत्ता, कैरट, शुद्धता, हॉलमार्क आदि की जांच करने के लिए विगत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में छोटे और बड़े आभूषण की दुकानों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को धोखा देने के आरोप में पकड़ी गई दुकानों के मालिकों के विरुद्ध तथा देशभर में हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने के लिए कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां, भारतीय

मानक ब्यूरो ने हॉलमार्किंग स्कीम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्राप्त लाइसेंसी जौहरियों का बाजार सर्वेक्षण करवाया है, जिसके दौरान नमूनों को एकत्रित किया गया और संगत भारतीय मानकों के प्रति उनकी अनुरूपता जांचने के लिए परीक्षण किया गया।

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान (28/02/2013 तक), बाजार सर्वेक्षण के दौरान हालमार्क की गई वस्तुओं के 320 नमूने लिए गए। 69 नमूने संगत भारतीय मानकों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे।

(ग) और (घ) जब कोई नमूना खरा नहीं उतरता है तो लाइसेंसी जौहरियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है और की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सत्यापित किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 में किया जाने वाला संशोधन सरकार द्वारा हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की पूर्व शर्त है। इस समय भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012 की जांच खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जा रही है।

पीडीएस के खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

5724. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य राजसहायता बिल (एफएसबी) को कम करने के लिए राशन दुकानों के माध्यम से वितरित किए गए गेहूं और चावल के मूल्यों को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने मूल्यों को बढ़ाने के लिए मंत्रालय पर दबाव बनाने हेतु काफी हद तक एफएसबी पर जोर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राजसहायता पर उक्त पुनर्संरचना के प्रभाव का मूल्यांकन किया है जिसमें बहुत ही कम दाम पर खाद्यान्नों के वितरण की परिकल्पना की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार खाद्य राजसहायता बिल की वर्धित लागत की पूर्ति हेतु कृतसंकल्प है, जो कवर किए जाने वाले समस्त लाभभोगियों को राजसहायता प्राप्त दर पर खाद्यान्न प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन से संभावित है।

विशेष अदालतों की स्थापना

5725. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनु.जाति/अनु. जनजाति वर्गों पर अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि अत्याचार के मामलों में कमी लाकर दोषियों को दंडित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सहायता देकर जांच और अभियोजन एजेंसियों को सशक्त बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) और (ख) अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है, और इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का है।

पीओए अधिनियम की धारा 14 में प्रत्येक जिले के लिए अधिनियम के तहत अपराधों के त्वरित विचारण के लिए किसी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने की व्यवस्था की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,

पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों के त्वरित विचारण के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी विशिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, अन्य बातों के साथ-साथ, पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों के फास्ट ट्रैक अभियोजन के लिए विशिष्ट विशेष न्यायालयों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।

कीटनाशकों की खपत

5726. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों की खपत के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों की औसत प्रति हेक्टेयर खपत का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) कीटनाशकों की खपत मांग एवं उपलब्धता की समीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ प्रत्येक फसल मौसम के आरंभ में अंचलीय सम्मेलनों, जिनमें कीटनाशक उद्योग के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाते हैं, में की जाती है। पिछले तीन वर्षों में कीटनाशकों की खपत निम्नानुसार हुई:

वर्ष	खपत (मीट्रिक टन)
2010-11	55,540
2011-12	52,979 (संशोधित)
2012-13	45,386 (अनुमानित)

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित कीटनाशकों की राज्य वार खपत संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार की गई "भारतीय कृषि की स्थिति 2011-12" के अनुसार भारत में कीटनाशकों की प्रति हेक्टेयर खपत 381 ग्राम है जो कि 500 ग्राम की वैश्विक औसत की तुलना में कम है। भारत में कम खपत को विखंडित भू-जोतों का होना, मानसूनों पर निर्भरता, किसानों के बीच अपर्याप्त जागरूकता आदि के कारण माना जा सकता है।

विवरण

वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में रासायनिक कीटनाशकों की खपत

मि. टन (तक. श्रेणी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13 (13.2.2013 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8869	9289	6500
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	15	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	17	-
4.	असम	150	160	183

1	2	3	4	5
5.	बिहार	675	655	687
6.	चंडीगढ़	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	570	600	675
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-
9.	दमन और दीव	-	-	-
10.	दिल्ली	48	-	-
11.	गोवा	9	8	9
12.	गुजरात	2600	2190	1210
13.	हरियाणा	4060	4050	4050
14.	हिमाचल प्रदेश	328	310	320
15.	जम्मू और कश्मीर	1818	1711	-
16.	झारखंड	84	151	151
17.	कर्नाटक	1858	1412	1225
18.	केरल	657	807	856
19.	लक्षद्वीप	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	633	850	659
21.	महाराष्ट्र	8317	6723	6617
22.	मणिपुर	30	33	30
23.	मेघालय	10	9	-
24.	मिज़ोरम	4	4	4
25.	नागालैंड	-	15	16
26.	ओडिशा	871	555	601
27.	पुदुचेरी	39	38	40
28.	पंजाब	5730	5625	5725
29.	राजस्थान	3623	2802	1250

1	2	3	4	5
30.	सिक्किम	-	-	-
31.	तमिलनाडु	2361	1968	1919
32.	त्रिपुरा	12	266	-
33.	उत्तर प्रदेश	8460	8839	9035
34.	उत्तराखंड	199	206	220
35.	पश्चिम बंगाल	3515	3670	3390
	सकल योग	55540	52979	45386

स्रोत: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र [आदान पर क्षेत्रीय सेमिनार (पौध संरक्षण)]।

नागरिक परिषद् का गठन

5727. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध-दर घटाने हेतु देश में झारखंड सहित प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एक नागरिक परिषद् का गठन करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, ते तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, पंजीकरण और जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराधियों को अभियोजित करने तथा नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथपि, केन्द्र सरकार, अपराध की रोकथाम के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है और इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने और अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए यथावश्यक उपाय करने पर अधिक संकेन्द्रित ध्यान देने का सतत आग्रह करती रहती है।

अपराध की रोकथाम, पंजीकरण, जांच और अभियोजन के संबंध में दिनांक 16.07.2010 को राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सलाह दी गई है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस स्टेशनों में सामुदायिक परामर्श केन्द्रों (सीसीसी) की स्थापना करने पर विचार करें। सामुदायिक परामर्श केन्द्रों को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है।

सी.ए.पी.एफ में समय-पूर्व सेवानिवृत्ति

5728. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009 से 2012 की अवधि के बीच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कार्मिकों ने समय-पूर्व सेवानिवृत्ति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सूचित ऐसे कुल मामलों की बल-वार रैंक-वार, लिंग-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों को रोकने और सभी रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जैसाकि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) द्वारा रिपोर्ट दी गई है, वर्ष 2009-2012 की अवधि के बीच समय-पूर्व (स्वैच्छिक) सेवानिवृत्ति पर जाने वाले कार्मिकों के बल-वार, पद-वार, लिंग-वार और वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष		अधिकारी/जीओ*		जेसीओ/एसओ*		ओआर*		कुल
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	सीआरपीएफ	23	-	245	07	3292	28	3595
	बीएसएफ	32	-	217	-	6070	-	6319
	आईटीबीपी	02	01	44	01	605	-	653
	एसएसबी	02	-	53	04	305	-	364
	सीआईएसएफ	15	-	169	02	604	19	809
	एआर	01	-	82	01	1172	1	1257
2010	सीआरपीएफ	16	01	230	08	2522	27	2804
	बीएसएफ	18	-	171	-	5254	-	5443
	आईटीबीपी	02	-	42	02	418	-	464
	एसएसबी	07	-	49	-	391	-	447
	सीआईएसएफ	29	01	235	02	611	10	888
	एआर	-	-	18	-	715	03	736
2011	सीआरपीएफ	26	-	280	25	2026	26	2383
	बीएसएफ	26	-	202	-	5649	-	5877
	आईटीबीपी	04	-	42	01	342	-	389
	एसएसबी	01	-	35	01	276	-	313
	सीआईएसएफ	23	01	252	04	682	11	973
	एआर	-	-	20	02	774	04	800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	सीआरपीएफ	20	01	321	20	4491	23	4876
	बीएसएफ	19	-	225	-	3227	-	3471
	आईटीबीपी	08	-	78	02	256	-	344
	एसएसबी	04	-	62	-	381	-	447
	सीआईएसएफ	23	01	230	01	778	07	1040
	एआर	-	-	24	01	351	02	378
	कुल	301	06	3326	84	41192	161	45070

(*जीओ-राजपत्रित अधिकारी, *जेसीओ/एसओ-कनिष्ठ कमांडिंग अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी, *ओआर-अन्य पद)

(ग) से (ङ) उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले कार्मिकों की कुल संख्या केवल 45070 है, जो प्रति वर्ष बल संख्या का केवल लगभग 1.35% है। सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले कार्मिक मुख्य रूप से विभिन्न व्यक्तिगत और घरेलू कारणों से गए हैं जिसमें, बच्चों/परिवार के मुद्दे, स्वयं अथवा परिवार के स्वास्थ्य/बीमारी, सामाजिक/पारिवारिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं आदि शामिल हैं। सरकार ने कार्मिकों की सेवा दशाओं में सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) पारदर्शी, विवेकी और निष्पक्ष छुट्टी नीति का कार्यान्वयन;

(ii) अपनी जरूरी घरेलू समस्याओं/मुद्दों/आवश्यकताओं को सुलझाने हेतु बल के कार्मिकों को छुट्टी मंजूर करना;

(iii) उनकी समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कमांडरों अधिकारियों और दलों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, निरंतर बातचीत;

(iv) शिकायत निवारण मशीनरी को नए तरीके से तैयार (रिवैम्प) करना;

(v) पर्याप्त विश्राम और राहत सुनिश्चित करने हेतु कार्य घंटों को नियमित करना;

(vi) टुकड़ियों और उनके परिवारों के लिए मूलभूत सुख-साधन/सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से रहने की स्थितियों में सुधार करना;

(vii) अधिक जोखिम, विपत्ति और अन्य भतों के माध्यम से बलों को प्रेरित करना;

(viii) अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहने और दूरस्थ स्थलों में तनाव को कम करने के लिए दलों को एसटीडी टेलिफोन सुविधाओं का प्रावधान;

(ix) विशिष्ट सुविधाओं के साथ संयुक्त अस्पताल आरंभ करने सहित दलों और उनके परिवारों हेतु बेहतर मेडिकल सुविधाएं;

(x) उनकी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श का आयोजन करना;

(xi) बेहतर तनाव प्रबंधन हेतु योगा और मेडिटेशन कक्षाएं;

(xii) दलों और उनके परिवारों को केन्द्रीय पुलिस कैंटीन सुविधा, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति आदि जैसे कल्याणकारी उपाय उपलब्ध करना;

(xiii) सीएपीएफ के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व सीएपीएफ कार्मिक का दर्जा देना, जिससे विद्यमान सीएपीएफ

कार्मिकों का मनोबल बढ़ने की संभावना है और बेहतर पहचान, समुदाय की पहचान उपलब्ध कराने की भी आशा है जिसके फलस्वरूप भूतपूर्व सीएपीएफ कार्मिकों को समाज में अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा।

रिक्त पदों को भरना एक निरंतर प्रशासनिक प्रक्रिया है। और इन्हें शीघ्र से शीघ्र भरने के लिए तत्काल और समय पर कार्रवाई की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), मेडिकल अधिकारी चयन बोर्ड (एमओएसबी) और अन्य भर्ती बोर्डों तथा संबंधित बलों की विभागीय चयन समितियों (डीएससी) के माध्यम से सीएपीएफ और एआर द्वारा नियमित भर्ती प्रक्रिया की जाती है। जहां कहीं और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, भर्ती रैलियां भी आयोजित की जाती हैं।

[हिंदी]

खाद्यान्न की खरीद

5729. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद और उनके वितरण हेतु सरकार द्वारा कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) लक्षित लाभार्थियों द्वारा वास्तव में कितने प्रतिशत राजसहायता का उपभोग किया गया है; और

(ग) उपभोक्ताओं को अधिकतम राजसहायतांश सुलभ कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणली के अंतर्गत वितरण के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं अर्थात् खाद्य तेल, चीनी आदि की खरीद के लिए राजसहायता प्रदान करती है। भारतीय खाद्य निगम तथा विकेन्द्रीकृत खरीद स्कीम (डीसीपी) के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद करने वाले राज्यों को चावल एवं गेहूं के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के अंतर की प्रतिपूर्ति करने हेतु राजसहायता निर्गत की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर (एपीएल), गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभभोगियों को गेहूं और चावल के वितरण के लिए दी गई राजसहायता की दरों का ब्यौरा नीचे दिय गया है:

(रुपए/प्रति क्विंटल)

स्कीम	आर्थिक लागत	केन्द्रीय निर्गम मूल्य	राजसहायता की दर
	गेहूं		
एपीएल	1798.96		1188.96
बीपीएल	1798.96		1383.96
एएवाई	1798.96		1598.96
	चावल		
एपीएल	2351.22		1521.22
बीपीएल	2351.22		1786.22
एएवाई	2351.22		2051.22

जहां तक चीनी का संबंध है, भारत सरकार ने चीनी की वितरण लागत की प्रतिपूर्ति के अलावा राज्यों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्विपीय राज्यक्षेत्रों के लिए जिस मूल्य पर लेवी चीनी की खरीद की जाती है, उस मूल्य तथा 13.50 रुपए की दर से चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य के अंतर के समतुल्य राजसहायता प्रदान की है। वर्ष 2012-13 के उत्पादन से राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण के लिए 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम के अपरिवर्तित खुदरा निर्गम मूल्य की तुलना में 18.50 रुपए की समावेशी राजसहायता प्रदान की जा रही है।

खाद्य तेलों के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम के अंतर्गत नामित केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी तथा नेफेड एवं एनसीसीएफ जैसी अन्य एजेंसियां खाद्य तेलों का आयात कर रही हैं; सहभागी राज्य तेल की लागत, परिवहन तथा पैकेजिंग लागत का वहन करते हैं जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा राजसहायता लाभभोगियों को सीधे जारी नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे उगाने वाले किसान

5730. श्री वरूण गांधी:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों की संख्या का कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2011-12 के दौरान देश में 53616 औषधीय पौधे उगाने वाले किसान हैं। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2010-11 तथा 2011-12 के दौरान औषधीय पौधों को उगाने वाले किसानों की संख्या

राज्य	किसानों की संख्या	
	2010-11	2011-12
1	2	3
आंध्र प्रदेश	5547	275
अरुणाचल प्रदेश	161	765
असम	1554	1097
बिहार	150	1990
छत्तीसगढ़	184	1044
गुजरात	98	1340
हरियाणा	265	570
हिमाचल प्रदेश	142	954
जम्मू और कश्मीर	375	167
झारखंड	2300	1387
कर्नाटक	407	2821
केरल	159	939
महाराष्ट्र	728	647
मिज़ोरम	280	485
मध्य प्रदेश	17913	6533
मणिपुर	70	1269
मेघालय	42	188
नागालैंड	290	1040
ओडिशा	650	3183
राजस्थान	24	356
सिक्किम	1200	1510
तमिलनाडु	2870	8315
उत्तर प्रदेश	214	14530
उत्तराखंड	457	1134
पश्चिम बंगाल	1348	1077
कुल	37428	53616

स्रोत: राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

अमोनियम नाइट्रेट की निगरानी

5731. श्री के. सुगुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना अमोनियम नाइट्रेट का व्यापार करने वाले सभी उत्पादकों, ट्रांसपोर्टरों, आयातकों और निर्यातकों के विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत जारी लाइसेंस रद्द करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निरीक्षण अभियान शुरू करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से विस्फोटक ले जाने वाले ट्रकों हेतु सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने को कहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 को दिनांक 11 जुलाई, 2012 के जीएसआर 553 (ई) के माध्यम से विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अधिसूचित किया गया हे, जिसके अनुसार अमोनियम नाइट्रेट के सभी निर्माताओं, परिवर्तकों; उपयोगकर्ताओं, परिवहन परिचालकों, मालवाहक मजदूरों, विक्रेताओं, मालिकों, आयातकों एवं निर्यातकों को इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा और एक वर्ष की अवधि के भीतर इनके प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि 10 जुलाई, 2013 के बाद उपयुक्त लाइसेंस के बगैर उपरोक्त किसी प्रकार की गतिविधि की मंजूरी न दी जाए।

(ग) और (घ) सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे अमोनियम नाइट्रेट सहित सभी प्रकार के विस्फोटकों के सभी निर्माताओं एवं डीलरों के स्टॉक और बिक्री की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ङ) और (च) जी, हां। सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विस्फोटकों की ढुलाई करने वाले वाहनों को हमेशा जिलों के क्षेत्राधिकार के भीतर जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए सशस्त्र गार्डो द्वारा एस्कॉर्ट किया जाए।

कोयला क्षेत्र में विदेशी भागीदारी

5732. श्री अशोक तंवर: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो ऑस्ट्रेलियाई और अनेक अन्य विदेशी खनन कंपनियों ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) हेतु कोयला खानें विकसित करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इनके साथ प्रतिभागी बनने वाली ऐसी विदेशी कंपनियों और सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विकसित किए जाने वाली कोलफील्ड परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संयुक्त उद्यम के जरिए कितने कोयले का उत्पादन का अनुमान है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) ऑस्ट्रेलिया की दो कंपनियों नामत: लेटन ग्रुप के भाग के रूप में लेटन वेल्सपन कान्ट्रेक्टर्स प्रा.लि.; तथा थीस प्रा.लि. ऑस्ट्रेलिया की सहायक कंपनी थीस इंडिया प्रा.लि. ने चर्चा में भाग लिया तथा कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की ओपन कास्ट खानों के लिए खान विकासकर्ता एवं प्रचालक (एमडीओ) के चयन हेतु प्रारूप अर्हता अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेज पर अपनी टिप्पणी दी है।

इसके अतिरिक्त, सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में भूमिगत खानें (यूजी) विकसित करने के लिए लायी गई वैश्विक बोली में निम्नलिखित विदेशी कंपनियां सफल हुई हैं:

- बीबीबी, ब्रिटिश कंपनी एएमआर, हैदराबाद से जुड़ी है तथा 2.0 एमटीवाई वार्षिक आउटपुट के लिए कपूरिया यूजी परियोजना, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के साथ कार्य करेगी।
- बीएचईसी, चीन, एमआईएनओपी इन्नोवेटिव कंपनी, कोलकाता के साथ जुड़ी है तथा 2.0 एमटीवाई वार्षिक आउटपुट के लिए मुरियाडीह यूजी परियोजना, बीसीसीएल के साथ कार्य करेगी।
- बुसाइरस, ब्रिटिश कंपनी, इंदु हैदराबाद एवं सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लि. (एससीसीएल) के साथ जुड़ी है तथा 2.5 एमटीवाई वार्षिक आउटपुट के लिए मूनीडिह यूजी परियोजना, बीसीसीएल के साथ कार्य करेगी।
- कोडको, चीनी कंपनी, 1.7 एमटीवाई के लिए झांझरा फेज-2, लांगवाल खान के लिए काम करेगी।

(ग) मुरियाडिह यूजी खान के लिए परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है जबकि कपूरिया एवं मूनीडिह यूजी खानों के लिए प्रारूप परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की झांझरा यूजी खान के मामले में संविदा पर जनवरी, 2013 में हस्ताक्षर हुए हैं।

हेरोइन की तस्करी

5733. श्री शैलेन्द्र कुमारः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सकीय प्रयोजनों हेतु उगाई जा रही अफीम के पार्टियों हेतु किए जा रहे दुरुपयोग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में हाल ही में हेरोइन उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि चिकित्सकीय प्रयोजन के लिए उगायी जा रही अफीम को देशभर की पार्टी सर्किटों को भेजे जाने से संबंधित किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) देश में भंडाफोड़ किए गए संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वाली हेरोइन रिंगों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ङ) इस संबंध में मोटे तौर पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

हेरोइन जब्तियां जिनमें भारत-पाकिस्तान सीमा पर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया

क्र.सं.	जब्ती की तारीख	जब्त करने वाली एजेंसी	गिरफ्तार व्यक्ति	राष्ट्रीयता	मादक पदार्थ का नाम	कि.ग्रा.	ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	24.01.2013	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अमृतसर, पंजाब	भूपेन्द्र सिंह सुखदीप सिंह	भारत	हेरोइन	14	980
2.	25.01.2013	राजस्व आसूचना निदेशालय, अमृतसर, पंजाब	बचन सिंह	भारत	हेरोइन	7	838
3.	14.03.2013	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अमृतसर, पंजाब	दयाल सिंह	भारत	हेरोइन	0	750
			अनूप सिंह कहलोन	भारत	एटीएस	3	0
4.	03.03.2013 से 31.03.2013	पंजाब पुलिस फतेहगढ़ साहिब, पंजाब	चन्द्र प्रकाश यादव	भारत	हेरोइन	28	540
			गबर सिंह	भारत	अफीम	2	600

1	2	3	4	5	6	7	8
			कुलविंदर सिंह	भारत	रसायन		
			मानप्रीत सिंह	भारत			
			परमजीत सिंह गुलाटी	भारत			
			संदीप सिंह	भारत			
			सुनील कतियाल	भारत			

विवरण-II

1. इसके अतिरिक्त, हाल ही में कुछ हेरोइन विनिर्माण सुविधाओं का पता लगाया गया और उन्हें नष्ट किया गया, जिसमें निर्मित मादक पदार्थ म्यांमार और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जब्त किया गया था। इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय लिंक की आशंका है जो अभी तक साबित नहीं हुआ है अथवा सूचित नहीं किया गया है। तथापि, ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(क) दिनांक 30.03.2012 को एनसीबी इम्फाल के अधिकारियों ने 28 असम राइफल्स द्वारा उपलब्ध कराई गई संभारिकी सहायता से मणिपुर के थाउबल जिले में एक अवैध हेरोइन विनिर्माण यूनिट का पता लगाया और उसे नष्ट किया। अभियान के दौरान, चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और स्थल से निम्नलिखित पदार्थ जब्त किए गए:

1. मार्फिन : 6 किग्रा.
2. हेरोइन : 1 किग्रा.
3. अफीम : 1 किग्रा.
4. कच्चे माल से हेरोइन तैयार करने के लिए उपकरण और रसायन।

(ख) दिनांक 26.04.2013 को एनसीबी इम्फाल के अधिकारियों ने 28 असम राइफल्स द्वारा उपलब्ध कराई गई संभारिकी सहायता से मणिपुर के थाउबल जिले में एक परित्यक्त झोपड़ी में चल रही एक अवैध हेरोइन निर्माण यूनिट पकड़ी तथा उसे नष्ट किया। अभियान के दौरान स्थल से निम्नलिखित पदार्थ जब्त किए गए:

1. मार्फिन : 62 किग्रा.
2. अफीम : 08 किग्रा.
3. कच्चे माल से हेरोइन तैयार करने के लिए उपकरण और रसायन।

(ग) दिनांक 09.11.2012 को देहरादून सब जोन के अधिकारियों ने प्रारंभ में 500 ग्राम हेरोइन जब्त की।

- इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह मादक पदार्थ उसने जरीफ मियां नामक एक व्यक्ति से खरीदा था जो रामपुर स्थिति अपने मकान में चोरी-छिपे हेरोइन निर्माण की एक यूनिट चला रहा है।
- अनुवर्ती कार्रवाई में जरीफ खान के मकान की तलाशी ली गई और यहां से अपराध संबंधी सामग्री प्राप्त हुई जिससे गुप्त प्रयोगशाला की मौजूदगी की बात सिद्ध हुई।
- इस स्थल से जब्त अवैध मादक पदार्थ निम्नानुसार थे:

(क) 4 ग्राम वजन वाली पाउडर हेरोइन

(ख) ग्रैन्यूल हेरोइन 04 ग्राम

(ग) अफीम 04 ग्राम

(घ) अवैध कट 720 ग्राम

(ङ) अफीम डेरीवेटिव 210 कि.ग्रा.

(च) अल्प्राजोलम 4.210 कि.ग्रा.

(छ) एसेटिक एन्हाइड्राइड 816 ग्राम

विवरण-III

इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नलिखित हैं:

- मादक पदार्थों के ज्ञात मार्गों पर निवारण तथा रोक संबंधी गहन प्रयास।
- आयात तथा निर्यात संबंधी स्थलों पर कड़ी चौकसी और प्रवर्तन।
- विभिन्न मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय ताकि रोक लगाए जाने में बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सके।
- प्रचालन संबंधी आसूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार को बेहतर बनाने के लिए आसूचना संबंधी तंत्र का सुदृढ़ीकरण
- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने अफीम की अवैध खेती की पहचान करने तथा उसे नष्ट करने के लिए केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो तथा संबंधित राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के समन्वय के साथ एक कार्रवाई योजना तैयार की है। इस कार्रवाई योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अफीम की अवैध खेती वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सैटेलाइट चित्रों का उपयोग तथा अफीम की अवैध खेती वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा उन्हें नष्ट करने और अफीम की अवैध खेती में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जिला स्तर के अधिकारियों की साझा टीमों का गठन शामिल है।
- स्वापक पदार्थों एवं मनःप्रभावी पदार्थों तथा प्रिकर्सर केमिकल्स की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना तथा अन्वेषी सहायता का आदान-प्रदान।
- पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले दक्षिण-पश्चिम एशिया के लिए निर्धारित हीरोइन की जब्ती के मामले को नियमित रूप से एएनएफ पाकिस्तान के साथ उठाया जा रहा है।
- यह ब्यूरो, मादक पदार्थों से संबंधित अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों, राज्य पुलिस और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय एवं संपर्क करके मांग न्यूनीकरण गतिविधियां भी चलाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जून को आयोजित मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दौरान मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरे का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है।
- मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के संबंध में कौशल को और विकसित करने के उद्देश्य से विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- पात्र राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपनी स्वापक यूनिटों का सुदृढ़ीकरण कर सकें।
- अभियुक्त के विरुद्ध वित्तीय जांच एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय VI-क के तहत की जाती है और अभियुक्त तथा उसके सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उस पर रोक लगाई जाती है तथा वह समापहृत कर ली जाती है।
- इस प्रकार की सूचना, जिससे स्वापक पदार्थों की जब्ती हो पाती है, को देने वाले मुखबिरों और अधिकारियों के लिए आर्थिक पुरस्कार प्रदान करने संबंधी योजना कार्यान्वित की जा रही है।

खाद्यान्नों का अधिशेष स्टॉक

5734. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री मुरारी लाल सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिशेष स्टॉक में सामान्य आवश्यकता, बफर मानदंडों और नीतिक लक्ष्य से अधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वार्षिक आवश्यकता, बफर मानदंडों, रणनीतिक भंडार और वास्तविक अधिशेष स्टॉक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिशेष स्टॉक के कारण देश में महंगाई/मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार का महंगाई तथा क्षति के कारण होने वाली हानि को रोकने हेतु इस अधिशेष स्टॉक का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) दिनांक 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार 212 लाख टन के बफर मानकों के मुकाबले केंद्रीय पूल में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान खाद्यान्नों का स्टॉक 576.75 लाख टन था। (इसमें 20 लाख टन चावल और 30 लाख टन गेहूं का कार्यनीतिक रिजर्व भी शामिल है) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बफर मानकों की तुलना में केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक और अधिशेष स्टॉक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) दरअसल बफर मानकों के अलावा खाद्यान्नों के अतिरिक्त स्टॉक के कारण मूल्यवृद्धि/मुद्रास्फीति नहीं हुई है। खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने और खाद्यान्नों की क्षति के कारण होने वाली हानि को रोकने के लिए भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अतिरिक्त आबंटन करने के लिए अतिरिक्त स्टॉक का उपयोग किया है। खुले बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत और भी आबंटन किए गए हैं।

चालू वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार ने टीपीडीएस और ओडब्ल्यूएस के अंतर्गत अब तक 463.95 लाख टन की मात्रा निर्गत है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों को लगभग 61 लाख टन खाद्यान्न और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 50 लाख टन खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन किए जाने का भी प्रस्ताव है।

सरकार ने नवंबर, 2012-मार्च, 2013 के दौरन ओएमएसएस के अंतर्गत 10 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है और जुलाई 2012-मार्च, 2013 के दौरान थोक उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को ओएमएसएस संविदा बिक्री के अंतर्गत 95 लाख गेहूं का आबंटन किया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान न्यूनतम बफर मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल की स्टॉक स्थिति तथा उपलब्ध अधिशेष स्टॉक

(लाख टन में)

निम्न तारीख को	गेहूं		चावल		जोड़		बफर मानदंडों से अधिक स्टॉक
	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2010	70.00	161.25	142.00	267.13	212.00	428.38	216.38
1.7.2010	201.00	335.84	118.00	242.66	319.00	578.50	259.50
1.10.2010	140.00	*277.77*	72.00	184.44	212.00	462.21	250.21
1.1.2011	112.00	215.40	138.00	255.80	250.00	471.20	221.20
1.4.2011	70.00	153.64	142.00	288.20	212.00	441.84	229.84
1.7.2011	201.00	371.49	118.00	268.57	319.00	640.06	321.06
1.10.2011	140.00	314.26	72.00	203.59	212.00	517.85	305.85
1.1.2012	112.00	256.76	138.00	297.18	250.00	553.94	303.94
1.4.2012	70.00	199.52	142.00	333.50	212.00	533.02	321.02
1.7.2012	201.00	498.08	118.00	307.08	319.00	805.16	486.16

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.2012	140.00	431.52	72.00	233.73	212.00	665.25	453.25
1.1.2013	112.00	343.83	138.00	322.21	250.00	666.04	416.04
1.4.2013	70.00	242.07	142.00	354.68	212.00	596.75	384.75

बफर मानदंडों में दिनांक 1.7.2008 से गेहूं का 30 लाख टन और दिनांक 1.1.2009 से चावल का 20 लाख टन खाद्य सुरक्षा रिजर्व शामिल हैं।

[हिंदी]

एससीएसपीके अंतर्गत निधियों का अन्यत्र उपयोग

5735. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत आबंटित निधियों का अन्यत्र उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त निधियों का अन्य योजनाओं हेतु उपयोग किया है; और

(ग) ऐसे राज्यों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटी) द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत कथित रूप से निधियों के अन्यत्र रूप से उपयोग के बारे में इसे सूचना प्राप्त हुई है। योजना आयोग ने एससीएसपी निधियों के अन्यत्र रूप से उपयोग के मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ उठाया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अन्यत्र उपयोग की गई राशि को वापिस करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्ति कौशल विकास संबंधी समझौता

5736. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम और भारतीय पर्यटन विकास निगम ने आतिथ्य क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौते के निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) देश के विभिन्न भागों में उक्त समझौते के अंतर्गत कितने नि:शक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना है; और

(घ) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा ऐसे कुशल व्यक्तियों को अपने विभिन्न संस्थानों में किस प्रकार नियुक्त किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) तथा भारतीय पर्यटन और विकास निगम (आईटीडीसी) के बीच दिनांक 20.2.2013 को आतिथ्य क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकस के लिए एक करार संपन्न हुआ था। इस करार की मुख्य विशेषताएं दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें आईटीडीसी द्वारा ऐसी कुशल जनशक्ति को रोजगार देने की संभावना का तरीका बताया गया है।

देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या इस करार में निर्दिष्ट नहीं की गई है।

विवरण

एनएचएफडीसी तथा अशेक इंस्टीट्यूट ऑफ होस्पिटेलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट (एआईएच एंड टीएम), भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) का एक प्रभाग के बीच संपन्न समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं

1. 'समझौत ज्ञापन'' का उद्देश्य

इस 'समझौता ज्ञापन'' का मूल उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की नियोज्यता सृजित करने के प्रयोजनार्थ जब कभी अपेक्षित हो,

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके "समझौता ज्ञापन" के दोनों पक्षकारों की संबंधित जनशक्ति, संसाधन, विशेषज्ञता और सद्‌भावना को संगठित करना है।

2. इस कार्यक्रम का प्रयोजन

पर्यटन मंत्रालय/एनएचएफडीसी/भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों/सहायता का उपयोग करके भारत में समग्र आतिथ्य सत्कार उद्योग के लिए संसाधन विकसित करना और "एआईएच एंड टीएम", "आईटीडीसी" के होटल/रिसार्ट की अवसंरचना सुविधाओं तथा संकाय का उपयोग तथा ऐसी अवसंरचना सुविधाओं जैसा कि एआईएच एंड टीएम अनुमोदित करे, का भी उपयोग करना।

3. अवधि

यह "समझौता ज्ञापन" प्रारंभिक रूप से इस पर हस्ताक्षर होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए है और यह इसके पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति के अनुसार शर्तों और निर्बंधनों के आधार पर अगली अवधि (अवधियों) के लिए बढ़ाया जा सकता है।

4. प्रतिफल

जिसके प्रतिफल में "एआईएच एंड टीएम" पैरा 5 में दिए गए पाठ्‌यक्रमों के अंतर्गत उनके पात्रता मानदंडों के अनुसार "एनएचएफडीसी" द्वारा चयनित युवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहमत होता है।

5. उत्तरदायित्व

"एआईएच एंड टीएम" परिभाषित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार निम्नलिखित दो पाठ्‌यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहमत हैं:

पाठयक्रम 1

भाग क: हुनर से रोजगार के अंतर्गत 6/8 सप्ताह का प्रशिक्षण-पर्यटन मंत्रालय का एक प्रायोजित कार्यक्रम 'एआईएच एंड टीएम" द्वारा अपने सहयोगियों के साथ-साथ अपनी स्वयं की संपत्तियों अथवा "एआईएच एंड टीएम" द्वारा यथा अनुमोदित अन्य स्थानों पर, क्रमशः खाद्य और पेय पदार्थ सेवाओं/खाद्य उत्पादन/हाउस कीपिंग एंड यूटीलिटी सेवाएं/बेकरी तथा पेटीसेरी।

भाग ख: सरल कौशल पर 4 सप्ताह प्रशिक्षण को 120 घंटे में पूर्ण किया जाना। भाग ख का प्रशिक्षण भाग क के सफलता-पूर्वक पूर्ण करने तथा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के पश्चात् आरंभ किया जाएंगा 6/8 सप्ताह हुनर से रोजगार प्रशिक्षण (भाग क) के लिए कोई प्रभार नहीं है चूंकि यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।

चार सप्ताह प्रशिक्षण (भाग ख) के लिए एनएचएफडीसी से प्रति उम्मीदवार 7200 रुपए प्रभारित किए जाने हैं।

एनएचएफडीसी, गैर-सरकारी संगठनों तथा एनएचएफडीसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा विद्यार्थी प्रायोजित किए जाएंगे। तथापि, विद्यार्थियों को प्रायोजित करने के लिए, यदि कोई विज्ञापन (डीएवीपी दरों) प्रकाशित किया जाता है तो इसकी लागत आईटीडीसी द्वारा वहन की जाएगी।

एआईएच एंड टीएम अपने सहयोगियों के माध्यम से न्यूनतम 70% बैच को 3000 रुपए से 4000 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर उनकी क्षमता पर निर्भर करते हुए रोजगार में भर्ती करेंगे, किसी सफल प्रशिक्षु के लिए रोजगार प्रस्ताव नियोक्ता के भवन इत्यादि के सुगमता घटक को ध्यान में रखते हुए तथा निम्नलिखित के अध्यधीन दिया जाना चाहिए:

- उम्मीदवार उसके लिए प्रस्ताव किए गए रोजगार से इंकार न करे।
- उम्मीदवार की प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम 90% उपस्थिति होना अनिवार्य है।
- आईटीडीसी द्वारा 70% से नीचे प्लेसमेंट के मामले में, दावा की गई देय धनराशि की निर्मुक्ति के लिए आईटीसी द्वारा दिए गए कारणों के आधार पर सीएमडी, एनएचएफडीसी निर्णय लेंगे।

प्रशिक्षण सामग्री के साथ-साथ सभी प्रशिक्षण अवसंरचना तथा प्रशिक्षण आईटीडीसी अथवा उसके सहयोगियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

पाठ्‌यक्रम 2 (विशिष्टीकृत)

भाग क: हुनर से रोजगार के अंतर्गत 6/8 सप्ताह प्रशिक्षण-"एआईएच एंड टीएम" द्वारा अपने सहयोगियों के साथ-साथ अपनी स्वयं की संपत्तियों अथवा "एआईएच एंड टीएम" द्वारा यथा अनुमोदित अन्य स्थानों पर, क्रमशः खाद्य और पेय पदार्थ सेवा/खाद्य उत्पादन में।

भाग ख: इसके पश्चात् विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में से किसी में 6 माह का विशिष्टीकृत प्रशिक्षण लेने के लिए विकल्प है:

- हाउस कीपिंग सहित अवास

– खाद्य एवं पेय पदार्थ सेवा

– खाद्य उत्पादन

– फ्रंट कार्यालय

– बेकरी एवं कंफेक्शनरी

छह माह प्रशिक्षण में पांच माह विशिष्टीकृत प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम-1 के अनुसार उसी सिलेबस के अनुसार एक माह में पूर्ण किया जाना वाला 120 घंटे का कौशल प्रशिक्षण शामिल है। भाग ख में प्रशिक्षण भाग क प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत आरंभ होगा।

6/8 सप्ताह के हुनर से रोजगार प्रशिक्षण के लिए कोई प्रभार नहीं चूंकि यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।

विशिष्टीकृत प्रशिक्षण के लिए एनएचएफडीसी से प्रति उम्मीदवार 6 माह के लिए 32000 रुपए प्रभारित किए जाने हैं।

एनएचएफडीसी, गैर-सरकारी संगठनों तथा एनएचएफडीसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा विद्यार्थी प्रायोजित किए जाएंगे। तथापि, विद्यार्थियों को प्रायोजित करने के लिए, यदि कोई विज्ञापन (डीएवीपी दरों) प्रकाशित किया जाता है तो इसकी लागत आईटीडीसी द्वारा वहन की जाएगी।

एआईएच एंड टीएम अपने सहयोगियों के माध्यम से न्यूनतम 70% बैच को 5500 रुपए से 8000 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर उनकी क्षमता पर निर्भर करते हुए रोजगार में भर्ती करेंगे, किसी सफल प्रशिक्षु के लिए रोजगार प्रस्ताव नियोक्ता के भवन इत्यादि के सुगमता घटक को ध्यान में रखते हुए तथा निम्नलिखित अध्यधीन दिया जाना चाहिए:

– उम्मीदवार उसके लिए प्रस्ताव किए गए रोजगार से इंकार न करे।

– उम्मीदवार की प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम 90% उपस्थिति होना अनिवार्य है।

– आईटीडीसी द्वारा 70% से नीचे प्लेसमेंट के मामले में, दावा की गई देय धनराशि की निर्मुक्ति के लिए आईटीसी द्वारा दिए गए कारणों के आधार पर सीएमडी, एनएचएफडीसी निर्णय लेंगे।

प्रशिक्षण सामग्री के साथ-साथ सभी प्रशिक्षण अवसंरचना तथा प्रशिक्षक आईटीडीसी अथवा उसके सहयोगियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

एआईएच एंड टीएम संबंधित पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाएं आयोजित करेगा और तथा आईटीडीसी और एनएचएफडीसी के संयुक्त लोगों के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करेगा।

6. **''एनएचएफडीसी''**

(क) इस योजना के अंतर्गत अपनी लागत पर विद्यार्थी नामांकन के लिए विज्ञापन तैयार और प्रकाशित करेगा।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयन पात्रता मानदंडों के अनुसार है, उपयुक्त कार्मिक नियुक्त करके इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों की चयन सूची बनाने में एआईएच एंड टीएम की सहायता करेगा। प्रशिक्षुओं का चयन प्रत्येक केंद्र पर एनएचएफडीसी, एआईएच एंड टीएम और एनएचएफडीसी की संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों से बनी समितियों द्वारा किया जाएगा। यह समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और अभ्यर्थियों की एक अंतिम सूची बनाएगी।

(ग) इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के प्रथम वर्ष में प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रस्तावित विद्यार्थियों की कुल संख्या के लिए आईएएच एंड टीएम को किए जाने वाले 50% अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करेगा। शेष 50% कुल विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के पूर्ण होने के उपरांत निर्मुक्त की जाएगी।

(घ) किसी मसले पर आईएएच एंड टीएम के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

(ङ) एनएचएफडीसी पाठ्यक्रम-1 और पाठ्यक्रम-2 के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए 1000 रुपए प्रति माह की दर से प्रति प्रशिक्षु वजीफा प्रदान करेगा। वजीफा धनराशि पाठ्यक्रमों के आरंभ होने के उपरांत एआईएच एंड टीएम केंद्रों को एनएचएफडीसी द्वारा निर्मुक्त की जाएगी। बदले में वजीफा धनराशि एआईएच एंड टीएम केंद्रों द्वारा अंतिम लाभार्थियों को 90% उपस्थिति प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु के पूर्ण करने के उपरांत मासिक आधार पर निर्मुक्त की जाएगी।

अवैध निर्माणों को विनियमित करना

5737. **श्री रतन सिंह:**
श्री एस. अलागिरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनाधिकृत/अवैध निर्माणों की पहचान और नियंत्रण हेतु कोई प्रणाली/अवसंरचना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अवसंरचना/प्रणाली का उपयोग करते हुए अनाधिकृत/अवैध निर्माण की पहचान

करने में अब तक कितनी सफलता प्राप्त की गई है और इस संबंध में सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) में, प्रवर्तन भवन विनियमन (ईबीआर) विभाग और दिल्ली नगर निगमों (डीएमसी) में भवन विभाग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत/अवैध निर्माणों का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने का कार्य सौंपा गया है। अवैध/अनधिकृत निर्माणों के संबंध में दिल्ली पुलिस भू-स्वामी एजेंसियों अर्थात् डीएमसी और एनडीएमसी को सूचित करती है, जो क्रमशः डीएमसी अधिनियम, 1957 और एनडीएमसी अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार करती हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पता लगाए गए अनधिकृत/अवैध निर्माणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	पता लगाए गए अनधिकृत/ अवैध निर्माणों की संख्या
2010	20152
2011	30035
2012	29203
2013 (28.02.2013 तक)	4500

[हिंदी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गुट

5738. श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी गुटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ ऐसी खबरें हैं कि उक्त गुट चीन सहित पड़ोसी देशों से हथियारों, गोला-बारूद, प्रशिक्षण और धन के रूप में सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार विदेश में बने हथियार बरामद करने के कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) उक्त सांठ-गांठ को तोड़ने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विच्छिन्न (स्प्लिंटर ग्रुप) समूहों सहित लगभग 79 उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। इन समूहों के नाम संलगन विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ऐसी जानकारियां हैं कि भारत के उत्तर-पूर्व में सक्रिय उग्रवादी समूह चीन स्थित यूनान प्रदेश, म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के हथियार-तस्करों के माध्यम से हथियारों का प्रापण कर रहे हैं।

(ग) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार उग्रवादियों से बरामद किए गए विदेशी हथियारों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मणिपुर/नागालैंड	अरुणाचल प्रदेश	असम	मिज़ोरम	त्रिपुरा	मेघालय
2010	23	-	03	14	04	04
2011	40	02	09	17	01	06
2012	87	10	26	21	04	09
2013	36	01	124	05	02	05

(घ) सुरक्षा बलों द्वारा भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण रख जाता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त की जाती है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने से हथियारों की तस्करी

और सीमा पार से होने वाली अन्य अवैध गतिविधियों पर काबू पाने में सहायता मिली है। सीमा पार से हथियारों की तस्करी की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा 24 घंटे गश्त, सचल वाहनों की स्थापना, निगरानी, जांच चौकियों तथा भारत-म्यांमार सीमा पर क्षेत्र-नियंत्रण को चाक-चौबंद किया गया है।

सरकार ने समय-समय पर कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीन, म्यांमार और बंगलादेश से उनके भूभागों से हथियारों की तस्करी की रिपोर्टों पर अपनी चिंता जतायी है। भारत-म्यांमार सीमा के पार से तस्करी को रोकने के लिए भारत और म्यांमार के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और म्यांमार तथा भारत और बंगलादेश के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें हथियारों की तस्करी रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने सहित सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

विवरण

उत्तर-पूर्व राज्यों में सक्रिय उग्रवादी समूहों की सूची

1. अरुणाचल प्रदेश

    1. एनएससीएन (आई/एम) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह)
    2. एनसीसीएन/के–सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग)
    3. एनएलएफए–नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ अरुणाचल

2. असम

    1. यूनएलएफए–यूनाइटिड फ्रंट ऑफ असम
    2. एनडीएफबी–नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड
    3. डीएचडी–दीमा हलाम दओगाह
    4. यूडीपीएस–यूनाटिड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलोडेरेटी
    5. काम्तापुर लिब्रेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ)

3. मेघालय

    1. एचएनएलसी–हनीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल
    2. एएनबीसी–अचिक नेशनल वॉलिटियर काउंसिल
    3. गारो नेशनल लिब्रेशन आर्मी (जीएनएलए)
    4. यूएएनएफ–यूनाइटिड अचिक नेशनल फ्रंट
    5. एचयूएलए–हाजोंग यूनाइटिड लिब्रेशन आर्मी
    6. एचएनआरएसए–हनीवट्रेप नेशनल स्पेशल रेड आर्मी
    7. जीएनएलएफ–गारो नेशनल फ्रंट
    8. आरआईयूएफ–रिट्रवल इनडिजनस यूनिफाइड फ्रंट
    9. पीएलए–पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी

4. मणिपुर घाटी आधारित

    1. यूनाइटिड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)
    2. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए)
    3. कांगलई याओल कन्ना लुप (केवाईकेएल)
    4. कांगलई याओल कन्ना लुप (सीएमडीएफ)
    5. पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलई पाक (पीआरईपीएके)
    6. पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलई पाक (जीएस)
    7. पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलई पाक (वीसी)
    8. यूनाइटिड पीपुल्स पार्टी ऑफ कांगलई पाक (यूपीपीके)
    9. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
    10. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - एमसी)
    11. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - एमसी/ लानहेबा मैतई)
    12. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - एमसी/ लानजेबा मैतई)
    13. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी – एमसी/ निगांबा)
    14. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - एमसी/ लालुम्बा)
    15. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - नोयौन)
    16. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - लामफैल)
    17. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - सिटी मैते)

18. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - कोकई)
19. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - ननदो)
20. कांगलई पाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी - केके नग्बा)
21. पीपुल्स यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट (पीयूएलएफ)
22. कांगलई पाक पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (केपीएलए - पीयूएलएफ/आजाद)

पर्वत आधारित

23. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागलिम (एनएससीएन - आईएम)
24. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन - के)
25. नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी)
26. मणिपुर नागा रिवाल्यूशनरी फ्रंट (एमएनआरएफ)
27. यूनाइटिड नागा पीपुल्स काउंसिल (यूएनपीसी)
28. नागा नेशनल लिब्रेशन आर्मी (एनएनएलए)
29. कूकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ)
30. कूकी नेशनल फ्रंट (केएनएफएमसी)
31. कूकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ - जेड)
32. कूकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ - एस)
33. यूनाइटिड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आमीर (यूएसआरए)
34. यूनाइटिड मॉइनारिटी लिब्रेशन आर्मी (ओल्ड कूकी)
35. यूनाइटिड कोमरैम रिवोल्यूशनरी आर्मी (यूकेआरए)
36. जोमी रि-यूनिफिकेशन फ्रंट (जेडआरएफ)
37. जावो डिफेंस वॉलिंटियर (जेडडीएफ - केएनओ)
38. हमार नेशनल आर्मी (एचएनए)
39. कूकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (केआर - यूनिफिकेशन)
40. कूकी लिब्रेशन आर्मी (केएलए - केएनओ)
41. कूकी नेशनल आर्मी (केएनए)
42. कूकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (केआरए)
43. यूनाइटिड कूकी लिब्रेशन फ्रंट (यूकेएलएफ)
44. कूकी लिब्रेशन आर्मी (केएलए - यूपीएफ)
45. जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी (जेडआरए)
46. हमार पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (एचपीसी - डी)
47. जावो डिफेंस वॉलिंटियर (जेडडीवी - यूपीएफ)
48. सिनलूंग पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (एसपीएलए - एसटीएफ)
49. कूकी रिवोल्यूशनरी फ्रंट (केआरएफ)
50. कोमरैम पीपुल्स आर्मी (केआरपीए)

5. मिज़ोरम

1. एचपीसी(डी) – हमार पीपुल्स कनवेंशन
2. एचएनएफएल – हमार नेशनल लिब्रेशन फ्रंट
3. केएलओ – कांतापुर लिब्रेशन ऑर्गनाइजेशन

6. नागालैंड

1. एनएससीएन (आई/एम) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुड़वाह)
2. एनएससीएन(के) – सोशलिस्ट कार्उसिल ऑफ नागालैंड (खॉपलांग)
3. एनएससीएन(के) – सोशलिस्ट कार्उसिल ऑफ नागालैंड (खोले)
4. फैडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड (एफजीएन/एस)
5. फैडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड (एफजीएन/वी)
6. फैडरल नेशनल काउंसिल/एडिनो (एनएनसी/ए)

7. त्रिपुरा

1. एटीटीएफ – ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
2. एनएलएफटीसीबी – नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
3. त्रिपुरा पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट

[अनुवाद]

चीनी मिलों को ऋण

5739. **श्री एम.के. राघवन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी मिलों को ऋण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान लाभांवित मिलों की संख्या, प्रदत्त ऋण को दर्शाते हुए मिलों द्वारा उपयोग किए गए ऋण का प्रयोजन क्या है और उनको चुकाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त ऋणों का उन प्रयोजनों हेतु उपयोग किया गया था जिनके लिए उन्हें प्रदान किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अन्यत्र उपयोग हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। सरकार चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के प्रावधान के तहत बैंक दर से 2 प्रतिशत कम की रियायती दर पर सरल ऋण प्रदान करती है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में निर्धारित जिन अन्य प्रयोजनों हेतु, जिनके लिए निधि प्रयुक्त की जा सकती है, चीनी कारखानों को निम्न प्रकार के ऋण प्रदान किए जा सकते हैं–

(i) किसी चीनी कारखाने अथवा उसकी किसी यूनिट के पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण को सुकर बनाने हेतु ऋण।

(ii) ऐसे क्षेत्र, जहां चीनी कारखाना स्थित हो, में गन्ने के विकास हेतु किसी स्कीम का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए ऋण।

(iii) किसी चीनी कारखाने अथवा उसकी इकाई की व्यवहार्यता में सुधार करने के उद्देश्य से उसे खोई आधारित सह-उत्पादन बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण।

(iv) किसी चीनी कारखाने अथवा उसकी इकाई की व्यवहार्यता में सुधार करने के उद्देश्य से उसे एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा एथेनॉल के उत्पादन के लिए ऋण।

विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान लाभांवित मिलों की संख्या उन्हें प्रदान किए गए ऋण की राशि तथा उनके लिए निर्धारित भुगतान की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। चीनी विकास निधि ऋण के उपयोग की पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र, जिस प्रयोजनार्थ ऋण संस्वीकृत किया गया था, प्राप्त किए जाते हैं।

विवरण

लाभांवित मिलों की संख्या, अदत्त ऋण की राशि और पुनर्निर्धारित भुगतान की वर्तमान स्थिति

(लाख रुपए में)

चीनी विकास निधि से ऋण का उद्देश्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (25.04.2013 की स्थिति के अनुसार)		पुनर्भुगतान की मौजूदा स्थिति (25.04.2013 की स्थिति के अनुसार)
	मामलों की संख्या	ऋण की राशि	मामलों की संख्या	ऋण की राशि	मामलों की संख्या	ऋण की राशि	मामलों की संख्या	ऋण की राशि	
गन्ना विकास	34	5992.18	18	5000.00	25	7500.00	1	151.762	2478.91
खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत के लिए संयंत्र स्थापित करना	30	45000.00	17	27500.00	21	35000.00	शून्य	शून्य	4287.75
चीनी कारखाने का आधुनिकीकरण एवं विस्तार	28	28511.32	17	11755.952	9	10000.00	1	1188.699	शून्य
इथेनॉल के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करना	11	9800.358	9	10000.00	8	7500.00	1	322.902	6831.32
जोड़	103	89303.858	61	54255.952	63	60000.00	3	1663.363	13597.98

मानवाधिकारों का उल्लंघन

5740. **श्री यशवीर सिंह:**
श्री नीरज शेखर:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री बद्रीराम जाखड:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों के समाचार आए और उन पर आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई;

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने मामलों पर स्वत: कार्रवाई की गई;

(घ) क्या मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों और पुलिस विभागों को क्या निदेश जारी किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आंकड़ों के अनुसार, उनके द्वारा पंजीकृत किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघनों के मामलों में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010-11 से 2013-14 (दिनांक 15.4.2013 तक) के दौरान एनएचआरसी द्वारा पंजीकृत मानवाधिकारों के मामलों और उन पर की गई कार्रवाई के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2010-11 से 2013-14 (दिनांक 15.4.2013 तक) के दौरान एनएचआरसी द्वारा अपनी ओर से की गई कार्रवाई के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मानवाधिकार आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है और ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के अधिकांश मामले पुलिस के अत्याचारों से संबंधित हैं, जो संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है और ऐसे अत्याचारों को उपयुक्त रूप से रोकने तथा ऐसी घटना न होने देना सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तथापि, मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने तथा सक्षम एवं प्रभावी तरीकों का पता लगाने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विभिन्न मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा परामर्श जारी किए जाते हैं तथा एनएचआरसी द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और दिनांक 15.4.2013 तक चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या/की गई कार्रवाई

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-2011			2011-2012			2012-2013			2013-2014 (15.04.2013 तक)		
	अनसुलझे	सुलझाए गए	कुल	अनसुलझे	सुलझाए गए	कुल	अनसुलझे	सुलझाए गए	कुल	अनसुलझे	सुलझाए गए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अखिल भारत	1	43	44	4	169	173	1	363	364	15	1	16
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	20	20	10	39	49	7	27	34	2	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	33	1,239	1,272	117	1,442	1,559	227	1,347	1,574	60	17	77
अरुणाचल प्रदेश	1	28	29	3	28	31	15	24	39	3	0	3
असम	46	278	324	151	234	385	188	285	473	15	3	18
बिहार	23	2,839	2,862	408	2,895	3,303	373	4,379	4,752	153	97	250
चंडीगढ़	3	129	132	19	193	212	25	213	238	9	1	10
छत्तीसगढ़	22	459	481	112	664	776	188	623	811	21	6	27
दादरा और नगर हेवली	1	24	25	0	14	14	1	17	18	1	0	1
दमन और दीव	0	8	8	1	15	16	3	14	17	0	0	0
दिल्ली	51	5,878	5,929	322	7,543	7,865	928	7,336	8,264	253	82	335
अन्य देश	3	199	202	3	363	366	19	282	301	8	7	15
गोवा	1	60	61	13	73	86	10	52	62	1	1	2
गुजरात	29	1,404	1,433	87	1,021	1,108	180	1,861	2,041	66	11	77
हरियाणा	53	3,269	3,322	226	3,949	4,175	714	8,726	9,440	243	68	311
हिमाचल प्रदेश	7	157	164	14	166	180	37	263	300	8	4	12
जम्मू और कश्मीर	18	206	224	110	261	371	34	377	411	17	6	23
झारखंड	36	1,560	1,596	152	1,659	1,811	209	1,427	1,636	54	29	83
कर्नाटक	16	619	635	40	1,279	1,319	102	806	908	25	6	31
केरल	11	448	659	115	448	563	635	312	947	13	4	17
लक्षद्वीप	0	8	8	0	8	8	0	5	5	0	0	0
मध्य प्रदेश	26	2,295	2,321	184	2,516	2,700	351	2,298	2,649	98	44	142
महाराष्ट्र	54	2,243	2,297	150	2,235	2,385	589	3,899	4,488	182	37	219
मणिपुर	26	40	66	55	107	162	38	72	110	2	3	5
मेघालय	7	26	33	10	40	50	24	24	48	2	0	2
मिज़ोरम	3	20	23	5	13	18	5	15	20	1	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नागालैंड	1	18	19	2	10	12	4	12	16	0	0	0
ओडिशा	92	1,825	1,917	283	3,097	3,380	3,339	2,508	5,847	36	12	48
पुदुचेरी	0	49	49	6	70	76	13	64	77	1	0	1
पंजाब	17	1,094	1,111	56	1,215	1,271	283	2,114	2,397	206	50	256
राजस्थान	40	2,684	2,724	135	2,749	2,884	359	2,940	3,299	105	29	134
सिक्किम	0	5	5	2	12	14	2	3	5	1	0	1
तमिलनाडु	45	1,409	1,454	146	1,784	1,930	306	3,023	3,329	50	15	65
त्रिपुरा	6	44	50	21	49	70	19	729	748	2	0	2
उत्तर प्रदेश	309	49,531	49,840	1,204	51,012	52,216	3,572	44,197	47,769	1,276	21	1,297
उत्तराखंड	17	1,993	2,010	33	1,989	2,022	186	2,184	2,370	67	0	67
पश्चिम बंगाल	58	1,198	1,256	173	1,441	,1614	303	1,545	1,848	42	8	50
कुल	1,056	83,549	84,605	4,372	90,802	95,174	13,289	94,366	107,655	3,038	564	3,602

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और दिनांक 15.4.2013 तक चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत (अपनी ओर से) मामलों की राज्यवार संख्या/की गई कार्रवाई

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-2011			2011-2012			2012-2013			2013-2014 (15.04.2013 तक)		
	अनसुलझे	सुलझाए गए	कुल	अनसुलझे	सुलझाए गए	कुल	अनसुलझे	सुलझाए गए	कुल	अनसुलझे	सुलझाए गए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अखिल भारत	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1	1	2	0	0	0	4	0	4	0	0	0
असम	0	1	1	62	3	65	1	0	1	0	0	0
बिहार	0	2	2	0	1	1	4	0	4	0	0	0
चंडीगढ़	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छत्तीसगढ़	2	0	2	3	0	3	4	0	4	0	0	0
दिल्ली	4	10	14	4	3	7	9	3	12	0	0	0
अन्य देश	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	0	1	1	2	2	4	1	0	1	0	0	0
हरियाणा	1	0	1	2	2	4	5	1	6	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
झारखंड	0	1	1	2	1	3	1	0	1	0	0	0
कर्नाटक	0	0	0	0	2	2	2	1	3	0	0	0
केरल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	2	2	2	4	6	0	6	0	0	0
महाराष्ट्र	0	2	2	2	0	2	8	0	8	0	0	0
मणिपुर	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
मेघालय	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	0	1	1	1	0	1	6	0	6	1	0	1
पंजाब	0	3	3	0	1	1	3	0	3	1	0	1
राजस्थान	0	3	3	1	1	2	0	0	0	1	0	1
तमिलनाडु	0	1	1	0	1	1	6	0	6	0	0	0
उत्तर प्रदेश	6	4	10	5	6	11	32	1	33	2	0	2
उत्तराखंड	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	1	1	1	0	1	5	1	6	0	0	0
कुल	17	37	54	88	28	116	103	7	110	5	0	5

गेहूं के निर्यात का मानदंड

5741. श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री अर्जुन रायः
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंहः**
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
श्री प्रदीप माझीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दरों के क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं तथा उक्त निर्यात हेतु किन देशों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट/सुझाव प्राप्त हुए हैं कि निर्यात तब तक लाभप्रद नहीं होते हैं जब तक अधिदेशित आधार मूल्य कम नहीं किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या बोली के माध्यम से निर्यात मूल्य सरकारी उपक्रमों के माध्यम की अपेक्षा अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे निर्यात को लाभदायक बनाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के जरिए केंद्रीय पूल के स्टॉक से रबी विपणन मौसम 2012-13 के 45 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी है जिसका न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) 300 अमेरिकी डालर प्रति मीट्रिक टन होगा। ये निर्यात पत्तन पर सुपुर्दगी हेतु वैश्विक निविदाओं के जरिए किए जाते हैं इन निर्यातों को दिनांक 30.6.2013 तक करने की अनुमति दी गई है।

सरकार ने हाल ही में 14,840 रुपए प्रति मीट्रिक टन के आधार मूल्य पर निजी व्यापारियों द्वारा निर्यात हेतु पंजाब और हरियाणा में केंद्रीय पूल स्टॉक से रबी विपणन मौसम 2011-12 के 50 लाख टन तक गेहूं की बिक्री का अनुमोदन किया है जो पंजाब में खुला बाजार बिक्री योजना की वर्तमान दर है। यह सुपुर्दगी पंजाब, हरियाणा स्थिति भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से की जाएगी तथा निर्यातकों को पत्तन से अपनी पसंद के देश में निर्यात करने की स्वतंत्रता होगी। ये निर्यात दिनांक 30.6.2013 तक करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दोनों निर्यातों की रूपरेखा भिन्न है। निजी निर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु आधार मूल्य पंजाब और हरियाणा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से 14,840 रुपए प्रति टन पर निर्धारित किया गया है तथा अपनी पसंद के पत्तन तक ढुलाई की लगत निर्यातकों द्वारा वहन की जाएगी। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों द्वारा नामित पत्तन पर सुपुर्दगी हेतु आधार मूल्य 300 अमेरिकी डालर अथवा 16,200 रुपए (1 अमेरिकी डॉलर = 54 रुपए) है।

[हिंदी]

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा

5742. श्री राधा मोहन सिंहः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में वास्तव में स्थायी शांति लाने और देश में इसके एकीकरण हेतु इस राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कतिपय सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को कब तक प्राप्त किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर में सभी वर्गों के सथ सतत वार्ता करने के लिए दिनांक 13.10.2010 को भारत सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकारों ने दिनांक 12.10.2011 को माननीय प्रधानमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने सिफारिश की कि 'अस्थाई' शब्द को अनुच्छेद 370 के शीर्षक के साथ-साथ संविधान के भाग XXI शीर्षक से हटाया जाए और इसके बदले 'विशेष' शब्द लिखा जाए जैसाकि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत अन्य राज्यों के लिए प्रयोग किया गया है। दिनांक 24 मई, 2012

को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर रिपोर्ट को अपलोड करने के फलस्वरूप तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट को खारिज करने का अनुरोध करते हुए कुछ संगठनों से कुछ आवेदन प्राप्त हुए यह सुझाव भी दिया गया कि अनुच्छेद 370 को तुरंत प्रभाव से निष्प्रभावित कर दिया जाए। तथापि, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मंदिरों/ऐतिहासिक स्थलों का स्थान परिवर्तन

5743. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न राज्यों की झीलों/नदियों में डूब चुके मंदिरों के पुनरुद्धार और स्थान परिवर्तन हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राजयक्षेत्र-वार ऐसे मंदिरों/ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मंदिरों/ऐतिहासिक स्थलों को तोड़कर उन्हें कहीं और पुनर्स्थापित करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (ङ) डूब जाने के कारण जिन मंदिरों/ऐतिहासिक स्थलों का पुनरुद्धार और स्थान परिवर्तन किया गया, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश

बहुत से प्राचीन स्मारकों जिनमें पूर्व ऐतिहासिक स्थल, बौद्ध, स्तूप, विहार और मंदिर आदि शामिल हैं, के नागार्जुन सागर बांध परियोजना के अंतर्गत डूब जाने का खतरा था। बांध के निर्माण से पूर्व इन अधिकांश स्मारकों का प्रलेखीकरण किया गया एवं उन्हें हटाया गया और बांध की ऊंचाई से ऊंचे धरातल पर स्थापित किया गया। इस क्षेत्र से पाई गई अन्य सभी उत्खनित वस्तुओं को हटाकर नागार्जुन सागर बांध घाटी में पहाड़ी द्वीप पर बनाए गए संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया।

1976 से 1980 के बीच संकटग्रस्त कुडावेली संगमेश्वरम मंदिर का कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के संगमेश्वरम पर इसके मूल स्थान से महबूब नगर में बृहद स्तर पर पुनर्स्थापन का कार्य किया गया। इस पुनर्स्थापन के कार्य को श्रीसाइलम पनबिजली परियोजना के अंतर्गत पूरा किया गया था और मंदिरों को संगमेश्वरम से जिला महबूब नगर, आंध्र प्रदेश में पुनर्स्थापित किया गया था।

इसी प्रकार पापनाशी समूह के 12 मंदिरों को श्रीसाइलम पनबिजली बांध परियोजना के अंतर्गत आलमपुर से महबूब नगर में पुनर्स्थापित किया गया था।

गोवा

कुर्दी, सैंवेम ताल्लुक, गोवा में महादेव मंदिर को सालाउलिम बांध जलाशय के बगल में पुनर्स्थापित किया गया था।

जम्मू और कश्मीर

(1) शीतला, नारद, ब्रह्म और राधा-कृष्ण की प्रस्तर नक्काशियां बासोली, जिला कठुआ; (2) शेर पर सवार देवी की प्रस्तर नक्काशी, बासोली, जिला कठुआ; और (3) विश्वेश्वर और अन्य गुफा मंदिर जिला कठुआ, थीन बांध के निर्माण के कारण डूब चुके हैं।

नक्काशियों को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि वे खुली पहाड़ी चट्टान पर हैं।

पश्चिम बंगाल

मंदिर के अवशेष वाला एक टीला जिला सरेनगढ़ बांकुरा में हाल ही में डूब गया है। स्थल से एक गणेश की और एक नंदी की दो प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई थीं जिन्हें अब विष्णुपुर संग्रहालय में रखा गया है।

मध्य प्रदेश

श्रीमंत बाजी राव पेशवा-I की समाधि (स्मारक), रावरखेड़ी, जिला खारगौन, महेश्वर बांध परियोजना के कारण डूब जाने की कगार पर है। ऐसा विचार किया गया हे कि स्मारक को जल में डूबने से बचाने के लिए उसके चारों ओर एक दीवार का निर्माण किया जाए।

चौबीस अवतार मंदिर, मांधाता, जिला खंडवा को डूब जाने के खतरे के कारण आंकारेश्वर बांध परियोजना के बगल में पुनर्स्थापित कर दिया गया।

[अनुवाद]

मृदा स्वास्थ्य

5744. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लवणता ओर क्षारीयता ने देश के तटीय/डेल्टा क्षेत्रों की मृदा स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कृषि प्रयोजन हेतु क्षारीय और अम्लीय मृदा के विकास के लिए कौन-से कार्यक्रम शुरू किए गए है; और

(घ) इस संबंध में अब तक की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार लवणता और क्षारीयता सहित भूमि अवक्रमण का वार्षिक आकलन नहीं करती है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के हाल के आकलन (आईसीएआर-2010) के अनुसार, संलग्न विवरण में दर्शाए गए राज्य-वार ब्यौरे के अनुसार पूरे देश में लगभग 3.70 मिलियन हेक्टेयर क्षारीयता से, 17.93 मिलियन हेक्टेयर अम्लता से तथा 2.73 मिलियन हेक्टेयर क्षारीयता से प्रभावित है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) के माध्यम से क्षारीय और अम्लीय मृदाओं का सुधार तथा विकास (आरएडीएएस) का एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही थी, जिसका उद्देश्य पिछले वित्तीय वर्ष (2012-13) तक मृदा सुधारों का अनुप्रयोग करके और इसके पश्चात् हरी खाद डालकर व वैज्ञानिक फसल प्रतिमान तथा फसल चक्रण के द्वारा क्षारीयता और अम्लीयता से प्रभावित क्षेत्रों का सुधार व विकास करना था। इस कार्यक्रम के तहत्, शुरुआत (1985-86) से मार्च, 2013 तक क्षारीय और अम्लीय मृदाओं से प्रभावित 0.89 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है। राज्य अब वर्तमान वित्तीय वर्ष से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अधीन इन हस्तक्षेत्रों को करने के लिए स्वतंत्र है।

विवरण

देश में लवणता, अम्लीयता और क्षारीयता के क्षेत्र का राज्य-वार परिमाण

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लवणता, अम्लीयता और क्षारीयता से प्रभावित क्षेत्र		
		लवणता	अम्लीयता	क्षारीयता
1	2		3	
1.	आंध्र प्रदेश	1.94	0.01	0.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	17.69	0.00
3.	असम	0.00	19.95	0.00
4.	बिहार	1.06	0.41	0.40
5.	छत्तीसगढ़	0.13	23.42	0.00
6.	गोवा	0.00	1.03	0.00
7.	गुजरात	5.45	0.00	15.59

1	2	3		
8.	हरियाणा	1.84	0.02	0.46
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.76	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.78	0.00
11.	झारखंड	0.00	7.35	0.00
12.	कर्नाटक	1.45	0.93	0.02
13.	केरल	0.00	24.26	0.21
14.	मध्य प्रदेश	1.24	4.82	0.00
15.	महाराष्ट्र	4.21	2.69	1.71
16.	मणिपुर	0.00	15.97	0.00
17.	मेघालय	0.00	10.23	0.00
18.	मिज़ोरम	0.00	11.63	0.00
19.	नागालैंड	0.00	15.16	0.00
20.	ओडिशा	0.00	2.03	1.31
21.	पंजाब	1.52	0.00	0.00
22.	राजस्थान	1.52	0.00	0.82
23.	सिक्किम	0.00	0.58	0.00
24.	तमिलनाडु	3.52	4.27	0.11
25.	त्रिपुरा	0.00	7.09	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	4.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	13.20	0.00	0.22
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	4.18	4.08
29.	संघ राज्यक्षेत्र	0.00	0.00	1.76
कुल (लाख हेक्टेयर)		37.08	179.26	27.29
कुल (मिलियन हेक्टेयर)		3.70	17.93	2.73

स्रोतः भारत की अवक्रमित व बंजर भूमि-स्थिति एवं स्थानिक वितरण, आईसीएआर (2010)

[हिंदी]

कानून और व्यवस्था की स्थिति

5745. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**
श्री रेवती रमण सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से उनके राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या अन्य उपाय किये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक बैठकें/समीक्षाएं करती है। वर्ष 2012 के दौरान, आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन दिनांक 16.04.2012 को आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन भी 6 से 8 सितंबर, 2012 तक आयोजित किया गया था। उक्त सम्मेलनों के दौरान, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों, वामपंथी उग्रवाद, सीमा-पार घुसपैठ, पुलिस आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित मुद्दों सहित कानून और व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था।

प्रस्तावित आतंकवाद-विरोधी केन्द्र (एनसीटीसी) से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 5 मई, 2012 को मुख्य मंत्रियों का एक अनन्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया था ताकि इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने से पूर्व इसे सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार किसी 'बंद'/हड़ताल/त्योहार इत्यादि से उत्पन्न होने वाली देश में आंतरिक सुरक्षा/कानून एवं व्यवस्था/साम्प्रदायिक स्थिति के संभावित खतरों के संबंध में केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों से प्राप्त विशिष्ट जानकारी के आधार पर समय-समय पर विभिन्न राज्यों को परामर्शी पत्र जारी करती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभी मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थागित हुई

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न $12^1/_4$ बजे

इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न $12^1/_2$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री पी. चिदम्बरम।

...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन–संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 23) निष्पादन लेखापरीक्षा (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8936/15/13]

(दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सूचना के प्रयोग के माध्यम से कराधार के सुदृढ़ीकरण से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (2013 का संख्यांक 4) निष्पादन लेखापरीक्षा (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8937/15/13]

(2) वर्ष 2013-14 के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी बजट की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8938/15/13]

...*(व्यवधान)*

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं–

(1) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8939/15/13]

...*(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8940/15/13]

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत सरकार के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8941/15/13]

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8942/15/13]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) असम एग्रो. इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो. इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8943/15/13]

(4) नाशक कृमि और कीट अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2013 जो 21 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.799(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8944/15/13]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत उर्वरक नियंत्रण (संशोधन), 2013 जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8945/15/13]

(6) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नारियल विकास बोर्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2012 को 7 जुलाई, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 166 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नारियल विकास बोर्ड (निदेशक) भर्ती विनियम, 2013 जो 21 जनवरी 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 32 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8946/15/13]

अपराह्न 12.01 बजे

लोक लेखा समिति

80वें से 86वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

डॉ. गिरजा व्यास (चित्तौड़गढ़): महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:

(1) रेल मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2010-10 के नियंत्रक ओर महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 34 के पैरा संख्या 2.2 पर आधारित "भारतीय रेल में तत्काल और अग्रिम आरक्षण प्रणाली" के बारे में 80वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित वर्ष 2011-12 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 8 पर आधारित "उर्वरक राजसहायता" के बारे में 81वां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2011-12 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 26 पर आधारित "आयातित दलहन की बिक्री और वितरण" संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

(4) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित वर्ष 2011-12 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा संख्या 4.2.1 और 4.2.2 पर आधारित "सहायता अनुदान और राजसहायता शीर्ष में प्रावधान में अभिवृद्धि" संबंधी 83वां प्रतिवेदन।

(5) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संबंधित "औषधियों और चिकित्सा उपकरण की खरीद" संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 84वां प्रतिवेदन।

(6) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित "आयडल इनवेस्टमेंट ऑन अ न्यून लाइन" संबंधी समिति के 43वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 85वां प्रतिवेदन।

(7) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित "कृषि और सहकारिता विभाग की मांग संख्या 1 की समीक्षा" संबंधी समिति के 56वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 86वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

22वें से 25वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं–

(1) 'भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड' संबंधी चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(2) 'एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा स्वर्ण आभूषण का निर्यात' संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत संचार निगम लिमिटेड' संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(4) 'पवन हंस लिमिटेड' संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02½ बजे

प्राक्कलन समिति

23वां और 24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज़्मी सारदीना (दक्षिण गोवा): मैं प्राक्कलन समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं–

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'फसल विविधीकरण'' विषय के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'नागर विमानन का विकास और विनियमन' विषय के बारे में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर (बनगांव): मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में बीड़ी कर्मकारों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन'' विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

49वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

43वें से 46वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राव इन्द्रजीत सिंह (गुडगांव): मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) दूरसंचार विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

28वां और 29वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

33वें से 35वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री कमलेश पासवान: (बांसगांव): अध्यक्ष महोदया, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हू:

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रोकेमिकल विभाग) के अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (फार्मास्युटिकल विभाग) के अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05½ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

38वें से 41वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): अध्यक्ष महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 38वां प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी समिति का 39वां प्रतिवेदन।

(3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(4) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): अध्यक्ष महोदया, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री शरद पवार की ओर से मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-II के अनुसार माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी 73क के निर्देश के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8947/15/13

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2012-13 के लिए कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (डेयर) की अनुदान मांगों की जांच की है और अपना 40वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। विभाग ने 40वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई में सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के लिए सरकार के उत्तर कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससीए) को प्रस्तुत किये हैं।

समिति की इन सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार किया गया है। समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों तथा वर्तमान स्थिति के साथ-साथ सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई का विवरण, अनुबंध-I के रूप में सभा पटल पर रखा गया।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गयी है, वे यदि इन मामलों को, सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

(एक) समुद्री लहरों से बचाव के लिए केरल में अझीकोड से चेंतरापिन्नी तक तटीय बैल्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें दक्षिण में एर्नाकुलम से लेकर उत्तर में त्रिसूर जिले तक सात विधान सभा क्षेत्र आते हैं, के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। त्रिसूर जिले में, कोडुंगल्लुर और कईपामंगलम् विधान सभा क्षेत्रों में 22 किलोमीटर तक तटीय क्षेत्र फैला है। अझीकोड से चेंतरापिन्नी तक का यह 22 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र तटीय बैल्ट द्वारा सुरक्षित नहीं है और यह सात पंचायतों तक फैला हुआ है। वहां अक्सर समुद्र के स्तर में बढ़ोत्तरी की घटनाएं होती हैं जिसके कारण मृदा का अपरदन और तट के साथ स्थित घर तथा पेड़ ध्वस्त हो जाते हैं। ज्वार के समय भी नुकसान होता है। कुछ वर्ष पहले, सुनामी के दौरान भी भारी नुकसान हुआ था। इस तटीय क्षेत्र में रह रहे लोगों को बार-बार होने वाली समुद्री हलचलों के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, 'मुज़रिस', जोकि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध पत्तनों में से एक था, भी इस तटीय क्षेत्र में स्थित है। खुदाई का कार्य प्रगति पर है और इस क्षेत्र से लाखों पुरावशेषों की खोज की जा रही है।

इसलिए इस तटीय क्षेत्र को बचाने के लिए तटीय बैल्ट का निर्माण अत्यावश्यक है। अत: उक्त तथ्यों को देखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार अझीकोड से चेंतरापिन्नी तक लगभग 22 किलोमीटर की लंबाई तक उन सातों पंचायतों को जोड़ते हुए तत्काल एक तटीय बैल्ट के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(दो) कोसली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री अमरनाथ प्रधान (सम्बलपुर): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, संबलपुर, जो पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र में स्थित है, सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और संप्रेषण के लिए इसकी अपनी भाषा है। कोसली भाषा बहुत लोकप्रिय है और ओडिशा के सोनपुर, बोलनगीर, बारगढ़ बौध जिले के लोगों द्वारा सामान्यत: प्रयोग की जाती है। इस क्षेत्र के लोग इसे राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। इस भाषा की लिपि का विकास किया जा रहा है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में कोसली भाषा को शामिल करे।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में आपत्तिजनक सामग्री की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. पीताम्बर कुरूप (कोल्लम): मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में अंतर्विष्ट कुछ विवादित संदर्भों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। "भारत और समकालीन विश्व-एक" पुस्तक के अध्याय-आठ में पृष्ठ 168-169 पर "पोशाक: एक सामाजिक इतिहास" शीर्षक के अंतर्गत यह कहा गया है कि "अक्टूबर, 1859 में, जैसे ही बाजार में शान जाति की महिलाओं पर हमले किए गए और उनके ऊपरी कपड़े उतार लिए गए तो दंगे भड़क उठे। घरों को लूट लिया गया और प्रार्थनालयों में आग लगा दी गई।"

*सभा पटल पर रखे माने गए।

मुझे पुस्तक की विषयवस्तु पर यह आपत्ति है कि इससे ऐतिहासिक वास्तविकता के केवल एक पहलू का ही पता चलता है। हम 1930 के प्रारंभ में, पद दलितों के अधिकारों और आत्म सम्मानों की बहाली के लिए शुरू हुए कई सामाजिक आंदोलनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

नायर समुदाय के महान नेता, श्री मन्नाथु पद्मनाथन और श्री ईवी पेरुमल नायडू ने तिरुवनन्तपुरम में निकाली गई शोभायात्राओं का नेतृत्व किया और तत्कालीन शाही परिवार की मुखिया सेतु लक्ष्मी बाई को छुआछूत पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का आग्रह करते हुए एक संयुक्त याचिका दी। सन् 1931 के प्रसिद्ध वायकम सत्याग्रह का लक्ष्य पिछड़े समुदायों के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश देना था। अगड़ी जाति के नेताओं जैसे मन्नथ पद्मनाभन, चंगानसेरी परमेश्वरन पिल्लई, टीआर कृष्णास्वामी, के केलप्पन, केपी केशव मेनन, कुरूर नीलाकंदन नम्बूदरी के साथ-साथ श्री टीके माधवन और श्री नारायण धर्म परिपडलन (एसएनडीपी) के नेताओं ने सत्याग्रह में भाग किया। इतिहास भूतकाल का चयनात्मक वर्णन नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है, तो यह सच्चे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर उन्हें विकृत करने का एक प्रयास होगा। भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने के बजाय, इतिहास की तोड़-मरोड़कर या पक्षपातपूर्ण शिक्षा देने से केवल छोटे बच्चों के मस्तिष्क में जाति और धर्म के बीच भेदभाव को ही बढ़ावा मिलेगा।

अत:, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की विवादित पाठ्यपुस्तक को हटाने और वास्तविक इतिहास को प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(चार) देश में बच्चों और महिलाओं पर हो रहे यौन अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास): मध्य प्रदेश - उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली सहित तमाम राज्यों में नाबालिग बच्चियों के साथ विगत सप्ताहों में अनेकों दुष्कर्म और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं तेजी से घटी है, जिसकी वजह से संपूर्ण देश का जन-मानस आंदोलित है। मध्य प्रदेश में ही विगत आठ दिनों में 8 घटनाएं नाबालिगों के साथ घटित हुई है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की सर्वे रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में म.प्र. पहले नंबर पर है एवं महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ क्रमश: 2 व 3 नंबर पर है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रभावित राज्यों में शीघ्रता से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए तथा वर्तमान स्थापित न्यायालयों के न्यायाधीशों को आग्रहपूर्वक निर्देश दिए जावें कि 15 दिन से लेकर एक माह में इस तरह के प्रकरणों में फैसला कर दिया जावे। बलात्कार के बाद हत्या कर दिए जाने के प्रकरणों में सीधे-सीधे फांसी की सजा निर्धारित की जाये और इन प्रकरणों में जो पुलिस कर्मी व अधिकारी लापरवाही करें उन्हें नौकरी से पृथक करने का कठोर दंड देने का प्रावधान किया जाए।

(पांच) देश में रेलवे फाटकों को बंद किए जाने का निर्णय लेने से पूर्व जन-प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण जानने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश में कई जगह रेल फाटक स्थाई रूप से बंद कर दिए गए हैं एवं जो फाटक खुले हुए हैं वे गांव से काफी दूर हैं। किसानों को अपने खेतों में खेती-बाड़ी कार्य करने में काफी दिक्कत हो रही है। किसानों को अपने खेती में प्रयोग होने वाले सामानों को एवं पशुओं को फाटक के उस पार ले जाने में कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में किसानों में काफी असंतोष है। लोगों का कहना है कि रेलवे अधिकारी मात्र प्रशासन के कुछ अधिकारियों की अनुमति लेकर तथा बिना किसी जन-प्रतिनिधि से पूछकर फाटक बंद कर देते हैं जो जनहित में नहीं है।

सरकार से अनुरोध है कि जन-प्रतिनिधियों की सहमति के बिना रेलवे फाटकों को बंद नहीं किया जाए।

(छह) महाराष्ट्र के पुणे में वनाज-रामवाडी कॉरीडोर पर मेट्रो रेल परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्से की धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे): पुणे नगर निगम (पीएमसी) और पिम्परी-चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) ने संयुक्त रूप से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को पुणे शहर जहाँ भारी यातायात घनत्व को कम करने की आवश्यकता के लिए सड़कें पर्याप्त रूप से चौड़ी नहीं हैं, के लिए मेट्रो पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए नियुक्त किया है।

डीएमआरसी ने दो कॉरीडोर; (1) पिम्परी-चिंचवाड से स्वरगेट तक की 16.5 किमी की लंबाई और (2) वनाज-रामवाडी कॉरीडोर (वीआरसी) 14.33 किमी की लंबाई, पर अपनी अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत कर दी है।

उपर्युक्त दो कॉरीडोरों में से पीएमसी ने पहले 14.93 किमी के वीआरसी को भारत सरकार से 20% इक्विटी शेयर और महाराष्ट्र सरकार से 20% अर्थात् प्रत्येक से 518.60 करोड़ रुपए के योगदान से काम शुरू करने का निर्णय किया है। वीआरसी पूर्णतः एलिवेटेड है और आसानी से कार्यान्वित करने योग्य है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर जल्दी से जल्दी परियोजना लागत में अपने इक्विटी शेयर को जारी करे ताकि पुणे मेट्रो कार्य बिना किसी और देरी के प्रारंभ हो और केन्द्रीय करों से इस परियोजना को पूर्णतः छूट प्रदान करे जो परियोजना लागत का एक बहुत बड़ा भाग है।

(सात) तमिलनाडु में सदुरंगपट्टिनम में राज्य राजमार्ग संख्या 58 पर बकिंगम कैनाल पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. विश्वनाथन (कांचीपुरम): चेन्गलपट्टु में मद्रास या सदुरंगपट्टिनम चेन्नई शहर लगभग 35 मील दक्षिण में है और बकिंगम कैनाल से जुड़ा हुआ है। कलपक्कम शहर और सदुरंगपट्टिनम एक-दूसरे से सटे हुए हैं। राज्य राजमार्ग संख्या 58 मामल्लपुरम और तिरूकलुकर्णम को बरास्ता सदुरंगपट्टिनम जोड़ता है। यह बड़े राजमार्गों में से एक है। सदुरंगपट्टिनम में, बकिंगम कैनाल कथित मुख्य राजमार्ग के नीचे से होकर गुजरती है। वर्तमान पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसके मरम्मत और नवीकरण की जरूरत है। नाबार्ड बैंक अपने ग्रामीण सड़क योजना के तहत 4.95 करोड़ रुपए की लागत से पुराने पुल को गिराकर नये पुल बनाये जाने के लिए वित्तपोषण कर रहा है। प्रस्तावित नया पुल, 56.4 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। परियोजना वर्ष 2010 में स्वीकृत हुई थी और ठेका दे दिया गया है।

पुल के नीचे नावों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, व्यवधान रहित जन यातायात के लिए पुल का डिजायन, खंभों के बीच 32 मीटर की दूरी और 5 मीटर गहराई, बनाये रखते हुए, किया गया था। उस समय, परियोजना को पूरा करने के लिए अनंतिम समय नवंबर, 2011 निर्धारित किया गया था। ऐसा बताया गया था कि घटिया सामग्री, खंभों की त्रुटिपूर्ण बनावट के कारण परियोजना को विलंबित कर दिया गया था। परियोजना की निगरानी करने वाले अधिकारियों ने कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं जिसके कारण नए पुल का निर्माण अभी तक विलंबित हो रहा है। पुल के निर्माण में देरी होने के कारण, यातायात को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ट्रैफिक जॉम हो रहा है और आम लोगों को असुविधा हो रही है।

नाबार्ड को बिना और देर किए परियोजना के वित्तपोषण हेतु ततकाल कदम उठाना चाहिए क्योंकि परियोजना निर्धारित समय से लगभग 16 महीने पीछे है।

(आठ) सहकारी बैंकों में व्यक्तियों द्वारा इंश्योर्ड जमा राशि की सीमा को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रु. किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): मैं आपका ध्यान समापन/बंद होने की स्थिति में सहकारी बैंक में व्यक्तियों के जमा के संबंध में जमा बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 की धारा 16 के प्रावधान की ओर आकर्षित करती हूं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि निगम समय-समय पर सरकार की पूर्व स्वीकृति से अपनी वित्तीय स्थिति और देश की बैंक प्रणाली के ब्याज को देखते हुए, इंश्योर्ड जमा राशि के संबंध में अदा किए जाने वाले भुगतान की सीमा को बढ़ा सकती है। यह सीमा 01.05.1993 अर्थात् लगभग 20 वर्ष पूर्व संशोधित कर 1 लाख रुपए की गई थी। मूल्यांकन करने पर, 1993 में 1 लाख रुपए का मूल्य आज के 10 लाख रुपए के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त, जमा बीमा और साज प्रत्याभूति निगम (डीआईसीजीसी) को अदा की जाने वाली बीमा किस्त को 01.04.2004 से एवं पुनः 1 अप्रैल, 2005 से बढ़ा दिया गया था।

यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि सहकारी बैंकों में निम्न आय वर्गो/निम्न मध्यम आय वर्गों के लोगों द्वारा अपने सामाजिक सुरक्षा, नाममात्र के मासिक आय और विवाह, वृद्धावस्था जैसी सामाजिक जिम्मेदारियों, सुरक्षा इत्यादि के लिए राशि जमा की जाती है। तथ्य है कि 1 लाख रुपए की इस सीमा को, पिछले 20 वर्ष से, सन् 2004 और पुनः 2005 में बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा किस्त की दर में वृद्धि के बावजूद भी, संशोधित नहीं की गई है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि समापन की प्रक्रिया/बंद होने की ओर उन्मुख सहकारी बैंकों में व्यक्तियों द्वारा बीमित जमा राशि की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर जल्द से जल्द 10 लाख रुपए किया जाये। इसको 01.04.2004 से, जब बीमा की किस्त में वृद्धि हुई थी, उस दायरे में आने वाले सहकारी बैंकों पर लागू किया जाये। इस कदम से आम जनता को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

(नौ) भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर एक रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): जैसा कि यह ज्ञात है, बाबू वीर कुंवर सिंह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो सन्,

1857 में हुआ था, के सबसे प्रख्यात नायकों में से एक थे। वह 80 वर्ष की वृद्धावस्था में अपने गिरते स्वास्थ्य की चिंता किए बिना बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में मुख्य संगठनकर्ता थे। एक समय तो वह अपने पैतृक गांव (जगदीशपुर) से अंग्रेजी सेना को भगाने में सफल रहे थे और जगदीशपुर किले पर यूनियन बैंक के स्थान पर अपना झंडा लगा दिया था।

देश के लोग, विशेषत: बिहार में रहने वाले लोग 23 अप्रैल को उनके विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु, यह जानकर दु:ख होता है कि देश में उनके नाम पर कोई भी रेलगाड़ी नहीं चल रही है। मेरा मानना है कि यह भारतीय रेल का भी कर्त्तव्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के इस महान नायक के प्रति अपना आदर दिखाए।

इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि बिहार जाने वाली एक रेलगाड़ी का नामकरण उनके नाम पर किया जाय, ताकि एक राष्ट्र के रूप में, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले एक नायक के प्रति आदर व्यक्त करने में हम असफल न रह जाएं।

(दस) महाराजा सातन पासी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ऐतिहासिक सातन कोट का सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): महाराजा सातन पासी उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव एवं हरदोई के एक पराक्रमी वीर पासी राजा हुए हैं। सातन कोट, जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ में सण्डीला मार्ग पर सई नदी के किनारे स्थित है। इस क्षेत्र के चारों ओर पासी समाज के लोगों की बाहुल्यता है। सातन कोट किले का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इतिहासकारों का यह मानना है कि जब इस किले का निर्माण हुआ था तब इसका क्षेत्रफल 200 एकड़ से अधिक था। आज भी यहां पर विभिन्न प्रकार के बर्तन, विभिन्न प्रकार की आकृतियां इत्यादि मिलती रहती हैं। सातन कोट के किले पर प्रति वर्ष चैत की पूर्णिमा एवं परवा के दिन दो दिनों का एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जिसमें सभी समुदाय के लाखों लोग शामिल होते हैं।

सातन कोट के किले पर माता सुचैना देवी का एक मंदिर भी है, जिसमें श्रद्धालुजन आज भी बड़ी आस्था से पूजा अर्चना करते हैं। महाराजा सातन पासी स्वयं भी माता सुचैना देवी के परम भक्त थे। किले के पश्चिम में एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि यह चौथी शताब्दी में स्थापित किया गया था। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि सातन कोट भगवान बुद्ध के समय में साकेत नाम से जाने जाते थे। यह स्थान तत्समय बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। यहां पर कई हजार बौद्ध भिक्षुओं को धर्म, दर्शन, साहित्य एवं अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह भी ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध स्वयं भी इस स्थान पर आते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाह्यान और राजा हर्ष के समय में ह्वेनसांग जैसे विद्वान यात्री भी यहां आये थे।

महाराजा सातन पासी ने एक अच्छी शासन व्यवस्था दी और एक विशाल राज्य की संरचना के लिए अनेक किलों का विभिन्न स्थानों पर निर्माण भी करवाया। उन्होंने सीमा की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था की भी विशेष व्यवस्था की थी। आज पासी समाज के इस पराक्रमी शासक के महत्वपूर्ण किले का सौंदर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह पासी समाज के महाराजा सातन पासी की याद में डाक टिकट जारी किए जाने और उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित किए जाने के साथ-साथ ऐतिहासिक सातन कोट को केंद्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए उसका सौंदर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(ग्यारह) बिहार के बाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरिपुलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकि नगर): बिहार के बाल्मीकि नगर लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत दो महत्वपूर्ण उपरगामी पुल क्रमश: समपार संख्या 50 बगहा-एनएच 28 बी तथा 22 स्पेशल नरकटियागंज निर्माण हेतु संचिका स्वीकृति हेतु रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली में पड़ी है। विलंब होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में रोष है।

अत: मैं जनहित में भारत सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त दोनों प्रस्तावित उपरगामी पुलों का वर्ष 2014 तक निर्माण कार्य पूरा करें ताकि उसका लाभ आम जनता को मिल सके।

(बारह) तमिलनाडु निजी वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): मैं पिछले एक वर्ष से माननीय गृह मंत्री से तमिलनाडु निजी वन संरक्षण (संशोधन)

विधेयक, 2011 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध कर रही हूं। तमिलनाडु विधान सभा द्वारा यथा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखा गया है।

गृह मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने उक्त विधेयक पर अपनी टिप्पणियां प्रेषित की हैं, लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय की टिप्पणियां अभी तक लंबित हैं।

यह विदित है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से उत्तर मिलने के पश्चात् ही इस बिल पर कार्यवाही की जा सकती है।

विलावनकोड, कलकुलम और थोवलई तालुकों में ज्यादातर किसान कई वर्षों से रबर की खेती पर निर्भर है। रबर की खेती के अतिरिक्त इन किसानों के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। तमिलनाडु में केवल कन्याकुमारी ही रबर उत्पादन जिला है। कन्याकुमारी जिले में 19233 हेक्टेयर में रबर की खेती होती है जिससे सालभर में 24020 टन रबर पैदा होता है।

कन्याकुमारी जिले में, सबसे बड़ा उत्पादक अरासु (सरकारी) रबर निगम है। यह प्रत्यक्ष तौर पर लगभग 2000 लोगों को और अप्रत्यक्ष तौर पर भी लगभग 2000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। अरासु (सरकारी) रबर निगम के अतिरिक्त कन्याकुमारी जिले में 65 बड़े उत्पादक और 570 छोटे उत्पादक हैं। कन्याकुमारी जिले में रबर की खेती हेतु 19233 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग किया जाता है।

1949 के तमिलनाडु निजी वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम को 1979 में कन्याकुमारी जिले तक विस्तारित किया गया था। इस अधिनियम के कारण तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कन्याकुमारी जिले में पट्टा भूमि की रबर की खेती को निजी वन के रूप में वर्गीकृत किया है। कन्याकुमारी जिले में पट्टा भूमि की रबर की खेती को निजी वन संरक्षण अधिनियम से छूट दी जाए। इससे सामान्य गरीब किसानों को बहुत परेशानी होती है।

मेरे कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र के गरीब किसान अपनी जमीन को बेचने/खरीदने और इस पर ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने निजी वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 पर भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क किया है।

मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने और तमिलनाडु निजी वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का एल.ए. विधेयक सं. 7) पर शीघ्र राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर हमारे लोगों की वास्तविक मांग को पूरा करने का अनुरोध करती हूं।

(तेरह) केरल में इरोड और पालक्काड के बीच मेमू रेलगाड़ी शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2002 के रेल बजट में पहली बार एक मेमू सेवा की घोषणा की गयी थी पर उसे लागू नहीं किया गया है। उसी मेमू ट्रेन को 2012 के रेल बजट में दोबारा से स्थान दिया गया है। विगत एक वर्ष में फिर से इस घोषणा को लागू नहीं किया गया है। यह एक बहु लंबित मांग है और बजट में इसकी घोषणा के परिणामस्वरूप लोगों में बड़ी उम्मीद है। 2013 के रेल बजट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल माननीय रेल मंत्री से मिला था। माननीय रेल मंत्री ने एर्नाकुलम-त्रिशूर मेमू का पालक्काड तक विस्तार करने और इरोड पालक्काड टाउन मेमू को 31 मार्च से पहले संचालित करने का आश्वासन दिया था। एर्नाकुल्लम-त्रिशूर मेमू का पालक्काड तक विस्तार कर दिया गया है। तथापि इरोड-पालक्काड टाउन मेमू को शुरू नहीं किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से इरोड-पालक्काड टाउन मेमू को तत्काल लागू करने का अनुरोध करता हूं जिसमें एक दशक की देरी हो चुकी है।

(चौदह) ओडिशा में खुर्दा, जटनी, भुवनेश्वर और कटक के शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली शुरू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): खुर्दा, जटनी, भुवनेश्वर और कटक की शहरी आबादी पिछले सालों के दौरान तेजी से बढ़ी है। इन शहरों के आस-पास नियोजित विकास परियोजनाओं के चलते, उक्त शहरी समूहों की आबादी के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, शहरी लोगों के लिए तीव्र और त्रुटिरहित यात्रा करने हेतु रैपिड मेट्रो रेल संपर्क की स्थापना अनिवार्य हो जाती है। इससे क्षेत्र के विस्तार और समग्र विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

ओडिशा के लोगों की रैपिड मेट्रो रेल संपर्क की काफी समय से लंबित मांग को यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

(पन्द्रह) तमिलनाडु में कैंसर अनुसंधान संस्थान, अडयार का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण चेन्नई में अडयार में एक कैंसर अनुसंधान संस्थान है जिसकी

स्थापना 1954 में एक स्वयं सेवी धर्मार्थ संगठन के रूप में की गई थी। यह संस्थान देश में एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा एक प्राचीनतम कैंसर अस्पताल है। कैंसर रैफरल केन्द्र के रूप में यह संस्थान, भारत में कैंसर पीड़ितों को अनुकरणीय सेवा प्रदान कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संस्थान को देश में उच्चतम स्तर के कैंसर केन्द्र के रूप में वर्गीकृत किया है।

निधियों के अभाव और केन्द्र से वस्तुतः कोई सहायता न मिलने के कारण यह संस्थान अपना विस्तार नहीं कर पाया है। और कैंसर के अधिक रोगियों को सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रहा है। अब तक केंद्र तृतीय कैंसर केन्द्र योजना के माध्यम से राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत कम सहायता प्रदान करता रहा है। गत तीन दशकों से यह संस्थान अल्प संसाधनों से ही जनता की सेवा कर रहा है। वर्तमान में, तमिलनाडु सरकार रखरखाव अनुदान प्रदान कर रही है।

संस्थान के अध्यक्ष ने, पूरे देश के कैंसर रोगियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत इस संस्थान का राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नयन करने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है।

इस संस्थान द्वारा तीन दशकों से भी अधिक समय से जरूरत के समय प्रदान की जा रही महत्वपूर्ण सेवा पर विचार करते हुए इस संस्थान का उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नयन किया जाना चाहिए और इसे राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान बन सके।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संस्थान का उन्नयन करने पर विचार किया जाए ताकि इसका विस्तार किया जा सके और यह सुदृढ़ बन सके जिससे कि यह जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके।

(सोलह) देश में कृषि के विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट): इस बात के काफी संकेत हैं कि देश में कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री ने उत्पादन में वृद्धि करने और तत्पश्चात् मूल्य श्रृंखला में सुधार करने पर बल दिया है।

कृषि क्षेत्र के धीमे विकास के मुख्य कारण हैं कम सार्वजनिक निवेश, उत्पादकता में स्थिरता आना, मृदा का क्षरण, फसल कटाई अपशिष्ट, अल्प मूल्यवर्धन, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अल्प उपयोग तथा किसानों के उत्पादों का बाजार के बिचौलियों द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाना आदि है।

इस रुझान को बदलने के लिए केन्द्र और राज्य स्तरों पर विभिन्न समितियों ने अपनी सिफारिशें की हैं।

दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए हमें उस प्रक्रिया को स्मरण करना और उससे सीख लेनी चाहिए जिससे प्रथम हरित क्रांति संभव हो पाई।

जनसंख्या की निर्भरता की दृष्टि से भारतीय कृषि विश्व का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है (650 मिलियन लोगों की अजीविका कृषि पर आधारित है) कृषि योग्य भूभाग तथा स्थायी फसलों के अंतर्गत 169 मिलियन हेक्टेयर भूभाग पर कृषि की जाती है जबकि चीन में यह क्षेत्र 135 मिलियन हेक्टेयर है। तथापि, इस प्रकार की कृषि प्रणाली हेतु कोई विकास मॉडल मौजूद नहीं है।

जैव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, जल संरक्षण और सूक्ष्म कृषि, जैव प्रौद्योगिकी आदि में इजराइल जैसे देशों के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए किसानों को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान किए जाने तथा बाजार संपर्कों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में कृषि के विकास हेतु हर संभव प्रयास करे।

अपराह्न 12.07 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा किया जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि अब मैं संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ करने जा रही हूं। जब तक आप अपने-अपने स्थानों पर वापस नहीं जाएंगे तब तक मैं यह प्रक्रिया आरंभ नहीं करूंगी।

...(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदयाः अब आप अपनी-अपनी सीट पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न $12.07^1/_2$ बजे

इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, आपको स्मरण होगा कि कार्य मंत्रणा समिति ने 22 अप्रैल, 2013 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि अनुदानों की मांगों (रेल)–2013-14 पर चर्चा और मतदान 23 अप्रैल, 2013 को होगा। समिति ने अनुदानों की मांगों (सामान्य) और वित्त विधेयक, 2013 पर चर्चा की तारीखें भी निर्धारित कीं। तथापि, वर्तमान परिस्थितियों में यह चर्चा कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो पाई।

माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि हमारे पास वित्तीय कार्य को पूरा करने के लिए बहुत सीमित समय है। इसके अलावा इस सभा द्वारा संबंधित विनियोग विधेयकों और वित्त विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात् राज्य सभा को भेजा जाना है ताकि, वित्तीय कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।

मैंने कल कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में नेताओं द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अनुदानों की मांगे (रेल)–2013-14, अनुदानों की मांगें (सामान्य)–2013-14 और वित्त विधेयक, 2013 को बगैर चर्चा के पारित किया जाए।

इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब हम वित्तीय कार्य शुरू करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम सहमत नहीं हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, चर्चा होनी चाहिए। इसे चर्चा के बिना पारित नहीं किया जा सकता। हम इस पर आपसे सहमत नहीं हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैंने माननीय नेता, विपक्ष को बोलने के लिए कहा है।

[हिंदी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, 22 अप्रैल को बजट सत्र का यह दूसरा खंड आरंभ हुआ था। आज 30 अप्रैल है। सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। सत्तापक्ष के लोग कहते हैं कि विपक्ष का रवैया गैर-जिम्मेदाराना है प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे कारण वे विश्व में उपहास का पात्र बन रहे हैं। अखबार लिखते हैं कि 15वीं लोक सभा में संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप्प रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहती हूं कि संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप्प इसलिए नहीं रहा है कि विपक्ष गैर-जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए रहा है कि 15वीं लोक सभा की सरकार आजादी के बाद इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है।...*(व्यवधान)* अध्यक्षा जी, आप साक्षी हैं, हर सत्र से पहले इस सरकार का एक नया घोटाला उजागर होता है और दूसरा घोटाला पहले का रिकॉर्ड तोड़ता है, तीसरा घोटाला दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ता है।...*(व्यवधान)* सीडब्ल्यूजी में सत्तर हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।...*(व्यवधान)* तो टू-जी में एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपए का घाटा और कोयला आवंटन में एक लाख छियासी हजार करोड़ रुपए की लूट।...*(व्यवधान)* ये चाहते हैं कि हम इन विषयों को न उठाएं।...*(व्यवधान)* केवल घोटाला नहीं करते, उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए, उन घोटालों में लिप्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बचाने के लिए तरह-तरह की हरकतें करते हैं।...*(व्यवधान)* टू-जी पर पीएसी की रिपोर्ट को हुड़दंग करके, वह रिपोर्ट रुकवायी। टू-जी पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट इन्होंने तथ्यों के विपरीत तैयार करवायी। कोयला घोटाले की सीबीआई की जांच रिपोर्ट मंत्री ने कमरे में बुलाकर बदलवायी।...*(व्यवधान)* जब हम इन विषयों को उठाते हैं, तो हमें ये गैर-जिम्मेदार कहकर हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्षा जी, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष किसलिए होता है?...*(व्यवधान)* लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है राज करने के लिए और प्रतिपक्ष होता है, उन पर निगरानी करने के लिए।...*(व्यवधान)* हम यहां जनता के पहरेदार बनकर बैठे हैं। हम यहां जनता के हितों के प्रहरी बनकर बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हम किसी व्यक्तिगत हित के लिए संसद बंद करवा रहे हैं? क्या हम अपना वेतन बढ़वाने के लिए संसद बंद करवा रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तेदारों को कोटा-परमिट दिलवाने के लिए संसद बंद करवा रहे हैं?...*(व्यवधान)* हम राष्ट्र हितों के लिए संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्या कोयला सरकार की जागीर है?

...*(व्यवधान)* यह राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है।...*(व्यवधान)* इस राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति को इन्होंने जिस बेदर्दी से लूटने का काम किया है और उसके बाद जब जांच हो रही थी, तो स्वयं मंत्री ने अपने कमरे में बुलाकर कोयला मंत्रालय के अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और उस पर जवाब आता है, मैं तो व्याकरण की शुद्धि कर रहा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद...*(व्यवधान)* मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ना है।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते है, हम ड्राफ्ट रिपोर्ट देख रहे थे। हम कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं देख रहे थे। अध्यक्ष जी, अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आयी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने हमारा भरोसा तोड़ा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है। धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्होंने बुनियाद हिला दी है। इसके बाद यह सरकार एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं रखती है।...*(व्यवधान)* लेकिन कल चूंकि आपने हमें अपने कक्ष में बुलाया और आपने यह कहा कि वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा, यदि यह बिल पारित नहीं होगा।. ..*(व्यवधान)* इसलिए हमने आपसे कहा कि हम बिल पारित होने देंगे। हम नहीं चाहते कि देश में कोई वित्तीय संकट पैदा हो। ...*(व्यवधान)* इसलिए हमने कहा कि हम बिल पारित होने देंगे, लेकिन हम बाधक नहीं बनेंगे, तो भागीदार भी नहीं बन सकते। ...*(व्यवधान)* इसलिए हमने तय किया था कि हम सदन छोड़कर चले जाएंगे, बहिर्गमन कर जाएंगे ताकि ये लोग अपने विधेयक पारित कर लें। मैं आपसे विनती करती हूं कि हमने चार चीजें कही हैं–डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (रेलवेज), डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (जनरल), एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पारित कर लें, इन चार चीजों का वित्तीय कार्य निष्पादन कर लें, हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे, मगर उसमें भागीदार भी नहीं बनेंगे, हम बहिर्गमन कर जाएंगे, लेकिन इन चारों के बाद कोई कार्य नहीं होना चाहिए।

मैं आगे के लिए बता दूं कि आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस सरकार को किसी तरह का सहयोग देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज हम यह बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री कमलनाथ जी, क्या आप बोलना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम इसका विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन करते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात् श्रीमती सुषमा स्वराज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कल आपके कक्ष में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय हुआ था कि...*(व्यवधान)* हम हर विषय पर सभा में चर्चा करना चाहते हैं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन विपक्ष ने विषय को सभा के सामने नहीं रखने दिया। जब विपक्ष के नेता कहते हैं कि हम इन विषयों को सभा के सामने नहीं आने देंगे तो मुझे बड़ी निराशा होती है। महोदया, यह जो भी विषय हैं उन्हें सूचना देने दीजिए और आप तारीख और समय तय कर सकती हैं। आप निर्णय ले सकती हैं और हम इस सभा में बहस करने के लिए तैयार हैं। किंतु वे सभा के बाहर ही बात करना चाहेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि वे जवाब नहीं दे सकते। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है।...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदया: व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

[हिंदी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, यह नहीं हो सकता है। आपने एक मेंबर को बोलने का समय दिया और हमको बोलने

के लिए अवसर नहीं दिया है। हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हमें भी दो मिनट का समय दिया जाए।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैडम, उनकी बात भी एक्सपंज होनी चाहिए। हमेशा इनकी आदत बन गयी है कि किसी डिसकशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, अपनी बात कहकर निकल जाते हैं और दूसरों को बोलने नहीं देते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: एक मिनट बैठ जाइए। पहले उनका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुन लें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं नियम 218(1) का जिक्र कर रहा हूं। मैं उन बातों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो घोटालों इत्यादि पर बहिर्गमन करने से पूर्व विपक्ष के नेता ने कही थी, इस मामले पर बाद में विचार होगा कि क्या आप इस पर सभा में चर्चा करते हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न उन सिफारिशों के बारे में है जो आपने आरंभ में की थीं। सामने चार बिंदुओं–अनुदानों की मांगे (रेल), लेखानुदान, कुल विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक का सर्वदलीय नेता बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का जिक्र किया है...*(व्यवधान)* जरा किताब निकालिए और सुनिए। आपने कहा था कि हर बिल चर्चा में पारित किया जाएगा।

अब मैं नियम 218(1) और 208(1) पढ़ रहा हूं। नियम 208(1) में कहा गया है:

"अध्यक्ष, सभा नेता के परामर्श से, अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए उतने दिन नियत करेगा जो लोक हित से सुसंगत हों।"

यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि आम चर्चा के बिना मतदान कर सकते हैं। महोदया, यदि आप इस नियम को स्थगित करना चाहती हैं तो एक संकल्प पेश करना होगा ताकि आप बिल चर्चा में पारित कर सकें। कृपया नियम 218(1) देखें। नियम 218(1) और (2) में कहा गया है:

"संविधान के उपबंधों के अध्यधीन, प्रक्रिया विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक-महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही न उठाये जा चुके हों।"

इसलिए विनियोग विधेयक पर बहस होगी।

जहां तक वित्त विधेयक का संबंध है तो नियम 219(1) में कहा गया है, "विधेयक के पुर:स्थापित होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष, विधेयक के पारण में अंतर्ग्रस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिए एक या कई दिन नियत कर सकेगा।" अब, वित्त विधेयक मूलत: 6 मई के लिए नियत था।

मैं नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णयों का सम्मान करता हूं। किंतु नेताओं की बैठक में लिया गया निर्णय हर सभा में प्रक्रिया नियम को नहीं रोक सकता और बिल चर्चा के मतदान नहीं करा सकते। यह निर्णय आप ले सकती और सभा ले सकती है कि यह चर्चा एक घंटे, दो घंटे या पांच मिनट की होगी। परंतु आप चर्चा के दिन इस वित्तीय कार्य को पारित नहीं कर सकते। अन्यथा, सरकार को इन तीनों नियमों के स्थगन के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए था।

श्री चिदम्बरम वित्त विधेयक के संबंध में नियम 80(झ) के स्थगन हेतु प्रस्ताव लाए हैं ताकि वह संशोधन पेश करने के लिए विधेयक की सामर्थ्य से बाहर जा सकें। सरकार की तरफ से कोई भी नियमों के स्थगन हेतु प्रस्ताव नहीं लाया है। नियम क्यों बना हुआ है। विभिन्न दलों के बहुत सम्मानित नेताओं, जिसमें हमारे दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय भी उपस्थित थे, के निर्णय के पश्चात् भी हम इस नियम को नहीं रोक सकते।

इसलिए, महोदया, आपकी यह टिप्पणी कि हमने बजट और विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के पारित करने का निर्णय लिया है, नियमों के अनुरूप नहीं है। इसलिए, मेरी मांग है कि आप जो भी करना चाहें, आप पांच मिनट आवंटित करें परंतु चर्चा होने दें और हमें संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जिन चार मंत्रालयों का चर्चा और मतदान हेतु चयन किया गया था उन पर पांच मिनट के लिए ही चर्चा होने दीजिए। वित्त विधेयक के लिए चर्चा होने दीजिए। अन्यथा आपको इन सब नियमों को स्थगित करना पड़ेगा और सभा में रखना होगा।

यदि आप चर्चा के बगैर आज की जरूरतों के लिए इस तरह की मिसाल पेश करते हैं, क्योंकि सरकार इस वित्तीय कार्य को पारित कराना चाहती है तो इससे गलत मिसाल कायम होगी और भावी पीढ़ियां हमें इस सभा में लंबे संघर्ष के बाद स्थापित प्रक्रिया नियमों को तोड़ने, रोकने का आरोप हम पर लगाएंगी।

महोदया, मैं पुन: आग्रह करता हूं कि आप जो भी निर्णय ले किंतु मतदान कराने से पहले कुछ बहस होने चाहिए। सभा के प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत चर्चा के बगैर मतदान का कोई प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, कृपया मुझे केवल दो मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है अथवा यह चर्चा का भाग है?

श्री गुरूदास दासगुप्त: कृपया दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदया: किसके दो मिनट, किसके अधीन?

श्री गुरूदास दासगुप्त: कृपया मेरी बात सुनिए। आपने विपक्ष के नेता की बात सुनी है। वह इस बात पर अपनी मनमानी नहीं कर सकतीं।

अध्यक्ष महोदया: इसलिए, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यही आप कह रहे हैं न।

श्री गुरूदास दासगुप्त: नहीं।

महोदया, विपक्ष की नेता को अनुमति दी गयी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, परंतु विपक्ष में और भी लोग हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो, सभा में व्यवधान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि लंबे समय से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदया: मुझे इसे स्पष्ट करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदया, कृपया मेरी बात सुनें। आपने उनकी बात सुनी है। आप मेरे उस अधिकार को मना नहीं कर सकतीं। मुझे बस दो मिनट चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: मुझे स्थिति को स्पष्ट करने दीजिए। आप नेताओं की बैठक में भी उपस्थित थीं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: ऐसी कोई सहमति नहीं बनी थी कि वह भाषण देंगी और हमें अनुमति नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदया: कृपया मुझे वाक्य पूरा करने दें।

नेताओं की बैठक में यह हुआ था कि जो बहिर्गमन कर रहे हैं वे कुछ शब्द कहेंगे, लंबी बात नहीं कहेंगे, क्योंकि वे बहिर्गमन कर रहे हैं और तत्पश्चात् वे सभा से बाहर चले जाएंगे। यही तय हुआ था।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम सभा से बाहर जाएंगे। हमें भी अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। तब आप बोल सकते हैं, परंतु बहुत संक्षेप में कहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरा मुद्दा यह है, हम संबद्ध नहीं करते...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, वित्तीय कार्य को सूचीबद्ध किया गया है। हमें इस तरह के मामले नहीं लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: बिल्कुल। अपने आप को वित्तीय कार्य तक ही सीमित रखिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: हम स्वयं को श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए मुद्दों से सम्बद्ध नहीं करते हैं। परंतु हम किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहते। हम चर्चा चाहते हैं और सरकार के व्यय पर संसदीय नियंत्रण चाहते हैं। दुर्भाग्यवश, सरकार इतनी संवेदनशील हो गयी है और संसदीय लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ...*(व्यवधान)* यही हमें सभा को बाधित करने के लिए विवश करता है। जेपीसी रिपोर्ट इसका एक उदाहरण है। जेपीसी रिपोर्ट संसदीय प्रणाली का एक विद्रूप चित्र है। उसके लिए, हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर): मैं इसे चुनौती देता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं। यहां हो क्या रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। यह हो क्या रहा है?

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: श्री गुरूदास दासगुप्त जी, आपने मुझसे कहा था कि अपनी बात रखने के बाद आप सभा से बाहर चले जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरूदास दासगुप्तः श्री आचार्य की बात खत्म होने पर हम बाहर चले जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः हम एक साथ बहिर्गमन करेंगे।

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादव जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं आज बहुत तकलीफ से खड़ा हूं। आज जो देश की हालत है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। मैं स्कैम की ज्यादा चर्चा नहीं करता लेकिन 12 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपए यह आपका जो बिल है, यह बेहतर बन सकता था लेकिन एक भी स्कैम को नहीं लिया। आपने सीडब्ल्यूजी कॉमन वैल्थ को पकड़ा लेकिन सिर्फ उसकी पूंछ ही पकड़ी और बाकी सारा हाथी निकाल लाए।...*(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो देश के हालात हैं, दुखदायी हैं, तकलीफदेह हैं और यह सदन नहीं चल रहा है। हम अपनी भावनाएं पूरे विस्तार से नहीं रख पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से ऑबजर्वेशन है, पहले से उन्होंने कहा था,...*(व्यवधान)* कि यह रिपोर्ट सीधे हमें रिपोर्ट करोगे लेकिन इसके बाद यह जो लॉ मिनिस्टर हैं,...*(व्यवधान)* उन्होंने क्यों इसे देखा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब हम बजट प्रस्तावों पर बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः इसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री शरद यादवः अध्यक्ष जी, ये क्या बोले जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः क्या हो रहा है? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः नहीं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)* *

[हिंदी]

श्री शरद यादवः अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं कभी किसी माननीय सदस्य को एक बात भी नहीं बोलता हूं। आप सब लोग हमारा इतिहास जानते हैं। हम कभी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश बहुत कष्ट में है, तकलीफ में है। सरकार को खड़ा होना चाहिए और आपके यहां जिन लोगों के किसी स्कैम में नाम हैं, मैं कहता हूं कि अदालत क्यों कार्रवाई करेगी? आपकी पार्टी पहले उन पर कार्रवाई करती और जब कार्रवाई करती और यदि वे निर्दोष निकलते, छूट जाते।...*(व्यवधान)* हमको संतोष होता। कहीं न कहीं देश को यह पता लगना चाहिए कि हम लोग यहां देश के साथ किसी तरह की अमानत में खयानत नहीं होने देंगे। यह काम पहले आपका है, आपका फर्ज है, हमारा फर्ज नहीं है। हम तो बेचैन हैं, हम तो जुबान भर चलाते हैं, दुनिया तो आपके हाथ में है, देश आपके हाथ में है, यहां वहां से वतन नहीं चलता है। चीन वाला मामला हो या कोई और मामला हो। हम जानते हैं कि फाइनेंस बिल को पास कराना है। हम देश को संकट में नहीं डालना चाहते हैं। संविधान को पूरा करना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है। हमारे पास समय-सीमा है। अभी हमें गिलेटिन करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादवः मैं आपके आदेश के अनुसार इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि खड़े हो और इस देश में जो तकलीफ है उसे मिटाओ। आप

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खुद अलग हो सकते हो, जा सकते हो लेकिन देश यहीं रहेगा। कभी न कभी फर्ज के लिए खड़ा होना पड़ता है। आप फर्ज निभाते नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट रोज कह देता है। हमारी इतनी खराब हालत कभी नहीं थी। क्या सब स्कैम्स के बारे में एक भी ठीक और ठोस कदम उठाया है?

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं बहुत तकलीफ में यहां से वॉक आउट कर रहा हूं। इस पर डिबेट होनी चाहिए थी।

अपराह्न 12.31 बजे

तत्पश्चात् श्री शरद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह दुर्भाग्यजनक है कि आज बिना बहस के फाइनेंस बिल पास कर रहे हैं, हम कभी समर्थन नहीं करते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, अभी वह बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: यह सभी वाद-विवाद और चर्चा करने के लिए है...*(व्यवधान)* यहाँ वाद-विवाद और चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सभा में लगातार व्यवधान क्यों पैदा हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?...*(व्यवधान)* इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार की हठधर्मिता के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि महोदया, कल जब आपने बैठक बुलाई थी तब सरकार कहाँ थी, प्रधानमंत्री ने कई दिनों से लगातार पैदा हो रही व्यवधान की स्थिति का समाधान करने के लिए कोई बैठक क्यों नहीं बुलाई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सभा में टकराव की स्थिति के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: आप इतनी लंबी बात मत बोलिए

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: आज बिना कोई चर्चा किए बजट और वित्त विधेयक पारित कर दिया जाएगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बहुत-बहुत धन्यवाद, अब श्री महताब बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: समूचे विपक्ष की क्या मांगें हैं? हमारी यह मांग है कि विधि मंत्री त्यागपत्र दें। हमारी यह भी मांग है कि जेपीसी के सभापति को पद से हटाया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसका बजट से क्या संबंध है?

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार विपक्ष की उचित मांगों को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? यदि सरकार ने विपक्ष की इन समुचित मांगों को स्वीकार किया होता तो सभा में इस प्रकार व्यवधान पैदा नहीं होता। अतः, इस व्यवधान के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। सरकार इस सभा में कोई वाद-विवाद और चर्चा नहीं चाहती। विरोध स्वरूप हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: मुझे इसके लिए खेद है।

श्री बसुदेव आचार्य: हम यह नहीं चाहते कि बिना कोई चर्चा किए बजट पारित किया जाए इसलिए हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.34 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य, श्री गुरूदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदया, मेरी पार्टी बीजद को इस बात पर अत्यंत खेद है कि आज वित्त विधेयक, विभिन्न मांगों के विनियोग और रेलवे की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा नहीं की जा रही है। कल मैंने यह मत व्यक्त किया था कि यदि हमारे पास इतना कम समय है तो चर्चा हेतु प्रत्येक पार्टी को दो से तीन मिनट का समय देने का कोई औचित्य नहीं हैं परंतु, महोदया मेरा यह कहना है कि सभा में व्यवधान पैदा करने के लिए हम कभी सभा के बीचों बीच नहीं आए हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा नियमों का पालन किया है। पिछले शुक्रवार को ही हमने सभा के बाहर और भीतर प्रदर्शन किया और सभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा किया क्योंकि संप्रग सरकार द्वारा ओडिशा राज्य की लगातार

उपेक्षा किए जाने के कारण ओडिशा राज्य हड़ताल कर रहा था। सरकार, राज्य को विशेष दर्जा प्रदान न करके ओडिशा राज्य की बार-बार उपेक्षा कर रही है। इस बजट में यद्यपि इस बात के संकेत मिलते हैं कि वित्त मंत्री विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे परंतु इस संबंध में कोई बात सामने नहीं आई है।

मेरा पूरे देश से यह अनुरोध है कि इस देश के अल्प विकसित क्षेत्रों-चाहे वह बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड या ओडिशा हो-का विकास करने की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र किए जा रहे राजस्व के वितरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। हमारे पास बोलने और चर्चा करने के लिए काफी कम समय है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया लंबा भाषण मत दीजिए। अन्य सदस्यों के बोलने के लिए समय नहीं बचेगा। कल आपने इस निर्णय का समर्थन किया था। आप वहां कोई और निर्णय लेते हैं और यहां उसे बदल देते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: वर्ष 2013 में हम 1999 की उस स्थिति को दोहरा रहे हैं जब सरकार गिर रही थी, उस समय भी हम बजट पर चर्चा नहीं कर पाए थे। 2004 में भी वित्त विधेयक को शोर शराबे के बीच पारित किया गया था। वर्ष 1999 में सरकार गिरने के कगार पर भी परंतु आज एक विचित्र स्थिति है जबकि सभा को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि इस विधेयक पर चर्चा न की जाए।

अत:, विरोध स्वरूप बीजू जनता दल सभा से बहिर्गमन करता है।

अपराह्न 12.36 बजे

इस समय श्री भर्तृहरि महताब और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम काफी कठिन परिस्थितियों के अंतर्गत वित्तीय कार्य कर रहे हैं। कृपया सहयोग कीजिए। आपको सभा भवन से बाहर जाना पड़ रहा है इसके लिए मुझे बहुत खेद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: डॉ. तम्बिदुरई, आपको केवल 2 मिनट के अंदर अपनी बात कहती है। गिलोटिन का समय अपराह्न 1.30 निर्धारित किया गया है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर): महोदया, आज हम संसद में एक विचित्र स्थिति का सामना कर रहे हैं। जहां तक वित्त विधेयक और बजट का संबंध है मैं एक बात कहना चाहता हूं।

बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और हम बजट पारित कर रहे हैं। हमें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है और हम कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। परंतु, साथ ही हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट से निर्धन लोगों की कोई सहायता नहीं होगी।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है राज्य गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने हमारे राज्य को विशेष वित्तीय सहायता की माँग करते हुए अनेक ज्ञापन सौंपे थे। हमारे राज्य में अनेक चक्रवात आए हैं और अन्य घटनाएं घटी हैं। परंतु, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है। इन सबके बाजवूद वह राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। वह एक ऐसा वित्त विधेयक ला रहे हैं जिससे राज्य के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण भी वह अपने तरीके से कर रहे हैं। राज्य सरकारें योजनाओं को लागू करने जा रही है परंतु, केन्द्र सरकार नकद धनराशि का प्रत्यक्ष अंतरण करने जा रही है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं। हमें इस पर आपत्ति है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात का विरोध करते हुए आवेदन पत्र लिखे थे।

बजट में हमारे राज्य जो कि अनेक आपदाओं से पीड़ित हुआ है, को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

मैंने टू जी का मुद्दा कई बार उठाया है, परंतु सरकार ने कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की। वह प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं है। यहां इतने सारे घोटाले हुए हैं। यह सरकार इस देश पर शासन करने लायक नहीं है।

इसलिए हम बजट और वित्त विधेयक को पारित करने में पक्षकार नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए, विरोध में, अन्नाद्रमुक सभा से बहिर्गमन करती है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.39 बजे

इस समय डॉ. एम. तम्बिदुरई और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः प्रो. सौगत राय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैंने सभी नियम और भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ है के बारे में पढ़ा है और मैं इसका उल्लेख कर सकती हूं कि विशेष परिस्थितियों में, इस सभा ने भूतकाल में भी बिना चर्चा के ही वित्तीय मामलों को पारित किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। कृपया बैठ जाइये। मैं अभी भी बोल रही हूं। मुझे इस बात का अत्यधिक दुःख है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें चर्चा को छोड़ना होगा और हमें इन चार मदों को पारित करना होगा। गिलोटिन का समय अपराह्न 1.30 बजे निर्धारित है और यह कल नेताओं की बैठक में निर्धारित हुआ था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइये। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें। यह कौन सी आदत है? मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। इसलिए, आपने जो बात कही है मैं उसे मान ली हूं और बहुत जल्दी ही मैं कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकती हूं ताकि चर्चा करने की यह आवश्यकता पूरी तरह न छुटे। कृपया ध्यान में रखें कि अपराह्न 1.30 बजे गिलोटिन किया जाना है और सदस्यों से अनुरोध है कि लंबे भाषण न दें और मैं बहुत ही थोड़े लोगों को अनुमति दे सकती हूं, केवल जब उनके पास ठोस विषय हो और वे अपने विषय को दुबारा नहीं कहने जा रहे हों।

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुम्बुदुर): इस महान सभा में एक बहुत अनोखी स्थिति है। वे लोग, जो कार्य मंत्रणा समिति में सहमत थे, इस सभा में तद्नुरूप कार्य नहीं किए। वहां जो कुछ चर्चा हुई यहां उसका पालन नहीं हो रहा है।

परंतु, जहां तक डीएमके पार्टी का सवाल है, हम बजट के पक्ष में हैं; हम वित्त विधेयक के भी पक्ष में हैं। विधेयक को पारित करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस वित्त विधेयक को पारित करने में बाधा नहीं बनना चाहते हैं। परंतु इसके साथ ही, संयुक्त संसदीय समिति के प्रारूप प्रतिवेदन में जो कुछ भी घटित हुआ उसका हम जोरदार तरीके से विरोध करने को बाध्य हैं। उसके परिणामस्वरूप उस समिति के 30 माननीय सदस्यों में से 15 ने संयुक्त संसदीय समिति के सभापति को तत्काल हटाने के लिए निवेदन करते हुए माननीय अध्यक्ष को एक पत्र दिया है ताकि जो कुछ भी उनके द्वारा गलत कार्य किया गया है उसे सुधारा जा सके। केवल इसी मुद्दे पर हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं और हम इस मामले में किसी की नकल नहीं कर रहे हैं। यही बात मैं रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता हूं कि हम किसी के बहकावे में ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं ही सभा का बहिर्गमन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.43 बजे

इस समय, श्री टी.आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये

अध्यक्ष महोदयाः यह इस प्रकार है कि सर्वप्रथम, हमें रेल बजट पारित करना है और पारित करने के बाद हम चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदया, मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः क्या आप सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं? आपको किसलिए दो मिनट बोलना है?

[हिंदी]

श्री नामा नागेश्वर रावः मैडम, हम लोग तो हाऊस चलाने के लिए और डिस्कशन के लिए हम टाइम रेडी थे। मगर जिस तरह से अभी भी ऑनरेबल मिनिस्टर बोल रहे हैं, अपोजीशन डिस्कशन के लिए रेडी नहीं हैं, कोई नोटिस वगैरह नहीं देते हैं। इस सेशन में हम लोगों ने काफी नोटिस दिए हैं। फार्मर्स के इश्यूज़ के ऊपर और बजट के ऊपर काफी नोटिस दिए हैं। कोलगेट और बहुत से इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन के लिए नोटिस दिए हैं। आज के दिन अगर हाऊस नही चल रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की है। अगर आप टू-जी स्पेक्ट्रम के बारे में देखें, इसी हाऊस में पूरा एक सेशन बर्बाद हो गया था। आखिर में सरकार ने एग्री किया था। वही काम अगर पहले होता तो वह सेशन पूरा चल सकता था। आज भी सेशन नहीं चलने की जिम्मेदार यह सरकार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.44 बजे

तत्पश्चात्, श्री नामा नागेश्वर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

अपराह्न 12.45 बजे

अनुदानों की मांगें (रेल), 2013-14

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम अब मद संख्या 17–अनुदानों की मांगें (रेल) को सभा में मतदान के लिए रखते हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

'कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए, आवश्यक राशि को पूरा करने के लिए, कार्य सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।''

माननीय सदस्यों, मैं अनुदानों की मांगें (रेल) के संबंध में परिचालित किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया मानती हूं।

सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि (रुपए में)
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	211,67,50,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	749,07,50,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	4933,69,26,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	7898,20,23,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	3664,20,77,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	8527,69,67,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	4541,70,17,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टॉक और उपस्कर	7073,31,88,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात	12333,05,44,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	22061,74,69,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	4013,90,58,000
12.	विविध संचालन व्यय	4074,17,30,000
13.	भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवाएं—निवृत्ति लाभ	18855,39,38,000
14.	निधियों में विनियोग	35551,50,00,000

1	2	3
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	6244,91,17,000
16.	परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	50,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	77537,63,15
	रेलवे निधियां	12543,53,75,000
	रेलवे संरक्षा निधि	1666,41,67,000
	कुल	232531,84,11,000

कटौती प्रस्ताव
(अनुदानों की मांगें-रेल)

सांकेतिक

डॉ. भोला सिंह (नवादा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गया से नवादा वरीसालीगंज तक महाबोधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (1)

बरास्ता नवादा और गया हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस को चलाए जाने की आवश्यकता (2)

नवादा होते हुए गया और जसीदीह (देवधर) के बीच इंटरसिटी ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (3)

नवादा और वरीसालीगंज रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (4)

राजगीर-तिलैया रेलवे खंड पर चल रही एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का विस्तार नवादा वरीसालीगंज तक किए जाने की आवश्यकता। (5)

तिलैया रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाए जाने की आवश्यकता। (6)

बरौनी हॉल्ट के नाम को बरौनी गांव में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता। (7)

विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक कोच आरक्षित किए जाने की आवश्यकता। (8)

बेगूसराय स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (9)

पुणे, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई और अन्य महत्वपूर्ण नगरों तक जाने वाली रेलगाड़ियों में बेगूसराय से आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (10)

बेगूसराय से पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तक ई.एम.यू. अथवा इंटरसिटी रेलगाड़ियां आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (11)

बरहइया स्टेशन पर 13331/13332 इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (12)

बरहइया रेलवे स्टेशन पर 12053/12054 हावड़ा-पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (13)

पटना से हावड़ा तक जन शताब्दी एक्सप्रेस आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (14)

बेगूसराय, सहरसा, वरसालीगंज और गया रेलवे स्टेशनों पर सीमेंट वाले रेक प्वाइंटों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (15)

समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत मधेपुरा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (16)

समस्तीपुर रेल मंडल में बछवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आम्रपाली, अवध-असम, बलिया-सियालदाह एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (17)

बछवाड़ा रेलवे स्टेशन से प्रातः दस बजे से पहले एक यात्री रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (18)

समस्तीपुर-खगड़िया रेलवे लाइन पर एक डीएमयू ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता जिसका ठहराव बछवाड़ा रेलवे स्टेशन पर हो। (19)

12423-24 (गुवाहटी राजधानी) और 15227-28 (यशवंतपुर एक्सप्रेस) रेलगाड़ियों का बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर टहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (20)

रेलगाड़ी संख्या 15635-36 द्वारका एक्सप्रेस, 15715-16 गरीब नवाज एक्सप्रेस, 15631-32 गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेनों का बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर ठहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (21)

हाजीपुर जोन के अंतर्गत गया से झाझा तक डीएमयू ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (22)

तैलया को रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (23)

मुंगेर-खगड़िया रेल सह सड़क पुल के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता। (24)

उत्तर पूर्व रेलवे के हाजीपुर जोन के अंतर्गत कछवाड़ा स्टेशन पर 'ए' श्रेणी आदर्श स्टेशन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (25)

मध्य पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल के अंतर्गत शेखपुरा सब-स्टेशन के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (26)

मध्य पूर्व रेलवे के हाजीपुर जोन के अंतर्गत बेगूसराय स्टेशन पर "ए" श्रेणी मॉडल स्टेशन सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (27)

मध्य पूर्व रेलवे के दानापुर रेलवे मडल में नवादा रेलवे स्टेशन को "ए" ग्रेड मॉडल स्टेशन सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (28)

मध्य पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में हिसुआ रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (29)

बरौनी-हसनपुर रेल लाइन के निर्माण कार्य की गति बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (30)

नवादा को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (31)

पावापुरी हॉल्ट का स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (32)

वरिष्ठ नागरिकों को सभी श्रेणियों में रेल किराए में 50% छूट दी जाने की आवश्यकता। (33)

वरिष्ठ नागरिकों को वर्ष में एक बार निःशुल्क भारत दर्शन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (34)

नवादा स्टेशन से दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (35)

पटना से जयनगर/दरंभगा तक डीईएमयू और एमईएमयू रेलगाड़ियां आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (36)

पटना से दिल्ली, हावड़ा, मुंबई और पुणे तक रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (37)

पटना से मुंबई और बंगलौर तक अतिरिक्त सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (38)

12315/12316 अनन्या एक्सप्रेस दैनिक को अतिरिक्त 2 एसी और 3 एसी कोचों के साथ चलाए जाने की आवश्यकता। (39)

पटना कोचीन एक्सप्रेस को सुपरफास्ट एक्सप्रेस बनाकर इसे सप्ताह में चार दिन चलाए जाने की आवश्यकता। (40)

पटना-पुरी एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन चलाए जाने की आवश्यकता। (41)

मध्य उत्तर-पूर्व रेलवे में समस्तीपुर मंडल में गढ़पुरा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (42)

पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत सलीना स्टेशन के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (43)

मध्य-पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल के अंतर्गत मनपोड़ पर नया हाल्ट दिए जाने की आवश्यकता। (44)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

हाजीपुर जोन में बरौनी-गढ़हारा यार्ड की 200 एकड़ भूमि पर रेलवे स्टेशन, चिकित्सा कॉलेज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (45)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.04.03) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

गया-नवादा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की आवश्यकता। (46)

नवडीह कावाकोल से गिरडीह तक प्रस्तावित रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (47)

बछवाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रीशेड बनाए जाने की आवश्यकता। (48)

हाजीपुर जोन के अंतर्गत गया-कियूल रेल लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता। (49)

दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत गया-कियूल रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की आवश्यकता। (50)

मध्य उत्तर पूर्व स्टेशन के हाजीपुर जोन में बेगूसराय में 47वें ढाला लाखों पर रेल-ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (51)

मध्य-पूर्व रेलवे के हाजीपुर जोन में बरौनी रेलवे स्टेशन के पश्चिम भाग पर ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (52)

बरौनी-गुवाहाटी रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की आवश्यकता। (53)

श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सोनपुर से सेवा शुरू करने वाली सभी रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (54)

मानव रहित समपारों पर विशेषकर बिहार में गैंगमैनों को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (55)

श्री राम सुंदर दास (हाजीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

संसद सदस्यों के पति/पत्नियों को जब वे अकेले यात्रा करने पर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी पास निःशुल्क प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (56)

बिहार के हाजीपुर और सोनपुर रेलवे स्टेशनों पर किसान विज्ञान परियोजना के अंतर्गत प्रशीतक कंटेइनर संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (57)

बिहार के हाजीपुर जिले में आधुनिक लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे ट्रेक प्रशिक्षण केंद्र या बहु-विभाग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (58)

हाजीपुर-सोनपुर होते हुए मुजफ्फरपुर और नई दिल्ली के बीच एक नई शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता। (59)

बिहार के हाजीपुर और सोनपुर में कोच फैक्ट्री, लोको फैक्ट्री और डीजल बहु-इकाई फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (60)

नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली दुरन्तो एक्सप्रेस को बरौनी होते हुए हाजीपुर, बिहार तक बढ़ाने जाने की आवश्यकता। (61)

हाजीपुर रेलवे स्टेशन से होकर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में प्रथम, दूसरी और तीसरी श्रेणी के वातानुकूलित कोचों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (62)

श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद, मगहर और चुरेव रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (63)

उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के निकट गेट संख्या 178, 179 और 180 पर फ्लाइओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (64)

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर रेलवे स्टेशन के निकट एक उपमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (65)

उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेन संख्या 12541/12542, 15211/15212 को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (66)

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर/गोरखपुर जिले में आधुनिक लोको पायलट प्रशिक्षण केन्द्र, रेलवे ट्रैक प्रशिक्षण केन्द्र या बहु-विभाग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (67)

गोरखपुर और नई दिल्ली के बीच एक नई शताब्दी/ राजधानी एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता। (68)

गोरखपुर/खलीलाबाद होते हुए बरौनी और नई दिल्ली के बीच एक नई जन शताब्दी एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता। (69)

उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद और मगहर रेलवे स्टेशनों पर किसान विजन परियोजना के अंतर्गत एक प्रशीतक कंटेइनर संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (70)

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद और मगहर रेलवे स्टेशनों पर कोच फैक्ट्री, लोको फैक्ट्री और डीजल बहु-इकाई फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (71)

नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली दुरन्तो एक्सप्रेस को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (72)

ट्रेन संख्या 12557/12558 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित कोचों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (73)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कांहनगाड पनथूर-कनियूर के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (74)

कण्णूर-मंगलोर से और अधिक सवारी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (75)

केरल में 'पेनिनसुला जोन' के नाम से एक विशेष रेल जोन का गठन किए जाने की आवश्यकता। (76)

कर्णाटक होते हुए कन्याकुमारी से गोवा तक एक पर्यटन ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (77)

तिरुवनंतपुरम से मंगलोर तक एक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (78)

कांहनगाड-पनथूर रेल लाइन के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (79)

निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति ट्रेनों की बारंबारता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (80)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

वर्ष 2010-2011 के रेल बजट में यथाघोषित सामाजिक रूप से वांछनीय रेल संबद्धता संबंधी प्रस्ताव के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर-दिगलीपुर रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (81)

श्री राम सुंदर दास (हाजीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

हाजीपुर में रेलवे की अधिशेष भूमि पर रेल अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (82)

श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

खलीलाबाद/मगहर में रेलवे की अधिशेष भूमि पर रेल अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (83)

श्री राम सुंदर दास (हाजीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विविध कार्यशील व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

नई दिल्ली और हाजीपुर के बीच चलने वाली सभी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में पैन्ट्रीकार की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (84)

सभी रेलगाड़ियों के प्रत्येक कोच में कम-से-कम एक सुरक्षा कर्मी को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (85)

श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

दिल्ली और रक्सौल के बीच चलने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस में पैन्ट्रीकार सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (86)

श्री राम सुन्दर दास (हाजीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

हाजीपुर होते हुए लखनऊ-बराउनी मार्ग का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (87)

हाजीपुर-सोनेपुर होते हुए गोरखपुर और बराउनी के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (88)

बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन में और अधिक प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (89)

श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण एवं बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर रेलवे स्टेशन पर पैदल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (90)

नरकटियागंज जंक्शन, बेतिया और बापुधाम मोतिहारी होते हुए गोरखपुर और बराउनी के बीच लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (91)

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद और मगहर रेलवे स्टेशनों पर और अधिक प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (92)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण एवं बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कण्णूर ओर कासरगोड रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (93)

शोरणूर मंगलोर रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (94)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मध्य रेल जोन के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों से लोहे की छीलन की चोरी को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (95)

महाराष्ट्र के सभी पर्यटन स्थलों की रेलवे तंत्र से जोड़े जाने के लिए स्कीम तैयार करने तथा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (96)

महाराष्ट्र विशेषकर हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सब्जियों और फलों के परिवहन के लिए विशेष वैगन प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (97)

देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर जलपान केन्द्रों और पुस्तकशालाओं का अधिमान्य आबंटन गरीब शिक्षित बेरोजगार युवकों को किए जाने की आवश्यकता। (98)

कोल्हापुर और किर्लोस्करवाडी के बीच नई सवारी रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (99)

जयसिंगपुर रेलवे स्टेशन से होकर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को जयसिंगपुर में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (100)

सहयाद्री एक्सप्रेस (सीएसटीएम से सीएसएमटी कोल्हापुर तक) में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (101)

कोल्हापुर जाने वाले रेलगाड़ियों में सीटों/बर्थों के आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (102)

पुणे-दिल्ली एक्सप्रेस को कोल्हापुर से चलाए जाने की आवश्यकता। (103)

हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्री निवासों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (104)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पश्चिम महाराष्ट्र में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए और अधिक निधियों का आबंटन करने तथा सर्वेक्षण की समाप्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (105)

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता। (106)

कोल्हापुर और वैभववादी के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता। (107)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में सफाई बनाए रखने की आवश्यकता। (108)

महाराष्ट्र के हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर मरम्मत और अनुरक्षण कार्य किए जाने की आवश्यकता। (109)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मध्य रेल के अंतर्गत रेल कॉलोनियों के अनुरक्षण और मरम्मत किए जाने की आवश्यकता। (110)

कुर्दुवादी, लातुर रोड, पुर्ना, अकोला से होते हुए कोल्हार-नागपुर एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता। (111)

मध्य रेल जोन के अंतर्गत पुणे मंडल के सभी रेलवे कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (112)

कि विविध कार्यशील व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलगाड़ियों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की आवश्यकता। (113)

रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही खान-पान सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (114)

बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (115)

कि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण एवं बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के सभी रेल मंडलों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (116)

हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम का सामना करने वाले सभी रेलवे क्रॉसिंग पर पैदल उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (117)

हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए और अधिक बेंच प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (118)

हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर समुचित पार्किंग सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (119)

कोल्हापुर और मीरज जंक्शन के बीच के सभी रेलवे स्टेशनों पर शेडों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (120)

जयसिंगपुर रेलवे स्टेशन के पुराने बुकिंग कार्यालय को एक रेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता। (121)

कोल्हापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर एक नया शेड का निर्माण करने तथा वर्तमान शेड के लिए नये सीलिंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (122)

जयसिंगपुर रेलवे स्टेशन के नए बुकिंग कार्यालय के निकट एक नए शेड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (123)

हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता। (124)

सांगली और कोल्हापुर रेलवे स्टेशनों के प्रत्येक प्लेटफार्मों पर फूड प्लाजा या कैंटीन प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (125)

सांगली जिले के कर्द-कुंडल रेल मार्ग पर तुपारी तहसील के पलुस में सड़क उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (126)

कोल्हापुर-मिराज रेल मार्ग पर अटिग्रे, हातकंगले, जयसिंगपुर और मिराज में सड़क उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (127)

कोल्हापुर-सांगली-पुणे रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (128)

हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों पर बिना किसी विलंब के रेल उपरिपुलों और पुलियों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (129)

कोल्हापुर-पुणे रेलवे मार्ग पर विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (130)

कोल्हापुर-मिराज रेल मार्ग पर हातकंगले में लक्ष्मी उद्योग के निकट एक नया रेल समपार बनाए जाने की आवश्यकता।

(131)

महाराष्ट्र विशेषकर नासिक, पुणे, अहमद नगर और सोलापुर जिलों में मांग के अनुसार प्याज के परिवहन करने के लिए और अधिक वैगन प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (132)

हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर एटीएम सुविधायुक्त एक बैंक की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (133)

महाराष्ट्र विशेषकर हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता।

(134)

महाराष्ट्र के सभी मंडलों के अंतर्गत संयंत्रों और उपस्करों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (135)

महाराष्ट्र विशेषकर हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (136)

महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों में रेलवे स्टेशन भवनों का नवीकरण और उन्नयन कार्य किए जाने की आवश्यकता। (137)

जयसिंगपुर रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (138)

महाराष्ट्र में नई रेल लाइन बिछाने के कार्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (139)

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

नंदुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12135/12136 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (140)

मलकापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12859/12860 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (141)

रावेर स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12149/12150 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (142)

भुसावल और मुंबई के बीच नई गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (143)

मनमाड (एमएमआर), भुसावल, भोपाल से होकर मुंबई (सीएसटीएम) और नई दिल्ली के बीच एक नई राजधानी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (144)

शेगांव और पंढरपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (145)

भुसावल स्टेशन से ट्रेन संख्या 11039/11040 में एक स्लीपर डिब्बा, एक 3 श्रेणी वातानुकूलित डिब्बा जोड़े जाने की आवश्यकता। (146)

दादर और भोपाल के बीच नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (147)

भुसावल से ट्रेन संख्या 12627/28, 12780/79, 12715/16 और 12859/60 में इमरजेंसी कोटा में से दस स्लीपर, आठ ppp श्रेणी वातानुकूलित डिब्बों में आठ बर्थ और pp श्रेणी वातानुकूलित डिब्बे में चार बर्थ जारी किए जाने की आवश्यकता। (148)

डौंड से होकर भुसावल और पुणे के बीच एक नई एक्सप्रेस गाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (149)

ट्रेन संख्या 12109/12110 का भुसावल स्टेशन तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (150)

ट्रेन संख्या 12171/12172 (एलटीटी-हरिद्वार एक्सप्रेस) को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता। (151)

साई नगर शिरडी और नई दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (152)

भुसावल से होकर भोपाल और बंगलौर के बीच एक नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (153)

ट्रेन संख्या 12101/12102 का भुसावल तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (154)

ट्रेन संख्या 17639/17640 (अकोला-काचीगूडा एक्सप्रेस) का भुसावल तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (155)

प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को बर्थ प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रणाली तैयार किए जाने की आवश्यकता। (156)

भुसावल से सभी ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा के तहत चार स्लीपर बर्थ और चार 3एसी बर्थ स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। (157)

ट्रेनों का समय पर चलना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (158)

सभी तत्काल टिकट धारकों को बर्थ प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (159)

पचोरा-जमनेर रेल लाइन का बोडवाड तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (160)

ट्रेन संख्या 12111/12112 में भुसावल स्टेशन से छह स्लीपर डिब्बे, दो 2एसी डिब्बे, तीन 3एसी डिब्बे और एक अनारक्षित डिब्बा जोड़े जाने की आवश्यकता। (161)

भुसावल डिजीवन में रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले सर्विस रोड का रखरखाव किए जाने की आवश्यकता। (162)

आनलाइन यात्री आरक्षण प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (163)

दिल्ली से कन्याकुमारी, पंढरपुर, तिरुपति और वैष्णों देवी तक टूरिस्ट गाड़ियां शुरू किए जाने की आवश्यकता। (164)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

भुसावल, मलकानपुर, बारांगांव, बोडवाड, नंदुरा, सावदा और रावेर रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (165)

भुसावल, मलकापुर और नंदुरा रेलवे स्टेशनों पर जलमल व्ययन प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (166)

कि संचालन व्यय यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 09.01.1-09.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सभी ट्रेनों के लिए टिकट निरीक्षण दस्ता गठित किए जाने की आवश्यकता। (167)

कि स्टॉफ कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

भुसावल में रेलवे स्टॉफ को आवास सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (168)

भुसावल में रेलवे कालोनियों का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता। (169)

भुसावल रेलवे कालोनियों में सौर विद्युत की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (170)

भुसावल में उच्चतर शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (171)

रेलवे अस्पताल, भुसावल का एक मल्टी स्पेशयलिटी अस्पताल के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (172)

भुसावल, सावदा, रावेर, मलकापुर और नंदुरा में स्टाफ क्वार्टर्स में पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (173)

भुसावल, मलकापुर, नंदुरा, सावदा और रावेर रेलवे स्टेशनों पर सभी कर्मचारियों के लिए नए स्टॉफ क्वार्टर्स निर्मित किए जाने की आवश्यकता। (174)

कि विविध कार्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

भुसावल और मलकापुर रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट निगरानी रखे जाने की आवश्यकता। (175)

कि परिसंपत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सावदा, निम्भारा, बोडवाड और नंदुरा रेलवे स्टेशनों पर नए टिकट आरक्षण कार्यालय निर्मित किए जाने की आवश्यकता। (176)

भुसावल, मलकापुर, रावेर और नंदुरा रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म के दोनों किनारों पर पुरुष और महिला शौचालय प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (177)

भुसावल मंडल में सभी रेलवे पुलों का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता। (178)

भुसावल मलकापुर, नंदुरा और रावेर रेलवे स्टेशनों पर विस्तारित प्लेटफार्मों के लिए शेड प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (179)

बोडवाड रेलवे स्टेशन पर माल रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (180)

बिस्वान ब्रिज रेलवे स्टेशन पर पैदल पार पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (181)

नंदुरा रेलवे स्टेशन पर सड़क उपरी पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (182)

भुसावल के समीप तापी नदी पर एक नए रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (183)

सावदा रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (184)

भुसावल, मलकापुर, नंदुरा, बोडवाड और रावेर रेलवे स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (185)

पचोरा जमनेर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता। (186)

भुसावल रेलवे स्टेशन पर दो प्लेटफार्म निर्मित किए जाने की आवश्यकता। (187)

भुसावल रेलवे स्टेशन पर एक नए पैदल पार पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (188)

भुसावल, मलकापुर, नंदुरा, तारागांव और बोडवाड रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (189)

भुसावल मंडल में रिक्त रेल भूमि पर वृक्षारोपण किए जाने की आवश्यकता। (190)

भुसावल मंडल में सभी गिरडर पुलों को बदले जाने की आवश्यकता। (191)

भुसावल मंडल में सभी पुराने सड़क अंडरब्रिजों को बदले जाने की आवश्यकता। (192)

सावदा, निम्भोरा, रावेर, वाघोड़ा, दुस्खेडा, नंदुरु, मलकापुर और बोडवाड रेलवे स्टेशनों पर पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (193)

भुसावल में कोच निर्माण फैक्टरी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (194)

भुसावल में रेल नीर वाटर बाटलिंग संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (195)

भुसावल में इंजन विनिर्माण संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (196)

भुसावल में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (197)

भुसावल में इंडोर स्पोर्ट्स एकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (198)

भुसावल में एक हालीडे होम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (199)

भुसावल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (200)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कानपुर-बिल्हौर-कन्नौज-फर्रूखाबाद रेल लाइन पर रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (201)

कानपुर-बिल्हौर-कन्नौज फर्रूखाबाद रेल लाइन पर रेलगाड़ियों में कोच की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (202)

कानुपर बिल्हौर-कन्नौज-फर्रूखाबाद रेल लाइन के बगल से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 पर स्थित रेल समपार पर उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता। (203)

भारी यातायात को देखते हुए संडिला में रेल समपार पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (204)

बिल्हौर में रेल समपार पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (205)

किचौना ब्लॉक में रेलवे क्रॉसिंग सं. 97 खोले जाने की आवश्यकता। (206)

नई दिल्ली-गाजियाबाद-बरेली-हरदोई-लखनऊ मार्ग पर नई शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (207)

दिल्ली से नीमसार तक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (208)

बालामऊ, हरदोई, सीतापुर, नीमसार और संडिला रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उत्क्रमित किए जाने की आवश्यकता। (209)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी मानवरहित रेलवे फाटकों पर चौकीदार की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (210)

उत्तर प्रदेश के हरदोई और सीतापुर में किसानों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए किसान विजन परियोजना के अंतर्गत एक कोल्ड कन्टेनर फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (211)

लखनऊ-हरदोई रेल समपार जिसका अनुमोदन हो चुका है को प्रकार्यात्मक बनाए जाने की आवश्यकता। (212)

सीतापुर-लखनऊ बड़ी रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (213)

बालामऊ-नीमसार और शाहजहांपुर से होकर कानपुर- दिल्ली के बीच आबिदा एक्सप्रेस ट्रेन फिर से चलाए जाने की आवश्यकता। (214)

रेलगाड़ी सं. 5037/5038 को अरौल माकनपुर स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (215)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मलवा और माधव गंज रेलवे स्टेशन पर शेड का प्रबंध किए जाने की आवश्यकता। (216)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अरवल-माकनपुर रेलवे स्टेशन पर कलिआंड्री एक्सप्रेस (14723-14724) और पवन एक्सप्रेस (15037- 15038) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (217)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिवराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किमी. दूर मानव रहित रेल समपार सं. 43 को खोले जाने की आवश्यकता। (218)

आबिदा एक्सप्रेस का नीमसार रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (219)

मालवा रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (220)

सीतापुर-बालामऊ यात्री रेलगाड़ी में कोच की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (221)

उत्तर प्रदेश के हरदोई और सीतापुर जिले में रेल कोच फैक्ट्री, लोकोमोटिव फैक्ट्री और डीजल मल्टिपल यूनिट फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (222)

नमक और अन्य आवश्यक सामग्री पर मालभाड़ा प्रभार घटाए जाने की आवश्यकता। (223)

दिल्ली-कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (224)

बालामऊ, नीमसार और सीतापुर से होकर आबिदा एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (225)

बिल्हौर में ग्वालियर-छपड़ा का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (226)

नई कानपुर-वाराणसी जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (227)

बरेली से होकर लखनऊ से दिल्ली तक नई जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (228)

झांसी और ग्वालियर से होकर कानपुर से नई जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (229)

सीतापुर, हरदोई और कानपुर से चलने वली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (230)

सीतापुर, हरदोई और कानपुर स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (231)

सीतापुर, हरदोई और कानपुर में रेलवे अतिरिक्त कलपुर्जों की विनिर्माण एकक बनाए जाने की आवश्यकता। (232)

समूह 'ग' और 'घ' श्रेणियां में सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता। (233)

लखनऊ और दिल्ली के बीच एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (234)

देश के विभिन्न रेलवे जोन में रेलवे ट्रैक के अनुपात में गैंगमैन की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (235)

गैंगमैन को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षा सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (236)

रात्रि में मानव रहित रेलवे फाटकों पर रेल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (237)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (238)

मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नैमिसारण्य तीर्थस्थल केन्द्र को एक तीर्थयात्री रेलगाडी से जोड़े जाने की आवश्यकता।

(239)

मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नैमिसारण्य तीर्थस्थल केंद्र को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से जोड़े जाने की आवश्यकता।

(240)

मिसरिख को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी से दिल्ली से जोड़े जाने की आवश्यकता। (241)

रेलगाड़ियों को उत्तर प्रदेश की सभी बड़े स्टेशनों पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (242)

कोयला और नमक का मालभाड़ा प्रभार घटाए जाने की आवश्यकता। (243)

चालू वर्ष के दौरान वैगन की खरीद के लिए लक्ष्य प्राप्त किए जाने की आवश्यकता। (244)

देश की रेल कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (245)

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न रेलवे जोन द्वारा प्रचालनात्मक लक्ष्य प्राप्त किए जाने की आवश्यकता। (246)

नाशवान फल और सब्जियों की सस्ती दरों पर तेजी से ढुलाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (247)

पुरानी रेल लाइन, पुल और सिग्नल सिस्टम को बदलने के लिए रेल पूंजीगत निधि बनाए जाने की आवश्यकता। (248)

रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को रोकने के लिए धनराशि का आवंटन किए जाने की आवश्यकता। (249)

रेल में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पिछली पद रिक्तियां भरे जाने की आवश्यकता। (250)

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता। (251)

रेल का गैर-योजना व्यय घटाए जाने की आवश्यकता। (252)

नई रेल लाइन बिछाए जाने के दौरान विकास के साथ वाणिज्यिक पहलुओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता। (253)

वैद्युत लोकोमोटिव की खरीद बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

(254)

लंबी दूरी वाली एक्सप्रेस और सवारी रेलगाड़ियों में चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (255)

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली व्यक्तियों के लिए रियायती मासिक सीजन टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता। (256)

रेल के हाकरों को लाइसेंस जारी किए जाने की आवश्यकता।

(257)

गरीब व्यक्तियों को पट्टा पर रेल-भूमि दिए जाने की आवश्यकता। (258)

यात्री किराया और मालभाड़ा प्रभार में हुई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (259)

देश की कोच और वैगन विनिर्माण एककों को बचाने के लिए कोच और वैगन के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता। (260)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता। (261)

कि स्थायी रेलपथ और कार्य की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त पेय-जल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

(262)

कि मोटिव पावर की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 05.01.1-05.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे लोकोमोटिव के अनुरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में कार्यशाला की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (263)

कि कैरेज और वैगन की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 06.01.1-06.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वैगन की मरम्मत हेतु कार्यशाला बनाए जाने की आवश्यकता। (264)

कि कर्मचारी कल्याण और प्रसुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

हरदोई जिले के बलमाउ जंक्शन के समीप रेल भूमि पर अस्पताल बनाए जाने की आवश्यकता। (265)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल अस्पताल बनाए जाने की आवश्यकता। (266)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी और कैंसर के उपचार और इलाज के लिए रेल-अस्पताल में सुविधा युक्त एक रेल अस्पताल बनाए जाने की आवश्यकता। (267)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोन में रेलवे कॉलोनी की मरम्मत और उनका अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (268)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 50 बेडवाला रेल अस्पताल बनाए जाने की आवश्यकता। (269)

रेल कर्मचारियों विशेष रूप से गैंगमैन को पर्याप्त भवन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (270)

कि विविध कार्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवाओं में कथित अनियमितताएं रोके जाने की आवश्यकता। (271)

देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल-माल की संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (272)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता सुविधा में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (273)

रेलगाड़ियों में संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (274)

कि आस्तियां-अर्जन निर्माण और प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नीमसाद, मिसरिख, चमेदपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर और अरावल रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किए जाने और वहां पेयजल, टॉयलेट, विश्राम कक्ष आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (275)

सीतापुर-लखनऊ रेल-लाइन की बड़ी रेल लाइन में आमान-परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (276)

बिल्हौर से काकवां रेल मार्ग पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (277)

संडिल्ला में बेनीगंज मार्ग पर रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (278)

मिसरिख रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता। (279)

कानपुर-ओरई-झांसी रेल मार्ग का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (280)

लखनऊ-सीतापुर-मैलानी-पीलीभीत-बरेली रेल मार्ग का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता। (281)

कानपुर-ओरई-झांसी रेलमार्ग का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (282)

सीतापुर और नानपाड़ा के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (283)

बालामाऊ और कन्नौज के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (284)

मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों पर और अधिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (285)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (286)

रेलगाड़ियों में खान-पान और शयन सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (287)

रेलवे पुल के नीचे पक्की सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (288)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चौकीदारों को प्रतिनियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (289)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्लेटफार्म पर शेड उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (290)

श्री प्रवीण सिंह ऐरन (बरेली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

बरेली जंक्शन से बोम्बे तक सप्ताह में दो बार लोकमान्य तिलक रेलगाड़ी (सं. 14313/14314) चलाए जाने की आवश्यकता। (291)

बरेली जंक्शन से आगरा तक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (292)

बरेली से चेन्नई तक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (293)

इलाहाबाद से जम्मूतवी तक इलैक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (294)

पुष्पक एक्सप्रेस (सं. 12533/12534) बरेली जंक्शन से चलाए जाने की आवश्यकता। (295)

हजरत निजामुद्दीन-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस (सं. 12416/ 12415) बरेली तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (296)

श्री हरि मांझी (गया): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पारसनाथ एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 12941) दैनिक आधार पर चलाए जाने की आवश्यकता। (297)

धनबाद-हावड़ा डबल-डेकर ट्रेन गया तक चलाए जाने की आवश्यकता। (298)

गया से बंगलौर तक नई ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (299)

गया-चेन्नई एग्मोर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सं. 12389 दैनिक आधार पर चलाए जाने की आवश्यकता। (300)

ट्रेन सं. 12259 तथा ट्रेन संख्या 12273 दुरोन्तो एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव गया स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता। (301)

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव गया स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता। (302)

गया से ट्रेन संख्या 12301 हावड़ा राजधानी तथा ट्रेन संख्या 12313 सियालदह राजधानी में आपातकाल कोटा दिए जाने की आवश्यकता। (303)

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेलवे डिवीजन के चकिया रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (304)

दिल्ली से गोरखपुर-बापूधाम-मोतीहारी-मुजफ्फरपुर होते हुए राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (305)

ट्रेन संख्या 12558 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी-II तथा एसी-II डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता। (306)

दिल्ली से मुजफ्फरपुर-बापूधाम-मोतीहारी-बेतिया- गोरखपुर होते हुए सुपरफास्ट ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (307)

श्री प्रवीण सिंह ऐरन (बरेली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्ति-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

बरेली जंक्शन से बदायूं तक आमान परिवर्तन के लिए उपयुक्त निधि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता। (308)

श्री हरि मांझी (गया) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गया-धनबाद रेलवे डिवीजन में रसलपुर के निकट ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (309)

गया-धनबाद रेलवे डिवीजन में बंधुआ के निकट ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (310)

गया-कियूल रेलवे लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता। (311)

गया से क्यूल रेल लाइन पर टांकूपा स्टेशन के पूर्वी केबिन के निकट ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (312)

गया-कामाख्या एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 15619) को दैनिक आधार पर चलाए जाने की आवश्यकता। (313)

गया-क्यूल रेलवे डिजीवन में पहाड़पुर स्टेशन के निकट रेल ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (314)

गया रेलवे स्टेशन के निकट लोकों में रेल ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (315)

गया-छत्रा रेल लाइन पर कार्य में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता। (316)

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): मै प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्ति-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेल डिवीजन के पीपरा मे रेल ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। अ

बापूधाम मोतीहारी रेलवे स्टेशन में गोदाम का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (318)

श्री मकन सिंह सोलंकी (खरगौन): मै प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्ति-अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

खण्डवा-खरगांव-बदवानी-धार के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (319)

इंदौर-बदवानी-मनमाड के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (320)

कोटा-उदयपुर-धार के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (321)

श्री सुरेंद्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेल खंडों में चल रहे सर्वेक्षण हेतु और अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (322)

उत्तर प्रदेश के समस्त रेल डिविजनों में संयंत्रों, उपस्करों और रेल स्टेशनों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (323)

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से रात में ड्यूटी के लिए यात्रा करने वाले गैंगमैनों को उचित सुरक्षा और संचार सुविधाएं उपलब्ध कराएं जाने की आवश्यकता। (324)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल कोच फैक्टरी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (325)

उत्तर प्रदेश में भारी यातायात वाले सभी रेलवे क्रॉसिंग पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (326)

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (327)

उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता। (328)

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की ढुलाई की मांग के अनुसार माल डिब्बे उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (329)

उत्तर प्रदेश में और अधिक सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (330)

नमक और अन्य आवश्यक सामग्रियों पर मालभाड़ा प्रभार घटाए जाने की आवश्यकता। (331)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तीर्थयात्री गृह का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (332)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और पर्यटकों के लिए अलग से विश्रामकक्ष का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (333)

उत्तर प्रदेश में एक नया रेलवे जोन खोले जाने की आवश्यकता। (334)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर लगाए गए पीसीओ का कार्यकरण सुचारु किए जाने की आवश्यकता। (335)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ के लिए अतिरिक्त डेस्क बनाए जाने की आवश्यकता। (336)

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता। (337)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों में विशेष रूप से गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चौकीदारों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (338)

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों का उचित अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (339)

समूचे देश में रेलवे हॉकरों को लाइसेंस जारी किए जाने की आवश्यकता। (340)

उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर स्थित रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (341)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोन में ईएमयू रेलगाड़ियां समय पर चलाए जाने की आवश्यकता। (342)

यात्री किराया और मालभाड़ा प्रभार घटाए जाने की आवश्यकता। (343)

उत्तर प्रदेश में कोच और इंजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (344)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेक लोडिंग सुविधा प्रदान करने में अनुचित विलंब का परिहार किए जाने की आवश्यकता। (345)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जोनों में अतिरिक्त सवारी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (346)

गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दादरी और अन्य गांवों के ऐसे व्यक्ति जिनकी जमीन दिल्ली-मुंबई कोरिडोर के निर्माण हेतु अर्जित की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता। (347)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुलावठी रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन और नवीकरण किए जाने की आवश्यकता। (348)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गुलावठी रेलवे स्टेशन पर संगम एक्सप्रेस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (349)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में और अधिक रेल आरक्षण केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता। (350)

दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर स्थित चोला रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन किए जाने और इसका नाम बदलकर चोला बुलंदशहर किए जाने की आवश्यकता। (351)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दादरी रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस सहित सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (352)

चोला रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (353)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के दनकौर रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस सहित सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (354)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खुर्जा जंक्शन पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (355)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत खुर्जा जंक्शन पर ब्रह्मपुत्र मेल (14055/ 14056) और कालिन्दी एक्सप्रेस (14723/14724) में रेल आरक्षण पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता। (356)

दिल्ली से अलीगढ़ तक के लिए और अधिक ईएमयू रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (357)

उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़े जाने की आवश्यकता। (358)

उत्तर प्रदेश में "पैलेस आन व्हील्स" की तर्ज पर रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (359)

देश में रेलगाड़ियों के चलने में विलंब को रोके जाने की आवश्यकता। (360)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (361)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत स्टेशनों पर यात्रियों को आपातकालिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (362)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों के लंबित सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (363)

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाए जाने हेतु सर्वेक्षण कार्य कराए जाने की आवश्यकता। (364)

कि पथ निर्माण और विनिर्माण की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (365)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे प्लेटफार्मों पर कवर शेड उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (366)

उत्तर प्रदेश के रेल मंडलों में रेलवे स्टेशनों पर द्वितीय दर्जा विश्रामगृह में और अधिक स्थान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (367)

कि मोटिव पावर की मरम्मत और अनुरक्षण और कार्य शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 05.01.1-05.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल इंजनों के अनुरक्षण हेतु कार्यशाला बनाए जाने की आवश्यकता। (368)

कि माल ढुलाई डिब्बों और वैगनों की मरम्मत और अनुरक्षण कार्य शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 06.01.1-06.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में माल डिब्बों की मरम्मत हेतु कार्यशाला बनाए जाने की आवश्यकता। (369)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल भवनों के निर्माण हेतु भूमि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (370)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, कैंसर के डायग्नोसिस और उपचार हेतु सभी सुविधायुक्त रेलवे अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता। (371)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों में रेलवे कालोनियों की मरम्मत और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (372)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (373)

उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोनों के रेल कर्मचारियों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (374)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के स्टेशनों पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (375)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 50 बिस्तरों वाला रेलवे अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता। (376)

कि विविध कार्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

दिल्ली और अलीगढ़ के बीच चलने वाली ईएमयू रेलगाड़ियों में महिला कोचों में आरपीएफ कर्मियों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता। (377)

रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (378)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों में स्टेशनों पर खानपान सेवा में कथित अनियमितताओं को रोके जाने की आवश्यकता। (379)

रेल परिसंपत्तियों की संरक्षा हेतु और अधिक आरपीएफ कार्मिकों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता। (380)

कि आस्तियां-अर्जन, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (381)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता। (382)

उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशनों पर कवर्ड पार्किंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (383)

उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशनों की इमारतों का जीर्णोद्धार और स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (384)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (385)

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (386)

उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर जल भराव की समस्या का निराकरण किए जाने की आवश्यकता। (387)

उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (388)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेल लाइनों का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (389)

पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के अभाव में उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोन के स्टेशनों पर निरंतर रहने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता। (390)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोन के स्टेशनों पर पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं उपलबध कराए जाने की आवश्यकता। (391)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोन के स्टेशनों से जुड़े संपर्क मार्गों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता। (392)

उत्तर प्रदेश में रेल ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज का समय पर निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (393)

उत्तर प्रदेश में नई लाइनों को बिछाए जाने के कार्य को समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता। (394)

उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता। (395)

उत्तर प्रदेश में नई लाइनें बिछाए जाने और रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (396)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेडों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (397)

उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण, सिग्नल और टिकट सिस्टम के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता। (398)

उत्तर प्रदेश के सभी रेल संपारों पर चौकीदार तैनात किए जाने की आवश्यकता। (399)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (400)

उत्तर प्रदेश में समस्त छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता। (401)

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, फूड कोर्ट और सफाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (402)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जबलपुर और कोलकाता के बीच एक नई ट्रेन आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (403)

जबलपुर और अमृतसर के बीच एक नई ट्रेन आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (404)

जबलपुर से बिहार और उत्तर प्रदेश तक नई ट्रेनें शुरू किए जाने की आवश्यकता। (405)

जबलपुर और हरिद्वार के बीच एक नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (406)

जबलपुर और आस-पास के क्षेत्रों में इको-पर्यटन विकसित किए जाने की आवश्यकता। (407)

जबलपुर और इसके उपनगरीय रेलवे स्टेशनों जैसे सिहोरा, बरगी, गोसालपुर, भेराघाट आदि को विकसित करने की आवश्यकता। (408)

जबलपुर और भुज (कच्छ) के बीच एक नई ट्रेन आरंभ करने की आवश्यकता। (409)

मदन महल स्टेशन का एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन करने की आवश्यकता। (410)

भिटोनी (साहपुरा) रेलवे स्टेशन को विकसित करने की आवश्यकता। (411)

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (412)

लोहरदगा और देवघर के बीच रेल सेवाएं शुरू करने की आवश्यकता। (413)

गंगा सतलुज एक्सप्रेस (13307-13308) को रांची तक चलाने की आवश्यकता। (414)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लोहरदगा में एक रेलवे अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता। (415)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लोहरदगा और रांची रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (416)

श्री राकेश सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02. 01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ट्रेनों में फायर अलार्म लगाए जाने की आवश्यकता। (417)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जबलपुर-गोंदिया बड़ी लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (418)

इटारसी-इलाहाबाद लाइन का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (419)

पानागर और अधरताल स्टेशनों पर और अधिक यात्री सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (420)

श्री सुदर्शन भगत: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (421)

गुमला जिला को रेल सेवाओं से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाने संबंधी निर्माण कार्य शुरू करने की आवश्यकता। (422)

गुमला रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (423)

गुमला, कोन्कुरिस होकर लोहरदगा और झारसुगुडा के बीच रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता। (424)

गुमला, जसपुर होकर लोहरदगा और कोरबा के बीच रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता। (425)

लोहरदगा और टोरी के बीच रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता। (426)

रांची-लोहरदगा रेलवे लाइन का बिना और विलंब के दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (427)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

अहमदाबाद-मुंबई के बीच हाई-स्पीड रेल परियोजना में तेजी लाए जाने तथा बुलेट-ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (428)

अम्बलिआसन, मेहसाना से वीरंगाम तक एमईएमयू ट्रेन आरंभ किए जाने की आवश्यकता (429)

पालनपुर और सूरत/मुंबई के बीच बरास्ता मेहसाना एक नई ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता। (430)

पाटन और सूरत/मुंबई के बीच बरास्ता मेहसाना नई ट्रेनें शुरू किए जाने की आवश्यकता। (431)

द्वारका और डिब्रूगढ़ के बीच एक नई ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (432)

अहमदाबाद से चलने वाली ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता। (433)

सभी मानवरहित रेलवे समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदले जाने की आवश्यकता। (434)

भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के बारे में डॉ. अनिल काकोदकर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा समिति तथा सैम पित्रोदा समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता। (435)

कि स्टाफ कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

अहमदाबाद में एक रेलवे मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (436)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1 -12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (437)

ट्रेनों में बेहतर खान-पान सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (438)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

106/200 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार वाली स्व: प्रणोदक दुर्घटना राहत ट्रेनों की आवश्यकता। (439)

कमजोर रेल पुलों की पहचान करके उनका पुन: निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (440)

सुवाह्य अग्नि-शामकों को प्रदान कराए जाने की आवश्यकता।

(441)

रेलवे सुरक्षा बलों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (442)

गुजरात में स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन कोएन आपरेटिड टिकट वेंडिंग मशीन और जनसाधारण टिकट बुक स्कीम सुविधा किए जाने की आवश्यकता। (443)

अहमदाबाद से कलोल, काडी, कालोसन और बेचार्जी तक रेल बस सेवाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (444)

विवेकानंद की 150वीं स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू से कन्याकुमारी तक विवेकानंद एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता। (445)

बढ़ाए गए माल भाड़ा प्रभारों को कम किए जाने की आवश्यकता।

(446)

गुजरात के राष्ट्रीय महत्व पर विचार करते हुए समुद्री पत्तनों तक रेलगाड़ी की सुविधाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (447)

अहमदाबाद में रेल फैक्ट्री परियोजना को आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (448)

रेल मंत्रालय में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता। (449)

कार्यकुशलता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत युवकों के लिए रेलवे में रोजगार का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता। (450)

अहमदाबाद, गुजरात में रेलवे प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (451)

अहमदाबाद-मुंबई के मध्य उच्च गति रेल परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (452)

अम्बलियाजन, मेहसाणा से विरनगाम तक मेमू ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (453)

पालनपुर और सूरत/मुंबई के मध्य वाया मेहसाणा एक नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (454)

पाटन और सूरत/मुंबई के मध्य वाया मेहसाणा एक नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (455)

द्वारका और डिब्रूगढ़ के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (456)

अहमदाबाद से चलने वाली ट्रेनों की आवृत्ति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (457)

अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलट ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (458)

समस्त मानव रहित रेलवे समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदले जाने की आवश्यकता। (459)

डॉ. अनिल काकोदकर की अध्यक्षता वाली उच्च- स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति तथा भारतीय रेल के आधुनिकीकरण पर सैम पित्रोदा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (460)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे में शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (461)

रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर घास चारा उगाए जाने की आवश्यकता। (462)

कि रेल के सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 03.01.1-03.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पीपीपी के अंतर्गत अहमदाबाद, गुजरात में मॉडल सिग्नल उपकरणों को प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (463)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (464)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1 -12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लंबी दूरी को रेलगाड़ियों में महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। (465)

ट्रेनों में बेहतर खानपान सुविधाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (466)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

स्टेशनों और ट्रेनों में बेहतर स्वच्छता, बिस्तर और खानपान सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (467)

अहमदाबाद सूरत, राजकोट और बड़ौदा रेलवे स्टेशनों पर एस्कालेटरों और लिफ्ट की सुविधा प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (468)

139 के अंतर्गत एकीकृत रेल पूछताछ सेवा प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (469)

अहमदाबाद स्टेशन पर एक्जीक्यूटिव लाऊंज की सुविधा प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (470)

मेहसाणा माल गोदाम बाजार-पांच लिम्डी स्कूल की और पैदल उपरि पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता। (471)

800 कि.मी. आमान परिवर्तन के लक्ष्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (472)

विद्युतीकरण कार्य में लक्षित प्रगति को प्राप्त करने की आवश्यकता। (473)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के सभी पर्यटन स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़े जाने के लिए ठोस नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता। (474)

महाराष्ट्र में "पैलेस ऑन व्हील्स" की तर्ज पर एक ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (475)

शिरडी साईबाबा श्रद्धालुओं को ट्रेन किराए में पचास प्रतिशत छूट दिए जाने की आवश्यकता। जैसाकि पुट्टपर्ती में आयोजित कतिपय समारोहों में भाग लेने के लिए सत्य साईबाबा श्रद्धालुओं को प्रदान किया जाता है। (476)

वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में 50 प्रतिशत रियायत दिए जाने की आवश्यकता। (477)

प्रेस रिपोर्टरों को एक परिचर के साथ नि:शुल्क रेल टिकट दिए जाने की आवश्यकता। (478)

पुणे-नागपुर गरीब रथ (12113) और पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस (11037) का कॉपरगांव में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (479)

महाराष्ट्र राज्य के सभी प्रमुख स्टेशनों पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (480)

महाराष्ट्र राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए मांग के अनुसार वैगन प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (481)

महाराष्ट्र राज्य में और अधिक हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (482)

महाराष्ट्र राज्य में मांग के अनुसार ईएमयू ट्रेनों के डिब्बों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (483)

महाराष्ट्र रज्य में महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों और शहरों के समीप स्थित रेलवे स्टेशनों पर यात्री निवास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (484)

महाराष्ट्र राज्य में नए रेलवे जोन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (485)

महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों कम्प्यूटरों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने तथा एक अतिरिक्त पूछताछ क्लर्क को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (486)

महाराष्ट्र में लंबित बड़ी परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (487)

महाराष्ट्र राज्य में नई रेल लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता। (488)

शिरडी में गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्यचिकित्सा और कैंसर का निदान और विशेष उपचार के लिए एक सुसज्जित रेलवे अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (489)

महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत रेलवे समपारों पर चौकीदारों को तैनात करके समुचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (490)

महाराष्ट्र राज्य के कतिपय खंडों में भारी यातायात के प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (491)

महाराष्ट्र राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (492)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत ईएमयू ट्रेनों को समय पर चलाए जाने की आवश्यकता। (493)

महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर जल-जमाव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता। (494)

महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न रेलवे जोन को और अधिक कोच और इंजन प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (495)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (496)

महाराष्ट्र के विभिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों पर फुल रेक लोडिंग सुविधा प्रदान करने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (497)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत बिना किसी विलंब के, स्टेशनों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता। (498)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत अतिरिक्त सवारी रेलगाड़ियों को चलाए जाने की आवश्यकता। (499)

बेलापुर से सवार होने वाले यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा करने की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (500)

कोल्हापुर-धनबाद साप्ताहिक ट्रेन को पुणे-मनमाड-खांडवा-इटारसी होते हुए चलाए जाने की आवश्यकता। (501)

बेलापुर और डौंड के बीच मासिक सीजन टिकट सुविधा की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता। (502)

बैंगलोर-अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन को हफ्ते में तीन बार चलाए जाने की आवश्यकता। (503)

साय नगर-तिरुपति ट्रेन को सोलापुर-डौंड होते हुए हफ्ते में दो बार चलाए जाने की आवश्यकता। (504)

शोलापुर-साय नगर-जयपुर साप्ताहिक हॉलिडे एक्सप्रेस को भोपाल होते हुए चलाए जाने की आवश्यकता। (505)

एक पृथक साय नगर-पुणे-मुंबई फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (506)

पुणे-मनमाड सवारी रेलगाड़ी को कल्याण या इगतपुरी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (507)

कोल्हापुर-धनबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को साय नगर पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (508)

विश्वात्मक जंगली मशराज आश्रम, शिरडी तक एक विशेष तीर्थस्थल रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (509)

शिरडी-अहमदनगर-अजमेर-जोधपुर मार्ग पर एक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (510)

कोपरगांव मनमाड के लिए सभी सुपरफास्ट ट्रेनों में बर्थों की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (511)

कोपरगांव पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (512)

कोपरगांव रेलवे स्टेशन का एक आदर्श स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (513)

देवगिरी एक्सप्रेस और पुणे मुडखर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़े जाने की आवश्यकता। (514)

डौंड-मनमाड-मुंबई ट्रेन में तीन टियर कोच जोड़े जाने की आवश्यकता। (515)

शिरडी-मुंबई फास्ट ट्रेन में 7 की बजाय 18 कोच जोड़े जाने की आवश्यकता। (516)

पुणे-मनमाड (1601) ट्रेन को कल्याण तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (517)

बेलापुर पर सभी ट्रेनों को ठहराव किए जाने की आवश्यकता। (518)

नगरसुल रेलवे स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (519)

एक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करके जल्द ही विश्व प्रसिद्ध साई बाबा शिरडी धाम को दिल्ली से जोड़े जाने की आवश्यकता। (520)

महाराष्ट्र के सभी मंडलों में संयंत्रों और उपस्करों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (521)

शिरडी जाने वाली सभी ट्रेनों में आरक्षण कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (522)

कोपरगांव रेलवे स्टेशन में और अधिक प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (523)

शिरडी में रेलवे हिस्से-पुर्जे की विनिर्माण इकाई की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (524)

दिल्ली से शिरडी वातानुकूलित रेलगाड़ी में विशेष पैकेज पर्यटन आयोजित किए जाने की आवश्यकता। (525)

महाराष्ट्र के विभिन्न जोन में रेल मार्गों के अनुपात में गैंगमैनों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (526)

महाराष्ट्र में विशेषकर रात के दौरान मानव रहित रेलवे समपारों पर गैंगमैन तैनात किए जाने की आवश्यकता। (527)

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी शहर में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (528)

रेलवे इंजनों का अनुरक्षण करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के शिरडी शहर में एक वर्कशॉप स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (529)

महाराष्ट्र राज्य के रेल वर्कशॉपों का नवीकरण और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (530)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में विभिन्न रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण कराने के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (531)

महाराष्ट्र राज्य में रेलवे लाइनों के लंबित पड़े सर्वेक्षण कार्यों को पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (532)

महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्थानों के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता। (533)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र राज्य में सभी रेलवे स्टेशनों के द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालयों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (534)

महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों में पर्यापत पेयजल सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (535)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता। (536)

महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाले रेलवे मंडलों की रेलवे कॉलोनियों की मरम्मत और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (537)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न रेल जोन के कर्मचारियों के बच्चों को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (538)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न रेल जोन के कर्मचारियों को आवास प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (539)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न रेलवे जोन के स्टेशनों पर यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (540)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जोन के स्टेशनों के स्टाफ और अधिकारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (541)

कि विविध कार्यशील व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1 -12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जोन के सभी स्टेशनों में खानपान सेवाओं में कथित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता। (542)

कि परिसंपत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में रेल उपरिपुलों/अंडर ब्रिजों का समय पर निर्माण पूरा किए जाने की आवश्यकता। (543)

महाराष्ट्र में नई लाइन बिछाने के कार्य को समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता। (544)

महाराष्ट्र में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण कार्य को समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता। (545)

कोपरगांव में उच्च स्तर प्लेटफार्म के लिए 25 बीसीएन लंबाई किए जाने की आवश्यकता। (546)

कोपरगांव में 20 बीसीएन के लिए आच्छादित रोड प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (547)

कोपरगांव में 15 बीसीएन के लिए गोदाम क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (548)

कोपरगांव रेलवे स्टेशन में पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (549)

महाराष्ट्र राज्य में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (550)

महाराष्ट्र राज्य में भारी यातायात वाले रेलवे समपारों पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (551)

महाराष्ट्र राज्य के रेलवे स्टेशनों पर वाटर कूलरों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (552)

महाराष्ट्र राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (553)

महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में उद्घोषणा प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता। (554)

महाराष्ट्र राज्य के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में क्रेडिट कार्ड सुविधा सहित बैंककारी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (555)

महाराष्ट्र राज्य के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और पर्यटकों के लिए पृथक विश्रामकक्षों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (556)

महाराष्ट्र राज्य के प्लेटफार्मो पर लगाए गए पीसीओ का उचित कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (557)

महाराष्ट्र राज्य में जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (558)

महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत सभी राज्यों में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण के लिए उचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (559)

महाराष्ट्र राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (560)

महाराष्ट्र राज्य के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में रेल लाइनों का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (561)

रोनेगांव से पुनातम्बा तक एक नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (562)

मनमाड-डौंड रेलवे लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (563)

बीजापुर-पंढरपुर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (564)

मोहोल-पंढरपुर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (565)

कोल्हापुर-रत्नागिरी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (566)

कोल्हापुर-राजापुर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (567)

कोल्हापुर-निपनाई-सावंतावाडी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (568)

चिपलुन-कराड रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (569)

लोनंद-फोल्टन-बारामती रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (570)

फोल्टन-पंढरपुर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (571)

नासिक और पुणे के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (572)

(573) अकोला होते हुए शिरडी-शाहपुर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता।

शिरडी-शनी शिग्नापुर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (574)

शिरडी और सिभर के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (575)

शिरडी और कोपरगांव के बीच नई लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (576)

महाराष्ट्र राज्य के जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशनों पर आच्छादित पार्किंग और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (577)

महाराष्ट्र राज्य के जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशनों के भवनों का नवीकरण और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (578)

महाराष्ट्र राज्य के रेलवे स्टेशनों पर मांग के अनुसार प्रथम और द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालयों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (579)

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न रेल जोन के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के शेडों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (580)

महाराष्ट्र राज्य के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण, सिग्नल और टिकटिंग प्रणाली की आवश्यकता। (581)

महाराष्ट्र राज्य के सभी रेल समपारों पर गैंगमैनों को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (582)

महाराष्ट्र राज्य में नई रेल लाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (583)

महाराष्ट्र राज्य के विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (584)

महाराष्ट्र राज्य में सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता। (585)

महाराष्ट्र राज्य के विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (586)

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुर्दवाडी में स्थापित वैगन मरम्मत फैक्ट्री के मामले में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता। (587)

शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (588)

रेलवे स्टेशन विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों के सभी प्लेटफार्मों में कवर शेड दिए जाने की आवश्यकता। (589)

महाराष्ट्र राज्य के विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों में सफाई सुविधाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (590)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों और मेल ट्रेनों में डॉक्टरों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता। (591)

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए रियायती मासिक रेल पास जारी किए जाने की आवश्यकता। (592)

रेलवे की भूमि पट्टे पर निर्धनों को आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (593)

यात्री किराया कम करने तथा आवश्यक वस्तुओं पर मालभाड़ा कम किए जाने की आवश्यकता। (594)

देश की घाटे में चल रही कोच और वैगन विनिर्माण इकाइयों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (595)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत स्टेशनों पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (596)

रेल परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और अधिक रेलवे संरक्षण बल कार्मिकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (597)

रेलगाड़ियों को साफ-सुथरा रखे जाने तथा यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (598)

सहारनपुर से चलने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (599)

देश की मानवरहित रेलवे-क्रॉसिंगों पर विशेष रूप से रात्रि के समय रेलवे कर्मचारियों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता। (600)

खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए आवश्यकता के अनुसार वैगन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (601)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों और शहरों में स्थित रेलवे स्टेशनों पर 'तीर्थ यात्री निवासों' का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (602)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पूछताछ क्लर्कों की तैनाती किए जाने की आवश्यकता। (603)

फलों और सब्जियां जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की सस्ती दरों पर त्वरित ढुलाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (604)

पुरानी रेलवे लाइनों को बदलने, पुलों की मरम्मत करने और सिगनल प्रणालियों को बदलने के लिए रेलवे पूंजी निधि-स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (605)

रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब को बचाने के लिए तत्काल धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (606)

देश में रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता। (607)

रेलवे बोर्ड की पुनर्संरचना किए जाने की आवश्यकता। (608)

देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर गरीब परिवारों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 'खानपान और पुस्तक स्टॉल' आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (609)

रेलवे में योजनेत्तर व्यय में कमी किए जाने की आवश्यकता। (610)

नई रेल लाइनें बिछाने के समय विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता। (611)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत आने वाली कतिपय डिवीजनों में भारी यातायात के विनियमन के लिए समुचित व्यवस्थाएं किए जाने की आवश्यकता। (612)

सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवेश/निकास द्वारों पर यात्रियों की आवाजाही को विनियमित किए जाने की आवश्यकता। (613)

उत्तरी रेलवे के अंतर्गत सहारनपुर और तापरी जंक्शन में ट्रेन सं. 12287/12288 (कोचेवेली से देहरादून) को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (614)

उत्तरी रेलवे के तापरी जंक्शन में ट्रेन सं. 12171/12172 (वलसाड से हरिद्वार) को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (615)

उत्तरी रेलवे के अंतर्गत तापरी जंक्शन पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (616)

उत्तरी रेलवे के अंतर्गत तापरी जंक्शन में प्लेटफार्म नं. 2 की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (617)

सहारनपुर-मेरठ रेल मार्ग पर देवबंद रेलवे स्टेशन से 18 कि. मी. की दूरी पर स्थित ग्राम जरोदा जट्ट पर ठहराव बनाए जाने की स्थापना। (618)

ट्रेन सं. 14646/14645 में डिब्बों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (619)

ट्रेन सं. 14309/14310 (उज्जैनी एक्सप्रेस) को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (620)

सहारनपुर से बरास्ता अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद ट्रेन सं. 0483/0484 (इलाहाबाद-ऊधमपुर) को पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (621)

नई दिल्ली से सहारनपुर ट्रेन सं. 4681 की समय पर रवानगी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (622)

सहारनपुर से अम्बाला तक प्रातः 7.30 बजे एक यात्री गाड़ी आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (623)

लंबे समय से लंबित पड़ी रेल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (624)

उत्तरी रेलवे के अंतर्गत दिल्ली-शाहदरा-शामली- सहारनपुर रेलवे लाइन पर पड़ने वाले सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट मालीपुर में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (625)

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अधिक रेलगाड़ियां और बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (626)

मासिक टिकट के किराए में कमी किए जाने की आवश्यकता। (627)

रेलगाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (628)

रेल किरायों को और अधिक किफायती बनाए जाने की आवश्यकता। (629)

रेल कर्मचारियों को समय पर समयोपरि भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (630)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों के बीच नई रेल लाइनें बिछाने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण संचालित किए जाने की आवश्यकता। (631)

उपयोगी क्रियाकलापों के लिए रेलवे की रिक्त पड़ी भूमि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता। (632)

रेलवे लाइनों के साथ स्थित रेलवे भूमि का उपयोग करने के लिए नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता। (633)

कि रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (634)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे डिजीवनों के अंतर्गत रेलवे कॉलोनियों की मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता। (635)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे अंचलों के कर्मचारियों के बच्चों को समुचित शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (636)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे अंचलों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (637)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे अंचलों के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (638)

सहारनपुर में कैंसर के निदान और विशेष उपचार की सुविधा के साथ किडनी प्रत्यारोपण, हृदय-शल्यचिकित्सा के लिए एक पूर्णत: सुसज्जित रेलवे अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (639)

कि विविध कार्यकारी व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे अंचलों के अंतर्गत स्टेशनों पर खानपान सुविधाओं में कथित अनियमितताओं को दूर किए जाने की आवश्यकता। (640)

रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (641)

रेलगाड़ियों में यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (642)

देश के सभी रेलवे स्टेशनों में रेल संपत्ति की चोरी को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता। (643)

रेलवे में कतिपय सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (644)

कि भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 13.01.1-13.02.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे पेंशनरों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता। (645)

कि परिसंपत्तियां अर्जन, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1.-16.04.03) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर रेलवे स्टेशन को एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (646)

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर जल भराव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता। (647)

उत्तर प्रदेश में महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेलवे लाइनों का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (648)

उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे अंचलों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर समुचित पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (649)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे अंचलों के अंतर्गत स्टेशन तक पहुंच मार्गों की मरम्मत के कार्य तें तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (650)

उप-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में रेलवे बुकिंग काउंटर खोले जाने की आवश्यकता। (651)

रेलवे पुलों के अंतर्गत पक्की सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (652)

मेरठ से तापरी जंक्शन तक दोहरी लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (653)

उत्तरी रेलवे के अंतर्गत तापरी रेलवे जंक्शन पर एक ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (654)

सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (655)

सहारनपुर से देहरादून बरास्ता बेहात, मिर्जापुर और विकासनगर एक नई रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (656)

सहारनपुर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता। (657)

उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में रेलवे स्टेशनों पर कवर्ड पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (658)

उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में रेलवे स्टेशनों के भवनों का नवीकरण और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (659)

उत्तर प्रदेश के स्टेशनों पर मांग के अनुसार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (660)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे अंचलों के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों में शेडों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (661)

उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण, सिग्नलिंग और टिकट-प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (662)

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे लेवल-क्रॉसिंगों पर गार्ड तैनात किए जाने की आवश्यकता। (663)

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (664)

उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर समुचित साफ-सफाई बनाने और पेयजल एवं कैंटीनों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (665)

रेलगाड़ियों में खानपान और बिस्तर-व्यवस्था में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (666)

सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर अधिक प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (667)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर वाटर-कूलर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (668)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर बेंच उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (669)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन में जन-उद्घोषणा प्रणाली को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता। (670)

उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (671)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (672)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और पर्यटकों के लिए पृथक विश्राम-कक्षों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (673)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न रेलवे अंचलों के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर पीसीओ के सुचारु कार्यकरण के लिए व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (674)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में आने वाली सभी रेलवे क्रॉसिंगों पर कर्मचारी तैनात किए जाने की आवश्यकता। (675)

उत्तरी रेलवे के अंतर्गत तापरी रेलवे स्टेशन के गेट नं. 4 पर गहरे गड्ढों को भरे जाने की आवश्यकता। (676)

टूटे-फूटे शयन-यानों को बदले जाने की आवश्यकता। (677)

उत्तरी रेलवे के अंतर्गत तापरी जंक्शन में बिजली और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (678)

देश के रेलवे ट्रैकों के नवीकरण से संबंधित कार्य की पूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (679)

सहारनपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को पेयजल सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (680)

देश के पिछड़े क्षेत्रों में आने वाले रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयित किए जाने की आवश्यकता। (681)

श्री गोविंद प्रसाद मिश्र (सीधी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

हावड़ा-जबलपुर ट्रेन की वारंगवा में ठहराव प्रदान कराये जाने की आवश्यकता। (682)

जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस को विजयश्रोता और जोआ स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (683)

हावड़ा-अजमेर ट्रेन को माडवास पर ठहराव प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (684)

सिंगरौली से भोपाल तक एक नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (685)

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने के लिए पर्याप्त निधि प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (686)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के सिरायू अथवा भरवारी स्टेशनों को मॉडल जंक्शन बनाए जाने की आवश्यकता। (687)

सिरायू अथवा भरवारी स्टेशनों से समान ले जाने के लिए एक रेक जिसका एक पृथक यार्ड (यार्ड स्टेशन) हो का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता। (688)

सिरायू और भरवारी स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (689)

मनोरी, भरवारी और सिरायु स्टेशनों पर आरओबी का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता। (690)

रेल दुर्घटनाओं में मारे गए अथवा घायल हुए परिवारों को रेलवे से पर्याप्त मुआवजा और नौकरी दिए जाने की आवश्यकता। (691)

कौशांबी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुंडा के बराई पनाहनगर (चाकादार अली), जिर्वा की बाग (किथावन), करम अली का पुर्वा (चौसा) और भोरा का पुर्वा (बिसाहिया) रेलवे ट्रैकों पर गेटों और सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (692)

हरनाम गंज (प्रतापगढ़) और बराई रेलवे समपारों पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (693)

क्रांतिकारी दुर्गा देवी और मौलाना लियाकत अली (क्रांतिकारी वीर) के नाम पर ट्रेनों का नाम रखे जाने की आवश्यकता। (694)

बीपीएल कार्ड धारकों को ट्रेनों में यात्रा प्रभारों में विशेष छूट दिए जाने की आवश्यकता। (695)

रेलवे समपारों पर फाटकों को अधिकतम 15 मिनट तक ही बंद रखे जाने की आवश्यकता। (696)

भरवारी, सिरायू और मनौरी स्टेशनों पर पाइंट रेक स्टेशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (697)

सिरायू और भरवारी स्टेशनों पर मुरी, महानंदा, रिवांचल और प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेनों को हॉल्ट दिए जाने की आवश्यकता। (698)

सिरायू और भरवारी स्टेशनों पर शेड बनाए जाने की आवश्यकता। (699)

कौशाम्बी और कुंडा हरनामगंज के पर्यटन स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़े जाने की आवश्यकता। (700)

कौशाम्बी के भरवारी और सिरायू स्टेशनों से मुंबई तक एक विशेष ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (701)

यमुना पर एक पुल का निर्माण करके यमुना पार कौशाम्बी को रेलवे ट्रैक से जोड़े जाने की आवश्यकता। (702)

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उर्वरकों, धान्यों, फलों, सब्जियों आदि का परिवहन करने के लिए रेक पाइंटों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (703)

कौशाम्बी और प्रतापगढ़ (कुंडा) को चित्रकूट और खजुराहो जैसे तीर्थाटन स्थलों और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों से जोड़े जाने की आवश्यकता। (704)

नई दिल्ली और इलाहाबाद के बीच प्रतिदिन दुरन्तों एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (705)

इलाहाबाद और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता। (706)

श्री गोविंद प्रसाद मिश्र: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्टेशन में एक और प्लेटफार्म का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (707)

सिंगरौली कटनी रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (708)

सिंगरौली से दिल्ली तक एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (709)

सिंगरौली रेलवे स्टेशन में और अधिक सुविधाएं/ प्रसुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (710)

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सिरायू, भरवारी, कुंडा और हरनामगंज स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाए जाने के लिए निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता। (711)

सिरायू, भरवारी और कुंडा हरनामगंज स्टेशनों पर खानपान और पुस्तक स्टॉलों की सुविधा प्रदान करने तथा बेरोजगार युवाओं को इनका आबंटन किए जाने की आवश्यकता। (712)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

भुसावल-औरंगाबाद-पुणे लाइन पर नई रेल परियोजना शुरू किए जाने की आवश्यकता। (713)

भुसावल-धुले-इंदौर लाइन पर नई रेल परियोजना शुरू किए जाने की आवश्यकता। (714)

(715)खांडवा-इटारसी से होकर भुसावल और हजरत निजामुद्दीन के बीच दुरन्तो एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता।

भुसावल और सूरत के बीच नई जनशताब्दी ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (716)

भुसावल और मुंबई सीएसटी के बीच एक जनशताब्दी ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (717)

भुसावल और नागपुर के बीच एक जनशताब्दी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (718)

साईनगर शिरडी और नई दिल्ली के बीच एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता। (719)

भुसावल और नासिक रोड के बीच ईएमयू/डीएयू शूरू किए जाने की आवश्यकता। (720)

मनमाड-जलगांव से होकर मुंबई सीएसटी और नई दिल्ली के बीच गरीब रथ ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (721)

भुसावल-भोपाल से होकर मुंबई सीएसटी और नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (722)

भुसावल और दादर के बीच नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (723)

दादर और भोपाल के बीच नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता। (724)

अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11057 को कुर्ला टर्मिनस की बजाय मुंबई सीएसटी से चलाए जाने की आवश्यकता। (725)

अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12844 का अमलनेर स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (726)

नवजीवन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12656 का धरनगांव स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (727)

महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11093 का चालीसगांव स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (728)

सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12715 का चालीसगांव स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (729)

पुणे-पटना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12149 का जलगांव और चालीसगांव स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (730)

मुंबई और मनमाड के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का भुसावल तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (731)

कुर्ला टर्मिनस और मनमाड के बीच चलने वाली गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन का भुसावल तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (732)

हुतात्मा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12158 का कजगांव और म्हासवाड स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (733)

विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12105 का पचोरा स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (734)

अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12111 का पचोरा और चालीसगांव स्टेशनों पर हाल्ट दिए जाने की आवश्यकता। (735)

जलगांव रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (736)

धरनगांव और अमलनेर स्टेशनों को माडल रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (737)

भुसावल स्टेशन के समीप रेल कोच फैक्टरी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (738)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पचारो और जमनेर के बीच आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता। (739)

कि परिसंपत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जलगांव और सूरत के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (740)

मनमाड और सिकंदराबाद के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (741)

जलगांव में दुग्ध विकास संघ के समीप एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।(742)

जलगांव के समीप भोइते नगर में नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (743)

जलगांव के समीप एक नए पुल का निर्माण किए जाने और असोडा रोड गेट बंद किए जाने की आवश्यकता। (744)

जलगांव और शोलापुर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (745)

जलगांव में उत्पादक एकाकों के साथ रेल कोच फैक्टरी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (746)

भुसावल और जलगांव रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म का विस्तार और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (747)

अमलनेर, चालीसगांव और धरनगांव रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों का विस्तार और नवीकरण किए जाने की आवश्यकता। (748)

श्री राम सिंह कस्वां (चुरु): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गोरखधाम सुपरफास्ट ट्रेन का सदुलपुर तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (749)

बीकानेर और गुवाहाटी के बीच सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (750)

बीकानेर और हावड़ा के बीच दुरंतो एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (751)

रेवाड़ी और बीकानेर के बीच यात्री रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (752)

रतनगढ़-डेगना-फुलेरा होते हुए बीकानेर-जयपुर रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (753)

डेगना और सदुलपुर के बीच दिन में दो बार डीएमयू रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (754)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) से 100 रुपए कम किए जाएं।

पिछले बजट में घोषित सरदार शहर सिरसा रेलवे लाइन का तत्काल सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता। (755)

कि परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

चुरू जंक्शन और सदुलपुर जंक्शन प्रत्येक पर एक अतिरिक्त टिकट खिड़की खोले जाने की आवश्यकता। (756)

सी-142 के निकट सड़ रहे गंदे पानी के निकास के लिए सदुलपुर जंक्शन पर नाले के निर्माण की आवश्यकता। (757)

रत्नागढ़-सरदार शहर खंड के अंतर्गत हुदेरा-चंपावई 3/5-6, नौसरिया-लाढासर 6/8-9, हासासर-गोगासर 12/6-7, मेलूसर-गोगासर 16/8-9 और रूपलीसर-आनंद वसी 24/0-1 पर रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (758)

रत्नागढ़-सरदार शहर खंड के अंतर्गत दुलरासर-रानासर 27/4-5, उदासर-मेहरासर 34/1-2, कल्याणपुरा- साजनसर 37/1-2 और 38/1-2, रत्नागढ़-भनुदा 5/1-2, रत्नागढ़-सिकरली 3/8-9 पर अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (759)

रत्नागढ़-सरदार शहर खंड के अंतर्गत पबुसर-मालासर 19/2-3, रूपलीसर-मंगासर 34/9, रपालीसर-खिलेरिया 22/4-5, छोटदिया-गोगासर 14/7-8, गोलासर-गोगासर 11/1-2 और नौसरिया-कंगड़ 7/3-4 पर पुलों का निर्माण किए। (760)

सदुलपरु-रेवाड़ी खंड के अंतर्गत कीर्तन-बेवाड/भैसली, भोजन-बेवाड़, कलारी-बेवाड़, रादवा-कंदरन 2/501, रामपुरा-सेहर 192/9, गुगलवा-रामपुरा 196/7-8 रूटों पर रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (761)

सदुलपुर-रत्नागढ़ खंड के अंतर्गत रतनसारा-खुदेरा-बीकन-जंदावा-के.एम. 309/0-1 खड़िया-खुदेरा चरनन जुहारपुरा गांव और सिरसाला गांव के उत्तरी भाग पर रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (762)

हिसार-सदुलपुर खंड के अंतर्गत लसेडी-मीथी रेदुवान 56/5-6 के.एम.एन.एच. 65-लुताना अमीचंद के.एम. 62/12-13, एनएच 65 लुताना-सदासुख 62/7-8, एनएच 65-लुताना पुर्न के.एम. 58/7-8 पर रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (763)

हनुमान-सदुलपुर खंड के अंतर्गत सिद्धमुख-ढंगदा केएम 143/13-14, सिद्धमुख-चुबकिया ताल केएम 144/11-12, सिद्धमुख-चुबकिया ताल केएम 146/1-6 और चुबकिया ताल-ढींगराला 151/1-12 पर अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (764)

हनुमानगढ़-सदुलपुर खंड के अंतर्गत ढींगरराडा-धनऊ 153/6-7, चायपुरा छोटा हेसिया वास 156-7-8, ख्याली-भगेला पहाड़सर-नरवासी 165/7-8 और भगेला-चैनपुरा पर रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता। (765)

हनुमान-सदुलपुर खंड के अंतर्गत सदुलपुर- पहारसर- सिद्धमुख के एम 167/3-4, गुलपुरा, मिथी-रेदुवान- गुलुपुरा-लूडी 169/1-2 और गुलपुरा-लुताना सदासुख 169/13 पर रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता। (766)

हनुमानगढ़-सदुलपुर खंड के अंतर्गत भद्र-सिद्धमुख एमडीआर 18 केएम 136/13-14, कलाना, केएम 125/0-1, भद्र-नोहर से सरदारगढ़िया-मखाना खचवाना 103/12-14 पर रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (767)

हनुमानगढ़-सदुलपुर खंड के अंतर्गत भद्र-नोहर रोड केएम 99/6-7, रामगढ़ उज्जलवास 93/2-3, डिपलाना- परलिका रोड 85/8-9 और नोहर-डिपलाना 82/1-2 पर रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (768)

हनुमानगढ़-सदुलपुर खंड के अंतर्गत नोहर-सोटी बड़ी केएम 80/5-4, मुकारका-भद्र मंदिर धानी आर्यन केएम 67/9-10 और मुकारका भद्रकाली मंदिर धानी आर्यन के अंतर्गत रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (769)

सदुलपुर जंक्शन के पूर्वी और पश्चिम भाग पर सी-142 और सी-144 पर चौकीदार युक्त रेल समपारों पर रेल-उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (770)

चुरू जंक्शन के पूर्वी भाग पर चुरू-सदुलपुर रेलमार्ग पर चौकीदारयुक्त रेल समपार पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (771)

सदुलपुर-हिसार खंड पर चौकीदार युक्त समपार की यथापूर्ण स्थिति को बनाए रखे जाने की आवश्यकता। (772)

नोखा-सीकर, सरदार शहर-हनुमानगढ़, चुरू-तारानागर- नोहर, सूरतगढ-सरदार शहर-तारानगर-सदुलपुर और भिवाणी-लोहारू-पिलनी खंडों में नयी रेल लाइनें बिछाए जाने की आवश्यकता। (773)

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सादुलपुर-हनुमानगढ़ खंड पर नोहर-दिपलाना के बीच सोतीबाड़ी हाल्ट बनाए रखने की आवश्यकता। (774)

गोगामेरी-भादरा, जहां रेलवे क्वार्टर्स स्थित हैं, के बीच सादुलपुर-हनुमानगढ़ सेक्टर में सरदार गढ़िया हाल्ट बनाए रखने की आवश्यकता। (775)

सादुलपुर-हिसार खंड पर झुनपा-सिवनी के बीच सैनीवास हाल्ट बनाए रखने की आवश्यकता। (776)

रेलवे अंडरब्रिजों के निर्माण का पूर्ण वित्तपोषण करने की अनुमति रेलवे को देने के लिए रेल नीति में संशोधन किए जाने की आवश्यकता। (777)

जोधपुर-सराई रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रेन नं. 22481/482 का मार्ग हरिद्वार तक बढ़ाने और इस ट्रेन को प्रत्येक दिन चलाए जाने की आवश्यकता। (778)

साप्ताहिक बान्द्रा-जम्मू तवी (19027/19028) विवेक एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाए जाने की आवश्यकता। (779)

हावड़ा-जैसलमेर एक्सप्रेस (12371/12372) को सप्ताह में तीन दिन चलाए जाने की आवश्यकता। (780)

चंडीगढ़ एक्सप्रेस को अहमदाबाद, जोधपुर, देगाना, रतनगढ़, सादुलपुर और हिसार होकर चलाए जाने की आवश्यकता। (781)

बान्द्रा-हरिद्वार एक्सप्रेस को अहमदाबाद, जोधपुर, चुरू होकर चलाए जाने की आवश्यकता। (782)

अमृतसर-मुंबई एक्सप्रेस को हिसार-सादुलपुर-रतनगढ़, जोधपुर होकर चलाए जाने की आवश्यकता। (783)

दिल्ली-सराय रोहिल्ला सादुलपुर एक्सप्रेस (14705/ 14706) को लदनुन तक चलाए जाने की आवश्यकता। (784)

जोधपुर-बांद्रा सूर्यनगरी एक्सप्रेस (12479/12480) को रतनगढ़-चुरू होकर दिल्ली-सराय रोहिल्ला स्टेशन तक चलाए जाने की आवश्यकता। (785)

हजरत निजामुद्दीन-हैदराबाद ट्रेन नं. 12721/12722 दक्षिण एक्सप्रेस को बीकानेर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (786)

जोधपुर-रिवाड़ी पैसेंजर ट्रेन 54809/54810 को दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चलाए जाने की आवश्यकता। (787)

लुधियाना-हिसार (05401/05402) पैसेंजर ट्रेन को देगाना तक चलाए जाने की आवश्यकता। (788)

बाड़मेर-जोधपुर पैसेंजर ट्रेन 54815/54816 को रतनगढ़ होकर रिवाड़ी तक चलाए जाने की आवश्यकता। (789)

जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट 22481/22482 तथा बान्द्रा-जम्मू तवी 19027/19028 विवेक एक्सप्रेस का छापर स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (790)

हिसार-जोधपुर पैसेंजर ट्रेन नं. 54823/54824 का सिरसला हाल्ट पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (791)

दिल्ली-सराय रोहिल्ला-सुजानगढ़ 14705/14706 सालासर एक्सप्रेस का रामपुरा बेरी पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (792)

गोरखधाम सुपरफास्ट ट्रेन को सादुलपुर तक चलाए जाने की आवश्यकता। (793)

बीकानेर और गुवाहाटी के बीच एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (794)

बीकानेर और हावड़ा के बीच एक दुरंतो एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (795)

रिवाड़ी और बीकानेर के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (796)

बीकानेर-जयपुर ट्रेन को रतनगढ़-दिगाना-फुलेरा होकर चलाए जाने की आवश्यकता। (797)

दिगाना और सादुलपुर के बीच प्रति दिन दो बार डीएमयू ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (798)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पिछले बजट में घोषित सरदार शहर-सिरसा रेलवे लाइन का तत्काल सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता। (799)

कि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण एवं बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

हनुमानगढ़-सादुलपुर खंड पर विद्यमान सी-65 रेलवे क्रॉसिंग को बनाए रखते हुए सादुलपुर की ओर रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (800)

सरदारशहर रेलवे स्टेशन के नजदीक रामनगर वास-स्थान में रुके हुए पानी को हटाने के लिए जल-निकास प्रणाली का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (801)

सादुलपुर और सुजानगढ़ स्टेशन के पश्चिम की ओर की बस्तियों को जोड़ने के लिए एक फुट ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (802)

रेलवे कॉलोनी और चुरू जंक्शन को जोड़ने वाले फुट ओवरब्रिज से प्लेटफार्म नं. 1 और 2 पर उतरने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (803)

सादुलपुर-हनुमानगढ़ खंड पर तहसील भाद्रा रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर एक फुट ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (804)

चुरू जंक्शन और सादुलपुर जंक्शन में प्रत्येक में आरक्षण काउंटरों पर एक अतिरिक्त टिकट खिड़की खोले जाने की आवश्यकता। (805)

सादुलपुर जंक्शन में सी-142 के नजदीक रुके हुए गंदे पानी की निकासी के लिए एक नाले का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (806)

रतनगढ़-सरदारशहर खंड के अंतर्गत हुडेरा-चम्पावई 3/5-6, नौसरिया-लढासर 6/8-9, हसासर-गोगासर 12/6-7, भेलुसर-गोगासर 16/8-9 और रूपलीसर- आनंदवासी 24/0-1 में रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (807)

रतनगढ़-सरदारशहर खंड के अंतर्गत दुलरासर-राणासर 27/4-5, उदासर-मेहरासर 34/1-2, कल्याणपुरा- सजनसर 37/1-2 और 38/1-2, रतनगढ़-भानुदा 5/1-2, रतनगढ़-सिकराली 3/8-9 में अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (808)

रतनगढ़-सरदारशहर खंड के अंतर्गत पाबूसर-मालासर 19/2-3, रूपालीसर-मंगासर 34/9, रूपालीसर-खिलेरिया 22/4-5, छोटाडिया-गोगासर 14/7-8, गोलासर-गोगासर 11/1-2 और नौसरिया-कनगड 7/3-4 में पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (809)

सादुलपुर-रिवाड़ी खंड के अंतर्गत किर्तन-बिवाड़/भैसाली, भोजन-बिवाड़, कालारी-बवाड़, राडवा-कन्द्रन 2/5/01, रामपुरा-शेहर 192/9, गुगलवा-रामपुरा 196/7-8 मार्गों पर रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (810)

सादुलपुर-रतनगढ़ खंड के अंतर्गत रतनसारा-खुदेरा-बीकन-जन्डावा-किमी 309/0-1 खाड़िया-खुदेरा चरनन जुहारपुरा गांव तथा सिरसला गांव के उत्तर की ओर रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (811)

हिसार-सादुलपुर खंड के अंतर्गत लासेडी-मिथी रेडुवन 56/5-6 कि.मी. एनएच 65-लुटाना-अमीचंद कि.मी. 62/12-13, एनएच 65-लुटाना-सादासुख 62/7-8, एनएच 65-लुटाना पूर्न किमी 58/7-8 में रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (812)

हनुमान-सादुलपुर खंड के अंतर्गत सिद्धमुख-धांगड़ा कि.मी. 143/13-14, सिद्धमुख-चुबाकियाताल कि.मी. 144/11-12, सिद्धमुख-चुबाकियाताल कि.मी. 146/1-6 तथा चुबाकियाताल-धिंगराला 151/1-12 में अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (813)

हनुमानगढ़ सादुलपुर खंड के अंतर्गत धिंगरडा-घनाऊ 153/6-7, चैपुरा छोटा-हांसिया वास 156/7-8 खयाली- भागेला पहाडसर-नरवासी 165/7-8 तथा भोगेला- चैनपुरा में रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (814)

हनुमान-सादुलपुर खंड के अंतर्गत सादुलपुर-पहारसर- सिद्धमुख कि.मी. 167/3-4, गुलपुरा मिथी-रेडुवान- गुलुपुरा-लुडी 169/1-2 तथा गुलपुरा-लुटाना सदासुख 169/13 में रेल अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (815)

हनुमानगढ़-सादुलपुर खंड के अंतर्गत भाद्रा-सिद्धमुख एमडीआर 18 कि.मी. 136/13-14, कालाना, कि.मी. 125/0-1, भाद्रा-नोहर से सरदारगढ़िया-भरवाना खचवाना 103/12-14 में रेलवे अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (816)

हनुमानगढ़-सादुलपुर खंड के अंतर्गत भाद्रा-नोहर रोड कि.मी. 99/6-7, रामगढ़ उज्जलवास 93/2-3, दिपलाना-पारलिका रोड 85/8-9 तथा नोहर-दिपलाना 82/1-2 में रेलवे अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (817)

हनुमानगढ़-सादुलपुर खंड के अंतर्गत नोहर-सोटी बाडी कि.मी. 80/5-4, भुकारका-भाद्रा मंदिर धानी आर्यन कि.मी. 67/9-10 तथा भुकरवा भादर काली मंदिर धानी आर्यन 67/9-10 में रेलवे अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (818)

सादुलपुर जंक्शन के पूर्व और पश्चिम की ओर सी-142 और सी-144 में चौकीदार वाले रेलवे समपार पर रेल ओवरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (819)

चुरू जंक्शन के पूर्व की ओर चुरू-सादुलपुर रेलवे लाइन पर चौकीदार वाले रेलवे समपार पर एक रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (820)

सादुलपुर-हिसार खंड पर चौकीदार वाले समपार को यथावत बनाए रखे जाने की आवश्यकता। (821)

नोखा-सीकर, सरदारशहर-हनुमानगढ़, चुरू-तारानगर- नोहर, सूरतगढ़-सरदारशहर-तारानगर-सादुलप्रु तथा भिवानी- लोहारू-पिलानी खंडों पर नई रेलवे लाइनें बिछाए जाने की आवश्यकता। (822)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मैं प्रस्ताव करता

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

अहमदाबाद-हिम्मतनगर-खेदब्रह्मा रेलवे लाइन को अम्बाजी होकर आबू रोड तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (823)

साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोदासा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (824)

साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोदासा रेलवे स्टेशन पर एक रेक प्वाइंट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (825)

मोदासा से मुंबई तक एक ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (826)

अहमदाबाद-खेदब्रह्मा रेलवे लाइन पर तोलाद रेलवे स्टेशन को मोदासा-नाडियाड रेलवे लाइन पर धनुसरा रेलवे स्टेशन से जोड़े जाने की आवश्यकता। (827)

मोदासा स्टेशन से देश के महानगरों तक ट्रेनें चलाए जाने की आवश्यकता। (828)

प्रो. रामशंकर (आगरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

स्टेशनों की सफाई के लिए अधिक निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (829)

तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने में शामिल आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भुगतान हेतु अधिक निधियों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (830)

संरक्षा और प्रशिक्षण के लिए अधिक निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (831)

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गोरखपुर से देहरादून तक एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (832)

देहरादून से गुजरात और महाराष्ट्र तक एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (833)

दिल्ली से ऋषिकेश तक एक सीधी ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (834)

ऋषिकेश (उत्तराखंड) रेलवे स्टेशन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (835)

दिन के समय देहरादून से दिल्ली तक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (836)

देहरादून से मुंबई तक दूरंतो या ए.सी. एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (837)

प्रो. रामशंकर(आगरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कर्मचारी और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11. 01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (838)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकंठा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उदयपुर-हिम्मतनगर-अहमदाबाद रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (839)

अहमदाबाद-हिम्मतनगर रेलवे लाइन को प्रौतिज रेलवे स्टेशन से जोड़े जाने की आवश्यकता। (840)

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ऋषिकेश से विकास नगर तक रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (841)

ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता। (842)

प्रो. राम शंकर(आगरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि परिसंपत्तियां- अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

नई लाइनें बिछाए जाने के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (843)

रोड अंडर ब्रिज/आरओबी का निर्माण करने के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (844)

रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (845)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मध्य रेलवे के अंतर्गत मानव रहित समपारों पर गैंगमैनों को लगाए जाने की आवश्यकता। (846)

चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस 12433- 12434 को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (847)

चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर गरीबरथ एक्सप्रेस 12611- 12612 को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (848)

दक्षिण एक्सप्रेस (12721-12722) और संघमित्रा एक्सप्रेस (12295-12296) को मंजरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (849)

भाग्यनगर एक्सप्रेस (17233-17234) को मंजरी रेलवे स्टेशन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (850)

पटना-कुर्ला-दरभंगा-नांदेड एक्सप्रेस को वरोरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (851)

कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12649-12650 को बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (852)

रामेश्वरम-चेन्नई एक्सप्रेस को बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर ठहराव जहां पर उसका टेक्निकल हाल्ट है दिए जाने की आवश्यकता। (853)

नागपुर में मध्य रेलवे का महानिदेशक कार्यालय (जोनल कार्यालय) खोले जाने की आवश्यकता। (854)

बल्लारशाह और चन्द्रपुर रेलवे स्टेशनों पर कोच संसूचक सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (855)

बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर आंध्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12707-12708 को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (856)

नागपुर और बल्लारशाह स्टेशनों के बीच एक नई इंटरसिटी ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता। (857)

सेवाग्राम एक्सप्रेस में कोचों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (858)

नन्दीग्राम एक्सप्रेस 11402 में, जो बल्लारशाह से चलती है में माजरा रेलवे स्टेशन पर 8 अतिरिक्त कोचों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (859)

बल्लारशाह की भुसावल के बीच सुबह के समय एक नई तीव्र यात्री रेल चलाए जाने की आवश्यकता। (860)

यवतमाल जिले में अरनी में पीआरएस आरक्षण सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (861)

कि विविध कार्यशील व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1 -12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल यात्रियों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्त रेलवे स्टेशनों और ट्रैकों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (862)

कि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण निर्माण एवं बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मंजरी तथा चन्दाफोर्ट रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (863)

बल्लारशाह और चन्द्रपुर रेलवे स्टेशनों पर पैदल उपरिपुल बनाए जाने और एस्कालेटरों को लगाए जाने की आवश्यकता। (864)

बल्लारशाह और चन्द्रपुर रेलवे स्टेशनों पर वातानुकूलित आरामघर का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता। (865)

बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर आरामघर की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (866)

माजरा रेलवे स्टेशन पर गेट मैन की सुविधा सहित एक ऊपरि पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता। (867)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे भर्ती बोर्ड में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को समाप्त किए जाने की आवश्यकता। (868)

आद्रा में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हेतु परामर्शदायी सुविधा के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (869)

भारतीय रेल के लिए ऑन बोर्ड ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित करने हेतु राइट्स को परामर्शदायी सुविधा के लिए अधिक धनराशि आवंटित क़िए जाने की आवश्यकता। (870)

कूचबेहर में रेल इलैक्ट्रॉनिक्स सिग्नल कैंप कारखाना स्थापित करने हेतु राइट्स को परामर्शदायी सुविधा के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (871)

श्रमिकों के लिए उत्पादनशीलता आधारित बोनस में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (872)

पूर्व रेलवे में अधिक संख्या में यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर खोले जाने की आवश्यकता। (873)

यात्रा के दौरान टिकट चेक करने वाले कर्मचारियों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को रोके जाने की आवश्यकता। (874)

मालडिब्बों में सामान लादने में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किए जाने की आवश्यकता। (875)

डीजल के मूल्य में वृद्धि के कारण रेल किराए में हुई वृद्धि से सामान्य यात्रियों को मुक्त रखे जाने की आवश्यकता। (876)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

पश्चिम बंगाल में नई लाइनों के सर्वेक्षण के लिए अधिक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (877)

पश्चिम बंगाल में नई लाइनों के लिए सर्वेक्षणों को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (878)

कि रेल संबंधी सामान्य अधीक्षण और सेवा शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 03.01.1-03.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (879)

रेलवे की दूरसंचार प्रणाली को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (880)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे के पुराने गर्डर पुलों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता। (881)

समयबद्ध तरीके से फुट ओवर ब्रिज सहित रोड ओवर/अंडर ब्रिजों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता। (882)

कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 05.01.1-05.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

समय-समय पर डीजल रेल इंजनों की ओवरहॉल किए जाने की आवश्यकता। (883)

समय-समय पर इलैक्ट्रॉनिक रेल इंजनों की ओवर- हॉलिंग किए जाने की आवश्यकता। (884)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 06.01.1-06.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

डीएमयू की आवधिक ओवरहॉलिंग किए जाने की आवश्यकता। (885)

इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग किए जाने की आवश्यकता। (886)

रेलगाड़ियों में लाइटिंग, पंखों और एसी सेवाओं को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (887)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (888)

बीआर सिंग हॉस्पिटल, सियालदाह और साउथ ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल, गार्डन रीच में सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (889)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 12.01.1-12.03.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलगाड़ियों में यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (890)

रेलवे डाईनिंग कारों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (891)

कि धनराशि का विनियोग शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 14.01.1-14.02.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

अवक्षयण आरक्षित निधि में अंशदान में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (892)

कि परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में से 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (893)

पश्चिम बंगाल में नई लाइनों के निर्माण के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (894)

पश्चिम बंगाल में दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (895)

कोलकाता के चारों ओर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (896)

पश्चिम बंगाल में रोड ओवर/अंडर ब्रिजों के लिए अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (897)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): मै प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.01) में 100 रुपए कम किए जाएं।

अररिया और दिल्ली के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (898)

जोगबनी और सिलिगुड़ी के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता। (899)

सीमांचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित डिब्बों की संख्या में वृद्धि किए जाने और एक भोजन-यान जोड़े जाने की आवश्यकता। (900)

देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (901)

रेलगाड़ियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने तथा आवारा जानवरों को रेल दुर्घटना से बचाने के लिए रेलवे लाइनों के दोनों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (902)

रेलवे के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता। (903)

टिकट काउंटरों पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा यात्रियों के पेश आने वाली लालफीताशाही को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता। (904)

अतिव्यक्त समय के दौरान रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों की संख्या में अस्थायी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (905)

कच्ची खाद्य-मदों, फलों और फूलों की समय पर और त्वरित ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए सुपरफास्ट ट्रेनों के साथ प्रशीतित माल-डिब्बों को जोड़े जाने की आवश्यकता। (906)

देश के वाणिज्यिक शहरों के रेलवे स्टेशनों पर खाद्य और अन्य मदों के भंडारण के लिए भांडागारों और शीतागारों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (907)

कटिहर रेलवे डिवीजन में अररिया जिले के सभी रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (908)

रेलवे इंजनों के यान में ड्राइवरों के लिए सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (909)

पटना से जोगबनी तक इंटरसिटी एक्स्प्रेस चलाए जाने की आवश्यकता। (910)

जोगबनी से वाराणसी तक एक नई रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (911)

प्रतीक्षा सूची में यात्रियों की भारी संख्या होने की स्थिति में रेलगाड़ियों में अनंतिम डिब्बे संलग्न किए जाने की आवश्यकता। (912)

गरीब रथ जैसी और अधिक रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता। (913)

अनारक्षित डिब्बों में भी आरामदेह सीटें उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (914)

रेलवे कर्मचारियों को कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (915)

रेलगाड़ियों की प्रचालनात्मक लागत को कम किए जाने की आवश्यकता। (916)

शहर के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे स्टेशनों पर सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (917)

देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े कस्बों में रेल आरक्षण केंद्र खोले जाने की आवश्यकता। (918)

बंद हो गई रेलवे लाइनों के रेलवे ट्रेकों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता। (919)

रेलवे स्टेशनों पर दलालों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता। (920)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल दुर्घटनाओं के निवारण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता। (921)

कि रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 04.01.1-04.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

निधि की कमी के कारण लंबित पड़ी परियोजनाओं के लिए निधि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (922)

कि प्रचालन व्यय-परियात शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 09.01. 1 -09.03.01) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा रेलगाड़ियों को समय पर चलाए जाने की आवश्यकता। (923)

राजरानी एक्सप्रेस की तर्ज पर जोगबनी से पटना तक एक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (924)

आम्रपाली एक्सप्रेस को जोगबनी से चलाए जाने की आवश्यकता। (925)

जोगबनी से कोलकाता तक एक दैनिक रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (926)

कि विविध कार्यकारी व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1 -12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाए।

ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों जो रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को खाने-पीने की नशीली चीजें खिलाते हैं, द्वारा लूटपाट और धोखाधड़ी की बढ़ती हुई घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा निगरानी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता। (927)

रेलगाड़ियों में सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (928)

रेलवे स्टेशनों में विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि किए जाने तथा स्टालों के आबंटन में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (929)

रेलवे स्टेशनों में किफायती और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (930)

रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा निगरानी में होने वाली चूकों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता। (931)

कि परिसंपत्तियां—अर्जन, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (932)

रेलगाड़ियों में निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (933)

रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली तथा प्रदर्श-पट्टों में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (934)

रेलवे स्टेशनों पर कुलियों तथा अन्य विक्रेताओं द्वारा अधिक पैसे लिए जाने पर नियंत्रण लगाए जाने की आवश्यकता। (935)

रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (936)

अररिया से गल्गालिया तक की रेल लाइन के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता। (937)

सहरसा से फरबीसगंज रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता। (938)

अररिया रेलवे स्टेशन पर जलापूर्ति की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता। (939)

अररिया से सुपौल रेलवे लाइन के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता। (940)

खाली पड़ी रेल भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता। (941)

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

कटनी जंक्शन से नागपुर तक नई यात्री रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (942)

रेवा-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी चेयर कार डिब्बा जोड़े जाने की आवश्यकता। (943)

चिरमिरी-चांदिया यात्री रेलगाड़ी संख्या 58221 तथा 58222 को केएमजेड मुखाडा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (944)

कटनी जंक्शन पर रेलगाड़ी संख्या 12141/12142, 11055/11056, 11059/11060, 12165/12166, 12539/12540 के लिए ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (945)

दामोह-भोपाल राज्य रानी एक्सप्रेस को केएमजेड मुखाडा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (946)

कटनी जंक्शन में पूछताछ कार्यालय का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (947)

कटनी जंक्शन पर आधुनिक तर्ज पर प्लेटफार्म संख्या 1 से 6 तक पैदल यात्री उपरिपुल का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (948)

रेलगाड़ी संख्या 15159/15160, 11905/11906, 12823/12824 तथा 18207/18208 के लिए आपातकालीन कोटा के अंतर्गत बर्थ का आवंटन करने के लिए एरिया मैनेजर, एनकेजी को सशक्त किए जाने की आवश्यकता। (949)

रेलगाड़ी संख्या 12549/12550, 11072/11073, 18204/18205 तथा 18202/18203 के लिए आपातकालीन कोटा के अंतर्गत बर्थ के आबंटन के लिए एनकेजेड के एरिया मैनेजर को अधिकार दिए जाने की आवश्यकता। (950)

खन्ना-बंजारी रेलवे स्टेशन पर सभी साप्ताहिक रेलगाड़ियों के लिए ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (951)

कटनी-बीना रेल लाइन में रीथी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (952)

कटनी-बीना रेल लाइन में रीथी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 11071/11072 तथा 12181/12182 के लिए ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (953)

पटौदा रेलवे स्टेशन पर भोपाल-बिलासपुर यात्री रेलगाड़ी के लिए ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (954)

छत्तरपुर-सागर-भोपाल नई रेल लाइन के लिए निधि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता। (955)

दामोह-हट्टा-पन्ना तथा दामोह-हट्टा खजुराहो रेलवे लाइन का कार्य आरंभ करने के लिए निधि का आबंटन किए जाने की आवश्यकता। (956)

छत्तरपुर और ईशानगर के बीच रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (957)

छत्तरपुर में रेलवे स्टेशन और गोदाम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (958)

कि परिसंपत्तिया, अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.3) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कटनी जंक्शन में वाशिंग पिट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (959)

केएमजेड मुखारा से कटनी रेलवे स्टेशन तक गोदाम को स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता। (960)

कटनी जंक्शन के अंतर्गत मझगांडा रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क उपरिपुल/सड़क अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (961)

कटनी जंक्शन के अंतर्गत लमतारा रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (962)

कटनी जंक्शन में नया आरक्षण भवन बनाए जाने की आवश्यकता। (963)

श्री शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) को कम करके 1 रुपया कम किया जाए।

सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से रेलवे सेवाओं के निजीकरण को रोकने में असफलता। (964)

ऐसे परिवार जिनकी भूमि विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की गई थी, को पर्याप्त मुआवजा पुनर्वास तथा उनकी संततियों को नियोजन प्रदान करने में असफलता। (965)

पश्चिम बंगाल के लिए मंजूर की गई रेल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित करने में असफलता। (966)

यात्री किराए से "ईंधन समाशोधन घटक" को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (967)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 01.01.1-01.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेलवे जोन के अंतर्गत ईएमयू रेलगाड़ियों को समय की पाबंदी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (968)

पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेल जोन में भारी यातायात के प्रबंध न के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (969)

रेलवे में विशेषकर समूह 'ग' और 'घ' में सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न हो रही रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता। (970)

ग्रामीण क्षेत्रों में रात में ड्यूटी करने वाली गैंगमैनों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें पर्याप्त संचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (971)

रेलवे में कथित रूप से मौजूद भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता। (972)

राजसहायता प्राप्त दरों पर नाश्वान मदों जैसे फलों और सब्जियों का त्वरित परिवहन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (973)

पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं सहित रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (974)

परज और मन्कार के बीच पूर्वी रेल के आसनसोल मंडल के कोन्डाईपुर में हाल्ट स्टेशन दिए जाने की आवश्यकता। (975)

बर्धवान स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (976)

दुर्गापुर और हावड़ा के बीच एक सीधी सवारी रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (977)

पूर्वी रेल के अंतर्गत अग्निबिना एक्सप्रेस और मयूराक्षी एक्सप्रेस को मन्कार स्टेशन में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (978)

हिमगिरी एक्सप्रेस और जोधपुर एक्सप्रेस को दुर्गापुर रेलवे स्टेशन में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (979)

रेलवे में विशेषकर सुरक्षा श्रेणी पदों में मौजूद सभी रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (980)

सभी आवश्यक वस्तुओं विशेषकर कोयला और नमक के मालभाड़े की दरों में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (981)

सभी एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों में स्लीपर और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के किराए में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (982)

आरक्षण और रद्द करने के शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (983)

पश्चिम बंगाल के बर्धवान में राजधानी एक्सप्रेस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (984)

हावड़ा-रांची शताब्दी एक्सप्रेस को बर्धवान जंक्शन में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (985)

पूर्वी रेल के अंतर्गत जोधपुर एक्सप्रेस और लालकिला एक्सप्रेस को दुर्गापुर में ठहराए दिए जाने की आवश्यकता। (986)

स्वदेशी कोच/वैगन विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सवारी कोचों और वैगन के आयात पर प्रतिबध लगाए जाने की आवश्यकता। (987)

सभी मानव रहित समपारों पर गेटमैनों को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (988)

पश्चिम बंगाल में ईएमयू और डीईएमयू रेलगाड़ियों में कोच बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (989)

पूर्वी रेल के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर पड़े रहे लोह की छीलन की बड़े पैमाने पर चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता। (990)

सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (991)

पूर्वी रेल में आसनसोल मंडल के मन्कार में एक अतिरिक्त बुकिंग खिड़की खोले जाने की आवश्यकता। (992)

पूर्वी रेल में बलगोना कोटवा लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता। (993)

बदरपुर होते हुए सिलचर और लुमडिंग तथा बदरपुर होते हुए अगरतला और लुमडिंग के बीच ब्रॉड गेज परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (994)

पूर्वी रेल में बर्धमान और आसनसोल के बीच स्थानीय रेलगाड़ियों की बारंबारता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (995)

पूर्वी रेल में हावड़ा-न्यू जलपाइगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस को बर्धमान में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता। (996)

निरंतर जाम की समस्या से बचने के लिए पश्चिम बंगाल के सभी स्टेशनों को बिजली की उचित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (997)

पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेल जोन के अंतर्गत स्टेशनों पर फुल रेक लोडिंग सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (998)

पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेल जोन के अंतर्गत और अधिक सवारी रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता। (999)

रेलवे स्टेशनों पर खानपान सेवाओं में कथित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता। (1000)

रेल सुरक्षा और रेल आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता। (1001)

कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 02.01.1-02.02.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेल विभाग द्वारा रेलवे की खाली भूमि को उपयोगी प्रयोजनों के लिए निजी उद्यमियों के बगैर, उपयोग किए जाने की आवेश्यकता। (1002)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11.01.1-11.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गुर्दा अंतरण, हृदय शल्य चिकित्सा और कर्क के लिए विशेषीकृत उपचार की सुविधायुक्त एक सुसज्जित रेल अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (1003)

कि विविध कार्यशील व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 12.01.1 -12.03.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (1004)

रेलगाड़ियों में खानपान की सुविधाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (1005)

देश भर में रेलवे हॉकरों को लाइसेंस जारी किए जाने तथा आरपीएफ द्वारा उनका उत्पीड़न समाप्त किए जाने की आवश्यकता। (1006)

रेलगाड़ियों में विशेषकर रात में चलने वाली रेलगाड़ियों में पर्याप्त संख्या में आरपीएफ कार्मिकों को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (1007)

कि परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.1-16.04.1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लम्बी दूरी के मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में डॉक्टरों को तैनात किए जाने की आवश्यकता। (1008)

दुर्गापुर स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता। (1009)

पूर्वी रेल के अंतर्गत बर्मापुर से आसनसोल तक की एकल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (1010)

पूर्वी रेल के बर्धमान-गुसकारा रोड पर नलिन पाईट रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (1011)

पूर्वी रेल के बुदबुद-बलगोना रोड पर मन्कार स्टेशन में रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (1012)

पूर्वी रेल के सिलमपुर-पनगढ़ रोड पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (1013)

अध्यक्ष महोदया: मैं अब परिचालित किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को, जिन्हें एक साथ प्रस्तुत किया गया माना गया है, सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया: मैं अब अनुदानों की मांगें (रेल) 2013-14 को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए आवश्यक राशि को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गई राशियों से अधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मंत्री के बोलना शुरू करने से पहले हम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल रेलवे परियोजनाओं से पूर्णत: वंचित है। पहले भी हम साफतौर पर कह चुके हैं कि जिन प्रस्तावों को पूर्व रेल मंत्री, कुमारी मानता बनर्जी और उनके बाद के अन्य माननीय रेल मंत्रियों ने शुरू किया था उनके लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए। ये परियोजनाएं ठंडे बस्ते में डाली जा चुकी हैं। जहां तक रेलवे परियोजनाओं का संबंध है पश्चिम बंगाल को अभी तक अनिश्चितता की स्थिति में रखा गया है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदया:, यदि माननीय सदस्य आवेश में आये बिना पूरे आवंटन को देखें, तो मुझे विश्वास है कि जो भी वह कह रहे हैं, नहीं कहेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: जहां तक श्री चिदम्बरम का संबंध है, स्थगन हेतु प्रस्ताव पहले से ही मौजूद है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। अधिस्थगन का जो प्रस्ताव हम लाए हैं वे हमसे उस पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए, इसके विरोध विरोध में हम भी बाहर जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.47 बजे

इस समय, श्री सुदीप बंदोपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं सभी दलों के काफी सारे माननीय सदस्यों से मिलता हूं। परंतु उनमें से कोई भी कभी मेरे पास नहीं आया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में एक भी मुद्दा नहीं उठाया।

अपराह्न 12.48 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खंड, 2, दिनांक 30.4.13 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधयेक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.49 बजे

सभा की स्वीकृति के लिए मांगें (गिलोटीन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) को आज अपराह्न 1.30 बजे सभा के मतदान हेतु प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। चूंकि हम रेल बजट पहले ही पारित कर चुके हैं, इसलिए हम सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने के समय को पहले कर सकते हैं, और लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) पर सभा की स्वीकृति ले सकते हैं। मुझे लगता है, सभा इससे सहमत है।

कई माननीय सदस्य: हां।

अध्यक्ष महोदया: बहुत से माननीय सदस्यों ने लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) के लिए कटौती प्रस्ताव दिए हैं। स्वीकृत कटौती प्रस्तावों की सूचियां पहले ही सदस्यों को परिचालित की जा चुकी हैं। मैं लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) के लिए परिचालित सभी कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया मानती हूं।

कटौती प्रस्ताव

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2013-14
(कृषि मंत्रालय)

सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्वोत्तर राज्यों में हरित क्रांति के लिए और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (1)

हरित क्रांति वाले राज्यों में फसल विविधिकरण हेतु और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

किसानों को उनकी उपज के बदले लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता। (4)

कृषक सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (5)

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (6)

देश में प्राकृतिक आपदा के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है उन्हें बीमा कवर दिए जाने की आवश्यकता। (7)

सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहीन किसानों के लिए एक प्रभावी योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (8)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में गन्ना उगाने वालों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (9)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की आवश्यकता। (10)

सभी कृषि सामग्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता। (11)

जलगांव जिले के सूखा प्रभावित किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा दिए जाने की आवश्यकता। (12)

जलगांव जिले के सूखा प्रभावित किसानों में नि:शुल्क बीज और उर्वरक वितरित किए जाने की आवश्यकता। (13)

जलगांव जिले में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (14)

किसानों को कार्बनिक खेती के लिए ब्याज रहित ऋण और सब्सिडी जैसी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता। (15)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (16)

महाराष्ट्र के किसानों को अधिक उपज वाले कपास के बीच उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (17)

महाराष्ट्र के किसानों को न्यून ब्याज दर पर ऋण दिए जाने की आवश्यकता। (18)

महाराष्ट्र के जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई है उन्हें केंद्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (19)

प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (20)

महाराष्ट्र के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों का कृषि ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता। (21)

महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों को पर्याप्त केंदीय वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (22)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को केंद्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (23)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मै प्रस्ताव करती हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सूखा से प्रभावित गांवों में चारा बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (24)

सूखा, ओलावृष्टि अथवा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को ब्याजरहित ऋण दिए जाने की आवश्यकता। (25)

हरित क्रांति के लिए और अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (26)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मध्य प्रदेश के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता। (27)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के घटते हुए शेयर को रोके जाने की आवश्यकता। (28)

गन्ना उत्पादकों को चीनी मील मालिकों द्वारा तत्काल और समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (29)

वृहद फसल बीमा योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता। (30)

देश में बागवानी कार्यक्रम के लिए बजटीय आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (31)

बीज के पारंपरिक किस्म के संरक्षण हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (32)

बीज के उच्च उत्पादन वाली किस्मों के उपयोग हेतु किसानों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (33)

प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता। (34)

नकदी फसल की नई किस्में विकसित करने हेतु पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (35)

कृषि विकास को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (36)

देश में निजी बीज कंपनियों का एकाधिकार समाप्त किए जाने की आवश्यकता। (37)

नकली और सांश्लेषिक बीज की आपूर्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का उपबंध करने हेतु ठोस प्रशासनिक उपाय किए जाने की आवश्यकता। (38)

कृषि उपज के लिए न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करने हेतु लागत और मूल्य संबंधी आयोग द्वारा यथापरिभाषित न्यूनतम 50 प्रतिशत सी2 सूत्र को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता। (39)

दलहन और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता। (40)

देश में किसानों की दयनीय सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार लाने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (41)

आयातित कृषि उत्पाद से किसानों की सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता। (42)

किसानों द्वारा आत्महत्या को रोकने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (43)

प्राकृतिक आपदा से किसानों की सुरक्षा करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (44)

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

किसानों को नि:शुल्क लघु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (45)

द्रवित जैव उर्वरक पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता। (46)

महाराष्ट्र में बनाना टिशु कल्चर प्लांट के पौधारोपण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता। (47)

कुआं और नलकूप की खुदाई हेतु किसानों को केंद्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (48)

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों के आधुनिकीकरण हेतु ब्याज रहित ऋण दिए जाने की आवश्यकता। (49)

कृषि के यांत्रिकीकरण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता। (50)

सभी किसानों को नि:शुल्क फसल बीमा दिए जाने की आवश्यकता। (51)

बीटी कॉटन बीज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता। (52)

महाराष्ट्र के जिन किसानों की फसल ओला वृष्टि में बर्बाद हो गई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता। (53)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

किसानों को प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी देकर जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (54)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

दलहन और खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (55)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की सहायता हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (56)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (57)

किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चालव की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (58)

किसानों को उच्च उत्पादन वाला गुणवत्तापरक बीज की उपलब्ध ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (59)

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में औषधीय उत्पादक उगाने हेतु विशेष कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (60)

प्राकृतिक आपदा के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (61)

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में प्रभावित किसानों का ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता। (62)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि और सहकारिता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 1) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ऋणग्रस्त किसानों द्वारा आत्महत्या को घटनाओं को रोकने के लिए न्यून ब्याज दर पर किसानों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (63)

मोबाईल बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किसानों के द्वार पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (64)

चना, ज्वार, बाजरा और अन्य मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (65)

उत्तर प्रदेश के जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई है उन्हें केंद्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (66)

धान और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (67)

आर्थिक मंदी से किसानों की सुरक्षा करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता। (68)

किसानों को बेहतर फसल बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (69)

किसान अनुकूल ऋण सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (70)

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में खाद्यान्न के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (71)

कृषि की बदलती हुई आवश्यकता और मांग के अनुरूप किसानों को नई फसल पद्धति अपनाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाने की आवश्यकता। (72)

उदारीकृत विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत किसानों की आयातित कृषि उत्पाद से सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता। (73)

किसानों द्वारा अपनी उपज को सस्ते में बेचे जाने से बचाव किए जाने की आवश्यकता। (74)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (75)

कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए नए कार्यक्रमों के बारे में किसानों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता। (76)

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से चावल और गेहूं को खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (77)

किसानों को अधिक उपज वाले कपास के बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (78)

देश के पिछड़े क्षेत्रों में औषधीय पादप उगाने हेतु विशेष कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (79)

बागवानी का टेक्नोलॉजी मिशन प्रभावी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता। (80)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार किए जाने की आवश्यकता। (81)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (82)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता। (83)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विकास हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की आवश्यकता। (84)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) खोले जाने की आवश्यकता। (85)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गुजरात में कृषि प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (86)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता। (87)

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई प्रौद्योगिकी में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (88)

देश में बागवानी का एकीकृत विकास किए जाने की आवश्यकता। (89)

महाराष्ट्र के हटकानांगली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (90)

जलगांव जिले में केला शोध केंद्र खोले जाने की आवश्यकता। (91)

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कृषि पर वैश्विक उष्मता और बर्फबारी के प्रभाव का आकलन किए जाने की आवश्यकता। (92)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रम के बारे में किसानों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता। (93)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (94)

उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (95)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता। (96)

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुफ्त कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (97)

देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की आवश्यकता। (98)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थान खोले जाने की आवश्यकता। (99)

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (100)

देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विकास के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की आवश्यकता। (101)

यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि किसानों को कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास की सुगम उपलब्ध ता हो। (102)

यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि किसानों को वैज्ञानिक अनुसंधान विशेष रूप से जैव-विविधता के क्षेत्र में किसानों की सुगम उपलब्धता हो। (103)

कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु शीत भंडारण तकनीक को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (104)

बागवानी को विकसित किए जाने की आवश्यकता। (105)

लाभकारी फसल की नई किस्में विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (106)

देश के पिछड़े क्षेत्रों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार किए जाने की आवश्यकता। (107)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (108)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों विशेष रूप से सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (109)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मै प्रस्ताव करता हूं:

कि पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किए जाएं।

दुग्ध उत्पादकों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (110)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मै प्रस्ताव करता हूं:

कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किए जाएं।

चारा का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (111)

राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाए जाने की आवश्यकता। (112)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन और डेयरी शोध केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (113)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (114)

मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (115)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दुग्ध संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (116)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन ओर डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (117)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक केन्द्रीय धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (118)

महाराष्ट्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से मात्स्यिकी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (119)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दुग्ध विकास के लिए दुग्ध संयंत्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (120)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गुजरात में महेसाणा, बनासकांठा और जूनागढ़ को राष्ट्रीय पशुधन मिशन का लाभ दिए जाने की आवश्यकता। (123)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्तव करता हूं:

कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के हथकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने की आवश्यकता। (122)

महाराष्ट्र में विशेष रूप से कोंकण में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मात्स्यिकी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (123)

पशुपालन में रत किसानों को प्रत्यक्षतौर पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (124)

महाराष्ट्र के हथकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन और डेयरी अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (125)

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के जिला दुग्ध यूनियन को सब्सिडी प्राप्त ऋण दिए जाने की आवश्यकता। (126)

डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत सभी आवेदकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता। (127)

महाराष्ट्र में डेयरी कृषि पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता। (128)

महाराष्ट्र में बकरी पालन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता। (129)

श्री सुरेंद्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन और डेयरी अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (130)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (131)

उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से मात्स्यिकी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (132)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (133)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन और डेयरी रिसर्च केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (134)

(रसायन और उर्वरक मंत्रालय)

सांकेतिक

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उर्वरक विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 27) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उर्वरकों पर 50 प्रतिशत राजसहायता दिए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उर्वरक विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 27) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (2)

यूरिया के बढ़ रहे मूल्यों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता। (3)

उर्वरकों के मूल्यों का नियंत्रण हटाए जाने की आवश्यकता। (4)

जल में घुलनशील उर्वरकों को विशेषकर ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बढ़ रहे उपयोग के कारण राजसहायता दिए जाने की आवश्यकता। (5)

ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता। (6)

कृषकों को सीधे ही उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (7)

कम्पोजिट उर्वरकों के अभाव को दूर करने की आवश्यकता। (8)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उर्वरक विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 27) में 100 रुपए कम किए जाएं।

डीएपी सहित आयातित उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (9)

यूरिया का उत्पादन बढ़ाए जाने तथा उसके मूल्यों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (10)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उर्वरक विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 27) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के लघु और सीमांत कृषकों को राजसहायता दिए जाने की आवश्यकता। (11)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भेषज विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 33) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गरीब रोगियों को उचित दरों पर दवाओं की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (12)

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भेषज विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 33) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को निःशुल्क दवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (13)

भेषज उद्योगों को आर्थिक सहायता प्राप्त ऋण दिए जाने की आवश्यकता। (14)

(कोयला मंत्रालय)

सांकेतिक

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कोयला मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 37) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के ताप विद्युत संयंत्रों को उनकी मांगों के अनुरूप कोयला की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (1)

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में कोयला की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (2)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कोयला मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 37) में 100 रुपए कम किए जाएं।

आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कोयला मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 37) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दादरी अवस्थित एनटीपीसी की इकाई को पर्याप्त कोयला आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (4)

कोयला लिंकेज/कोयला खंडों के आवंटन में समुद्र तटीय इलाकों से दूर स्थित राज्यों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता (5)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कोयला मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 37) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ताप विद्युत संयंत्रों को उनकी मांगों के अनुरूप कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (6)

देश के पिछड़े क्षेत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (7)

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कोयला मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 37) में 100 रुपए कम किए जाएं।

तमिलनाडु ताप विद्युत संयंत्रों को आवश्यकता के अनुरूप कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (8)

तमिलनाडु के ताप विद्युत संयंत्रों के विस्तार हेतु कोयला संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (9)

आवश्यकता के अनुरूप तमिलनाडु सरकार को कोयला खंड सौंपे जाने की आवश्यकता। (10)

(उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 86) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के समग्र विकास हेतु राज्य में आवाजाही में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (1)

(पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मै प्रस्ताव करता हूं:

कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 89) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान कराने की आवश्यकता। (1)

महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्राधिकरण का सृजन किए जाने की आवश्यकता। (2)

पेयजल की आपूर्ति करने के लिए तापी नदी बेसिन के साथ जलगांव जिले में भू-जल को रिचार्ज करने की आवश्यकता। (3)

श्री सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 89) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित गांव में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (4)

भारत के समस्त गांव में खुले में शौच करने से मुक्त किए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 89) में 100 रुपए कम किए जाएं।

समस्त ग्रामीण, दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में समुचित सीवेज निस्तरण प्रणाली के माध्यम से स्वच्छता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (6)

देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में स्वच्छ पेयजल के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कराने की आवश्यकता। (7)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल प्रदान कराने की आवश्यकता। (8)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिफ्ट पेयजल स्कीम का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता। (9)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए एक स्कीम बनाए जाने की आवश्यकता। (10)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की समस्त प्रस्तावित पेयजल स्कीमों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (11)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के लिए एक व्यापक स्कीम को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। (12)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक बसावट के लिए एक हैंड पंप स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। (13)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कम जल वाले क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्धता के लिए एक विशेष स्कीम बनाए जाने की आवश्यकता। (14)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 89) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (15)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पेयजल स्कीमों का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता। (16)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्षा जल संचयन के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (17)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए एक हैंड पंप स्वीकृत कराए जाने की आवश्यकता। (18)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए एक विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (19)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 89) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराए कराए जाने की आवश्यकता। (20)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिफ्ट स्कीम स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। (21)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पेयजल स्कीमों को यथाशीघ्र अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता। (22)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्षा जल संचयन के लिए एक व्यापक स्कीम को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (23)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक बसावट वाले क्षेत्र में हैंड पंप लगाए जाने की आवश्यकता। (24)

केन्द्रीय पेयजल स्कीमों के कार्यान्वियन में जिला और राज्य स्तर पर संसद सदस्य को भागीदारिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (25)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 89) में 100 रुपए कम किए जाएं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलबध कराए जाने की आवश्यकता। (26)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिफ्ट पेयजल स्कीम को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (27)

(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 91) में 100 रुपए कम किए जाएं।

चक्रवात और बाढ़ के बेहतर पूर्वानुमन के लिए एक कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (1)

(पर्यावरण और वन मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 97) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के सतपुरा वन में जैव-विविधता का संरक्षण करने तथा वन रोपण कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (1)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के सतपुरा वन में वन्य जीव अभयारण्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 97) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गोदावरी गंगा, यमुना, पंचगंगा जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता। (3)

पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सबंधी कानूनों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता। (4)

देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता। (5)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 97) में 100 रुपए कम किए जाएं।

बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वन और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (6)

पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नए उद्योगों की स्थापना के लिए पाबंदी हटाए जाने का आवश्यकता। (7)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 97) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश की सभी महत्वपूर्ण नदियों को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (8)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 97) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में ऐतिहासिक भवनों के आस-पास के क्षेत्र को प्रदूषण-मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता। (9)

देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता। (10)

नदियों को प्रदूषण-मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता। (11)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यावरण और वन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 97) में 100 रुपए कम किए जाएं।

यमुना को प्रदूषण-मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता। (12)

(विदेश मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 106) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश के लिए एक सुविचारित विदेश नीति बनाए जाने और उसका निरंतर अनुपालन किए जाने की आवश्यकता। (1)

पाकिस्तान सरकार पर नियंत्रण-रेखा का सम्मान करने तथा सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दबाव बनाए जाने की आवश्यकता। (2)

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (3)

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (4)

भारत-पाक सीमा मुद्दों के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (5)

तिब्बत के संबंध में चीन की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखे जाने की आवश्यकता। (6)

पाकिस्तान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (7)

विदेशों में भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (8)

विदेशी जल में भारतीय मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (9)

पड़ोसी देशों द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (10)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 106) में 100 रुपए कम किए जाएं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति, स्थायित्व और सुरक्षा का संप्रवर्तन करने के लिए भारत की पारंपरिक भूमिका का संवर्धन किए जाने की आवश्यकता। (11)

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट-निरपेक्ष नीति के प्रवर्तन के लिए हमारी पारंपरिक भूमिका का उपयोग किए जाने की आवश्यकता। (12)

संयुक्त राष्ट्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किए जाने की आवश्यकता। (13)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (14)

पाकिस्तानी जेलों में लंबे समय से बंद सभी भारतीयों की रिहाई के लिए पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाए जाने की आवश्यकता। (15)

हमारी विदेशी नति को अधिक प्रभावी बनाकर पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (16)

पड़ोसी देशों द्वारा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (17)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 106) में 100 रुपए कम किए जाएं।

अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह किए जाने की आवश्यकता। (18)

(वित्त मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वित्त मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 110) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (1)

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (2)

मध्य प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (3)

मध्य प्रदेश में कृषि के विकासार्थ विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता। (4)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि आर्थिक मामले विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 110) में 100 रुपए कम किए जाएं।

चांदी और यार्न के वायदा व्यापार को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता। (5)

विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (6)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि आर्थिक मामले विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 110) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गुजरात में हीरा बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (7)

दो हजार अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (8)

ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सचल (मोबाइल) बैंक स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (9)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वित्तीय सेवा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 116) में 100 रुपए कम किए जाएं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए निधियों के आबंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (10)

निजी क्षेत्र के लिए बैंकिंग लाइसेंस जारी करने को रोकने की आवश्यकता। (11)

किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (12)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि वित्तीय सेवा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 116) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कृषि ऋण माफी योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता। (13)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वित्तीय सेवा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 116) में 100 रुपए कम किए जाएं।

किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना में कथित अनियमितताओं और कार्यान्वयन की समीक्षा की जांच किए जाने की आवश्यकता। (14)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वित्तीय सेवा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 116) में 100 रुपए कम किए जाएं।

प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (15)

किसानों को सहकारी प्राथमिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (16)

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के कृषि ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता। (17)

देश के कपास किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (18)

देश में गन्ना किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (19)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वित्तीय सेवा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 116) में 100 रुपए कम किए जाएं।

आसान शर्तों पर गरीब लोगों, बेरोजगारों, श्रमिकों और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (20)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों में स्थानांतरण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 124) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ऋणग्रस्त राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल के ऋण पर ब्याज के संदाय पर अधिस्थगन लाए जाने की आवश्यकता। (21)

पश्चिम बंगाल के माओवादियों से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (22)

कि भारतीय लेखा परीक्षा और खाता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 135) में 100 रुपए कम किए जाएं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता। (23)

कि राजस्व विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 137) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कर-अपवंचन के असंख्य मामलों के रोकने हेतु प्रभावी प्रक्रिया का विकास करके अधिक लोगों को कर के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता। (24)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि राजस्व विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 137) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में काले धन का पता लगाए जाने की आवश्यकता। (25)

वित्तीय घाटे को कम किए जाने की आवश्यकता। (26)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा गरीब लोगों, वंचित लोगों, बेरोजगार युवाओं, श्रमिकों और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान किए जाने और ऋण की वसूली के लिए अपनायी जाने वाली नीति में त्रुटियों को दूर किए जाने की आवश्यकता। (27)

कि प्रत्यक्ष कर शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 141) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कर वंचन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (28)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि अप्रत्यक्ष कर शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 141) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मल्टीप्लेक्सों और शॉपिंग मॉलों की आय और व्यय की अनिवार्य लेखा परीक्षा की आवश्यकता। (29)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि अप्रत्यक्ष कर शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 141) में 100 रुपए कम किए जाएं।

विशेषकर बड़े पत्तनों और विमानपत्तनों में सीमाशुल्क विभाग में कथित भ्रष्टाचार को रोके जाने की आवश्यकता। (30)

(खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 144) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के जलगांव में केले के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने की आवश्यकता। (1)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित केला प्रसंस्करण उद्योग को राजसहायता दिए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 144) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (3)

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 146) में 100 रुपए कम किए जाएं।

एम्स की तर्ज पर देश में गरीबों के लिए अधिक सुपर स्पेशेलिटी अस्पतालों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 146) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के हथकनंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (2)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता। (3)

ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए अधिक निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (14)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 146) में 100 रुपए कम किए जाएं।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखरेख निधि को दोगुना किए जाने की आवश्यकता। (5)

जिला अस्पतालों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी का समाधान किए जाने की आवश्यकता। (6)

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निधि का आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (7)

गुजरात मॉडल की तर्ज पर मध्याह्न भोजन योजना में दूध संजीवनी योजना को शामिल किए जाने की आवश्यकता। (8)

ग्राम स्तर पर महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य देखरेख दिए जाने की आवश्यकता। (9)

प्रो. सौगत राय: (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 146) में 100 रुपए कम किए जाएं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नगरपालिका अस्पतालों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (10)

ब्लॉक स्तर के अस्पतालों को आधुनिक नैदानिक उपकरणों से सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता। (11)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 146) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य देखरेख केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (12)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य देखरेख केन्द्रों में डॉक्टरों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (13)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 146) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के लिए निधि दिए जाने की आवश्यकता। (14)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 146) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गुर्दे और हृदय रोगों से संबंधित रोगों और हेपेटाइटिस 'बी', टुबरकुलोसिस तथा एचआईवी जैसे रोगों से पीड़ित लोगों को वहनीय तथा समय पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (15)

देश में स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (16)

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता। (17)

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (18)

देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य देखरेख केन्द्रों में डॉक्टरों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता। (19)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 146) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (20)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (21)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) शीर्ष (पृष्ठ 160) के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं

आयुष के लिए आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (22)

(भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भारी उद्योग विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 169) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में और अधिक उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (1)

महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भारी उद्योग विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 169) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र में और अधिक उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भारी उद्योग विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 169) में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंद पड़ी रुग्ण फैक्ट्रियों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता। (4)

उत्तर प्रदेश में विशेषकर मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक सार्वजनिक/निजी क्षेत्र उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं

कि भारी उद्योग विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 169) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (6)

रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता। (7)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि लोक उद्यम विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 173) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए जाने की आवश्यकता। (8)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि लोक उद्यम विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 173) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष लिए जाने की आवश्यकता। (9)

(गृह मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 175) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के युवाओं और किसानों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 175) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए विशेष महिला टास्क फोर्स गठित किए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 175) में 100 रुपए कम किए जाएं।

होमगार्डों को सेवा दशा में सुधार करने और उनकी सेवा को पेंशन योग्य बनाए जाने की आवश्यकता। (3)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 175) में 100 रुपए कम किए जाएं।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतन किए जाने की आवश्यकता। (4)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 175) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में आंतरिक सुरक्षा में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि गृह मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 175) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में आंतरिक सुरक्षा दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (6)

जम्मू और कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता। (7)

पड़ौसी देशों से घुसपैठ रोके जाने की आवश्यकता। (8)

देश से संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषायी विवाद और क्षेत्रवाद को जड़ से हटाने के लिए प्रभावी नीति बनाए जाने की आवश्यकता। (9)

देश में नक्सलवादी और माओवादी आतंकवाद पर प्रभावी ढंग से रोके जाने की आवश्यकता। (10)

कश्मीर और उत्तर-पूर्व राज्यों में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधि यों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाए जाने की आवश्यकता। (11)

विभिन्न राज्यों में सीमा विवादों को निपटाए जाने की आवश्यकता। (12)

वेश्यावृत्ति को रोके जाने की आवश्यकता। (13)

भारत-बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार वाले बाड़ लगाए जाने की आवश्यकता। (14)

कथित रूप से फर्जी पासपोर्ट और वीजा जारी किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता। (15)

राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (16)

केन्द्रीय सुरक्षा बलों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (17)

विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों पर आतिथ्य व्यय को कम करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता। (18)

सभी महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (19)

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और अन्य लाभ समय पर दिए जाने की आवश्यकता। (20)

होमगार्डों को उनकी सेवाओं के अनुरूप भुगतान किए जाने की आवश्यकता। (21)

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यबल गठित किए जाने की आवश्यकता। (22)

देश में बहुद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (23)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पुलिस शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 179) में 100 रुपए कम किए जाएं।

राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र को और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (24)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पुलिस शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 179) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पुलिस बलों को वाटर कैनन, रबर बुलेट आदि जैसे आधुनिक भीड़ नियंत्रण उपकरणों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता। (25)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पुलिस शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 179) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पुलिस सुधार किए जाने की आवश्यकता। (26)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पुलिस शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 179) में 100 रुपए कम किए जाएं।

आतंकवाद-विरोधी प्रभावी कानून अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता। (27)

पुलिस सुधार किए जाने की आवश्यकता। (28)

जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व राज्यों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत किए जाने की आवश्यकता(29)

अर्द्ध सैन्य बलों के कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों के समतुल्य सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने की आवश्यकता। (30)

भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर अर्द्ध सैन्य बलों के कार्मिकों को पुनर्नियोजित किए जाने की आवश्यकता। (31)

सीमा पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु वाहन, हथियार और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीनतम उपकरणों की खरीद के लिए अर्द्ध-सैन्य बलों को विशेष सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (32)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 186) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (33)

(आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 192) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मलिन बस्ती मुक्त भारत के लिए 2009 में किए गए वादे को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (1)

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 195) में 100 रुपए कम किए जाएं।

केन्द्रीय विद्यालयों में बढ़ाई गई फीस को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (1)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 195) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देशभर में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (2)

देशभर में सर्वशिक्षा अभियान का द्रुत और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 195) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय निधि से वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (4)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल की इमारतों के निर्माण हेतु और अधिक अनुदान दिए जाने की आवश्यकता। (5)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रतिमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (6)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बालिका के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (7)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी विद्यालयों में सुसज्जित भवन, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराए जाने तथा पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति भी किए जाने की आवश्यकता। (8)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विकास खंड में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (9)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (10)

उत्तर प्रदेश में सभी केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत किए जाने और इन विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (11)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छात्रावास की सुविधा सहित एक नया नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (12)

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय तत्काल खोले जाने की आवश्यकता। (13)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विकास खंड में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (14)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में विज्ञान और भूगोल प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (15)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 195) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में जिला-स्तर में अनन्य रूप से निर्धन छात्रों के लिए तकनीकी/नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (16)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 195) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय निधि से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (17)

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल के भवनों के निर्माण हेतु धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (18)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विकास खंड में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (19)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 195) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को विकास कार्यक्रमों में शामिल किए जाने और शिक्षकों की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय निधि से वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (20)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत स्कूली भवनों के निर्माण हेतु केन्द्रीय धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (21)

प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता। (22)

प्राथमिक और उच्च विद्यालय स्तर पर संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाए जाने की आवश्यकता। (23)

देश में साक्षरता दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (24)

प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (25)

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोके जाने की आवश्यकता। (26)

शिक्षा का निजीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण रोके जाने की आवश्यकता। (27)

एक समान शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (28)

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (29)

जहां विद्यालयों में उचित भवन नहीं हैं, शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं अथवा जहां भवन जर्जर हालत में हैं, ऐसे पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में केन्द्रीय निधि से सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (30)

सभी व्यक्तियों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (31)

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की निगरानी हेतु तहसील और जिला स्तर पर निगरानी समिति बनाए जाने की आवश्यकता। (32)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त धन राशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (33)

उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (34)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छात्रावास-सुविधा सहित नया नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (35)

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय तत्काल खोले जाने की आवश्यकता। (36)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक विकास खंड में एक केन्दीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (37)

प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में केवल निर्धन छात्रों के निमित्त अलग से तकनीकी विद्यालय/नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (38)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 195) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में दलितों के लिए विद्यालय खोलने के लिए केंद्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (39)

महाराष्ट्र में दलितों के लिए छात्रावास खोलने के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (40)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उच्चतर शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 203) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जबलपुर में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (41)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उच्चतर शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 203) में 100 रुपए कम किए जाएं।

भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों को विश्व के सर्वोत्तम 100 विश्वविद्यालयों में लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (42)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उच्चतर शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 203) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (43)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पौलिटेकनिक खोले जाने की आवश्यकता। (44)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उच्चतर शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 203) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी विकास खंडों में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पौलिटेकनिक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (45)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़े और निर्धन छात्रों के लिए सभी सुविधा युक्त तकनीकी महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (46)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि उच्चतर शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 203) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने की आवश्यकता। (47)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पर्याप्त अनुदान दिए जाने की आवश्यकता। (48)

शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (49)

जिला स्तर पर और अधिक तकनीकी संस्थान खोलने हेतु और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (50)

इंजीनियरी, चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को रोके जाने की आवश्यकता। (51)

पब्लिक स्कूलों, इंजीनियरी महाविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों की बढ़ती हुई फीस को विनियमित किए जाने की आवश्यकता। (52)

शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाए जाने की आवश्यकता। (53)

हाई स्कूल और इंटर कॉलेज स्तर पर कृषि, सैन्य विज्ञान और वाणिज्य शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता। (54)

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 213) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण/पारेषण क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 213) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 213) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकाशवणी और दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 213) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण/टेलीकास्ट क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (4)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 213) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश के विशेषकर उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण/पारेषण क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (5)

देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले टी.वी. ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता। (6)

टी.वी. चैनलों पर अशिष्ट कार्यक्रमों के प्रसारण पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता। (7)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 213) में 100 रुपए कम किए जाएं।

निजी टीवी चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूरदर्शन को और अधिक प्रभावकारी और लोकप्रिय बनाए जाने की आवश्यकता। (8)

(श्रम और रोजगार मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

हर प्रकार के कर्मकार के लिए न्यूनतम मजदूरी के लिए छठे वेतन आयोग के दिशा निर्देशानुसार पर्याप्त राशि आबंटित करने में असफलता। (1)

असंगठित क्षेत्र, कर्मकारों जो कुल रोजगार का 94% है और कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 65% है, के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित करने में असफलता। (2)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता। (3)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यकरण बेहतर करने की आवश्यकता। (4)

केन्द्रीय श्रम आयुक्त और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालयों का कार्यकरण सुचारू बनाने की आवश्यकता। (5)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जलगांव के युवाओं को प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 6 माह के लिए रोजगार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (6)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं को बेकारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता। (7)

महाराष्ट्र में ईएसआई अस्पतालों मे उचित चिकित्सा सुविधाएं तथा दवाएं उपलब्ध कराने तथा उपयुक्त संख्या में डॉक्टर तैनात किए जाने की आवश्यकता। (8)

महाराष्ट्र में, विशेषकर हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में युवाओं के लिए और अधिक रोजगार अवसरों का सृजन करने की आवश्यकता। (9)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (10)

महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं को बेकारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता। (11)

महाराष्ट्र के विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता। (12)

महाराष्ट्र में ईएसआई अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात किए जाने और चिकित्सा उपकरण तथा दवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (13)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आईटीआई खोले जाने की आवश्यकता। (14)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में युवाओं को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (15)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कामगारों के कल्याणार्थ बेहतर स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (16)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआई अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, चिकित्सा उपकरण और दवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (17)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कपड़ा मिल श्रमिकों का कल्याण कार्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (18)

कपड़ा इकाइयों के बंद हो जाने से हुए बेरोजगार श्रमिकों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता। (19)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं को लाभकारी रोजगार दिए जाने की आवश्यकता। (20)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि श्रम और रोजगार मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 216) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (21)

महिलाओं और बाल श्रमिकों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बने विभिन्न कानून प्रभावी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता। (22)

भूमिहीन श्रमिकों के कल्याणार्थ प्रभावी योजनाएं तैयार किए जाने की आवश्यकता। (23)

देश के कतिपय भागों में प्रचलित बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलनार्थ समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता। (24)

बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता। (25)

देश में बाल मजदूरी के उन्मूलनार्थ समयबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता। (26)

युवाओं को बेकारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता। (27)

देश में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बदम उठाए जाने की आवश्यकता। (28)

बीड़ी कामगारों को उचित चिकित्सा सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता। (29)

ईंट भट्टा कामगारों के कल्याणार्थ प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता। (30)

ईएसआई अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक तैनात किए जाने और उचित चिकित्सा उपकरण तथा दवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (31)

फैक्टरी मालिकों द्वारा भविष्य निधि में अभिदाय में कथित अनियमितताओं को रोके जाने की आवश्यकता। (32)

कृषि श्रमिकों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपाए किए जाने की आवश्यकता। (33)

खदान श्रमिकों को आवास सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता। (34)

श्रमिकों का शोषण रोकने तथा श्रम कानून को सख्ती से लागू करने के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता। (35)

श्रम सुधारों को अग्रता आधार पर लागू किए जाने की आवश्यकता। (36)

(विधि और न्याय मंत्रालय)

सांकेतिक

श्री सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधि और न्याय मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 223) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उच्चतम और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की बकाया को कम किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधि और न्याय मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 223) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (2)

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में परिवार न्यायालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधि और न्याय मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 223) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लोगों को तीव्र और वहनीय न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता। (4)

तीव्र न्याय दिलाने के लिए अधिकरणों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (5)

न्यायिक सुधारों की आवश्यकता। (6)

भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया का निपटान किए जाने की आवश्यकता। (7)

मतदान को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता। (8)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधि और न्याय मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 223) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में न्याय शीघ्र देने के लिए विधिक सुधारों को किए जाने की आवश्यकता। (9)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि विधि और न्याय मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 223) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महिलाओं के लिए फास्ट ट्रेक न्यायालयों को बनाए जाने की आवश्यकता। (10)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 227) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बारानगर में बोनहुगली के सेन्ट्रल टूल रूम के कार्यकरण में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (1)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 227) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता। (3)

महाराष्ट्र में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता। (4)

महाराष्ट्र के हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक लघु उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 227) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (6)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक लघु उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (7)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 227) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खादी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (8)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अति पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (9)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 227) में 100 रुपए कम किए जाएं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को और अधिक उत्पादनकारी और परिणामोन्मुखी बनाए जाने की आवश्यकता। (10)

देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के मिसरिख, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (11)

लघु उद्योग क्षेत्र में बढ़ रही रुग्ण इकाइयों की संख्या पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता। (12)

देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक लघु उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (13)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 227) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (14)

देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (15)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 227) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्यमों को नाममात्र लागत पर भूमि दिए जाने की आवश्यकता। (16)

(खान मंत्रालय)

सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि खान मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 235) में 100 रुपए कम किए जाएं।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि खान मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 235) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए दूसरे देशों में खानों का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता। (2)

नई खान नीति की तर्ज पर यूरेनियम का खनन करने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता। (3)

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल खनन करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (4)

सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उत्पादन लागत का 30% व्यय करने के लिए निजी रक्षित खनन ब्लॉकों के मालिकों को निदेश दिए जाने की आवश्यकता। (5)

खनन क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता। (6)

सरकारी खनन कंपनियों को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए उत्पादन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (7)

खनिजों को निकालने और उनके प्रसंस्करण में नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागए जाने की आवश्यकता। (8)

राष्ट्रीय खनिज विकास द्वारा उत्पादित खनिजों की उत्पादन लागत को कम किए जाने की आवश्यकता। (9)

खनन आधारित खनन कंपनियों और उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाकर रोके जाने की आवश्यकता। (10)

देश में अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (11)

अवैध खनन के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता। (12)

खनन गतिविधियों द्वारा वनों की कटाई क्षेत्रों में वनरोपण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता। (13)

देश में खनिजों के खनन और उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नई तकनीक और प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की आवश्यकता। (14)

देश में सोने और अन्य कीमती धातुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता। (15)

देश में सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खनिजों के खनन, वितरण और उनके आयात को विनियमित किए जाने की आवश्यकता। (16)

रक्षित खनन ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया को शुरू किए जाने की आवश्यकता। (17)

देश में जनजातीय क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खनन और खनन परियोजनाओं पर आधारित नए उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (18)

खनन लीज को देने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता। (19)

खान कर्मकारों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किए गए विभिन्न कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (20)

खान कर्मकारों के कल्याण के लिए प्रभावी नीति बनाए जाने की आवश्यकता। (21)

खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित हुए युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता। (22)

खान कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए निश्चित कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (23)

खान कर्मकारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखरेख और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (24)

खान कर्मकारों को आवास सुविधाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (25)

खान कर्मकारों का शोषण रोकने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता। (26)

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 237) में 100 रुपए कम किए जाएं।

धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के संबंध में रंगनाथ मिश्र की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (1)

अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (2)

(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 242) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सौर प्रकोष्ठों के मूल्यों में कमी किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 242) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सिंचाई नहरों के ऊपर सौर पैनलों की स्थापना करके बिजली का उत्पादन किए जाने की आवश्यकता। (2)

(पंचायती राज मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पंचायती राज शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 246) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (1)

(कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 249) में 100 रुपए कम किए जाएं।

केन्द्र सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (1)

समस्त राज्यों में पद आधारित आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (2)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 249) में 100 रुपए कम किए जाएं।

संघ लोक सेवा की परीक्षा मातृभाषा में आयोजित कराए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 249) में 100 रुपए कम किए जाएं।

समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता। (4)

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 74) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय सृजित किए जाने की आवश्यकता। (1)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 74) में 100 रुपए कम किए जाएं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के द्वारा के.जी. बेसिन से उत्पादित गैस की दरों को अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता। (2)

डीजल और पेट्रोल की कीमतों को वापस लिए जाने की आवश्यकता। (3)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 74) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ओ.एन.जी.सी. की गतिविधियों से प्रभावित हुए क्षेत्रों के लिए एक विकास निधि सृजित किए जाने तथा उसका अंशदान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (4)

ओ.एन.जी.सी. के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को अनुमोदित करने के लिए स्थानीय संसद सदस्य की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित किए जाने की आवश्यकता। (5)

एल.पी.जी. सिलेंडरों पर कैप रोलबैक की आवश्यकता। (6)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 74) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के विशेषकर गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में माँगानुसार मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (7)

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को कम किए जाने की आवश्यकता। (8)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 74) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश के विशेष रूप से महाराष्ट्र के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी मांग के अनुसार मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (9)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 74) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि को कम किए जाने की आवश्यकता। (10)

कच्चे तेल के घरेलू उत्पादनों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (11)

देश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में मांगानुसार, मिट्टी का तेल, एल.पी.जी. और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (12)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 74) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि को रोके जाने की आवश्यकता। (13)

देश को कच्चे तेल के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए जाने की आवश्यकता। (14)

देश, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मांगानुसार मिट्टी का तेल, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (15)

(योजना मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि योजना मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 256) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि योजना मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 256) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में शिरडी धाम के समग्र विकास के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि योजना मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 256) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का सही आकलन किए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि योजना मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 256) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सही अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता। (4)

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत जिला और राज्य स्तर पर संसद सदस्यों की भागीदारिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (5)

उत्तर प्रदेश में मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता। (6)

(विद्युत मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विद्युत मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 258) में 100 रुपए कम किए जाएं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (1)

बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता को कम किए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विद्युत मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 258) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कृषि क्षेत्र को गैर-बाधित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली उत्पादन हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (3)

किसानों को सस्ती दरों पर चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (4)

महाराष्ट्र के लिए नयी विद्युत परियोजनाएं मंजूर किए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विद्युत मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 258) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से मांग के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (6)

विद्युत संयंत्रों से पांच किलोमीटर के दायरे पर स्थित गांव को गैर-बाधित बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (7)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में माजरों के विद्युतीकरण के बारे में सभी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (8)

उत्तर प्रदेश में स्थापित केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को कम-से-कम 75 प्रतिशत बिजली प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (9)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (10)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विद्युत मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 258) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में किसानों को सस्ती दरों पर बिजली की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (11)

देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की गैर-बाधित आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (12)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विद्युत संयत्र स्थापित किए जने की आवश्यकता। (13)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विद्युत मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 258) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (14)

किसानों को सस्ती दरों पर बिजली की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता। (15)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विद्युत मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 258) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (16)

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र में नदियों पर स्थित जीर्ण-शीर्ण पुलों की समुचित मरम्मत और पुन: निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (1)

महाराष्ट्र के पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों की समुचित मरम्मत और उन्नय किए जाने की आवश्यकता। (2)

राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (3)

सड़कों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने की आवश्यकता। (4)

महाराष्ट्र में कोल्हापुर और शोलापुर के साथ कर्नाटक के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली अंतर्राज्यिक सड़कों का शीघ्र निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (5)

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली प्राणहिता नदी तथा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली इन्द्रावती नदी पर प्राथमिकता के आधार पर पुल बनाए जाने की आवश्यकता। (6)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

यातायात के भारी दबाव को कम करने के लिए धुले से नागपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 में दो और लेन जोड़े जाने की आवश्यकता। (7)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

स्वर्णिम राजमार्ग परियोजना के कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता। (8)

गुड़गांव के टोल प्लाजा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर स्थित टोल प्लाजा पर यातायात के अवरुद्ध होने तथा उनके फलस्वरूप होने वाले विलंब को समाप्त किए जाने की आवश्यकता। (9)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले जीर्ण-शीर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और उनका विकास किए जाने की आवश्यकता। (10)

श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े गांवों, विशेष रूप से संत कबीर नगर जिले के गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़े जाने की अवश्यकता। (11)

श्री भाउसहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

विशेष रूप से महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के समुचित अनुरक्षण और उन्नयन की आवश्यकता। (12)

महाराष्ट्र में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नदियों के पुलों का पुनर्निर्माण किए जाने तथा उनका समुचित अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता। (13)

मनमाड-अहमदनगर राज्य राजमार्ग की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (14)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किए जाने तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उन्हें और अधिक टिकाऊ बनाए जाने की आवश्यकता। (15)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राजमार्गों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (16)

उत्तर प्रदेश में नदियों पर स्थित जीण-शीर्ण पुलों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (17)

उत्तर प्रदेश में ग्राम चाक हनुमान, खंड गंजमुरादाबाद, जिला उन्नाव से लेकर ग्राम सुलतानपुर कोट नाहेर कोठी गंजालालाबाद, खंड मल्लावन, जिला हरदोई तक की मुख्य सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि से चौड़ा किए जाने की आवश्यकता। (18)

लखनऊ-संदिला-दिल्ली सड़क मार्ग पर मल्लावन से मेहदीघाट बरास्ता राधोपुर तक की मुख्य सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि से चौड़ा किए जाने की आवश्यकता। (19)

उत्तर प्रदेश में कल्ली चौराहा-मिसरिख से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को केन्द्रीय सड़क निधि से चौड़ा बनाए जाने की आवश्यकता। (20)

उत्तर प्रदेश में सीतापुर-मिसरिख-नेमीशरान्या से होकर गुजरने वाले गोमती नदी पर बने पुल से लेकर प्रताप नगर चौराहे-बघोली-माधोगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग को केन्द्रीय सड़क निधि से चौड़ा बनाए जाने की आवश्यकता। (21)

उत्तर प्रदेश में सांदिला से प्रताप नगर चौराहे-हरदोई तक की सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि से चौड़ा बनाए जाने की आवश्यकता। (22)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 268) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से सहारनपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता। (23)

(ग्रामीण विकास मंत्रालय)

सांकेतिक

प्रो. सौगात राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (1)

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित भवनों की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण-दो के अंतर्गत जलगांव जिले को शामिल किए जाने की आवश्यकता। (3)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में ग्रामीण सड़कों को कृषि खेती से जोड़ने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (4)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जबलपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (5)

मनरेगा के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (6)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मनरेगा के अंतर्गत डाकघर के माध्यम से श्रमिकों को पारिश्रमिक दिए जाने की आवश्यकता। (7)

मनरेगा के लिए और अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (8)

श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से संत कबीर नगर के क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत हेतु अधिक अनुदान दिए जाने की आवश्यकता। (9)

उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से संत कबीर नगर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (10)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से संत कबीर नगर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित पारदर्शिता और जवाबदेही लाए जाने की आवश्यकता। (11)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से संत कबीर नगर जिले में इंदिरा आवास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (12)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से संत कबीर नगर जिले में जिला प्रामीण विकास एजेंसी को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता। (13)

श्री भाउसाहेब राजराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र विशेष रूप से शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (14)

महाराष्ट्र विशेष रूप से शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की लकड़ी की समस्या से निपटने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गांवों में वृक्षारोपण का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता।

(16)महाराष्ट्र विशेष रूप से शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (15)

महाराष्ट्र विशेष रूप से शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (17)

महाराष्ट्र विशेष रूप से शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता। (18)

शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जर्जर सड़कों का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (19)

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु घटिया सामग्री का उपयोग करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता। (20)

महाराष्ट्र विशेष रूप से शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भवन के निर्माण हेतु सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (21)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (22)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की लकड़ी की समस्या से निपटने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गांवों में वृक्षारोपण का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (23)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधनमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (24)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता। (25)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (26)

नगरों और शहरों में लोगों का प्रवास रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (27)

कृषि उत्पादों की बेहतर ढुलाई के लिए फिल्ड अप्रोच रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (28)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (29)

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (30)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (31)

देश भर में राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन मिशन का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (32)

महिला समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु 'सरस' जैसी और अधिक प्रदर्शनी का आयोजन किए जाने की आवश्यकता। (33)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान हेतु जीरो बेलेंस अकाउंट खोलने हेतु बैंक को निदेश दिए जाने की आवश्यकता। (34)

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु काउंसिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी के कार्यकरण में उपयुक्त बदलाव लाए जाने की आवश्यकता। (35)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत धनराशि का उचित उपयोग करने हेतु निदेश दिए जाने की आवश्यकता। (36)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 200 किए जाने की आवश्यकता। (37)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता। (38)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सर्वाधिक पिछड़े गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता। (39)

उत्तर प्रदेश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए आश्रय रोजगार और खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (40)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (41)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु घटिया सामग्री का उपयोग करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित करने हेतु जांच आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (42)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु दी गई धनराशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (43)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वनरोपण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता। (44)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलाव की लकड़ी की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गांव में वृक्षारोपण को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (45)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (46)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (47)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वाटरशेड कार्यक्रम के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता। (48)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण की स्वायत्तता को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता। (49)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 100 लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किए जाने की आवश्यकता। (50)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता। (51)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिये जाने की आवश्यकता। (52)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़े गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता। (53)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को निःशुल्क आश्रय, रोजगार और भोजन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (54)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास किए जाने की आवश्यकता। (55)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जर्जर सड़कों के निर्माण हेतु मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता। (56)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (57)

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण की धनराशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (58)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाने की आवश्यकता। (59)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि ग्रामीण विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 273) में 100 रुपए कम किए जाएं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (60)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'काम के बदले अनाज' राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (61)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की समस्या से निपटने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पौधारोपण कार्य किए जाने की आवश्यकता। (62)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न केन्द्रीय कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (63)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता। (64)

वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता। (65)

जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता। (66)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 100 लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किए जाने की आवश्यकता। (67)

सर्वाधिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (68)

देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आश्रय, रोजगार और भोजन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (69)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिला अथवा राज्य स्तर पर संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (70)

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और ग्रामीण भवन निर्माण योजना में जिला अथवा राज्य स्तर पर संसद सदस्यों की भागीदरी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (71)

'काम के बदले अनाज' योजना में जिला और राज्य स्तर पर संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (72)

ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास किए जाने की आवश्यकता। (73)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव चक हनुमान, ब्लॉक गंज मुरादाबाद, जिला उन्नव की मुख्य सड़क को गांव सुलतानपुर कोट नाहर कोठी गंजालालबाद ब्लॉक माल्लावन जिला हरदोई उत्तर प्रदेश तक चौड़ा किए जाने की आवश्यकता। (74)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लखनऊ- संडिला दिल्ली सड़क पर बरास्ता राधोपुर मालावन से मेहंदीघाट तक मुख्य सड़क को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता। (75)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जर्जर सड़कों के निर्माण हेतु मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता। (76)

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए घटिया सामग्री उपयोग करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता। (77)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आश्रय स्थल के निर्माण हेतु धनराशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (78)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाने की आवश्यकता। (79)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि भूमि संसाधन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 278) में 100 रुपए कम किए जाएं।

एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक धनराशि का पुन: आवंटन किए जाने की आवश्यकता। (80)

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जैव ईंधन पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता। (81)

राष्ट्रीय जलागम विकास बोर्ड के अंतर्गत महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (82)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भूमि संसाधन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 278) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय वटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (83)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैव ईंधन पायलट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (84)

एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (85)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भूमि संसाधन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 278) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जैव ईंधन कार्य प्रोजेक्ट की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (86)

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को शामिल किए जाने की आवश्यकता। (87)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भूमि संसाधन विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 278) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में मृदा संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (88)

बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने हेतु विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (89)

बृहद् भूमि सुधार किए जाने की आवश्यकता। (90)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जैव ईंध न पायलट प्रोजेक्ट की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (91)

एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (92)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता। (93)

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 280) में 100 रुपए कम किए जाएं।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्यकरण पर नौकरशाही का नियंत्रण हटाए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 280) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूरे देश भर में क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (2)

महाराष्ट्र के हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 280) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जबलपुर में विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (4)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 280) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में फारेंसिक लैबों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 284) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (6)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 284) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाने की अवश्यकता। (7)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 284) में 100 रुपए कम किए जाएं।

नोडल प्रौद्योगिकी केन्द्रों की भांति प्रौद्योगिकी, सूचना और पूर्वानुमान के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (8)

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रयोग की रही प्रौद्योगिकी, सूचना और पूर्वानुमान का अद्यतन वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के साथ समेकन किए जाने की आवश्यकता। (9)

देश के विभिन्न विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य की पुनरावृत्ति के कारण होने वाले व्यय पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता। (10)

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों को और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (11)

वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय विभाग के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (12)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (13)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 284) में 100 रुपए कम किए जाएं।

विभिन्न सरकारी संगठनों में अनुसंधान कार्य की पुनरावृत्ति के कारण होने वाले अधिक व्यय को रोके जाने की आवश्यकता। (14)

वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (15)

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए और सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (16)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 288) में 100 रुपए कम किए जाएं।

टीके (वैक्सीन) का उत्पादन बढ़ाने हेतु बीटी अनुसंधान में सुधार हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (17)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 288) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (18)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 288) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (19)

(पोत परिवहन मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पोत परिवहन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 290) में 100 रुपए कम किए जाएं।

ईस्ट मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में एक नए पत्तन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता। (1)

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर नियमित ड्रैजिंग की आवश्यकता। (2)

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 295) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को संसद में सभा पटल पर रखे जाने की आवश्यकता। (1)

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 12,00,000 रुपए किए जाने की आवश्यकता। (2)

अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता। (3)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की देखभाल करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से एक सचिव की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता। (4)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 295) में 100 रुपए कम किए जाएं।

अनुसूचित जति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता। (5)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 295) में 100 रुपए कम किए जाएं।

नि:शक्त व्यक्तियों की सहायता के आबंटन को दोगुना करने की आवश्यकता। (6)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 295) में 100 रुपए कम किए जाएं।

निर्धन व्यक्तियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (7)

निर्धन छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में होस्टल विधाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (8)

मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (9)

अशक्त, वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन और कल्याण नीति बनाए जाने की आवश्यकता। (10)

भीख उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (11)

(अंतरिक्ष विभाग)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि अंतरिक्ष विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 302) में 100 रुपए कम किए जाएं।

किसी एक भारतीय को चन्द्रायान परियोजना के माध्यम से चन्द्रमा पर भेजने की आवश्यकता। (1)

(सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 311) में 100 रुपए कम किए जाएं।

एमपीएलएडीएस की धनराशि में वृद्धि करके सात करोड़ रुपए किए जाने की आवश्यकता। (1)

(वस्त्र मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 317) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जूट-उत्पादों का विविधीकरण किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 317) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) को जारी किए जाने की आवश्यकता। (2)

देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में इचलकरंजी और मालेगांव में प्राथमिकता के आधार पर हथकरघा बुनकरों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (3)

देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में बंद पड़ी कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता। (4)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 317) में 100 रुपए कम किए जाएं।

गुजरात में एक वस्त्र पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 317) में 100 रुपए कम किए जाएं।

वस्त्र मिलों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों को भूमि के विक्रय से तथा बंद हुई ऐसी वस्त्र मिलों की अन्य परिसंपत्तियों से होने वाली आय में पर्याप्त हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता। (6)

वस्त्र इकाइयों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता। (7)

हस्तशिल्प का विकास किए जाने की आवश्यकता। (8)

देश में बंद पड़ी वस्त्र मिलों को पुन: खोले जाने की आवश्यकता। (9)

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में संदिला में बंद पड़ी कताई मिल को पुन: खोले जाने की आवश्यकता। (10)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 317) में 100 रुपए कम किए जाएं।

कपड़ा मिलों की रुग्णता के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (11)

(पर्यटन मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट में अवसंरचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के सभी बड़े नगरों में यात्री निवास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (2)

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्थलों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप शुरू किए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास किए जाने की आवश्यकता। (4)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश में अधिक यात्री निवास स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (6)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में चंद्रभागा नदी के किनारों पर स्थित विट्ठल रकुमई मंदिर को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (7)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

साई बाबा शिरडी धाम को विश्व स्तरीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (8)

महाराष्ट्र में अधिक यात्री निवास स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (9)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को समुचित परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित करने वाली नई पर्यटन नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता। (10)

उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के कानपुर जिले में माकनपुर में स्थित मदारशाह की मज़ार को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (11)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पर्यटन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 326) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता। (12)

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राज्य (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जनजातीय कार्य मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 329) में 100 रुपए कम किए जाएं।

लघु वन उत्पादन के लिए बेहतर कीमतें सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (1)

अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम का सख़्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता। (2)

(शहरी विकास मंत्रालय)
सांकेतिक

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि शहरी विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 347) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रेनेवल मिशन(जेएनएनयूआरएम) के दूसरे चरण को शुरू किए जाने की आवश्यकता। (1)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि शहरी विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 347) में 100 रुपए कम किए जाएं।

जबलपुर के विकास के लिए जेएनएनयूआरएम स्कीम को विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (2)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि शहरी विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 347) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में जल निकासी परियोजनाओं के लिए हडको से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (3)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि शहरी विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 347) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में जल निकासी के निर्माण हेतु एलआईसी/हडको से पर्याप्त सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (4)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि शहरी विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 347) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आवश्यक मूल नागरिक सुविधाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (5)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि शहरी विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 347) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में जल निकासी प्रणाली के निर्माण हेतु एलआईसी/हडको से पर्याप्त सहायता दिलाए जाने की आवश्यकता। (6)

महाराष्ट्र के शिरडी शहर में मूल नागरिक सुविधाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (7)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि शहरी विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 347) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल मल निकासी के निर्माण हेतु एलआईसी/हडको से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (8)

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आवश्यक मूल नागरिक सुविधाएं प्रदान कराए जाने की आवश्यकता। (9)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि लेखन-सामग्री और मुद्रण शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 354) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में भारत सरकार के मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता। (10)

(जल संसाधन मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र के मानीयाड और गिरना नदी के आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता। (1)

महाराष्ट्र के लोअरतापी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (2)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पदलसे बांध परियोजना हेतु केन्द्रीय निधि दिए जाने की आवश्यकता। (3)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बघीर बोरी, गिरना, अंजनी बांध के पूरा करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदन किए जाने की आवश्यकता। (4)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में तापी नदी पर मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के कार्यान्वियन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता। (5)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता। (6)

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

सलाइन लैंड के सुधार हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता। (7)

महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में विशेष रूप से कोल्हापुर जिले में बाढ़ पुर्वानुमान केन्द्र और नियंत्रण कक्ष खोले जाने की आवश्यकता। (8)

अंतरराज्य जल-विवाद को प्राथमिकता के आधार पर हल किए जाने की आवश्यकता। (9)

जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार किए जाने की आवश्यकता। (10)

सभी वर्षा जल संभरण सिंचाई क्षेत्रों को शामिल करने के लिए बड़ी सिंचाई प्रणालियों में सुधार किए जाने की आवश्यकता। (11)

महाराष्ट्र में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (12)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता। (13)

श्री भीष्मशंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

उत्तरी बिहार में सटीक बाढ़ पूर्वानुमान हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (14)

उत्तर बिहार में बांध सुरक्षा हेतु अध्ययन और आयोजना कराए जाने की आवश्यकता। (15)

श्री रामसुंदर दास (हाजीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

विशेष रूप से उत्तर बिहार में सभी जल संसाधन विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और एकीकरण हेतु पर्याप्त ध नराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। (16)

विशेष रूप से उत्तर बिहार के भूजल प्रबंध और विनियमन के प्रभावी कार्यान्वयन और एकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। (17)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (18)

उत्तर प्रदेश के सभी जिले और विकास खंडों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता। (19)

प्रदेश की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र के आधार पर सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं का पुन: आकलन किए जाने की आवश्यकता। (20)

एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (21)

बाढ़ नियंत्रण के सभी प्रस्तावों की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (22)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

महाराष्ट्र विशेष रूप से इसके पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र को लंबित सिंचाई परियोजनाओं का शीघ्र अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता। (23)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

देश में भूजल स्तर का त्वरित अपक्षयण रोके जाने की आवश्यकता। (24)

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से इसके पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र की लंबित सिंचाई परियोजनाओं का शीघ्र अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता। (25)

बाढ़ का जल और नदियों से बहने वाले अतिरिक्त जल के दिशा परिवर्तन हेतु वृहद् योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (26)

बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु वृहद योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (27)

जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता। (28)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि जल संसाधन मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 352) में 100.5 रुपए कम किए जाएं।

देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (29)

विभिन्न राज्यों के बीच जल को लेकर विवाद के मामले का निपटान किए जाने की आवश्यकता। (30)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र के वर्षा जल संचयन हेतु वृहद योजना की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता। (31)

अंतर्राज्यीय जल विवाद का तेजी से निपटान किए जाने की आवश्यकता। (32)

(महिला और बाल विकास मंत्रालय)
नीति निरनुमोदन

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 360) को कम करके एक रुपए किया जाए

आंगनवाड़ी, एएसएसए, ठेके पर काम करने वाले शिक्षकों जैसे सभी योजना-आधारित श्रमिकों को नियमित करने और उन्हें अच्छा पारिश्रमिक और भत्ते प्रदान करने हेतु पर्याप्त निधियों के आबंटन में विफलता। (1)

सांकेतिक

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 360) में 100 रुपए कम किए जाएं।

एक कन्या शिशु वाले प्रत्येक परिवार को उसकी शिक्षा और कल्याण के लिए एक लाख रुपए की सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (2)

उन परिवारों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता जिनमें दो पुत्रियों से अधिक बच्चे नहीं हैं। (3)

जलगांव जिले की सभी तहसीलों में कामकाजी महिला के लिए हॉस्टलों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार वित्त पोषण प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (4)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 360) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महिलाओं, विधवाओं, अत्यधिक कमजोर तबकों और कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव को दूर करने के लिए आबंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (5)

200 जिलों में बच्चों के कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए 500 करोड़ रुपए आबंटित किए जाने की आवश्यकता। (6)

महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा की घटनाओं से संबद्ध विधियों के प्रवर्तन हेतु आबंटन किए जाने की आवश्यकता। (7)

हिंसा की शिकार हुई महिलाओं के पुनर्वास और कल्याण के लिए नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के हितों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु बोर्ड गठित किए जाने की आवश्यकता। (9)

महिलाओं को अत्याचार से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता। (10)

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 360) में 100 रुपए कम किए जाएं।

सभी आंगनवाड़ी मजदूरों को पेंशन दिए जाने की आवश्यकता। (11)

देश में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त नाश्ता और दोपहर का भोजन प्रदान करने हेतु कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (12)

देश में बालिकाओं को नि:शुल्क प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (13)

सभी आंगनवाड़ी श्रमिकों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिए जाने की आवश्यकता। (14)

पहले कन्या शिशु के जन्म पर पांच लाख रुपए प्रदान किए जाने हेतु निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (15)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 360) में 100 रुपए कम किए जाएं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ते कुपोषण को रोके जाने की आवश्यकता। (16)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 360) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश में कुपोषण की बढ़ती समस्या को रोके जाने की आवश्यकता। (17)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि महिला और बाल विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 360) में 100 रुपए कम किए जाएं।

एकीकृत बाल विकास योजना के कवरेज का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (18)

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)
सांकेतिक

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि युवा मामले और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 367) में 100 रुपए कम किए जाएं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता। (1)

देश के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र के हातकंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेहरू युवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (2)

देश में ग्रामीण युवाओं को बेहतर खेलकूद सुविधाएं प्रदान करने हेतु पर्याप्त खेलकूद अवसंरचना विकसित किए जाने की आवश्यकता। (3)

स्कूल और कॉलेज स्तर पर सभी विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता। (4)

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 367) में 100 रुपए कम किए जाएं।

खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए जलगांव जिले के सभी ब्लॉकों में स्टेडियमों और खेलकूद परिसरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (5)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष केन्द्रीय निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (6)

श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 367) में 100 रुपए कम किए जाएं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। (7)

उत्तर प्रदेश विशेषकर फूलपूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (8)

उत्तर प्रदेश विशेषकर फूलपूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता। (9)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्धनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 367) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश के विशेषकर गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी पिछड़े जिलों में अधिक संख्या में नेहरू युवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता। (10)

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में खेलकूद हेतु सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (11)

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 367) में 100 रुपए कम किए जाएं।

देश के विशेषकर शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े जिलों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन का परिसर बनाए जाने की आवश्यकता। (12)

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (13)

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 367) में 100 रुपए कम किए जाएं।

युवाओं के लिए व्यापक नीति और कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता। (14)

देश के पिछड़े जिलों विशेषकर सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेहरू युवा केन्द्र संगठन का परिसर बनाए जाने की आवश्यकता। (15)

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (16)

नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकरण में त्रुटियों को दूर किए जाने की आवश्यकता। (17)

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकरण को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (18)

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 367) में 100 रुपए कम किए जाएं।

महिलाओं के बीच जूडो-कराटे को लोकप्रिय बनाए जाने की आवश्यकता। (19)

स्कूल और कॉलेज स्तर पर शारीरिक शिक्षा का अनिवार्य प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता। (20)

भारतीय खेलकूद प्राधिकरण को पर्याप्त वित्तीय अनुदान दिए जाने की आवश्यकता। (21)

खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (22)

राष्ट्रीय खेल नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता। (23)

देश में खेलकूद का स्तर बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता। (24)

देश के युवाओं के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना घोषित किए जाने की आवश्यकता। (25)

युवाओं को व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता। (26)

राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों की ओर युवाओं को आकर्षित किए जाने की आवश्यकता। (27)

देश के विशेषकर उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े जिलों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन का परिसर बनाए जाने की आवश्यकता। (28)

देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए चाइल्ड-टू-चाइल्ड नेशनल इंटीग्रेशन कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजित किए जाने की आवश्यकता। (29)

युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कैंप लगाने और उसे सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (30)

युवाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के बीच खेलकूद संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता। (31)

कस्बों और गांवों में स्वयंसेवी खेलकूद क्लबों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (32)

नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकरण में त्रुटियों को दूर किए जाने की आवश्यकता। (33)

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकरण को सुदृढ़ करने और उसे सुधारने की आवश्यकता। (34)

महिलाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (35)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों, जिन्हें परिचालित किया गया है और एक साथ प्रस्तुत किया गया मान लिया गया है, को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

कि कार्य-सूची के स्तंभ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्या(ओं) के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3;

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 और 5;

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8;

(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9;

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10;

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12;

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15;

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 और 17;

(9) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18;

(10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19;

(11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 27;

(12) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28;

(13) पेजयल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29;

(14) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30;

(15) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31;

(16) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32;

(17) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 33, 34, 36, 37 और 39 से 45;

(18) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46;

(19) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50;

(20) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 और 52;

(21) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 53 से 57 और 96 से 100;

(22) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58;

(23) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 और 60;

(24) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61;

(25) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62;

(26) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 और 64;

(27) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66;

(28) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67;

(29) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68;

(30) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69;

(31) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70;

(32) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71;

(33) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72;

(34) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73;

(35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74;

(36) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75;

(37) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76;

(38) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 78;

(39) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 79;

(40) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 81;

(41) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82;

(42) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83 और 84;

(43) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 से 87;

(44) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88;

(45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89;

(46) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 90;

(47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91;

(48) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92;

(49) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93;

(50) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94;

(51) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95;

(52) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101 से 103;

(53) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 104;

(54) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 105;

(55) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 106।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की मांगें-बजट (सामान्य)

मांग की संख्या और नाम		सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2	3	4	5
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	4155,22,00,000	9,86,00,000	17719,12,00,000	49,30,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	941,53,00,000	-	4787,64,00,000	-
3.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	422,40,00,000	4,46,00,000	2112,07,00,000	22,28,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
4.	परमाणु ऊर्जा	1187,54,00,000	722,02,00,000	548,81,00,000	3389,27,00,000
5.	परमाणु ऊर्जा योजनाएं	657,19,00,000	49,61,00,000	3285,96,00,000	248,06,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	1055,49,00,000	1,67,00,000	277,49,00,000	8,36,00,000
7.	उर्वरक विभाग	22000,00,00,000	42,25,00,000	48629,72,00,000	211,23,00,000
8.	भेषज विभाग	33,11,00,000	4,95,00,000	165,52,00,000	24,75,00,000
नागर विमानन मंत्रालय					
9.	नागर विमानन मंत्रालय	142,07,00,000	838,30,00,000	710,35,00,000	4191,50,00,000
कोयला मंत्रालय					
10.	कोयला मंत्रालय	82,95,00,000	8,33,00,000	414,75,00,000	41,67,00,000

1		2	3	4	5
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
11.	वाणिज्य विभाग	730,63,00,000	168,83,00,000	3653,14,00,000	844,17,00,000
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	235,55,00,000	50,50,00,000	1177,74,00,000	252,50,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
13.	डाक विभाग	2812,66,00,000	72,22,00,000	14063,31,00,000	361,09,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	2032,14,00,000	418,38,00,000	10160,72,00,000	2091,90,00,000
15.	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	478,75,00,000	29,92,00,000	2393,75,00,000	149,58,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	97,16,00,000	3,29,00,000	485,79,00,000	16,46,00,000
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	19651,07,00,000	1773,59,00,000	71434,70,00,000	8867,94,00,000
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय					
18.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	40,04,00,000	4,99,00,000	185,32,00,000	24,93,00,000
संस्कृति मंत्रालय					
19.	संस्कृति मंत्रालय	337,17,00,000	6,50,00,000	1685,83,00,000	32,50,00,000
रक्षा मंत्रालय					
20.	रक्षा मंत्रालय	3592,19,00,000	306,40,00,000	11862,94,00,000	1532,00,00,000
21.	रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन	7416,55,00,000	-	37082,76,00,000	-
22.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	14265,34,00,000	-	69622,99,00,000	-
23.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2063,57,00,000	-	10317,86,00,000	-
24.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	3149,44,00,000	-	15747,22,00,000	-
25.	रक्षा आयुध निर्माणियां	1709,27,00,000	-	-	-
26.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास	932,83,00,000	-	466,13,00,000	-
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	18921,25,00,000	-	67764,04,00,000
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय					
28.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	308,00,00,000	58,83,00,000	1539,97,00,000	294,17,00,000

1		2	3	4	5
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय					
29.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	2544,28,00,000	-	12721,42,00,000	
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
30.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	203,09,00,000	33,52,00,000	1289,43,00,000	167,59,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
31.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	469,02,00,000	11,51,00,000	2346,61,00,000	57,56,00,000
विदेश मंत्रालय					
32.	विदेश मंत्रालय	2501,60,00,000	361,25,00,000	7448,87,00,000	1407,25,00,000
वित्त मंत्रालय					
33.	आर्थिक कार्य विभाग	1477,52,00,000	57715,14,00,000	7387,60,00,000	8693,75,00,000
34.	वित्तीय सेवाएं विभाग	1244,83,00,000	4983,40,00,000	6224,16,00,000	24917,00,00,000
36.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को अंतरण	17923,66,00,000	-	83958,34,00,000	
37.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण, आदि	-	37,50,00,000	-	187,50,00,000
39.	व्यय विभाग	23,35,00,000	-	116,77,00,000	
40.	पेंशन	3492,33,00,000	-	17461,67,00,000	
41.	भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग	449,48,00,000	1,67,00,000	2247,37,00,000	8,33,00,000
42.	राजस्व विभाग	1686,20,00,000	16,79,00,000	8430,97,00,000	83,92,00,000
43.	प्रत्यक्ष कर	628,65,00,000	356,35,00,000	3143,26,00,000	233,63,00,000
44.	अप्रत्यक्ष कर	638,29,00,000	24,88,00,000	3191,46,00,000	124,37,00,000
45.	विनिवेश विभाग	10,54,00,000	-	52,70,00,000	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
46.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	119,85,00,000		599,26,00,000	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
47.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	5502,05,00,000	477,11,00,000	27510,22,00,000	2385,56,00,000
48.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	208,20,00,000	1,57,00,000	1041,40,00,000	7,83,00,000

1		2	3	4	5
49.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	168,00,00,000	-	840,00,00,000	-
50.	एड्स नियंत्रण विभाग	205,00,00,000	2,50,00,000	1475,00,00,000	12,50,00,000
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय					
51.	भारी उद्योग विभाग	76,82,00,000	94,59,00,000	384,59,00,000	472,97,00,000
52.	लोक उद्यम विभाग	3,23,00,000	-	16,16,00,000	-
गृह मंत्रालय					
53.	गृह मंत्रालय	351,60,00,000	37,55,00,000	1756,91,00,000	27,80,00,000
54.	मंत्रिमंडल	67,17,00,000	-	335,83,00,000	-
55.	पुलिस	7480,74,00,000	1632,38,00,000	35906,25,00,000	7472,58,00,000
56.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	328,19,00,000	1682,92,00,000	1640,92,00,000	79,21,00,000
57.	संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को अंतरण	377,13,00,000	12,00,00,000	1885,66,00,000	60,00,00,000
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय					
58.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	244,67,00,000	-	1223,35,00,000	-
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
58.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	24666,79,00,000	-	52463,21,00,000	-
60.	उच्चतर शिक्षा विभाग	4458,33,00,000	-	22291,67,00,000	-
सूचना और प्रसारण मंत्रालय					
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	502,72,00,000	4,80,00,000	2504,13,00,000	24,00,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
62.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	875,79,00,000	3,24,00,000	4379,15,00,000	16,17,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय					
63.	निर्वाचन आयोग	11,25,00,000	17,00,000	56,25,00,000	83,00,000
64.	विधि और न्याय	300,91,00,000	1,67,00,000	1054,54,00,000	8,35,00,000

1		2	3	4	5
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय					
66.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	535,15,00,000	13,13,00,000	2675,76,00,000	65,67,00,000
खान मंत्रालय					
67.	खान मंत्रालय	124,08,00,000	137,05,00,000	620,42,00,000	109,48,00,000
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय					
68.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	568,50,00,000	20,00,00,000	2842,48,00,000	100,00,00,000
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
69.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	239,01,00,000	16,58,00,000	1195,04,00,000	82,92,00,000
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय					
70.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	15,97,00,000	3,33,00,000	79,82,00,000	16,67,00,000
पंचायती राज मंत्रालय					
71.	पंचायती राज मंत्रालय	1166,78,00,000	–	5833,92,00,000	–
संसदीय कार्य मंत्रालय					
72.	संसदीय कार्य मंत्रालय	2,21,00,000	–	11,07,00,000	–
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
73.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	149,18,00,000	20,85,00,000	720,72,00,000	104,22,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
74.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10864,57,00,000	17,00,000	54322,84,00,000	83,00,000
योजना मंत्रालय					
75.	योजना मंत्रालय	1196,92,00,000	150,00,00,000	5984,59,00,000	750,00,00,000
विद्युत मंत्रालय					
76.	विद्युत मंत्रालय	1001,59,00,000	463,01,00,000	7044,26,00,000	2315,04,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय					
78.	लोक सभा	89,19,00,000	–	445,92,00,000	–

1		2	3	4	5
79.	राज्य सभा	50,06,00,000	-	250,31,00,000	-
81.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	63,00,000	-	3,12,00,000	-
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
82.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2765,35,00,000	5377,19,00,000	13826,73,00,000	26886,96,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय					
83	ग्रामीण विकास मंत्रालय	24384,13,00,000	-	88920,72,00,000	-
84.	भूमि संसाधन विभाग	962,14,00,000	-	4810,71,00,000	-
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	478,70,00,000	3,86,00,000	2693,52,00,000	19,29,00,000
86.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	593,55,00,000	1,62,00,000	2967,75,00,000	8,08,00,000
87.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	250,34,00,000	-	1251,72,00,000	-
पोत परिवहन मंत्रालय					
88.	पोत परिवहन मंत्रालय	232,05,00,000	86,40,00,000	1160,23,00,000	571,00,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1065,20,00,000	50,83,00,000	5355,12,00,000	254,17,00,000
अंतरिक्ष विभाग					
90.	अंतरिक्ष विभाग	508,70,00,000	623,16,00,000	2543,49,00,000	3115,79,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1129,09,00,000	2,69,00,000	3806,44,00,000	13,46,00,000
इस्पात मंत्रालय					
92.	इस्पात मंत्रालय	19,83,00,000	-	99,14,00,000	-
वस्त्र मंत्रालय					
93.	वस्त्र मंत्रालय	912,48,00,000	-	4511,44,00,000	7,67,00,000
पर्यटन मंत्रालय					
94.	पर्यटन मंत्रालय	225,88,00,000	33,00,000	1129,42,00,000	1,67,00,000

1		2	3	4	5
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
95.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	73,95,00,000	11,67,00,000	369,76,00,000	58,33,00,000
शहरी विकास मंत्रालय					
101.	शहरी विकास मंत्रालय	213,55,00,000	1266,51,00,000	1067,74,00,000	5678,56,00,000
102.	लोक निर्माण	244,92,00,000	93,04,00,000	1224,57,00,000	465,21,00,000
103.	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	43,34,00,000	18,00,000	216,72,00,000	92,00,000
जल संसाधन मंत्रालय					
104.	जल संसाधन मंत्रालय	317,02,00,000	32,76,00,000	1585,08,00,000	163,79,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय					
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	3405,00,00,000	-	17035,00,00,000	-
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय					
106.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	202,08,00,000	15,00,000	1016,02,00,000	75,00,000
	कुल राजस्व/पूंजी	225239,53,00,000	98043,86,00,000	897822,51,00,000	179391,83,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.56 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विनियोग विधेयक पर विचार आरंभ करेगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 30.4.13 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनयोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.58 बजे

वित्त विधेयक, 2013

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 23, माननीय वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं* कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, हमारे समक्ष अनेक संशोधन है और यदि समय होता तो मैं संशोधनों पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करता और स्पष्ट करता...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): मुझे अपनी पार्टी की तरफ से एक संशोधन प्रस्तुत करना है...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे इसकी जानकारी है...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: इनके बाद आप बोल लीजिए, आपको बुला लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इनके बाद आपको भी बुला लेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: बजट प्रस्तुत करने और वित्त विधेयक पुर:स्थापित करने के पश्चात् हमने संबंधित पक्षों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, उद्योग, कारोबार जगत, मजदूर संघों के साथ चर्चा की थी और हमने इस संबंध में कुछ संशोधन किए हैं। मैं जानता हूं कि कुछ संशोधनों के साथ इस सभा के सदस्यों का महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी के हितों से जुड़े संशोधनों पर सबसे पहले चर्चा करना चाहता हूं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कृषि भूमि पर संपत्ति कर लगाया जा रहा है। मैं इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संप्रग सरकार की नीति संपत्ति कर लगाने की नहीं है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: कृप्या अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरमः कृपया बैठ जाइये। मुझे उत्तर देने दें। ...*(व्यवधान)* वे मेरे मित्र हैं। यदि वे जानना चाहते हैं कि वह कैसे परित हुआ, तो उन्हें मुझे बोलने की अनुमति अवश्य देनी चाहिए।

महोदया, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों से एक गलतफहमी उत्पन्न हुई। वहां एक विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय था। एक दूसरा मामला था जो खंड पीठ के सामने आया और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। अतः, गलतफहमी उत्पन्न हुई। इसलिए, मामले को अधिक स्पष्ट करने और संदेह से परे रखने के लिए, मैं एक अधिकारिक संशोधन लाया हूं जो इसे बिल्कुल स्पष्ट करता है कि शहरी भूमि में कृषि भूमि शामिल नहीं है जिसे सरकारी अभिलेखों में उसी प्रकार दर्ज किया जाता है और कृषि हेतु प्रयोग किया जाता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अजनाला जी, मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगी। कृपया अभी अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, मैं इस सभा के काफी सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस मामले को मेरे सामने उठाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्दर सिंह हूडा मुझसे मिले।...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना है?

श्री पी. चिदम्बरमः वे मुझसे नहीं मिले। उन्होंने मुझे इसके बारे में लिखा भी नहीं है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, इस सभा के माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह बाजवा और कई संसद सदस्य, जिसमें मेरे युवा मित्र श्री दीपेन्दर सिंह हूडा भी शामिल है, मुझसे एक से अधिक बार मिले और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून में परिवर्तन नहीं किया गया है और कानून में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है और कानून को बारीकी से समझने पर प्रतीत होगा कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परंतु, आशंका को कम करने के लिए मैं एक संशोधन पेश करूंगा। कल संशोधन का प्रारूप तैयार हुआ था। मैंने संशेधन पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति ले ली है और मैं आज संशोधन पेश कर रहा हूं। इसलिए, सभी आशंकाएं समाप्त हो जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदया, मुझे खेद है कि एक झूठी अफवाह फैला दी गई कि कानून में संशोधन हो रहा है। मैं किसी को भी चर्चा के लिए चुनौती देता हूं। कानून में संशोधन नहीं किया गया है, सन् 1993 से वही कानून है। परंतु, मामले को संदेह से परे रखने के लिए, प्रधानमंत्री की सहमति से, पिछली रात मैंने संशोधन पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति ले ली और हम आज संशोधन पेश कर रहे हैं।

महोदया, कुछ अन्य संशोधन पेश किए जा रहे हैं। हम ऐसे दीर्घावधि अवसंरचना बंधपत्र जिनका रुपए में मूल्यवर्ग दर्शाया गया हो में निवेश आकर्षित करने के लिए एक संशोधन पेश कर रहे हैं। मैंने धारा 194 ठ ग को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है ताकि उस प्रकार के बंधपत्र में निवेश के लिए एक अनिवासी के निर्दिष्ट खातों के माध्यम से भेजी गयी विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में उधार लिया गया मान लिया जाए। सरकारी प्रतिभूतियों और रुपए के मूल्य वर्ग वाले सरकारी कॉर्पोरेट बंधपत्रों में निवेश पर विदेशी संस्थागत निवेशकों और पात्र विदेशी निवेशकों को 1 जून, 2013 से 31 मई, 2015 तक की अवधि के दौरान ब्याज के भुगतान पर 5 प्रतिशत की दर से कर का प्रावधान करने के लिए एक नयी धारा, 194 ठ घ जोड़ने के लिए इस संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है।

महोदया, आयकर अधिनियम की धारा 206-ग (स घ) के विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत सोने-चांदी या आभूषण की नकद बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से टीसीएस (स्रोत पर संग्रहित कर) लगता है। उस उपधारा के वाक्यांश में एक अपवर्जन था। उस अपवर्जन के कारण दुरुपयोग का अवसर मिल रहा था। उस अपवर्जन को अब वापस लिया जा रहा है।

अपवाद डालने के लिए 206 क क में एक संशोधन है ताकि धारा 194 ठ ग में सदंर्भित दीर्घावधि अवसंरचना बंधपत्रों के संबंध में अनिवासियों को ब्याज अदायगी में स्थायी खाता संख्या (पैन) की आवश्यकता और परिणामस्वरूप 20 प्रतिशत का उच्च विदहोल्डिंग कर लागू न हो।

उन संशोधनों से दीर्घावधि अवसंरचना में अधिक निवेश आकर्षित होगा जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

महोदया, कृषि भूमि के अलावा, अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती का एक प्रस्ताव है; जो रहेगा। तथापि, कर कटौती करने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए हम कर खाता संख्या (टैन) प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दे रहे हैं। उसके पास टैन होना आवश्यक नहीं है, परंतु उसे कर अवश्य काटना चाहिए।

पिछले वर्ष, 2012 के वित्त अधिनियम में भाषा से उत्पन्न कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए धारा 153 और 153(ख) में संशोधन किया जा रहा है। ये पूरी तरह प्रारूप संशोधन है, जिसे

हम करने जा रहे हैं, ताकि उन धाराओं का आशय स्पष्ट हो सके।

महोदया, जैसा मैंने बजट भाषण में कहा, वस्तु विनिमय कर लागू करने जा रहे हैं। अब जबकि हम कृषि वस्तु के अलावा अन्य वस्तुओं पर वस्तु विनिमय कर लागू कर रहे हैं तब वस्तु उपोत्पादों में व्यापार अब एक सट्टेबाजी विनिमय के रूप में नहीं रह जायेगा।

महोदया, हम यह भी प्रावधान कर रहे हैं कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आईटीएटी का अध्यक्ष या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से एक हो सकता है।

महोदया, अप्रत्यक्ष करों के बारे में हम आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने के लिए टैरिफ कुशन की ओर जा रहे हैं ताकि यदि आवश्यक हो तो घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए काजू-दानों के आयात पर उच्चतर शुल्क लगा सकें।

अंत में, महोदया, रेलवे के अनुरोध पर, यद्यपि रेलवे पर थोड़ा पहले सेवा कर लागू हो गया परंतु उन्होंने 1 अक्टूबर, 2012 तक की अवधि के लिए सेवा कर का संग्रहण नहीं किया, इसलिए रेलवे एवं वे व्यक्ति जिनको वे सेवा प्रदान करते हैं जिनसे सेवा प्राप्त करते हैं पर असामान्य भार को टालने के लिए, 1 जुलाई 2012 से 1 अक्टूबर 2012 की अवधि के लिए मैं रेलवे के लिए 1.7.2012 से 1.10.2012 की अवधि को सेवाकर से छूट प्रदान कर रहा हूं।

हम ये महत्वपूर्ण संशोधन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण संशोधन वह संशोधन है जो पूर्णत: स्पष्ट करता है कि कृषि भूमि पर संपत्ति कर लगाने का कभी भी कोई इरादा नहीं था और कोई इरादा भी नहीं है और इसीलिए, मामले को स्पष्ट करना चाहिए। उस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। मामले आशय समाप्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।'

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप एक संशोधन पेश कर रही हैं। ठीक है।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदया, लोगों को नोटिस मिले हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कहना चाहती हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कौन बोलना चाहता है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: चारों एक साथ नहीं बोल सकते।

...(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: आप चारों में से कौन बोलेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब)**:** ये बोल रही हैं।..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बहुत संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हां, मैं आपको एक मौका दूंगी। मैंने पहले ही आपको बताया था।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदया, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा विषय जिससे चिंता होती है...*(व्यवधान)* महोदया, मेरी बात समाप्त होने के बाद माननीय मंत्री को स्पष्ट करने दीजिए। मुझे पता है कि वे पूरे देश के सामने क्या लीपा-पोती करना चाहते हैं। हम उनकी लीपा-पोती का स्वागत करते हैं। उनका बहुत स्वागत है परंतु हमें सुनिश्चित करना चहिए कि राष्ट्र को यह पता चले कि यह सरकार क्या कर रही है...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको बोलने का समय दूंगी।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदया, मैं यह स्पष्ट करती हूं। मैं आयकर विभाग से प्राप्त इस सूचना की प्रतियां दे सकती हूं जो माननीय मंत्री के अधीन आता है। ये दो किसानों के मामले हैं। मैं उन्हें और भी दर्जनों मामले बता सकती हूं जहां उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपके शहर की नगरपलिका की सीमा से आठ कि.मी. तक आपकी कृषि भूमि पर संपत्ति कर हमारी भूमि के अंतर्गत आता है। विधेयक में यही कहा गया है।

उन्हें लाखों रुपए, 50 लाख रुपए के नोटिस दिए गए हैं। आय कर विभाग ने वारंट तक जारी किए हैं और उन्होंने उनकी भूमि का अधिग्रहण करने की भी कोशिश की है।...*(व्यवधान)*

यह राज्य सभा में माननीय वित्त मंत्री का उत्तर है जहां शिरोमणी अकाली दल के एक सांसद ने पूछा था कि क्या उन्हें पता है कि किसानों पर संपत्ति कर लगया जा रहा है। उन्होंने कहा था, "हां, उन्हें पता है और इसे वापस लेने की उनकी कोई योजना नहीं है।" जब माननीय मुख्यमंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल ने यह मामला उठाया तो कांग्रेस के माननीय सदस्य गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)* वे गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

महोदया, एक मजाक है कि पंजाब में उनके दल के नेता, जो यहां समाचार-पत्र की कतरन लेकर शोर मचा रहे हैं, ने कहा था कि यह एक अफवाह भी...*(व्यवधान)* तब उन्होंने कहा था कि यह अफवाह है। अकाली दल गुमराह कर रहा है...*(व्यवधान)* जब यह अफवाह है तो माननीय मंत्री संशोधन कैसे ला रहे हैं? उन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है? इसलिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

...*(व्यवधान)* यह सरकार जो गरीबों और किसानों की सरकार अपने आप को कहती है। इन्होंने गरीबों और किसानों की क्या परवाह की है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप को मौका देंगे। आप सभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: गरीबों को तो महंगाई का बोझ दिया और किसानों पर भी लाखों रुपए के टैक्स का बोझ लगाया और जब शिरोमणी अकाली दल ने आवाज उठाई, अमेंडमेंट मूव की तो यह सोई हुई सरकार तब जागी और आज अमेंडमेंट आ रहा है।...*(व्यवधान)* शुक्र है कि यह सोई हुई सरकार देर आई दुरुस्त आई।...*(व्यवधान)* अब यह जितना क्रेडिट लेना चाहती है, जरूर ले लें।...*(व्यवधान)* लेकिन, यह बात कोई नहीं निकाल सकता है कि शिरोमणी अकाली दल ने और सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, प्रधान मंत्री, वित्तमंत्री से ले कर सब को नोटिस दिया और ये तो वे लोग हैं जो कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं रहा है। उनके स्टेट में इनकम टैक्स के नोटिसेज आ रहे हैं, इनको तो यह भी पता नहीं था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इसलिए मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया है और इस अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिससे सभी किसानों की रीढ़ टूट जाती और देश खत्म हो जाता।

[हिंदी]

जाते-जाते इन्होंने गरीबों को तो मारा, किसानों को भी मारना चाहते थे।...*(व्यवधान)* लेकिन सारी पार्टियों के दबाव में आ कर इन्होंने अमेंड किया है, मैं इसका स्वागत करती हूं।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): माननीय स्पीकर साहिबा, मैं इस अगस्त हाउस में यह कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप खड़े क्यों हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिंदी]

श्री प्रताप सिंह बाजवा: मैं आज इस मौके पर कांग्रेस की अध्यक्षा, हमारी यूपीए की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी, एफएम, चिदम्बरम साहब और प्रधानमंत्री साहब का, यह जो रिवोल्युशनरी कदम है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* ये लोग अंगुली को काट कर, थोड़ा-सा खून निकाल कर शहीद होना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* पंजाब में आग लगाने का एक खतरनाक मनसूबा इनका है।...*(व्यवधान)* इन बेचारों का सारा प्रोग्राम वहां का वहां रह गया।...*(व्यवधान)* मैं चिदम्बरम साहब और कांग्रेस अध्यक्षा के मुबारकबाद देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* कांग्रेस का हाथ हमेशा किसान के साथ रहा है।...*(व्यवधान)* देश की आजादी से लेकर आज तक जब भी किसान को कुछ मिला है तो कांग्रेस ने दिया है, यूपीए ने दिया है। 70 हजार करोड़ रुपए का जो पीछे कर्जा था, कर्जा माफी इन्होंने दिया।...*(व्यवधान)* सबसे बड़ा लैंड माफिया पंजाब में ये लोग हैं।...*(व्यवधान)* चिदम्बरम साहब आपने आज इस काम को किया इससे सबसे बड़ा फायदा इस लैंड माफिया को गया।...*(व्यवधान)* किसानों को भी यह गया है।...*(व्यवधान)* पंजाब के बड़े शहरों में इनकी जमीनें हैं। इन लोगों की हजारों एकड़ जमीनें हैं।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* ये गैलरी में दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये प्रेस का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। *[हिंदी]* इनके मेम्बर ने सेंट्रल हॉल में मिल कर कहा कि हम आप की लीडरशीप का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रताप सिंह बाजवा: मैडम, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* इनके मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे कहा कि बाजवा जी हम आपके कांग्रेस की लीडरशीप का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* ये अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं।...*(व्यवधान)* इनके हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और हैं।...*(व्यवधान)* ये क्या बात करेंगे? ...*(व्यवधान)* इनको किसी किसान के साथ कोई दर्द नहीं है ये सबसे बड़े लैंड माफिया हैं ये लैंड शार्क्स हैं। ये पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। हमने वेल्थ टैक्स की बात की, हम ने वापस ले लिया।...*(व्यवधान)* आप प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो।...*(व्यवधान)* बिजली पर लगाए हुए टैक्स को वापस लीजिए। मैडम, मुझे इनके मुख्य मंत्री साहब को एक बात कहनी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप लोग बोल चुके हैं

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हरसिमरत कौर जी, आप बोल चुकी हैं। अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रताप सिंह बाजवा: मुझे आखिर में एक बात इनके मुख्य मंत्री जी को कहनी है।...*(व्यवधान)* उर्दू का एक शेर है—

बिना लिबास के आए थे हम इस जहां में
एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारी आपसे गुजारिश है कि अब*।...*(व्यवधान)* जब जाना है तो चादर ही डालकर जाना है। अब छोड़ दीजिए, ड्रामा मत कीजिए।...*(व्यवधान)* सारा देश आपको जानता है।...*(व्यवधान)*

अगर हिंदुस्तान में...*(व्यवधान)* मेरी आपसे यह गुजारिश है।..*(व्यवधान)* चिदम्बरम साहब, हम आपको मुबारक देना चाहते हैं।..*(व्यवधान)* आपने कमाल कर दिया। सारा पंजाब, सारे हिंदुस्तान के किसान आपके साथ हैं।...*(व्यवधान)* हम आपको मुबारक देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, माननीय सदस्य, श्रीमती हरसिमरत कौर ने कहा है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री से बात की है या वित्त मंत्री को लिखा है। उन्होंने इनको बताया होगा परंतु मुझे न तो कोई पत्र मिला है और न ही टेलीफोन पर बात हुई है ...*(व्यवधान)* कृपया बैठ जाइये। हरेक लाइन पर मत टोकिए ...*(व्यवधान)* मैंने आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और आपको भी मेरी बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए...*(व्यवधान)* वह बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। काश वह मुझे टेलीफोन करते या मुझसे बात करते या मुझसे बात करने के लिए अपने किसी सांसद को भेजते। मुझे निराशा हुई है कि मुझे उनकी सलाह का लाभ नहीं मिला। किंतु, फिर भी ...*(व्यवधान)* कृपया धीरज रखिए...*(व्यवधान)* रिकॉर्ड सही रखने के लिए यह संशोधन संपत्ति कर में रहा है, 1993 से वहां रहा है। 1993 और 2013 के बीच ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि किसी वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया हो कि कृषि भूमि पर संपत्ति कर आरोप्य था। 1993 से अनेक वित्त मंत्री हुए हैं। जब मैंने स्वयं से पूछा कि क्यों तो उत्तर, सेक्शन में स्पष्ट है क्योंकि इसमें ऐसी भूमि शामिल नहीं है जिसमें किसी कानून के अंतर्गत भवन के निर्माण की अनुमति है तथापि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय के बाद, जो स्वीकृति के चरण में ही रद्द कर दिए गए थे, कुछ वर्गों में एक आशंका पैदा हुई होगी कि किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या अधिसूचित परिधीय क्षेत्र के भीतर पड़ने वाली कृषि भूमि पर संपत्ति कर आरोप्य है। जैसा मैंने कहा और दोहराया है, मैं उनसे स्वीकार करने की अपील करता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र जानते हैं कि मेरा कानून का ज्ञान सही है। इस बार में इसकी अनुमति नहीं दी गई है परंतु आशंका पैदा हुई होगी कि इस धारा के अंतर्गत कृषि भूमि पर संपत्ति कर आरोप्य है। जब अभ्यावेदन मेरे संज्ञान में लाए गए तो इसे मेरे संज्ञान में लाने वाले पहले तीन लोग थे—श्री बाजवा, श्री मनीष तिवारी और श्रीमती परनीत कौर। ये तीन थे जो सबसे पहले मेरे संज्ञान में लाए थे। फिर, एक बड़ा शिष्टमंडल मुझसे मिला और इसे मेरे संज्ञान में लाया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था और उन्होंने कल ही टेलीविजन पर कहा है कि संप्रग सरकार की नीति कृषि भूमि पर संपत्ति कर लगाने की न थी और न है। इससे मामला, थम जाना चाहिए था परंतु मैं उससे संतुष्ट होकर नहीं बैठा। मैंने पिछली रात देर तक मेहनत की। मैंने प्रधान मंत्री के लौटने पर उनसे बात की। राष्ट्रपति से इस पर हस्ताक्षर कराए और हमने संशोधन पेश कर दिया। मामले पर आरोप-प्रत्यारोप के बजाय यह समाप्त हो जाना चाहिए था। मैं आभारी हूं कि इन्होंने संशोधन का स्वागत किया है। आइए हम संशोधन को सर्वसम्मति से पारित करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए केन्द्र सरकार को वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2 आयकर

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 "194 ठ, ग" के स्थान पर "194 ठ,ग, 194 ठ, घ प्रतिस्थापित किए जाए।

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 धारा (2) का संशोधन

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

*अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 2 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 2 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खंड 3क

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 11 के पश्चात् अंत:स्थपित करें–

कतिपय अभिव्यक्ति के निर्देश का अन्य अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापन।	'3क, आय-कर अधिनियम में "विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973" पद के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, "विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999" प्रतिस्थापित करें।	1973 का 46 1999 का 42

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 3क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 3क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

धारा 10 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 8, पंक्ति 22 के पश्चात् अंत:स्थापित करें–

'(VIक) खंड (48) में, "किसी व्यक्ति को कच्चे तेल के विक्रय मद्दे" शब्दों के स्थान पर, "किसी व्यक्ति को कच्चे तेल पर किसी ऐसे अन्य माल के विक्रय अथवा ऐसी सेवाएं प्रदान करने के मद्दे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं" शब्द 1 अप्रैल, 2014 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे'।

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभी के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभी के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क

धारा 43 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 9, पंक्ति 32 के पश्चात् अंत:स्थापित करें—

'7क. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (5) में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(I) परंतुक में,—

(अ) खंड (घ) में, "में किया जाता है" शब्दों के पश्चात् "या" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(आ) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ) वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में कोई पात्र संव्यवहार, जो किसी मान्यताप्राप्त संगम में किया गया है;"

(II) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में "इस खंड", शब्दों के स्थान पर, "खंड (घ)" शब्द कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(III) इस प्रकार पुन:संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

'स्पष्टीकरण 2— खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "वस्तु व्युत्पन्न" पद का वही अर्थ होगा, जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में उसका है;

(ii) "पात्र संव्यवहार" पद से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत हैं,—

(अ) जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों और किसी मान्यताप्राप्त संगम के संबंध में उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों या जारी किए गए निदेशों के अनुसार, वस्तु व्युत्पन्न में व्यापार करने के लिए मान्यताप्राप्त संगम की उपविधियों, नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सदस्य या किसी मध्यवर्ती के माध्यम से स्क्रीन आधारित प्रणालियों पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है; और (1952 का 74)

(आ) जिसका ऐसे सदस्य या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा प्रत्येक ग्राहक को जारी किए गए समय स्टांप सांविदा टिप्पण द्वारा, जिसमें संविदा टिप्पण में उपखंड (अ) में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम, नियमों, विनियमों या उपविधि यों के अधीन आवंटित विशेष ग्राहक पहचान संख्यांक और इस अधिनियम के अधीन आबंटित स्थायी लेखा संख्यांक उपदर्शित हो, समर्थन किया जाता है;

(iii) "मान्यताप्राप्त संगम" से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त संगम अभिप्रेत है और जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं और जिसे इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है'।' (1952 का 74)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड-7क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 10

धारा 80ग का संशोधन

अध्यक्ष महोदया: श्री संजय धोत्रे संशोधन सं. 34 प्रस्तुत करेंगे–उपस्थित नहीं

श्री भर्तृहरि महताब संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करेंगे–उपस्थित नहीं

प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 13

नई धारा 80ङङ का अंतःस्थापन

अध्यक्ष महोदया: संशोधन संख्या 36 से 41—सदस्यगण उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15

धारा 80 छछख का संशोधन

अध्यक्ष महोदया: संशोधन संख्या 42 और 43–सदस्यगण उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16

धारा 80 छछग का संशोधन

अध्यक्ष महोदया: संशोधन संख्या 44 और 45–सदस्यगण उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 21

धारा 90 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 23 के पश्चात् अंतःस्थापित करें,

(खक) उपधारा (4) में, "निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों, जो विहित की जाएं, उस देश" शब्दों के स्थान पर, "निवासी होने का प्रमाणपत्र उस देश" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;'। (5)

(श्री पी. चिदम्बरम)

पृष्ठ 12, पंक्ति 26 से पंक्ति 28 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

"(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारिती ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचना भी उपलब्ध कराएगा, जो विहित किए जाएं।"। (6)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22

धारा 90क का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 33 के पश्चात् अंतःस्थापित करें–

(खक) उपधारा (4) में, "निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों, जो विहित की जाएं, उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "निवासी होने का प्रमाणपत्र उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;'। (7)

(श्री पी. चिदम्बरम)

पृष्ठ 12, पंक्ति 36 से पंक्ति 38 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें (6)

"(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारिती ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचना भी उपलब्ध कराएगा, जो विहित किए जाएं।"। (8)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 और 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 25

धारा 115क का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 18 से पंक्ति 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2014 से–

(I) खंड (क) में,—

(अ) उपखंड (iiकक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiकख) धारा 194ठघ में निर्दिष्ट प्रकृति और सीमा तक ब्याज; या";

(आ) मद (आअ) में, "उपखंड (iiकक)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या उपखंड (iiकख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(इ) मद (ई) में, "उपबंध (iiकक)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या उपखंड (iiकख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(II) खंड (ख) के उपखंड (अ), उपखंड (अअ), उपखंड (आ) और उपखंड (आआ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"(अ) कुल आय में सम्मिलित स्वामिस्व के रूप में आय पर यदि कोई हो, पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम;

(आ) कुल आय में सम्मिलित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय पर, यदि कोई हो, पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और"।'। (9)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 25क

धारा 115कघ का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 23 के पश्चात् अंत:स्थापित करें—

'25क, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) की मद (i) में निम्नलिखित परन्तुक 1 अप्रैल, 2014 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय पर परिकलित आय-कर की रकम पांच प्रतिशत की दर पर होगी;''।'। (10)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 25क विधेयक में जोड़ दिया जाए''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 25क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्तुत स्वीकृत हुआ।

नया खंड 31क

धारा 138 का संशोधन

संशोधन किया जाए:

पृष्ठ 19, पंक्ति 8 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,—

'31क. आयकर अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में ''विदेशी मुद्रा विनियमन अधि नियम, 1947 की धारा 2(घ)'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, ''विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ढ)'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएगें'। (11)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 31क विधेयक में जोड़ दिया जाए''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 37

धारा 153 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 21, पंक्ति 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

'37, आय-कर अधिनियम की धारा 153 में—

(I) उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्—

'परंतु यह भी कि यदि वह निर्धारण वर्ष, जिसमें आय पहले निर्धारणीय थी 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या कोई पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्ष है और कुल आय का निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, तो खंड (क) के उपबंध, पहले परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों;'

(II) उपधारा (2) में, चौथे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्—

'परंतु यह भी कि जहां धारा 148 के अधीन सूचना की तामील 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् की गई हो और कुल आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनर्सगणना करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंध दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों;'

(III) उपधारा (2क) में, चौथे, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्—

'परंतु यह भी कि जहां 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् यथस्थिति धारा 254 के अधीन आदेश, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है, और कुल आय का नए सिरे से निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंध दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''दो वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों;';

(IV) स्पष्टीकरण 1 में,—'। (12)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि खंड 37, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया जाए''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38

धारा 153ख का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 21, पंक्ति 36 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें,—

'38. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) में,—

(क) चौथे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्—

'परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां इस उपधारा के खंड(क) या खंड (ख) के उपबंध, दूसरे परंतुक के खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''तीन वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों:';

(ख) छठे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने संबंधी परिसीमाकाल, दूसरे परंतुक के खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, अंत से छत्तीस मास या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन उस अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से चौबीस मास की अवधि, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, का होगा।';

(ग) स्पष्टीकरण 2 में,–'।

(13)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 39 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 42

नई धारा 194-1क का अंत:स्थापन

संशोधित किया गया:

पृष्ठ 22 पंक्ति 36 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,—

'(3) धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा की जाती है।'। (14)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43

धारा 194ठग का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 22, पंक्ति 41 से पंक्ति 44 तथा पृष्ठ 23, पंक्ति 1 से पंक्ति 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें,—

नई धारा 194 ठग का अंत:स्थापन। '43, आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग के पश्चात् निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2013 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय। 194ठघ, (1) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में कोई आय ऐसे किसी व्यक्ति को, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्त्ता या अर्हक विदेशी विनिधानकर्ता है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय पाने वाले द्वारा,—

(i) किसी भारतीय कंपनी के रुपए के अंकित बंधपत्र में; या

(ii) किसी सरकारी प्रतिभूमि में,

किए गए विनिधान की बाबत 1 जून, 2013 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2015 के पूर्व संदेय ब्याज होगा:

परंतु खंड (i) में निर्दिष्ट बंधपत्र की बाबत ब्याज की दर उस दर से अधिक नहीं होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्त्ता" का वही अर्थ है जो धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है;

(ख) "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है; 1956 का 42

(ग) "अहंक विदेशी विनिधानकर्त्ता" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र संख्यांक परिपत्र/आईएमडी/डीएफ/14/2011, तारीख 9 अगस्त, 2011, समय-समय पर यथासंशोधित, में उसका है।"। 1992 का 15
(15)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 43, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 43, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43क

धारा 195 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 23, पंक्ति 8 के पश्चात् अंतःस्थापित करें—

'43क, आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (1) में, "धारा 194ठग" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 194ठघ" शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे; (16)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 43क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 17 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ख

धारा 196घ का संशोधन

संशोधन किया गया:

'पृष्ठ 23, पंक्ति 8 के पश्चात् अंतःस्थापित करें,—

43ख, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में, "धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बाबत् कोई आय" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत् कोई आय, जो धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 जून, 2013 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (17)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 43ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या

18 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 18 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ग

धारा 204 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 23, पंक्ति 8 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,—

43ग. आय-कर अधिनियम की धारा 204 में,—

(अ) खंड (iiक) में, ''प्राधिकृत व्यवहारी'' शब्दों के स्थान पर ''प्राधिकृत व्यक्ति'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(आ) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

'(ख) ''प्राधिकृत व्यक्ति'' का यही अर्थ है जो
1999 का 42 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है;'। (18)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 43ग विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43घ

धारा 206कक का संशोधन

संशोधन किया गया:

'पृष्ठ 23, पंक्ति 8 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,—

43घ. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2013 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

''(7) इस धारा के उपबंध धारा 194ठग में यथानिर्दिष्ट किसी अनिवासी, जो कंपनी न हो या किसी विदेशी कंपनी को दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय की बाबत लागू नहीं होंगे।''। (19)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 43घ विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43घ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ङ

धारा 206ग का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 23, पंक्ति 8 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,—

'43ङ. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1घ) में, "(दस ग्राम या कम वजन के किसी सिक्के या किसी अन्य वस्तु को छोड़कर)" कोष्ठकों और शब्दों का 1 जून, 2013 से लोप किया जाएगा।'। (20)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 43ङ विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43ङ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 44 से 46 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(झ) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (झ) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 46क

धारा 252 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 24, पंक्ति 9 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,—

'46क. आय-कर अधिनियम की धारा 252 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2013 से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(3) केंद्रीय सरकार—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जिसने किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी की है; या

(ख) अपील अधिकरण के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से किसी को,

उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।''।' (21)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 46क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 46क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 से 50 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 51

धारा 2 का संशोधन

पृष्ठ 24, पंक्ति 37 से 42 और पृष्ठ 25, पंक्ति 1 से 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

1957 का 27 '51. धनकर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धनकर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ङक) में स्पष्टीकरण 1 में—

(अ) खंड (ख) में, 'किन्तु ऐसी भूमि सम्मिलित नहीं है जिस पर भवन का निर्माण' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल 1993 से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात्—

''किन्तु सरकारी अभिलेख में कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत और कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की गयी भूमि अथवा ऐसी भूमि, जिस पर भवन का निर्माण हो, सम्मिलित नहीं है'';

(आ) यथा संशोधित रूप में, खंड(ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल 2014 से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'(ख) ''नगर भूमि'' से ऐसी भूमि अभिप्रेत है, जो,—

(i) ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित है, जो किसी नगरपालिका (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहरी समिति या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) या किसी छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर समाविष्ट है और जिसकी जनसंख्या दस हजार से कम नहीं है; या

(ii) एरियल रूप से मापित दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में,—

(i) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है; या

(ii) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है; या

(iii) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है,

किंतु इसके अंतर्गत ऐसी भूमि, जिस पर उस क्षेत्र में, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भवन का सन्निर्माण अनुज्ञेय नहीं है, या ऐसी भूमि, जो ऐसे किसी भवन से, जिसका सन्निर्माण समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से किया गया है, घिरी हुई है या कोई अप्रयुक्त भूमि, जो निर्धारिती द्वारा उसके अर्जन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक प्रयोजनों हेतु धारित की गई है या ऐसी कोई भूमि नहीं है जो निर्धारिती द्वारा उसके अर्जन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए व्यापार-स्टाक के रूप में धारित की गई है।

स्पष्टीकरण—स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ''जनसंख्या'' से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े मूल्यांकन की तारीख के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं। (67)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि खंड 51, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 52 से 66 विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.37 बजे

इस समय, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

खंड 67

धारा 129ग का संशोधन

अध्यक्ष महोदया: प्रो. शेख सैदुल हक : उपस्थित नहीं

प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 67 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 67 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 68 से 92 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 93

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 33, पंक्ति 19 से पंक्ति 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें,—

भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के लिए विशेष उपबंध।

"99, (1) धारा 66 में, जैसी वह 1 जुलाई, 2013 के पूर्व विद्यमान थी, या धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारतीय रेल द्वारा 1 अक्तूबर, 2012 के पूर्व की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं की बाबत कोई सेवा-कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) भारतीय रेल द्वारा 1 अक्तूबर, 2012 के पूर्व की उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं की बाबत् संदत्त सेवा कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।"। (22)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 93, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 93, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 94 से 125 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

तीसरी अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 51, पंक्ति 6 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,—

'(1क) अध्याय 8 में,—

(क) टैरिफ मद 0801 32 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "70%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 0801 32 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "70%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ग) टैरिफ मद 0801 32 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "70%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;' (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

चौथी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: कई नए खंड विधेयक में जोड़े गए हैं। मैं निदेश देती हूं कि उत्तरवर्ती खंडों, जहां कहीं भी आवश्यक हो, को तदनुसार पुन: क्रमबद्ध किया जाए।

सभा गुरुवार, 2 मई, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 2 मई, 2013/12 वैशाख, 1935(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	481
2.	श्री प्रदीप माझी श्री लक्ष्मण टुडु	482
3.	श्री जगदानंद सिंह श्री शैलेन्द्र कुमार	483
4.	श्री एल. राजगोपाल श्री राधे मोहन सिंह	484
5.	श्री हरीश चौधरी श्री एस. अलागिरी	485
6.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	486
7.	श्री वरुण गांधी श्री असादूद्दीन ओवेसी	487
8.	श्री रतन सिंह श्री गोपीनाथ मुंडे	488
9.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी श्री चार्ल्स डिएस	489
10.	श्री मकनसिंह सोलंकी श्री वैजयंत पांडा	490
11.	श्री पी.टी. थॉमस	491
12.	श्री एम.के. राघवन श्री पी. विश्वनाथन	492
13.	श्री यशवीर सिंह शेख सैदुल हक	493
14.	श्री रमा शंकर राजभर	494
15.	श्री किसनभाई वी. पटेल	495
16.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	496
17.	श्री राधा मोहन सिंह श्रीमती अवश्मेध देवी	497
18.	श्री सी.आर. पाटिल श्री मनसुखभाई डी. वसावा	498
19.	श्री अशोक कुमार रावत डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	499
20.	श्री अजय कुमार श्री अशोक कुमार तंवर	500

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	5529, 5633, 5637, 5717
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	5528, 5609, 5702, 5720
3.	श्री आधि शंकर	5565
4.	श्री आनंदराव अडसुल	5528, 5609, 5702, 5720
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	5526, 5603, 5994
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	5544, 5662, 5693
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	5619, 5622, 5719
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	5578, 5596, 5741
9.	श्री कीर्ति आजाद	5601, 5692, 5721
10.	श्री गजानन ध. बाबर	5528, 5609, 5702, 5720
11.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	5734
12.	श्री कामेश्वर बैठा	5538, 5608
13.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	5556
14.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग	5630
15.	श्री ताराचन्द भगोरा	5605, 5686, 5710
16.	श्री संजय भोई	5594
17.	श्री पी.के. बिजू	5603
18.	श्री कुलदीप बिश्नोई	5526

1	2	3
19.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	5586, 5675
20.	श्री सी. शिवासामी	5561, 5659, 5681
21.	श्री हरीश चौधरी	5665
22.	श्री जयंत चौधरी	5633
23.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	5520
24.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	5595, 5670, 5690, 5719
25.	श्री भूदेव चौधरी	5670
26.	श्रीमती श्रुति चौधरी	5522, 5719
27.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	5579
28.	श्रीमती अश्वमेध देवी	5673
29.	श्रीमती रमा देवी	5574, 5593, 5618, 5665
30.	श्री के.पी. धनपालन	5517, 5653, 5661
31.	श्री संजय धोत्रे	5620, 5708
32.	श्री आर. ध्रुवनारायण	5536
33.	श्री निशिकांत दुबे	5572, 5591, 5634, 5706
34.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	5581
35.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	5518, 5573, 5644, 5725
36.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	5580, 5594
37.	श्रीमती मेनका गांधी	5592, 5688, 5730
38.	श्री वरुण गांधी	5591, 5658, 5730
39.	श्री ए. गणेशमूर्ति	5580

1	2	3
40.	डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	5615
41.	श्री शेर सिंह घुबाया	5622
42.	श्री एल. राजगोपाल	5664
43.	श्री शिवराम गौडा	5563
44.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	5585, 5600, 5680, 5691, 5720
45.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	5593
46.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	5525, 5624
47.	श्री बद्रीराम जाखड़	5564, 5655, 5729, 5740
48.	श्रीमती दर्शना जरदोश	5613, 5700
49.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	5588
50.	श्री हरिभाऊ जावले	5631, 5715
51.	श्रीमती जयाप्रदा	5695
52.	श्री महेश जोशी	5629
53.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	5578, 5596
54.	श्री प्रहलाद जोशी	5633
55.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	5524, 5634
56.	श्री सुरेश कलमाडी	5616, 5701
57.	श्री कपिल मुनि करवारिया	5537, 5703
58.	श्री राम सिंह कस्वां	5519, 5640
59.	श्री नलिन कुमार कटील	5555
60.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	5554, 5650, 5727
61.	श्री चंद्रकांत खैरे	5543, 5744
62.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	5582, 5676, 5745
63.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	5542, 5622

1	2	3
64.	श्री अजय कुमार	5672
65.	श्री पी. कुमार	5577, 5587, 5605, 5681, 5683
66.	श्री शैलेन्द्र कुमार	5651, 5733
67.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	5595, 5622
68.	श्री यशवंत लागुरी	5574, 5675
69.	श्री एम. कृष्णास्वामी	5693
70.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	5559, 5682, 5706
71.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	5602, 5693
72.	श्री सतपाल महाराज	5675
73.	श्री भर्तृहरि महताब	5620, 5708
74.	श्री प्रदीप माझी	5663, 5668, 5736, 5741
75.	श्री जोस के. मणि	5718
76.	श्री दत्ता मेघे	5573, 5689
77.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	5642, 5735
78.	डॉ. थोकचोम मेन्या	5621
79.	श्री सोमेन मित्रा	5560, 5622
80.	श्री गोपीनाथ मुंडे	5608
81.	श्री विलास मुत्तेमवर	5699
82.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	5608, 5623, 5705, 5709
83.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	5610, 5687, 5698, 5716
84.	श्री नारेनभाई काछादिया	5534, 5696
85.	श्री सोनवाणे प्रताप नारायणराव	5535
86.	श्री संजय निरुपम	5625
87.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	5656, 5692, 5741

1	2	3
88.	श्री विन्सेंट एच. पाला	5632
89.	श्री वैजयंत पांडा	5685
90.	श्री प्रबोध पांडा	5590, 5679, 5686
91.	श्री रवीन्द्र कुमर पाण्डेय	5516, 5695
92.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	5575
93.	श्री जयराम पांगी	5606
94.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	5580, 5594
95.	श्री देवजी एम. पटेल	5538, 5608, 5721
96.	श्री आर.के. सिंह पटेल	5583, 5678
97.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	5588
98.	श्री किसनभाई वी. पटेल	5663, 5668, 5736, 5741
99.	श्री हरिन पाठक	5624
100.	श्री संजय दिना पाटील	5610, 5687, 5698, 5716
101.	श्री सी.आर. पाटिल	5687
102.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	5580, 5594
103.	श्रीमती कमला देवी पटले	5540, 5608, 5641
104.	श्री पोन्नम प्रभाकर	5571, 5603, 5693
105.	श्री नित्यानंद प्रधान	5603, 5604
106.	डॉ. एन. शिवप्रसाद	5547
107.	श्री पन्ना लाल पुनिया	5576
108.	श्री एम.के. राघवन	5633, 5661, 5739

1	2	3
109.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	5595
110.	श्री अब्दुल रहमान	5585, 5595, 5680
111.	श्री सी. राजेन्द्रन	5552, 5713
112.	श्री पूर्णमासी राम	5602, 5626, 5711
113.	श्री जगदीश सिंह राणा	5523, 5608, 5635, 5722
114.	श्री निलेश नारायण राणे	5521
115.	श्री रामसिंह राठवा	5539, 5660, 5714
116.	श्री अशोक कुमार रावत	5575, 5671, 5687, 5743
117.	श्री अर्जुन राय	5578, 5669, 5741
118.	श्री रुद्रमाधव राय	5677
119.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	5719
120.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	5548, 5573, 5646
121.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	5720
122.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	5602, 5634, 5740
123.	प्रो. सौगत राय	5584, 5679
124.	श्री एस. अलागिरी	5674, 5737
125.	श्री एस. सेम्मलई	5558, 5677
126.	श्री एस. पक्कीरप्पा	5562, 5585, 5591, 5654
127.	श्री एस.आर. जेयदुरई	5600, 5603, 5628, 5691
128.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	5527, 5603, 5636, 5697, 5723

1	2	3
129.	श्री ए. सम्पत	5603
130.	श्री तूफानी सरोज	5607, 5697
131.	श्री हमदुल्लाह सईद	5557, 5652, 5728
132.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	5717, 5730
133.	श्री एम.आई. शानवास	5595
134.	श्री जगदीश शर्मा	5612, 5699
135.	श्री नीरज शेखर	5667, 5738, 5740
136.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	5546, 5687
137.	श्री राजू शेट्टी	5551, 5714
138.	श्री एंटो एंटोनी	5617, 5704
139.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	5690
140.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	5549, 5647, 5734
141.	डॉ. भोला सिंह	5687
142.	श्री भूपेन्द्र सिंह	5533
143.	श्री गणेश सिंह	5602
144.	श्री इज्यराज सिंह	5662
145.	श्री महाबली सिंह	5569, 5657
146.	श्रीमती मीना सिंह	5670, 5673
147.	श्री मुरारी लाल सिंह	5734
148.	श्री पशुपति नाथ सिंह	5568, 5705
149.	श्री राधा मोहन सिंह	5670, 5742
150.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	5614, 5712, 5718
151.	श्री रतन सिंह	5595, 5662, 5737
152.	श्री रवनीत सिंह	5566, 5573, 5710, 5721

1	2	3
153.	श्री सुशील कुमार सिंह	5611
154.	श्री उदय सिंह	5627
155.	श्री यशवीर सिंह	5667, 5738, 5740
156.	श्री रेवती रमण सिंह	5597, 5719, 5745
157.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	5578, 5608, 5669, 5741
158.	श्री उदय प्रताप सिंह	5719
159.	डॉ. संजय सिंह	5525, 5595, 5618
160.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	5744
161.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	5589, 5684, 5741
162.	श्री ई.जी. सुगावनम	5527, 5532, 5583, 5639
163.	श्री के. सुगुमार	5553, 5605, 5649, 5659, 5731
164.	श्रीमती सुप्रिया सुले	5716
165.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	5541, 5643, 5724
166.	श्री मानिक टैगोर	5550
167.	श्रीमती अन्नू टंडन	5570

1	2	3
168.	श्री अशोक तंवर	5638, 5732
169.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	5545, 5645, 5726
170.	श्री आर. थामराईसेलवन	5567, 5675, 5707, 5716
171.	श्री पी.टी. थॉमस	5666
172.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	5648, 5738
173.	श्री जोसेफ टोप्पो	5599
174.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	5583, 5675, 5744
175.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	5531, 5670, 5681
176.	श्री सज्जन वर्मा	5530, 5717
177.	श्री वीरेन्द्र कुमार	5669, 5717
178.	श्री अदगुरु एच, विश्वनाथ	5591, 5687
179.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	5574
180.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	5543, 5624, 5674
181.	श्री धर्मेन्द्र यादव	5528, 5609, 5702, 5720
182.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	5608
183.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	5598
184.	श्री मधु गौड यास्खी	5609

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	484, 486, 489, 491
कोयला	:	481, 483
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	485, 487, 490
संस्कृति	:	495
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	482, 488
गृह	:	493, 496, 497, 498, 500
सूचना और प्रसारण	:	492
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	494, 499

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	5516, 5518, 5522, 5525, 5529, 5530, 5533, 5535, 5538, 5540, 5542, 5548, 5555, 5557, 5561, 5562, 5576, 5578, 5579, 5582, 5583, 5584, 5590, 5592, 5596, 5597, 5608, 5613, 5614, 5616, 5620, 5628, 5639, 5640, 5645, 5653, 5658, 5662, 5663, 5667, 5669, 5678, 5682, 5685, 5688, 5700, 5701, 5703, 5706, 5713, 5719, 5720, 5726, 5730, 5744
कोयला	:	5574, 5588, 5605, 5619, 5624, 5641, 5643, 5644, 5661, 5668, 5695, 5715, 5732
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	5519, 5520, 5521, 5523, 5527, 5537, 5551, 5569, 5570, 5573, 5581, 5585, 5589, 5599, 5602, 5607, 5630, 5631, 5633, 5635, 5646, 5650, 5659, 5666, 5681, 5684, 5689, 5690, 5696, 5702, 5705, 5709, 5723, 5724, 5729, 5734, 5739, 5741
संस्कृति	:	5517, 5546, 5552, 5553, 5629, 5637, 5649, 5660, 5664, 5694, 5712, 5743
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	5564, 5566, 5676, 5714, 5722
गृह	:	5524, 5528, 5531, 5532, 5536, 5543, 5544, 5545, 5547, 5550, 5558, 5560, 5563, 5571, 5572, 5575, 5577, 5586, 5587, 5593, 5598, 5600, 5601, 5603, 5604, 5606, 5609, 5611, 5615, 5617, 5618, 5623, 5625, 5627, 5632, 5636, 5642, 5647, 5651, 5652, 5654, 5656, 5657, 5665,

		5670, 5671, 5672, 5674, 5677, 5680, 5683, 5691, 5692, 5693, 5698, 5699, 5704, 5707, 5708, 5710, 5711, 5718, 5721, 5727, 5728, 5731, 5733, 5737, 5738, 5740, 5742, 5745
सूचना और प्रसारण	:	5539, 5541, 5549, 5554, 5556, 5559, 5565, 5567, 5568, 5580, 5594, 5612, 5621, 5626, 5638, 5648, 5673, 5679, 5686, 5697, 5716
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	5526, 5534, 5591, 5595, 5610, 5622, 5634, 5655, 5675, 5687, 5717, 5725, 5735, 5736

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/33/27/2013 (एन.)
339

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।